okf"kZd fjiksVZ

2010&2011

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx

cgknqj 'kkg tQj ekxZ

ubZ fnYyh&110002 ¼Hkkjr½

¼osclkbV % www.ugc.ac.in½

o"k 2010&2011 d nkjku vk;kx d lnL;k dh lph

v/;{k	प्रो0 सुखदेव थोरात*
mik/;{k	प्रो0 वेद प्रकाश**
lnL;	प्रो0 वेद प्रकाश***
1.	सुश्री विभा पुरी दास***
2.	श्रीमती विलासिनी रामाचन्द्रन
3.	डॉ0 शिवाजीराव श्रीपतराव कदम
4.	प्रो0 के0 रामामूर्ति नायडू
5.	प्रो0 एस0 जेवियर अलफॉन्स, एस.जे.
7.	डॉ0(श्रीमती) विद्या येरावदेकर
8.	प्रो0 अच्युतानन्द सामन्त
9.	प्रो0 सैयद ई0 हसनैन^
10.	प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथ^
11.	श्री किरण कार्निक^
lfpo	डॉ0 निलोफ़र आदिल काज़मी

---

*	5 फरवरी, 2011 तक
**	6 फरवरी, 2011 से
***	5 फरवरी, 2011 तक
^	25 फरवरी, 2011 से

© fo’ofo|ky; vu|nku vk;kx

दिसम्बर, 2011
500 कोपीज

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित एवं कम्प्युडाटा सर्विसेज़, 42, डी0एस0आई0डी0सी0 शेड, स्कीम–I, फेज–II, ओखला इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली–110 020 द्वारा मुद्रित

fo’ofo|ky; vuqnku vk;ksx ds orZeku lnL;ksa dh lwph

v/;{k

प्रो0 वेद प्रकाश (कार्यवाहक)

lnL;

- सुश्री विभापुरी दास — सचिव, (माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
- श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन — विशेष सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
- डॉ0 एस0 जेवियर अलफॉन्स, एस.जे. — निदेशक, इंडियन सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑफ कम्यूनिटी एजूकेशन, 30, वीरासामी स्ट्रीट, एगमोर, चेन्नई–600008
- डॉ0(श्रीमती) विद्या येरावदेकर — प्राचार्य निदेशक, "सिम्बायोसिस" सेनापति बापत रोड, पुणे–411004
- प्रो0 अच्यूतानन्द सामन्त — आचार्य, रसायन विभाग, कलिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलोजी, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
- प्रो0 (डॉ0) सैयद ई0 हसनैन — आचार्य, कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हौजखास, नई दिल्ली–110 016
- प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथः — प्रधानाचार्य, लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली– 110 024
- डॉ0 इंदु साहनीः — प्राधानाचार्य, एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकनॉमिक्स, 123, दिनशा वाचा रोड, चर्च गेट, मुंबई – 400 020
- प्रो0 योगेन्द्र यादव — वरिष्ठ अध्येता, सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीसी), 29, राजपुर रोड, नई दिल्ली – 110 054
- डॉ0 वी.एस. चौहान — निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायो–टेक्नोलॉजी, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली– 110 067

lfpo

डॉ0 नीलोफ़र आदिल काज़मी

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx ds orZeku ofj"B vf/kdkfj;ksa dh lwph

1.	डॉ0 निलोफ़र आदिल काज़मी	सचिव
2.	डॉ0 के. गुणाशेकरन	अपर सचिव/निदेशक (प्रशासन)
3.	डॉ0 पी. प्रकाश	अपर सचिव (कुलपति के पद पर प्रतिनियुक्त)
4.	डॉ0 (श्रीमती) पंकज मित्तल	सुंयक्त सचिव (कुलपति के पद पर प्रतिनियुक्त)
5.	श्री ए.के. डोगरा	संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार
6.	डॉ0 सी.एस. मीणा	संयुक्त सचिव
7.	प्रो0 राजेश आनन्द	संयुक्त सचिव
8.	डॉ0 (श्रीमती) रेनू बत्रा	संयुक्त सचिव
9.	डॉ0 के.सी. पाठक	संयुक्त सचिव
10.	डॉ0 देव स्वरूप	संयुक्त सचिव
11.	डॉ0 रत्नाबाली बनर्जी	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय का0, कोलकाता)
12.	डॉ0 के.पी. सिंह	संयुक्त सचिव
13.	डॉ0 (श्रीमती) उर्मिला देवी	संयुक्त सचिव
14.	डॉ0 मंजु सिंह	संयुक्त सचिव
15.	डॉ0 जी. श्रीनिवास	संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय का0, हैदराबाद)
16.	श्री एस0सी0 चड्ढा	संयुक्त सचिव
17.	श्री एम0एस0 यादव	मुख्य सांख्यिकी अधिकारी

विषय सूची

प्रस्तावना : अध्यक्ष **पृष्ठ संख्या**

कार्यकारी सारांश **1**

1. प्रस्तावना **24-51**

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन 24

1.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 26

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ 26

(क) कदाचार प्रकोष्ठ 26

(ख) सतर्कता प्रकोष्ठ 29

(ग) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ 29

(घ) विधिक प्रकोष्ठ 29

(ङ) डेस्क : संसद मामले 30

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आई0ए0)प्रकोष्ठ 32

(छ) वेतनमान प्रकोष्ठ 33

(ज) वि0अ0आ0 का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 33

(झ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ 34

(ञ) रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ 34

(त) आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ 35

1.4 प्रकाशन 36

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त 37

1.6 केन्द्रीय तथा सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) 39

1.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल 41

1.8 वर्ष की मुख्य विशेषताएँ 42

2. उच्च शिक्षा प्रणाली में वृद्धि : कुछ आंकड़े **52-73**

2.1 संस्थान 52

2.2 छात्रों का नामांकन 58

2.3 संकाय संख्या 59

2.4 अनुसंधान उपाधियाँ 60

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि 60

2.6	राज्य तथा संकाय द्वारा महिलाओं के नामांकन का संवितरण	61
2.7	महिला महाविद्यालय	62
3-	**fo’ofo|ky;k dk fodkl ¼;ktukxr½ vkj vuj{k.k ¼xj&;ktukxr½ lgk;rk**	**74&154**
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	74
(क)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	78
(ख)	राज्य विश्वविद्यालय	86
(ग)	सम विश्वविद्यालय	90
3.2	सम विश्वविद्यालयों की मुख्य विशेषताएँ : 2010–2011	95
3.3	विश्वविद्यालयों में विद्यमान और नए प्रबन्धन विभागों के उच्चीकरण के लिए विकास सहायता	153
4-	**dkyst k dk fodkl ¼;ktukxr ½ rFkk vuj{k.k ¼xj&;ktukxr½ lgk;rk**	**155&182**
4.1	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कालेजों के विकास पर विशेष बल	155
4.2	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज	156
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कालेजों को अनुदान	157
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा जारी अनुदानों की योजनावार स्थिति	158
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	179
4.6	निम्न जी.ई.आर. के साथ शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना ।	181
4.7	महाविद्यालयों में यंत्र रख–रखाव सुविधाएं	182
5-	**x|.koRrk vkj mRÑ"Vrk**	**183&248**
5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय(यू.पी.ई.)	183
5.2	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कालेज (सी.पी.ई.)	186
5.3	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)	187
5.4	नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	194
5.5	विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)	195
5.6	नवोन्मेषी कार्यक्रम–कुछ उभरते हुए एवं अन्तर्विषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध	197
5.7	स्वायत्त महाविद्यालय	198
5.8	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)	200
5.9	राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना	202

5.10 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और विनिमय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम 203

5.11 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (नेट) 206

5.12 यात्रा अनुदान 211

5.13 अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.) 211

5.14 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र 232

5.15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार में से किन्हीं दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता शिक्षकों को विशेष मानदेय 244

5.16 विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों में वृद्धि करना (इनकोर) 244

5.17 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) 245

5.18 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 246

5.19 वि0अ0आ0 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, यू.जी.सी. हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा यूजीसी वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार 246

5.20 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के प्रति जागरूकता बढाना तथा पेटेंटों की सुविधा प्रदान करना 247

5.21 विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना (पी.आई.एच.ई.ए.डी.) 247

6- vu|l/kku dk ikR I kgu **249&283**

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ: वृहत् एवं लघु 249

6.2 शिक्षकों के लिए अनुसंधान पुरस्कार 251

6.3 एमेरिट्स अध्येतावृत्तियाँ 252

6.4 अनुसंधान कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/विचार गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन 253

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (जे.आर.एफ.) एवं अनुसंधान एसोसिएटशिप (आर.ए.) 253

6.6 भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ (क) विज्ञान, मानविकी, तथा सामाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ.(ख) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में (कनिष्ठ अनु0 अध्येतावृत्तियाँ) 254

6.7 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ 256

6.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 258

6.9 व्यावसायिक पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ 258

6.10 शोध वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व) 258

6.11 महिलाओं के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 259

6.12 एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा, गेट योग्यता प्राप्त छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ 260

6.13	इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	260
6.14	स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	261
6.15	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	262
6.16	भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारमूलक वैज्ञानिक शोध करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति	264
6.17	विज्ञान विषय में डॉ.डी. एस.कोठारी पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति (बी.एस.आर. कार्यक्रम के तहत्)	266
6.18	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ	267
6.19	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में अनुसंधान अध्येतावृतियाँ	269
6.20	"ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज": विश्वविद्यालयों के शोध एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि हेतु पहल	272
6.21	यूजीसी–बी.एस.आर. संकाय अध्येता योजना	273
6.22	बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को ''एकमुश्त अनुदान''	274
6.23	डॉ. राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति	274
6.24	विभिन्न अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों के संगठन के संघ के आधार पर शिक्षकों, विषयों का प्रोत्साहन प्रदान करना	275
6.25	वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष के रूप में मनाया जाना	276
6.26	छात्रों हेतु यूजीसी अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा	276
7-	**fyax rFkk lkekftd lekurk**	**284&290**
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास	284
7.2	महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना	284
7.3	उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता का निर्माण	285
7.4	विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना	286
7.5	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ	287
7.6	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति	288
7.7	अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति की मॉनिटरिंग के लिए स्थायी समिति	288
7.8	समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना (ई.ओ.सी.)	288
7.9	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्थायी समिति तथा पुनरीक्षण समिति की बैठकें/कार्यशालाएँ	289
7.10	अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ	289

8- iklfxd rFkk eY; vk/kkfjr f'k{kk **291&301**

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा को वृत्ति उन्मुखी बनाना 291

8.2 विश्वविद्यालयों के क्षेत्र अध्ययन केन्द्र 292

8.3 सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना 295

8.4 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन 297

8.5 आजीवन शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम 298

8.6 मानव अधिकार शिक्षा (एचआरई) 299

9- lpuk vkj lpkj ik|kfxd;k dk lefdr djuk **302&304**

9.1 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/प्रोन्नति 302

9.2 यू.जी.सी.–इन्फोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी 303

9.3 यू.जी.सी.–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम (ई–जर्नल–स्कीम) 303

10- lpkyu vkj dk;{kerk e l/kkj **305&306**

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन 305

10.2 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक प्रशासकों का तथा यू.जी.सी. के अधिकारियों का प्रशिक्षण। 306

ifjf'k"Vk dh lph **307&380**

ÁkDdFku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2010–2011 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्च शिक्षा स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में वि0अ0आ0 द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने, में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

11वीं योजना के चौथे वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और उच्च शिक्षा में समता उन्मुखी विस्तार करने के मद्‌देनजर अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समस्त सूचनाएँ शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, उच्च शिक्षा प्रशासकों तथा उच्च शिक्षा में भागीदारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं इस अवसर पर अपने पूर्ववर्ती प्रो0 सुखदेव थोटात और आयोग के सभी सदस्यों का वि0अ0आ0 के एजेंडों को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने के लिए अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं, रिपोर्ट को संकलित करने के लिए डॉ0 मंजु सिंह, संयुक्त सचिव, राजभाषा, श्री के.एस.वी. रेड्डी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी तथा डॉ0 (श्रीमती) दीक्षा राजपूत को रिपोर्ट के प्रकाशन का पर्यवेक्षण करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषय–वस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

नई दिल्ली

çk0 on i.dk'k
v/;{k ¼dk;Zokgd½

dk;ldkjh lkjk'k 2010&11

fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx dh okf"kd fjikV 2010&11 dk dk;ldkjh lkjk'k u doy fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx d vfuok;l mnn';k cfYd mldh fofHkUu ;kstukvk@dk;Øek rFkk bu ij gq, 0;; d lkFk&lkFk vkdMk d lnHk e gq, fodkl vkj bud rgr ikIr okLrfod y{; dk n'kkrk g, fo0v0vk0 d fØ;kdykik dk Hkh lekfgr djuk gA

1- iLrkouk

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद अधिनियम के अधीन संवैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय, निर्धारण तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए की गई थी ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा–18 के अनुसार आयोग पिछले वर्ष के दौरान किए गए अपने कार्यकलापों का एक सत्य और सम्पूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियाँ केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों में रखेगा।
- आयोग में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्य (सचिव शिक्षा, सचिव व्यय, 8 अन्य सदस्य) हैं जिनको भारत सरकार नियुक्त/नामांकित करती है। आयोग के सचिवालय का प्रमुख सचिव जिसमें 533 कार्यकारी स्टाफ के साथ सचिव है जिसमें 73 ग्रुप–ए अधिकारी एवं 335 ग्रुप–बी अधिकारी सम्मिलित हैं। कुल कार्यकारी स्टाफ में से 31 प्रतिशत महिलाएँ, 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 के बाद चरणबद्ध ढंग से देश में **lkr** क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलकर अपने कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया ताकि महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को सरलतापूर्वक पहुँचा सके तथा अनुदानों को तुरन्त जारी करने और कार्यान्वयन करने में सुविधा हो सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं योजना (2007–12) का मुख्य उद्देश्य, समावेशित गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता के साथ अकादमिक सुधार के साथ–साथ और संबंधित उच्च शिक्षा में नामांकन का विस्तार हो सके। 11वीं योजना के लिए सकल नामांकन का अनुपात (जी.ई.आर.) का लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने और विद्यमान संस्थानों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने की दोहरी नीति अपनाकर पूरा किया जाना है ।
- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार प्रकोष्ठ ने कुल 21 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से 108 शिकायतें प्राप्त हुईं और संवेदनशील स्वरुप के कुछ मामलों में जाँच समिति के समक्ष रखा गया है।

- वर्ष 2009–10 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक महिला अधिकारी से एक शिकायत प्राप्त हुई और यह प्रकोष्ठ के विचाराधीन है ।
- वर्ष 2010–2011 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 845 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और पिछले वर्ष 62.15 लाख रुपये की तुलना में 90.99 लाख रुपये का व्यय अधिवक्ताओं के बिल पर हुआ था।
- संसद डेस्क को वर्ष 2010–2011 के दौरान 603 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 13 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया है। जबकि, वर्ष 2008–09 के दौरान 299 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए थे।
- वर्ष 2010–11 के दौरान, यू.जी.सी. को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 6731 आवेदन तथा 417 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2010–11 के दौरान, आरटीआई शुल्क संग्रहण 78,870/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 35,250/– रु0 रहा ।
- वेतनमान प्रकोष्ठ जिसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कामों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है– इस प्रकोष्ठ द्वारा मा.सं.वि.मं./यूजीसी के शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की न्यूनतम अर्हता के संबध में विनियमों को परिचालित किया और रीडर सें प्राचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की।
- विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नियुक्तियों के प्रति, आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यू.जी.सी. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जा रही है ।
- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की जाती है। जैसे कि सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देख–रेख समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकरी करते हैं।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग–रोधी प्रकोष्ठ का इस बारे में दायित्व है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यमान रैगिंग के सम्भावना पर नियंत्रण रखा जाये। रैगिंग के बारे में यू.जी.सी. के जो भी निर्देश हैं, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कहा गया है। एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग–रोधी हेल्पलाइन 1800 180 5522 आरंभ की गई है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं में कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। एक रैगिंग–रोधी वेबसाइट का भी विकास किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 148 शिकायतें विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से मिली थीं को उन शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। 31.3.2011 तक हैल्पलाइन चालू किये जाने से लेकर अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों से संबंधित 447 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
- एक उप निदेशक की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखा–जोखा की देखभाल बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता से कराता रहा है ।
- यू.जी.सी. वार्षिक रिपोर्ट को मिलाकर वि.अ.आ. के प्रकाशन अनुभाग ने रिपोर्टाधीन वर्ष में 24 प्रकाशनों के प्रकाशन/मुद्रण पर 8.08 लाख़ रुपये व्यय किये ।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए बजट और सहायता अनुदान की प्राप्ति निम्नलिखित हैः

rkfydk 1-1¼o"k 2010&11 d fy, ctV

¼#0 djkM e½

Ø-l-	ctV 'kh"k	;kstukxr vkoVu		xSj&;kstukxr vkoVu	
		c0vu0	l0vu0	c0vu0	l0vu0
1-	lkekU;	4390-00	4176-80	3450-86	3903-59
	dqy	4390-00	4176-80	3450-86	3903-59

- **rkfydk 1-2 ¼ o"k 2010&2011 d nkjku Ákl r ;kstukxr vkj xSj&;kstukxr ¼lkekU;½ vunku**

¼ djkM #0 e½

Ø-l0	e=ky;)kjk Ákl r vunku	;kstukxr	xSj&;kstukxr
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	4315.80	3903.59
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	144.00	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	60.68	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	29.98	0.00
	dqy	4550-46	3903-59

- वर्ष 2010–11 के दौरान जारी योजनागत अनुदान (4391.77 करोड़ रुपये) में से 44.96 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 2.27 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 18.95 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों और 7.30 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को दिया गया।
- वर्ष 2010–11 के दौरान जारी कुल गैर–योजनागत अनुदान (3896.80 करोड़ रुपये) में से 67.10 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 24.46 प्रतिशत दिल्ली महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को और 5.24 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को जारी किया गया।
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जो कि उन शिक्षणेत्तर स्टाफ पदों (केवल केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिये) एक समान संवर्ग संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कार्यों, अर्हताओं का यौक्तिकरण करने के लिये किया जो कि 24 संवर्ग के बारे में था और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समीक्षा समिति की इस रिपोर्ट को सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानो में एसीपी के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं ।
- उद्यमिता तथा ज्ञान आधारित उद्यमों के संवर्धन के संबंध में नई पहल पर भी यूजीसी द्वारा कार्यवाही की गई है ।
- रिपोर्टिंग वर्ष की मुख्य विशेषताओं में उपकुलपति का सम्मेलन, रेडियोधर्मी तथा अन्य खतरनाक रसायन/पदार्थों की खरीद और निपटान के संबंध में दिशानिर्देशों का परिचालन, महत्वपूर्ण समितियों काा गठन, उनके पास लिये गये निर्णय, अनुमोदनों तथा आयोग के संकल्पों को भी अध्याय–1 (1–8) में दर्शाया गया है ।

2- mPp f'k{kk i.kkyh dk fodkl % dN vkdM+s

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(एच) के अंतर्गत उन सभी मामलों, में जो कि भारतवर्ष एवं अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बद्ध हैं: सूचना एकत्र करने का अधिकार है ।
- स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 26 गुनी हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 64 गुना हो चुकी है और उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 81 गुना हो चुका है, और ये समस्त आंकड़े स्वतंत्रता प्राप्ति के समय परिस्थिति की तुलना में लिए गए हैं।
- 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 523 तक जा पहुँची है (जिनमें 43 केंद्रीय, 265 राज्य, 80 राज्य निजी, 130 समविश्वविद्यालय हैं, 5 संस्थान विधान सभा के तहत स्थापित हैं) एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 33023 महाविद्यालय हैं। 345 राज्य और राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 171 राज्य विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक पात्र नहीं माना गया है। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न है, तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 54 विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 49 हैं, आन्ध्र प्रदेश में 42, महाराष्ट्र में 41 हैं। इस सूची से यह पता चलता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना अनियमित ढंग से हुई हैं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष, 2010–2011 के दौरान, यू0जी0सी0 की विश्वविद्यालयों की सूची में **2** केंद्रीय, **2** सम तथा 10 राज्य तथा 20 राज्य निजी विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं और **pkj** राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र घोषित किया गया है। यू0जी0सी0 अधिनियम के अंतर्गत धारा 12(ख) के तहत है।
- वर्ष 2010–11 के दौरान कुल मिलाकर 1211 नए महाविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं, जिनको मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या अब 31812 से बढ़कर 33023 हो गयी है ।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत तक यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत, तक मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 7802 थी। इनमें से 1385 महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 12(ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है (1258), जिसके बाद महाराष्ट्र (1055), कर्नाटक (642) और आंध्रप्रदेश (495) हैं।
- शैक्षिक सत्र 2010–2011 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 169.75 लाख था जिसमें 70.49 लाख छात्राएँ थीं और जो कि समस्त नामांकन का 41.5 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रों को सर्वाधिक नामांकन था (25.65 लाख), जिसके बाद महाराष्ट्र (19.55 लाख) तथा आन्ध्र प्रदेश (18.47 लाख), तमिलनाडु (14.82 लाख), आदि और सिक्किम राज्य का सभी राज्यों में सबसे कम अर्थात 11608 नामांकन था ।
- विभिन्न स्तरों पर छात्रों के नामांकन का प्रतिशत निम्नवत रहा है:

Lrj	Lukrd iio	LukrdkRrj	fMIykek@Áek.ki=	'kks/k
कुल नामांकन का प्रतिशत	86.11	12.07	1.01	0.81

- सभी पूर्व स्नातक छात्रों के लगभग 90 प्रतिशत (131.63 लाख) तथा 71 प्रतिशत समस्त स्नातकोत्तर छात्रों (14. 51 लाख) छात्र शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और संघटक महाविद्यालयों में थे। कुल अनुसंधान छात्रों (1.38 लाख) से 83 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में से थे।

- छात्रों के कुल नामांकन (169.75 लाख) में से 36.50 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, उसके बाद 18.57 प्रतिशत विज्ञान में तथा 16.97 प्रतिशत वाणिज्य में है। इस प्रकार केवल तीन संकायों में 28 प्रतिशत नामांकन पेशेवर संकायों में है। इस प्रकार का अनियमित वितरण नीति परिवर्तन को इंगित करता है ।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायों के अध्यापकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 6.99 लाख से बढ़कर 8.17 लाख हो गई थी, जिससे कि 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 8.17 लाख अध्यापकों में से 83.5 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में हैं और शेष 16.5 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में हैं।
- वर्ष 2009—2010 के दौरान प्रदान की गई पी.—एच.डी. और एम.फिल की डिग्रियों की संख्या क्रमशः 11161 और 10583 थी। इनमें से सबसे अधिक कला संकाय में 3490 डिग्रियाँ, उसके बाद एम.फिल. में 3589 डिग्रियाँ, विज्ञान संकाय की 3742 पी.एच.डी. डिग्रियों और 4367 एम.फिल डिग्रियों की कुल संख्या की तुलना में इन दोनों संकायों ने मिलकर क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत की संख्या में थी।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों के पीछे महिला नामांकन 71 प्रतिशत रहा।
- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला नामांकन गोवा राज्य में सर्वाधिक रहा (61.2 प्रतिशत) उसके पश्चात् केरल (56. 8 प्रतिशत) फिर मेघालय (57.8 प्रतिशत) और नागालैण्ड (50.5 प्रतिशत) तथा बिहार (31.2 प्रतिशत) में महिला नामांकन सर्वाधिक कम रहा है। परिशुद्ध संख्या में उ0प्र0 9.8 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (8.6 लाख) तथा आंध्र प्रदेश (7.2 लाख) आदि रहे।
- महिला नामांकन सर्वाधिक कला संकाय (41.21 प्रतिशत) में था, उसके पश्चात् विज्ञान (9.14 प्रतिशत) में, फिर वाणिज्य (16.12 प्रतिशत) जो कुल (76.47 प्रतिशत) है। जबकि शेष 23.53 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी संकाय में रहा ।
- वर्ष 2010—2011 के दौरान कुल मिलाकर 370 नये महिला महाविद्यालयों की स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई। नये महिला महाविद्यालयों की कुल संख्या 3982 है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में महाविद्यालयों की संख्या (2208) की तुलना में 1774 नए महिला महाविद्यालय स्थापित किए गए ।

3- fo'ofo|ky;k dk vuqj{k.k ¼xj&;kstukxr½ ,oa fodkl ¼;kstukxr½ vuqnku

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि उनकी पहुँच में वृद्धि करवाने में, समानता को सुनिश्चित करने में, उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने, प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावी बनाने में, छात्रों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने में, शोध सुविधाओं के संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की अन्य अनेक योजनाएँ सम्मिलित हैं। अनुरक्षण अनुदान कुछ सीमित विश्वविद्यालयों को ही उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे विश्वविद्यालय अपने उस आवर्ती व्यय का भुगतान कर सकें जो कि अध्यापन वर्ग और गैर—अध्यापन वर्ग इन दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के लिए और कुछ अनिवार्य भुगतानों के लिये, जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, टिकटों आदि के लिये किया जाता है। समस्त केन्द्रीय एवं समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर—योजनागत अनुदान दिये जा रहे हैं—जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान ही दिया जा रहा है ।
- वर्ष 2010—2011 के दौरान, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों को छोडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 42 थी। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मैरीटाइम विश्वविद्यालय को सीधे तौर से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय तथा पोत और परिवहन मंत्रालय द्वारा निधियन किया जाता है। जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय का चालू होना शेष है। अतः वर्ष

2010–11 के दौरान, केवल 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- 825.04 करोड़ रु. की सामान्य अनुदान के अन्तर्गत तथा 15.60 करोड़ रु. विलयित सहायता योजनाओं को योजनागत अनुदान दिया गया जो कि 23 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2010–11 के दौरान 15 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 543.25 करोड़ की सामान्य विकास सहायता और विलयित सहायता योजनाओं के तहत प्रदान की गई । साथ ही वर्ष 2010–11 के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 2612.06 करोड़ की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रदान की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्षमता विस्तार हेतु 11 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रूपये 336.50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक/अं.जा./अ.ज.जा. एवं महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों को स्थापित करने के लिए 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को तथा एक सम विश्वविद्यालय को रूपये 7.50 करोड़ की राशि जारी की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, प्राचीन भाषाओं के लिए केन्द्रों की स्थापना के लिए 1.50 करोड़ रु0 तथा राजीव गांधी पीठ के कार्यकरण के 1.20 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी ।

- 31 मार्च, 2011 तक विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 345 राज्य विश्वविद्यालयों एवं राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनमें से कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 137 राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) अनुदानों का बजटीय आवंटन कर रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान 23 राज्य विश्वविद्यालयों के पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 42.70 करोड़ रु0 तथा विलयित योजनाओं के अंतर्गत 120 विश्वविद्यालयों को 237.81 करोड़ रु0 का विकास अनुदान प्रदान किया गया। जयंती वर्ष के आयोजन के लिए, पूंजीगत स्वरूप के कार्यों हेतु 40.30 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी । वर्ष 2010–11 के दौरान, बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना के लिए मैसूर विश्वविद्यालय को 7.00 लाख रु0 का भुगतान भी किया गया ।

- संस्थानों में शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को सुदृढ़ कर गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आयोग ने पहले से धारा 12 (ख) में कवर 63 राज्य विश्वविद्यालयों को 54.99 करोड़ रु0 का अनुदान जारी कर सहायता प्रदान की। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अवसंरचना एवं अन्य मानदंडों में कमी के चलते यूजीसी विकास अनुदान में शामिल नहीं किए 12 राज्य विश्वविद्यालयों को 29.75 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का भुगतान किया गया और उन्हें यूजीसी से नियमित रूप से विकास अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र बनाया ।

- 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 130 सम विश्वविद्यालय थे ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 24 सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान और 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करता है । वर्ष 2010–11 के दौरान 19 सम विश्वविद्यालयों को 30.71 करोड़ रुपयों का विकास (योजनागत) अनुदान, और विलयित योजना कि तहत 10 सम विश्वविद्यालयों को 9.49 करोड़ रुपयों का विकास (190.48 करोड़ रुपयों का अनुदान प्रदान किया गया और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को 158.37 करोड़ रु0 का गैर–योजनागत अनुदान का भी भुगतान किया गया ।

- पात्र विश्वविद्यालयों को विकास सहायता उपलब्ध कराई है ताकि प्रबन्धन विभागों की स्थापना तथा उनको प्रोन्नत किया जा सके और जिससे कि अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श जो कि प्रबन्धन से जुड़े हुए हैं–उन सबमें गुणवत्ता आये और वैश्विय मानकों पर यह समस्त बातें खरी उतर सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दसवीं योजना में, 2.37 करोड रूपये का अनुदान नौ विश्वविद्यालयों को जारी किया गया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे सम विश्वविद्यालय के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं अध्याय 3 के 3.2 में दर्शायी गयी हैं ।

4- egkfo|ky;k d fodkl ¼;kstukxr½ rFkk vuqj{k.k ¼xj&;kstukxr½ vuqnku

- विकास सहायता या केन्द्र मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को समर्थन दे रहा है। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को कैरियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथा विविध बनाने पर ज़ोर दिया जायेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं, वहां पर नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।

- 31 मार्च 2011 तक देश में 33023 कालेज थे। इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत केवल 7,802 महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त हैं और इनमें से 31.03.2011 तक 7802 महाविद्यालय अर्थात 24 प्रतिशत कुल महाविद्यालयों में से मात्र 6417 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलौर में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।

- वर्ष 2010–11 के दौरान ग्यारहवीं पंचवर्षीय महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 1963 पात्र महाविद्यालयों को 80.12 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई थी ।

- वर्ष 2010–11 के दौरान यू.जी.सी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय 4 के बिन्दु 4.4 में दिया गया है ।

- वर्ष 2010–11 के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को रुपये 926.27 करोड़ की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई और 27.06 करोड़ रुपये की राशि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

- वर्ष 2010–11 के दौरान, सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत दिल्ली के महाविद्यालयों को 14.67 करोड़ रुपये और विलयित योजना के अंतर्गत 3.41 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना के तहत दिल्ली के महाविद्यालयों को 14.67 करोड़ रु0 की धनराशि तथा आमेलित योजनाओं के तहत 3.41 करोड़ रु0 की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी ।

- डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ताकि उच्च शिक्षा में विस्तार हासिल किया जा सके, वि0अ0आ0 ने वर्ष 2010–11 के दौरान, निम्न जीईआर वाले ईबीडी में ''नए मॉडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना '' की योजना लागू की है । यह योजना, मूल रूप से राज्य सरकारों के लिए शैक्षणिक रूप से कम विकसित जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके उत्थान हेतु एक प्रेरणा तंत्र है । यह उन जिलों पर लागू है (374 जिले) जिनकी योजना आयोग द्वारा ईबीडी के रूप मे पहचान की गई है । सहायता 2.67 करोड़ रु0 तक सीमित है जिसमें पूंजीगत लागत तथा शेष और आवर्ती व्यय की संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की जानी होती है । वर्ष 2010–11 के दौरान आठ राज्यों से प्राप्त 116 प्रस्तावों में से 37 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था और नये मॉडल डिग्री विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 18.69 करोड़ रु0 के कुल अनुदान को अनुमोदित किया गया था ।

- योजना का उद्धेश्य महाविद्यालय के वैज्ञानिक उपस्करों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हेतु प्रभावी और कुशल रख–रखाव उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य सहायता अवसंरचना के रूप में आईएमएफ केन्द्र की स्थापना

करना है । वित्तीय सहायता के रूप में अनावर्ती अनुदान के रूप में 4.00 लाख रु0 तथा आवर्ती अनुदान के रूप में 5.70 लाख रु0 की सहायता उपलब्ध कराई जानी है । वर्ष 2010–11 के दौरान महाविद्यालयों के 23 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और अनुमोदित महाविद्यालयों को 1.65 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

5- x|.koRrk ,o mRÑ"Vrk

- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को "संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। पहले दौर में, नवीं योजना के दौरान, पाँच विश्वविद्यालय अर्थात् जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी एवं पूना यूनिवर्सिटी को चिन्हित किया गया है एवं उन्हें यह स्तर प्रदान किया गया है। दसवीं योजना के दौरान, चार अन्य विश्वविद्यालयों को अर्थात् कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी विश्वविद्यालय एवं मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी चिन्हित किया गया है एवं उन्हें उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को किसी भी एक योजना अवधि के दौरान 30.00 करोड़ रु0 उपलब्ध कराया जाता है। 11वीं योजना के दौरान, ऐसे 6 और संभावित विश्वविद्यालयों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 6 और संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान की जानी है और उन्हें दर्जा प्रदान किया जाना है । तद्नुसार, विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया तथा चयन के अंतिम चरण के लिए 10 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान, 10.00 करोड़ रु0 की राशि विश्वविद्यालयों को जारी की गयी है।

- महाविद्यालयों में शिक्षण में मुख्य रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति की पहल करने के लिए, यू.जी.सी ने एक योजना आरम्भ की है–''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय'' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देशभर से 113 महाविद्यालयों की पहचान करके, उन महाविद्यालयों में शैक्षिक आचार–संरचना में सुधार लाने के लिए, शिक्षण प्रणालियों, मूल्यांकन आदि में नवाचार अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। महाविद्यालयों को अपने नाम के साथ संयुक्त डिग्री प्रदान करने वाला दर्जा भी प्रदान किया जायेगा। प्रत्यायन दर्जे और/अथवा स्वायत्त दर्जे के आधार पर अनुदान प्रति महाविद्यालय 100 लाख रु0 या 150 लाख रु0 प्रति महाविद्यालय होगा। वर्ष 2009–10 के दौरान, महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य–वार कोटा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। रिपोर्टाधीन वर्ष 2010–11 के दौरान, स्थायी समिति ने उपलब्ध113 स्लॉटों के समक्ष अनंतिम रूप से 56 महाविद्यालयों की पहचान की । 31.3.2011 तक 302 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्रदान किया जा चुका था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, महाविद्यालयों को कुल 28. 47 करोड़ रु0 का अनुदान जारी किया गया था।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आयोग ने चुने हुए विभागों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से नवीन नवोन्मेषी अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हों । इन केन्द्रों ने न केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ कर दिया बल्कि सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और उन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दो केन्द्रों को 1.80 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 25 और केन्द्रों का चयन किया जाना है। 46 विश्वविद्यालयों के 64 प्रस्तावों में से स्थायी समिति ने अंतिम स्तर के चयन हेतु 12 विश्वविद्यालयों से 16 प्रस्तावों का चयन किया।

- अब तक, विश्वविद्यालयी प्रणाली के तहत विज्ञान और मानविकी के विभिन्न अंतर्विषयी क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए छह विश्वविद्यालयों में छह नए केन्द्रों की स्थापना की गई है । मानव जीनोम,

बायो–मेडिकल मेगनेटिक रेजोनेंस, अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण तथा गुरु ग्रंथ साहिब पर अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान हो रहा है । वर्ष 2010–11 के दौरान दो विश्वविद्यालयों के केन्द्रों को 1.35 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी ।

- जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों को विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत (एस0ए0पी0) सहायता प्रदान की जा रही है ताकि विभागों में अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो सके। 31.03.2011 तक, ऐसे विभाग जिन्हे "सैप" सहायता मिली थी उनकी संख्या 745 थी जिसकी तुलना में पिछले वर्ष में यह संख्या 719 थी। वर्ष 2010–2011 के दौरान विभिन्न विभागों को पृथक् स्तरों पर 49.20 करोड रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

- नए विचारों एवं नवोन्मेष को सहायता देने और अंतर–विषय एवं उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए यूजीसी द्वारा 31.3.2011 तक विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत–प्रतिशत विकास सहायता उपलब्ध करवा रहा है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत 60 प्रतिशत के लक्ष्य के समक्ष 53 विभागों की पहचान की गई और इन्हें अनुमोदित किया गया । वर्ष 2011 के दौरान, विश्वविद्यालय के 23 विभागों को 11.64 करोड़ रू0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- सम्भाव्यता वाले महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्तता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2011 तक, 17 राज्यों के 69 विश्वविद्यालयों में फैले 371 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा अभी तक प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 34 महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की गई और इस वर्ष में कुल मिलाकर 75 प्रस्ताव भेजे गए थे जिनके द्वारा स्वायत्ता के लिए प्रार्थना की गई थी। यू.जी.सी. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2010–11 के दौरान, ऐसे 139 स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को 17.19 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया ।

- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के वृहत कार्यक्रम का संचालन विभिन्न, विषय शाखाओं में 66 अकादमी स्टॅाफ़ (महाविद्यालयों) महाविद्यालयों तथा विशेषीकृत संस्थानों के माध्यम से किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में अकादमिक स्टॅाफ़ महाविद्यालयों और अन्य प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, में 330 कार्यशालाओं तथा 990 पुनश्चर्या पाठयक्रमों के संचालन को अनुमोदित किया गया था। इन अनुमोदित कार्यक्रमों में से, 265 अभिविन्यास कार्यक्रम, 710 पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा 260 कार्यशालाएँ संचालित की गई और इस कार्यक्रम द्वारा 40000 शिक्षकों को लाभ पहुँचाया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस अकादमिक स्टाफ़ महाविद्यालयों/संस्थाओं को 39.83 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है।

- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने निबंध, टिप्पणी, मसौदा लेखन और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जिसमें आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कार्यशालाओं का संचालन किया/हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस मनाया गया। वर्ष 2010–2011 के दौरान, अहिन्दी राज्यों के विश्वविद्यालयों को हिन्दी विभाग खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

- 44 देशों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वि0अ0आ0 ने विभिन्न देशों के 19 विदेशी विद्वानों/शिष्टमंडलों के लिए दौरों का आयोजन किया और 63 भारतीय विद्वानों को विदेश भेजा । वि0अ0आ0 को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों से छह विदेशी शिष्टमंडलों से भेंट भी की ।

- वि0अ0आ0 और मॉरीशस (2010–12) के तृतीयक शिक्षा आयोग के बीच पांचवें कन्सोर्टियम समझौते पर 4 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किए गए । समझौते के तहत, विद्वानों के आदान–प्रदान का प्रावधान है । चौथे कंसोर्टियम

समझौते के तहत, 3 भारतीय विद्वानों ने मॉरीशस का दौरा किया और मॉरीशस के 8 विद्वानों ने भारत का दौरा किया ।

- वर्ष 2010–11 के दौरान सहयोगात्मक कार्यक्रमों के तहत नियुक्त किए गए 22 विदेशी भाषाओं के शिक्षक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं ।
- अध्यक्ष, "डॉड" तथा अध्यक्ष, यू0जी0सी0 के बीच 30 अक्तूबर, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा वैयक्तिक कार्यक्रम 2008 से प्रारम्भ हो चुके हैं। वर्ष 2010–2011 के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक्सचेंज आफ सांईटिस्ट प्रोग्राम के तहत 6 स्कॉलरों को नामित किया गया। एक दौरा सफल रहा। वर्ष 2010 के दौरान पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाँच भारतीय स्कॉलरों और 8 जर्मन स्कॉलरों ने दौरे किए।
- वार्षिक रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत दो से तीन माह तक की शोधवृत्ति के लिए वर्ष 2010 में दो विद्वानों को नामित किया गया। इन दोनों में से, केवल एक नामांकन को ही दक्षिण एशियाई संस्थान, जर्मनी द्वारा इस संस्थान में कार्य करने के लिए चयनित किया गया था।
- वर्ष 2010 के लिए फ्राँस का दौरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 5 भारतीय स्कॉलरों (छात्रों) को नामित किया गया है, सभी ने वर्ष 2010 में फ्राँस का दौरा किया। इसके बदले में 2010 में फ्रांस के 5 नये स्कॉलरों ने सामाजिक वैज्ञानिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत का दौरा किया।
- बांग्लादेश सरकार ने सार्क देशों के लिए सार्क पीठ, अध्येतावृत्ति एवं शोधवृत्ति हेतु बंग्लादेश ने नामांकन आमंत्रित किये थे। वर्ष 2010 के लिए प्राप्त आवेदनो को सार्क सचिवालय भेज दिया गया है।
- प्रत्येक वर्ष, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू.के. कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॉफ़ फैलोशिप अवार्ड, भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय 80 सदस्यों को यू.के विश्वविद्यालय में/संस्थानों में शोधकार्य करने के लिए दी जाती है। वर्ष 2010 के लिए कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 द्वारा अंध्येतावृत्ति को कम करके 75 कर दिया है तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2010 में 70 अध्यापकों को फैलोशिप प्रदान करने की सिफारिश की इनमें से कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 द्वारा अंतिम चयन के रूप में 26 स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के लिए वर्ष 2010 के दौरान चयनित किया।
- वर्ष 2010 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू0के0 में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए 14 कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्तियाँ देने की पेशकश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 स्कॉलरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने कॉमनवेल्थ स्पिलिस्ट साइट छात्रवृत्ति अवार्ड 2010 के अन्तर्गत **4** स्कॉलरों को चयनित किया।
- वर्ष 2010–2011 के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अन्तर्गत चार भारतीय स्कॉलरों को उनकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने चार अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
- वर्ष 2011 के लिए भारत–फिनलैंड शोधवृत्तियों के अन्तर्गत फिनलैंड दौरे के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2010 में **nl** शोध विद्वानों को नामित किया गया था। दस में से पांच नामांकनों को स्वीकार कर लिया गया था तथा दो फिनिश नामांकन विचाराधीन है ।
- भारत–हंगेरियाई ई.ई.पी. अल्पावधि/विस्तृत अवधि शोधवृत्ति, जो वर्ष 2011 के लिए थी– उसके अन्तर्गत 22 भारतीय शोध विद्वानों को आयोग द्वारा नामित किया गया (13 विद्वानों की लम्बी अवधि के लिए तथा 9 विद्वानों को अल्पावधि के लिए) जिसमें उनके द्वारा अपने विशेषज्ञता क्षेत्र से जुड़े प्रतिस्थानियों के साथ विचार–विमर्श कर

सकें तथा लेक्चर प्रदान कर सकें। इस समस्त प्रस्ताव में से, केवल 16 भारतीय शोध विद्वानों द्वारा ही यह दौरा स्वीकार किया गया। हंगेरियाई अधिकारियों द्वारा नामित 6 शोध विद्वानों को वर्ष 2010–11 के लिए भारतीय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें से, एक नामांकन स्वीकार कर लिया गया है और पांच विचाराधीन है ।

- भारत बुल्गेरियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रम हेतु –जो कि जुलाई 17 से 6 अगस्त, 2011 के बीच में होना था– उस बल्गारियाई भाषा एवं संस्कृति पर अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन संगोष्ठी के लिए 4 शोध विद्वानों को नामांकित किया गया।
- वर्ष 2010–11 के दौरान 15 भारतीय उप कुलपतियों ने यू.के. का दौरा किया और 15 यूके के उप कुलपतियों ने यू.के. इंडिया ऐजूकेशन तथा अनुसंधान समझौते के तहत भारत का दौरा किया ।
- सामान्य सीईपी के तहत, वर्ष 2010–11 के दौरान 12 भारतीय विद्वानों को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने के लिए नामांकित किया गया है । 12 में से एक दौरा सफल रहा । वर्ष 2010–11 में दो विद्वानों ने मिस्र का दौरा किया तथा एक विद्वान ने सऊदी अरब का दौरा किया ।
- यूजीसी और जर्मनी के डीएफजी के बीच पांच वर्ष की अवधि के दौरान वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापन और अनुसंधान के पेशे के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरारशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संचालित करता है। इसमें कुल 2.01 लाख उम्मीदवार बैठे जिसमें से केवल मात्र 2.18 प्रतिशत उम्मीदवार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की अर्हता प्राप्त की तथा दिसम्बर 2010 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित लेक्चररशिप पात्रता (जे.आर.एफ.सहित) और परीक्षा में बैठे कुल 3.24 लाख उम्मीदवारों में से 5.68 प्रतिशत ने लेक्चररशिप (जे.आर.एफ.सहित) के लिए अर्हता प्राप्त की। नेट परीक्षा पूरे देश में 77 विषयों में 74 केन्द्रों पर संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ''सी0एस0आई0आर0'' विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित कर रही है। दिसम्बर, 2010 में संचालित नेट परीक्षा में 2264 उम्मीदवारों ने लेक्चररशिप के लिए अर्हता प्राप्त की तथा 4726 उम्मीदवारों को सी.एस.आई.आर.–जे.आर.एफ के लिए अर्हक पाया गया। दिसम्बर 2009 से प्रभावी रूप में, विज्ञान विषयों में प्रति परीक्षण के हिसाब से अध्येतावृत्तियों की संख्या 600 से 1200 तक बढ़ा दी गई है तथा जून, 2009 से प्रभावी रूप से ऐसे विषयगत परीक्षण जिन्हें यूजीसी संचालित कर रही है उनमें, प्रति परीक्षा अध्येतावृतियों की संख्या 3200 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2009–10 के दौरान इन परीक्षाओं को संचालित करने में 13.86 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। जून, 2010 से ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित कर, तथा ऑनलाइन सत्यापन कर और ई–प्रमाणपत्र जारी कर परीक्षाएं आयोजित की जा रही है ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरारशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पास कर ली है, वे उम्मीदवार ''नेट'' परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों मे लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा जहाँ उसने सेट परीक्षा पास की है। वर्ष 2010–11 के दौरान हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, गुजरात राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट संचालित करने का व्यय संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 590 महाविद्यालय शिक्षकों, **ikp** उपकुलपतियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया जिससे उन्होंने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किये। उनकी यात्रा पंजीकरण, शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। स्थायी पद पर लायब्रेरियन /

अध्यापक तीन वर्ष में एक बार और उपकुलपति दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों वर्षों में उपकुलपति आयोग के सदस्यों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य लाभान्वित हुए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभान्वित लोगों को 3.69 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (गगग) के तहत 6 अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) को स्वायत्तशासी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है तथा यह केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में सक्रिय हैं– तथा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर यह केन्द्र, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधायें, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराते हैं, तथा प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं, श्रेष्ठतम उपकरण तथा श्रेष्ठ पुस्तकालय सुविधाये प्रदान कराते हैं। इसके अतिरिक्त यूजीसी ने राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को भी चयनित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा इन्हें भी नियमित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा इन्हें भी नियमित रूप से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसने लगभग 1000 से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों. को भी योगदान दिया है जिनका प्रसारण दूरदर्शन, ज्ञानदर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से दूर उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया जायेगा। एनएएसी के माध्यम से यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन कर रहा है । 31.3.2011 तक, 161 विश्वविद्यालयों तथा 4371 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यूजीसी ने छह अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के तहत 6180 करोड़ रु0 तथा गैर–योजनागत अनुदान के तहत 70.40 करोड़ रु0 की धनराशि का भुगतान किया ।
- योजनागत अनुदान के रूप में 18.07 करोड़ रु0 की धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को उनके अनुसंधान क्रियाकलापों हेतु प्रदत्त किया गया था ।
- भारत में व्यवहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान और राष्ट्रीय कल्याण के लिए विभिन्न वैज्ञानिक निकायें, सोसायटियों, भारत सरकार के संस्थानों, यूजीसी द्वारा चिन्हित चार अकादमी में से कम से कम दो अकादमियों के अध्येता, शिक्षकों को 15,000 प्रतिमाह के विशेष मानदेय का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2010–11 के दौरान, इन शिक्षकों को कुल 17.85 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया।
- इनकोर योजना का मुख्य उद्वेश्य विश्वविद्यालयों प्रणाली से इतर पेशेवरों और विशेशज्ञों की मदद प्राप्त कर विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को व्यापक बनाना और विस्तार देना और एम.फिल तथा पीएचडी स्तरों पर गुणवत्ता तथा वैश्विक रूप से तुलनीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है । आवंटन मानदंड निम्नवत हैः–

Ikdkj	vuc) Idk;	jthMV Ldkyj
1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5	2
2. राज्य विश्वविद्यालय	2	1
3. सम विश्वविद्यालय	1	1

अनुबद्ध संकाय के लिए कुल 706 स्थान तथा रेजीडेंट स्कॉलर के लिए कुल 512 स्थान उपलब्ध है । वर्ष 2010–11 के दौरान संकायों तथा स्कालर्स को संदाय हेतु अनुमोदित विश्वविद्यालयों को 37.80 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई थी

- आईक्यूएसी का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा गुणवत्ता नामांकन क्रियाकलापों को आयोजनाबद्ध करना, मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उनकी निगरानी करना है । आईक्यूएसी की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्वविद्यालयों को

5.00 लाख रु. की एक मुश्त ''सीड–मनी'' प्रदान की जाती है । वर्ष 2010–11 के दौरान 15 राज्य विश्वविद्यालयों को 67.50 लाख रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया का सर्वेक्षण करता रहा है ताकि विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता निवेश सुनिश्चित बना रहे तथा यह प्रक्रिया समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विद्यमान है जिसके लिए एक यूजीसी प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान, यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण करने के लिए कुल मिलाकर 158 यूजीसी प्रक्षकों को नियुक्त किया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि.अ.आ. ''स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती'' राष्ट्रीय पुरस्कार, वि.अ.आ. हरी ओम आश्रम न्यास'' राष्ट्रीय पुरस्कार, वि.अ.आ. वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत'' पुरस्कारों को उन भारतीय नागरिकों के लिए शुरू किया है जो कि विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यरत हैं या जो कि उन विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं जो कि उच्च अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृत है। वर्ष 1985 के बाद से, यह पुरस्कार /अवार्ड प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने अद्वितीय शैक्षिक/वैज्ञानिक कार्य में योगदान किया है। वर्ष 2007 तक यह पुरस्कार बांटे जा चुके हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए दो गुणवत्ता कार्यक्रम नामतः बौद्धिक संपदा अधिकारों का संवर्धन एवं पी.आई.एच.ई.ए.डी. आरम्भ किया।

6- vu|l/kku dk l o/ku

- ''अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ''–इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय, कालेज के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्च शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, जैरोन्टॉलोजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकियों, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि विषयों से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। जिनकी विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पहचान की जाएगी। विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजशास्त्रों के लिए अनुदान राशि क्रमश : अधिकतम 12.00 लाख तथा 10.00 लाख होगी। सेवानिवृत्त अध्यापक को 70 साल तक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1636 नई बड़ी परियोजनाएँ {929 विज्ञान, 707 मानविकी तथा समाजशास्त्र} तथा 4301 छोटी शोध परियोजनाएँ वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित की गई तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मुख्यालय द्वारा 82. 66 करोड़ और वि0अ0आ0 के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 32.36 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

- रिसर्च अवार्ड योजना, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी अध्यापकों को अध्यापन दायित्व वाले विशेषज्ञता के उनके संबंद्ध क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए बनाई गई है–जिसके लिए कोई भी शोध सहायता नहीं ली जायेगी। डॉक्टरेट उपाधि धारक अध्यापक जो कि 45 वर्ष से कम आयु वाले है, उन्हें इन अवार्डो के लिए विचाराधीन रखा जायेगा। समस्त विषयों में, प्रत्येक तीसरे वर्ष के दौरान 100 स्थानों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2010–2011 के दौरान एवार्ड प्राप्तकर्ताओं के लिए रु0 8.14 करोड़ का व्यय अनुदान के रूप में किया जायेगा।

- इमेरिटस फैलोशिप योजना, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के लिए 70 वर्ष तक की आयु तक उनके संबद्ध क्षेत्र में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करती है। किसी भी निर्दिष्ट समय–सीमा पर आधारित फैलोशिप के अन्तर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या विज्ञान के लिए 100 और किसी एक समय पर मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 100 हर दूसरे वर्ष है। अध्येता के लिए 50,000 रु0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय है। वर्ष 2010–2011 के दौरान 5.05 करोड़ रुपये अध्येताओं को भुगतान करने पर व्यय किया गया।

- वि.अ.आ. द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान देश के विभिन्न भागों से अकादमी से जुड़े विशेषज्ञों को एक साथ लाने तथा ज्ञान और विचारों के आदान–प्रदान को व्यापक बनाने के उद्वेश्य से विभिन्न संगोष्ठि/सम्मेलन/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों को 47.73 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया । यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी वर्ष 2010–11 के दौरान अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 2835 प्रस्तावों को अनुमोदित किया और पात्र महाविद्यालयों को 21.13 करोड़ रु0 जारी किये ।

- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2010–2011 के दौरान विदेशी छात्रों के लिए 20 जे.आर.एफ., 7 रिसर्च एसोसिएटशिप का अनुमोदन किया था। जे.आर.एफ. उन भारतीय उम्मीदवारों को भी प्रदान की गई जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा पास कर लेते हैं। जे.आर.एफ. के अन्तर्गत 12,000 रु0 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति है, जो प्रारम्भिक 2 वर्षों तक रहेगी तथा शेष समय के लिए यह 14,000 रु0 प्रतिमाह होगी, इसके साथ ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी उपलब्ध रहेगा जो कि शेष समय तक जारी रहेगा। रिसर्च एसोसिएटशिप (आरए) के अन्तर्गत 16,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और साथ ही अन्तरित होता हुआ वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 30,000/– रुपये का अनुदान मिलेगा जो कि रिसर्च एसोसिएटशिप के समस्त काल के लिये मिलता रहेगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 43.72 करोड़ का व्यय, जे.आर.एफ. /आर.ए. हेतु विदेशी तथा भारतीय छात्रों पर किया गया। विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए 6.20 करोड़ रु0 का व्यय किया गया ।

- इंजीनीयरिंग तथा प्रौद्योगिकी में जे.आर.एफ. योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान 50 उम्मीदवारों का चयन किया गया और अध्येताओं को भुगतान हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 0.92 करोड़ का व्यय किया गया। इस योजना का लक्ष्य था कि छात्रों को अपनी पी.–एच.डी. करने के लिए उच्च अध्ययन व शोध करने का सुअवसर प्राप्त हो सके।

- उच्च शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (अ0जा0 के लिए 2000 तथा अ0ज0जा0 के लिए 667) के लिए 2667 हजार राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है, ताकि वे उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान कर एम.फिल./पी.एच.डी. कर सकें। जे.आर.एफ. और अध्येतावृत्ति का स्वरूप समान है। वर्ष 2010–2011 के दौरान अनुसूचित जाति के लिए 137.86 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के लिए 60.65 करोड़ रुपये का व्यय अनुदान के रूप में किया गया था। जो क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की थी।

- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की एक नई योजना अ0जा0/अ0ज0जा0 के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है, जिनके अपने अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो गए हैं और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। फैलोशिप की अवधि पाँच वर्ष है तथा इसके लिए प्रतिमाह 16000/–रुपये की निर्धारित राशि देय है, जिसके साथ रुपये 30,000 प्रतिवर्ष आकस्मिकता राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 4.17 करोड़ का व्यय किया गया जिसका भुगतान चयनित अ0जा0/अ0ज0जा0 के अध्येताओं को किया गया। इस संबंध में जो चयन किया गया उसके लिए कुल 100 स्लॉट रखे गये थे।

- एक और नई योजना अर्थात पेशेवर पाठ्यक्रमों में अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों को इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृभठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाये। कुल स्लॉटों की संख्या 1000 है। एम0टैक0 के लिए छात्रवृत्ति 5000 रु0 प्रतिमाह एवं आकस्मिक राशि 15000 रु0 प्रतिवर्ष तथा एम.फार्मेसी/एम0 मैनेजमैंट के छात्रों के लिए रुपये 3000 प्रतिमाह एवं रुपये 10000 प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के

साथ प्रदान की जाएगी। वर्ष 2010–2011 के दौरान अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों को भुगतान के रूप में कुल व्यय 12.40 करोड़ रुपये हुआ।

- विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को शोध वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और क्रियान्वित हुई । वर्तमान में 69 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2010–2011 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 6.03 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी बेराज़गार महिलाएँ जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है और जो पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक हैं–उनके लिए वि.अ.आ. द्वारा 100 स्लॉट प्रति वर्ष उपलब्ध कराये गए हैं–इसके लिए नए उम्मीदवारों के लिए 25000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए 30000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50,000 प्रतिमाह की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएँगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के रूप में 0.42 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए महिला प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

- स्नातक छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम. ई./एम.टैक./एम.फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 8,000 रुपये (60% और उससे अधिक) की प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक राशि रुपये 5,000। वर्ष 2010–11 के दौरान छात्रों को भुगतान के रूप में 8.86 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया गया कि जिस परिवार में केवल मात्र एक बालिका है जिन के अभिभावकों को छोटे परिवार मापदंड के आधार पर ऐसी बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी जिन बालिकाओं ने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मात्र पी. जी.महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया है। इस शोधवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी तथा शोधवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह के अनुसार 20 माह तक जारी रहेगी। इन शोधवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 1200 है। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 2299 प्रत्याशियों का चयन किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान 2.80 करोड रुपये की राशि छात्रवृत्ति अध्येताओं को भुगतान के रूप में व्यय की गयी।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पी. जी. मेरिट छात्रवृत्ति की योजना 2005–2006 के बाद से प्रारम्भ की गई–जिसमें उन सराहनीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया जिन्होंने स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्च शिक्षा के संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र में पी.जी. विषयों में (जिनमें व्यावसायिक कोर्स शामिल नहीं है) अध्ययन कर सकता है। इस छात्रवत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठयक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वालो छात्र ही, पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्षो की होगी, एवं छात्रवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह, 20 माह तक के लिए है। छात्रवृत्तियों की संख्या 3000 है। वर्ष 2010–11 के दौरान योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप 2010–12 सत्र के लिए कोई चयन न किए जाने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया ।

- केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को एम.फिल. तथा पीएचडी जैसी उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष की समेकित अध्येता उपलब्ध कराना । प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए 756 स्लॉट उपलब्ध है । अध्येता की दर यूजीसी की अन्य अध्येतावृत्तियों के समान होगी । वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न राज्यों से 755 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और 15.04 करोड़ रु0 का व्यय किया गया था।

- भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए सशक्त समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति वर्ष 2010–11 में थी–उसका अवलोकन अनुच्छेद 6 के बिन्दु 6.15 में किया जा सकता है। बीएसआर योजना के तहत विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुल 131.84 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

- विज्ञान विषयों के अंतर्गत एक नवीन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से बनाई गई है । इस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से 500 (पी.डी.एफ.) पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। दिनाँक 31.03.2011 तक 423 उम्मीदवारों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गयी हैं तथा वर्तमान में 259 पी.डी.एफ. कार्यरत हैं।

- मेधावी छात्रों को विज्ञान में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए के लिए, उच्च अध्ययन एवं शोध शुरू करने हेतु'' मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो कि, उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहचान किए गए विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी. में पंजीकृत है, वे इसके पात्र हैं। इस अध्येतावृत्ति का कार्यक्रम आरम्भ में दो वर्ष है–जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य मूल्याकंन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय सहायता अध्येतावृत्ति राशि के रूप में प्रतिमाह 14,000 रुपये और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12000 रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों में (एस.ए.पी. के अंतर्गत सी.ए.एस./डी.एस.ए.) 5244 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गयीं तथा वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों के अंतर्गत 2926 अध्येता कार्यरत हैं। वर्ष 2010–2011 के दौरान अध्येताओं को कुल 31.85 करोड रूपये की राशि जारी की गई है।

- मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 'अनुसंधान अध्येतावृत्ति उन अभ्यर्थियों के लिए खुली है जिन्होंने स्वयं को एसएपी के अंतर्गत यूजीसी द्वारा चिन्हित विभागों में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य करने के लिए पीएचडी हेतु पंजीकृत करवाया है । अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में दो वर्ष है और इसे प्रथम दो वर्षों के दौरान कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा । 31.3.2011 तक, विभाग को 165 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी और 46 अध्येता कार्यरत है । वर्ष 2010–11 के दौरान अध्येताओं को कुल 59.40 लाख रु0 के अनुदान जारी किए गए हैं ।

- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधन को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ किया गया है । इसके तहत आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आचार्यःसह आचार्यः सहायक आचार्य) में 200 स्थान सृजित किए जायेंगे। यह नए और सेवारत शिक्षक, दोनों के लिए है । आरंभ में, कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए है और यह प्रत्येक पांच वर्ष की समीक्षा के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलता है । यह प्रयोजनार्थ ज0ला0ने0 वि0, दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय की भी नियुक्ति की गई है ।

- प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षक जो कि राज्य विश्वविद्यालयों में अधिवार्षिता की आयु के निकट है, उनके द्वारा मूलभूत विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधानों हेतु योगदान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से वि0अ0आ0 ने वि0अ0आ0–बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति नाम से नई योजना आरंभ की है वे शिक्षक जो विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह–आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, वे इसके लिए पात्र हैं । अध्येतावृत्ति में 30,000 रु0 प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा/और अन्य

सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है । वर्ष 2010–11 के दौरान 11 संकाय सदस्यों का चयन किया गया और उन्हें अवार्ड पत्रों से अवगत कराया गया । उन्हें अधिवार्शिता के पश्चात् वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

- इस बीएसआर कार्यक्रम के तहत 'शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान' प्रदान करने का उद्वेश्य उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान को जारी रखना है । जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है, जिसने अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अपने मार्गदर्शन में 15 पीएचडी और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी डिग्रियां प्राप्त करने में सफलता पाई हो, और जिसने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान पूर्ण किए हों, वे इसके लिए पात्र हैं । योजना के तहत, एक शिक्षक को उसके अनुसंधान कार्य के लिए 7.00 लाख रु0 उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपने अनुसंधान को जारी रखने वाले 53 शिक्षकों को 2. 94 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी ।
- राधाकृष्ण पीडीएफ योजना का उद्वेश्य भाशा और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में स्वतंत्र अनुसंधान और अध यापन करने का अवसर प्रदान करना है । अध्येतावृति की अवधि 3 वर्ष है । अभ्यर्थियों को 500 अध्येतावृतियां उपलब्ध है । अध्येतावृति की राशि 18,000 रु0 प्रतिमाह है जिसमें 1000 रु0 वार्षिक वृद्धि की जायेगी, 30,000 रु0 प्रतिवर्ष का आकस्मिक अनुदान है । चयन प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है ।
- योजना का मुख्य उद्वेश्य शिक्षकों तथा संबद्ध संघों को सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना और सहायक शिक्षकों तथा विषय आधारित संघों द्वारा पत्र प्रस्तुत करने और अंततः उसे प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करना है । योजना सभी राष्ट्रीय विषयगत संघों के लिए खुली है । किसी एक विशिष्ट संघ के सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 से 3 लाख रु0 की वार्षिक सहायता दी जाती है । वर्ष 2010–11 के दौरान 13 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे तथा 68.78 लाख रु0 की कुल धनराशि भी जारी की गई थी ।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वि0 और प्रो0 वि0 से प्राप्त पत्राचार के आधार पर वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाने के लिए रसायन विभागों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया । इस संबंध में विभिन्न अकादमिक क्रियाकलापों हेतु प्रत्येक के लिए 1 लाख की दर से 223 विभागों को 233 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी तथा रसायन दिवस पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दोनों वि0अ0आ0 नेटवर्किंग केन्द्रों में से प्रत्येक को 5.00 लाख रुपये की सहायता दी गई ।
- छात्रों हेतु वि0अ0आ0 अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति का संक्षिप्त विवरण।

7· fyx ,o lkekftd lekurk

- "महिला अध्ययनों का विकास" – इस योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सशक्त एवं पुष्ट रखना है जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के मध्य उन्हें सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित किया जाये तथा साथ ही अन्य आंगिक घटकों के साथ नेटवर्क बनाने की उनकी क्षमता को सुगम बनाया जाये– ताकि वे परस्पर एक दूसरे की शक्ति सवंर्धित करें तथा एक दूसरे को सहयोगी बन सकें। इस समस्त प्रक्रिया का विशेष बल इस बात पर है कि जाति श्रेणी/धर्म, समुदाय एवं व्यवसायों से परे, ऐसी क्षेत्रगत योजनाओं का विकास हो– जिनसे गति, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान में अभिवृद्धि हो तथा सहभागिता बढ़े व इस नेटवर्क में और अधिक लोगों व संगठनों को भी जोडा जाये व साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यह नवीन रूप से उदभूत होने वाले क्षेत्र पर जो ध्यान केन्द्रित है व जो इसकी गुणवत्ता है वह अनुरक्षित बने रहे। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसा प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष के हिसाब से 5.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रूपये तक का पात्र होगा। तथा प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसा केन्द्र वार्षिक रूप से 3.00 लाख रूपये से लेकर 8.00 लाख रूपये तक का पात्र होगा। दिनांक 31.03.2011 तक विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत कुल मिलाकर 159 महिला अध्ययन केन्द्र (विश्वविद्यालय में 83 और

महाविद्यालयों में 76) स्थापित हो चुके थे तथा क्रियान्वयन कर रहे थे। वर्ष 2010–11 के दौरान, इन केन्द्रों को गतिविधियों के लिए 3.07 करोड़ रूपये जारी किये गऐ थे।

- महिलाओं के दर्जे में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना के तहत छात्रावास एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है । सहायता शत–प्रतिशत आधार पर 60.00 लाख रुपये से 100.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर प्रदान की जाती है जोकि गैर–महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाली महिला छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है तथा महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों हेतु 120.00 लाख रु0 से 200 लाख रु0 है । वर्ष 2010–11 के दौरान, 599 राज्य महाविद्यालयों को कुल 118.68 करोड़ रु0 का अनुदान और दिल्ली के महाविद्यालयों को 1.30 करोड़ रु0 का अनुदान छात्रावासों के निर्माण/नवीकरण हेतु जारी किया गया ।

- उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबन्धकों की निर्माण क्षमता योजना के विशिष्ट लक्ष्य ये है कि उच्चतर शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत विद्वमान लैगिंक विभेद को न्यून करने वाली उद्देश्यात्मक योजना एवं रणनीति विकसित की जाए, महिलाओं जो प्रशासक बनने की इच्छुक हैं। उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में केवल मात्र तीन प्रकार के ही प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास करने संबंधित कार्यशालाओं को संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की **nk** कार्यशालाएं, 65 जागरूकता संबंधित/संवेदनशीलता/प्रेरणात्मक कार्यशालाओं को **,d** पुनश्चर्या कार्यशालाएँ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आयोजित की गई तथा इन संस्थानों को 0.95 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न संस्थानों को कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 3.4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में, दाखिले, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का सफल कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2011 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 128 अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ कार्य कर रहे थे। वर्ष 2010–2011 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

- समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवाओं में भर्ती के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (अल्पसंख्यक/गैर–संपन्न वर्ग) छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./(अल्पसंख्यक/गैर–संपन्न वर्ग/(अल्पसंख्यक/गैर–संपन्न वर्ग) नेट/सेट के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके। ऐसे संस्थान जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि व./अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं – उन संस्थानों को आर्थिक सहायता के लिए विचाराधीन रखा जाता है। ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए सामान्य श्रेणी के उन उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जा सकती है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में आर्थिक सहायता निम्न प्रकार से होगी :

    - अनावर्ती : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपये (एकमुश्त)।
    - आवर्ती : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए 5.00 लाख रु. तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख रु. तक।

इन योजनाओं के तहत अनुदान वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी जाती है।

- वि0अ0आ0 शिक्षण, गैर–शिक्षण तथा दाखिले में अ0पि0व0 हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासरत है । इस संबंध में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को अ0पि0व0 के

कल्याण हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण की नीति लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन भी किया गया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित स्थायी समिति समय–समय पर नियमित रूप से अ.जा./अ.ज.जा. की आरक्षण स्थिति तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यमान शेष बची रिक्तियों की स्थिति का अनुवीक्षण करती है। इस समिति की दो बैठकें, 24.06.2008 को तथा 20.01.2009 को हुई थी, जिनमें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी की गई । स्थायी समिति की उप–समिति ने अब तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जे.एम.आई., इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (अनुरक्षण अनुदान प्राप्तकर्त्ता) महाविद्यालयों का दौरा किया और, नियुक्तियों, प्रवेशों, होस्टलों का आवंटन तथा स्टाफ क्वार्टर्स का आवंटन में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की ।

- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का लाभ वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन समूहों की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख–रेख करने और शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयें में ई.ओ.सी. के कार्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई है। समान अवसर प्रकोष्ठ का कार्यालय स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। क्योंकि यह विलयित योजनाओं में से ही एक योजना है, अतः जहाँ तक अनुदान जारी करने का विषय है, तो महाविद्यालयों के लिए यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान महाविद्यालयों को 4.09 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया।

- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चालू वि0अ0आ0 योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है । समिति की बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है । समिति ने अल्पसंख्यक छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की सिफारिश की और यह आयोग के विचाराधीन है ।

- उच्च शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा न करने तथा विशेष अध्यापकों व परामर्शदाताओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करने के लिये तथा निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "टी.ई.पी.एस.ई." तथा "एच.ई.पी.एस.एन." योजना लागू कर रहा है। इन योजनाओं को अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों हेतु सामान्य विकास अनुदान के साथ आयोजित कर दिया गया है और मुख्यालय तथा साथ ही वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है ।

8- ik lfxrk ,o eY;&vk/kkfjr f'k{kk

- शिक्षा में कैरियरोन्मुखी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जो छात्र इन्हें, पूरा करते हैं, उनके पास अर्जक के रोजगार के लिए कौशल और रूझान मौजूद हों,। इस कार्यक्रम के तहत वि.अ.आ. द्वारा पात्र संस्थानों को मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के प्रति पाठयक्रम के लिए 7 लाख रू. दिए जाते हैं तथा विज्ञान विषयों में एकमुश्त राशि रुपी 'सीड–मनी' जिसे पाँच वर्ष के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएँ, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि संकाय को मानदेय देने के लिये 10.00 लाख रूपये प्रदान किया जाता है। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य रूप विकल्प रहेगा कि वे आवश्यकता आधारित किन्हीं तीन पाठ्यक्रमों को चुने। वर्ष 2010–11 के रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों के 498 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों को कुल 5.67 करोड रु. की राशि प्रदान की गयी ।

- भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं की गहराई से समय बोध को बढ़ावा देने के लिए और नीति निर्माताओं, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा राजनीतिक

हितों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्वेश्य से वि0अ0आ0 क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता आ रहा है । 31 मार्च, 2011 तक 36 विश्वविद्यालयों में 45 क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई थी । उन देशों तथा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिनका भारत के साथ घनिष्ठ और सीधा संपर्क है । वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्रों को उनके क्रियाकलापों हेतु 1.08 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी ।

- सामाजिक बहिष्करण के मामले पर शोधकार्य का सहायता प्रदान करना जिसका सैद्धान्तिक एवं नीतिपरक महत्व है, इस विषय में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में अध्यापन बनाम–शोध केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया– जिन्हें समाजिक बहिष्करण एवं समावेश नीति संबंधी केन्द्रों के नाम से जाना जाता जायेगा। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार, 35 विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र चल रहे हैं । वर्ष 2010–11 के दौरान 8 केन्द्रों को 3.41 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया ।

- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं कल्पनाओं से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित कराने के उद्देश्य से, चिह्नित विश्वविद्यालयों द्वारा 24 महान व्यक्तियों के नाम पर 443 विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के लिए कुल रूपए 57.42 करोड़ का अनुदान इन केन्द्रों द्वारा अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए जारी किया गया था।

- सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त करने और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के हथियार के रूप में 65 विश्वविद्यालयों में जीवन–पर्यन्त ज्ञान अर्जन तथा विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 2010–11 से जीवन पर्यन्त ज्ञान अर्जन विभागों को 2.00 से 10.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष का आवर्ती अनुदान तथा 5.00 लाख रु0 अनावर्ती अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों को 38.00 लाख रु0 का कुल अनुदान उपलब्ध कराया गया ।

- स्नातक पूर्व डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठि तथा कार्यशाला आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरुकता फैलाने के लिए वि0अ0आ0 मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है । वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से 493 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 7.58 करोड़ रु0 की धनराशि भी जारी की गई है ।

9- lpuk ,o lEi{k.k i|kfxfd;k dk lebu

- विश्वविद्यालयों में अध्यापन, अनुसंधान एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों की अभिवृद्धि एवं विकास इसके अतिरिक्त, वह कार्य जो कि प्रशासन, वित्त, दाखिले एवं विश्वविद्यालयों में मौजूदा कम्प्यूटर केन्द्रों के संवर्धन के लिए है–इन सभी के लिए एक केन्द्रक सुविधा के रूप में यूजीसी द्वारा नियमित रूप से कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अधिकतम सहायता 70.00 लाख रु. (अनावर्ती) वास्तविक व्यय (आवर्ती) पर आधारित के अनुसार कम्प्यूटर केन्द्र को स्थापित करने के लिए दिया जायेगा तथा 5 वर्षों के पश्चात ऐसा केन्द्र द्वितीयक आधार पर केन्द्र को उन्नत करने के लिए 50,00 लाख रू. (केवल अनावर्ती) तक की सहायता के लिए पात्र होगा। वर्ष 2010–11 के दौरान 12 विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 3.99 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

- यूजीसी–इन्फोनेट कनैक्टिविटी कार्यक्रम के अन्तर्गत, अभी तक कुल मिलाकर 15 विश्वविद्यालयों को, शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क (ईरनेट) द्वारा इन्टरनेट उपलब्ध कराया गया है, जो कि 512 के बी पी एस से लेकर 2 एमबीपीएस के विस्तारण के मध्य है। दूरस्थ स्थानों में मौजूद, विश्वविद्यालयों तक भी, ऊँचाई वाले तथा अनुमापन

करने वाली (स्केलेबल) इन्टरनेट बैण्डविड्थ को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यूजीसी–इन्फोनेट ने बीएसएमएल मेरूदण्ड की ओर परिवर्तन कर लिया है जो कि प्रभावी रूप में 01.04.2010 से हुआ तथा इसे यूजीसी–इन्फोनेट 2.0 के रूप में पुनः नाम दिया गया है। नई योजना के तहत फाईबर ऑप्टिक लीज लाईन पर 180 से भी अधिक विश्वविद्यालयों की 10 मेगाबाईट प्रति सेकेण्ड (1 : 1) इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान की गई है, जिससे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) अवसंरचना को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो सभी विश्वविद्यालयों को 1 गीगाबाईट प्रति सेकेण्ड का संपर्क उपलब्ध करवाता है। 120 से अधिक विश्वविद्यालय पहले ही एनकेएन/एनएमई–आईसीटी को अपना चुके हैं और एक गीगाबाईट प्रति सेकेण्ड इंटरनेट बैंडविड्थ का लाभ उठा रहे हैं । वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यक्रम को लागू कर रहे ''इन्फिलबनेट'' को 5.00 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया ।

- पत्रिकाओं के मूल्यों में वृद्धि होने और, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पास निधि के अभाव होने के कारण, यूजीसी द्वारा उन्हें वित्तीय रूप में यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कॉसोर्शियम कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। इसे, इनफ्लिबनेट इन्टर–यूनिविर्सिटी सेन्टर द्वारा यूजीसी की ओर से क्रियान्वित किया जा रहा है। सारगर्भित एवं वरिष्ठ विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित पत्रिकाओं एवं ग्रंथ संदर्भित पत्रिकाओं जिन्हें प्रकाशकों एवं विभिन्न विषयों में समूहनकर्ताओं से संबद्ध हैं–उन सब पत्रिकाओं तक चालू एवं पुरालेखीय पहुँच बनाने का कार्य कॉन्सोर्शियम कर रहा है। कन्सोर्टियम द्वारा अभिदत्त ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2009 में आरंभ किए गए कार्यक्रम में 89 से भी अधिक निजी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान सह–सदस्य बन गये थे । छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं तथा संकाय सदस्यों के लाभ हेतु रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में ई–संसाधनों तक पहुंच पर चार उपयोगकर्त्ता, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजीटल रिपोजिटरी के प्रयोजनार्थ 76.60 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था ।

10- vfHk'kklu ,o dk;ld'kyrk e l/kkj

- विश्ववविद्यालयों में विकास लाने के उद्देश्य से, उनके द्वारा समाज में भागीदारी/सहयोग द्वारा अपने संसाधनों को गतिशील बनाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यूजीसी द्वारा उन संसाधनों की 25% राशि को उपलब्ध करा रही है जो संसाधन विश्वविद्यालयों द्वारा जुटाये गए हैं– बशर्ते कि वह वार्षिक रूप से अधिकतम 50 लाख रू. तक हो। वर्ष 2010–11 के दौरान यूजीसी के अंश के रूप में 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 3 सम विश्वविद्यालयों को 4.08 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्थित अकादमिक प्रशासकों को यूजीसी द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि अकादमिक अभिशासन में उत्कृष्टता के विशाल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2010–11 के दौरान कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। अतः कोई भी व्यय इस दिशा में नहीं हुआ।

कपिल सिब्बल : मानव संसाधन विकास एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा दिनाँक 03, 2011 के दिन नेट के प्रथम ई–प्रमाणपत्र का प्रवर्तन किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉ0 (श्रीमती) डी. पुरन्देश्वरी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। (फोटोः पत्र सूचना कार्यालय)

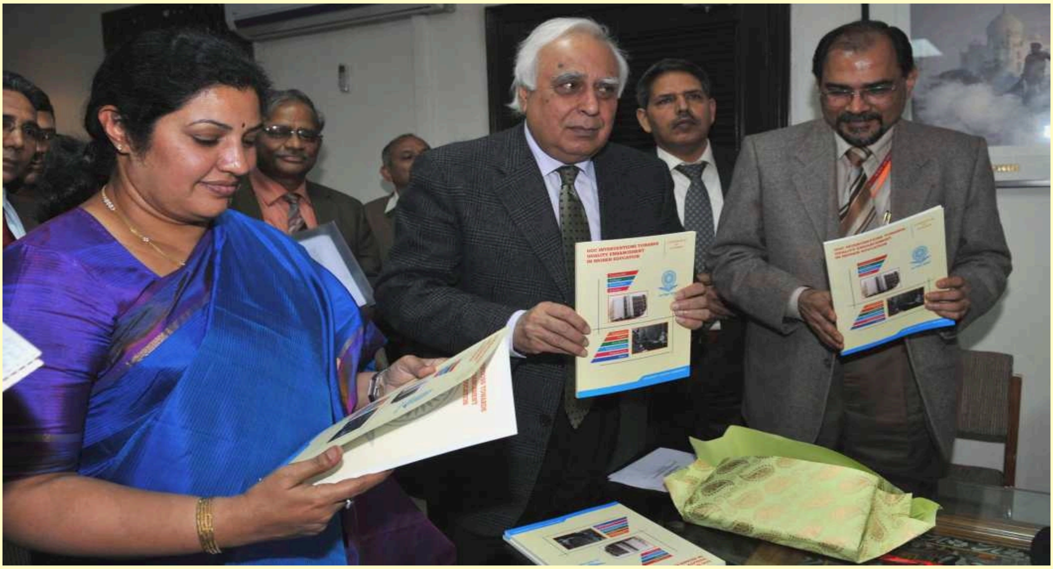

कपिल सिब्बल : मानव संसाधन विकास एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा यूजीसी परियोजनाओं के एक संग्रह को दिनाँक 03 मार्च, 2011 के दिन नई दिल्ली में जारी किया गया। मानव संसाधन विकास की राज्य मंत्री डॉ0 (श्रीमती) डी. पुरन्देश्वरी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। (फोटोः पत्र सूचना कार्यालय)

चित्र 3 : मानव संसाधन विकास एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा, दिनांक 25, 26 मार्च 2011 को विज्ञान भवन में आयोजित समस्त केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों सम्मेलन को जो सम्बोधित किया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथिः प्रोफेसर वेद प्रकाश, अध्यक्ष यूजीसी, श्रीमती विभापुरी दास, शिक्षा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डॉ0 सेम पित्रोदा, सार्वजनिक अवसंरचना पर प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं डॉ0 नीलोफर काज़मी, सचिव, यूजीसी उपस्थित थे।

1- çLrkouk

1-1 fo0v0vk0 dh Òfedk v©j laxBu

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो 28.12.1953 में अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बन गया । वि0अ0आ0 अधिनियम की **/kkjk 12** उपबंध करती है कि आयोग, संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय और शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान में मानदंड को बनाए रखने के लिए वे सभी कदम उठाएगा जिन्हें वह उचित समझता हो । शिक्षण एवं अनुसंधान में आयोग द्वारा विस्तार को तीसरे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया। अपने कार्यकरण के निष्पादन के लिए आयोग —

— आयोग की निधियों में से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास हेतु अनुदान का आवंटन एवं संवितरण कर सकता है ।

— विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा ज्ञान की उच्चतर संस्थानों को परामर्श दे सकता है ।

— अधिनियम के अनुरूप नियम तथा विनियम आदि तैयार कर सकता है ।

वि0अ0आ0 1956 की **/kkjk 18** के अनुसार, आयोग विहित प्रारूप में, विहित प्रकार से, पिछले वर्ष के दौरान, इसकी गतिविधियों का सटीक एवं पूर्ण विवरण देते हुए वर्ष में बार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, तथा इसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार तथा सरकार को अग्रेषित करेगा तथा इसे दोनों सदन के सभा पटल पर रखेगा ।

laxBukRed <kapk

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है । कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक में से किया जाता है ।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए:—

(1.) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो ।

(2.) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे के सदस्य हों, अथवा

(3.) जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हों परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

वि0अ0आ0 का कार्यकारी शीर्ष सचिव है । वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की :—

leg	lLoh—r l[;k	d|y depkfj;¨ dh l[;k	d|y depkfj;¨ dh l[;k e l		
		lLoh—r l[;k dk ¼çfr'kr½	efgyk ¼çfr'kr½	v0 tkfr ¼çfr'kr½	v0 tutkfr ¼çfr'kr½
समूह क	135	73 (54-07%)	27 (36-99%)	13 (17-81%)	3 (4.11%)
समूह ख	335	277 (82.69%)	114 (41.15%)	52 (18.77%)	14 (5.05%)
समूह ग	385	158 (41.04%)	18 (11.39%)	36 (22.78%)	10 (6.33%)
d|y	**855**	**508** (59.41%)	**159** (31.30%)	**101** (19.88%)	**27** (5.31%)

कार्यक्रमों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन एवं निगरानी प्रक्रिया में, वि0अ0आ0, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करता है ।

{k=h; dk;ky;

वि0अ0आ0 ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी तथा बंगलूरू में **lkr** क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कए हैं । उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रचालन 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित वि0अ0आ0 कार्यालय से किया जाता है । इसके तहत कवर किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यालयों की सूची निम्नवत है:–

Ø0l0	{k=h; dk;ky;	LFkku	LFkkiuk dh frfFk	doj fd, x, jkT;@lÄ jkT; {k=
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय एसईआरओ)	हैदराबाद	28.4.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	प0 बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एआरसीओ)	दिल्ली	25.9.2001	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल

1-2 X;kjgoÈ ipo"kh; ;¨tuk d ckjs e

देश में सूचना आधार का स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया है ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की है । यह अध्ययन विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए हैं । इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को ग्यारहवीं योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निश्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिली है । "हायर एजूकेशन इन इंडिया "शीर्षक से एक पुस्तक को वि0अ0आ0 द्वारा प्रायेजित अध्ययन के आधार पर प्रकाशित किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना के मुख्य उद्देश्य समावेशी गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली में आवश्यक अकादमिक सुधारों के साथ समावेशी गुणवत्ता और संगत शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है । इसलिए, मुख्य बल संस्थानिक क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुच का विस्तार करना, उच्चतर शिक्षा तक कम पहुंच वाले समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवा कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, अकादमिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि पर रहेगा ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत के वर्तमान सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि कर उसे 2012 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । 5 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है । वि0अ0आ0 द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अपेक्षाओं के निर्धारण के उद्देश्य तथा वि.अ.आ. द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की दसवीं पंचवर्षीय योजना के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालयों को अनमोदित आवटंन के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया है।

1-3 fo'ofo|ky; vuqnku vk;¨x e dk;l dj jgs fo'k"k çd¨"B

¼d½ dnkpkj çd¨"B

उच्च शिक्षा के विस्तार से देश भर में प्रत्येक नागरिक तक इसकी पहुंच सुलभ हुई है और जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों और जाली डिग्रीयों/अंक तालिकाओं के तीव्र प्रसार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस खतरे से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन 1996 में कदाचार प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो इन सभी अनधिकृत विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर निगरानी रखता है और उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करता है। प्रकोष्ठ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- प्रिन्ट मीडिया और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से सचूना एकत्र करना और जाली सस्ंथानों के सभी मामलों को आयोग के ध्यान में लाना।

  भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ सम्पर्क रखना और जाली संस्थानों की समस्या पर रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करना।

  विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रदान की गई निधियों के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच करना।

fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx }kjk 2010&11 d nkjku dh xbl dk;okgh

- कदाचार प्रकोष्ठ देश में जाली या गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों की मौजूदगी/कार्यकरण संबंधी मामलों पर कार्यवाही करता है । ये जाली विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए कार्य

कर रहे हैं क्योंकि ये संस्थान राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम अथवा प्रान्तीय अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान नहीं हैं अथवा विशेष रूप से डिग्रियां प्रदान करने हेतु अधिकृत संस्थान नहीं हैं । ये जाली विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत मान्यता प्राप्त भी नहीं हैं ।

वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखी जा रही जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 21 जाली विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं ।

fcgkj

1. मैथिली विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

fnYyh

2. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.), जगतपुरी दिल्ली
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज, नई दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
6. ए0डी0आर–सैंटिक जूरीडिकल यूनिवर्सिटी,एडी.आर. हाउस, 8, जे गोपाला टॉवर, 25–राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली–110008
7. भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली ।

dukZVd

8. बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

dsjy

9. सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल

e/; izns'k

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म0प्र0)

egkjk"Vª

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

rfeyukMq

12. डी0डी0बी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, तमिलनाडु

mRrj izns'k

13. महिला ग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग इलाहाबाद(उ0प्र0)
14. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद

15. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोकाम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर

16. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटीं (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उ0प्र0)

17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उ0प्र)

18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

19. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेस–2 (उ.प्र.)

20. गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.)

if'pe cxky

21. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसन, कोलकात्ता

- जाली विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दो और ऐसे संस्थान है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं । अतः इन दो संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार नहीं है । तथापि, इन दो संस्थानों द्वारा दिए गए शपथपत्र के आधार पर न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन दो संस्थानों को जाली विश्वविद्यालय की सूची में न डालने का निर्देश दिया है । इन दो संस्थानों के नाम निम्नलिखित हैंः–

(1.) भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ (उ.प्र.)

(2.) आईआईपीएम, दिल्ली

विशेष रूप से आईआईपीएम के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिकसत्र के आरंभ में **vkbvkbih,e** के स्तर के संबंध में **fgUnh vkj vxth d e[; nfud lekpkj i=k vkj jktxkj lekpkj i= e** आम जनता/छात्रों की जानकारी हेतु 'सार्वजनिक सूचना' जारी करता है ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिकसत्र के आरंभ **e fgUnh vkj vxth e e[; nfud lekpkj i=k e** आम जनता/छात्रों की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना/प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ–साथ प्रवेश के इच्छुक छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश न लेने हेतु सावधान करते हुए जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची जारी करता है ।

- आम जनता/छात्र/अभिभावकों की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाईट www.ugc.ac.in पर जाली संस्थानों की सूची डाली हुई है ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की है ।

- राज्यों के शिक्षा सचिवों/गृह सचिवों से प्रवेश के इच्छुक छात्रों के भविष्य को बचाने हेतु उनके राज्यों में कार्य कर रहे जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में व्यापक प्रचार करने और उनके विरूद्ध उचित प्रशासनिक कार्यवाही करने का अनुरोध है । वे छात्रों और आम जनता को इस बात की जानकारी भी दें कि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आगे अध्ययन करने अथवा रोजगार प्रयोजनों हेतु वैध नहीं है ।

¼[k½ lrdrk idk"B

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के काम–काज पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में सलिप्त न हो पाये। सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव के पद का एक अधिकारी होता सी.वी.ओ. मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी और जहां कहीं भी आवश्यक होता है कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।
- ऐसे निष्ठा विषयक आचरण नियम जो निम्न से संबंद्ध है–उनका तुरन्त पालन :– (1) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (2) उपहार, (3) प्राइवेट फर्मो में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (4) बेनामी लेन–देन।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं अचानक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की उचित छानबीन करना।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 25.10.2010 से 01.11.2010 तक सतर्कता जानकारी सप्ताह मनाया, जिसमें शपथ ली गई और बैनर और इश्तहार लगाए गए तथा पर्चे आदि बाँटे गए।

वर्ष 2010–11 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने सीवीसी (7), भा.स.वि.मं. (17), के.अ.ब्यूरो (7) और विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त कुल 108 शिकायतों पर कार्यवाही की । संवेदनशील शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष रखा गया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ, सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करता है और मामले को संबंधित एजेंसियों के साथ उठाता है।

¼x½ dk;LFkku ij efgyk ;ku mRihMu idk"B

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए ''कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न'' नाम से प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2000 में की थी, जिसकी प्रमुख एक महिला संयुक्त सचिव, हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान यूजीसी की एक महिला अधिकारी से एक शिकायत प्राप्त हुई और यह प्रकोष्ठ के विचाराधीन है ।

¼?k½ fof/kd idk"B

विधिक प्रकोष्ठ का स्थापना 1989 में की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य मुकदमा दायर करने में अथवा बचाव करने हेतु, कार्यरत वकीलों तथा आयोग के संबंद्ध अनुभाग के बीच मुकदमों का समन्वय करना है। अनुरोध किए जाने पर विधिक प्रकोष्ठ, सलाहकार को कार्य सौप कर, विभिन्न नीतिगत मामलों पर विधिक मत प्रदान भी करता है।

विधिक प्रकोष्ठ, निचली अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय में दायर, मुकदमों पर कार्यवाही करना है और कोर्ट का नोटिस मिलने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधिक परामर्शदाता से विधिक परामर्श लेकर,

संबद्ध ब्यूरो से पैरा–वार टिप्पणी लेता है, फिर वह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल के वकील को सौंपा जाता है–वकील द्वारा तैयार काउंटर–एफीडेंविट को प्रमाणित किया जाता है और संबद्ध ब्यूरो प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद न्यायालय में दायर किया जाता है। विधि प्रकोष्ठ, यूजीसी, द्वारा अपने वकील के साथ समस्त पत्र व्यवहार किया जाता है जब तक कि मामले का निपटारा नहीं होता है। मुकदमें में निपटारे के पश्चात, निर्णय की प्रति संबंधित ब्यूरो को, न्यायालय के निदेशानुसार, उचित/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है, यदि ऐसा करना अनिवार्य है।

अधिकांश मामलें मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टाफ़ के वेतनमानों, अर्हताएँ सेवानिवृत्ति आयु चयन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थाओं/जाली विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टाफ़ से संबद्ध प्रशासनिक मामले होते हैं।

वर्तमान में न्यायालयों में 4716 मामले चल रहे हैं जिसमें से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 101 मामले दायर किए गए हैं और वर्श 2010–11 के दौरान विभिन्न 101 मामले दायर किये गये हैं और वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं और विधिक परामर्शदाताओं के बिलों पर 90.99 लाख रु0 का व्यय किया ।

okf"kd rkj ij ekeyk dh l[;k vkj odhyk dh 'kYd ij fd, x, 0;; dk fooj.k fuEu idkj g&

o"k	ikIr ekeyk dh l[;k	o"k	vf/kDrkvk d fcyk ij fd;k x;k 0;; ¼yk[k #0 e½
2007	414	2006–2007	34.50
2008	368	2007–2008	55.00
2009	410	2008–2009	49.50
2010	744	2009–2010	62.15
2011 (31.03.2011 तक)	101	2010–2011	90.99
dy	**4716**		

¼M-½ MLd ¼ lIn ekey

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क संसद्'', भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसद् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, परिवीक्षा करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

प्राप्त संसदीय प्रश्नों का निम्नलिखित सत्रों के दौरान उत्तर दिया:

1) बजट सत्र

2) मानसून सत्र

3) शीतकालीन सत्र

इस अवधि के दौरान, लोकसभा तथा राज्यसभा के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न सामान्यतः उच्च शिक्षा तथा निम्नलिखित मामलों से संबंधित थे :—

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विकास से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन।
- शिक्षकों से जुड़े मुददे, जैसे नियुक्ति की न्यूनतम अर्हताएँ, उनकी सेवा शर्तें, कॅरियर विकास आदि।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दिए गए विकास/अनुरक्षण अनुदान और उनका उपयोग।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनकी पात्रता शर्तें।
- एन.ए.सी.सी. द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का विनिमयन।
- स्वायत्त महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय।
- सम विश्वविद्यालयों को मान्यता।
- जाली विश्वविद्यालय/संस्थान।
- उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलायें निशक्त व्यक्तियों एवं अल्पसख्यकों के लिए आरक्षण से सम्बद्ध आदेशों का कार्यान्वयन।
- अन्य पिछड़ी जातियों को सुविधाएँ विभिन्न सामाजिक समुदायों एवं अल्पसंख्यक तक पहुँच।
- विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा, सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम/विदेशी विश्वविद्यालयों अन्य देशों के साथ अकादमिक सहयोग।
- देश में लेक्चरारशिप/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जा रही नेट परीक्षाएँ।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का नेटवर्किंग, कम्प्यूटर सुविधाएँ
- शिक्षा की गुणवत्ता
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न क्रीड़ाओं के लिए आधारभूत संरचना और उपकरणों का विकास।
- नवीन पाठ्यक्रमों की मान्यता, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी मान्यता तथा पाठ्य विवरण का पुनः प्रवर्तन।
- छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ/छात्रवृत्तियां।
- नेट परीक्षा में सुधारों सहित पी.एच.ड़ी./एम.फिल. कार्यक्रम।
- उच्च शिक्षा से जुड़े आँकड़े।
- शिक्षा में सुधार।

- विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में ''रैगिंग''।

- वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक की अवधि के दौरान लोकसभा / राज्यसभा के बजट / मानसून / शरद्कालीन सत्र में प्राप्त किये गए प्रश्नों की संख्या नीचे दी जा रही है :–

o"kZ	iklr ,o mYkj fn, x, lalnh; i'uk dh dy la[;k	dy i'uk ea ls mYkj fn;s x, rkjkfdr i'uk dh la[;k	vk'okluk dh la[;k
2007–08	455	37	8
2008–09	299	23	12
2009–10	459	38	10
2009–2010	603	54	13

¼p½ lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e ¼vkj-vkbZ-,-½] izdks"B

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मा.स.वि.म. के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और आवेदकों को सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराता है । मुख्य कार्यालय में 18 अपीलीय प्राधिकारी और 38 जन सूचना अधिकारी हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 अपीलीय प्राधिकारी तथा 6 जन सूचना अधिकारी है । आवेदकों को से प्राप्त ऐसी आर.टी.आई. आवेदन / अपीलें तथा नोटिस / निर्णय जो कि केन्द्रीय जन सूचना आयोग आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हें केन्द्रक रूप से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य कार्यालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के नाम पर प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें ऐसे सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है जिनके पास वांछित सूचना संभावित रूप में उपलब्ध हो सकती है। इस केन्द्रीय सार्वजनिक / जन सूचना अधिकारी के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ द्वारा अर्थात् सूचना के अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ (आर.आई.ए.) द्वारा समस्त आवेदन / अपीलें प्राप्त की जाती हैं तथा इस प्रकोष्ठ द्वारा वांछित संख्या में प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती हैं जिन्हें केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के माध्यम से विभिन्न जनसूचना अधिकारियों / अपीलीय अधिकारियों को भेज दिया जाता है जिनके पास सम्बद्ध सूचना संभावित तौर से उपलब्ध होती है। ऐसे आर.टी.आई. आवेदन / अपील / नोटिस / निर्णय की एक प्रति सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ में अभिलेख के रूप में रखी जाती है। यू.जी.सी.में जितने भी ब्यूरो प्रमुख हैं उन्हें आर.टी.आई. के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है तथा इनके अधीनस्थ समस्त उपसचिवों अथवा अवर सचिवों को जनसूचना अधिकारी पद नामित किया गया है। जन सूचना अधिकारी / अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भेजे गए उत्तर की एक प्रति आर.आई.ए. प्रकोष्ठ को अभिलेख के रूप में पृष्ठांकित की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त के समस्त आवेदनों / अपीलों / निर्णयों आदि की तिमाही / वार्षिक रिपोर्ट सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ के द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे केन्द्रीय सूचना आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जो भी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन / नोटिस प्राप्त किए जाते हैं उनका निपटान प्रत्यक्ष तौर से सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। जन सूचना अधिकारियों / अपीलीय प्राधिकारियों की सूची यू.जी.सी.वेबसाइट पर डाली गयी है।

वर्ष 2010–11 के दौरान यू.जी.सी. को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 6731 आवेदन तथा 417 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2010–11 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 78,870 / – रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 35,250 / – रु0 रहा ।

¼N½ orueku izdks"B

• वेतनमान प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, इस प्रकोष्ठ को समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने का कार्य सौपर गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी यह प्रकोष्ठ अन्योन्य क्रिया करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष 2010–2011 के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित कर दिया गया है :–

1- 1-4-2010 ls 31-3-2011 dh vof/k esa dfj;j ikUufr ;kstuk ds vrxZr jhMj ls izkQslj ds in ij inksUufr gsrq fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx ds i;Zos{kd dh fu;qfDr

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए गए हैं कि इस प्रयोजन हेतु विहित प्रक्रिया का विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए । रिपोर्टिंग वर्ष 2010–11 के दौरान सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए 158 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई । पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत 120 रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा चुकी है और संबंधित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन भेजा जा चुका है ।

2- f'k{kd vkSj vU; 'kS{kf.kd LVkQ dh fu;qfDr gsrq U;wure vgZrk lEca/kh u, fofu;eu] 2010

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिकस्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और उच्चतर शिक्षामें मानकों का अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 को 30 जून, 2010 को अंतिम रूप दिया गया और बाद में 18–24 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया ।

3- fo'ofo|ky;ksa vkSj dkystksa esa f'k{kdksa vkSj vU; 'kS{kf.kd LVkQ dh fu;qfDr gsrq U;wure vgZrk lEca/kh fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx ds fofu;eu vkSj mPp f'k{kk esa ekudksa dk vuqj{k.k gsrq mik;] 2010 ¼igyk la'kks/ku½ fofu;eu] 2011

विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन और उच्चतर शिक्षामें मानकों का अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 (पहला संशोधन) विनियमन, 2011 को भी आयोग की 3.2.2011 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया और तत्पश्चात्, 9–15 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में उन्हें अधिसूचित किया गया ।

¼t½ fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dk vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr] vU; fiNM+k oxZ izdks"B

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, दाखिलें, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के लिए, आरक्षण नीति को प्रभावी तौर से लागू करने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान पदों के लिए, आरक्षण नीति को प्रभावी तौर से लागू करने की प्रक्रिया का सर्वेक्षण करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालयों समविश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ऐसे संस्थान एवं केन्द्र जो आर्थिक अनुदान सहायता के प्राप्तकर्ता है उनमें सरकारी आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए, आयोग ने नये दिशा–निर्देश वर्ष 2006 में तैयार किए है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी तौर से पालन करने का सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, अकादमिक विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में आरक्षण के स्तर को और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों का सर्वेक्षण करने के लिए स्थायी समिति और उप स्थायी समिति समय–समय पद बैठक करती रहती है।

¼>½ vYila[;d izdks"B

वर्ष 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है– जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थानों को समविश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ सहसंबद्धता उपलब्ध कराना है । अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देख–रेखे समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकारी करते हैं।

¼¥½ jSfxax&jks/kh izdks"B

सिविल अपील संख्या 887/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2009 तैयार किए हैं और उन्हें 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया तथा वे वर्तमान में प्रभावी हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य बना दिया है कि वे रैगिंग पर प्रतिबंध और उसके परिणामों संबंधी सरकार के निर्देशों को अपने विवरण पत्र में शामिल करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचनाओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट, तथा विश्वविद्यालयों को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के विषय में स्मरण कराता है। सभी छात्रों/अभिभावकों को प्रवेश लेने के समय संस्थानों को रैगिंग रोधी संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। आयोग ने आयोग की किसी सामान्य और विशेष योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान संबंधी स्वीकृति में एक विशेष शर्त को शामिल किया है कि संस्थान ने रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किया है।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800 180 5522 आरंभ की गई है जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं । इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, आसामी, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता और ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है । यह हैल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती हैं । इस शिकायत को हैल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है । रैगिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगता है ।

सीईसी द्वारा तैयार की गई एक रैगिंग रोधी वीडियो फिल्म को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों, स्टॉफ, अन्य संबंधित पक्षों तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कालेजों में इसका व्यापक प्रचार करने के लिए कहा गया है ।

एक रैगिंग–रोधी वेब पोर्टल विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एड. सिल तथा मेसर्स प्लेनेट ई–काम सोल्युशंस प्रा. लि. के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2009 की 887 के माध्यम से 8.5.2009 को अपने निर्णय में छात्रों पर रैगिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पता लगाने तथा स्कूलों, कालेजों और सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में लागू किए जाने हेतु तात्कालिक और अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश करने के लिए मनोचिकित्सक/मानसिक स्वास्थ्य विशे ाज्ञों आदि की एक समिति का गठन किया था ताकि रैगिंग की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके ।

विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है । संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरूद्ध विनियमनों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है । हैल्पलाइन को जून, 2009 में आरंभ किए जाने से लेकर मार्च, 2011 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों से संबंधित 447 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ब्यौरा निम्नवत् हैः–

Øe l-	o"kZ	gSYiykbu ls izkIr f'kdk;rsa	ekeyksa dh la[;k ftuesa lLFkkuksa us dh xbZ dk;Zokgh fjiksVZ Hkst nh gS	ekeyksa dh la[;k ftuesa dkj.k crkvks uksfVl tkjh fd, x,	fVIif.k;k ¼ekeyksa dh la[;k ftuesa nkf"k;ksa ij n.MkRed dk;Zokgh dh xbZ½
1.	जून 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	299	292	7	22
2.	1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	148	146	2	15

¼r½ vkUrfjd ys[kkijh{kk izdks"B

महानिदेशक लेखा एवं कर की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता जाने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ बनाया गया। तभी से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। उनकी सहायता हेतु लेखा/कनिष्ठ लेखा अधिकारी हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत अंतर–विश्वविद्यालय प्रणाली की भी लेखाप्रणाली करता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ, वि0आ0आ0 विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में सलाह भी देता है। प्रकोष्ठ, पेंशन भुगतान के मामले, जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान संबंधी मामले, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेज तथा समय–समय लेखों का पश्च लेखा परीक्षण, सहायता–अनुदान रजिस्टरों एवं स्वीकृति की परीक्षण जाँच पड़ताल, सांविधिक लेक्षा परीक्षण में जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं उनका अनुसरण/हल करने बारे में, तथा विभिन्न संबद्ध निकायों के साथ सहभागिता–जो समस्त शर्तें लेखा–जोखा रिपोर्ट के अनुच्छेदों से तथा इस रिपोर्ट के प्रति दिये गए उत्तरों से जुड़ा है। पर आने वाले अन्य मामलों आदि में भी कार्य करता है। वित्तीय निरीक्षण तथा विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को दी गई निधियों के उपयोग का सत्यापन भी यही प्रकोष्ठ करता है।

1-4 i:dk'ku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रकाशन ब्यूरो, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, विशेष रूप से वि0आ0आ0 की वार्षिकी रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि0अ0आ0 अधिनियमों, यू.जी.सी. समितियों पर रिपोर्ट, सांख्यिकी रिर्पोटों/फॉर्म तथा अन्य सरकारी लेखन–सामग्री आदि का प्रकाशन करता है। यह प्रकाशित रिर्पोटों/दस्तावेजों को वितरित करके उच्चतर शिक्षा में कार्यरत अथवा जुड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, आवंटित 10 लाख रूपये की राशि में से 8.08 लाख का व्यय, प्रकाशनों के मुद्रण पर और अन्य सरकारी लेखन सामग्री के मादों पर किया गया।

वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए प्रकाशनों की सूची निम्न है:

Ø-l;	çdk'ku dk uke
1.	11वीं योजना, अगस्त 2010 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा का स्तर, दृष्टिकोण, रणनीति और प्रगति ।
2.	शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों हेतु कार्य योजना संबंधी पुस्तिका।
3.	(एक) मानद विश्वविद्यालय हेतु आवेदन प्रपत्र।(दो) मानद विश्वविद्यालय हेतु रिपोर्ट लेखन प्रपत्र संबंधी पुस्तिका।
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2008–09 (अंग्रेजी)।
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2008–09 (हिन्दी)।
6.	ग्यारहवीं योजना, 2007–2010 के दौरान उच्चतर शिक्षामें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई पहल।
	fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx X;kjgoha ;kstuk fn'kkfun'k
7.	विश्वविद्यालयों में योग शिक्षाऔर परंपरा और सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन।
8.	विशेष क्षेत्र में क्षमता और उत्कृष्टता केन्द्र (सीपीईपीए)।
9.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास ।
10.	शैक्षणिकरूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में नए मॉडल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना का कार्यान्वयन करना
11.	शैक्षणिकस्टॉफ कालेज
12.	उच्चतर शिक्षासंस्थानों (एचईआई) में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना और निगरानी।
13.	विद्यमान और नए प्रबंधन विभाग हेतु विकास सहायता ।
14.	ई–विषय वस्तु विकास।
15.	कालेजों में उपकरण रख–रखाव सुविधा (आईएमएफ)।
16.	शिक्षकों हेतु अनुसंधान परियोजना – वृहद और लघु।
17.	छात्रों हेतु मानविकी और समाज विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (आरएफएच और एसएसएस)।

18.	प्रचालन संकाय रिचार्ज – विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों के संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल ।
19.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उन शिक्षकों हेतु विशेष मानदेय प्रदान करने की नई योजना जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता हैं ।
20.	विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी पीठ की स्थापना ।
21.	विश्वविद्यालयों के संकाय संसाधनों को बढ़ावा देना।
22.	मानविकी और समाज विज्ञान (भाषा सहित) में डॉ. एस. राधाकृष्णन आचार्येत्तर अध्येतावृत्ति (पीडीएफ) ।
23.	भारत में उच्चतर शिक्षा– विश्वविद्यालयों और कालेजों हेतु ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान रणनीतियां और योजनाएं ।
24.	केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन हेतु पृष्ठभूमि टिप्पण ।

उपरोक्त प्रकाशन निःशुल्क हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

1-5 fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dk ctV vkSj foÙk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आयोग की ''आयोग अनुदान की निधि'' नामक अपनी एक निधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली समस्त राशि अनुदान आयोग की समस्त प्राप्तियाँ, इस निधि में अंतरित की जाएँगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियाँ इसी निधि से की जाएँगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, अनुदान आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर–योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एव संवितरित कर सकता है, ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्रक के स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2010–2011 के लिए बजट विवरण तालिका 1.1 में दी गई है।

rkfydk 1-1 ¼o"kZ 2010&2011 dk fy, ctV ¼djksM+ #0 esa½

Ø- l0	ctV 'kh"kZ	;kstukxr		fodkl xSj&;kstukxr vkoVu	
		c0vu0	l0vu0	c0vu0	l0vu0
1.	सामान्य	4390.00	4176.80	3450.86	3903.59
2.	**dqy**	**4390-00**	**4176-80**	**3450-86**	**3903-59**

वर्ष 2010–2011 के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदानों और विश्वविद्यालयों को जारी किए गये अनुदानों को ब्यौरा, तालिका 1.2, 1.3 और 1.4 में दिया गया है।

rkfydk 1-2 % o"k 2010&2011 d nkjku ÁkIr ;ktukxr vkj xj&;ktukxr ¼lkeU;½ vunku

¼ djkM #0 e½

Ø-l0	e=ky;)kjk ÁkIr vunku	;ktukxr	xj&;ktukxr
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	4315.80	3903.59
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	144.00	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	60.68	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	29.98	0.00
	dy	**4550.46**	**3903.59**

rkfydk 1-3 % o"k 2010&2011 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd, x, vunku

¼djkM #0 e½

Ø-l-	lLFkkvk d idkj	;ktukxr vunku ifr'kr	dy& ;ktukxr vunku dk
1.	राज्य विश्वविद्यालय	832.45	18.95
2.	राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	320.76	7.30
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1974.56	44.96
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	62.89	1.43
5.	अंर्तविश्वविद्यालय केन्द्र	137.65	3.13
6.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	99.63	2.27
7.	विविध/विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	30.00	0.68
8.	क्षेत्रीय केन्द्र	933.16	21.26
9.	स्थापना	0.67	0.02
	dy ¼;ktukxr½	**4391-77**	

rkfydk 1-4 o"k 2010&2011 d nkjku lLFkuk dk fd, x, xj&;ktukxr vunku

¼djkM :l;s e½

Ø-l-	lLFkkvk d idkj	xj&;ktukxr vunku	dy xj&;ktukxr vunku dk ifr'kr
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण हेतु अनुदान : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू0सी0एम0एस0 63.26 सहित)	2614.93	67.10
	(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी.एच.यू. के महाविद्यालय	953.30	24.46
	(ग) सम विश्वविद्यालय संस्थाएँ	204.24	5.24

2.	राज्य विश्वविद्यालय	15.03	0.39
3.	अंतरविश्वविद्यालय संस्थान / केन्द्र	49.41	1.27
4	राज्य महाविद्यालय	2.36	0.06
5.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	49.76	1.28
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.77	0.20
	dy	**3896.80**	

1-6 dUnh; rFkk le fo'ofo|ky;k d fy, l;Dr lox lehkk lfefr ¼t-lh-vkj-lh-½

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति जे.सी.आर.सी. का गठन किया–इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम–विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में गैर–शिक्षकों के लिए एक समान स्टाफ़ पैटर्न पर विचार किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्देश्य एक सम्पूर्ण विस्तारित सेवा शर्तो के ढाँचे को गैर शिक्षक स्टाफ़ (ग्रुप क,ख,ग, और घ) के लिए सिफारिश करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालयों को अपने नियम / अध्यादेशों / समझौता ज्ञापन / उपनियम आदि द्वारा स्थापित संशोधन करने का आग्रह किया जाएँगा, ताकि सेवा शर्तों को सम्मिलित किया जा सके।

संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इन संस्थानों में विश्वविद्यालय की पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कई पदों के पदनाम और वेतनमान के औचित्य हेतु सिफारिशें करने के लिए और जहाँ संभव हो अनावश्यक पदों को पहचानने और गैर शिक्षक कर्मचारियों, (ग्रुप–क,ख,ग,घ) के वेतनमानों के विद्यमान विसंगतियों / कमियों का समाधान करने के लिए, 24 सामान्य संवर्ग संरचनाएँ विकसित की हैं।

संस्थानों में वेतनमानों के विषय में जो विभेद विद्वमान है। उनकों दूर करने के लिए जो उपाय किए जाने है उनके विषय में मा0स0वि0म0 द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को कडाई से पालन करने के लिए समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों को प्रषित कर दिया गया है।

भावी में ली जाने वाली कार्य योजना के रूप में, विशेषज्ञों को उप–वर्गों का गठन किया गया है जिनके द्वारा उन सामान्य संवर्गों के गठन पर आलोचनात्मक परीक्षण जिनको जे सी आर द्वारा विकसित किया गया तथा उन उप–वर्गों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों कें लिए विस्तृत सेवा शर्तों को बनाना जैसे कि पदों पर भर्ती नियम, निष्पादन किये जाने वाले कर्त्तव्यों का स्वरूप, प्रोन्नति की क्या संभावनाएँ / मार्ग जो कि उन पदों में अन्तनिर्हित हैं। इस प्रकार जो उप–वर्गों द्वारा तैयार की गई रिर्पोटें है उनका जेसीआरसी द्वारा और आगे भी अंतिम रूप तैयार करने हेतु विचार किया जायेगा।

जेसीआरसी ने जून, 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी जिसमें समिति ने विश्वव्यापी प्रणाली में तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जहां कहीं सभव हो परणिामों तथा वेतनमानों के यौक्तिकरण हेतु संवर्ग ढांचों के लिए 24 अस्थायी सेवाओं का विकास किया ।

t lhvkj lh dh vfre fjikV ekuo lk/ku fodkl e=ky; dk vk;kx d vueknu k'pkr iLrr dh xbZ gA

1. ग्रंथालय सेवा संवर्ग के संबंध में रिपोर्ट को दिनांक 18.1.2008 के पत्रांक सं0 एफ.23–1 / 2005 (जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ।

2. निम्नलिखित 15 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों पर रिपोर्ट को 12–01–08 को पत्रांक सं0 एफ. 6–7/97 के माध्यम से भेजा गया था :

(i) प्रशासन/लिपिकवर्गीय सेवाएँ

(ii) सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ

(iii) परिवहन सेवाएँ

(iv) अतिथिशाला/होटल/कैन्टीन सेवाएँ

(v) स्कूल अध्यापक

(vi) सुरक्षा सेवाएँ

(vii) स्वच्छता संबंधी सेवाएँ

(viii) राजभाषा प्रकोष्ठ

(ix) फोटोग्राफ/छायाप्रति संबंधी सेवाएँ

(x) संगीत सेवाएँ

(xi) क्रीड़ाएँ/खेल सेवाएँ

(xii) उद्यान /बागवानी सेवाएँ

(xiii) कृषि/पशु चिकित्सा सेवाएँ

(xiv) धार्मिक सेवाएँ

(xv) शोध/सांख्यिकी सेवाएँ

3. निम्नलिखित 8 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों पर रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को दिनांक 23.09.2010 को पत्र संख्या एफ.6–7/97(सी.यू./जे.सी.आर.सी.) के माध्यम से भेज दी गयी है।

(i) प्रेस एवं प्रकाशन सेवाएँ

(ii) संग्रहालय एवं अभिलेखागार सेवाएँ

(iii) तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएँ

(iv) अभियांत्रिकी सेवाएँ

(v) कार्यशाला सेवाएँ

(vi) विश्वविद्यालय विज्ञान एवं यंत्र केन्द्र

(vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ

(viii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) सेवा

यह रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के विचाराधीन है।

dUnz }kjk foÙkiksf"kr lLFkkvks esa ,0lh0ih0 ;kstuk dk dk;kZUo;u

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए0सी0पी0 स्कीम क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए एक समिति बना दी है। इस उद्देश्य से प्रत्येक संस्था को अपने

व्यक्तिगत मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में भरकर समिति के विचारार्थ रखने हेतु भेजने हैं। उक्त समिति डी0ओ0पी0टी0 ए0सी0पी0 योजना दिशानिर्देश के प्रकाश में मूल्यांकन कर दो पहलुओं पर संस्तुति देती है (क) प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 के अनुसार जैसा भी हो अर्ह वेतनमान (ख) अर्हता का दिनाँक/समिति की संस्तुति वि0अ0आ0 द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को ए0सी0पी0 योजना के तहत डी0ओ0पी0टी0 द्वारा बनाई गई सभी शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु प्रेषित कर दी जाती है।

ए0सी0पी0 पर समिति के विचारों, संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में समिति द्वारा विचार किए गए विषयों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/यू0जी0सी0 अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को 9.08.1999 की ए0सी0पी0 योजना के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश बना रहा है। दिशानिर्देश शीघ्र ही विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रेषित किए जायेंगें।

यह भी निर्णय लिया गया कि अब इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ए0सी0पी0 प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय 9.08.1999 डी0ओ0पी0टी0 को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यू0जी0सी0 दिशानिर्देश के अनुसार क्रियान्वित कर सकते हैं। मा.सं.वि.मं. से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, यूजीसी द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली के महाविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों को एमएसीपीएस का विस्तार देने के संबंध में दिनांक 09.07.2010 के पत्र के माध्यम से अनुमोदन दिए जाने की जानकारी प्रदान की ।

1-7 fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dh ubZ igy

- **m|ferk vkSj Kku vk/kkfjr m|eo`fÙk dk lao/kZu %**

उद्यम वृति तथा ज्ञान आधारित उद्यम के संवर्धन के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक सक्रिय समर्थनकारी भूमिका अदा करनी होगी। इस विषय में यू.जी.सी. में नेशनल साईंस एण्ड टक्नॉलोजी एन्टप्रयोन्योशीप डवलपमेंट बोर्ड (एन.एस.पी.टी.ई.डी.बी.) के साथ सहभागिता की है जो कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग(डी.एस.टी.) के अधीनस्थ है। ताकि सरकार कि देश में उद्यम, प्रोद्यौगिकी व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन एवं ज्ञान संसाधित करने वाले स्थलों का संवर्धन कर सके।

इस पहल के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्यमवृत्ति कौशल वाले छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न करेगा और क्षमता का निर्माण करेगा। तथा व्यावस्थित संस्थागत समर्थन द्वारा अग्र तथा पश्च अनुबंधन प्रदान करेगा और उनकी आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यमों में परिवर्तित करेगा। जागरुकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम को ''हब'' और ''स्पोक'' मॉडल के माध्यम से किया जायेगा जिसमें विद्यमान उद्यमवृत्ति विकास प्रकोष्ठ (ई.डी.सी.) और उद्यमवृत्ति से संबंधित अन्य संस्थाएँ, सारे देश में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की कुछ नेटवर्क संस्थाओं से जुडी होगी। इसके अधीन, अन्य गतिविधियाँ—सामग्री विकास अधिगम, संकाय प्रशिक्षण तथा विकास, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान करना, जागरूकता कैम्पों के आयोजन आदि करने होंगे जो कि उद्यमवृत्ति पर केन्द्रित होंगे। इस उपागम के द्वारा पर्याप्त संख्या में संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डी.एस.टी. को त्वरित आधार पर ई.डी.सी. स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ''बिजनैस प्रोसेस आउटसोर्सिंग'' (बी.पी.ओ.) के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के घटक के साथ ''ई.डी.सी.'' का नया मॉडल, ''नैसकॉम'' के साथ साझेदारी और ''डी.एस.टी.'' के साथ संयुक्त रूप से समर्पित किया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में नए प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास केन्द्रों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों (स्टेप्स) को भी स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। ''ई—कंटेक्ट'' विकास के क्षेत्र में विशाल व्यवसाय अवसरों को देखते हुए,

इस क्षेत्र में ''कटैंन्ट–विकास उद्योग केन्द्र'' स्थापित करने का प्रस्ताव है। उच्च अधिगम की संस्थाओं के माध्यम से उद्यमवृत्ति का संवर्धन करना ही एक ऐसा उपाय है जिससे, पहले ही से तंग, ''जॉब मार्किट'' पर दबाव कम किया जा सकता है और इस देश में बड़ी जनसंख्या के लिए नए अवसर पैदा किये जा सकते हैं।

1-8 o"k dh e[; fo'k"krk,

• ;¨tukxr ctV

भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के लिए कुल परिव्यय 46,449 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है। इसमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 2007–08 के लिए 1805.10 करोड़ रूपए और वर्ष 2008–09 के लिए 3165.95 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2009–10 के लिए मंत्रालय से 3676.93 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2010–11 के लिए मंत्रालय से 4315.80 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। 4315.80 करोड़ रूपए की राशि 3676.93 करोड़ रूपए में पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों हेतु 346.91 करोड़ रूपए, मानित विश्वविद्यालयों हेतु 86.00 करोड़ रूपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य योजनाओं के लिए शामिल हैं।

• dyifr;k dk lEeyu

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षाकी पहुंच, समता और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 11वीं योजना अवधि के दौरान की गई पहलों की जानकारी लेने के समग्र उद्देश्य, विकास संबंधी बाधाओं की पहचान करने तथा 12वीं योजना के दौरान योजनागत आयोजना, और विकास संबंधी हस्तक्षेप हेतु सिफारिशें करने के लिए नई दिल्ली, विज्ञान भवन में 25–26 मार्च 2011 को केन्द्र और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के दो दिन के सम्मेलन का आयोजन किया गया था । सम्मेलन के विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य थेः–

(एक) 12वीं योजना अवधि हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विकास मुद्दों, चुनौतियों तथा सुधार कार्यक्रमों की पहचान करना; और

(दो) योजनागत आयोजना हेतु जानकारी प्रदान करना तथा रूपरेखा प्रक्रिया को 12वीं योजनावधि में ले जाना ।

• jfM;k/kehZ rFkk vU; tkf[kei.k lkexh@jlk;uk dh [kjhn] HkMkj.k] mi;kx vkj mud fuiVku gr fn'kkfun'k

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने 27.09.2011 को हुई अपनी बैठक में रेडियोधर्मी तथा अन्य जोखिमपूर्ण सामग्री/रसायनों की खरीद, भंडारण, उपयोग और उनके निपटान हेतु दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया ।

दिशानिर्देशों को अनुपालन हेतु 7 जनवरी, 2011 को सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया था ।

• fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx }kjk xfBr egRoi.k lfefr;k

Øe l-	lfefr	lHkkifr
1.	प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु पशुओं के विश्लेषण पर रोक	प्रो. रंगनाथ
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 72 के अंतर्गत डिग्रियों का विशिष्किरण	प्रो. फुरकान कमर
3.	घरेलू भाषाओं को प्रोत्साहन	डा. कपिला वात्स्यायन

4.	पुरालेखशास्त्र का पुनरूद्धार	डा. कपिला वात्स्यायन
5.	विधि शिक्षा का पुनर्गठन – विभिन्न विषयों हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जाना	प्रो. जोस वर्गीस
6.	विश्वविद्यालय प्रणाली में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम लागू किया जाना	प्रो. जानकी बी. अंधारिया
7.	कालेज संकाय के क्षमता निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	प्रो. दीपक पेंटल
8.	साहित्यिक चोरी पर प्रतिबंध संबंधी समिति	प्रो. वाई.के. अलघ
9.	मूलभूत वित्त पोषण हेतु मानदंड/नियम	प्रो.एस.पी. त्यागराजन
10.	अनुसंधान वित्त पोषण/अनुसंधान उत्कृष्टता	प्रो. दीपक पेंटल
11.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में गुणवत्ता युक्त कौशल और संकाय की पहचान करना (पुनर्गठित)	प्रो. जी. के.चढ्ढा (प्रतिस्थापित) प्रो. एस.पी. त्यागराजन
12.	वित्तीय विपणन प्रबंधन में पाठ्यक्रम	प्रो. फुरकान कमर
13.	नियमित/दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से एक साथ दो डिग्रियां/पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना	प्रो. आर. टकवाले (पुनर्गठित)
14.	अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास केन्द्र (सीआरईईडी) हेतु कार्यबल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष
15.	निशक्त व्यक्तियों संबंधी समिति	प्रो. एम असलम
16.	एलएलएम कार्यक्रम के पुनर्गठन संबंधी समिति	प्रो. एन.आर. माधव मेनन
17.	राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और अध्ययन परिषद संबंधी समिति	एयर कमोडोर जसजीत सिंह (सेवानिवृत्त)

• 2010&11 d nkjku vk;kx d fu.k;] vuqeknu] vuq leFkZu vkj ldYi

- इस बात पर विचार किया कि 12ख का दर्जा प्राप्त स्व–वित्त पोषण करने वाले कालेज नौवीं योजना तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सभी प्रकार के अनुदान प्राप्त कर रहे थे तथा निधियों के अभाव के कारण दसवीं योजना में ऐसे कालेजों के अनुदानों पर रोक लगा दी गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–
    - 12ख के अंतर्गत सम्मिलित सरकारी कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करते रहेंगे।
    - 12ख के अंतर्गत सम्मिलित और राज्य सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त कर रहे सभी निजी कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करते रहेंगे ।
    - आंशिक रूप से स्व–वित्तपोषण करने वाले निजी कालेज अर्थात वे कालेज जो कि वेतन प्रयोजन हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त न कर रहे हों परंतु, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी स्रोत से किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें, 12ख दर्जा प्रदान किया जा सकता है यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जा सकता है ।

- पूर्ण रूप से स्व–वित्तपोषण करने वाले निजी कालेजों को 12ख का दर्जा प्रदान किया जा सकता है यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं ताकि यदि वे निधियों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं तो भी वे अन्य स्रोतों से केन्द्र सरकार के अनुदान प्राप्त करने के पात्र बन सकें।

- स्व–वित्त पोषण करने वाले विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं आरंभ करने के मुद्दे को पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है और यह निर्णय लिया गया कि मामले पर मंत्रालय में अनुवर्ती कार्यवाही की जाए।

- यह निर्णय लिया गया कि विशेष मामलों में एनईटी/एसईटी से छूट के मुद्दे पर महाराष्ट्र में विभिन्न न्यायालयों/उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

- विनियमन, 2010 जारी होने की तिथि से कॅरियर प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु शिक्षकों/सहायक पंजीयकों/सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/कालेज पुस्तकालयाध्यक्ष/उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा कालेज निदेशक के संबंध में प्रबोधन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की तिथि को 30.6.2009 से आगे बढ़ाने के मुद्दे को अनुमोदित किया ।

- विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन, 2010 तथा उच्चतर शिक्षामें मानकों के अनुरक्षण हेतु अन्य उपायों का अनुमोदन किया और यह निर्णय लिया कि उन्हें राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजा जाए ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के इस निर्णय का अनुमोदन किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु उपयुक्त घोषित किए जाने के पश्चात् वि.अ.आ. अनुदान प्राप्त कर रहे ऐसे कालेज, वि.अ.आ. की धारा 12ख के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न किए गए किसी विश्वविद्यालय को उनकी मान्यता अन्तरित किए जाने के बाद भी वि.अ.आ. से सहायता प्राप्त करते रहेंगे ।

- यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कालेज जिन्हें वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल किया गया है, को ऐसे कारण जो कि उनके नियंत्रण के बाहर हैं तथा जो उन्होंने स्वयं पैदा नहीं किए हैं, के लिए अनुदान से वंचित न किया जाए तथा ऐसे सभी कालेज जो कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और स्व–वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं, को वि.अ.आ., विकास संबंधी अनुदान प्रदान करता रहे । संबंधित दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाएं ।

- आयोग ने वि.अ.आ. की प्रयोजनीयता संबंधी मामले (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कॅरियर प्रोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता–तीसरा संशोधन) विनियमन, 2009 और वि.अ.आ. (विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षामें मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय) विनियमन, 2010 की जांच की तथा निम्नलिखित संकल्प लिया:–

  - वि.अ.आ. (विश्वविद्यालयों और उनसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कॅरियर प्रोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता–तीसरा संशोधन) विनियमन, 2009 11 जुलाई, 2009 से प्रभावी हो गए हैं ।

- वि.अ.आ. (विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय) विनियमन, 2010, 30 जून, 2010 को प्रभावी हो गए हैं।
- आयोग ने यह संकल्प भी लिया कि चूंकि दोनों विनियमन भविष्यलक्षी हैं और भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होने हैं, अतः 10 जुलाई, 2009 को या उससे पहले एम.फिल. की डिग्री प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से एनईटी की परीक्षा पास करने की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2009 को या उससे पहले पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10 जुलाई, 2009 को या उससे पहले स्वयं को पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत कर लिया था और जिन्हें तत्पश्चात् पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई, को लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु एनईटी परीक्षा पास करने की शर्त से छूट प्रदान की जाएगी ।
- चूंकि वि.अ.आ. के परंतुक (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कॅरियर प्रोन्नति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता–तीसरा संशोधन) विनियमन, 2000, वि.अ.आ. (विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय) विनियमन, 2010, को अधिसूचित करने से पहले प्रभावी था, अतः, वि.अ.आ. को एनईटी की शर्त से छूट की मांग करते हुए प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाए और मौजूदा नियमों/विनियमों के अनुसार उनका निपटान किया जाए।
- आयोग ने यह निर्णय भी लिया कि इसे वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के अंतर्गत जारी 30 मार्च 2010 के पूर्व आदेश सं. एफ 5–4/2005–यू. (क) के दृष्टिगत सहमति हेतु भारत सरकार के पास भेजा जाए ।

• यह संकल्प लिया गया कि सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों, मानद विश्वविद्यालयों को यह जानकारी देते हुए एक परिपत्र/अधिसूचना जारी की जाए कि उन्हें एनईटी परीक्षा पास करने हेतु दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे या उन्हें शिक्षक के पद पर बने रहने के पात्र बनने के लिए अधिकतम एक वर्ष का समय दिया जाएगा ।

• मानद विश्वविद्यालयों और निजी राज्य विश्वविद्यालयों को 12ख दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया किः–

- जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है यदि सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें 12ख का दर्जा प्रदान किया जाए । वे वर्तमान स्थिति के अनुसार वि.अ.आ. से अनुदान प्राप्त करते रहेंगे ।
- सरकार से वेतन और रख–रखाव अनुदान प्राप्त कर रहे राज्य निजी विश्वविद्यालय को 12ख दर्जा प्रदान किया जाए यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं । वे वि.अ.आ. से अनुदान प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
- राज्य निजी विश्वविद्यालय जो कि सरकार से कोई वेतन या रख–रखाव अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं परंतु, राज्य सरकार या केन्द सरकार के किसी स्रोत से किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, को 12ख दर्जा प्रदान किया जाए यदि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन उन्हें वि.अ.आ. से वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुद्दे पर विचार किया जाए।

- राज्य के वे निजी विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार के किसी स्रोत से किसी उद्देश्य हेतु कोई अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 12बी दर्जा दिया जा सकता है यदि वे पात्रता के मानदंड को पूरा करते हों । तथापि, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- मानित विश्वविद्यालय जो वेतन और अनुरक्षण अनुदान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 12बी का दर्जा दिया जा सकता है यदि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र भी होंगे ।
- मानित विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी सरकारी स्रोत से वेतन एवं अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 12बी का दर्जा दिया जा सकता है यदि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों ।
- स्ववित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय जो वेतन और अनुरक्षण अनुदान के रूप में राज्य या केन्द्र सरकार से आंशिक रूप से वित्त पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें 12बी दर्जा दिया जा सकता है यदि वे पात्रता मानदंड पूरा करते हों । उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों ।
- स्ववित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय जो वेतन या अनुरक्षण अनुदान सरकार से नहीं प्राप्त कर रहे हैं लेकिन किसी अन्य उद्देश्य हेतु कुछ अनुदान राज्य या केन्द्र सरकार से प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 12बी का दर्जा दिया जा सकता है, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विचार किया जा सकता है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों ।
- स्ववित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय जो राज्य या केन्द्र सरकार से किसी उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त नही कर रहे हैं उन्हें 12(ख) का दर्जा दिया जा सकता है यदि वे पात्रता/मानदंड को पूरा करते हों । तथापि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।
- सभी मानित विश्वविद्यालय, चाहे सरकारी या निजी, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुदान प्राप्त करते रहेंगे ।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि उक्त निर्णय को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक मंत्रालय इसे वित्तीय दृष्टिकोण से अनुमति प्रदान नहीं कर दे । तदनुसार, आयोग ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर विचार करने तथा सिफारिशें करने, जिन्हें आयोग के समक्षा रखा जा सके, आयोग के कुछ सदस्यों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से युक्त एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए।

• आयोग ने अकादमी स्टॉफ कॉलेज (एएससी) में XI योजना पदों के XII योजना में योजना से गैर–योजना में विलयन के मुद्दे पर निम्नलिखित निर्णय लिए:

- मौजूदा योजना अवधि की समाप्ति के बाद राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को एएससी को स्वीकृत पदों की जिम्मेदारी लेने के लिए राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने हेतु एक पत्र भेजा जाएगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी सभी राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करते हुए पत्र लिख सकता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग XII योजना में भी योजना के अधीन स्वीकृत पदों को सहयोग देना तब तक जारी रखेगा जब तक संबंधित राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी न ले ली जाए ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के एएससी में स्वीकृत पदों को सहयोग देना जारी रखेगा ।
- सभी एएससी के कार्यकरण की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा समीक्षा की जा सकती है ।

- विसंगति समिति की दूसरी बैठक की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई तथा निम्नलिखित सुझावों पर सहमति बनी:
  - वे सभी व्यक्ति जो 11 जुलाई, 2009 से पहले पी.एच.डी. डिग्री के लिए प्रवेश लिए थे, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट प्राप्त कर सकेंगे यदि वे यूजीसी स्टैंडिंग कमेटी ऑन पीएचडी रेगुलेशन्स, 2009 द्वारा यथानिर्धारित यूजीसी (मिनिमम स्टैंडड्र्स एण्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड्स ऑफ एम.फिल/पीएचडी डिग्री) रेगुलेशन्स, 2009 में निर्धारित पीएचडी के प्रवेश हेतु विहित मानदंड 10 में से 6 प्राप्त करने की अनिवार्यता को पूरा करते हों । दिनांक 27 अगस्त, 2009 के पत्रांक 1–1/2002 (पीएस)/पीटी–एफ–।।। द्वारा प्रेषित आयोग की सिफारिश के अनुसार इन मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा ।
  - वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीएचडी डिग्री विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट के पात्र होंगे बशर्ते उनका पीएचडी शोध प्रबंध उच्च अकादमी गुणवत्ता एवं उच्च स्तर का हो । इस प्रकार के पीएचडी शोध प्रबंध की गुणवत्ता एवं स्तर का निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालयों की जांच समिति/चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।
- तय किया गया कि विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमी स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता संबंधी यूजीसी विनियमन तथा उच्च शिक्षास्तर रखरखाव के उपाय 2010 के कार्यान्वयन की तिथि 30 जून 2010 होगी ।
- तय किया गया कि संस्थाओं के मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने से संबंधित सभी प्रस्ताव पर कार्यवाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम 2010 के अनुसार की जाएगी ।
- तय किया गया कि अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं कालेजों के लिए रेडियोधर्मी एवं अन्य खतरनाक सामग्रियों/रसायनों की खरीद, भंडारण एवं प्रयोग और निपटान संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु अधिकृत किया गया था । वह ऐसा विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद कर सकेगा ।
- महिला अध्ययन संबंधी स्थायी समिति के महिला अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी स्नातकोत्तर उपाधिधारकों को महिला अध्ययन में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा में बैठक की अनुमति प्रदान करने के अनुरोध को मंजूरी दी गई ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 12वीं योजना से संबद्ध विषयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित शोध अध्ययन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन । आयोग ने नोट करते हुए कि ये अध्ययन XII योजना रणनीतियों की तैयारी हेतु आधार का कार्य करेंगे । यह तय किया गया कि इन रिपोर्टों को अध्ययन पूरे हो जाने के बाद आयोग के समक्ष रखा जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि इन रिपोर्टों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के

प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित किया जाए जो नेशनल डिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा तथा जिसका उपयोग विभिन्न मंत्रालयों, शोध प्रबंधों एवं जनता द्वारा व्यापक रूप से किया जा सकेगा ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा आठ नए विश्वविद्यालयों को अनुदान आयोग–राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के केन्द्र बनाने के बारे में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन ।

(एक) डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़, असम,

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर, असम (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर, असम (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(चार) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक, सिक्किम (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(पांच) पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब,

(छह) महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा

(सात) महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, मैसूर, कर्नाटक

- यह तय किया गया कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों के मामलों में विभिन्न परिषदों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानदंडों के बीच कोई असंगति नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष यूजीसी (एफिलिएशन ऑफ कालेज बाई यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन, 2009 में संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले अन्य सांविधिक परिषद्ों के साथ परामर्शदात्री बैठक कर सकता है।

- विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगों हेतु प्राणियों की चीर–फाड़ को बंद करने के मुद्दे की जांच पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई तथा यह तय किया गया कि इस रिपोर्ट को लागू करने हेतु समिति के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

- यह तय किया गया कि प्रो. त्यागराजन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें उन विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है जो पीएचडी डिग्री यूजीसी (मिनिमम स्टैंडर्ड्स एण्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एम.फिल/पीएचडी डिग्री) रेगुलशन्स, 2009 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रदान करते हैं, को आयोग के समक्ष इन विश्वविद्यालयों की पहचान के लिए समिति द्वारा स्वीकृत मानदंडों के साथ रखा जाए ।

- यह तय किया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में उच्च अनुपात अर्थात: 1:1:30 बनाये रखने का औचित्य, समिति से पूछा जाए ।

- गुरूनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में ''सेन्टर ऑन स्टॅडीज इन श्री गुरू ग्रन्थ साहिब'' का इस शर्त के साथ कि शैक्षिक संस्थापना पर आने वाला व्यय योजना अनुदान से पूरा किया जाए, के मुद्दे को मंजूरी दी गई तथा इस केन्द्र की वित्तीय आवश्यकता को भी मंजूरी दी गई।

- स्नातकोत्तर अकादमी सत्र 2010–11 की योजना हेतु संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई तथा यह तय किया गया कि इस योजना को निजी, मानित एवं राज्य निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराया जाए जब तक इन विश्वविद्यालयों के लाभप्राप्तकर्ता अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत इन विश्वविद्यालयों के वित्तपोशण के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाए।

- यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 का अनुपालन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के बारे में भी किया जाए ।
- यह तय किया गया कि विधिक राय लेने तथा यूजीसी (मिनिमम स्टैंडर्ड्स एण्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एम. फिल/पीएचडी डिग्री) रेगुलशन्स 2009 के अधीन उपबंधों पर विचार करने के बाद दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से पीएचडी डिग्री देने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों के मुद्दे से संबंधित स्थिति टिप्पण समिति के समक्ष रखा जाए ।
- विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमी स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय, 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में संशोधनों को मंजूरी दी गई ।
- इंजीनियरी, मेडिकल, नर्सिंग, दन्त चिकित्सा और कृषि कालेजों को अनुदान जारी करने के मुद्दे पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:
  - इन संस्थाओं द्वारा संबंधित परिषदों से प्राप्त की जा रही वित्तीय सहायता के बारे में स्थिति टिप्पण तैयार किया जाए ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन संस्थाओं, जो संबंधित राज्य सरकारों से अनुदान सहायता प्राप्त कर रही हैं एवं स्ववित्तपोषित नहीं हैं, को कुछ योजनाओं जैसे प्रमुख/लघु अनुसंधान परियाजनाओं, यात्रा अनुदान, सेमिनार/परिसंवाद/कार्यशाला आदि के आयोजन हेतु गैर–विकास अनुदान देना जारी रख सकता है ।
- संकायों, विद्यार्थियों एवं अन्य मामलों से संबंधित मॉडल अध्यादेशों को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को परिचालित किए जाने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के निर्णय को मंजूरी दी गई ।
- इस बात के मद्देनजर कि एकल बालिका हेतु पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कालरशिप योजना से बालिकाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलती है तथा इस योजना के लोकप्रिय होने से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ गई है । इसके दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों को मंजूरी दी गई तथा इस योजना के अंतर्गत 1200 स्लॉट की अधिकतम सीमा हटाने का निर्णय लिया गया । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध निधियों से की जाए ।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों की उच्च शिक्षामें भागीदारी दर बढ़ाने के प्रति समर्पित मौजूदा योजनाओं की समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण हेतु तथा उनके डिजाइन एवं सुपुर्दगी तंत्र के संदर्भ में 12वीं योजना के दौरान नए उपाय सुझाने हेतु पांच विशेषज्ञ समितियों के गठन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही का अनुसमर्थन करना ।
- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) हेतु संस्थापना की व्यवस्था करने हेतु उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 के संबंध में कैबिनेट के लिए प्ररूप टिप्पण के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां भेजने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का अनुसमर्थन करना ।
- सहायक रजिस्ट्रार और समकक्ष पदों (जैसे दिल्ली के कालेजों आदि के मामले में सहायक वित्त अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने अर्थात् 5 प्रतिशत अंक छूट प्रदान करने के मामले को मंजूरी दी गई जैसी मांग दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा अपने उन आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए की गई थी

जो अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद पर कार्यरत हैं तथा जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि 19 सितम्बर, 1991 से पहले प्राप्ति की है ।

- ''सरकारी निजी भागीदारी'' के संबंध में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को मंजूरी प्रदान की गई तथा यह तय किया गया कि इस रिपोर्ट की एक प्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजी जाए ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ईडी, सीआईएल (इंडिया) लिमिटेड और मैसर्स प्लानेट ई–काम साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए प्रारूप समझौते को मंजूरी दी गई । 42 (बयालीस) महीने की कुल अवधि के लिए कुल परियोजना लागत रू. 58,42,325 (अट्ठावन लाख बयालीस हजार तीन सौ पच्चीस रूपये) के दिए गए ठेके को भी मंजूरी दी गई तथा यह तय किया गया कि इस समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर किए जाए तथा ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को यह अनुरोध करते हुए यह सूचना भेजी जाए कि ठेके की शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य शुरू किया जाए तथा साथ ही भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य समय से पूरा हो ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न अध्येताव त्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त व्यक्तियों को केनरा बैंक के माध्यम से अध्येतावृत्ति धनराशि का सीधे संवितरण किए जाने के मुद्दे को मंजूरी दी गई ।
- यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को निम्नलिखित नौ विधि विश्वविद्यालयों को सीधे भुगतान किया जाए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत सम्मिलित हैं लेकिन वेतन उद्देश्यों के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं:

(1) एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद,

(2) एचएन लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर

(3) गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर,

(4) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर,

(5) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल,

(6) राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटियाला,

(7) नैनीताल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर,

(8) द तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई

(9) द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता

आयोग ने यह भी तय किया कि उन विधि विश्वविद्यालयों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं, को भी एकमुश्त ''कैच–अप अनुदान'' मंजूर की जाए जैसी मंजूरी उन विश्वविद्यालयों को भी दी जा रही है, जो राज्य की देख–रेख में हैं ।

- यह तय किया गया कि ''इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु उपयुक्त घोषित किए गए हैं, को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता की धनराशि एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ रूपये कर दी जाए ।

- राज्य विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संघटक कालेजों को स्वायत्तशासी स्तर प्रदान करने की अनुमति दी जाए यदि मूलभूत विश्वविद्यालय को एनएएसी द्वारा प्रमाणन मिला है तो संघटक कॉलेज के मामले में अलग प्रमाणन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर स्वायत्तता स्वीकृति करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए। आयोग ने यह भी तय किया कि संघटक कॉलेजों को स्वायत्तता मंजूर करते समय इस योजना के अधीन दिशानिर्देशों में विहित अन्य आवश्यकताएं भी लागू होंगी ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा (एक) चुनिन्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्राचीन भाषाओं – कन्नड़ और तेलुगू के केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रविधियों को स्वीकृति प्रदान करना और (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दी गई वित्तीय सहायता की मंजूरी के बारे में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देख–रेख में मानित विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों/कार्यक्रमों हेतु अध्यापक एवं विद्यार्थी अनुपात तथा शिक्षक–गैर शिक्षण कर्मचारी अनुपात के लिए मानदंड संबंधी दिशानिर्देश को मंजूरी दी गई। यह भी तय किया गया कि एकरूपता सुनिश्चित करने तथा स्टॉफ की कमी की समस्या एवं वित्तीय कठिनाइयां, जो पूरे देश के विश्वविद्यालयों के सामने उपस्थित हैं, का समाधान करने हेतु इन मानकों को देश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू किया जाए ।

2- mPp f'k{kk i.kkyh esa fodkl % dN vkdM+s

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान–अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियमन शामिल हैं।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्च शिक्षा पद्धति में 2.1 लाख छात्रों और अध्यापकों की संख्या काफी कम थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक दर्ज तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 26 गुना वृद्धि हुई है, महाविद्यालयों की संख्या में 64 गुना वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 81 गुनी बढ़ी है। इस स्वरूप वाली वृहत वृद्धि कभी सम्भव नही हो पाती यदि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी उसी प्रकार से अभी वृद्धि नही होती – चाहे वे विश्वविद्यालय होते अथवा विशेष रूप से महाविद्यालय ही होते। संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2012 तक सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) के निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है ।

2-1 lLFkku

10वीं योजना के अन्त तक (31.03.2007) तक देश में 363 विश्वविद्यालय (20 केन्द्रीय, 229 राज्य, 109 सम विश्वविद्यालय तथा 5 संस्थान जोकि विशिष्ट राज्य अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और 21,170 महाविद्यालय थे। 11वीं योजना के चौथे वर्ष के अन्त में, (2010–2011) विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 523 तथा 43 केन्द्रीय, 130 समविश्वविद्यालय एवं 345 राज्य विश्वविद्यालय एवं 5 संस्थाओं को शामिल और महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) की संख्या बढ़कर 33023 हो गई और इस प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष की तुलना में महाविद्यालयों की संख्या में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का विषय यह है तमिलनाडु राज्य सूची में सबसे ऊपर है जहाँ पर 54 विश्वविद्यालय हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश (49), आन्ध्र प्रदेश (42) महाराष्ट्र (41) आदि हैं और **rkfydk 2-2** द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का स्वरूप अनियमित है

तथापि, राज्यों में विद्यमान महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) में जो वृद्धि हुई है वह विविधतापूर्ण है जैसा कि **ifjf'k"V&vii** द्वारा देखा जा सकता है यदि अपेक्षाकृत देखा जाएँ तथा 10वीं योजना के अन्त के सम्पूर्ण संख्याओं की तुलना में (जैसे कि 31.03.2007), उत्तर प्रदेश राज्य में 1812 महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) के साथ सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई और इसके बाद राजस्थान 1534, महाराष्ट्र 1579, तमिलनाडु 1013 आन्ध्र प्रदेश 1040 आदि है। यह भी देखा गया कि जो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या वृद्धि लगभग न्यून रही है।

वर्ष 2010–2011 के दौरान 1211 नये महाविद्यालयों को स्थापित किया गया और इस प्रकार 2010–2011 के दौरान महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) की कुल संख्या 33023 थी जिसकी तुलना में 2009–2010 में 31812 थी और इस प्रकार इसमें 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

11वीं योजना के 15 प्रतिशत निवल भर्ती अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों महाविद्यालय और अधिक संख्या में बनाये जाएँ और प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो आत्मसात् करने की क्षमता है उसमें वृद्धि की जाएँ।

वित्त वर्ष 2010–2011 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 7802 थी, जिसकी तुलना में पिछले साल यह संख्या 7802 थी। इन 7802 महाविद्यालयों में से 1385 महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

ब्यौरा निम्नवत है :

fuEu frfFk d vu|kj fLFkfr	/kkjk 2¼p½ d vUrxr egkfo|ky;k dh l[;k	/kkjk 2¼p½ ,o /kkjk 12¼[k½ d vUrxr egkfo|ky;k dh l[;k	o egkfo|ky; tk fd /kkjk 12¼[k½ d vUrxr dUnh; lgk;rk l[;k d ik= ugh g
31.03.2010	7450	6028	1422
31.03.2011	7802	6417	1385

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) एवं धारा 12(ख) के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है उनकी संख्या राज्यों के अनुसार 31.03.2011 तक निम्नवत है :–

Ø-l-	jkT;@l?kh; {k=	fuEuor d rgr egkfo|ky;k dh l[;k		dy
		2(च) एवं 12(ख)	केवल 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित [12(ख) के तहत नही]	
1	आन्ध्र प्रदेश	447	48	495
2	अरूणाचल प्रदेश	7	2	9
3	असम	215	26	241
4	बिहार	314	40	354
5	छत्तीसगढ़	142	5	147
6	गोवा	24	03	27
7	गुजरात	377	22	399
8	हरियाणा	153	5	158
9	हिमाचल प्रदेश	50	1	51
10	जम्मू और कश्मीर	67	76	143
11	झारखण्ड	93	17	110
12	कर्नाटक	529	113	642
13	केरल	231	5	236
14	मध्य प्रदेश	391	78	469
15	महाराष्ट्र	933	122	1055
16	मणिपुर	49	6	55
17	मेघालय	28	7	35

18	मिजोरम	20	4	24
19	नागालैण्ड	19	2	21
20	उड़ीसा	329	57	386
21	पंजाब	213	12	225
22	राजस्थान	214	54	268
23	सिक्किम	6	5	11
24	तमिलनाडु	303	92	395
25	त्रिपुरा	18	—	18
26	उत्तर प्रदेश	697	561	1258
27	उत्तरांचल	44	04	48
28	पश्चिम बंगाल	393	11	404
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	02	1	3
30	चण्डीगढ़	18	—	18
31	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—
32	दमन एवं द्वीव	01	—	01
33	दिल्ली	78	4	82
34	लक्षद्वीप	—	—	—
35	पाण्डिचेरी	12	02	14
	d|y	**6417**	**1385**	**7802**

वर्ष 2010–2011 के दौरान, कुल 523 विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान थे, 256 राज्य , 80 राज्य निजी, 43 केन्द्रीय, 130 समविश्वविद्यालय एवं **5** ऐसे संस्थान थे जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था – जिसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के 345 राज्य अधिनियम के अन्तर्गत तथा राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय 92 है। इनमें से 79 राज्य निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केंद्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं **¼ifjf'k"V ½ I ,oa II)**। रिपोर्टाधीन वर्ष, 2010–11 के दौरान कुल मिलाकर, 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 9 राज्य विश्वविद्यालय, 20 राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत 4 विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है। वि.अ.आ. ने वि.अ.आ. की धारा 2 (च) के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त 2007 से विश्वविद्यालयों की मान्यता पर रोक लगा दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 के दौरान जिन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया उनका विवरण निम्नलिखित है:–

vkU/kz in'k

1. ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, विशाखापत्तनम (राज्य विश्वविद्यालय)
2. डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, श्रीकाकुलम (राज्य विश्वविद्यालय)

3. सातवाहन विश्वविद्यालय, करीमनगर (राज्य विश्वविद्यालय)

NRrhlx<

4. छत्तीसगढ़ के आयुश और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय)

Xkqtjkr

5. अहमदाबाद विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (निजी विश्वविद्यालय)
6. नवरचना विश्वविद्यालय, बड़ोदरा (निजी विश्वविद्यालय)

gfj;k.kk

7. एमिटी विश्वविद्यालय, गुड़गांव (निजी विश्वविद्यालय)
8. एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गुड़गांव (निजी विश्वविद्यालय)

fgekpy izns'k

9. इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिला. ऊना (हि.प्र.) (निजी विश्वविद्यालय)
10. महर्षि मार्केन्डेश्वर विश्वविद्यालय, जिला – सोलन, (निजी विश्वविद्यालय)

dukZVd

11. अलायंस यूनिवर्सिटी, बंगलोर (निजी विश्वविद्यालय)

e/; izns'k

12. मध्य प्रदश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (राज्य विश्वविद्यालय)
13. जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, जिला गुना (निजी विश्वविद्यालय)

e?kky;

14. सीएमजे यूनिवर्सिटी, शिलाँग (निजी विश्वविद्यालय)
15. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वेस्ट गारो हिल्स (निजी विश्वविद्यालय)

mMhlk

16. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक (राज्य विश्वविद्यालय)
17. सेन्चूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, पारालखेमुंडी (निजी विश्वविद्यालय)

iatkc

18. चितकारा विश्वविद्यालय, जिला पटियाला (निजी विश्वविद्यालय)

jktLFkku

19. डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, जिला टोंक (निजी विश्वविद्यालय)

20. पैसीफिक एकेडमिक ऑफ हायर एडूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (निजी विश्वविद्यालय)

21. श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी (निजी विश्वविद्यालय)

rfeyukM|

22. अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई (राज्य विश्वविद्यालय)

mRrj in'k

23. बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ (निजी विश्वविद्यालय)

24. जीएलए यूनिवर्सिटी, मथुरा (निजी विश्वविद्यालय)

25. इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली (निजी विश्वविद्यालय)

26. आईएफटीएम यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद (निजी विश्वविद्यालय)

27. नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा (निजी विश्वविद्यालय)

if'pe cxky

28. सिद्धू–कान्हू–बिरसा विश्वविद्यालय, कोलकाता (राज्य विश्वविद्यालय)

jk"Vh; jkt/kkuh {k= fnYyh

29. साऊथ एशियन यूनिवर्सिटी, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

30. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बवाना रोड, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)।

o"k 2010&11 d nkjku fuEufyf[kr pkj fo'ofo|ky;k }kjk ;thlh vf/kfu;e 1950 dh /kkjk 12 ¼[k½ d vrxr lgk;rk iklr dju dh ?kk"k.kk dh xbl gA

1. गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर (गुजरात)

2. गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना (पंजाब)

3. दून विश्वविद्यालय, इंदिरा नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

4. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर वाले संस्थानों एवं महाविद्यालयों की उनके प्रकार–वार संख्या 31.03.2011 तक **rkfydk 2-1** में दर्शायी गयी है।

rkfydk 2-1 % 31-03-2011 dh fLFkfr d vuqlkj fo'ofo|ky;k@fo'ofo|ky; LRkj oky lLFkkuk ,o egkfo|ky;k dh mudk idkj&okj l[;k

Ø-l-	laLFkkuksa ds Lo:i	laLFkkuksa dh la[;k ¼31-03-2010 dh fLFkfr ds vuqlkj ½	laLFkkuksa dh la[;k ¼31-03-2011 dh fLFkfr ds vuqlkj ½
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	42	42
2.	राज्य विश्वविद्यालय	256	265
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	60	80
4.	राज्य विधान–सभा द्वारा स्थापित संस्थान ।	5	5
5.	सम–विश्वविद्यालय संस्थान	130	130
	dqy	**493**	**523**
7.	**dkyst**	**31812**	**33023**

ukV¼ इसमें कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा इंजीनियरिंग/तकनीकी तथा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों हैं की राज्यवार संख्या **rkfydk 2-2** में निर्दिष्ट है।

rkfydk 2-2¼ fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx }kjk lwphc) fo'ofo|ky;ksa dh jkT;okj la[;k¼ 2010&2011 ¼31 ekpZ 2011 dh fLFkfr ds vuqlkj½

Ø-l-	jkT;	fo'ofo|ky;ksa dh la[;k						tks dsUnzh; lgk;rk ds ik= ugha gSa	
		dqy	dsUnzh;	jkT; ljdkj	jkT; futh	le fo-fo	vU;*	jkT; ljdkj	jkT; futh
1.	आंध्र प्रदेश	42	3	30	–	7	2	15	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	1	–	–	1	–	–	–
3.	असम	7	2	4	1	–	–	1	1
4.	बिहार	17	1	13	–	2	1	3	–
5.	छत्तीसगढ़	14	1	10	3	–	–	6	3
6.	गोवा	1	–	1	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	29	1	17	9	2	–	6	9
8.	हरियाणा	18	1	8	4	5	–	–	4
9.	हिमाचल प्रदेश	13	1	3	9	–	–	1	9
10.	जम्मू– कश्मीर	9	2	6	–	–	1	1	–
11.	झारखण्ड	10	1	6	1	2	–	2	1

12.	कर्नाटक	35	1	18	1	15	–	6	1
13.	केरल	11	1	8	–	2	–	1	–
14.	मध्यप्रदेश	21	2	15	1	3	–	4	1
15.	महाराष्ट्र	41	1	19	–	21	–	4	–
16.	मणिपुर	2	2	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	7	7	–	6	–	–	–	6
18.	मिजोरम	2	1	–	1	–	–	–	1
19.	नागालैंड	3	1	–	2	–	–	–	2
20.	उड़ीसा	16	1	12	1	2	–	4	1
21.	पंजाब	12	1	7	2	2	–	1	2
22.	राजस्थान	39	1	14	16	8	–	7	16
23.	सिक्किम	5	1	–	4	–	–	–	4
24.	तमिलनाडु	54	2	23	–	29	–	8	–
25.	त्रिपुरा	2	1	–	1	–	–	–	1
26.	उत्तरप्रदेश	49	4	21	13	10	1	8	12
27.	उत्तरांचल	15	1	5	5	4	–	2	5
28.	पश्चिम बंगाल	21	1	19	–	1	–	9	–
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	5	5	–	12	–	3	–
30.	चंडीगढ़	2	–	1	–	1	–	–	–
31.	पाण्डिचेरी	2	1	–	–	1	–	–	–
32.	**dqy**	**523**	**43**	**265**	**80**	**130**	**5**	**92**	**79**

*अन्य :– एसे संस्थान जो कि राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हैं।

2-2 Nk=k dk ukekdu

शैक्षिक वर्ष 2010–2011 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न स्तरों पर 169.75 लाख अंनतिम छात्रों की भर्ती हुई जैसा कि तुलना में पिछले वर्ष यह भर्ती 156.35 लाख थी – इस प्रकार 8.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। छात्रों की भर्ती की जो दीर्घ स्तर की प्रवृत्ति पिछले दो दशकों मे देखने में आई है, उसे **ijf'k"V&III** में दिया गया है । इन 169.75 लाख छात्रों में से 70.49 लाख महिला छात्राएँ थीं – जो कि इस समस्त संख्या का 41.5 प्रतिशत है। वैसे भी, कुल छात्रों की भर्ती की तुलनात्मक प्रवृत्ति और महिला छात्राओं द्वारा भर्ती जो विभिन्न राज्यों में वर्ष 2010–2011 के दौरान देखी गई, वह **ijf'k"V&IV** में दर्शायी गई है। संख्या में, सम्पूर्णता के दृष्टि से देखा जाये तो, महिला छात्रों की सर्वाधिक भर्ती, उत्तर प्रदेश में (25.65 लाख), उसके बाद महाराष्ट्र (19.55 लाख), आंध्रप्रदेश (18.47 लाख), तमिलनाडु (14.82 लाख) आदि हैं।

pj.k&okj ukekadu

शैक्षिक वर्ष 2010–2011 के दौरान नामांकन स्थिति से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में स्नातक पूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों दोनों में मिलाकर, अस्थायी तौर पर उस स्तर पर 86.00 प्रतिशत छात्र नामांकित होते है। ऐसे छात्र जिन्हानें स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हुआ है, उनकी प्रतिशतता 12.00 प्रतिशत रही जबकि शोध हेतु प्रवेश प्राप्त छात्रों की प्रतिशतता बहुत ही न्यून रही अर्थात 0. 80 प्रतिशत इस प्रकार,डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से मात्र 1.00 प्रतिशत ने ही प्रवेश लिया।

उच्च शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध महाविद्यालयों में हुआ था। पूर्व–स्नातक छात्रों में से लगभग 90.00 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 71.00 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) में नामांकित किये गए जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) में थे । इसके विपरीत 83.00 प्रतिशत शोध छात्रविश्वविद्यालयों से थे। डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की संख्या, संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या से ऊपर ही थी। फिर भी, यह तथ्य, संबंद्ध महविद्यालय जहां पर उच्चतर शिक्षण की नींव रखी जा रही है, उनमें शेष प्राप्त कुछ छात्रों में से अधिकाशं के उपर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए – विशेषज्ञ रूप से सापक्षेता के रूप में छात्रों की पहुंच बनाने में, समानता गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता आदि को प्रोन्नत करने का प्रयास होना चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिशत्ता के दृष्टिकोण से छात्रों का चरणबद्ध वितरण कमोवेश पिछले एक दशक के दौरान अपरिवर्तित ही रहा है। **¼ifjf'k"V&V½**

ladk;okj ukekadu

शैक्षिक वर्ष 2010–2011 के दौरान छात्रों का अलग–अलग संकायों में नामांकन निम्न प्रकार रहा :

छात्रों के कुल नामांकन (169.75 लाख) में से 36.05 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, 18.57 प्रतिशत इसके बाद विज्ञान में 19.97 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में 72.00 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 28 प्रतिशत छात्र, कला–विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान संकायों में थे, जबकि शेष 16.74 प्रतिशत व्यवसायिक संकायों में थे, जिनमें से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद चिकित्सा (3.84 प्रतिशत) आदि पाठ्यक्रम में थी । भारत जेसे देश में जहाँ पर मुख्य व्यवसाय कृषि (0.55) प्रतिशत तथा उससे जुड़े व्यवसाय हैं–वहाँ पर कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल (0.16 प्रतिशत) और पशु पालन विज्ञान में यह नगण्य रूप में रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट संकेत मिलता है जैसा कि संकाय–वार वितरण से प्रत्यक्ष है कि व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक नामांकन का अनुपात 1:3 रहा, अतः एक उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है इसे युक्तिगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है । **(ifjf'k"V&VI½**

2-3 ladk; la[;k

शैक्षिक वर्ष 2010–2011 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों (महाविद्यालयों) में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 6.99 लाख की तुलना में 8.17 लाख थी। 8.17 लाख शिक्षकों में से 83.5 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में हैं तथा शेष 16.5 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में है **A ¼ifjf'k"V VIII ,o IX½**

प्रतिशतताओं के आधार पर वर्ष 2010–2011 के दौरान, संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालयों के आंगिक महाविद्यलयों में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार हैः

rkfydk 2-3½ f'k{kdk dh dy J.khokj l[;k ½ 2010&2011

		f'k{kdk dh dy l[;k			
Ø-l-	J.kh	lc) egkfo|ky; ¼,-lh-½	;0Vh0Mh0 @;-lh-	,-lh+;.Vh Mh-@;-lh- ¼dy½	dy l[;k dk ifr'krrk
1	सहायक प्राध्यापक/लेक्चरर	390324	56084	446408	54.64
2	वरिष्ठ लेक्चरर	86212	16001	102213	12.51
3	रीडर/सह–आचार्य/लेक्चरर(चयन ग्रेड)	137415	31268	168683	20.65
4	प्रोफेसर और उनके समकक्ष	48694	25106	73800	9.03
5	अन्य (टी./डी./टी. ए. आदि)	20142	5720	25862	3.17
	dy	**682787**	**134179**	**816966**	**100-00**

,-lh : संबद्ध महाविद्यालय

;-Vh-Mh-@;-lh: विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/विश्वविद्यालय आगिंक महाविद्यालय

Vh-@Mh- : ट्यूटर/निदर्शक

Vh-,- : अध्यापन सहायक

2-4 vul/kku mikf/k;k

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियाँ (पी0–एच0डी0) की संख्या वर्ष 2008–2009 की 13768 से घटकर वर्ष 2009–10 में 11161 हो गई और इस प्रकार 18.9 प्रतिशत कमी दर्ज की गई। वर्ष 2009–10 के दौरान प्रदत्त डिग्रियों में कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 3490 थी, उसके बाद विज्ञान का स्थान रहा, जिसमें 3742 अनुसंधान डिग्रियाँ प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त अनुसंधान डिग्रियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई अनुसंधान डिग्रियों की संख्या 65 प्रतिशत थी। व्यवसायिक संकायों में, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संकाय द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। जिसमें कुल 1007 पी.एच.डी. डिग्रियां दी गई और इसके बाद कृषि संकाय है जिसमें 573 डिग्रियां प्रदान हुई, तत्पश्चात शिक्षा संकाय है जिसमें 403 डिग्रियां प्रदान हुई इसके बाद 337 डिग्रियों के साथ चिकित्सा संकाय है । यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है 2007–08 की तुलना में वर्ष 2009–10 के दौरान कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गईं अनुसंधान डिग्रियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक में थोड़ी कमी का समान दिखाई देती है ¼ifjf'k"V&x½। अनुसंधान के संवर्धन हेतु केन्द्रीय वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

2-5 mPprj f'k{kk e efgykvk dk ukekdu e of)

उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में अभिवृद्धि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर अब तक उच्चतर शिक्षा में प्रवेश प्राप्त महिलाओं के संख्या में विशाल अभिवृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं द्वारा प्रवेश की दर जो समस्त प्रविष्ट छात्रों के 10 प्रतिशत से भी कम थी, वही शैक्षणिक वर्ष 2010–2011 के दौरान 41.5 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।

इस अभिवृद्धि की गति विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में तीव्र रही है। जैसा कि **rkfydk 2-3** में दिये गए आकड़ों से प्रकट होता है, प्रति 100 पुरूषों के मुकाबले में पंजीकृत महिलाओं की संख्या वर्ष 2009—10 में लगभग 5 गुणी है, जैसा कि वर्ष 1950—51 की तुलना में देखा जा सकता है।

rkfydk 2-3 ifr lk Nk=k ij Nk=kvk dh l[;k

o"k	dqy efgyk ukekadu ¼ifr gtkj½	ifr 100 i#"kk ij efgyk ukekadu
1950—51	40	14
2010—11	7048	71

2-6 jkT; rFkk ladk; }kjk efgyk ukekadu dk lforj.k

¼d½ efgyk ukekadu dk jkT;okj lforj.k

राज्यों द्वारा किए गए महिलाओं के नामांकन के संवितरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रतिशतता में हुई वृद्धि लगभग न्यून ही रही है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में राज्यों में इस स्थिति को वर्ष 2010—2011 के अनुसार देखा जाए। राज्यों में, 61.2 प्रतिशत के साथा गोवा महिलाओं के नामांकन में शीर्ष स्थान पर है, और जैसे कि इसके बाद केरल (56.8 प्रतिशत), मेघलाय (51.8 प्रतिशत) एवं नागालैण्ड (50.5 प्रतिशत) आदि कुल 17 ऐसे राज्य है जिनमें 41.5 प्रतिशत की राष्ट्रीय प्रतिशतता से अधिक उच्च महिला नामांकन है। शेष सभी राज्यों में नामांकित महिलाओं के केवल मात्र न्यूनतम 31.2 प्रतिशत ही दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कही कम है। सम्पूर्ण रूप से देखा जाऐ ता संख्यावार उत्तर प्रदेश राज्य ही महिला छात्राओं के नामांकन में शीर्ष पर रह है (9.8 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (8.6 लाख) आदि है (**ifjf'k"V&IV**)

¼[k½ ladk;okj efgyk ukekadu dk forj.k

वर्ष 2010—2011 के दौरान, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की संकायवार वितरण की स्थिति, निम्न प्रकार रहीः—

rkfydk 2-4& ladk;okj efgyk ukekadu 2010&2011

Ø-la-	ladk;	efgyk ukekadu*	dqy efgyk ukekadu dh izfr'krrk
1.	कला	2904596	41.21
2.	विज्ञान	1349170	19.14
3.	वाणिज्य / प्रबंध विज्ञान	1136930	16.12
4.	शिक्षा	323954	4.60
5.	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	800680	11.36
6.	आयुर्विज्ञान	330040	4.68
7.	कृषि	25180	0.36
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	6926	0.10
9.	विधि	83840	1.19
10.	अन्य	87372	1.24
	dqy tksM	**7048688**	**100-00**

* अंनतिम

तालिका 2.4 निर्दिष्ट करती है कि कला संकाय में कुल महिला नामांकन का 41.21 प्रतिशत नामांकन हुआ, जिसके बाद विज्ञान संकाय (19.14 प्रतिशत), वाणिज्य/प्रबन्धन (16.12 प्रतिशत) आादि– जो समस्त नामांकन का 76.47 प्रतिशत इन तीन गैर व्यवसायिक संकायों में है। वर्ष 2009–2010 की प्रतिशतता की तुलना में, समस्त संकायों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन नही है। शिक्षा संकाय, जिसमें प्रतिशतता वर्ष 2009–10 में 4.60 प्रतिशत थी, जिसकी तुलना में 2009–2010 में (3.70 प्रतिशत थी), इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2010–2011 के दौरान 11.36 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में 2009–2010 में 7.69 प्रतिशत थी । इसके अतिरिक्त महिला नामांकन में 10 से उपर की प्रतिशतता केवल गैर–व्यवसायिक संकायों–कला, विज्ञान, वाणिज्य/प्रबन्धन आदि में रही तथा व्यवसायिक संकायों में यह एकल अंक में ही दर्ज की गई। कृषि एवं पशु विज्ञान संकायों में महिला नामांकन नगणय ही बना रहा ।

2-7 efgyk egkfo|ky;

निम्न 2.5 तालिका से यह बात स्पष्ट देखा जा सकता है कि 11वीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 1774 महिला महाविद्यालय स्थापित हुए है – जिसकी तुलना में 10वीं योजना अवधि के अन्त तक 2208 महिला महाविद्यालय थे, तथा इस प्रकार स्थापित महिला महाविद्यालयों की संख्या में 80 प्रतिशत अभिवृद्धि हुई है।

rkfydk 2-5 % 1997&98 ls 2010&11 dk n'kd esa LFkkfir efgyk egkfo|ky;ksa dh la[;k

o"kZ	efgyk egkfo|ky;ksa dh la[;k
1997–1998	1260
1998–1999	1359
1999–2000	1503
2000–2001	1578
2001–2002	1756
2002–2003	1824
2003–2004	1871
2004–2005	1977
2005–2006	2071
2006–2007	2208
2007–2008	2360
2008–2009	2565
2009–2010	3612
2010–2011	**3982***

* अंनतिम और महिलाओं के लिए परिचर्या महाविद्यालय भी शामिल हैं।

रेखाचित्र

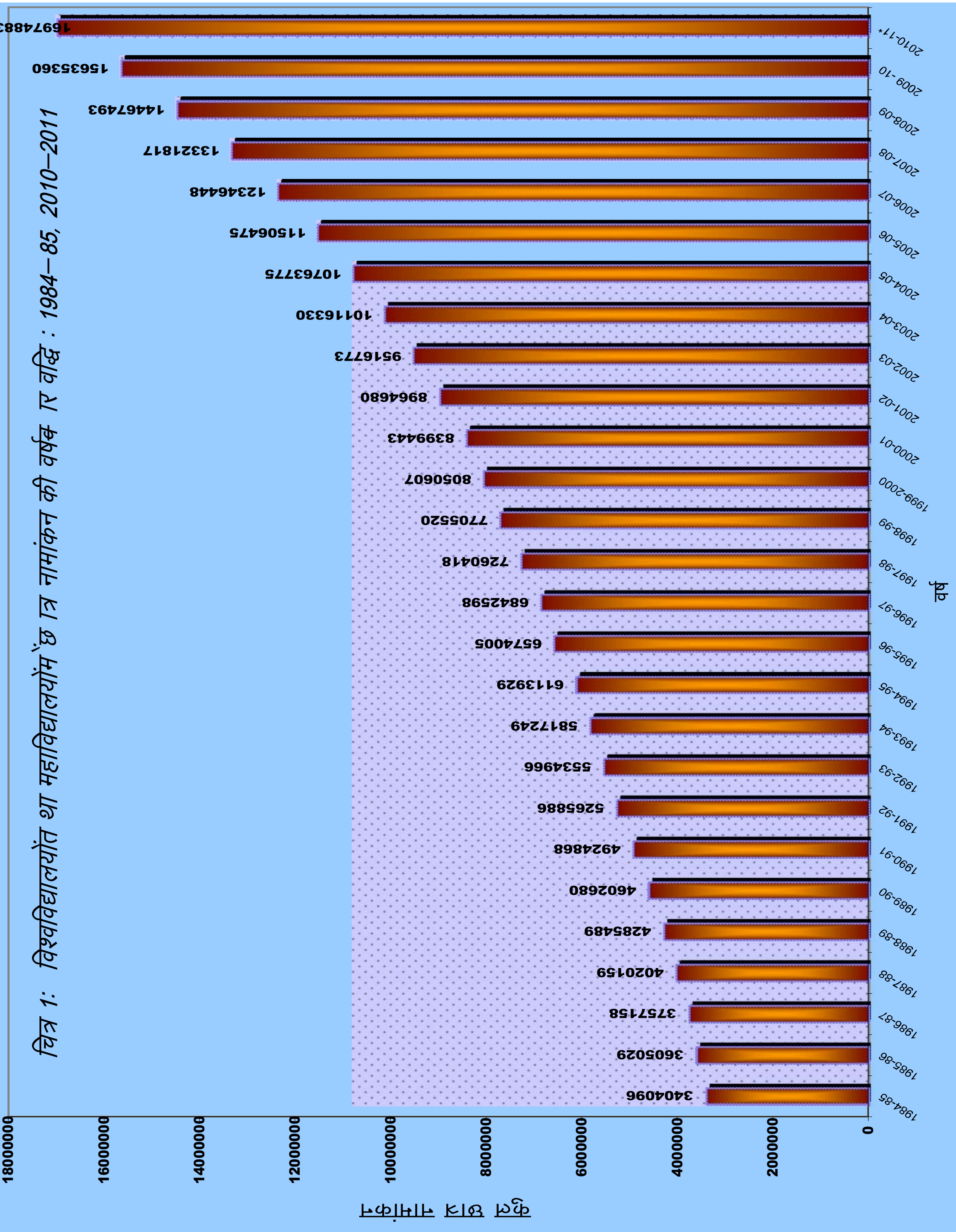

चित्र 1: विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र नामांकन की वर्षवार वृद्धि : 1984–85, 2010–2011

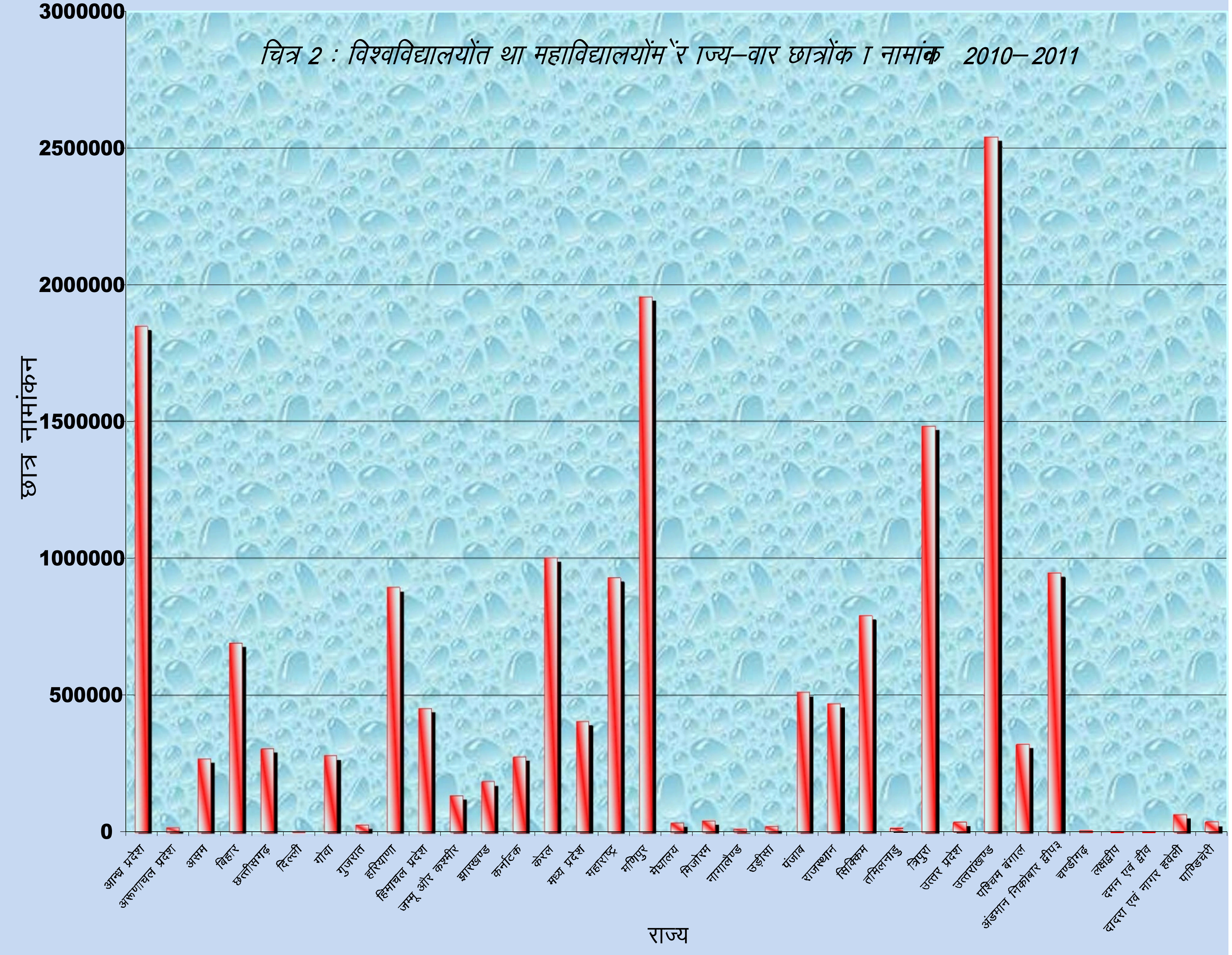

चित्र 2 : विश्वविद्यालयोंत था महाविद्यालयोंम ेंर ाज्य–वार छात्रोंक ा नामांक 2010–2011

चित्र 3 : विश्वविद्यालयोंत था महाविद्यालयोंम ें लिंग वार और राज्य वार छात्रांक । नामांक 2010–2011

चित्र 4 : स्तर–वार छात्रोंक । नामांक : विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ विश्वविद्यालय महाविद्यालय : 2010–2011

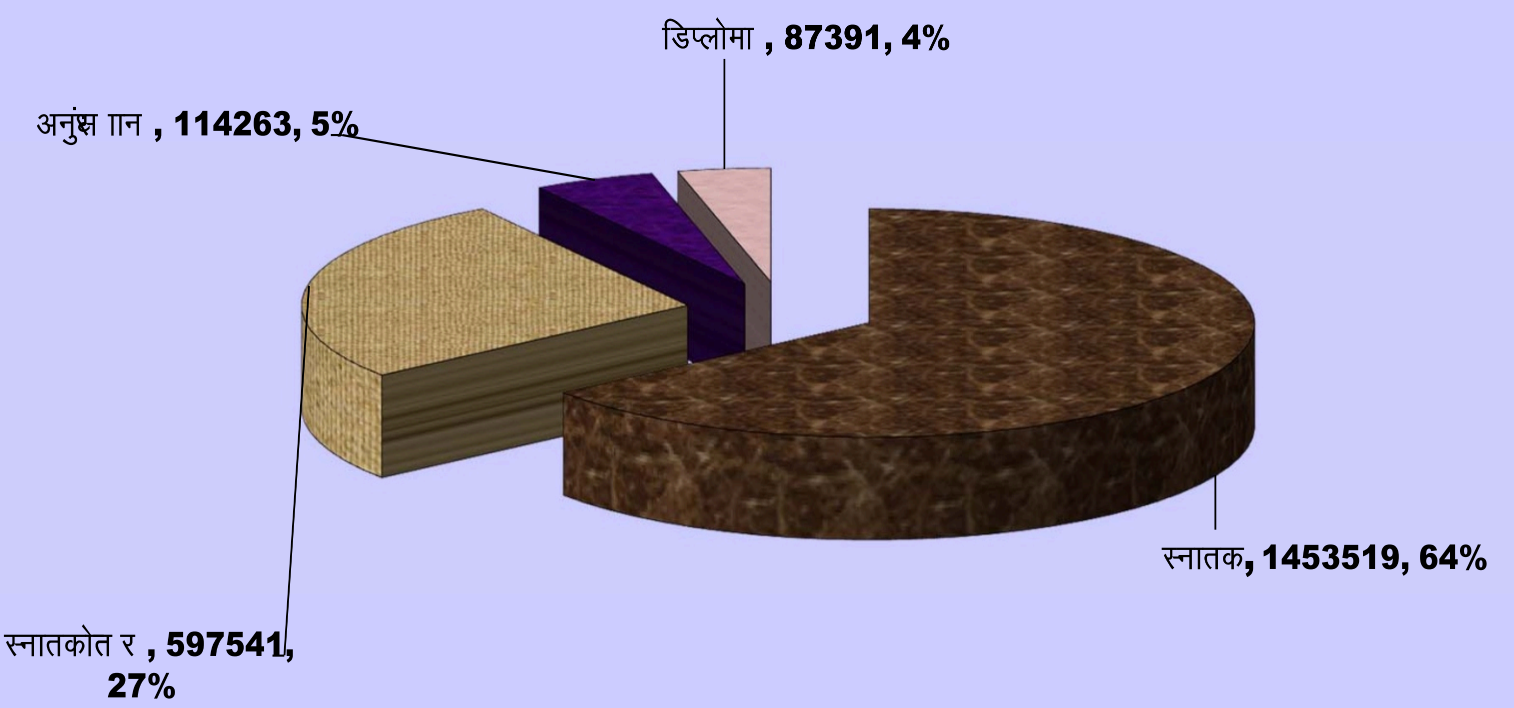

चित्र 5 : स्तर–वार छात्रांक / नामांकन : संबद्ध महाविद्यालय : 2010–2011

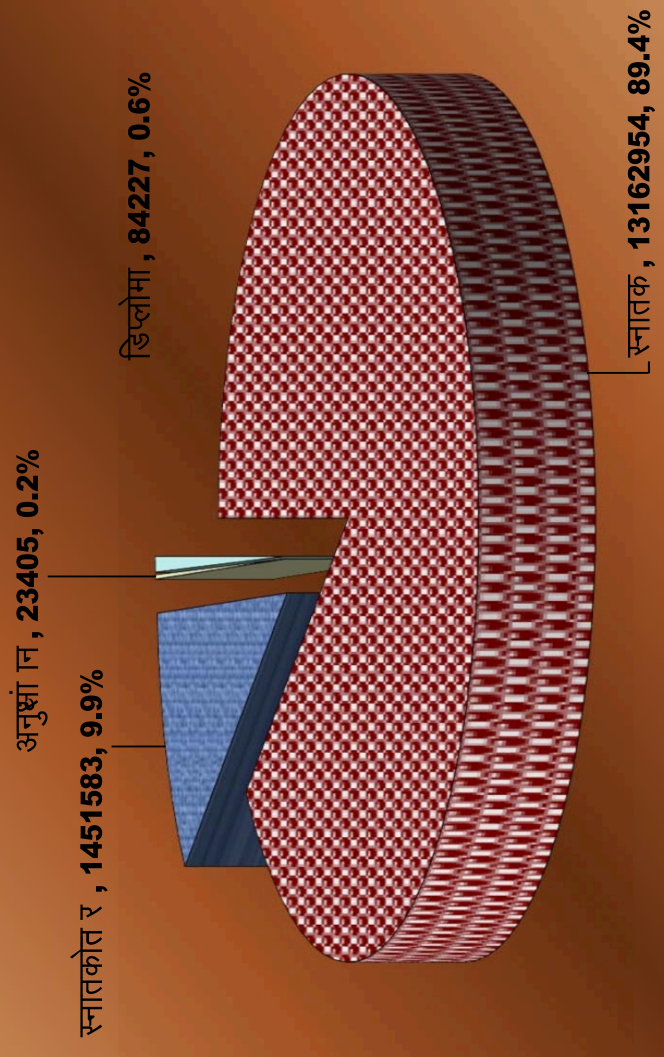

चित्र 6 : स्तर–वार छात्रोंक I नामांकन : विश्वविद्यालय और महाविद्यालय : 2010–2011

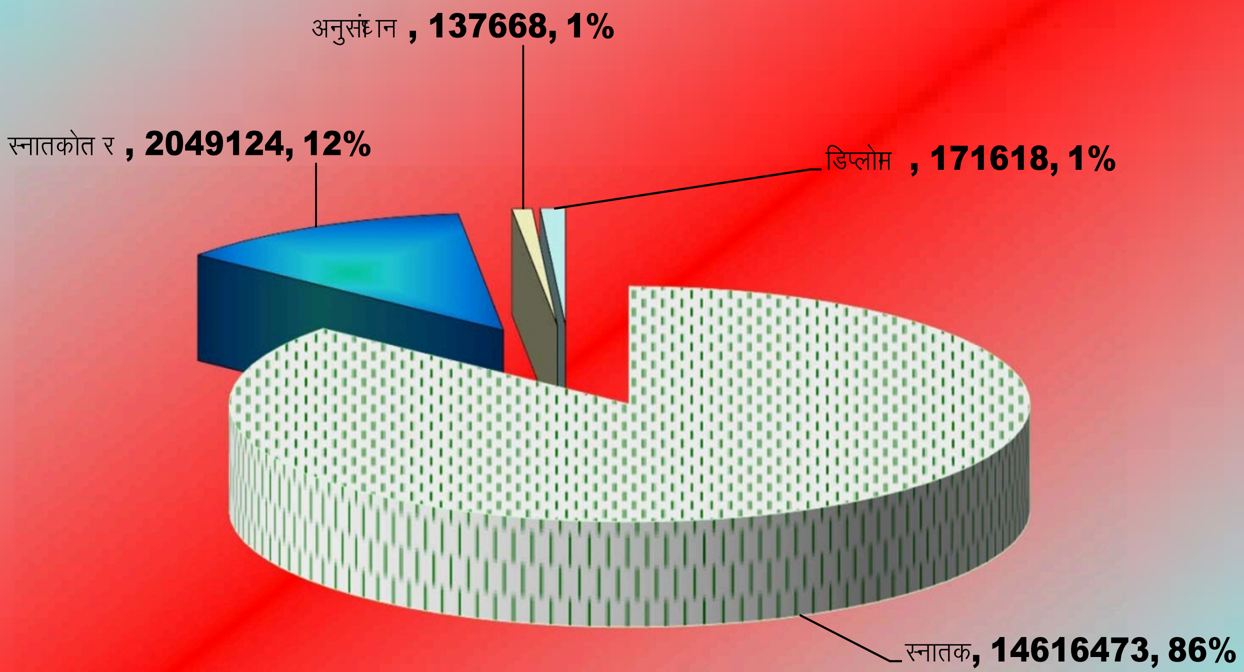

चित्र 7 : स्तर–वार शिक्षण स्टॉफ: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / विश्वविद्यालय महाविद्यालय : 2010–2011

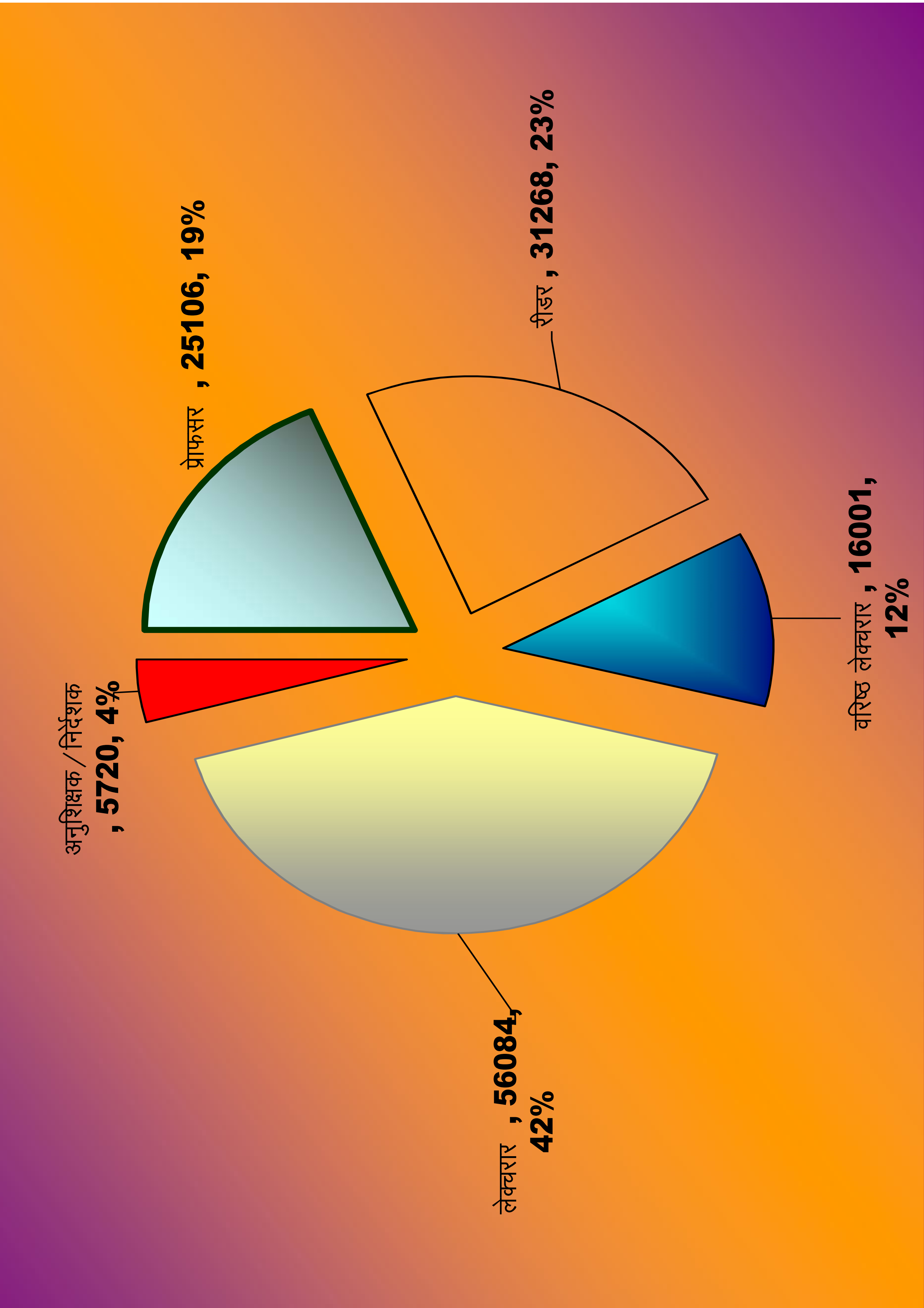

चित्र 8 : स्तर–वार शिक्षण स्टॉफ: संबंद्ध महाविद्यालय : 2010–2011

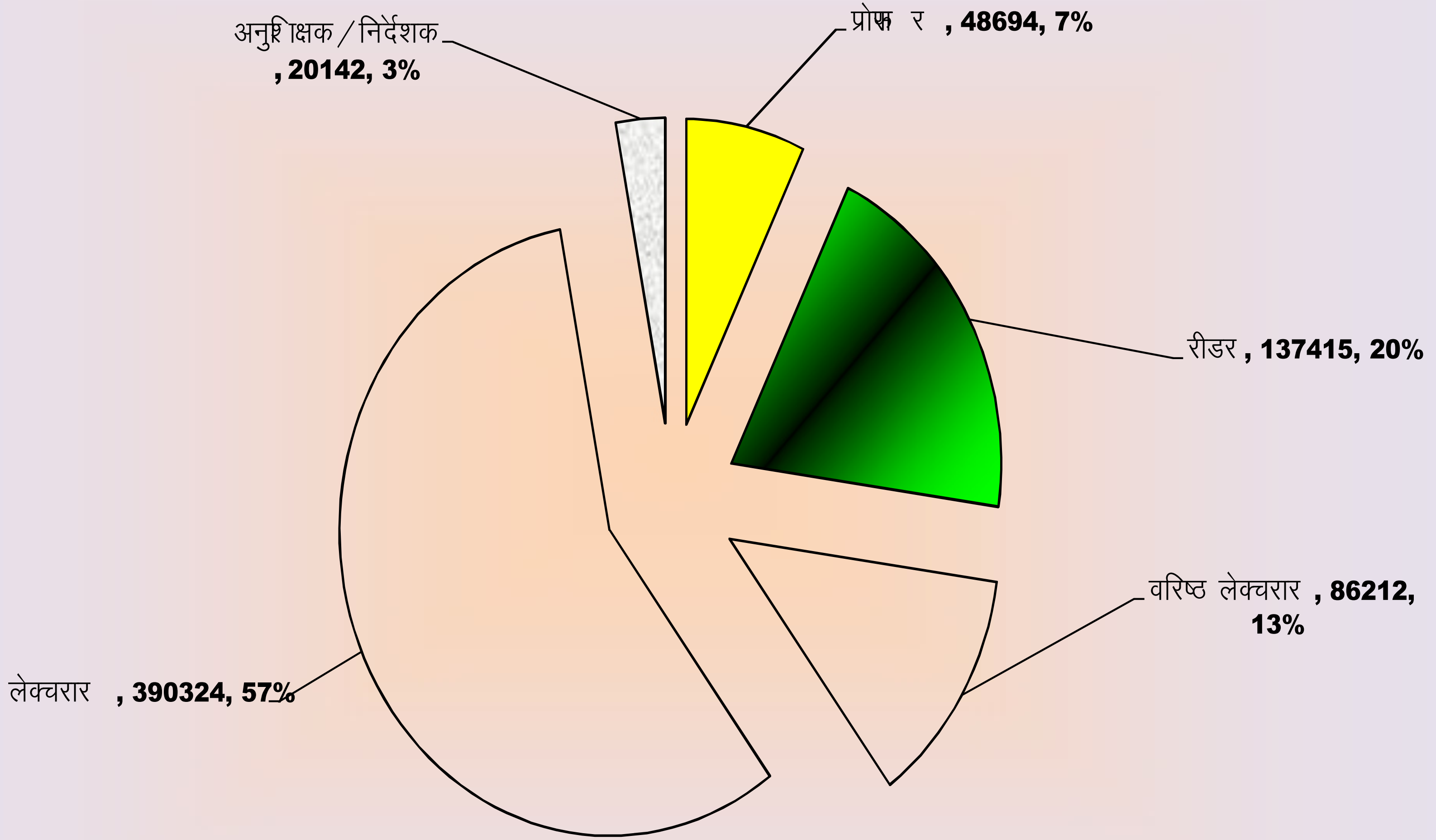

चित्र 9 : महाविद्यालयों की राज्य वार संख्या : 2010–2011

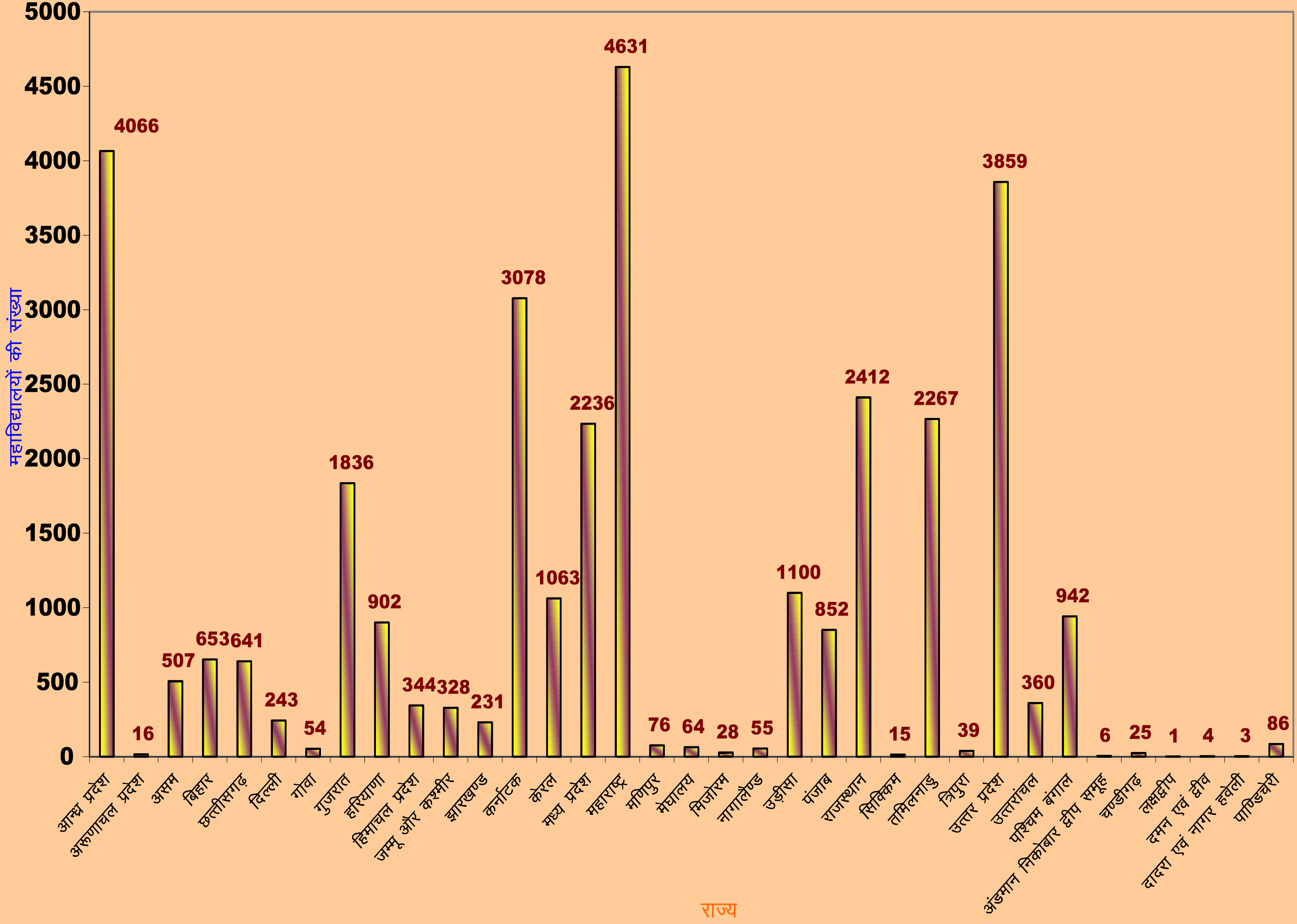

चित्र 10: संकायवार छात्रोंक I नामांकन : विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय : 2010–2011

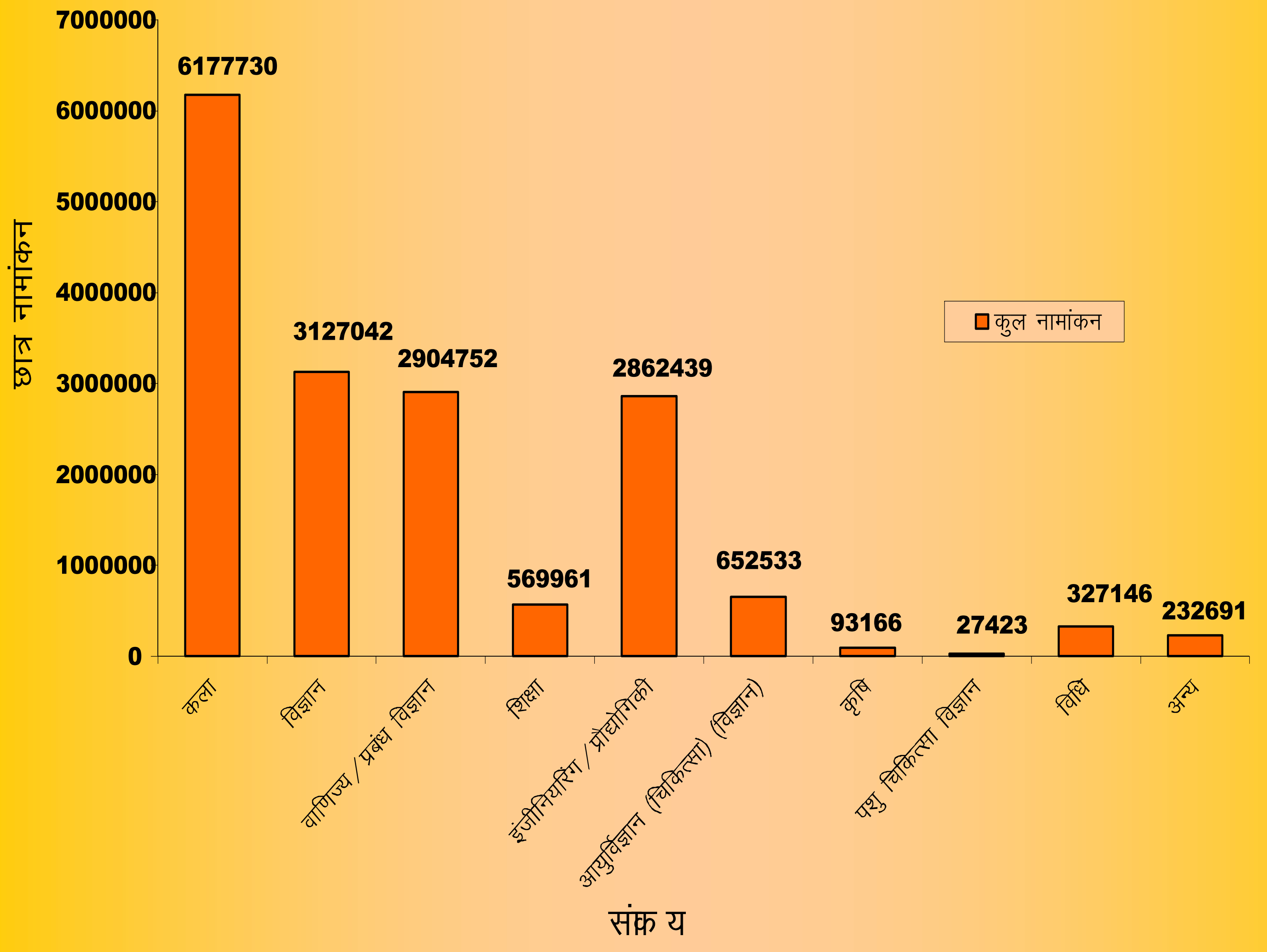

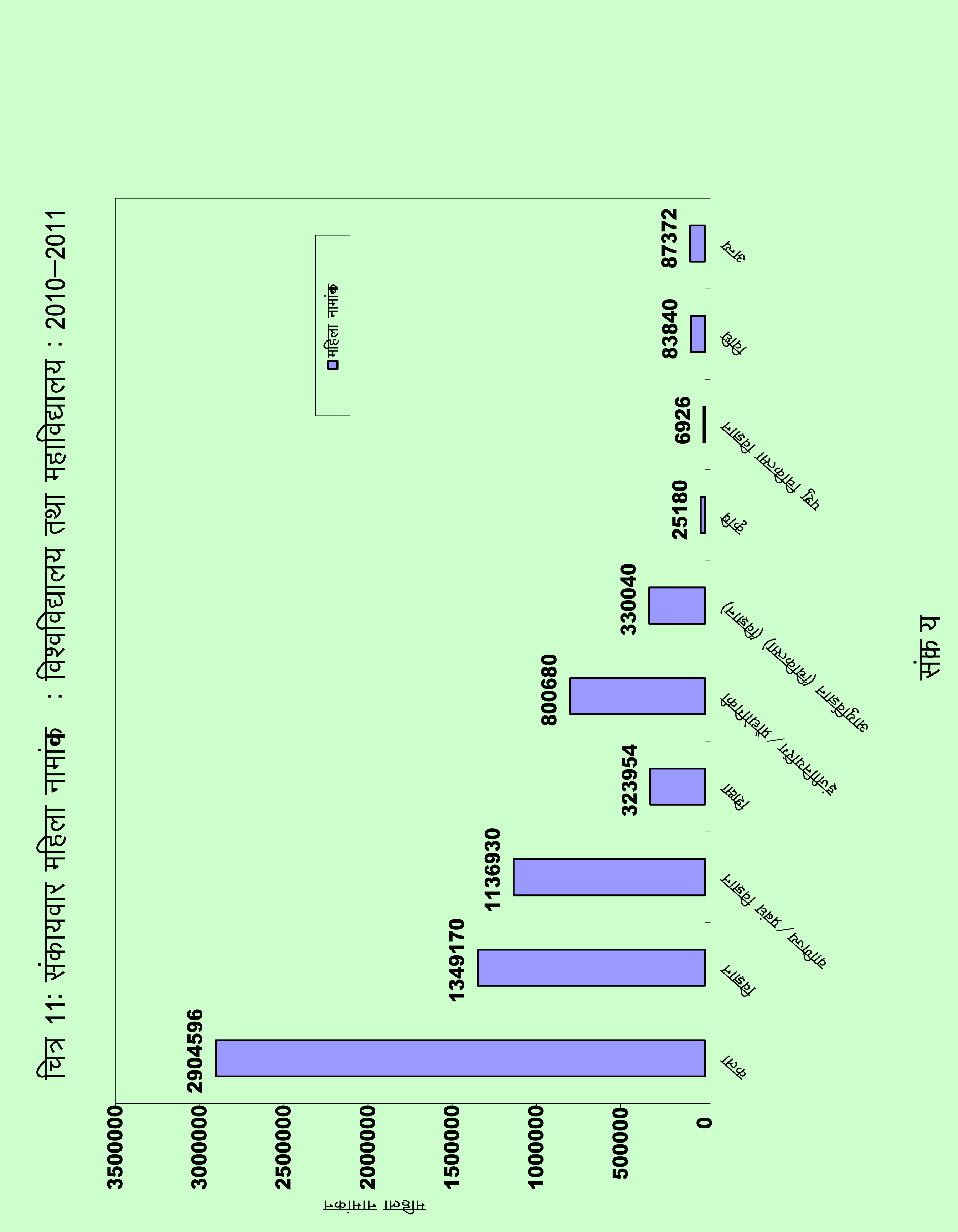

चित्र 11: संकायवार महिला नामांक : विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय : 2010–2011

3- fo’ofo|ky; dk fodkl ¼;ktukxr½ vkj vuj{k.k ¼xj&;ktukxr½ lgk;rk

3-1 fo’ofo|ky;k dk lgk;rk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत और सम विश्वविद्यालयों को (विकास) योजनागत और (अनुरक्षण) गैर–योजनागत दोनों अनुदान प्रदान करता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यह सहायता केवल विकास (योजनागत) के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है । सामान्य योजना विकास अनुदान, किसी भी एक विशिष्ट विश्वविद्यालय को, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, लागत (व्यय) की रूपरेखा के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा इसे विश्वविद्यालय को संप्रेषित कर दिया जायेगा। ऐसे परिव्यय, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए चालू रहेंगे। योजना की अवधि की समाप्ति भी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ अर्थात 31 मार्च 2012 को हो जाएगी। उन सभी पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो अनुदान आयोग अधिनियम धारा 2(एफ) और 12 (बी) के अंतर्गत शामिल हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की रूपरेखा और परिव्यय के दायरे में आते हैं।

सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को समग्र विकास के लिए सहायता देगा, जिसमें इन पहलुओं को भी शामिल किया जाता है, यथा पहुँच बढ़ाना, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करना, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाना, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना, विश्वविद्यालयों की कोई अन्य योजना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान, विवविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ, उपस्कर पुस्तकों और पत्रिकाओं, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

i. vkèkkjHkr lfoèkk ¼ Hkou

नए भवनों के निर्माण तथा पुराने भवनों की बड़ी मरम्मत/नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये भवन, अकादमी भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक खंड, स्टाफ क्वार्टर्स, छात्रावास, अतिथि गृह, आदि हो सकते हैं।

ii. ifjlj fodkl

परिसर विकास : सड़क निर्माण करने, विद्युत, जल उपलब्ध कराने, सीवर की लाइन बिछाने या उसकी मरम्मत करने, व क्षारोपण करने तथा भूमिक विकास आदि।

iii. LVkQ ¼

इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन शिक्षण, शिक्षणेत्तर तथा तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो व्याख्याता से अधिक या उसके समान वेतनमान में है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जा रहा है और शिक्षणेत्तर स्टॉफ के पदो का सृजन केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही किया जा सकता है।

iv. dnh; iLrdky; ¼

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए निधि उपलब्ध कराई जा सकती है।

v. miLdj ¼

प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष उपस्कर कार्यालय हेतु (फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा कंप्यूटर को छोड़कर) तथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ओवरहैड प्रोजेक्टर्स आदि जैसे आधुनिक शिक्षण सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

vi. **miLdj %**

ऐसे शोध क्रियाकलाप जो कि लघु एवं वृहत शोध परियोजनाओं और विशेष सहायता कार्यक्रमों (एस.ए.पी.) के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं, उनके लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। किसी ऐसे क्रांतिकारी नवोन्मेषी शोध के लिए भी निधियाँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं, जिसे विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करे और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना की किसी भी योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हों।

vii. **ub foLrkj xfrfofèk;k rFkk igqp dk;Øe %**

नई विस्तार गतिविधियां और पहुंच" कार्यक्रम जिनके लिए विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण की आवश्यकता हो।

viii. **fo'ofo|ky; dh lpuk lai"k.k ,o ik|kfxdh vko';drk, %**

सूचना संप्रेषण तथा प्रौद्योगिकी संबंधी (आई सी टी) आवश्यकताएं, यदि लागू हों।

ix. **LokLF; dUn %**

औषधालय के रूप में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्टॉफ उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

x. **Nk= lfoèkk, %**

इस प्रकार की सुविधाओं में कैंटीन, शुद्ध पेय जल सुविधाएं, मनोरंजन कक्षा, विद्यार्थियों के लिए परामर्श कक्ष, आदि शामिल हो सकती हैं।

xi. **t;rh vunku %**

विश्वविद्यालय द्वारा अपने 25–50–60–75 एवं 100 वर्ष पूरे कर लेने पर जयंती अनुदान माँगा जा सकता है बशर्ते, कि वह विश्वविद्यालय उक्त जयंती वर्ष को 11 वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा कर रहा हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग द्वारा, अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसमें आवर्ती व्यय का भुगतान, जैसे शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टॉफ के वेतनों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों तथा भवनों के रखरखाव तथा करों, टेलीफोनों, डाक व्यय, बिजली बिलों आदि का अनिवार्य भुगतान किया जाता है।

ऊपर लिखित मदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता शत–प्रतिशत आधार पर दी जाती है और इसी के साथआयोग ने यह निर्णय भी लिया कि सभी प्रकार की भवन–परियोजनाओं के लिए शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों का संबंध है, उन्हें नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए, चाहे वह स्व–वित्तपोषित हों अथवा अन्य प्रकार से हों – आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस डिग्री को प्रदान करने का प्रस्ताव है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत् रूप से विनिर्दिश्ट अनुमोदित डिग्रियों में शामिल है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न योजनाओं को सामान्य विकास के साथ आमेलित किया गया है। योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत वित्तपोषण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगाः

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन / संगोष्ठी / परिचर्चा / कार्यशालाएँ
3. प्रकाशन अनुदान
4. अभ्यागत प्रोफेसर / अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति
5. दिवा देखभाल केन्द्र
6. साहसिक खेलकूदों सहित खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों के विकास हेतु नवीन योजनाएँ ।
7. पिछड़े / ग्रामीण / दूरस्थ / सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।
8. नए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान तथा पुराने विश्वविद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान।
9. यंत्रों के अनुरक्षण हेतु सुविधा (आई.एम.एफ.)
10. महिला छात्रावासों का निर्माण
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ
12. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल. / पी.एच.डी. करने के लिए शिक्षक अध्येतावृत्ति)
13. समान अवसर प्रकोष्ठ
14. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर संपन्न वर्ग) अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण सुविधाएँ
15. विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना
16. शारीरिक रूप से अशक्त (शारीरिक रूप से निःशक्त) व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

Øe l-	;kstuk dk uke	mís';
1.	यात्रा अनुदान	विदेश आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों / कार्यशालाओं / विचार–गोष्ठियों में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के अध्यापकों / वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों / प्रशासनिक अधिकारियों को सहायता देना।
2.	सम्मेलन / विचार–गोष्ठी / संगोष्ठी / कार्यशाला / अल्पकालिक कार्यक्रम	अल्पकालिक (15 दिन से कम) कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम / विचार–गोष्ठी / संगोष्ठी और अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तरीय सम्मेलन।

3.	प्रकाशन अनुदान	डाक्टरल शोध ग्रंथ, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान पेपर, यू जी सी के राष्ट्रीय आख्यान अथवा प्रमुख व्यक्तियों के नाम में शुरू किए गए व्याख्यान, संकाय सदस्यों द्वारा विद्वतापूर्ण सहयोग और विचार–गोष्ठी/सम्मेलन पेपरों के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता।
4.	अतिथि प्रोफेसर/ अतिथि फेलो की नियुक्ति	अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित वि,ान सामान्यतः ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो या जो प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हो अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसकी विश्वविद्यालय से बाहर रह कर विशिष्ट उपलब्धियां रही हों।
5.	दिवा देखभाल केंद्र	तीन माह से छः वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चों को परिसर में दिवा देखभाल की सुविधा प्रदान करना, जिनके रोजगारशुदा मां–बाप/अनुसंधानकर्ता अपने कार्य या शैक्षिक वृत्ति के कारण दिन में घर से बाहर रहते हों।
6.	एडवेंचर खेल–कूद और खेल–कूद की बुनियादी सुविधा और उपस्करों का विकास	विश्वविद्यालयों में सक्षम वातावरण तैयार करना और विद्यार्थियों में सहयोगी टीम कार्य की भावना पैदा करना, साहस और प्रतिबद्धता की चुनौतीपूर्ण स्थिति का मुकाबला करने और उस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की क्षमता।
7.	पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान	पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, ताकि बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके और अधिकतम विशेष समानता को प्राप्त किया जा सके और न्यूनतम स्तर तक उसे पहुंचाया जा सके।
8.	नए विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों का नवीकरण अनुदान	ऐसे विश्वविद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, जिन्हें इसलिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता है, चूंकि वे नए हैं और सामान्यतः अपनी स्थापना के समय ऐसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
9.	उपकरण अनुरक्षण सुविधा (आई एम एफ)	गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्रभावी और किफायती सेवा प्रदान करना।
10.	महिला छात्रावास के निर्माण की विशेष योजना	महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और बड़े स्तर पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावनाओं के प्रयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
11.	महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं	विश्वविद्यालयों में महिलाओं, विद्यार्थियों, अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तैयार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
12.	संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ आई पी)	एम. फिल./ पीएच–डी की उपाधि दिए जाने के लिए अनुसंधान करने हेतु अध्यापकों को अवसर प्रदान करना।

13.	समान अवसर प्रकोष्ठ	शिक्षण से वंचित समूह पर बल देने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए स्थान बनाने हेतु और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण की विशिष्ट योजना चलाकर उनके रोजगार और सफलता की संभावना को बढ़ाना।
14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजना	स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर सेवाओं में प्रवेश के लिए सुधारात्मक अनुशिक्षण देना और व्याख्याता बनने के लिए नेट/सेट की तैयारी करने हेतु अनुशिक्षण देना।
15.	विश्वविद्यालयों में वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना	प्रतियोगी परीक्षाओं और सेवारत प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त एवं व्यवसायपरक पाठ्यक्रमों की कठिन चुनौती के लिए सहज कौशल और संप्रेक्षण क्षमता में विद्यार्थियों को सहयता देना।
16.	भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों को सुविधाएं	उच्च शिक्षा में भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए विशेष शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना।

d- dsUnzh; fo’ofo|ky;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत, विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 42 है। इनमें से 3 विश्वविद्यालयों यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नै को क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है। एक विश्वविद्यालय अर्थात जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है तथा वर्तमान में 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना (विकास) तथा वि.अ.आ. की एक अन्य विशेष योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। पुराने 23 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और हाल ही में राज्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित तीन विश्वविद्यालय भी वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे है। दिनांक 30.03.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :–

Øe la-	jkT;	dsUnzh; fo’ofo|ky; dk uke
1.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
2.	असम	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
3.		तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
5.		मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6.		अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

8.		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
10.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कमरकंटक
12.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मुंबई
13.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, एजवाल
14.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
15.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
16.		केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
17.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
18.	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
19.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
20.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय,, त्रिपुरा
21.	तमिलनाडु	इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, चेन्नै
22.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
23.		बाबा साहेब भीमराव अम्बेड विश्वविद्यालय, लखनऊ
24.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
25.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
26.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
		2008&09 d nkjku LFkkfir@ifjofrr u, dnh; fo’ofo|ky;
27.	बिहार	बिहार केंद्रीय वश्वविद्यालय, पटना
28.	छत्तीसगढ़	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
29.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
30.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
31.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
32.	जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
33.		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय,, जम्मू
34.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय,, रांची

35.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्ग
36.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय,, विद्यानगर
39.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय,, भटिंडा
40.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर
41.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
42.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

lkekU; fodkl ¼;kstukxr½ lgk;rk

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेजों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों के विकास हेतु, योजनागत अनुदान दिया जाता है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि, कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। अनुदान का उपयोग, शिक्षण, शोध और प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ विस्तार करने और शोध गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये भी किया जा सकता है ताकि समाज की अपेक्षाओं को उचित रूप से पूरा करने में विश्वविद्यालयों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जो विकास सहायता प्रदान की जाती है, वह सहायता, स्टॉफ, भवनों, उपस्करों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, परिसर विकास आदि के लिए है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, पुराने 23 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 825.04 करोड़ रुपए का सामान्य योजनागत अनुदान जारी किया गया है। इसमें से, 543.25 करोड़ रुपए की राशि, 15 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इन मदों के लिए अनुदान द्वारा जारी की गई :अस्थायी कार्यालय को किराए पर लेना, निवास हेतु स्थान की व्यवस्था, चारदीवारी के निर्माण के लिए (जहाँ स्थल को चुना गया चिन्हित किया गया है, सहायक स्टॉफ की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति प्रत्यायोजित/अल्पकालीन अनुबंधात्मक आधार पर थी, वाहन खरीदने के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए आदि। 15 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान में परीक्षा उत्तीर्ण नही हुए अनुसंधान अध्येताओं को दी जाने वाली अध्येतावृत्ति सहित विलयित योजना के तहत जारी किये जाने वाला अनुदान भी शामिल है।

rkfydk 3-1 % iqjkus dsUnzh; fo'ofo|ky;ksa dks nh xbZ lkekU; fodkl ¼;kstukxr½ lgk;rk rFkk vU; vuqnku % 2010&11

Øe la-	fo'ofo|ky; dk uke	lkekU; fodkl vuqnku	foyf;r ;kstuk	,e-fQy-@ih,p Mh gsrq xSj&usV vè;srko`fÙk	vfrfjDr vuqnku	tksM+
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	60.00	1.50	15.00	0.00	63.00
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	52.00	0.00	13.45	0.00	65.45
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	50.00	1.50	4.07	33.25	88.82
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	45.31	0.00	5.01	0.75	51.07
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	55.50	0.00	3.00	19.45	77.95
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	42.30	2.00	10.00	0.00	54.30

7.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	37.05	5.60	4.59	0.00	47.24
8.	विश्व भारती	51.70	1.50	0.00	0.00	53.20
9.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेड विश्वविद्यालय	29.00	0.00	0.00	0.000	29.00
10.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	19.18	0.00	1.75	2.00	22.93
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	46.20	0.00	0.00	10.00	56.20
12.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	39.29	0.00	3.00	0.00	42.29
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	21.00	0.00	11.29	0.20	32.49
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय	30.00	0.50	0.02	0.00	30.52
	iokÙkj {k= e dnh; fo’ofo|ky;					
15.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	45.26	0.00	1.60	15.02	61.88
16.	असम विश्वविद्यालय	21.18	0.00	1.60	0.96	23.74
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय	15.00	1.00	0.70	20.00	36.70
18.	नागालैंड विश्वविद्यालय	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	34.00	1.00	0.00	0.00	35.00
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	33.91	1.00	4.17	0.00	39.08
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	10.00	0.00	0.50	0.25	10.75
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	51.16	0.00	0.25	10.00	51.41
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
dy	**¼ijku dnh; fo’ofo|ky;½**	**825-04**	**15-60**	**81-00**	**111-99**	**1033-52**

rkfydk 3-2 ¼ foy; dh xbl ;kstukvk d vrxr vunku lfgr u, dnh; fo'ofo|ky;k dk tkjh fd;k x;k lkekU; vunku ¼ 2010&11

¼djkM #i;s e½

Øe l-	fo'ofo|ky; dk uke	tkjh fd;k x;k vunku
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	30.00
2.	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड	45.00
3.	डॉ. एच एस गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)	15.00
4.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	25.00
5.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	12.50
6.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	70.00
7.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	10.00
8.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	80.00
9.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	40.00
10.	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	15.00
11.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	90.75
12.	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय	30.00
13.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	25.00
14.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	40.00
15.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	15.00
	tkM	543-25

- **Þfoyf;r ;kstukvkß d vrxr dnh; fo'ofo|ky;k dk tkjh fd, x, vunku**

विश्वविद्यालयों को तीव्रता तथा निर्बाध रूप से निधियों के उपयोग में सक्षम बनाने के लिए विलयित योजनाओं के अंतर्गत एकमुश्त अनुदान जारी कर दिया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान "विलयित योजनाओं" की श्रेणी के अंतर्गत **vkB** केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 15.60 करोड़ रुपये का कुल योजना अनुदान जारी किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, विलयित योजनाओं में "केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक गैर–नेट पीएच–डी तथा एम. फिल. अध्येताओं को अध्येतावृत्ति के भुगतान हेतु अनुदान" नामक एक योजना भी है। इस उद्देश्य हेतु रिपोर्टिंग वर्ष 2010–11 के दौरान, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कुल 81.01 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

- **vuj{k.k ¼xj&;kstuk½ lgk;rk**

शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टाफ के वेतन पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के रखरखाव हेतु तथा करों, टेलीफोनों, डाक, विद्युत बिलों आदि के भुगतान हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, 24 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए गैर–योजनागत अनुदान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 2612.06 करोड़ रुपये थी (तालिका 3.3)। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय नए होने के कारण उन्हें केवल योजनागत अनुदान दिया गया।

rkfydk 3-3 % vyhx< eqfLye fo'ofo|ky;k dk vuqj{k.k ¼xSj&;kstukxr½ vuqnku % 2010&11

Øe la-	fo'ofo|ky; dk uke	¼djksM+ #i;s esa½ tkjh fd;k x;k vuqnku
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सहित)	369.42
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आयुर्विज्ञान संस्थान सहित)	512.57
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय (यू सी एम एस को 53.96 करोड़ रुपए के अनुदान सहित)	364.84
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	98.47
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	137.35
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	163.61
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	42.74
8.	विश्व भारती	130.25
9.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	11.20
10.	एम जी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	8.26
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	17.83
12.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	33.16
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	182.06
14.	डॉ. एच एस गौड़ विश्वविद्यालय	65.22
15.	एन एच बी गढ़वाल विश्वविद्यालय	40.23
16.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	34.91
17.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	101.66
18.	असम विश्वविद्यालय	30.90
19.	तेजपुर विश्वविद्यालय	20.65
20.	नागालैंड विश्वविद्यालय	31.85
21.	मिजोरम विश्वविद्यालय	34.60
22.	मणिपुर विश्वविद्यालय	40.44
23.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	19.90
24.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	19.84
	tksM+	**2612-06**

- ## nkf[kyksa esa vU; fiNMs oxksZ dk vkj{k.k miyC/k djkus gsrq {kerk foLrkj

वर्ष 2010–11 के दौरान, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति हेतु 11 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 336.50 करोड़ रुपये की कुल योजनागत अनुदान राशि भी जारी की गई है।

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	fo'ofo|ky; dk uke	tkjh fd;k x;k vuqnku
1.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (महाविद्यालयों सहित)	50.00
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय (53 महाविद्यालयों के लिए)	150.00
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	20.00
4.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	20.00
5.	विश्व भारती	15.00
6.	असम विश्वविद्यालय	30.00
7.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10.00
8.	एम जी ए हिंदी विश्वविद्यालय	1.50
9.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	4.00
10.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	26.00
11.	मणिपुर विश्वविद्यालय	10.00
	tkM	336-50

- **vYila[;dksa@ vuqlwfpr tkfr@ vuqlwfpr tutkfr ,oa efgykvksa gsrq vkoklh; vuqf'k{k.k vdkneh dh LFkkiuk**

अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना है, इसलिए इन विद्यार्थियों को अनुशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करके अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में अनुकूल कार्रवाई करना है। इस कार्यक्रम के अधीन उन्हें निःशुल्क/नाममात्र के शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है और केंद्रीय/ राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान करना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासी अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना के संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया था और उसे 7.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस प्रयोजन के लिए अब तक पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है। अब तक जिनविश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है:

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	fo'ofo|ky; dk uke	vkcafVr dqy jde	o"kZ 2009&10 ds nkSjku tkjh fd;k vuqnku	o"kZ 2010&11 ds nkSjku tkjh fd;k x;k vuqnku
1.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय	13.29	6.64	0.00
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	15.00	0.00	6.50

3. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	8.29	4.14	0.00
4. डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय	10.79	5.39	0.00
5. जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय)	13.95	6.98	0.00
tkM	**61-32**	**23-15**	**7-50**

- **ihBksa dh LFkkiuk**

¼i½ Dykfld Hkk"kk dUuM@rsyxq ds fy, dsUnz dh LFkkiuk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ तेलुगु और कन्नड़ भाषा को क्लासिक भाषाओं के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी मंत्रिमंडल की टिप्पणी संलग्न की गई थी। लेकिन इस संबंध में चेन्नै में स्थित उच्चत न्यायालय में दायर रिट याचिका पर निर्णय किए जाने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रिमंडल टिप्पणी के अनुसरण में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए आयोग से अनुरोध किया है और यह भी अनुरोध किया है कि कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्लासिक भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के नाम में कुछ व्यावसायिक पीठ शुरू की जाएं।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (i) कन्नड; और (ii) तेलुगु के क्लासिक भाषाओं के केंद्रों की स्थापना करने के तौर–तरीकों को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

समिति ने सुझाव दिया है कि व्यावसायिक पीठ की बजाय चुने हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्लासिक भाषा केंद्र स्थापित किए जाएं।

mís';

- यह केंद्र उन्मुखी पुस्तकालयों में उपलब्ध अप्रकाशित पांडुलिपियों/लेखों और पुरालेखों पर ध्यान देगा। उदाहरणार्थ सरस्वती ग्रंथालय, पुरालेख कन्नड़ अनुसंधान संस्थान, मैसूर, उन्मुखी पांडुलिपि पुस्तकालय, मैसूर/चेन्नै आदि।
- ये केंद्र ऐसे पंडितों/विद्वानों से बातचीत करके शिक्षा प्रणाली के अंदर से या बाहर से भी मानव संसाधन ले सकते हैं, जिन्हें क्लासिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। लेकिन उनका शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से होना आवश्यक है।
- इस केंद्र का कार्य सतत होना चाहिए। शुरू में इस केंद्र की स्थापना पांच वर्ष के लिए की जा सकती है, लेकिन मॉडल प्रक्रिया की सफलता के आधार पर इसे आगे जारी रखा जा सकता है।
- इस केंद्र को अन्य भारतीय क्लासिक भाषाओं से पृथक होकर कार्य नहीं करना चाहिए।
- केंद्र को चाहिए कि वह इन क्लासिक भाषाओं में और विद्वान पैदा करने के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करे ताकि ये भाषाएं सक्षम बन सकें और जारी रह सकें।

  समिति ने सिफारिश की है कि शुरू में दो केंद्र (i) तेलुगु के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय; और (ii) कन्नड़ के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं।

क्लासिक भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2010–11 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आबंटित और जारी किए गए अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

¼djkM #i;s e½

Øe l-	i;ktu	dnh; fo'ofo|ky; dk uke	o"k 2010&11 d fy, vkcVu vuqnku	o"k 2010&11 d fy, tkjh dh xbZ jde x;k vuqnku
1.	कन्नड़ में क्लासिक भाषा	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	1.50	0.75
	केंद्र की स्थापना			
2.	तेलुगु में क्लासिक केंद्र की स्थापन ¼iii½	हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1.50	0.75

jktho xkaèkh ihB

वर्ष 2006 में, राजीव गांधी पीठ प्राप्त हुई है, जो तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरंभ की गई है, यथा (i) दिल्ली विश्वविद्यालय; (ii) इलाहाबाद विश्वविद्यालय; और (iii) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। अब तक (दिनांक 31.03.2011 तक) जारी किए गए अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

¼djkM #i;s e½

Øe l-	fo'ofo|ky; dk uke	Fkhe@fo"k; dk uke	vc rd tkjh fd;k x;k vuqnku
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. नाभिकीय निरस्त्रीकरण और शांति अध्ययन 2. पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र निर्माण 3. सामाजिक न्याय	0.60
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	समाज पर प्रौद्योगिक का प्रभाव (नवाचार प्रबंधन)	0.20
3.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	1. आदिवासी विकास 2. महिला सशक्तीकरण 3. आर्थिक प्रणाली और स्थायी विकास	0.40

[k- jkT; fo'ofo|ky;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित, नये राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य संगठन से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग स्वयं विहित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है। 31 मार्च, 2011 तक विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से 349 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

- **jkT; fo'ofo|ky;k dk fodkl vuqnku**

वर्तमान में, 137 राज्य विश्वविद्यालय, कृषि/मेडिकल विश्वविद्यालयों को छोड़कर, वि.अ.आ. से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, अनुदानों सहित (जयंती अनुदान, संसाधन गत्यात्मकता, तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता, समकालीन अध्ययन में राजीव गांधी पीठ की स्थापना आदि) विकास अनुदान, इन पात्र विश्वविद्यालयों को इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, जो सामान्यतः उन्हें, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सहायक निकाय से उपलब्ध नहीं होती हैं। यह सहायता, भवन, स्टॉफ, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर, आदि के लिए भी दी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सामान्य विकास सहायता के बाद भी वर्ष 2010–11 के दौरान, सामान्य विकास सहायता के साथ–साथ आमेलित योजनाओं के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए गए।

11वीं योजना के चौथे वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान, सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 42.70 करोड़ रुपए का विकास (योजनागत) अनुदान तथा विलयित योजना के अंतर्गत 237.81 करोड़ रुपये की अनुदान राशि पात्र 22 राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई {तालिका 3.4 (क) और तालिका 3.4 (ख)}।

इसके अतिरिक्त, पंजाब विश्वविद्यालय को वर्ष 2010–11 के घाटे को पूरा करने के लिए 150.00 करोड़ रुपये का अनुदान और पठन–पाठन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मैसूर विश्वविद्यालय को 33.33 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को किए गए आबंटन में से गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों को 3.79 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।

rkfydk 3-4 ¼d½ % jkT; fo'ofo|ky;ksa dk iznÙk lkekU; fodkl ¼;kstukxr½ vuqnku % 2010&11

Øe la-	jkT;	fo'ofo|ky;ksa dh la[;k	iznÙk ;kstukxr vuqnku
1.	आंध्र प्रदेश	02	2.06
2.	असम	–	–
3.	बिहार	01	1.51
4.	छत्तीसगढ़	–	–
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	02	3.22
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	–	–
8.	हरियाणा	03	3.57
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–
11.	झारखंड	01	1.00
12.	कर्नाटक	01	0.50
13.	केरल	01	0.50
14.	मध्य प्रदेश	04	9.18
15.	महाराष्ट्र	01	2.14

16.	उड़ीसा	–	–
17.	पंजाब	–	–
18.	राजस्थान	–	–
19.	तमिलनाडु	02	6.92
20.	उत्तर प्रदेश	01	0.50
21.	उत्तरांचल	01	2.50
22.	पश्चिम बंगाल	01	2.79
	tkM	**23**	**42-79**

fVIi.kh % mu fo’ofo|ky;k dk fdlh idkj dk vunku tkjh ugh fd;k x;k] ftul fiNy o"kk e tkjh fd, x, vunku dk mi;kfxrk iek.ki= ikIr ugh gvk gA

rkfydk 3-4 ¼[k½ % foyf;r ;ktukvk d vrxr fodkl vunku % o"k 2010&11

Øe l-	jkT;	fo’ofo|ky;k dh l[;k	inÙk vunku
1.	आंध्र प्रदेश	12	24.94
2.	असम	02	4.71
3.	बिहार	08	17.96
4.	छत्तीसगढ़	02	3.12
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	02	4.58
6.	गोवा	01	1.74
7.	गुजरात	07	11.69
8.	हरियाणा	06	14.25
9.	हिमाचल प्रदेश	01	1.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	03	5.77
11.	झारखंड	03	7.85
12.	कर्नाटक	09	19.43
13.	केरल	06	10.71
14.	मध्य प्रदेश	07	13.28
15.	महाराष्ट्र	08	16.34
16.	उड़ीसा	06	8.96
17.	पंजाब	03	5.60
18.	राजस्थान	04	8.21
19.	तमिलनाडु	11	22.19

20.	उत्तर प्रदेश	09	0.50
21.	उत्तरांचल	01	16.97
22.	पश्चिम बंगाल	09	16.22
	d|y tkM	**120**	**237-81**

- **t ;rh vunku ¼25] 50] 75] 100 vkj 150 o"k iij gku ij½**

- 11वीं योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उनके लिए जयंती अनुदान के रूप मे विकास सहायता देने का प्रावधान है। यह अनुदान,उस सामान्य विकास आवंटन के अतिरिक्तहोगा, जो किसी सम्बद्ध राज्य विश्वविद्यालय को 11वीं योजना के दौरान, दिया जा चुका है। इसकी अधिकतम सीमा निम्नवत है :–

शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	:	100.00 लाख रुपये
प्लेटिनम जयंती (75 वर्ष)	:	75.00 लाख रुपये
हीरक जयंती (60 वर्ष)	:	60.00 लाख रुपये
स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)	:	50.00 लाख रुपये
रजत जयंती (25 वर्ष)	:	25.00 लाख रुपये

- वर्ष 2010–11 के दौरान कर्नाटक विश्वविद्यालय को हीरक जयंती अनुदान के रूप में 30.00 लाख रुपये कीरकम और मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के 150 वर्ष पूरे होने पर 40.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

- **lelkef;d vè;;uk e jktho xkèkh ihB dh LFkkiuk**

- 11वीं योजना का कुल आबंटन वर्ष 2010–11 में बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल और गोर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर (कश्मीर) को राजीव गांधी पीठ की स्थापना संबंधी योजना के अधीन 20–20 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

- **ckcw txthou jke ihB**

"राजीव गांधी पीठ की स्थापना" योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार चार राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में "बाबजू जगजीवन राम पीठ की स्थापना के प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिए गए हैं। उक्त पीठ की स्थापना के लिए मैसूर विश्वविद्यालय को 7.00 लाख रुपये की रकम भी जारी की गई है।

- **fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 12[k d vrxr igy l vku oky fo'ofo|ky;k dk vfrfjä lgk;rk**

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन पाठन को सुदृढ़ करना है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह सहायता जेनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड और रेफ्रिजरेटर, डिजिटल कैमरा सहित दृश्य–श्रव्य उपस्कर, एलसीडी/ टीवी, और अन्य शिक्षण सहायता, कंप्यूटर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और रिप्रोग्राफिक सुविधा जैसे उपस्करों के लिए दी जाती है। इस अनुदान

की अधिकतम सीमा एक विश्वविद्यालय के लिए 2.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के अधीन वर्ष 2010–11 के दौरान 63 राज्य विश्वविद्यालयों को 54.99 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।

• fo’ofo|ky; vuqnku vk;ksx vf/kfu;e ¼12[k½ ds varxZr ugha vkus okys jkT; fo’ofo|ky;ksa dks ,dckjxh vuqnku

• इस योजना का उद्देश्य ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता देना है जो बुनियादी सुविधाओं और अन्य मापदंडों को पूरा न करने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विकास अनुदानों के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं। अतः उन्हें यह अनुदान प्राप्त हो सके, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास नियमित अनुदान प्राप्त हो सके और ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृभटता में अपने योगदान की कमी को पूरा कर सकें, दिया जाता है।

• राज्य द्वारा जिन राज्य विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था की जाती है और जो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन सूचीबद्ध हैं, वे अन्य मापदंडों के साथ–साथ इस सहायता के पात्र हैं। यह वित्तीय सहायता अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक मिल सकती है।

• 32 राज्य विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 12 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 29.75 करोड़ रुपये का अनुदान बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है।

x- le fo’ofo|ky;

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी उच्चतर शिक्षा से जुड़ी संस्था जो किसी विशेष क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर का कार्य कर रही हो, उसे सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक दर्जा व विशेष अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं तथा ये आमतौर से बहुसंकाय युक्त विश्वविद्यालय बन जाने की अपेक्षा, अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ मजबूत कर पाती हैं।

• 11वीं योजना के तीसरे वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम्, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने केवल 2 संस्थानों को सम विश्वविद्यालय अधिसूचित किया है।

• 31 मार्च, 2011 तक सम विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 130 तक हो गई है।

• fodkl ¼;kstukxr½ vuqnku

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल 24 24 सम विश्वविद्यालयों (परिशिष्ट–XII) को विकास (योजनागत) अनुदान प्रदान किया है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है ताकि वे कम से कम स्तर को प्राप्त कर सकें और गुणवत्ता में सुधार कर सकें। यह सहायता विद्यमान संरचना को समेकित करने में उपयोग में लाई जा सकती है और शिक्षण अनुसंधान तथा अन्य क्रियाकलापों का विस्तार और पहुंच के लिए भी किया जा सकता है ताकि समाज की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालयों की आवश्यकता में परिवर्तन किया जा सके।

• सामान्य विकास सहायता योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को संरचना निर्माण, परिसर विकास, स्टाफ, पुस्तकालय, उपस्कर, नवोन्मेषी शोध गतिविधियों और पहुंच कार्यक्रमों, आईसीटी की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्र सुविधाओं एवं जयंती अनुदानों के लिए सहायता प्रदान करना है।

11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास अनुदान योजना के साथ कुल 16 योजनाओं का विलय कर दिया है। इन सभी योजनाओं के लिए जो आबंटन किया जा रहा है, वह ग्यारहवीं योजना की विजिटिंग समितियों की सिफारिश पर आधारित है। विलय की गई योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन/ संगोष्ठी/ विचारगोष्ठी/ कार्यशाला/ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. प्रकाशन अनुदान
4. विजिटिंग प्रोफेसरों/विजिटिंग फेलो की नियुक्ति
5. दिवा देखभाल केंद्र
6. साहसपूर्ण खेल, जिनमें खेलों की संरचना और उपस्करों के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं।
7. पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।
8. युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान।
9. उपकरण अनुरक्षण केंद्र (आई एम एफ)
10. महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएं
12. संकाय विकास कार्यक्रम
13. समान अवसर प्रकोष्ठ
14. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजना
14. विश्वविद्यालयों में कॅरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठ स्थापित करना।
14. अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।

वर्ष 2010–11 के दौरान 19 सम विश्वविद्यालयों को 30.71 करोड़ रुपये का विकास अनुदान तथा विलयित योजनाओं के अधीन 10 विश्वविद्यालयों को कुल 9.49 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। सम विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्योरो **rkfydk 3-5** में दिया गया है।

rkfydk 3-5 % fodkl ¼;kstukxr½ vuqnku vkSj foyf;r ;kstuk ds vèkhu le fo'ofo|ky;ksa okys laLFkkuksa dks fn;k tkus okyk vuqnku % o"kZ 2010&11

¼djksM+ #i;s esa½

Øe l-	laLFkku@fo'ofo|ky; dk uke vkSj izns'k	fodkl ¼;kstuk xr½ vuqnku	foyf;r ;kstuk ds vèkhu iznÙk vuqnku	dqy
1.	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांतिनिलयम	1.00	–	1.00
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1.50	0.75	2.25
	fnYyh			
3.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर	2.00	–	2.00
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,	–	1.00	1.00
	नई दिल्ली			
5.	'इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	–	–	–
	xqtjkr			
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	3.00	–	3.00
	>kj[kaM			
7.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची	0.30	–	0.30
	egkjk"Vª			
8.	डेक्कन कॉलेज पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	0.75	–	0.75
9.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे	150	1.00	2.50
10.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	0.30	–	0.30
11.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	1.50	1.50	3.00
12.	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मटूंगा, मुंबई	–	1.00	1.00
	iatkc			
13.	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	0.30	–	0.30
	jktLFkku			
14.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	1.00	0.30	1.30
15.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी	0.30	–	0.30

16.	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लॉडनु	0.75	0.75	1.50
	rfeyukM			
17.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन, कोयम्बतूर	–	1.44	1.44
18.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम	3.00	–	3.00
19.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनथपुरम, कांचीपुरम	0.30	–	0.30
20.	'चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, चेन्नै	4.01	–	4.01
	mÙkj in'k			
21.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	1.00	–	1.00
22.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	–	0.75	0.75
	mÙkjk[kM			
23.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वद्यिालय, हरिद्वारा	2.00	1.00	3.00
	if'pe caxky			
24.	'रामक भण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल,	6.10	6.10	12.20
	tkM	**30-71**	**9-49**	**40-20**

*** ,dckjxh fo'k"k vuqnku ikIr dj jg gA**

vuqj{k.k ¼xj&;kstukxr½ vuqnku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 सम विश्वविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है (परिशिष्ट–XI)। इन 10 विश्वविद्यालयों में से **vkB** सम विश्वविद्यालय वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत–प्रतिशत गैर–योजना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। गैर–योजनागत मदों में उपभोक्ता वस्तुएं, बिजली प्रभार, पानी प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। शेष **nk** सम विश्वविद्यालयों अर्थात जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और चंद्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम को निर्धारित अनुरक्षण संगठित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जो क्रमशः 800.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और 7.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

वर्ष 2010–11 के दौरान दस पात्र सम विश्वविद्यालयों को 158.37 करोड़ रुपये की रकम अनुरक्षण अनुदान के रूप में अदा की गई है। प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **rkfydk 3-6** में दिया गया है।

rkfydk 3-6 % lLFkkuksa@ le fo'ofo|ky;ksa dks iznku fd;k x;k xSj&;kstukxr ¼vuqj{k.k½ vuqnku % o"kZ 2010&11

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la-	laLFkku@fo'ofo|ky; dk uke ¼100 izfr'kr vuqj{k.k vuqnku½ vka/kz izns'k	jde
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	13.23
	ubZ fnYyh	
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	15.48
	xqtjkr	
3.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	13.99
	egkjk"Vª	
4.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	28.90
	rfeyukMq	
5.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन,	26.10
	कोयंबतूर	
6.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम	24.18
	mÙkj izns'k	
7.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	13.07
	mÙkjk[kaM	
8.	गुरूकूल कांगड़ा विश्वविद्यालय, हरिद्वार	15.35
	mi&tksM+	150-30
	fu/kkZfjr vuqj{k.k vuqnku] ubZ fnYyh	
9.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	8.00
	rfeyukMq	
10.	श्री सी एस महाविश्वविद्यालय, कांचीपुरम	0.07
	mi&tksM+	8-07
	dqy tksM+	158-37

3-2 le fo'ofo|ky;k dh e[; fo'k"krk,¡ ½ o"k 2010&11

3-2-1 ouLFkuyh fo|kihB] ouLFkyh ¼jktLFkku½

- **mís'; ,o e[;&e[; fo'k"krk,¡**

(i) शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति संश्लेषण तथा पश्चिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों का संश्लेषण करते हुए प्रोन्नति; और

(ii) भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों का परिरक्षण एवं धारण करना।

- **fjiksVkZèkhu o"k ¼01 vizSy] 2010 ls 31 ekpZ] 2011½ ds fy, ctV vkcaVu ,oa fu"iknu ctV**

ctV vkcaVu	dqy vuqfre vkcaVu X;kjgoha ;kstuk ds fy, ¼yk[k #i;s eas½	rnFkZ vkcaVu 2010&11 ds fy, ¼yk[k #i;s eas½
ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत	750.00	100.00
सामान्य विकास योजनाओं के लिए		
11 विलय की गई नई योजनाएं	561.50	–
dqy tksM+	**1311-50**	**100-00**

fu"iknu ctV	X;kjgoha ;kstuk ds fy, dqy fu"iknu ctV ¼yk[k #i;s eas½	2010&11 ds fy, dqy fu"iknu ctV ¼yk[k #i;s eas½
ग्यारहवीं योजना में सामान्य विकास	–	185.53
योजना		
विलय की गई 11 योजनाओं	–	11.69
के अधीन		
tksM+		**197-22**

- **ykHkkfFk;ksa dh la[;k lfgr y{; lewg dk 'kkfey djuk ¼o"kZ 2010&11½**

	tksM+	efgyk,a	vuqlfpr tkfr	vuqlfpr tutkfr
अध्यापक	530	350	55	25
विद्यार्थी	7719	7719	282	197

- **dk;ZØe dh orZeku fLFkfr lxr egÙoiw.kZ lacfèkr uhfrxr fu.kZ;@fd, x, ifjorZu**

इस अवधि के दौरान विद्यापीठ द्वारा किए गए परिवर्तन स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम को वार्षिक योजना से सत्रीय योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। विद्यापीठ ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार अपने सभी कार्यक्रमों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

- **viukbl tkus okyh fodkl uhfr dk mYys[k djrs gq, Hkkoh dk;Z ;kstuk**

विकास नीति की भावी योजना इस प्रकार है:

(i) नृत्य विद्यालय का निर्माण

(ii) शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण

(iii) ऑडिटोरियम का निर्माण

(iv) लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण

(अ) गृह विज्ञान भवन का निर्माण

- **vk;kftr lEeyu] fon'kh ifrfuf/keMy dk nkjk vkj vU; egÙoi.k vk;ktu] ;fn dkbZ gks**

1. डीएसटी द्वारा प्रायोजित डिस्क्रीट मैथेमेटिक पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 1 मई से 5 मई, 2010
2. जीव विज्ञान डेटा आधार और डेटा माइनिंग उपागम पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 18 से 20 दिसंबर, 2010
3. "मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन" पर कार्यशाला, 17 से 18 फरवरी, 2011

- **vk;kftr egÙoi.k lekjksg**

Øe la-	lekjksg dk uke	lekjksg dh rkjh[k	eq[; vfrfFk dk uke
1.	27वां दीक्षांत समारोह	19 जनवरी, 2011	प्रो. लॉर्ड भिखु परीख
2.	75वां वार्षिक समारोह	16 मार्च, 2011	श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान

- **vU; n'kk@ varjjk"Vªh; laxBuks ds lkFk djkj**

(क) अन्य देशों के साथ करार – शून्य

(ख) अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ किए गए करार का विवरण –

Øe la-	varjjk"Vªh; fo'ofo|ky; dk uke
1.	कनकोर्डिया विश्वविद्यालय, कनाडा
2.	क्वीन विश्वविद्यालय, कनाडा

- **i=dkf'kr vkj efnr fd, x, i=dk'kuk dh lwph**

1. संचार नेटवर्क सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका "ग्राफ एंड एसोसिएटिड ग्राफ लेवलिंग" की शक्ति, अप्रैल, 2010 अंक।
2. संचार नेटवर्क सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका "हेक्सागोनल कवरेज इन मोबाइल सेंसर नोड्स", 2010 का अंक।
3. इवेल्यूएशन ऑफ हाईजलीसेनिक, हाइपोलिपिडेमिक और एंटी ऑक्साइड पोटेंशियल ऑफ प्रोसोपिस सेनेरैलिया बैंक इन इलोक्सन इनड्यूस्ड डायबटिक : माइस जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकमिस्ट्री, अप्रैल, 2010
4. "साइको केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉल्युटिड गंगा वाटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन सीडिंग एंड सीड जर्मिनेशन ऑफ सेसामम इंडिकम", विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका, प्रयोग, खंड 54, संख्या 2, अप्रैल 2010

5. प्यूरीफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एनटेरोसिन एल.आर/6 ए न्यू बैक्टेरियोसिन फ्रॉम इनटेरोकोकस फैसियम एलआर/6 एप्लाइड बायोकमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी 16:40–49(10)

6. स्टेरोकेमिकल स्ट्डीज एंड इनवेस्टिगेशंस ऑफ पॉसिबल फैराकॉलोजिकल इफेक्ट ऑफ सम आर्गेनाइजेशन (IV) और गॉनोसिलिकान (IV) कंम्पलेक्स विद ओएनएस डोनर लिगैंड्स सिंथेसाइज्ड अंडर माइक्रोवेव इरेडिकेशन जे. इनआर्गा. बायोकैम. 104. 345.210

7. रोल ऑफ फाइटोक्रोमोंस एंड वैरियस नाइट्रोजन इनआर्गेनिक एंड आर्गेनिक न्यूट्रेंट्स इन इनडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रीओजेनेसिस इन सेल कल्चर डेराइव्ड फ्रॉम लीफलेट्स ऑफ एजाडिरिचटा इंडिका ए. जस बायोलोगिया प्लेटिनम 53 (4) 707–710 स्प्रिंगर – वेरलॉग, दिसंबर 2010

- **uhfr d i;ktu d fy, egÙoi.k lfefr;k dk xBu**

  सामान्य परिषद्, कार्यपालक परिषद, वित्त समिति, शैक्षिक परिषद्

3-2-2 dsnh; frCcrh vè;;u fo'ofo|ky;] lkjukFk] okjk.klh ¼mÙkj in'k½

केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के भाग के रूप में वर्ष 1967 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और धर्म गुरू दलाईलामा, दोनों शांतिप्रिय नेताओं के बीच हुई बातचीत का परिणाम है। इसकी स्थापना तिब्बती संस्कृति के परिरक्षण के लिए मुख्य केंद्रीय संगठन स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। यह संस्कृति शदियों की सुदीर्घ प्रक्रिया से भारत से गई थी। बाद में, 1988 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषण से कार्य कर रहा है।

- **dk;Z**

  - तिब्बती संस्कृति की रक्षा करना
  - तिब्बती भाषा में संरक्षित प्राचीन भारतीय विज्ञान और साहित्य को परिरक्षित करना, जो मूल रूप में खो गया था।
  - भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थियों को वैकल्पिक शैक्षिक सुविधा प्रदान करना, जो पहले तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठा रहे थे; और
  - तिब्बतीय अध्ययनों में डिग्री देने के लिए प्रावधान करने से शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र को लाभ पहुंचाना।

इस कार्य के अनुरूप तिब्बती अध्ययनों में पिछले 43 वर्षों से शिक्षा प्रदान की जा रही है और इसमें ऐसी आशा की जा रही है कि शिक्षण की पारंपरिक तिब्बती विधि को आधुनिक विश्वविद्यालयों के ढांचे में लाया जाए, जिसमें समय) अध्ययन पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा और डिग्री प्रदान किए जाने का प्रावधान हो।

इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की अपनी नीति है। स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर परीक्षाएं, मौखिक परीक्षा/ चर्चा भी आचार्य स्तर पर इस परीक्षा प्रणाली के भाग हैं। शास्त्रार्थ या चर्चा–परिचर्चा की परंपरा को शिक्षण का अभिन्न और व्यवहार्य अंग समझा जाता है।

वित्त वर्ष 2010–11 के लिए संस्क ति मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किया है:

'kh"k	yk[k #i;s esa
गैर–योजनागत	690.00
योजनागत	595.00

इसके अलावा, वर्ष 2010–11 के दौरान इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 11वीं योजना विकास योजना स्कीम के अधीन 1.00 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) की धनराशि प्राप्त हुई है।

- **iqLrdky;**

विश्वविद्यालय का शांतारक्षिता पुस्तकालय पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है, जिसमें इंटरनेट और इनफ्लिबनेट की सुविधाएं और दुर्लभ जाइलोग्राफिक पांडुलिपियों का बहुत बड़ा भंडार है। इस पुस्तकालय में व्यापक तिब्बती संग्रहालय है, जिसमें *कांगयूर* और *तेंगयूर* जो चीनी और पाली के त्रिपटक हैं, के सभी प्रमुख संस्करण भी शामिल हैं और इसमें कई तिब्बती विद्वानों का पूरा वाङमय भी है।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस पुस्तकालय द्वारा 3410 पुस्तकें और 42 अनुसंधान पत्रिकाएं खरीदी गई हैं।

पुस्तकालय के श्रव्य–दृश्य माइक्रोफार्म/ रिप्रोग्राफी अनुभाग के कर्मचारी लगभग 60 प्रतिशत कार्य समय का उपयोग पाठकों की बात सुनने और सेवा करने में करते हैं। पुस्तकालय का कंप्यूटर अनुभाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए "कंप्यूटर शिक्षा के उन्मुखी पाठ्यक्रम" के तीन पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

- **'kf{kd**

vuqlèkku

तंत्र, दर्शन, तर्क, साहित्य, व्याकरण, मेटाफिजिक्स, लेक्सोग्राफी और इनसाक्लोपेडिक शब्दकोशों के क्षेत्र में प्रकाशित विद्वतापूर्ण कार्यों में प्रमुख योगदान देने वाले अनुसंधान इस विश्वविद्यालय का मुख्य आधार है। इसके चार विभाग हैं:

1. पुनः प्रतिष्ठा
2. अनुवाद
3. दुर्लभ बौद्ध पाठ्य अनुसंधान
4. शब्दकोश

इस वर्ष के दौरान पुनः प्रतिष्ठा विभाग के विद्वानों ने निम्नलिखित विषयों पर कार्य किया:

(1) *आचार्य नागार्जुन का पिंडीकर्म और पंचकर्म* : यह बहुत कठिनाई से संपादित तिब्बती पाठ है, जिसमें प्रस्तावना, विषय–सूची और अन्य संबंधित कार्यों का उल्लेख है।

2) *आचार्य धर्म कीर्ति का न्यायबिंदु* : प्रोफेसर जी सी पांडे ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह संस्कृत और तिब्बती पाठ का बहुत विवेचनात्मक संस्करण है।

(3) *मध्युत्पत्ति :* यह भारतीय विद्वानों द्वारा नौवीं शताब्दी में बौद्ध शब्दावली का संकलन है, जिसका यह तिब्बती अनुवाद है। इसका विवेचनात्मक संपादन किया गया है और इसमें प्रस्तावना तथा विषय–सूची दी गई है।

(4) तीन बौद्ध बौद्ध मतों और तीन फेराबदा परंपरा के सुत्ताओं का *धर्माकाक्रियापर्वतनशूत्र :* यह एक अनुवाद है और विवेचनात्मक रूप से इसका संपादन किया गया है।

vuqokn foHkkx के विद्वानों द्वारा किया गया कार्य:

(1) जे गन–थान तेनपाई द्रोनमे के विशिष्ट सूफियों का तीन भाषाओं में मुद्रण का *तैयार जल और वृक्ष संबंधी संधि* अर्थात तिब्बती, हिंदी और अंग्रेजी जो शीघ्र ही मुद्रण के लिए भेजी जाएगी।

(2) 'इलुडिंग डेथ' नामक आचार्य बागीशरकृति का मेगम ओपस एक ऐसी साहित्यिकृति है, जो इसके नवोन्मेषी और दीर्घ जीवन के रूप में जानी जाती है जिससे मानव जीवन की सार्थकता को प्रेरणा मिलती है। इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक गेटकीपर द्वारा तैयार किया गया है।

(3) आचार्य कंडरीकीर्ति का *मध्यमकवात्रा* संबंधी टिप्पणी (छठा अध्याय) : इसका अनुवाद, जिसमें कंप्यूटर में टाइप का कार्य भी शामिल है, पूरा हो गया है और इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(4) आचार्य आसंगा का *महायान संग्रह* : इस पुस्तक का संपूर्ण अनुवाद हो चुका है और दो अध्यायों का संपादन भी किया जा चुका है।

(5) आचार्य हरभट्ट जटकमला का हिंदी अनुवाद : 21 जटकमला का हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका है।

nyHk ck) ikB vulèkku foHkkx के विद्वानों का कार्यः

(1) मूल संस्कृत में *दिपांकरश्रीभंद्रा का गुहियासमाजममंडलाविधि* नामक दुर्लभ पाठ का विवेचनात्मक संपादन और प्रकाशन और इसका तिब्बती भाषा में अनुवाद।

(2) दुर्लभ पाठों का स्रोत भाग चार प्रकाशित किया गया है।

(3) तीन दुर्लभ बौद्ध पाठों को इसकी गृह पत्रिका *दिह* में खंडों में प्रकाशित किया जा रहा है।

(4) *दिह* पत्रिका के दो अंक (संख्या 49 और 50) प्रकाशित किए गए थे।

(5) 'संपुटतंत्र' नामक प्रमुख पाठ का विवेचनात्मक संपादन किया जा रहा है।

'kCndks'k foHkkx के विद्वानों का कार्यः

(1) *तिब्बती – संस्कृत आयुधविज्ञानकोश* को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(2) *तिब्बती संस्कृत ज्योतिकोश* "अमरकोश" और "ज्योतिश रत्नमाला" के संस्कृत पर्यायों के साथ लगभग 300 नये संस्करण पुराने हो चुके हैं। इन पाठों के संस्कृत पर्याय "शिव श्रोदय" और "काल चक्र – अवतार" तथा तिब्बती भाषा के पाठ "बेयदुर–यासेर" को संकलित किया गया है और तिब्बती संस्कृति ज्योतिकोश का पहला संस्कृत रूप पूरा हो गया है।

(3) विद्यार्थी तिब्बती संस्कृत शब्द कोश : इस अवधि में लगभग 120 तिब्बती चा वर्ग के शब्दों की मुख्य प्रविष्टि की गई है। तिब्बती ला वर्ग के 293 शब्दों की मुख्य प्रविष्टि की गई है और तिब्बती सा वर्ग के शब्दों कीलगभग 100 मुख्य प्रविष्टियां की गई हैं और उनके संस्कृत पयार्य और रोमन लिपि में तिब्बती अक्षर (अंग्रेजी लिपि) और अंग्रेजी उच्चारण तैयार किया गया है।

(4) विनय कोश : तिब्बती भाषा में विनय सूत्र का दो बार प्रूफ पाठन कर दिया गया है। इसमें 300 विनय तिब्बती ाब्दों को संकलित और संगृहीत किया गया है और उनके संस्कृत पयार्य दिए गए हैं।

(5) डेटा बेस : तिब्बती संस्कृत शब्दकोश के न से अ का संपादन और अतिशा फोंट को यूनिकोड फार्मेट में 'धगरमासंग्रह–कोश' को परिवर्तितत करना और "धगरमाहसंग्रह–कोश" को डेटाबेस शब्दकोश में संपादित करना।

(6) "तिब्बती संस्कृत शब्दकोश" का पीडीएफ तैयार करना। इसके 16 खंडों और धगरमासंग्रह कोश को संपादित करना।

(7) वर्णक्रम में रखने के लिए और शब्दावली तैयार करने के लिए "तिब्बती संस्कृत आयुरिजिनाना कोश" के 3000 मुख्य प्रविष्टि कार्डों को तैयार करना।

वर्ष के दौरान कुल 10 पुस्तकों को प्रकाशित किया गया या पुनः मुद्रित किया गया है। ये पुस्तकें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और तिब्बती भाषा में हैं।

- **lxk"Bh@ lEeyu@ dk;'kkyk@in'kuh**

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न विषयों यथा बौद्ध दर्शन और तिब्बती भाषा संबंधी गहन पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय के प्रकाशनों और थंका की पुस्तक प्रदर्शन, कंप्यूटर शिक्षा में उन्मुखी पाठ्यक्रम, बौद्ध पांडुलिपियों का संपादन, नक्षत्र, खगोलविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान का संपादन पर लगभग 21 विचारगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं। चीनी दर्शन शाखा की प्रोन्नति में सूत्र का महत्त्व, अवंतक सूत्र में बोध की छवि, शिक्षण के समय प्राप्ति का अनुभव, हिंदी राजभाषा, संस्कृत का महत्त्व और उसके अध्ययन का तरीका, बौद्ध मत का परिचय, तिब्बती संस्कृति में संस्कृत भाषा का महत्त्व, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रतिकूल तर्क देने, परमाणु, तत्त्व और रसायन विज्ञान का इतिहास, आंतरिक आध्यात्मिक विवेक पैदा करने, आध्यात्मिक गुरू का दायित्व और बौद्धों की आशा और विश्वास का योगदान।

- **idk'ku**

न्यायबिंदु एवं धर्मोत्तर टिका (संस्कृत, तिब्बती और हिंदी) पर आर्य सलिशतंभा सूत्र एवं आचार्य कमलशील विरचित बृहत टिका (तिब्बती और हिंदी), बौद्ध धर्म और विज्ञान (अंग्रेजी), आचार्य नागार्जुन का पिडिकर्म और पंचकर्म (तिब्बती भाषा में), दुर्लभ ग्रंथों की आधार सामग्री (भाग–4), गुहिया समाज मंडल विधि (तिब्बती और संस्कृत), दिह पत्रिका खंड 49 और 50 पर वर्ष 2010–11 के दौरान लगभग आठ पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

3-2-3 n;kyckx 'kf{kd lLFkku] vkxjk ¼mÙkj in'k½

- **fjikVkèkhu o"k dk fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षण अनुदान के संबंध में वर्ष 2010–2011 के लिए 13.57 करोड़ रुपये और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत अनुदानों के संबंध में 2.87 करोड़ रुपये बजट आबंटन किया गया है। इस संस्थान को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भी 14.42 करोड़ रुपये का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है।

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr ¼v?;kid] fo|kFkh] efgyk,] vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr vkfn½**

¼i½ fu;ä fd, x, vè;kidk dk fooj.k

y{; leg	fu;ä fd, x, vè;kidk dh dy l[;k			dkye 4 e					
				vulfpr tkfr dh dy l[;			vulfpr tutkfr dh dy l[;k		
	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
fu;ä vè;kid	01	02	03	01	–	01	–	–	–

¼ii½ ukekfdr fd, x, Nk=k dk fooj.k

y{; leg	fu;fDr fd, x, vè;kidk dh dqy l[;k			dkye 4 e					
				vulfpr tkfr dh dqy l[;			vulfpr tutkfr dh dqy l[;k		
	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ukekfdr Nk=	968	2433	3401	188	411	599	42	29	71

- **vk;kftr fd, x, lEeyu fon'kh ifrfufèkeMyk d nkjs vkj vU; egÙoi.k vk;ktu] ;fn dkbl gk**

¼i½ vk;kftr lxk"Bh@lEeyu@dk;'kkyk,

- तीसरा प्रणाली सम्मेलन, "परितंत्र – 2010" डॉ. विशाल साहनी द्वारा 8 मार्च, 2010 को आयोजित किया गया।
- "पर्यावरण शिक्षा" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा संकाय द्वारा 2 अप्रैल, 2010 को आयोजित किया गया था।
- "वैकल्पिक फील्ड और वैकल्पिक प्रोफाइल पद्धतियों का प्रयोग करके भारतीय रेल प्रणाली के लिए विकासशील नीतियां" विषय पर प्रो. एस.के. गौड और प्रो. बी एस मिश्रा द्वारा मई, 2010 में डी.ई.आई. के इंजीनियरी संकाय में आयोजित किया गया था।
- "भारतीय रेलों में सुरक्षा नीति के लिए वैकल्पिक प्रोफाइल विधि का अनुप्रयोग" विषय पर 20 मई, 2010 को कार्यशाला आयोजित की गई।
- "आध्यात्मिक चेतन अध्ययन" पर 12 से 14 नवंबर, 2010 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- रसायन विज्ञान स्वास्थ्य पर्यावरण और ऊर्जा में नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दिसंबर, 2010 में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- ए आई सी टी ई आई आई पी सी, डी ई आई के तत्त्वावधान में इंजीनियरी संकाय द्वारा "सॉलिड कार्य का प्रयोग करके सी ए डी मॉडलिंग को लागू करना" पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- प्रबंधन संकाय द्वारा "नीति, संगठनात्मक डिजाइन और कारोबार निष्पादन के संकल्पनात्मक संबंध" पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई।
- 7 जून, 2011 को "शिक्षा अनुसंधान में नवोन्मेषी विचार" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. सरूप माथुर, कार्यक्रम के संयोजक, विशेष शिक्षा, ऐरीजोन स्टेट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसअवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- प्रबंधन विभाग द्वारा 18–20 फरवरी, 2011 को "प्रबंधन में अभ्यास और अनुसंधान, पी आर आई एम 2011" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- प्रो. डी के चतुर्वेदी, इंजीनियरी संकाय द्वारा 22–23 मार्च, 2011 को "मेटलैब" पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- भौतिकविज्ञान और कंप्यूटरविज्ञान विभाग द्वारा 31 मार्च, 2011 को "राष्ट्रीय विशिष्ट आईडी परियोजना : संभावना और चुनौतियां" पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–एस ए पी की एक–दिवसीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई।
- 26 मार्च, 2011 को सूर सरोवर, पक्षी अभयारण्य में "आगरा–बी सी डब्ल्यू ई टी पी ए 2011" में बंजर भूमि में जैविक संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन की संभावना पर एक–दिवसीय विचारगोष्ठी।

¼ii½ vfrfFk@vk;kftr fo'k"k 0;k[;ku

- 20 मार्च, 2010 को संस्थान के दीक्षांत हाल में **ghjd t;arh Lekjd 0;k[;ku** आयोजित किया गया। डॉ. भानु प्रताप मेहता अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- 30 दिसंबर, 2010 को **29oka nh{kkar lekjksg** आयोजित किया गया। डॉ. बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- **izdk'kuksa dh lwph**

प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 131 (एक सौ इक्कतीस) अनुसंधान सहयोगी समीक्षक लेख प्रकाशित किए गए और **varjjk"Vªh; if=dkvksa** में 113 (एक सौ तरेह) अपुसंधान लेख प्रकाशित किए गए।

(क) डीईआई जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरी रिसर्च – वार्षिक पत्रिका

(ख) शोध श्री – हिंदी में अनुसंधान पत्रिका (वार्षिक)

(ग) एफ ओ ई आर – शिक्षा अनुसंधान सार संकाय

(घ) पुस्तकालय परितंत्र

3-2-4 MDdu egkfo|ky;] iq.ks ¼egkjk"V½

1- ,frgkfld i`"BHkwfe

डेक्कन महाविद्यालय स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय पुरातत्त्व, भाषा और संस्कृत जैसे धरोहर संबंधी विषयों में विशेषज्ञ है। इसके पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं।

2- Nk=ksa dk ukekadu

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों का विवरण इस प्रकार है:

ikB;Øe	iqjkrÙo	Hkk"kk	laLd`r vkSj Hkk"kkfoKku	tksM+
एमए डिग्री	31	07	08	46
स्नातकोत्तर डिप्लोम	03	–	–	03
पीएच–डी. (दिनांक 31.03.2011 तक)	74	16	08	98
	dqy tksM+			**147**

fo'k"k fVIi.kh % छात्रों के उपर्युक्त नामांकन में पूरे देश के लगभग सभी भागों के और श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, फिलिस्तीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे कुछ विदेशों के छात्र भी शामिल हैं।

3- nh{kkr lekjkg

6 अक्तूबर, 2010 को इस विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रो. गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को संस्कृत के अध्ययन में उनके योगदान के लिए डी. लिट. की मानद उपाधि प्रदान की गई।

4- iznku dh xbl ih,p&Mh- dh fMfxz;k dh l[;k ¼ पुरातत्त्वः 02, भाषा विज्ञानः 03

5- fjiksVkèkhu o"k ¼1 vizSy] 2010 ls 31 ekp] 2011½ dk O;;

Øe l-	en	O;; ¼yk[k #i;s e½
1.	वेतन और भत्ते	273.30
2.	छुट्टी यात्रा गृह नगर और सेवानिव ति पर नकदीकरण (एलटीसी 4509 रु.)	4.58
3.	छात्रवृत्ति	0.72
4.	सामान्य व्यय	21.82
5.	भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय	2.95
6.	पुरातत्त्व अनुसंधान व्यय	12.00
7.	प्रकाशन	3.00
8.	पुस्तकालय	16.85
9.	भवन की मरम्मत और अनुरक्षण	1.30
10.	पुरातत्त्व और मराठा इतिहास संग्रहालय	2.05
11.	मराठा इतिहास	0.30
	dy tkM	**338-87**

6- ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr ¼vè;kid] fo|kFkh] efgyk,] vuqlfpr tkfr] vuqlfpr tutkfr vkfn½

संकाय सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे अनुसंधान पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान और संस्कृत के अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में शिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलाप कर सकें। उन्हें सम्मेलनों और संगोष्ठियां आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता और छुट्टियां भी दी गई हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन बहुत उत्साहवर्धक रहा है। महिला छात्रों की संख्या भी लगभग पुरुष छात्रों के बराबर रही है। नियमों में ढील देने से विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

7- uhfrxr fu.k;

विश्वविद्यालय ने एम ए और पीएच–डी में भर्ती शिक्षण संबंधी कर्मचारियों की भर्ती और वृत्ति में प्रगति योजना के बारे में नीतिगत निर्णय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और विनियमों को अपनाया है। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर में कई बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी क्रियाकलाप किए हैं।

8- Hkkoh ;kstuk

यह विश्वविद्यालय संग्रहालय विभाग, मराठा इतिहास विभाग और भारतीय तथा विदेशी भाषा विभाग नामक तीन नए विभाग शुरू करना चाहेगा, जिसके संबंध में इस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदनपत्र दिया है।

9- ifrfufèkeMyk dk nkj

संकाय सदस्यों ने विभिन्न देशों में आयोजित सम्मेलनों/ विचारगोष्ठियों में भाग लिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भी इस वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का दौरा किया है।

10- idkf'kr idk'kuk dh lph

विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों और अनुसंधान कर्मचारियों ने प्रति ठत भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में 40 से अधिक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित प्रकाशन भी प्रकाशित किए हैं:

(i) डेक्कन कॉलेज अनुसंधान संस्थान के बुलेटिन का संयुक्त खंड 68–69

(ii) ऐतिहासिक सिद्धांतों पर संस्कृत के इनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश के खंड IX का भाग II

11- vuqlèkku lcèkh ifj;kstuk,

विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान कर्मचारियों ने पीएच–डी के छात्रों को पढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने के अलावा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं भी तैयार की हैं। भाषा विज्ञान विभाग ने अंग्रेजी के उच्चारण में स्वन विषय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किया है। संस्कृत और भाषाविज्ञान विभाग ने "एन इनसाक्लोपेडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसीपल" नामक बड़ी लेक्सोग्राफिकल परियोजना तैयार की है। इस विभाग ने इसके खंड IX का भाग II भी तैयार किया है। इस विभाग का संसाधनों की सामग्री के स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन कार्यक्रम भी सुचारु रूप से चल रहा है।

12- foLrkj lcèkh fØ;kdyki

देश की ऐतिहासिक धरोहर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अपनी पहुंच क्रियाकलापों के भाग के रूप में पुरातत्त्व विभाग ने इतिहास के विद्यालयी शिक्षकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है और विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए संग्रहालय दीर्घाओं के दौरे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। शिक्षण और अनुसंधान कर्मचारियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कई व्याख्यान भी दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने पूना में और अन्यत्र भारत की ऐतिहासिक धरोहर के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विशिष्ट व्याख्यान और रेडियो वार्ता भी दी हैं।

3-2-5 xqtjkr fo|kihB] vgenkckn ¼xqtjkr½

- **dk;Øe@;kstuk dh ,frgkfld i"BHkfe**

  - उच्च शिक्षा और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1920 में एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1963 में गुजरात विद्यापीठ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।

- **mís'; vkj e[;&e[; fo'ks"krk,**

  - इस विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार देश के पुनर्निर्माण से संबंधित आंदोलनों को संचालित करने के लिए आवश्यक चरित्र, योग्यता, शिक्षा और जागरूकता वाले कार्यकर्ताओं को तैयार करना है।

- इस विद्यापीठ के अध्यापक और न्यासी केवल उन्हीं साधनों तक अपने आपको सीमित रखेंगे, जो सत्य और अहिंसा के प्रतिकूल न हों और लगातार इसका पालन करेंगे। इस विद्यापीठ से जुड़े सभी संस्थानों के न्यासी, अध्यापक, विद्यार्थी और कर्मचारी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आंदोलन के अनिवार्य अंग के रूप में हाथ से कताई करेंगे और इसलिए अपरिहार्य कारणों के सिवाय नियमित रूप से सूत कातेंगे और आदतन खादी पहनेंगे।
- इस विद्यापीठ में मात भाषा का प्रमुख स्थान होगा और वह सभी शिक्षा का माध्यम होगी।
- शारीरिक प्रशिक्षण (औद्योगिक शिक्षण) को वही महत्त्व प्रदान किया जाएगा, जो बौद्धिक शिक्षा का होता है और केवल ऐसे व्यवसायों की शिक्षा दी जाएगी, जो देश के अनुकूल हो।

- **fjikVkèkhu o"k d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV ¼1 vily] 2010 l ekp] 2011½**

बजट प्राक्कलन	2234.51 लाख रुपए
व्यय	2284.79 लाख रुपए

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr ¼fo'ofo|ky;] egkfo|ky;] vè;kid] fefgyk,] vulfpr tkfr@ vulfpr tutkfr vkfn½**

महाविद्यालय	: 6	अध्यापक	: 101	महिलाएं	: 31
छात्र	: 1616	लड़के	: 982	लड़कियां	: 634

जोड़	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1616	434	4221	457	504

- **fo|eku fLFkfr] fy, x, lxr egÙoi.k uhfrxr fu.k;@dk;Øe e fd, x, ifjorlu**

इस वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सत्रीय प्रणाली अपनाई है। सत्रीय प्रणाली के साथ–साथ हमने 10 अंक वाली ग्रेड प्रणाली भी अपनाई है। इस वर्ष हमने एक स्नातक–पूर्व स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो ग्राम विकास, सामाजिकविज्ञान और ग्रामीण अर्थशास्त्र में गांधी की विचारधारा के अनुकूल होगा।

इस वर्ष से इस विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों के लिए शिक्षा के भाग के रूप में लघु उद्योग (उद्योग) भी शुरू किया है, जिसमें कताई करना, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कागज बनाना, क्राफ्ट आदि शामिल किया गया है।

- **Hkkoh dk;l ;ktuk] ftle viukbl tku okyh fodkl uhfr dk mYy[k g**

गुजरात विद्यापीठ गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। इसलिए इसकी भावी योजना "गांधीवादी अहिंसाः सिद्धांत आधैर अनुप्रयोग" विषय पर एक पूरे पेपर के रूप में अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करने की है। वर्तमान में कुछ विभागों में गांधीवादी विचारधारा पर एक या दो पेपर हैं और अपने वि ाय के साथ उन्हें किया जा रहा है।

- **vk;kftr lEeyu] fon'kh ifrfufèkeMy dk nkjk vkj vk;kftr fd, x, vU; egÙoi.k lekjkg] ;fn dkbl gk**

बौद्ध अध्ययन के लिए भारतीय समाज का दसवां वार्षिक सम्मेलन (17.09.2010 से 19.09.2010):

- **i|dkf'kr vk|j efnr i|dk'kuk dh l|ph**

1. चार्यपिटक (गुजराती)
2. जैन शब्दावली (अंग्रेजी)
3. जैन शब्दावली (हिंदी)
4. गीता एक अनुशीलन (गुजराती)
5. मदर टेरेसा (गुजराती)
6. सर्वधर्म सार (गुजराती)
7. श्री रामचरितमानस (गुजराती)
8. गीता दर्शन (गुजराती)
9. श्रीकृष्ण जीवन सार (गुजराती)
10. राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनःस्थापन नीति – 2007 (गुजराती)
11. सबहै भूमि गोपाल की (हिंदी)
12. भगवान बुद्धाना पचास धर्म संवाद (गुजराती)
13. प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य में विज्ञान (अंग्रेजी)
14. समूहजीवनानो आचार (गुजराती)
15. विद्यापीठ हिंदी पत्रावली (हिंदी)
16. अनुवाद विज्ञान (गुजराती)

3-2-6 tSu fo'o Hkkjrh fo'ofo|ky;] ykMu ¼jktLFkku½

जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय मानव जीवन की भलाई के लिए अनेकांत, अहिंसा, सहनशक्ति, शांति और सह–अस्तित्व के उच्च विचारों को व्यवहार में लाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने की दिशा में एक प्रयास है।

- **ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV ¼vofèk % 01 vi|y] 2010 l 31 ekp] 2011½ & fo'ofo|ky; vunku vk;kx l ikIr vkj [kp dh xbl jde**

(i)	प्राप्त जेआरएफ	9.51 लाख रुपए
(ii)	विलयित स्कीमें	155.00 लाख रुपए
(iii)	संसाधन प्राप्ति अनुदान 2009–10	50.00 लाख रुपए
(iv)	प्रमुख अनुसंधान परियोजना (प्रो. बी. आर. डुगर)	3.26 लाख रुपए
(v)	विश्वविद्यालय का स्वयं का बजट (अवधि : 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011)	

वर्ष 2010–11 में कुल आय	454.21 लाख रुपए
वर्ष 2010–11 में कुल व्यय	449.36 लाख रुपए

- **o"k 2010&11 d fy, ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr**

o"k 2010&11 d nkjku fo'ofo|ky; e ukekfdr fo|kFkh

Øe l-	J.kh	fyx	LukrdksÙkj	Lukrd&iwo	tksM+
1.	सभी श्रेणियां	पुरुष	27	–	27
		महिलाएं	56	187	243
		tksM+	**83**	**187**	**270**
2.	अ.जाति/अ.ज.जा.	पुरुष	–	–	–
		महिलाएं	–	06	06
		tksM+	**&**	**06**	**06**

,l! Nk=k dh l[;k ftUg! fo'ofo|ky; }kjk Nk=o'fÙk@o thQk fn;k x;k gk

पीएच–डी के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या – 05 (05 महिलाएं)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या – 11 (03 पुरुष+08 महिलाएं)

स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या – 01 (01 महिला)

- **deZpkfj;ks vkj Nk=ks dk fn, tku oky ykHk**

¼d½ vè;kid@deZpkjh

- शिक्षण और गैर–शिक्षण दोनों प्रकार के सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आवास का प्रावधान।
- परिसर के अंतर्गत रहने वाले कर्मचारियों के लिए बिजली की खपत/बिल में सब्सिडी।
- राजस्थान में पेय और पीने के पानी की बहुत कमी है और लॉडनुं, जहां विश्वविद्यालय है, वह फ्लोराइड बेल्ट में आता है। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए वर्षा का पानी ही जीवन रेखा है। वर्षा के पानी की हार्वेस्टिंग के ढांचे में जमा होने वाले पानी से पीने का पानी फिल्टर करने के लिए पेयजल और आर ओ का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देता है।
- अपने कार्य में संप्रेक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए गैर–शिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण

¼[k½ Nk=

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण।
- संबंधित सरकार और अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/वजीफा पाने में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधा प्रदान करना।
- जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लॉडनुं से गरीब और जरूरतमंद छात्रों से छात्रवृत्ति/वजीफा देने का प्रावधान।
- मेधावी/राष्ट्रीय खिलाड़ी/राज्य खिलाड़ी, बहादुरी पुरस्कारप्राप्त उम्मीदवारों के लिए फीस में रियायत।
- विभिन्न धर्मों के साधुओं और साध्वियों को पूर्व–स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच–डी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा।
- बैंक/ रेलवे/पुलिस/रक्षा/बीमा/बी पी ओ/आर पी एस सी/सी एस/सी ए/ सी पी टी/ पी टी ई टी/ एन ई टी/ जे आर एफ/ टी ई टी आदि के लिए उपचारात्मक और अनुशिक्षण कक्षाएं।

- छात्रों को कॅरियर काउंसलिंग, स्थापन सहायता भी दी जाती है।

dk;Øe d lcèk e fd, x, egÙoi.k uhfr fu.k;

मूल्यांकन का सत्रीय पैटर्न सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में लागू कर दिया गया है।

vrjjk"Vh;@jk"Vh; lEeyu@fopkj xk"Bh@dk;'kkyk vkfn dk vk;ktu

(क) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीमकालीन विद्यालय आदि (राष्ट्रीय) के आयोजन की सूची

dk;'kkyk	lEeyu	vfrfFk 0;k[;ku	lxk"Bh	xh"edkyhu fo|ky;
03	–	43	04	02

(ख) विचार गोष्ठी (अंतरराष्ट्रीय) : 01

vrjjk"Vh;@jk"Vh; lEeyuk vkj 'kf{kd fØ;kdykik e ldk; lnL;k dh ifrHkkfxrk

(क) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीमकालीन विद्यालय/उन्मुखी कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि (राष्ट्रीय) में प्रतिभागिता की सूची

dk;'kkyk	lEeyu	vfrfFk 0;k[;ku	lxk"Bh	fopkj xk"Bh	mUe[kh dk;Øe	iu'p;k ikB;Øe
52	12	63	149	05	01	02

(ख) कार्यशाला/सम्मेलन/अतिथि व्याख्यान/संगोष्ठी/ग्रीष्मकालीन विद्यालय आदि (अंतरराष्ट्रीय) में प्रतिभागिता की सूची

dk;'kkyk	lEeyu	vfrfFk 0;k[;ku	lxk"Bh	xh"edkyhu fo|ky;
02	20	08	15	02

vU; n'kk@ vrjjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj

जैन विश्वविद्यालय ने फ्लोरिडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। घेंट विश्वविद्यालय का फ्लोरिडा और ओरिएंटल लैंग्वेज एंड कल्चरल, बेल्जियम के साथ संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के विनिमय कार्यक्रम के संबंध में यह समझौता किया गया है ताकि शैक्षिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहुंच बन सके।

idk'kuk dh lph

विश्वविद्यालय **lokfguh** नामक एक सूचनापत्र और **rRoylh iRtuk** नामक एक अनुसंधान पत्रिका भी तिमाही आधार पर प्रकाशित की जा रही है।

egÙoi.k lfefr;k dk xBu

विधिवत गठित निम्नलिखित समितियां भावी नीति निर्णय लेने के लिए कार्य कर रही हैं:

- सीनेट
- प्रबंधन बोर्ड
- वित्त समिति

- शैक्षिक परिषद्
- विभिन्न विभागों के अध्ययन बोर्ड
- अध्ययन बोर्ड
- पुस्तकालय समिति
- आई क्यू ए सी

- **vU;**

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अधीन बी. कॉम और बी. लिब नामक दो पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- उन्मुखी विषय पढ़ाने वाले विभाग में नामांकित सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान : स्नातकोत्तर छात्रों के लिए : 10, एम. फिल छात्रों के लिए 05 और चार विभागों के एक–एक शोध छात्र (पीएच–डी) के लिए 04।
- विश्वविद्यालय का सामाजिक कार्य विभाग 15–20 किलो मीटर की परिधि में आने वाले गांवों में विभिन्न शिविर आयोजित करता है। ये शिविर महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पशुपालन, वृक्षारोपण, कानूनी जानकारी, उपभोक्ता अधिकार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने, योगा और ध्यान, पारंपरिक कला के रूपों की रक्षा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि से संबंधित जागरूकता और समाज सेवा की जानकारी देने के लिए आयोजित किए जाते हैं।
- यह विश्वविद्यालय वर्ष 2004 से आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना चला रहा है, जिसमें लड़कियों, महिलाओं के स्कूल छोड़ने या नामांकित नहीं किए गए उम्मीदवारों को शिक्षा की सुविधा देता है ताकि वे दूरवर्ती तरीके से आठवीं कक्षा की परीक्षा में बैठ सकें। इस व्यवस्था को अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सहयोग से राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- यह विश्वविद्यालय प्रति वर्ष सभी नए भर्ती होने वाले छात्रों के लिए प्रेक्षा ध्यान एवं योग तथा व्यक्तित्व के विकास के संबंध में ओरिएंटेशन शिविर आयोजित करता है।

3-2-7 jk"Vªh; laLd`r fo|kihB] fr#ifr ¼vkU/kz izns'k½

- **ifjp;**

यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। यह विश्वविद्यालय शास्त्रीय विषयों, यथा–साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत, वेदांत, विशिष्ट अद्वैतवेदांत, द्वैत वेदांत एवं आगम इन विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इन सारे विषयों एवं इनसे संबद्ध विषयों में डिग्रीपूर्व स्तर से लेकर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर से पी.एच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। पाठयक्रमों का रूपांकन इस प्रकार से किया गया है ताकि छात्रों को इन समस्त विषयों में समृद्ध बनाया जा सके – कंप्यूटर अनुप्रयोग, गणित, वेब प्रौद्योगिकी, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, तेलुगू साहित्य या हिन्दी साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, शोध प्रणाली विज्ञान, पाण्डुलिपि प्रणाली विज्ञान तथा कुछ प्रकार्यात्मक विषय जैसेः अर्चकत्व, पुरोहित्व, योग, अगम आदि। यह विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड., एम.एड., एम.फिल.एवं पी.एच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है तथा वह शिक्षा विभाग, बहु आयामी मीडिया भाषा प्रयोगशाला एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा पूर्णतः सुसज्जित है। पाठ्य विवरण एवं पाठ्यक्रम संरचना को प्रति तीन वर्षों पर पुनरीक्षित किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र प्रणाली को लागू किया गया है। विद्यापीठ में प्रवेश लेने वाले

लगभग समस्त छात्रों को परिसर के भीतर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संकाय सदस्यों की निगरानी में, परिसर में लगभग 809 छात्रों को समेकित भोजन आदि व्यवस्था के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र द्वारा, प्राक् शास्त्री, आचार्य एवं कई विषयों में डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यह है कि सामान्य व्यक्ति तक संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान पहुंच सके।

mí’; ,o e[; fo’k"krk,

- पारंपरिक शास्त्रों का संरक्षण।
- शास्त्रों की व्याख्या के कार्य आरम्भ करना।
- आधुनिक संदर्भ में समस्याओं से संबद्धता स्थापित कराना।
- अध्यापकों के लिए आधुनिक एवं शास्त्रीय गहन प्रशिक्षण हेतु साधन जुटाना।
- इन विषयों में उत्कृभटता प्राप्त करना जिससे कि इस विद्यापीठ की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बने तथा लक्षित उद्देश्यों को अभिलक्षित किया जा सके।

e[; fo’k"krk, अकादमिक एवं अनुसंधान क्षेत्रों में उपलब्धियों एवं संभावना पर विचार करते हुए यू.जी.सी. ने इस विद्यापीठ को निम्नलिखित के रुप में पहचान दी है:

- दॅ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेडीशनल शास्त्र ।
- दॅ नैशनल एसेमेंट एण्ड एक्रेडीशन कांउलिस (एन ए ए सी) ने ए+ स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रत्यायन किया गया।

fjikVkèkhu o"k ¼01-04-2010 l 31-03-2011 rd½ d fy, ctV vkcVu ,o fu"iknu ctV

ctV 'kh"k	vkcVu	iklr vunku	0;;
¼yk[k #i; e½	¼yk[k #i; e½	¼yk[k #i; e½	¼yk[k #i; e½
गैर–योजनागत	2004.62	2004.62	1999.62
योजनागत (2007 से 2012) (सामान्य विकास अनुदान और विलयित योजना)	497.28	497.28	337.68
यू जी सी–एस ए पी साहित्य	6.22	5.81	5.98
यू जी सी–एस ए पी शिक्षा	7.02	5.25	6.81
उत्क भटता केंद्र	300.00	240.00	122.00

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr**

fooj.k	i#"k		efgyk	vulfpr tkfr		vulfpr tutkfr	vU; fiNMk oxl
अध्यापक	सीधी भर्ती	सीएएस	सीधी भर्ती	सीएएस			
प्रोफेसर	08	11	शून्य	01	01	शून्य	शून्य
एसोसिएट प्रोफेसर	07	06	शून्य	04	01	शून्य	शून्य

सहायक प्रोफेसर	25	शून्य	04	शून्य	04	02	03
Nk=	**905**		**429**	**yMd % 53** **yMfd;k % 26**	**yMd % 13** **yMfd;k % 04**		**yMd % 190** **yMfd;k % 109**

or'eku fLFkfr] dk;Øe d lcèk e fy, x, egÙoiw.kZ uhfrxr fu.kZ;@fd, x, ifjorZu

यह विद्यापीठ 11वीं योजनावधि के दौरान, उत्कृभटता केन्द्र योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है, जाक यू.जी. सी द्वारा स्वीकृत है। इस योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है :

- शास्त्रवर्धिनी पाठ्यक्रम
- प्रकाशन
- दृश्य एवं श्रव्य दस्तावेजीकरण
- दृश्य एवं श्रव्य रिकार्डिंग केन्द्र गतिविधियाँ
- लिपि विकास प्रदर्शिनी
- प्राचीन आलेख शिक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक टूल्स
- संस्कृत सेल्फ लर्निंग किट्स
- आर्टिफेक्ट्स का दस्तावेजीकरण
- पाण्डुलिपियों का डिजटलाइजेशन
- योग–तनाव संतुलन तथा चिकित्सा केन्द्र
- संगोष्ठियाँ / कार्यशालाएँ
- कंप्यूटर विज्ञान तथा संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी को सूत्रबद्ध करने हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

vk;ksftr lEeyu] fon'kh ifrfufèkeMyk d nkjs rFkk vU; egÙoiw.kZ vk;ktu] ;fn dkbZ gk

- अखिल भारतीय उन्मुखी सम्मेलन का 45वां सत्र 2 और 3 जून, 2010 को पीठपीठ में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रजनन वाचस्पति डॉ. जानकी वल्ल्भ पटनायक, माननीय कुलाधिपति और असम की महामहिम राज्यपाल श्रीमती डी पूर्णदेश्वरी ने किया और माननीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार माननीय अतिथि के रूप में पधारे थे। डॉ. चिंतामोहन, माननीय संसद सदस्य, तिरुपति विशेष अतिथि के रूप में पधारे थे। अखिल भारतीय उन्मुखी सम्मेलन के 45वें सत्र के दौरान राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी, पंड़ित परिषद्, संस्कृत कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर लगभग 2200 लेखों का सार भी प्रकाशित और जारी किया गया।

- दिनांक 09.09.2010 से 12.09.2010 तक स्व–शिक्षण किट संबंधी कार्यशाला भी आयोजित की गई। 13 और 14 अगस्त, 2010 को आई क्यू ए सी के निदेशक प्रो. सुब्बारायण पेरी द्वारा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (वी डी सी एस) संबंधी एक कार्यशाला आयोजित की गई।

- विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वैदिक गणित और खगोल विज्ञान के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय गणित संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला 20 से 24 सितंबर, 2010 तक विद्यापीठ में आयोजित की गई।

- 17 से 24 दिसंबर, 2010 तक विद्यापीठ के सभी कर्मचारियों के लिए प्रशासन और वित्त संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई।
- 19 से 24 जनवरी, 2011 तक संस्कृत पर स्व–शिक्षण किट (संस्कृत शिक्षा – भाग 1) संबंधी सी ओ ई कार्यशाला आयोजित की गई।
- 23 से 25 जनवरी, 2011 तक संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों पर वृत्ति परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
- एस ए पी–शिक्षा संकाय, आर एस विद्यापीठ और कृष्णांजलि जोशी शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, अकोला, महाराष्ट्र ने संयुक्त रूप से "अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्राचीन भारतीय संकल्पनाओं का समावेश" विषय पर 6 से 7 मार्च, 2011 तक एक दो–दिवसीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।
- एस ए पी–शिक्षा संकाय, आर एस विद्यापीठ द्वारा 26 और 27 मार्च, 2011 को "संस्कृत शिक्षाशास्त्र (क्षेत्र और बाध्यकारिता)" विषय पर एक दो–दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- चित्तूर जिले के शताब्दी समारोह के संबंध में 26 और 27 मार्च, 2011 को "पिछले पांच वर्गों के दौरान संस्कृत और नैतिक शिक्षा में चित्तूर जिले को राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का योगदान" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- 22 से 25 जनवरी, 2011 तक पांचवां अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रतिभा मेला आयोजित किया गया।

• vU; n'kk@vrjjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj@lg;kx

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ने फ्रेंच इंस्टिट्यूट ऑफ हाइडोलॉजी, पुदुचेरी, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया ताकि प्रकाशनों का आदान–प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, 3आर फाउंडेशन, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिक और राज्य निर्वाचन आयोग, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

• i dkf'kr i dk'kuk dh lph

वर्ष 2010–11 के दौरान लगभग 21 पुस्तकें और सी डी प्रकाशित की गई और जारी की गई।

• viukb tku okyh fodkl uhfr dk mYy[k djr g, Hkkoh dk;l ;ktuk

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में संस्थापकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकास गतिविधियों हेतु विज़न योजना तैयार की गई है। इस विज़न योजना का उल्लेख नीचे दिए अनुसार किया गया है:

• lLdr rFkk 'kkL=k d f'k{k.k dh x.koÙkk e lèkkj

- संस्कृत में नवाचारी शिक्षण का विकास
- संस्कृत में आधुनिक अनुसंधान पद्धति का विकास
- राष्ट्रीय स्तर का शास्त्रार्थ प्रशिक्षण कैंप का संचालन
- आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग जैसे : शिक्षण एवं अनुसंधान पद्धति के विकास में भाषा प्रयोगशाला
- नेटवर्किंग के जरिये संस्कृत की सूचना को सुदृढ़ बनाना
- संस्क–नेट के जरिये संस्कृत पर संस्थानों, अकादमीशियनों तथा शोधार्थियों के नेटवर्क का विकास करना।

- इंटरनेट के जरिये विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में बात्मीकी रामायण तथा महाभारत तथा भागवतम पुराण आदि जैसे महाग्रन्थों को लोकप्रिय बनाना।
- पांरपरिक शास्त्र की प्रोन्नति तथा समाकलीन समाज में उनकी प्रांसगिकता दर्शाना।
- **lLd"r foKku f'k{kk dk izpkj**
- संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना।
- संस्कृत विज्ञान संबंध पर शोध।
- संस्कृत तथा विज्ञान अध्ययन तथा इस क्षेत्र में नए परिसर का विकास
- पांरपरिक संस्कृत विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के मध्य संपर्क कायम करना
- संस्कृत विज्ञान पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना
- संस्कृत से संबंधित भाषा विज्ञान प्राकृतिक भाषा प्राक्रिया एवं अन्य अग्रणी क्षेत्रों पर शोध करना।
- दृश्य–श्रव्य माध्यम, पत्राचार एवं इंटरनेट के जरिय दूरस्थ शिक्षा
- दूरस्थ शिक्षा के जरिये शास्त्र अध्ययन प्रचार करने के लिए टेलीकास्ट गुणवत्ता की दृश्य–श्रव्य सामग्री तैयार करना
- इंटरनेट के जरिये संस्कृत भाषा तथा साहित्य का परिचय प्राप्त करना
- संस्कृत के मूलभूत शिक्षण हेतु "सेल्फ लर्निंग किट" तैयार करना।
- 'पाठशाला शाखा' संस्कृत अध्यापकों हेतु नई शिक्षा तकनीकों का विकास
- **Hkkjr dh fojklr] ijijk rFkk lLdfr dk lj{k.k**
- पाण्डुलिपियों का गहन सर्वेक्षण, संकलन तथा परिरक्षण का संचालन करना तथा दुर्लभ विवोचित संस्करणों का प्रकाशन करना
- मानव सचेतना तथा योग विज्ञान पर गहन शोध करना।
- संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारत की संस्कृति के राजदूत के रूप में तैयार करना।
- कंप्यूटर शिक्षण सहित 'वर्चुअल संस्कृत विश्वविद्यालय' का निर्माण करना।

uhfrxr mís'; grq egÙoi.k lfefr;k dk xBu

इस विद्यापीठ ने भारत सरकार/यू.जी.सी. की अनेक नीतियों अपने कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के हितों संबंधी के कायान्वयन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. रैगिंग की रोकथाम हेतु समिति।
2. रैगिंग स्क्वाड।
3. करियर परार्मश तथा रोजगार प्रकोष्ठ।
4. यू.जी.सी./नेट/जे.आर.एफ. हेतु नेट अनुशिक्षण कक्षाएं, अ.जा./अ.ज.जा./अ पि व/अल्पसंख्यकों हेतु।
5. यू.जी.सी./नेट/जे.आर.एफ. हेतु उपचारात्मक अनुशिक्षण कक्षाएं, अ.जा./अ.ज.जा./अ पि व/अल्पसंख्यकों हेतु।
6. जन शिकायत के निवारण हेतु समिति।
7. छात्रावास अनुशासनिक समिति।
8. संकाय सदस्यों की विगत सेवाओं पर विचार करने हेतु समिति।

- **vU; C;kj ftUg fo'ofo|ky; pkgrk g fd vU; 0;fDr tku %**

विश्वविद्यालय बहुत सक्रिया रूप से कुछ अन्तर विषयक एवं बहु–विषयक विषयों में अध्ययन एवं अनुसंधान में लगा हुआ है– जैसे कि संस्कृत–कंप्यूटर्स, संस्कृत–विधि एवं प्रबंधन, प्राकृतिक भाषायी संसाधन। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को प्रारम्भ किया गया एवं उन्हें पूरा किया गया। ये योजनाएं हैं :– **þlLd&uVß**– इसका लक्ष्य है भारत में विद्यापीठ एवं विश्वविद्यालयों के बीच तथा शोध संस्थानों एवं कॉलेजों के बीच में, ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क को स्थापित करना। अभी तक दक्षिण भारत के 7 संस्थान जानकारी एवं ऑकड़ों में परस्पर भागीदारी करने के लिए संस्क–नेट में शामिल हैं। संस्कृत–विज्ञान प्रदर्शिनी : यह एक अनोखी योजना है जिसके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि संस्कृत साहित्य एवं वेदों में जो छिपी हुई वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं उन्हें प्रत्यक्ष किया जाए

तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उनकी सापेक्षता है उसको स्थापित किया जाए। विभिन्न विषयों पर लगभग 150 प्रदर्शनीय वस्तुएँ हैं जिन्हें तैयार किया गया है और जिन्हें देश पर्यन्त सब ओर विशिष्ट अवसरों पर प्रदर्शित किया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेता एवं विद्वत बन्धुवर्ग जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, उन सबने इस संकल्पना की प्रशंसा की है। **bVjuV ij okYehfd jkek;.k** – वाल्मीकि रामायण एवं इसके सुप्रसिद्ध भाष्यों को विश्व के समस्त व्यक्तियों के हित में इंटरनेट पर शामिल किया गया है और इसे भारतीय भाषाओं एवं कुछ विदेशी भाषाओं में भी शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त एल्फाबेट गैलरी, शास्त्रवारिधि कार्यक्रम, शास्त्रीय विषयों पर अभिलेख रखना ताकि इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सके–जो कि "एजुसेट" के माध्यम से होगा, मौखिक शास्त्रीय परम्पराओं द्वारा शास्त्रीय पाठों के अभिलेख दर्ज करना, बहु–विषयक शोध जिनमें शब्द बोध, भाषायी तकनीकी एवं आगमों पर विश्वकोषों को तैयार किया जाना – यह समस्त बातें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जोकि विद्यापीठ द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

3-2-8 Jh pn'k[kjn ljLorh fo'o egkfo|ky;] dkphije ¼rfeyukM½

- **,frgkfld i"BHkfe**

कांची विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात श्री चंद्रशेखरेंद्र विश्व महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1993 में धर्मगुरू श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामिंगल की जन्म शताब्दी की यादगार में स्थापित किया गया था और इसे श्री कांची कामकोटि पीठ पूर्त न्यास के तत्त्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मूल्य–आधारित उन्मुखी विषयों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच के लिए फीस का अपेक्षाकृत कम ढांचा है। इस विश्वविद्यालय में इंजीनियरी, प्रबंधन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, स्वास्थ्य तथा जीवन विज्ञान, संस्कृत और भाषा नामक विभिन्न संकाय स्थापित किए गए हैं। इनमें सी एन सी एस मेंटरिंग आदि जैसे नवोन्मेषी अभ्यास के विभिन्न कार्यक्रम भी हैं।

- **mís'; vkj e[;&e[; fo'k"krk,**

इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य गतिशील सक्रिय प्रक्रिया द्वारा मूल्य प्रणाली से लगातार शैक्षिक स्तर के साथ उच्च शिक्षा का समग्र उपागम है। अध्ययन और अध्ययन में लगे संकाय और शिक्षण में लगे संकाय को मंत्रों का ज्ञान देते हुए उनकी रचनात्मकता को उत्कृष्ट रूप देना है। यह महाविद्यालय वर्तमान में संस्कृत, इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करता है और कंप्यूटर अनुप्रयोग तथा प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा आयुर्वेदि औषधियों में स्नातक डिग्री प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय सभी विषयों में पीएच–डी कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

यह विश्वविद्यालय ताड़ के पत्तों और कागजों में 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी पांडुलिपियों को परिरक्षित कर रहा है। विश्वविद्यालय के पांडुलिपि अनुभाग ने कैटलॉग तैयार करने और पांडुलिपियों की मैक्रो फिल्म बनाने का कार्य पूरा कर लिया है और उनके डिजिटीकरण का कार्य किया जा रहा है।

- **fjikVkèkhu o"k ¼01 vi;y] 2010 l 31 ekp] 2001½ d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

	ctV vkcVu			fu"iknu ctV	
	vnk;xh	ikfIr		vnk;xh	ikfr
	yk[k #i;s e			yk[k #i;s e	
राजस्व शीर्ष	1590.54	2151.83	राजस्व शीर्ष	1453.47	2195.74
पूंजी शीर्ष	716.45	301.75	पूंजी शीर्ष	492.77	131.72

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg 'kkfey djuk ¼vè;kid] Nk=] efgyk,] vuqlfpr tkfr@ vuqlfpr tutkfr½**

Øe l-	J.kh	i#"k	efgyk	v-tk-@v-t-tk-	tkM
1.	अध्यापक	129	69	14	198
2.	पीएच–डी सहित छात्र	3017	1056	103	4073

- **orleku fLFkfr] dk;Øe d lcèk e fy, x, egÙoiw.k uhfrxr fu.kZ;@ fd, x, ifjorZu**

इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए और कार्यान्वित किए गए:

- विभिन्न पाठ्यक्रमों में योग्यता के आधार पर और छात्रों से कैपिटेशन लेकर भर्ती।
- खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक–पूर्व कार्यक्रमों में भर्ती के लिए खेलकूद में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए कोटा लागू किया है।
- विश्वविद्यालय सभी कार्यक्रमों के छात्रों को योग्यता और योग्यता एवं साधन छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय ने पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम योजना के अधीन श्री आदि शंकराचार्य अध्ययन केंद्र स्थापित किया है ताकि भारत के समाचिंतकों को ई पी ओ सी एच निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

- **viukbZ tkus okyh fodkl uhfr dk mYy[k djr g, Hkkoh dk;Z ;kstuk**

- यह विश्वविद्यालय इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रम लागू करने की योजना बना रहा है और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की योजना बना रहा है।
- उद्योग के साथ सहयोग करके उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।
- यह विश्वविद्यालय चुने हुए क्षेत्र में मूल दक्षता और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार कार्य करने पर विचार कर रहा है।

- **vk;kftr lEeyu**

इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सम्मेलन/ कार्यशालाएं : 2

2) विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित प्रायोजित सम्मेलन/ कार्यशालाएं : 4

- **bl fo’ofo|ky; e vk, fon’kh ifrfufèkeMy**

○ डेनपासर, इंडोनेशिया के प्रोफेसरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 01.12.2010 को इस विश्वविद्यालय का दौरा किया।

○ जर्मनी के प्रतिनिधियों के एक समूह ने इस विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय सहित विभिन्न विभागों का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तरौडी शुट (पेंटर) और गर्ट शुट (विद्युत इंजीनियर) कर रहे थे।

○ अलांस जेनी, क्लैरिएंट, स्विटजरलैंड और मैथिआस जेगु, पीडब्ल्यूसी बेसल, स्विटजरलैंड ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस विश्वविद्यालय का दौरा किया।

- **vU; n’kk@vrjjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj**

○ एस सी एस वी एम वी और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम के बीच दिनांक 01.06.2010 को शैक्षिक और पड़ोसी सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

○ इस विश्वविद्यालय और इंडोनिशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच संस्कृत, भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्मक, योग, आयुर्वेद और समान हित के शैक्षिक विकास के ऐसे अन्य क्षेत्रों में शैक्षिक संपर्क स्थापित करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

○ छात्रों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एस सी एस वी एम वी और निम्नलिखित संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

  ○ मैसस कोक्यूब्स, गुड़गांव, दिनांक 20 अक्तूबर, 2010 को।

  ○ इनटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, दिनांक 14 अक्तूबर, 2010 को।

○ मैसर्स टेक प्रो ट्रेन लर्निंग सेंटर और इस विश्वविद्यालय के बीच दिनांक 19.02.2011 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि एक्रेडिटेड अमरीकी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर तकनीकी और वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन मूल्य वृद्धि की जा सके।

- **idk’kuk dh lph**

1. **Þfo tukuk >kjhß** नामक संस्कृत अनुसंधान पत्रिका इस विश्वविद्यालय के संस्कृत और भारतीय संस्कृति विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रकाशित की गई।

2. निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए गए :

अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं : 8

राष्ट्रीय पत्रिकाएं : 12

- **uhfr lcèkh i;ktuk d fy, egÙoi.k lfefr;k dk xBu**

1. अनुसंधान समिति

   यह विश्वविद्यालय मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, भाषा, प्रबंधन और स्वास्थ्य के उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिए प्रयत्नशील है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ऐसे अध्यापकों को वित्तीय सहायता (अधिकतम 50,000 रुपए तक) प्रदान करता है, जिन्होंने लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था योजना के अधीन लघु अनुसंधान परियोजनाएं तैयार की हैं।

2. योजना और मॉनीटरिंग बोर्ड

   विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों को मॉनीटर करने और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना और मॉनीटरिंग बोर्ड स्थापित किया गया है।

- **fjikVkèkhu o"k d nkjku ubl ;ktuk@dk;Øe dh 'k#vkr**

  इस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं :

  1. एम सी ए (समेकित) 2. बीएस सी (शारीरिक शिक्षा) 3, एमएस.सी (रसायन)

3-2-9 jked".k fe'ku foodkun fo'ofo|ky;] cyj eB ¼if'pe cxky½

- **,frgkfld i"BHkfe vkj e[;&e[; fo'k"krk,**

रामकृष्ण मिशन ने "रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" नाम से वर्ष 2005 में एक विश्वविद्यालय शुरू किया था और बाद में इसका नाम "रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय" रख दिया गया। स्वामी विवेकानंद के मनुर्भाव और चरित्र निर्माण शिक्षा देने के दृष्टिकोण से यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और संपूर्ण मानव को तैयार करने के क्षेत्र में उत्कृभटता प्राप्त कर रहा है।

इस विश्वविद्यालय की निम्नलिखित मुख्य–मुख्य बातें विशिष्ट हैं:

(i) कुछ "विशिष्ट क्षेत्रों" पर बल, जो ऐसे "बीच के क्षेत्र हैं" जिन पर भारत के पारंपरिक विश्वविद्यालयों ने विशेष ध्यान नहीं दिया है।

(ii) विश्वविद्यालय का बहु–परिसरीय चरित्र।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए उच्च मानवीय मूल्यों का समावेश।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के आवश्यक अंग के रूप में मूल्य आधारित शिक्षा।

विश्वविद्यालय द्वारा चुने गए "विशेष क्षेत्र" इस प्रकार हैं:

(1) अशक्तता प्रबंधन और विशेष शिक्षा

(2) आदिवासी विकास सहित समेकित ग्रामीण विकास

(3) भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत तथा मूल्य शिक्षा

(4) मौलिक विज्ञान – समेकित शिक्षण और अनुसंधान

(5) राहत और पुनर्वास सहित आपदा प्रबंधन

उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान सहित इन पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों को कोयंबतूर, (तमिलनाडु), नरेंद्रपुर (पश्चिम बंगाल), रांची (झारखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल) में स्थित विश्वविद्यालय के परिसर से बाह्य संकाय केंद्रों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

- **orleku e miyCèk ikB;Øe vkj dk;Øe**

उपर्युक्त विशेष क्षेत्रों के अधीन शैक्षिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्कूलों के तत्त्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं:

(1) पुनर्वास विज्ञान और शारीरिक शिक्षा स्कूल

(2) कृषि और ग्रामीण विकास स्कूल

(3) भारतीय विरासत स्कूल

(4) मानविकी और समाज विज्ञान स्कूल

(5) गणितीय विज्ञान स्कूल

(6) पर्यावरणीय विज्ञान और आपदा प्रबंधन स्कूल

- **fjikVkèkhu o"k ¼01 viy] 2010 l 31 ekp] 2011½ d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

क्योंकि यह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमित अनुदान योजना के अंतर्गत नहीं आता है, अतः इसे बुनियादी सुविधाओं के विकास और अंशतः सामान्य अनुरक्षण के लिए 5.00 करोड़ रुपए का एकबारगी विशेष अनुदान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा मई, 2011 में प्राप्त किया गया। पिछले सभी अनुदानों का पूरा उपयोग किया गया था और भवन परियोजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगके मापदंडों के अनुसार पूरा किया गया था।,

- **xf.krh; foKku Ldy }kjk fd, x, vrjjk"Vh; lid & fon'kh lLFkkuk d ldk; lnL;k }kjk fd, x, nkjk d vulkj fon'kh lLFkkuk d lkFk lg;kx**

इस विश्वविद्यालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यू के, स्पेन और फ्रांस के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम निष्पादित किए। विश्वविद्यालय के गणित विभाग के एमएस–सी के छात्रों को फ्रांस के संस्थान में पीएच–डी में दाखिला मिल गया है। गणित विभाग के दो संकाय सदस्य और दो शोधकर्ताओं को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथेमेटिशियन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

- **jk"Vh; Lrj ij 'kf{kd lid vkj lok,**

संकाय सदस्यों के स्तर पर संपर्क : इस विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में अनुसंधान के स्तर पर वार्ता देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

स्वामी सर्वोत्तमानंद ने प्रोफेसर सुबीर घोष के नेतृत्व में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई द्वारा प्रायोजित कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसरों के एक दल के रूप में भारत के विभिन्न संस्थानों का दौरा किया ताकि कंप्यूटेशनल जियोमैट्रिक के क्षेत्र में विद्यार्थियों में जागरूकता और ज्ञान पैदा किया जा सके।

यह विश्वविद्यालय गणित, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान सहयोग के लिए मैथेमेटिकल साइंस संस्थान, चेन्नै के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित कर रहा है।

- **ykHkkFkh ¼ ikB;Øek vkj iuokl mipkj d fy, Nk=k dk lnhdj.k**

¼d½ **cyj e[; ifjlj e ½** नियमित छात्र : 337 {एम एससी गणित, एम एसी कंप्यूटर साइंस, एम फिल सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, समेकित एम ए संस्क त, समेकित (एम–फिल+पीएच–डी) बंगाली, पीएच–डी गणित, पीएच–डी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, भारतीय आध्यात्मिक विरासत और विवेकानंद अध्ययन, पीएच–डी अनुवाद अध्ययन}।

¼[k½ **dk;crj ldk; dn e ½** नियमित छात्र : 457 {विशेष शिक्षा में बी एड, एम एड, एम फिल, पीएच–डी–दृष्टि दोष, श्रव्य दोष, मानसिक कमजोरी, शारीरिक शिक्षा में बीपी एड, एम पी एड, एम फिल, पीएच–डी, योग और विशेष ओलंपिक्स में पी जी डिप्लोमा}।

- **v'kDr vkj ykHkkfFk;k d fy, fpfdRlk di**

कोयंबतूर केंद्र ने सितंबर–अक्तूबर, 2010 में तमिलनाडु के विभिन्न भागों में अशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए।

अशक्त व्यक्तियों के लिए कोयंबतूर केंद्र द्वारा तमिलनाडु के गुडिमलिंगम, मदाथुकुलम और उडुमलयपेटै में 14 से 16 सितंबर, 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में लगभग 4,500 व्यक्तियों ने भाग लिया।

हमारे कोयंबूतर केंद्र ने जिला सक्षम पुनःस्थापन कार्यालय, कोयंबतूर के सहयोग से अन्नूर, अन्नमलई, पेरियानैकेनपालायम और वालपरई में क्रमशः 9, 14, 23 और 28 दिसंबर, 2010 को चिकित्साकैंपों का आयोजन किया था।

- **iu%LFkkiu mipkj d ykHkkFkh**

रिपोर्टाधीन वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय के कोयंबतूर केंद्र में पुनःस्थापन उपचार के अधीन लगभग 685 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है।

- **jk"Vh; Lrj d lEeyu@lxf"B;k**

इस विश्वविद्यालय ने संकाय केंद्रों से बाहर के परिसरों में और बेलूर मठ के मुख्य परिसर में कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की हैं। इनमें से प्रमुख हैं: 'समेकित ग्रामीण विकास और प्रबंधन मुद्दा, नीति और नीति संबंधी विकल्प' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार। यह गोष्ठी नरेंद्रपुर (कोलकाता) केंद्र में आयोजित की गई और 'शारीरिक शिक्षा में सांख्यिकी अनुप्रयोग आधारित सॉफ्टवेयर' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 17–18 दिसंबर, 2010 के दौरान कोयंबतूर केंद्र में आयोजित की गई।

- **fo'ofo|ky; }kjk rS;kj fd, x, idk'kuk dh lph**

संकाय सदस्यों द्वारा किए गए अनुसंधान प्रकाशन (विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित पेपर) के अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें भी प्रकाशित की गई/प्रकाशित की जा रही हैं:

1. *निस्वार्थ कार्य : आधार, प्रक्रिया और तुष्टि* (अंग्रेजी में)
2. उपर्युक्त पुस्तक का बंगाली अनुवाद : *निस्वार्थ कर्म*
3. *स्वामी विवेकानंद की कविताओं का संस्कृत अनुवाद* (तैयार किया जा रहा है)
4. शून्यता पर नागार्जुन का कार्य (तिब्बती स्रोत से पुनः तैयार किया जा रहा है) – मुद्रणाधीन
5. श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार (बंगाली में मुद्रणाधीन)

- **fon’kh nkjs**

साइमन–जेवियर गुरेंड–हर्मेस के नियंत्रण पर, कुलपति स्वामी आत्मप्रियानंद ने दार मौले बाउबकर, मर्राकेश, मोरक्को में 23 से 26 फरवरी, 2011 को आयोजित मिस्टीज्म और स्पिरचुअलिटी के अंतःधार्मिक अध्ययन संबंधी गुरेंड–हर्मेस की उद्‌घाटन बैठक में भाग लिया।

- **fodkl uhfr dk mYys[k djrs gq, Hkkoh dk;Z ;kstuk**

अगले दो वर्ष के लिए तत्काल भावी योजना में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता हैः (1) कृषि बायो प्रौद्योगिकी में एम एससी के क्रम में कृषि बायो प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और पीएच–डी कार्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों में किसानों को सीधे लेकर बायो प्रौद्योगिकी का लाभ दिया जा सकेगा (आर्गेनिक फार्मिंग में अनुसंधान, जिसके बारे में वर्तमान में काफी चर्चा की जा रही है और जिसका कार्यान्वयन एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में होगा); (2) एकीकृत ग्रामीण और आदिवासी विकास, संस्कृत (विशेषतः स्वाभाविक भाषा प्रक्रिया के वर्तमान विषय पर), सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान आदि से संबंधित विभिन्न संकायों में अनुसंधान कार्यक्रम को सुदृढ़ करना; (3) आदिवासी छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, विशेषतः झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों पर ताकि वे एकीकृत ग्रामीण और आदिवासी विकास में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर कार्य कर सकें; (4) मानविकी और समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए नया "स्कूल ऑफ ह्युमिनिटीज एंड सोशल साइंसेज" शुरू करना, जिनमें स्वामी विवेकानंद द्वारा विचारित दर्शनशास्त्र और तुलनात्मक धर्म पर विशेष बल दिया जाएगा; (5) विवेक दिशा, एक विशिष्ट आई सी टी और अंतरिक्ष सामर्थ्य परियोजना को सुदृढ़ करना (विद्यालय के बच्चों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ऑनलाइन और प्रत्यक्ष तरीके से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्य), विशेषतः उन्हें मूल्य शिक्षा देना।

3-2-10 Jh yky cgknqj 'kkL=h jk"Vªh; laLd`r fo|kihB] ubZ fnYyh

- **fo|kihB dk mís';**

"विद्या विंदे अम तम" शीर्षक से मिशन की अभिव्यक्ति से तात्पर्य है ज्ञान के लिए शिक्षा। इसमें विद्यापीठ की यह भावना परिलक्षित होती है कि पारंपरिक ज्ञान के लिए विभिन्न तरीकों का प्रसार करना और छात्रों को एक योग्य नागरिक बनाने के लिए मार्गदर्शन देना। इस प्राचीन विवेक को आधुनिक संकल्पना, मुद्दों और सामाजिक समस्याओं से जोड़ा गया है।

- **voyksdu**

विद्यापीठ के उद्देश्य

(क) परंपरा का परिक्षण करना

(ख) शास्त्रों की व्याख्या करना

(ग) आधुनिक संदर्भों में शास्त्रों की समस्याओं की प्रासंगिकता प्रमाणित करना

(घ) अध्यापकों के लिए आधुनिक एवं शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण हेतु माध्यम उपलब्ध कराना

(ङ) इसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए इसके विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

- **ctV vkcaVu vkSj fu"iknu**

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को वित्त वर्ष 2010–11 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गैर–योजनागत अनुदान के अधीन संशोधित बजट प्राक्कलन में 1679.95 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी।

- ## Hkkoh dk;l ;ktuk vkj uhfr

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विद्यापीठ का नया शैक्षिक ब्लॉक पूरा हो जाएगा जिससे अध्यापकों और अनुसंधानकर्ताओं को अध्यापन और अन्य अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। यह विद्यापीठ वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित कार्यों को करना चाहती है:

- महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए आधारभूत सुविधा केंद्र।
- एक परिसज्जित खेलकूद हाल, जिसमें आंतरिक खेलों की सुविधाएं और बाह्य खेलों की सामग्री की सुविधा हो।
- ज्योतिष वेदशाला और कंप्यूटर प्रयोगशाला।
- अध्यापकों की नियुक्ति

- ## vk;kftr lEeyu

- अनुसंधान प्रकाशन विभाग, साहित्य संस्कृति शिक्षा, धर्मशास्त्र, प्राकृत, जैन दर्शन और महिला अध्ययन केंद्र द्वारा फरवरी और मार्च, 2011 में राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- विद्यापीठ का 13वां दीक्षांत समारोह 26 नवंबर, 2010 को आयोजित किया गया।
- महिला अध्ययन केंद्र ने दिनांक 19.11.2010 को "लिंग और शिक्षा" विषय पर व्यापक व्याख्यान का आयोजन किया।
- डॉ. आर के पांडे, प्रोफेसर और अनुसंधान तथा प्रकाशन विभाग के प्रमुख ने 28 जुलाई से 7 अगस्त, 2010तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और 'प्राचीन भारतीय हस्तलिपियों में गुरू की संकल्पना' और 'वैदिक परंपरा के तथ्यों : कालीदास संबंधी कार्यशाला' के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत किया।

- ## lpkfyr ikB;Øe vkj dk;Øe

विद्यापीठ के 30 से अधिक अध्यापकों ने पुनश्चर्या/उन्मुखी/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लिया।

कुलपति ने 'रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न अवसरों पर दर्शन और धर्म', 'संस्कृत वर्ग में मानवाधिकार', 'वर्तमान समाज पर महाप्रभु की सहनशीलता की भावना का प्रभाव' जैसे विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए।

- ## ijkuh ;ktukvk@dk;Øek dk gVkuk vkj ub ;ktukvk@dk;Øek dk tkMuk

ज्योतिष विभाग में और साहित्य तथा संस्कृति, वृत्ति उन्मुखी कार्यक्रम और योजना विभाग में विशेष सहायता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में (उपचारात्मक अनुशिक्षण) अनुशिक्षण दिया गया।

- ## egÙoi.k lfefr

शिष्ट परिषद् विद्यापीठ की नीति नियामक निकाय है। कार्य परिषद् विद्यापीठ का प्रधान कार्यपालक निकाय है, जो पीठ के कार्यों के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। विद्वत परिषद् विद्यापीठ का प्रधान शैक्षिक निकाय है।

यह विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त निकायों के अलावा, इस विद्यापीठ के वित्त समिति, योजना और मॉनीटरिंग बोर्ड संकाय तथा अध्ययन बोर्ड हैं।

- **ykHkkfFk;ksa dh la[;k lfgr y{; lewg dk 'kkfey djuk**

◦ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यापीठ में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वर्गों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

◦ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यकों के छात्रों के विभिन्न विषयों में शैक्षिक ज्ञान, कौशल और भाषा दक्षता में सुधार करना तथा उनके स्तर को व्यापक बनाना और उनके भावी शैक्षिक कार्य की आधारशिला को मजबूत करना।

- **izdk'ku**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, पीठ द्वारा लगभग **lkr** पुस्तकें प्रकाशित और जारी की गई हैं।

- **o"kZ 2011&12 ds fy, y{;**

यह पीठ साहित्य संगोष्ठी, प्राकृत संगोष्ठी, पुराण इतिहास संगोष्ठी नामक विभिन्न कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां आयोजित करना चाहती है।

इस विद्यापीठ के महिला अध्ययन केंद्र का उद्देश्य सौमंगली नामक पत्रिका के दूसरे अंक के प्रकाशन के साथ–साथ लिंग और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करना भी है।

3-2-11 fryd egkjk"Vª fo|kihB] iq.ks ¼egkjk"Vª½

- **,sfrgkfld i"BHkwfe**

तिलक की शैक्षिक स्मृति के रूप में की गई। इसके वजूद में आने के पश्चात इस विद्यापीठ ने लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय शिक्षण से जुड़े स्वप्न को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जिससे कि बड़ी संख्या में छात्रों की उत्पादकता का एक सुदृढ़ आधुनिक भारत के विकास में योगदान किया जा सके ।

इसके प्रांरभ से ही पंरपरागत मूल्यों पर आधारित शिक्षण पद्धति का कड़ाई से पालन किया जाता है जिससे कि युवा पीढ़ी में उत्तम चरित्र निर्माण को वढ़ावा मिल सके।

विद्यापीठ, विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि विश्वस्तरीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके।

- **mís'; vkSj ewY;&eq[; fo'ks"krk,¡**

(1) कला एवं ललित कला संकायः संस्कृत जो कि समस्त भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत है उस भाषा के अध्ययन के द्वारा, जो महान भारतीय विरासत एवं पंरपराएँ है। इन संकायो द्वारा उनकी प्रोन्नति एवं संरक्षण का ध्येय है।

(2) नैतिक एवं सामाजिक विज्ञान संकायः इस संकाय द्वारा सामाजिक विज्ञान में विशिष्ट रूप से ऐसे स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में सुसंबद्धता तथा अनुसंधान कार्य संचालित किया जाता है। तथा जिसे एक मूल्यवान शैक्षिक अनुभव के रूप में प्रशांसित किया गया है तथा जो एक विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है।

(3) आयुर्वेद संकाय : इसके द्वारा जनसाधारण के लिए निरोधात्मक औषधि की जानकारी प्रदान करना

(4) आधुनिक विज्ञान तथा व्यावसायिक कौशल : प्रबंधन कंप्यूटर विज्ञान, बायो टेक्नॉलाजी, माइक्रो बायोलॉजी आदि विषयों के पाठयक्रम प्रांरभ करना जिनकी वृहत संभावना है जिससे निश्चित रूप से विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि तथा विद्यार्थियों का कॅरियर उज्ज्वल होगा।

(5) शिक्षा संकाय : उच्च दक्षता प्राप्त तथा प्रतिबद्ध व्यावसायियों की प्रोन्नति की ओर ध्यान केन्द्रित करना जिनक शोध एवं नवान्मेषी पाठ्यक्रमों की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे इस नैतिक एवं पवित्र व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके।

(6) स्वास्थ्य विज्ञान संकाय : आधुनिक जीवनशैली द्वारा उत्पन्न सामाजिक आवश्कताओं की पूर्ति करना।

(7) प्रबंधन संकाय : सशक्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव की सहायता से अद्यतन ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में और अंतर्विभागीय क्रियाकलापों को करने में वैयक्तिक सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक प्रवीणता का विकास करना और कौशल तथा ज्ञान को बढ़ावा देना।

(8) इंजीनियरी संकाय : इंजीनियरी में आगे अध्ययन करने और इस कौशल को प्राप्त करने के इच्छुक योग्य युवकों को प्रशिक्षित करना और कंप्यूटर, ई एंड टी सी और मैकेनिकल इंजीनियरी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे उद्योगों और संस्थानों के लिए आवश्यक कार्मिक और कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराना।

- **fjikVkèkhu o"k ¼1 vi!y] 2010 l 31 ekp] 2011½ d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

¼yk[k #i; e½

Øe l-	en ¼ekp 2011 rd½	iklr jde ¼ekp 2011 rd½	i;Dr jde
1.	पुस्तकें और पत्रिकाएं	–	22.51
2.	उपस्कर	–	–
3.	कर्मचारी	–	–
4.	अन्य विकासगत योजनाएं	29.80	26.66
5.	भवन	–	–

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr yf{kr legk dk 'kkfey djuk**

अध्यापकों की कुल संख्या : 113

अनुसूचित जाति : 06 अनुसूचित जनजाति : 01 पीएच डी : 11 महिलाएं : 70

fo|kFkh

स्नातक–पूर्व : 1736 महिलाएं : 674

स्नातकोत्तर : 1821 महिलाएं : 760

एम फिल : 22 महिलाएं : 08

पीएच डी : 180 महिलाएं : 69

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र : 807 महिलाएं : 400

- **dk;Øe dh orleku fLFkfr] fy, x, lxr egÙoi.k uhfrxr fu.k;@ dk;Øe e fd, x, ifjorlu**

  - विद्यापीठ ने हाल ही में एम फिल/पीएच डी कार्यक्रमों के संचालन हेतु यू जी सी द्वारा दिए गए अनुदेशों को अपनाया है।
  - यू जी सी के दिशानिर्देशों के अनुसार सत्रीय परीक्षा प्रणाली आरंभ की गई है।

- **Hkkoh ;kstuk,**

  - स्नातकोत्तर/ अनुसंधान उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा और प्रवेश परीक्षा आरंभ करना।
  - शिक्षण कर्मचारियों को अनुसंधान परियोजनाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से और अन्य वित्तीय एजेंसियों की सहायता से किए जाने वाले बड़ी और छोटी अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना।
  - औद्योगिक–कारपोरेट जगत की मांग के अनुसार पाठ्य विवरण को पुनः तैयार करना और औद्योगिक क्षेत्र के साथ संपर्क स्थापित करना।
  - पारंपरिक पाठ्यक्रमों (संस्कृत, आयुर्वेद) के प्रति विद्यार्थियों और सामान्य व्यक्तियों में रुचि पैदा करना।
  - नवोन्मेषी और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
  - विद्यार्थी समुदाय की शैक्षिक मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में और उसके आसपास परिसरों को स्थापित करना/ बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

- **vk;ksftr fd, x, lEeyu] lxks"B;k] fon'kh ifrfufèkeMyk d nkj vkj vU; vk;kstu] ;fn dkb gk**

foHkkx	vk;kftr lEeyu	vk;kftr laxkf"Br	vk;kftr dk;Z'kkyk,@ f'kfoj	fon'kh ifrfufèkeMyk d nkj
संस्कृत और	–	1	1	3
विचारधान अध्ययन				
भूगोल	–	1	1	–
आयुर्वेद	–	2	1	1
प्रबंधन	–	2	2	–
जन संचार	–	1	6	–
समाज कार्य	–	7	1	–
होटल प्रबंधन	–	4	6	3
फिजियोथेरेपी	–	3	5	1
परिचर्या	1	2	4	–
शिक्षा	–	1	–	–
tkM	**1**	**24**	**27**	**8**

- **ladk; lnL;k@foHkkxk }kjk r;kj dh xbZ vuqlèkku ifj;kstuk,**

  रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विद्यापीठ के विभिन्न विभागों को लगभग 9 अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गई हैं।

  यू जी सी, नई दिल्ली – 6 शोध परियोजनाएं

  सी सी आर ए एस, नई दिल्ली – एक परियोजना

  टी एम वी, पुणे – 2 परियोजनाएं

  नीतिगत मामलों के लिए महत्त्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है।

  विद्यापीठ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 लागू होता है। विद्यमान संस्था अंतर्नियम/नियमावली से भिन्न नीतिगत प्रयोजनों के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था।

- **fjikVkèkhu o"kZ d nkjku iqjkuh ;ktuk@dk;Øek dk gVkuk vkj ubZ ;ktuk@dk;Øek dk tkMuk**

  - विद्यापीठ ने ए आई सी टी ई/एम एस बी टी ई को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें इंजीनियरी कार्यक्रम में डिप्लोमा का अनुमोदन या समतुल्य कार्यक्रम का अनुरोध किया गया था।
  - शैक्षिक वर्ष 2009–10 से शुरू किए गए बी एससी परिचर्या कार्यक्रम को काफी पसंद किया गया है।
  - शैक्षिक वर्ष 2009–10 से शुरू किए गए एम एड (अंग्रेजी) (नियमित) को काफी पसंद किया गया है।

- एम बी ए, बी बी ए और बी सी ए कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की गई है।
- समाज कार्य, पुस्तकालय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं आयोजित की हैं।

3-2-12 VkVk lekt foKku laLFkku] eqacb] egkjk"V

- **mís';**
  - टाटा समाज विज्ञान संस्थान को शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में बनाए रखना और विकसित करना;
  - समाज विज्ञान में इस प्रकार शिक्षण आयोजित करना जिससे समाज कार्य, समाज सेवा, कार्मिक, प्रशासन और विविध व्यावसायिक क्षेत्रों के व्यावसायिक कार्मिकों को शिक्षण दिया जा सके;
  - सामाजिक अनुसंधान आयोजित करना और समाज अनुसंधान विधि में छात्रों को प्रशिक्षित करना ताकि इस संस्थान में अध्ययन किए जा रहे विषयों में ज्ञान की वृद्धि को बढ़ावा मिले और उसे सामाजिक नीतियां तैयार करने में सहयोग प्राप्त हो;
  - इस संस्थान में अध्ययन किए गए विषयों में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पत्र–पत्रिकाएं और पेपर प्रकाशित करना।
  - उन लोगों के लाभ के लिए व्याख्यान, संगोष्ठी, सम्मेलन, विचार–गोष्ठी आदि आयोजित करना, जो संस्थान में अध्ययन किए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हों;
  - अन्य संगठनों के साथ इस प्रकार और इस उद्देश्य से सहयोग करना, जैसा संस्थान तय करे और सामाजिक कार्य/ सामाजिक विकास/ सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ऐसी कार्य योजना तैयार करना, जो नवोन्मेषी हों और जिनसे व्यवहार, नीति, सेवा के निष्पादन के नए क्षेत्रों का प्रदर्शन हो और जो प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्रों के रूप में भी कार्य करें; और
  - आवश्यक समझे जाने वाले अन्य क्रियाकलाप करना और सामाजिक कार्य, समाज सेवा, कार्मिक प्रशासन और विविध क्षेत्रों में बेहतर व्यावसायिक व्यवहार करना।
- **Ldwy rFkk dsanz vkSj f'k{k.k dk;Øe**

हाल ही में संस्थान ने 6 स्कूलों (हैबिटाट अध्ययन, स्वास्थ्य प्रणाली अध्ययन, प्रबंधन और श्रम अध्ययन, ग्रामीण विकास, समाज विज्ञान और समाज कार्य) और चार स्वतंत्र केंद्र (जीवनपर्यंत अध्ययन, मीडिया और संस्कृति अध्ययन, अनुसंधान पद्धति और आपदा प्रबंधन संबंधी जमशेदजी टाटा केंद्र) का आयोजन किया है। इन स्कूलों और स्वतंत्र केंद्रों ने एक स्नातक डिग्री, 18 मास्टर डिग्री, एक समेकित एम फिल – पीएच डी कार्यक्रम और डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किए। शिक्षण कार्यक्रमों के अलावा संकाय सदस्यों ने अनुसंधान फील्ड एक्शन और विस्तारित क्रियाकलापों को भी आयोजित किया। टी आई एस एस की मूल ज्ञान समिति में विभिन्न विषयों के संकाय सदस्य शामिल हैं, जो भारत और विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से लिए गए हैं और जो अनुसंधान, शिक्षण तथा संस्थागत निर्माण में उत्कृष्टता के द्वारा शैक्षिक नेतृत्व के रूप में उभरने के लिए प्रयत्नशील हैं।

- **lekos'kh fopkj**

इस संस्थान का दृष्टिकोण और मिशन सामाजिक शिक्षण की ओर बढ़ना है और सीमांत तथा साधनहीन समाज/समुदाय को सशक्त बनाना है। संस्था के सभी अध्ययन कार्यक्रमों में इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश के एक अति

समावेशी शैक्षिक संस्थान होने के नाते अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ–साथ, टी आई एस एस में सभी वर्गों, सभी राज्यों और भारतीय समाज के सभी भागों के लोग आते हैं। यह संस्थान आरक्षण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करता है। इस संस्थान की विशिष्ट सोच यह है कि वहअलग–अलग किस्म के, विशेषतः साधनहीन पिछड़े लोगों को शामिल करके भर्ती परीक्षा से पहले एक–दो माह का भर्ती–पूर्व अनुशिक्षण प्रदान करता है, जिनमें यात्रा और आवास लागत को टी आई एस एस द्वारा वहन किया जाता है और उसके बाद संस्थान की शर्तों का पालन करने वाले विद्यार्थियों को वर्षभर भर्ती–पश्च व्यापक अनुशिक्षण दिया जाता है। टी आई एस एस समुदाय में विद्यार्थियों, अध्यापकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

- **vuqlèkku vkSj izdk'ku**

वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थान में कुल 143 अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 16 बहु–विषयी क्षेत्र की हैं जबतिक शोष विभिन्न स्कूलों/ स्वतंत्र केंद्रों में चलाई जा रही हैं।

वर्ष 2010–11 में टी आई एस एस के संकाय सदस्यों ने अति प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 84 समीक्षा संबंधी पत्रिका लेख प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, पुस्तकों में 69 अध्याय, 16 लेखक/संपादक खंड तैयार किए गए हैं, जिन्हें सागे एंथम प्रेस, ओरिएंट ब्लैक स्वान आदि जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा, 21 अन्य लेख भी लिखे हैं, जिनमें पुस्तक समीक्षा, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों में लेख भी शामिल हैं। इस संस्थान का प्रतिष्ठित प्रकाशन दॅ इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क (आई जे एस डब्ल्यू) है, जिसने 2011 में लगातार प्रकाशन करने के 72 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस वर्ष आई जे एस डब्ल्यू का विशेष अंक दो भागों में प्रकाशित किया गया है, जिनका विषय "एस एच जीः इमर्जिंग स्पेस फॉर सोशल वर्क्स प्रेक्टिस" है, जिनका संपादन अतिथि संपादक बी देवी प्रसाद और बी विजयलक्ष्मी द्वारा किया गया है।

- **lfeukj] lxks"Bh] dk;Z'kkyk,a vkSj izf'k{k.k dk;ZØe**

वर्ष 2010–11 के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन, नेतृत्व विकास, जलवायु चिंता, मानव विकास, सामाजिक दायित्व, मैक्रो आयोजना, सांख्यिकी पद्धति, क्षमता निर्माण और विकास, दलित और आदिवासी मुद्दे, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, जीवन कौशल, प्रबंधन और संगठन विकास, एन एस एस, पुनश्चर्या और उन्मुखी कार्यक्रम, अनुसंधान पद्धति और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में 139 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

संस्थान के संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पेपर प्रस्तुतकर्ता, संसाधन व्यक्ति, चर्चाकर्ता, सत्र की अध्यक्षता, पर्यवेक्षक, विशेष अतिथि या विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। इस वर्ष संकाय सदस्यों ने 545 कार्यक्रमों में भाग लिया और 196 पेपर प्रस्तुत किए।

- **djkj vkSj lg;kx**

भारत और विदेश दोनों में अन्य संस्थानों के साथ शैक्षिक सहयोग और नेटवर्किंग इस संस्थान का प्रमुख क्षेत्र है ताकि उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के आत्मनिर्भर संस्थान के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके, सामाजिक न्याय के अनुरूप ज्ञान का प्रयोग किया जा सके और 'सभी के लिए मानव अधिकार' की भावना को पूरा किया जा सके। टी आई एस एस ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में नीतिगत संसाधन के समर्थन को विकसित किया है। टाटा न्यास भारत के अंदर और भारत से बाहर शिक्षण अनुसंधान और तर्कशीलता में सहयोग बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों से सहयोग कर रहा है।

अधिकांश स्कूल और उनके केंद्र तथा स्वतंत्र केंद्र अपने संसाधनों और अवसरों को बढ़ाने के लिए भागीदारी की काफी नीति अपना रहे हैं ताकि रचनात्मक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य किया जा सके, और व्यक्ति तथा सहयोगी अनुसंधान को

सुविधा प्रदान की जा सके, शिक्षण के लिए संकाय का आदान–प्रदान किया जा सके और विद्यार्थियों का आदान–प्रदान किया जा सके। इस संस्थान ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के 35 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग किया है। इसके अलावा, टी आई एस एस विश्वविद्यालयों और संस्थानों – हिमालयन विश्वविद्यालय, कंसोर्टियम, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, इरेसमस मंडसएक्सटर्नल को आप्रेशन विंडो, फैमिली स्टडी नेटवर्क, ए सी सी ई एस एस नेटवर्क का भाग है। इससे सहयोगपूर्ण अनुसंधान, विद्यार्थी आदान–प्रदान और संस्थागत क्षमता निर्माण को काफी बल मिलता है। एड्स, टी बी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि (जी एफ ए टी एम) – के संबंध में पूरे देश में 43 विश्वविद्यालय और संस्थान 7 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

- **rìytkiùj] xqokgkVh vkSj yík[k % leko'k d¢ u, lkpk dk fuekZ.k dj jg¢ g¢**

गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) और हैदराबाद के परिसर इस रूप में विकसित हो रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निवासी योजना और शासन, मानव सुरक्षा, उद्यमशीलता, उद्योगों के स्थायी विकास और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विद्यार्थियों की व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करने में काफी योगदान दे रहे हैं। यह योगदान सभी स्तरों पर अर्थात नीति निर्माण से निचले स्तर पर उसके कार्यान्वयन तक के संबंध में है। ये परिसर ऐसे उच्च पहल लागू कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है और जिसकी वैश्विक संभावनाएं हैं और इनमें सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और विशेष सुसंगतता के साथ प्रशिक्षण की काफी संभावना है ताकि नीति तैयार की जा सके, उसका पक्ष प्रचार किया जा सके, कार्यकरण का कार्यान्वयन किया जा सके और उसका सुशासन किया जा सके।

- **fjikVkèkhu o"kZ ¼01 vizSy] 2010 ls 31 ekpZ] 2011½ ¼vy¢[kkijhf{kr½ d¢ fy, ctV vkcaVu vkSj fu"iknu ctV**

¼djksM+ #i;s e¢½

0;; 'kh"kZ	;wthlh dh Lohd`fr	okLrfod 0;;
वेतन	23.62	19.91
सेवानिव त्ति लाभ एवं पेंशन	2.40	3.08
गैर–वेतन	12.00	13.45
tksM+	**38-02**	**36-44**
एकबारगी विशेष अनुदान	3.26	1.61
dqy tksM+	**41-28**	**38-05**

3-2-13 Fkkij fo'ofo|ky;] ifV;kyk] iatkc

थापर विश्वविद्यालय (जो पहले थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था), पटियाला की ऐतिहासिक नगरी में 250 एकड़ थापर प्रौद्योगिकी परिसर में स्थित है। थापर विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन पी ई पी एस यू (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यूनियन), जो केंद्रीय सरकार का राज्य था और पटियाला तकनीकी शिक्षा न्यास (पी टी ई टी), जिसकी स्थापना भारतीय उद्योग के महान पुरोधा स्व. लाला कर्मचंद थापर के बीच काल्पनिक और नवोन्मेषी सहयोग से 1996 में की गई थी।

थापर विश्वविद्यालय आज प्रमुख सम–विश्वविद्यालयों में से एक है, जो देश को तकनीकी शिक्षा दे रहा है और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपनी किस्म का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। यह उच्च तकनीकी शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यम का एक प्रमुख अनुभव है। थापर विश्वविद्यालय स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए असाधारण संभावनाओं और भारत के इंजीनियरी उद्योग में इसके अंतरण का अनोखा परिसर है।

- **mís'; vkj e[;&e[; fo'k"krk,¡**

  - ज्ञान के सृजन और प्रसार के माध्यम से तथा शिक्षण तथा पठन–पाठन की प्रक्रिया के नवोन्मेष और विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाली इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन विज्ञान और कला की ऐसीशाखाओं में कभी–कभार परिसर शिक्षण के माध्यम से शिक्षा को उन्नत करना;
  - अनुसंधान, अनुप्रयुक्त/औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और विज्ञान को बढ़ावा देना और पर्यावरण, ऊर्जा, निवास, सामग्री, विनिर्माण, प्रबंधन तथा ऐसी अन्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, विज्ञान और कला के विषयों जैसे विभिन्न विषयों में प्रायोजित अनुसंधान करना जैसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे;
  - ज्ञान में विद्वता और प्रगति को बढ़ाने के लिए अनुकूल सुविधा और वातावरण तैयार करना और बनाए रखना;
  - विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनना;
  - विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने में उद्योग के साथ प्रतिभागिता को विकसित करना;
  - विश्व के किसी भी भाग में अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा, अनुसंधान और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना, जिनका उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः उन विश्वविद्यालयों के अनुरूप हो;
  - समाज के विकास में योगदान देने के लिए अतिरिक्त भित्ति अध्ययन, विस्तार, कार्यक्रम और फील्ड की पहुंच वाले क्रियाकलाप करना; और
  - ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या अनुकूल हों।

- **e[;&e[; fo'k"krk,¡**

इन कार्यक्रमों की मुख्य–मुख्य विशेषताएं सत्रीय–वार प्रणाली, वास्तविक ग्रेड, छात्रों के कार्य–निष्पादन का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम–वार प्रोन्नति और छात्रों को पाठ्यक्रम का चयन करने में ढील और अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम चुनना।

- **fjikVkèkhu o"k ¼01 vizSy] 2010 ls 31 ekpZ 2011½ ds fy, ctV vkcaVu vkSj fu"iknu ctV**

¼djksM+ #i;k esa½

0;;	ctV	okLrfod
योजनागत	5.87	21.21
गैर–योजनागत	41.14	39.04

¼djkM #i;k e½

vk;	ctV	okLrfod
योजनागत	28.47	29.92
गैर–योजनागत	34.55	42.10

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr ¼fo'ofo|ky;] egkfo|ky;] vè;kid] efgyk,] vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr vkfn½**

Øe l-	J.kh	dy l[;k
01	महिलाएं	73
02	अनुसूचित जाति/जनजाति	33
03	विकलांग व्यक्ति	03
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	06

- **fy, x, lxr egÙoi.k uhfr fu.k;@dk;Øe e fd, x, ifjorlu**

  fo'ofo|ky; }kjk ykx fd, x, lokÙke 0;ogkj@fodkl

- शैक्षिक कार्य के डीन के अधीन शिक्षा की सतत समीक्षा प्रणाली।
- विश्वविद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली स्थापित, प्रलेखित और कार्यान्वित की गई है।
- एन ए ए सी द्वारा ए ग्रेड प्रत्यायन
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन बी ए) द्वारा स्नातक–पूर्व कार्यक्रम का प्रत्यायन।
- विश्वविद्यालय के सभी विभाग और स्कूलों को एस टी क्यू सी द्वारा आई एस ओ 9001 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने का प्रमाणपत्र दिया गया है। आई एस ओ 9000:2000 प्रणाली को सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में लागू किया गया।
- प्रति वर्ष आंतरिक शैक्षिक लेखापरीक्षा।
- थापर विश्वविद्यालय में एक औपचारिक आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।
- सभी शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के लिए ई–सुशासन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, जिसमें काउंसलिंग, पंजीकरण, परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया तथा छात्रों और उनके माता–पिता द्वारा वेब कियोस्क पर सभी परिणाम देखना भी शामिल है।
- परीक्षा में पारदर्शिता और समय पर परिणाम घोषित करना।
- छात्रों की प्रतिक्रिया का ऑनलाइन सर्वेक्षण करना।
- छात्रों और उनके माता–पिता के लिए वेब कियोस्क।
- संकाय सदस्यों के लिए विशेष व्यावसायिक विकास भत्ता (उनकी उपलब्धियों के लिए तीन माह का अतिरिक्त वेतन)।

- संकाय सदस्यों को निःशुल्क लैपटॉप।
- परिसर के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी भी समय पूरे परिसर के ई–संसाधनों तक पहुंच। पुस्तकालय की अलग वेबसाइट http:èècl.thapar.edu ।
- थापर विश्वविद्यालय, पटियाला में आई सी टी शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं।
- एस सी आई इम्पेक्ट फैक्टर में बड़े–बड़े अनुसंधान पेपर प्रकाशित।
- बड़ी–बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 333.52 लाख रुपए की रकम स्वीकृत।

- **viukbZ tkus okyh fodkl uhfr dk mYys[k djrs gq, Hkkoh dk;Z ;kstuk**

विश्वविद्यालय की संवृद्धि के साथ यह आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। नई बुनियादी सुविधाओं को तैयार करना ही महत्त्वपूर्ण नहीं है अपितु उन्हें बनाए रखना, उनका नवीकरण करना और विद्यमान बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना भी आवश्यक है। कोई भी नया निर्माण विश्वविद्यालय की समग्र योजना के अनुसार करना होता है। अतः 2027 परिसर पुनः विकास योजना का पालन किया गया है। यह योजना विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पुनर्विकास के लिए कई बुनियादी सुविधाओं को पुनः स्थापित करना या उनमें बढ़ोतरी करना आवश्यक है। इस प्रकार 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध योजना विकसित की गई है। यह प्रयास भावी परिसर कार्य के निर्माण संबंधी दृष्टिकोण में शामिल किया गया है।

- **vk;kftr lEeyu] fon'kh ifrfuf/keMyks dk nkSjk rFkk vU; egÙoiw.kZ vk;kstu] ;fn dksbZ gks**

  राष्ट्रीय : 15

  अंतरराष्ट्रीय : 01

- **vU; n'kksa@varjjk"Vªh; laxBuksa ds lkFk djkj@lg;ksx**

fo'ofo|ky; dk uke	**lg;ksx@lc)rk dk izdkj**
वर्जिनिया टेक्नोलॉजी, यू एस ए	सहयोगी अनुसंधान, छात्रों का आवागमन
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटर्न ओनटैरिया (यू डब्ल्यू ओ), कनाडा	अनुसंधानकर्ताओं और सहयोगी अनुसंधानों का आदान–प्रदान
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, औनटेरियो, कनाडा	औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/सहयोगी अनुसंधान में छात्रों का आदान–प्रदान (27 से 30 छात्रों वाले स्नातक पूर्व छात्रों के पांच बैच 10 से 11 सप्ताह तक थापर में रुके थे)
न्यू जर्सी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू एस ए	संकाय सदस्यों का आदान–प्रदान संबंधी कार्यक्रम
इकोले फ्रैंनकैसे, पेपेटेरि एट डेस इंडस्ट्रीज, ग्राफिक, हैरेस सेडेक्स, फ्रांस	छात्रों का आदान–प्रदान कार्यक्रम
लैकैसे मेडिएटर सिस्टम, इंडो फ्रांस प्रोजेक्ट, ग्रेनोबल, फ्रांस, यू एस ए	

- **i:dkf'kr fd, x, i:dk'kuk dh lph**

  अंतरराष्ट्रीय : 222

  राष्ट्रीय : 22

- **uhfr d i;ktu d fy, egÙoi.k lfefr;k dk xBu**

○ बोर्ड ऑफ गवर्नर

○ प्लानिंग और मॉनीटरिंग बोर्ड

○ सीनेट

○ वित्त समिति

○ स्टाफ कार्य समिति

○ भवन और निर्माण कार्य समिति

- **fjiksVkèkhu o"k d nkjku ijkuh ;ktuk@dk;Øek dk gVkuk vkj ub ;ktuk@dk;Øek dk tkMuk**

जोड़े गए नए कार्यक्रम

एम ई कार्यक्रम (नियमित) – थर्मल इंजीनियरी

एम टेक कार्यक्रम (नियमित) – कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग

3-2-14 Jh lR; lkb fo'ofo|ky;] vurij ¼vkèk in'k½

- **,frgkfld i"BHkfe**

भारत के प्रशांति निलायम में मुख्यालय वाले श्री सत्य साईं उच्च शिक्षण संस्थान (एस एस एस आई एच एल), सम–विश्वविद्यालय भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मानव व्यवहार में शिक्षा के दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। इस संस्थान को भारत सरकार ने वर्ष 1981 में सम–विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यह सम–विश्वविद्यालय तीन परिसरों में स्थित है: **vurij** (आंध्र प्रदेश), **cxy#** (कर्नाटक) और **i'kkfr fuyk;e** (आंध्र प्रदेश) में स्थित है।

यह संस्थान गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, बायो–साइंसेज, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीएस सी (ऑनर्स)/इतिहास तथा भारतीय संस्कृति, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, ऐच्छिक तेलुगू, ऐच्छिक अंग्रेजी में बी ए/अर्थशास्त्र में बी ए ऑनर्स/बी कॉम ऑनर्स, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, तेलुगू भाषा और साहित्य, अर्थशास्त्र में एम ए/गणित, भौतिक विज्ञान, नैनो साइंस और नैनो प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, बायो–साइंसेज, गृह विज्ञान में एम एससी/ एम बी ए/एम बी ए (वित्त)/ बी एड/ एम टेक (कंप्यूटर विज्ञान)/एम टेक (अनुप्रयुक्त ऑप्टिक्स)/उपर्युक्त सभी संकायों में एम फिल और पीएच डी की डिग्री प्रदान करता है।

- **y{; vkj e[;&e[; fo'k"krk,**

  nf"Vdk.k

यह संस्थान सामाजिक लाभ के लिए व्यक्तियों को समग्र शैक्षिक सहायता प्रदान करता है।

> *"इस संस्थान की स्थापना केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी तैयार करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मज्ञान और आत्म विश्वास पैदा करने में सहायता करना है ताकि विद्यार्थी आत्म बलिदान का ज्ञान प्राप्त कर सकें और आत्म बोध का अर्जन कर सकें। विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षण से विद्यार्थियों*

को परीक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री देना मात्र नहीं है जिससे कि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य प्रेम और त्याग के माध्यम से उनका आध्यात्मिक विकास, आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता है। हमें आशा है कि हमारे विद्यार्थी आध्यात्मिक जागरूकता के देदीप्यमान उदाहरण होंगे और इससे व्यक्ति और समाज को लाभ होगा।"

Hkxoku Jh lR; lkb ckck] lLFkkd dykfèkifr

fe'ku

विद्यार्थियों को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में तैयार करना है – व्यावसायिक ज्ञान, सामाजिक दायित्व और अध्यात्मिक चेतना से आदर्श मूल्य और सही अभिवृत्ति पैदा होती है।

इस विश्वविद्यालय की कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **fo'ofo|ky; dk vkoklh; Lo:i**: जिसमें छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर हैं।
- **nkf[ky dh eDr uhfr**: विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों के इच्छुक देशभर के सभी छात्रों को उनकी आय, वर्ग, जाति धर्म, क्षेत्र के आधार के बिना दाखिला देकर वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना है।
- **;kX;rk dk vkèkkj ij p;u**: इसमें विशेष योग्यता आधारित चयन में अति बौद्धिक परीक्षा तथा साक्षात्कार पद्धतिके माध्यम से और बुद्धिमतापूर्ण तथा गहन वैचारिक दृष्टि रखने वाले छात्रों को पर्याप्त प्राथमिकता दीजाती है।
- **fu'kYd f'k{kk**: विश्वविद्यालय, शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, अवदान निधि तथा इसी प्रकार के अन्य शुल्क वसूल नहीं करता है।
- **lHkh Lrjk ij f'k{kk dk ekè;e vxth gA**
- **oKkfud vulèkku fodkl**: ऐसे डॉक्टोरल स्तर पर जो स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबंधित हों, छात्रों एवं संकाय सदस्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक मॉडर्न स्पेस थियेटर की स्थापना के जरिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की पहचान के अवसर उपलब्ध कराना तथा विभिन्न प्रोत्साहन कार्यों का विकास करते हुए रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रम तैयार करना।
- प्रतिभा कौशल संवर्धन हेतु 5 वर्षीय अवधि का **lefdr ikB;ØeA**

  संकाय सदस्यों एवं छात्रों में परस्पर सामंजस्य हेतु शिक्षकों एवं छात्रों में बेहतर अनुपात स्थापित करना।
- **dk;fnolk dh vfèkdre l[;k**: शैक्षिक उद्देश्यों तथा कार्य विस्तार हेतु राष्ट्रीय अवकाशों एवं मुख्य पर्वों का पूर्ण उपयोग।

  इन उच्च आदर्शों को बनाए रखने में विश्वविद्यालय की सफलता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि सभी कार्य अटल सटीकता से संचालित किए जा रहे हैं।

- **fjikVkèkhu o"k d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

¼#i;s yk[kk e½

	ctV iknDdyu 2010&11	**okLrfod 2010&11**
0;;		
वेतन आदि	542.86	521.84
अन्य आवर्ती व्यय	147.48	137.24
	690-34	**659-08**
गैर–आवर्ती व्यय	200.13	227.31
	890-47	**886-39**
foÙk d lkr		
एस एस एस सेंट्रल ट्रस्ट	170.00	170.00
एस एस एस बुक ट्रस्ट	94.00	114.00
संस्थान की आय	428.81	428.23
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	129.58	147.99
डीएसटी/डीबीटी/डीआरडीओ/एमओईआईएफ/डीएई/ एमसीआईटी/सीएसआईआर आदि	58.08	261.17
	890-47	**886-39**

- **ykHkkfFk;ka ¼f'k{kdka] fo|kfFk;ka] efgykvka] vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr vkfn½ dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr**

  वर्ष 2010–11 के लिए:

  शिक्षक – 117; विद्यार्थी – 1159

  (जिनमें से महिलाएं 421 अनुसूचित जाति, 53 अनुसूसचित जनजाति, 27)

- **orZeku fLFkfr] fy, x, lHkh egÙoiw.kZ uhfrxr fu.kZ;@ dk;Øe eas fd, x, ifjorZu**

  किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

- **viukbZ tkus okyh fodkl uhfr dk mYy[k djrs gq, Hkkoh dk;Z ;kstuk ¼2010&11½**

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मुड्डेनाहल्ली, चित्तबलपुर जिला, कर्नाटक में चौथे नए एस एस एस आई एच एल परिसर शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होना है।

- **vk;kftr lEeyu] fon'kh ifrfufèkeMy d nkj vkj vU; egÙoi.k lekjkg] ;fn dkbl gk**

  श्री सत्य साईं उच्च शिक्षण संस्थान (सम–विश्वविद्यालय) को 'ए' ग्रेड पुनः प्रत्यायन प्रदान किया गया है और एन ए ए सी द्वारा 4.00 अंकों में से 3.625 का संचित ग्रेड पॉइंट औसत दिनांक 8.1.2011 से विधिमान्य है।

- **idkf'kr idk'kuk dh lph**

  - विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 20 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं और संकाय सदस्यों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में 50 से अधिक शोध पेपर प्रकाशित किए गए थे।
  - स्नातकोत्तर और व्यावसायिक कार्यक्रमों के विद्यार्थियों द्वारा लगभग 140 परियोजनाएं/शोध प्रबंध प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एम फिल के विद्यार्थियों द्वारा आठ शोध प्रबंध और पीएच डी के छात्रों द्वारा चार शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किए गए हैं।

- **fjikVkèkhu o"k d nkjku ijkuh ;kstuk@ dk;Øek dk gVkuk vkj ubl ;kstuk@dk;Øek dk tkMuk**

  शून्य

- **vè;{k@mikè;{k@lfpo@vij lfpo@foÙk lykgdkj@l;Dr lfpok }kjk fd, x, fon'kh nkjk dk i;ktu vkj ifj.kke** – शून्य

- **uhfrxr i;ktu d fy, egÙoi.k lfefr;k dk xBu**

वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, यथा (1) अनुसंधान सलाहकार समिति, (2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, (3) वित्तीय समिति, (4) प्रबंधन बोर्ड, (5) शिक्षा परिषद्, और (6) अध्ययन बोर्ड।

3-2-15 xk[ky jktuhfr vkj vFk'kkL= lLFkku i.k ¼egkjk"V½

वर्ष 1930 में स्थापित गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान (जी आई पी ई) ने सफलतापूर्वक 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो किसी भी शैक्षिक संस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। जी आई पी ई भारत में संभवतः सबसे पुराना अर्थशास्त्र में अनुसंधान और शिक्षण संस्थान है। इस संस्थान ने केवल लंबी यात्रा ही नहीं की अपितु वर्षों से अपना वर्चस्व भी बनाए रखा। यह संस्थान भारत में आर्थिक विकास और नीति संबंधी विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अर्थशास्त्र में कला निष्णात कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो देश में श्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक समझा जाता है। जी आई पी ई शुरू से ही अर्थशास्त्र में पीएच डी कार्यक्रम संचालित करता है। शिक्षण और अनुसंधान के संबंध में किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्यों को स्वीकार करते हुए एन ए ए सी ने वर्ष 2003 में जी आई पी ई को ए+ ग्रेड प्रदान किया है। गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान के अनुदानदाता महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग हैं।

- **o"k 2010&11 d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV**

Øe l-	**o"k 2010&11 d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV lLFkku dk ctV**	**jde ¼yk[k #- e½**
1.	वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थान का कुल बजट	962.34
2.	वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थान द्वारा किया गया वास्तविक व्यय (जिसकी लेखापरीक्षा की जानी है)	410.59

;| th lh dk nloh vkj X;kjgoh ;kstuk fodkl vuqnku

1. 10वीं योजना विकास अनुदान के अधीन यू जी सी द्वारा स्वीकृत अनुदान 300.00
2. 11वीं योजना विकास अनुदान के अधीन यू जी सी द्वारा स्वीकृत अनुदान 877.00

- ykHkkfFk;ksa ¼f'k{kdksa] fo|kfFk;ksa] efgykvksa] vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr vkfn½ dh la[;k lfgr y{; lewg dh fLFkfr

इस संस्थान की कुल कर्मचारी संख्या 70 है। इनमें से 22 महिलाएं हैं और 40 प्रतिशत कर्मचारी आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, डी टी एन टी और अन्य पिछड़े वर्ग) के हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या में से 33 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ है। वर्ष 2010–11 के दौरान नामांकित कुल छात्रों की संख्या 81 है, जिनमें से 44 पुरुष (54 प्रतिशत) और 37 महिलाएं (44 प्रतिशत) हैं।

fnukad 31-03-2011 dks laLFkku d s dqy deZpkfj;ksa dh fLFkfr

J s.kh	f'k{k.k LVkQ		xSj&f'k{k.k LVkQ		vLFkk;h LVkQ		dqy LVkQ		tksM
	efgyk	iq#"k	efgyk	iq#"k	efgyk	iq#"k	efgyk	iq#"k	
अनुसूचित जाति	4	1	8	2	–	1	12	4	16
अनुसूचित ज जा	2	–	1	1	–	–	3	1	4
डी टी एन टी	1	–	1	–	1	–	3	–	3
अन्य पिछड़े वर्ग	1	–	3	–	1	–	5	–	5
सामान्य	10	4	15	11	–	2	25	17	42
tksM	**18**	**5**	**28**	**14**	**2**	**3**	**48**	**22**	**70**

fyax vkSj tkfr dh J s.kh d s vuqlkj Nk=ksa dh dqy la[;k

J s.kh	,e , Hkkx&I		,e , Hkkx&II		tksM	
	efgyk	iq#"k	efgyk	iq#"k	efgyk	iq#"k
अ.जा./अ. ज. जा	01	00	03	00	04	00
अन्य पिछड़े वर्ग	05	02	03	00	08	02
अन्य	15	22	10	20	25	42
tksM	**21**	**24**	**16**	**20**	**37**	**44**

- vk;ksftr egÙoiw.kZ lekjksg

काले स्मारक व्याख्यानः 14 जनवरी, 2011 को संस्थान के 17वें दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर सुखदेव थोरट, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "भारत में उच्च शिक्षाः नई पहलें और नई चुनौतियां" विषय पर भाषण।

प्राफेसर पी आर धुभा शी व्याख्यानः 16 दिसंबर, 2010 को पद्मश्री डॉ. विजय पी भटकर, अध्यक्ष, एजूकेशन–टू–होम (ई टी एच), अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे द्वारा "भारत 2047" का दृष्टिकोण विषय पर भाषण।

कुंडो दातार स्मारक भाषणः 24 अगस्त, 2010 को डॉ. दिलीप रथ, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, विश्व बैंक, वाशिंगटन डी सी, यू एस ए द्वारा "अंतरराष्ट्रीय विस्थापन और विकास" विषय पर भाषण।

- **प्रकाशन**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न जर्नलों में लगभग 12 पेपर प्रकाशित किए गए थे। इस संस्थान ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अर्थ विज्ञान नामक अपनी पत्रिका के खंड 51 और 52, संख्या 1 से 4 के पांच वर्किंग पेपर प्रकाशित किए हैं।

- **वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित भाषण**

क्रम सं.	विषय	दिनांक
1.	प्रोफेसर सुभाष एल केतकर, वंडेबिल्ट विश्वविद्यालय द्वारा "शिक्षा की वित्त व्यवस्था के लिए भारत के मूलवंशियों के बांड"	03.12.2010
2.	प्रोफेसर कारोल व्लासोफ, एडजंक्ट प्रोफेसर, सामुदायिक औषधि विभाग और महामारी, ओटावा विश्वविद्यालय, कनाडा द्वारा "ग्रामीण महाराष्ट्र समुदाय में आर्थिक विकास, महिलाओं की स्थिति और प्रजननशीलता" विषय पर एक व्यापक अध्ययन	07.12.2010
3.	प्रो. नीलांबर हत्थी, प्रोफेसर, एमेरिटस, अर्थशास्त्र–इतिहास विभाग, लुंड विश्वविद्यालय, स्विडन द्वारा "लुप्त होती बेटियांः भारत में गिरते हुए लिंग अनुपात का वैवाहिक प्रभाव"	10.12.2010
4.	प्रोफेसर पवित्रा पाल चौधरी, आई एस आई, कोलकाता द्वारा "कम्प्यूटर विज्ञान की वर्तमान अद्यतन स्थिति और इसके भावी अनुप्रयोग"	22.12.2010

3.2.16 बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बी आई टी एस) एक सम–विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वर्ष 1964 में की गई थी। इसके परिसर पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई में स्थित हैं।

- **उद्देश्य**

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य "प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी, उद्योग, कारोबार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना और अन्यथा उन्हें बढ़ावा देना और प्रभावी विचारों, विधियों, तकनीकों और सूचना के ऐसे क्षेत्रों को एकत्र करना और उन्हें प्रसारित करना जिससे भारत की सामग्री और औद्योगिक कल्याण को बढ़ावा मिलने की संभावना हो" और "युवाओं और युवतियों को विचारों, विधियों, तकनीकों और सूचना के संबंध में सृजनात्मक कार्य करने और लगे रहने के लिए योग्य और उत्साही बनाना।"

- **वर्ष 2010-11 के दौरान बजट आबंटन और उपयोग का सारांश**

vuqnku ¼3 ls 5 o"kZ dh vof/k ds fy,½	Lohd`r jde ¼yk[k #i;ks esa½	o"kZ 2010&11 ds nkSjku mi;ksx esa ykbZ xbZ jde ¼yk[k #i;ks esa½
11वीं योजना (उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएं)	659.40$	40.00#
11वीं योजना (11 विलयित योजनाएं, जिनमें असमनुदेशित अनुदान भी शामिल है) **xSj&;kstukxr**	28.73**	12.46
यू जी सी बड़ी अनुसंधान परियोजनाएं	82.32	10.27
यू जी सी डी आर एस एस ए पी (गणित, फार्मेसी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियर, भौतिक विज्ञान)	290.00	36.90
यू जी सी महिला अध्ययन केंद्र	50.00*	7.19
यू जी सी नवोन्मे ाी कार्यक्रम (लोक स्वास्थ्य में निष्णात)	29.00*	2.21

$ यू जी सी द्वारा वास्तविक रकम की घोषणा नहीं की गई है। वर्ष में निधि जारी की गई है।

**पूरी रकम जारी नहीं की गई है। *वर्ष में निधि जारी नहीं की गई है।

- **y{; lewg dk 'kkfey djuk**

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से किया गया ताकि संस्थान के 10664 (2261 लड़किया और 8304 लड़कों) विद्यार्थियों और 550 संकाय सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- **orZeku fLFkfr] fy, x, lrr egÙoiw.kZ uhfrxr fu.kZ;@dk;ZØe esa fd, x, ifjorZu 11oha ;kstuk**

वर्ष 2010–11 के दौरान 40.00 लाख रुपए का उपयोग पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया गया।

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dh cM+h&cM+h vuqla/kku ifj;kstuk,¡

वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नलिखित बड़ी–बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर आगे कार्य किया गया। इनमें से कुछ परियोजनाएं इस वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई हैं:

1. भवन के अंदर सुखद गर्मी के लिए स्थायी सनशेड का डिजाइन और विकास।
2. कुछ जेमिनी सरफेसों के मिससेलों वाले अंतरण फ्लोरोसेंस का प्रोबिंग ट्विस्टेड इंटरामोलेक्युलर चार्ज करना।
3. निकटतम धरातलीय ऊंचाई (एन एस एम) फाइबर–प्रबलन का प्रयोग करते हुए कंकरीट के ढांचे की फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथनिंग।
4. राजस्थान के शेखावती क्षेत्र से साइअनोबैक्टेरियल आइसोलेट से बायोएक्टिव कंपाउंड का पता लगाना और उसका फर्माकोलॉजिकल मूल्यांकन करना।
5. बायोपॉलिमर में अनजिपिंग फोर्स लगाना।

6. कक्षा 5–8 के ग्रामीण बच्चों के लिए मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षण के लिए शिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
7. वात अस्थिशोथ के उपचार के लिए नए कारकों का डिजाइन तैयार करना और उनका संश्लेषण करना।
8. बच्चों के लिए आर्टेसुनेट और अमोडियाक्विन के निश्चित खुराक के मिश्रण के लिए बहु–यूनिट पर्टिकुलेट डिलीवरी का संशोधित डिजाइन जारी करना।
9. नैनोक्रिस्टलीन सिलीकन थि फिल्म ट्रांसिस्टर (एनसी–टीएफटी) के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करना।
10. जनसंख्या में काडियोवास्कुलर रोग : ऐसी घटनाओं की गणितीय मॉडलिंग और विश्लेषण, जोखिम कारकों और निवारण संबंधी रणनीति।
11. आयोनिक तरल में लेविस एसिड के रूप में लैंथेनाइड ट्राइफ्लेट्स का प्रयोग करके जैविक महत्त्व के सम्मिश्रणों के लिए आदर्श संश्लिष्ट प्रविधि।

- **,l , ih&Mh vkj ,l**

डी आर एस के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागों ने एस ए पी के अधीन डी आर एस को शामिल किया है और इस संबंध में अच्छी प्रगति की है। वर्ष के दौरान गणित विभाग में भी एस ए पी के अधीन डी आर एस लागू किया जा रहा है और चरण–I को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चरण–II के अधीन फार्मेसी विभाग को काफी समर्थन मिला है। इस अवधि के दौरान चयनित विभागों ने काफी प्रगति की है।

- **fo’ofo|ky; vunku vk;kx efgyk dn**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित महिला केंद्र बी आई टी एस, पिलानी में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं और उनके परिवारों के उत्थान के लिए कार्य करना है। यह केंद्र इस क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

- **fo’ofo|ky; vunku vk;kx d uokUe"kh dk;Øe**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिफार्म्ड सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यू एस ए और एन आर एच एम, जयपुर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से बी आई टी एस में जन स्वास्थ्य में निष्णात कार्यक्रम शुरू करने के लिए निधि प्रदान की है। विद्यार्थियों का दूसरा बैच मई, 2010 में निकला और उन्हें अच्छा रोजगार मिल गया है। यह कार्यक्रम सफलता से संचालित किया जा रहा है।

- **efgyk Nk=kokl dk fuekZ.k**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान ने शोधार्थियों और अतिथि महिला शोधार्थियों के लिए महिला छात्रावास के निर्माण के लिए निधि प्रदान की है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

- **vleunf’kr vunku**

;k=k vunku

विलयित योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सक्रिय सहयोग के माध्यम से यह संस्थान अध्यापकों को यात्रा अनुदान दे पा रहा है ताकि वे भारत और विदेश में सम्मेलनों में भाग ले सकें, विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगोष्ठियों/विचार–गोष्ठियों में भाग ले सकें और डॉक्टोरल शोध ग्रंथ सहित विद्वतापूर्ण अनुसंधान कार्य को प्रकाशित कर सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई निधि के माध्यम से

98 संकाय सदस्यों को प्रायोजित किया गया ताकि वे भारत में (84) और विदेश में (14) सम्मेलनों में भाग ले सकें। भारत और विदेश के 37 शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और औद्योगिक व्यक्तियों को विशेष भाषण देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के साथ चर्चा की गई।

- **lEeyu@lxk"Bh@dk;’kkyk**

संस्थान ने वर्ष 2010–11 के दौरान 11 संगोष्ठी/सम्मेलन/विचार–गोष्ठी/कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें से 6 के लिए आंशिक वित्त व्यवस्था विश्वविद्यालय के असमनुदेशित अनुदान के माध्यम से की गई। इस अवधि के दौरान आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में 80 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। असमनुदेशित अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित समारोहों के नामों की सूची इस प्रकार है:

1. "बौद्धिक संपदा अधिकार" संबंधी कार्यशाला।
2. "माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और इम्बेडेड प्रणाली" विषय पर भारत–ताईवान की संयुक्त कार्यशाला के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
3. न्युक्लियर फिजिक्स संबंधी राष्ट्रीय विचार–गोष्ठी।
4. "थर्मल पावर प्लांट के घटकों के शाश्वत जीवन का मूल्यांकन" विषय पर कार्यशाला।
5. "वेस्ट वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो–रिमेडिएशन और एनर्जी प्राडक्शन में माइक्रोव्स" विषय पर अंतरराष्ट्रीय वाटर एसोसिएशन (आई डब्ल्यू ए) का विशेष सम्मेलन।
6. "बायोलॉजिकल और फार्मास्युटिकल अनुसंधान में समसामयिक प्रवृत्ति" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

- **vk|kfxd vkj 'kf{kd lLFkkvk d lkFk lg;kx**

इस वर्ष के दौरान, इस संस्थान ने औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों में यूनिवर्सिटी ऑफ सैवोई, चैम्बअेरी सेडेक्स, फ्रांस; ईटन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, भारत; कार्लेटन विश्वविद्यालय, कनाडा; केंद्रीय इलेकट्रॉनिक्स और इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी; रक्षा मंत्रालय (थल सेना) के एकीकृत मुख्यालय, नई दिल्ली आदि के साथ किए गए सहयोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के रूप में इस संस्थान द्वारा आयोजित चयनित उद्योगों में ग्री मकाल के दौरान आठ सप्ताह के समय के लिए आयोजित व्यवहार विद्यालय एक पाठ्यक्रम में लगभग 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अलावा, इस प्रोग्राम के भाग के रूप में भारत और विदेश में उद्योगों की सीधी परियोजनाओं को करने के लिए साढ़े पांच माह के व्यवहार विद्यालय ष पाठ्यक्रम में लगभग 1450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से आधे विद्यार्थियों ने पहले सत्र में और शेष आधे विद्यार्थियों ने दूसरे सत्र में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

- **idk’ku**

संकाय सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 241 अनुसंधान पेपर, सम्मेलन की कार्रवाई में 54 पेपर और पुस्तकों के 16 अध्याय प्रकाशित किए हैं। 235 से अधिक संकाय सदस्यों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और 229 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए। वर्ष के दौरान, पहले स्तर के शोध ग्रंथों और उच्च स्तर की परियोजनाओं के आधार पर कुछ प्रकाशन परियोजनाओं के साथ सहयोजित विद्यार्थियों द्वारा मिलकर तैयार किए गए।

- **u, dk;Øe tkMuk**

वर्ष 2011 के दौरान बी आई टी एस, पिलानी परिसर में बी ई ऑनर्स विनिर्माण इंजीनियरी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

- **viuk, tku okyh fodkl uhfr dk mYy[k djr g, Hkkoh dk;l ;ktuk**

बी आई टी एस, पिलानी को विश्व का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिशन 2012 और विज़न 2020 के अधीन कार्यक्रमों में सुधार करने, विश्वविद्यालय–उद्योगों के संबंधों को सुदृढ़ करने, अनुसंधान अनुदान बढ़ाए जाने, उद्योगों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को बढ़ाए जाने और परामर्शी निर्माण कार्य के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अनुसंधान और प्रयोग–उन्मुखी अनुसंधान आदि में और अंतरराष्ट्रीय सहयोग करने से यह इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

3-2-17 vfouk'kfyx efgyk fo'ofo|ky;] dk;crj ¼rfeyukM½

अविनाशलिंग महिला सम–विश्वविद्यालय की स्थापना तमिलनाडु के कोयंबतूर शहर के डॉ टी एस अविनाशलिंगम, उत्कृष्ट शिक्षाविद, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रतिष्ठित दार्शनिक और भविष्य दृष्टा द्वारा की गई थी। गांधीवादी इस प्रतिष्ठित नेता ने महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण के संबंध में उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान की कल्पना की थी, विशेषकर उन महिलाओं की शिक्षा के लिए जो समाज के उपेक्षित वर्गों की हैं और उन्हें अपने घर, समुदाय और राष्ट्र की सार्थ सेवा के लिए तैयार करने के लिए की थी।

भारत सरकार ने श्री अविनाशलिंगम गृह विज्ञान महिला महाविद्यालय और श्री अविनाशलिंगम अध्यापक महिला महाविद्यालय को जून, 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम–विश्वविद्यालय घोषित किया है।

mís'; vkj e[;&e[; fo'k"krk,

इस विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- विभिन्न विषयों यथा गृह विज्ञान, विज्ञान, मानविकी, प्रबंधन, शिक्षा और इंजीनियरी में पीएच डी के स्तर तक उच्च शिक्षा अनुसंधान और विस्तार में विद्यार्थियों को समग्र विकास और उत्कृष्टता का अवसर देना।
- अध्ययन के सभी विषयों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक और नैतिक मानकों को शामिल करना।
- प्रौढ़ और गैर–औपचारिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में अपने अधिकार और स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- देश के सभी भागों से महिलाओं को एकसाथ लाकर राष्ट्रीय अखंडता के केंद्र के रूप में कार्य करना और अखिल भारतीय सोच को विकसित करना।
- सामुदायिक और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की सुविधा देने के लिए समाज के अनुसंधानकर्ताओं के निष्कर्षों का प्रसार करना।

fjikVk/khu o"k 2010&11 d fy, ctV vkcVu vkj fu"iknu ctV

क्रम सं.	व्यय शीर्ष	बजट आबंटन 2010–11	वर्ष 2010–11 के दौरान व्यय

(लाख रुपयों में)

1.	**oru vkj HkÙkk ij [kpZ dh xbZ jde**		
1.	वेतन पर खर्च की गई रकम	2576.89	2544.13
2.	वैयक्तिक दावे और भत्ते	75.00	43.18
	tkM	**2651-89**	**2587-31**
2-	**I okfuofÙk ykHk vkj i’'ku**	531.00	507.48
	tkM	**531-00**	**507-48**
3-	**xj&oru ?kVd**	300.00	300.00
	tkM	**300-00**	**3-00**
	dy tkM ¼1$2$3½	**3482-89**	**3394-79**

- **fnukd 31-03-2010 dk ykHkkfFk;k ¼f’k{kd] fo|kFkh] efgyk,] vuqlfpr tkfr@ vuqlfpr tutkfr vkfn½ dh l[;k lfgr y{; leg dh fLFkfr**

Lohdr in & 207

fo|eku in & 197

प्रोफेसर – 17, प्रोफेसर सी ए एस – 32,

रीडर – 16, रीडार सी ए एस – 57

सहायक प्रोफेसर एस जी – 09, सहायक प्रोफेसर एस एस – 30, सहायक प्रोफेसर – 36

tkM & 197

अनुसूचित जाति – 118, अनुसूचित जनजाति – 02, अन्य पिछड़ा वर्ग – 177, विकलांग – 04, रिक्त – 10

tkM & 197

- **vè;;u djus oky fo|kfFk;k dh ikB;Øe&okj l[;k 2010&2011**

स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम	–	3201
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	–	876
एम फिल	–	111
पीएच डी	–	218
बी एड, एम एड और पीएच डी	–	226
बी ई और एम ई	–	1615
dy tkM		**6247**

- **'kq: fd, x, dk;Øe**

fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx }kjk ik;kftr uokUes"kh dk;Øe ¼ पर्यटन प्रशासन निष्णात और एम एससी काउंसलिंग साइकोलॉजी

,l vkbZ lh Vh }kjk vuqekfnr dk;Øe ¼ एम ई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और एम ई सी एल एस आई डिजाइन।

- **fon’kh nkjs**

रिपोर्टाधनी वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के पांच संकाय सदस्यों ने दार–ए–सलाम (तनजानियां), दुबई, कुआला लामपुर, मलेशिया और फिलाडेल्फिया (यू एस ए) में आयोजित चार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

- **LVkQ vkj fo|kfFk;k dh miyfCèk;k**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान डॉ. (श्रीमती) शीला रामचंद्रन, कुलपति और आठ संकाय सदस्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, लगभग 7 विद्यार्थियों ने अपने विषयों में विभिन्न प्रश्नोत्तरियों और प्रतियोगिताओं में पुरस्कार और इनाम प्राप्त किए हैं।

- **vk;kftr lEeyu**

अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन	02
राष्ट्रीय संगोष्ठी	09
राष्ट्रीय कार्यशालएं	20
राष्ट्रीय सम्मेलन	01
क्षेत्रीय संगोष्ठी	06

i.dk’ku

स्टाफ के सदस्यों द्वारा इस शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रकाशित कुल पेपरों की संख्या इस प्रकार है:

tuly%

क)	राष्ट्रीय स्तर के	125
ख)	अंतरराष्ट्रीय स्तर के	40

dk;okgh%

क)	राष्ट्रीय स्तर की	120
ख)	अंतरराष्ट्रीय स्तर की	60
	पुस्तके	05
	पुस्तकों के अध्याय	03

- **n’kk@vrjjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj@lg;kx**

  अविनाशलिंग महिला विश्वविद्यालय, कोयंबतूर और रिसर्च सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल जेनोमिक्स, कोरियन साइंस एंड इंजीनियरी फाउंडेशन, कोरिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

  अविनाशलिंग महिला विश्वविद्यालय, कोयंबतूर और कोरियन जिनसेंग सेंटर एंड जिनसेंग रिसोर्स बैंक, क्युगही यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- **Mk- vEcMdj vè;;u dn dh LFkkiuk**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के इपोक मेकिंग सामाजिक चिंतकों की योजना के अधीन इस विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र की स्थापना करने का अनुमोदन दे दिया है। विश्वविद्यालय ने गैर–आवर्ती अनुदान व्यय के लिए 3.00 लाख रुपए (एकबारगी) अनुदान और आवर्ती व्यय के लिए 7.50 लाख रुपए प्रति वर्ष का अनुदान स्वीकृत किया है।

- **vu|lfpr tkfr@ vu|lfpr tutkfr@ vYil[;d@ vU; fiNMk ox lenk;**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रणाली में प्रवक्ता के रूप में चयन के लिए उम्मीदवार का नेट और सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। प्रवक्ता के रूप में चयन के लिए उपलब्ध अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय के नेट अनुशिक्षण केंद्र ने लक्ष्य समूह के लिए कक्षाएं आयोजित की हैं।

अविनाशलिंगम महिला सह विश्वविद्यालय की सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण योजना आयोजित की गई है। इस केंद्र, राज्य सेवा, सरकारी और निजी क्षेत्र और बैंक भर्ती में समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

- **midj.k vuj{k.k lfoèkk ¼vkbl ,e ,Q½**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं योजना अवधि में इस विद्यालय में उपकरण अनुरक्षण सुविधा स्थापित करने के संबंध में अनुमोदन दे दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर–आवर्ती खर्चे के लिए 4.00 लाख रुपए (एकबारगी अनुदान) और आवर्ती खर्चे के लिए 5.70 लाख रुपए प्रति वर्ष की मंजूरी दे दी है।

3-2-18 fcjyk ik|kfxdh lLFkku] eljk ¼jkph½

- **,frgkfld i"BHkfe**

इस संस्थान की स्थापना जुलाई, 1955 में सुप्रसिद्ध उद्योगपति मानववादी और दूरद भटा स्व. श्री बी एम बिरला ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के रूप में की थी। आरंभ में यह तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय के रूप में शुरू किया गया था और बाद में राज्य में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने पर वर्ष 1960 में इसकी संबद्धता को रांची विश्वविद्यालय में अंतरित किया गया था। शिक्षा आयुक्त, भारत सरकार (1964 से 1966) की सिफारिशों के अनुसरण में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त चयन समिति और लेखापरीक्षा दल की रिपोर्ट के आधार पर मार्च, 1972 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय में अधिनियम में विशेष प्रावधान करके इस संस्थान को रांची विश्वविद्यालय के अधीन ही "स्वायत्त महाविद्यालय" का दर्जा प्रदान किया गया था। बिहार विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने इसके सुशासन के संबंध में नियम बनाए। इस संस्थान के अनुसंधान और उत्कृभट शैक्षिक कार्यक्रम की उपलब्धियों के कारण इसे अगस्त 1986 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन "सम–विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया।

- **mís'; vkj e[;&e[; fo'k"krk,**

यह विश्वविद्यालय ऐसे नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित करता आ रहा है, जिनसे इस क्षेत्र की खुशहाली और वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए मानवता के प्रति महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- **vkthou f'k{k.k e yx jgu d fy, fo|kfFk;k dk r;kj djukA**

- उद्योगों में प्रवेश के स्तर पर इंजीनियरी जॉब करने के लिए और दक्षता और विश्वास के साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षित करना।
- विद्यार्थियों को निष्णात स्तर पर शिक्षित करना ताकि वे गहन विश्लेषण और डिजाइन तैयार कर सकें या गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य कर सकें।
- पीएच डी स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा देना ताकि वे रचनात्मक अनुसंधान कर सकें।
- अपने संकाय सदस्यों में प्रभावी शिक्षण कौशल का विकास करना।
- ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे उत्पादक अनुसंधान को बढ़ावा मिले।
- **fjikVkèkhu o"kl dk fy, ctV vkcaVu vkj fu"iknu ctV**

	vk; ¼yk[k #i;k e½	0;; ¼yk[k #i;k e½	vfèk'ks"k@?kkVk
बजट : 2010–11 :	8857.74	9689.32	–831.58
वास्तविक: 2010–11:	9543.71	10321.58	–777.87

- **ykHkkFkh ¼fo'ofo|ky;] egkfo|ky;] f'k{kd] efgyk,i] vuqlfpr tkfr@ vuqlfpr tutkfr vkfn½ dh l[;k lfgr y{; lengk dh fLFkfr**

f'k{kd%

dqy	iq#"k	efgyk,i	vuq-tk-	vuq-t-tk-	vU; fiNMk oxl	ih,p Mh èkkjd	fodykx
334	259	71	05	06	20	134	01

fo|kFkh%

Hkkrh fd, x,	iq#"k	efgyk	v-tk-	v-t-tk-	vU; fi-oxl	fodykx
3743	2735	1008	370	304	373	34

- **orleku fLFkfr] fy, x, lxr egÙoiw.kl uhfrxr fu.kl;@dk;lØe e fd, x, ifjorlu**

1) विशिष्ट स्नातक–पूर्व इंजीनियरी कार्यक्रमों में मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन से 27 प्रतिशत विद्यार्थियों को शामिल करना।
2) एकीकृत स्नातकोत्तर एवं पीएच डी कार्यक्रम शुरू करना।
3) स्नातक–पूर्व ओर स्नातकोत्तर कार्यक्रम दोनों में विद्यमान यूनिट प्रणाली के स्थान पर क्रेडिट प्रणाली लागू करना।
4) शिक्षा आई सी टी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एम ई–आई टी सी) के अधीन राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन), पी ओ पी के माध्यम से एक जी वी पी कनेक्टिविटी आधारित ऑप्टिकल फाइबर केबल संस्थापित करना।

- **viuk, tku okyh fodkl uhfr dk mYy[k djr g, Hkkoh dk;l ;ktuk**
- वर्चुअल प्रोटोटाइप केंद्र का विकास।
- उन्नत चिकित्सीय निदान के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र विकसित करना।
- नैनो प्रौद्योगिकी के लिए केंद्र स्थापित करना।
- जलवायु में उत्कृष्टता के लिए केंद्र स्थापित करना।
- एंटी वायरल अनुसंधान केंद्र स्थापित करना।
- **vk;kftr fd, x, lEeyu] fon'kh ifrfufèk;k d vk;kftr fd, x, vU; egÙoi.k lekjkg] ;fn dkbl gk**

बी आई टी, मेसरा और इसके विस्तार केंद्रों ने कुल मिलाकर 38 संगोष्ठियां, सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित की थीं।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा – 03

- प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्पैन, हैड ऑफ दॅ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रीकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरी, क्वींस यूनिवर्सिटी, कनाडा
- प्रोफेसर सिबी चक्रवर्ती, फार्मा फॉर्मुलेशन आई एन सी, न्यूयार्क।
- प्रोफेसर सिद्धार्थ जी चटर्जी, सन्नी कॉलेज ऑफ इनवायरनमेंटल साइंस एंड फारेस्टरी, सायराकस, यूएसए।

- **vU; n'kk@vrjjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj@lg;kx**
- इंस्टिट्यूट ऑफ एकाउंटेंसी आरुशा, तनजानिया
- फार्मास्युटिकल साइंस विभाग ने एंटी–वायरल औषधि की खोज के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यूनिवसर्सिटी ऑफ लुबेक, जर्मनी के साथ सहयोग किया है। यह प्रक्रिया अक्तूबर, 2010 में शुरू की गई है।
- यूनिवर्सिटी ऑफ ड्युशिंग बर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेक, जर्मनी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अमस्टरडम।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स (आई सी टी पी), इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स।
- इंस्टिट्यूट ऑफ हाई प्रेशर फिजिक्स ऑफ रशियन अकाडमी ऑफ साइंसेज, ट्रॉयटस्क, मास्को।
- डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोबा, इटली।
- डिपार्टमेंट ऑफ मैटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोरिया।
- यूनिवर्सिटी एट से ऑल, नेशनल तेपेई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ताइवान।
- यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मारा, मलेशिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, यू एस ए।
- यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन।
- मन्नहेम यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, जर्मनी।

- **idkf'kr ;k efnr idk'kuk dh lph**

संस्थान के प्रकाशन

अंतरराष्ट्रीय जर्नल्सः	287
अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही	99
राष्ट्रीय जर्नल	55

राष्ट्रीय कार्यवाही	91
स्वीकृत परियोजना	10
चालू अनुसंधान और विकास परियोजना	85
पूरी की गई परियोजना	17
स्वीकृत पेटेंट	02
दाखिल किए गए पेटेंट	02
प्रकाशित पुस्तकें	05

संस्थान ने कुल मिलाकर 76 संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की और 11 संकाय सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- **uhfrxr i;ktu d fy, egÙoi.k lfefr;k dk xBu**

- अनुसंधान सलाहकार बोर्ड
- पीएच डी विनियम समिति
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- शुल्क पुनर्गठन समिति
- स्नातक–पूर्व/स्नातकोत्तर और अनुचित तरीकों के लिए परीक्षा समिति
- पाठ्य विवरण संशोधन समिति : स्नातक–पूर्व/स्नातकोत्तर

fjikVkèkhu o"k d nkjku ijkuh ;ktuk@dk;Øek dk gVkuk vkj u, ;ktuk@dk;Øek dk tkMuk tkMuk½

- एम टेक (सूचना सुरक्षा, प्रौद्योगिकी विभाग में)
- एटमोसफेरिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र
- एल सी आर ए, बैंगलुरु के साथ सहयोग करके गुणवत्ता आश्वासन और औषधि विनियामक कार्यों में एम फार्मा।
- नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में एम टेक।
- बायो प्रौद्योगिकी में एम टेक।
- बी आई टी के जयपुर केंद्र ने इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (ई ई ई) में बी ई पाठ्यक्रम शुरू किया है।
- ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एम टेक कार्यक्रम।

3-2-19 jlk;u ik|kfxdh lLFkku] ecbZ ¼egkjk"V½

- **bl fo'ofo|ky; dh ,frgkfld i"BHkfe**

इस विश्वविद्यालय की स्थापना 01 अक्तूबर, 1933 बंबई विश्वविद्यालय के रसायन प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में की गई थी। इस संस्थान को पूर्ण स्वायत्तता वर्ष 2004 (यू आई सी टी) प्राप्त हुई और 12 सितंबर, 2008 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन इसे सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और इसका नाम रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई सी टी) रखा गया। इस संस्थान ने 2008 में अपना प्लेटिनम जयंती वर्ष मनाया है।

वर्तमान में सरकारी अनुदान सहित बाह्य राजस्व की प्राप्ति का अनुपात लगभग 6.0 है, जो संभवतः देश के सभी शैक्षिक संस्थानों में सबसे अधिक है। औद्योगिक संस्थानों के साथ संपर्क लगातार गहरे हो रहे हैं, जिसके अधीन 17 औद्योगिक अनुसंधान परियोजनाएं और 135 परामर्शी परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 7 समुद्रपार के उद्योग हैं, जिनमें जापान, स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योग शामिल हैं। कई नए और आदर्श प्रक्रियाएं, उत्पाद और डिजाइन विकसित किए गए हैं और इन उद्योगों को अंतरित किए गए हैं।

शिक्षण और अनुसंधान में उत्क भटता के साथ–साथ यह संस्थान सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक है। इसके विभागों ने "समुदाय की सेवा" के उद्देश्य से समय–समय पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इस संस्थान ने पौष्टिकता, मिलावट, दवाइयां, औ ाधियां, साबुन, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, प्राकृतिक और सिंथेटिक रंग, खादी और सिंथेटिक फेब्रिक, परफ्यूम, फ्लेवर्स, पुनःचक्रित प्लास्टिक, पेंट आदि संबंधी विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों में "उपभोक्ता जागरूकता" संबंधी कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। आई सी टी ने अब "उपभोक्ता जागरूकता संगठन" के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया है।

- **mí'; vkj e[;&e[; fo'k"krk,**

आई सी टी में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा में भारी सुधार आया है और इससे मूल विज्ञान और इंजीनियरी विज्ञान तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के बीच बहुत अच्छा संतुलन बना है। शिक्षा की गति के लिए दो डिग्रियों और एकीकृत पीएच डी कार्यक्रम दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नवोन्मेषी क्षमताओं को शामिल करने के लिए स्नातक–पूर्व शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है। आधारभूत सुविधाओं में मात्रा बढ़ाए जाने के संबंध में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें गति, उपस्कर, अति आधुनिक उपकरण और यूटिलिटीज शामिल हैं।

- **ie[k {k=**

  हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में स्नातक, निष्णात और पीएच डी डिग्रियां (कुल मिलाकर 23) दी जाती हैं:–

  – रसायन इंजीनियरी
  – डाइस्टफ प्रौद्योगिकी
  – खाद्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी
  – तेल, ओलेयाकेमिकल्स और सरफैक्टेंट्स प्रौद्योगिकी
  – फार्मास्युटिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी
  – फाइबर और टेक्सटाइल प्रक्रिया प्रौद्योगिकी
  – पॉलिमर इंजीनियरी
  – सरफेस कोटिंग प्रौद्योगिकी
  – नैनाविज्ञान और नैनोप्रौद्योगिकी

– ग्रीन प्रौद्योगिकी
– बायोप्रौद्योगिकी

जिन प्रमुख अनुसंधानों पर हमारा ध्यान केंद्रित है, वे इस प्रकार हैं:

– बायोप्रौद्योगिकी और बायोमेडिसिन
– नैनाप्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान
– ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरी
– प्रक्रिया प्रणाली इंजीनियरी
– ग्रीन रसायन और इंजीनियरी
– पर्यावरणीय सुरक्षा और खतरनाक कचरा प्रबंधन
– उत्पादन इंजीनियरी
– ऊर्जा इंजीनियरी
– असाध्य रोगों के लिए उपचार की रणनीति का विकास करना : फार्म और स्वास्थ्य देखभाल

रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान के आठ विभाग हैं। इनमें से पांच विभाग विशेष सहायता कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए जा रहे हैं।

विशेष सहायता कार्यक्रम

1- VDlVkby] Qkbcj] MhVhbZ,l vkSj ikWfyej ds fQftdk&dfedy igyw dk mUur vè;;u dsUæ ¼pj.k IV

- **mís'; vkSj eq[;&eq[; fo'ks"krk,¡**

○ टेक्सटाइल फाइबर और पॉलिमर, ब्लेंड और डाई की संरचना और गुण।
○ नई डाइयों का रसायन और संश्लेषण
○ फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट
○ पॉलिमर की पुनःचक्रण का अध्ययन
○ पॉलिमर नैनो कंपोजिट का क्रिस्टाइलेजशन किनेटिक्स।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस विभाग को 97.50 लाख रुपए का आबंटन किया गया है। लगभग 50 शोधार्थी अपना डाक्टरल कार्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं। चार सम्मेलनों (अंतरराष्ट्रीय – 2 और राष्ट्रीय – 2) का आयोजन किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लगभग 47 प्रकाशन प्रकाशित और मुद्रित किए गए हैं।

2- jlk;u bathfu;jh dk mUur vè;;u dsUæ

इसका उद्देश्य इसके सभी आयामों में अध्ययन का सशक्त कार्यक्रम विकसित करना है और उत्पाद नवोन्मेषी, प्रक्रिया नवोन्मेषी और डिजाइन नवोन्मेषी कार्यक्रमों के लिए नवोन्मेषी सहायता की व्यवस्था की गई है।

इस विभाग को प्रति वर्ष उपस्करों के लिए 97.50 लाख रुपए और उपभोज्य सामग्री के लिए 2.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। इस विभाग में रसायन इंजीनियरी और रसायन विज्ञान में 15 विद्यार्थियों ने पीएच डी कार्यक्रम लिया है और प्रति वर्ष लगभग 40–45 निष्णात छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है।

इन अनुसंधानों में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः

- ग्रीन केमिस्ट्री, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा।
- प्रक्रिया को और गहन करना (बहु–चरणीय प्रतिक्रिया, बहु–चरणीय रिऐक्टर और पृथक्करण प्रक्रिया में रिऐक्टरों और ऊर्जा दक्षता का आदर्श डिजाइन)।
- नवीकरणीय और पारंपरिक स्रोतों पर बल देते हुए ऊर्जा इंजीनियरी।
- मालेक्यूलर स्तर को समझते हुए सामग्रीविज्ञान।
- प्रक्रिया की सुरक्षा और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन।
- सरफेस, इंटरफेस और नैनोसामग्री।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस विभाग ने 6 सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस विभाग ने बड़ी–बड़ी कंपनियों, अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के साथ 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विभाग में 6 विदेशी प्रतिनिधियों ने व्याख्यान दिए हैं। 35 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस विभाग का दौरा किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान लगभग 117 प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

3- jlk;u bathfu;jh e ;k th lh dk uVofdx lalkèku dsUn

- **mí's; vkSj eq[;&eq[; fo'ks"krk,a**

  - रसायन इंजीनियरी के प्रमुख क्षेत्रों में आवधिक चर्चाओं और नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से संकाय सदस्यों और शोधार्थियों का अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण और कौशल का विकास।
  - संकाय सदस्यों और अन्य संस्थानों के विभागों का अनुसंधान कौशल बढ़ाने के लिए मानीटरिंग करके क्षमता निर्माण।
  - आई सी टी के सी ई संकाय सदस्यों के साथ सहयोग करके प्रमुख परीक्षणों में अन्य संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना।
  - विभाग के सूचना संसाधन संकाय को बढ़ाना ताकि अन्य संस्थानों/ अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सहायता दी जा सके।
  - आंतरिक रूप से बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करना और उन्हें अति आधुनिक बनाना ।

- **jlk;u bathfu;jh dsUnz dh izeq[k fØ;kdyki**

  - अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अनुसंधान परियोजना (प्रति वर्ष : 15 मई से 30 जून)।
  - इंजीनियरी कॉलेज के शिक्षकों के लिए कार्यशाला (प्रतिवर्ष 2 : 1 शीतकालीन छुट्टियों के दौरान, 1 ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान)।
  - अन्य इंजीनियरी महाविद्यालयों के साथ चालू सहयोगात्मक परियोजनाएं (चालू : 4, नए प्रस्ताव : 5)।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 6 सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। अन्य देशों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ लगभग 21 करार/सहयोग किए गए हैं। इस विभाग को बुनियादी सुविधाओं/ उपस्करों और केंद्र पर सुविधा का लाभ उठाने वाले अतिथि शोधकर्ताओं को सहायता देने के लिए 10.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

वर्तमान में पार्टिकल के गुण वाले इस विभाग में सर्वोच्च कोटि के उपस्कर हैं, यथा उच्च रिसाल्यूशन ट्रांसमिशन, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एच ई–टी ई एम), एक्स आर डी, आई सी पी, नैना–एलसी, टी जी ए।

इस केंद्र ने दो कार्यशालाएं और एक ग्रीष्मकालीन अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 32 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिनमें से 19 विद्यार्थी आई आई टी, एन आई टी और बी आई टी एस सहित अन्य संस्थानों से आए थे।

इस केंद्र के अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- आदर्श रिऐक्टर, रिएक्शन और पृथक्करण प्रक्रिया का विकास।
- बहुचरणीय प्रणाली के लिए कंप्यूटेशनल फ्लुइड डायनमिक्स।
- बहुचरणीय घटनाओं का विश्लेषण।
- आदर्श कैटेलिक सामग्री और प्रक्रिया।
- प्रक्रिया को गहनतम बनाना और ग्रीन प्रौद्योगिकी।
- सरफैक्टेंट विज्ञान और हाइड्रोट्राफी।
- कार्बनिक रसायन प्रक्रिया विभाग।
- एब्जार्पिटिव और क्रोमैटोग्राफिक पृथक्करण।
- कैविटेशन संबंधी घटना, सोनोरसायन।
- औद्योगिक और खाद्य उत्पादों की रंगाई।
- ऊर्जा इंजीनियरी और स्थायी विभाग।
- पृथक्करण के लिए मालिक्यूलर मॉडलिंग।
- प्राकृतिक उत्पादों का निस्तारण और शुद्धिकरण।

आगामी शैक्षिक वर्ष में इस केंद्र की सुविधाएं पूरी तरह से काम करने लग जाएंगी।

4- [kk| bathfu;jh vkj ik|kfxdh dk mUur vè;;u dsUnz

यह विभाग निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के लिए जाना जाता है:

(1) कार्बोहाइड्रेट रसायन और प्रौद्योगिकी

(2) किण्वण प्रौद्योगिकी और खाद्य बायो प्रौद्योगिकी

प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करने और प्रमुख क्षेत्रों में ज्ञान का पता लगाने के लिए इस विभाग का दृष्टिकोण पोषण, सुरक्षा और कार्य की दृष्टि से पारंपरिक भारतीय खाद्यों में सुधार करना है।

इस विभाग को प्रति वर्ष 4.00 लाख रुपए आबंटित किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस विभाग ने तीन सम्मेलनों का आयोजन किया है। इस विभाग के दो संकाय सदस्यों ने वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रटजर्स यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका और शिकागो का दौरा किया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 25 अनुसंधान पेपर, एक समीक्षा और तीन पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और चार पेटेंट फाइल किए गए हैं।

5- QkekL;fVd foKku vkj ik|kfxdh e ofÙk lof) ;ktuk

यह विभाग निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के लिए जाना जाता है:

(1) मोलेक्यूलर ड्रग डिजाइन;

(2) आदर्श पद्धति द्वारा ड्रग का संश्लेषण; और

(3) आदर्श ड्रग डिलीवरी प्रणाली का डिजाइन तैयार करना और उसका विकास करना।

इन विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, इस केंद्र का उद्देश्य प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान केंद्र बनना है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं हों और जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों को अपना रहा हो।

इस विभाग को 150.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस विभाग ने 10 अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान और "संचारी रोगों के लिए औषधि की खोज" और "नैना ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उभरती हुई प्रमुख बातें" विषय पर दो संगोष्ठियां आयोजित की। लगभग 61 अंतरराष्ट्रीय और 11 राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

6- jlk;u foKku e ;th lh dk Mh vkj ,l

mís';%

- आदर्श कैटेलिस्ट तैयार करना और उसके लक्षणों का पता लगाना।
- संशलिष्ट प्रोटोकोल के आधार पर ग्रीन रसायन का विकास करना।
- माइक्रोवेव्स और अल्ट्रासाउंड पर आधारित अन्य उन्नत संश्लिष्ट कार्बनिक पद्धतियों का विकास करना।
- सरफैक्टेंट और इंटरफेसियल रसायन आधारित प्रक्रिया का विकास करना।

e[;&e[; fo'k"krk,

इसके अनुसधान के 6 बड़े क्षेत्र हैं, यथा (क) संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन, (ख) ग्रीन रसायन, (ग) कैटालिसिस, (घ) हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो फार्मिलेशन, कार्बोनाइलेशन आदि जैसे गैस द्रव आधारित प्रक्रिया, (ङ) कार्बन डाई आक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन और (च) इंटरफेसियल रसायन।

वर्ष 2010–11 के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इस विभाग को 40.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। लगभग 50 शोधार्थी इस विभाग के विभिन्न विषयों में पीएच डी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने 3 से 4 मार्च, 2011 को "ग्रीन रसायन और कैटेलिसिस" संबंधी दो दिन की गोष्ठी आयोजित की है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दो विदेशी प्रतिनिधियों ने इस विभाग का दौरा किया है और ए आई एस टी, सेंडाई, जापान के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7- jlk;u btfu;jh f'k{kk vkj vulèkku lcèkh Mh , b&vkb lh Vh dn

डी ए ई ने परमाणु शक्ति कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण में प्रभावी परमाणु ईंधन के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए कई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इसके लिए बहु–विषयक विशेषज्ञ सहित योग्य अभिप्रेरित और प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों के समूहों की आवश्यकता है। देश में पीएच डी स्तर के रसायन इंजीनियरों की संख्या बहुत कम है और डी ए ई में प्रवेश पाने वाले रसायन इंजीनियरों की संख्या तो और भी कम है। इस प्रकार ऊर्जा संबंधी कार्यक्रमों में कार्य करने वाले पीएच डी विद्वानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

10 वर्ष के लिए मार्च, 2008 में आई सी टी के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस केंद्र को कुल 75.00 करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत की गई है।

प्रस्ताव है कि इस केंद्र को 12 मंजिले भवन में स्थापित किया जाए। इस संबंध में प्रारंभिक कार्य पहले ही कर दिया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आई सी टी के संकाय सदस्यों और बी ए आर सी तथा आई जी सी ए आर के वैज्ञानिकों के बीच बड़े स्तर पर दो बैठकें आयोजित की गई थीं।

8- Mh ch Vh&vkbZ lh Vh ÅtkZ ck;kfoKku dsUnz

mís';%

- बायोमास से पैदा किया जाने वाला उन्नत बायो एल्कोहल।
- शून्य अवशिष्ट और मूल्य संवर्द्धित उत्पाद के लिए बायो रिफाइनरी विधि का विकास करना।
- अन्य उन्नत बायो–ईंधन का विकल्प/प्रौद्योगिकियों का विकास करना

eq[;&eq[; fo'ks"krk,a

- इस संबंध में किए जाने वाले अनुसंधान के 6 मुख्य क्षेत्र हैं, यथा (क) संश्लिष्ट जीवविज्ञान, (ख) किण्वण प्रौद्योगिकी, (ग) पृथक्करण प्रौद्योगिकी, (घ) एंजाइम प्रौद्योगिकी, (ङ) आलगल बायो प्रौद्योगिकी, और (च) बायो ईंधन।
- रसायन इंजीनियरी, रसायनविज्ञान, बायो प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, बायो प्रौद्योगिकी, बायो रसायन और मालेक्युलर बायोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों में लगभग 50 छात्र पीएच डी के लिए कार्य कर रहे हैं।
- 10 से अधिक औद्योगिक परियोजनाएं और कई सरकारी एजेंसी की वित्तपोषित।
- 9 राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संबंधी आवेदनपत्र। 9 पेटेंट संबंधी आवेदनपत्र विभिन्न उद्योगों को भेज दिए गए हैं। संभावित प्रौद्योगिकियों के लिए दो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदनपत्र और दो अनंतिम पेटेंट आवेदनपत्र।

इस विभाग को सरकारी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग, नई दिल्ली, जनरल मिल्स आईएनसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बायो–रैड, संयुक्त राज्य अमेरिका, केमट्रोल्स इंडिया लिमिटेड, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया जैसी प्राइवेट वित्तपोषण एजेंसियों से 6.50 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है।

इस विभाग ने इंडिया ग्लाइकोस, एन डी ए और हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। 9 विदेशी प्रतिनिधियों ने इस विभाग का दौरा किया है। वर्ष 2010–11 के दौरान 6 प्रकाशन प्रकाशित किए गए हैं।

3-3 fo'ofo|ky;ksa esa fo|eku vkSj u, izca/ku foHkkxksa ds mPphdj.k ds fy, fodkl lgk;rk

विश्वविद्यालयों को विद्यमान और नए प्रबंधन विभागों के उच्चीकरण के लिए विकास सहायता दी जा रही है ताकि वे प्रबंधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान कर सकें तथा प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान कर सकें। इससे वे उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के हमेशा बढ़ने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह कार्य वे संकाय विकास कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देने और व्यावसायिक सम्मेलनों/ कार्यशालाओं और उद्योगों में प्रतिनिधियों को भेजकर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 3 से 6 महीने के लिए भेजा जा सकता है ताकि वे अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकें और उसमें वृद्धि कर सकें तथा निकटतम व्यावसायिक और औद्योगिक संपर्कों का विकास कर सकें, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबंधन विभागों को शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दिए जाने कोप्रोत्साहित कर सकें तथा शिक्षण सामग्री का विकास

कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अधीन शामिल किए गए सभी संस्थान इस योजना के अधीन पात्र हैं। स्व–वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए यह सहायता उपलब्ध नहीं है।

जिन विश्वविद्यालयों/ संस्थानों ने दो वर्ष के पूर्णकालिक एम बी ए कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदानआयोग से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र हैं। इस वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार है:

xj&vkorhZ 40-00 yk[k #i, ¼,dckjxh½ **vkorhZ 30-00 yk[k #- izfr o"kZ**

¼miLdj] iqLrd vkj if=dk,a rFkk foLrkj lfgr Hkou½

ऐसे विद्यमान विभागों के उच्चीकरण के लिए भी एकबारगी अनुदान दिया जाता है, जिन्होंने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता का लाभ उठाया हो और जिनमें कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और चार सहायक प्रोफेसर हों। इस वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार है:

xj&vkorhZ 30-00 yk[k #i, ¼,dckjxh½ **vkorhZ 20-00 yk[k #- izfr o"kZ**

प्रस्तावों के संबंध में विशेषज्ञ परीक्षकों/मूल्यांककों की एक समिति। यह आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और योजना के अधीन निधि की भी उपलब्धता के आधार पर अंतिम निर्णय लेता है। इस योजना के अधीन आबंटित और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

foÙk o"kZ	ctV vkcaVu ¼yk[k #i;s esa½	tkjh fd;k x;k vuqnku ¼yk[k #i;s esa½	ykHkkFkhZ fo'ofo|ky;ksa dh la[;k
2007–2008	100.00	59.52	6
2008–2009	7.00	6.49	3
2009–2010	100.00	15.00	1
2010–2011	300.00	237.00	9

4- dky tk dk fodkl ¼;k tukxr½ rFkk vuj{k.k ¼xj&;k tukxr½ lgk;rk

4-1 11oh ipo"kh; ;k tuk d nkjku] egkfp|ky;k d fodkl ij fo'k"k cy

• उच्च शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए, कालेजों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है, क्योंकि स्नातक और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा भी मुख्यतः कालेजों में ही में प्रदानकी जाती है। कालेजों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सिखाने–सीखने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्क संगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कालेज अर्थक्षम नहीं होते और उनमें कम ही विद्यार्थी नामांकित होते हैं तथा समूह में सुविधाओं का अभाव रहता है ताकि विकास आवश्यकता, आयोग द्वारा पूरी की जा सके। शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ऐसे क्षेत्रों में नए कालेजों की स्थापना करना भी ग्यारहवीं योजना के दौरान, आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां इनकी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

आधारभूत विकास सहायता के अतिरिक्त, 10वीं योजना की कई योजनाएं, ग्यारहवीं योजना की सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित कर दी गई हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय, सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त, इन आमेलित योजनाओं के लिए भी आंबटन किया जाएगा। ये योजनाएं हैः–

क) पुराने कालेजों की अवसंरचना का जीर्णोद्वार

ख) नए कालेजों के लिए 'कैचअप' अनुदान

ग) ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कालेज।

घ) ऐसे कालेज, जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।

ड़) कालेजों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान।

च) कालेजों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना।

छ) पिछड़े क्षेत्रों में कालेज।

ज) .वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।

झ) कालेजों में समान अवसर केन्द्र :

ञ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण;

ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए अनुशिक्षण);

ठ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण

ड) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

ढ) विश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

X;kjgoh ;kstuk d nkjku] fuEufyf[kr mn~n'';k I dkyst k dk I keku; fodkI vuqnku nu dh ;kstuk dk dk;kZUo;u fd;k x;k %

• कालेजों की आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा बुक बैंक सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिकउपस्कर खरीदना, परिसर का विकास करना तथा शिक्षण सहायता उपकरण और खेलकूद सुविधाओं के लिए अनुदान मुहैया करवाना।

• मौजूदा भवनों का विस्तार/पुनर्निर्माण करने और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता मुहैया करवाना।

• संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–संपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों, निःशक्तों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कालेजोंको सहायता मुहैया करवाना।

- अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को विशेष उपचारात्मक अनुशिक्षण देना ताकि वे आत्मविश्वासी पुरूष या महिला बनकर कालेज से बाहर जाएं।
- क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता समाप्त करने के लिए शैक्षणिक रूप सेपिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती/पर्वतीय/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित कालेजों का विकास करना।
- महिलाओं को कॉमन कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराना।
- पुराने कालेजों के जीर्णोद्धार के लिए और नए कालेजों को 'कैचअप अनुदान' प्रदान करना।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों, प्रौढ़ और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वह पूरा का पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से लाभान्वित हो, जहां पर यह कालेज बना हुआ है।
- क्षमता निर्माण की पहल (नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों की दाखिला क्षमता में विस्तार करना)
- कालेजों में, विशेषकर शिक्षकों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में पहल करने के लिए सहयोग।
- आंतरिक परीक्षा प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को प्रारम्भ करने को बढ़ावा देना और शिक्षण, शोध, अकादमी उत्कृष्टता और सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले नवोन्मेषी विचारों को क्रियान्वित करना।

सहायता केवल उन्ही कालेजों को प्रदान की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं और ग्यारहवीं योजनावधि हेतु दिशानिर्देश के अनुसार, पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

4-2 foÙkh; lgk;rk d fy, fo-fo-vk- }kjk ekU;rk iklr dkystA

31 मार्च, 2011 को देश में लगभग 33023 कालेज थे, जिनमें से केवल 7,802 कालेज ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं जो 24 प्रतिशत है। मान्यताप्राप्त 7802 कालेजों में से केवल 6417 कालेज ऐसे हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अधीन, केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनाँक 31.03.2011 को कालेजों की स्थिति निम्नवत् है :–

fnukd	dkyst dh dqy la[;k	vuqlwfpr ¼Pk½ ds vrxZr dkystksa dh la[;k	vuqPNsn 2¼p½ ,oa 12¼[k½ ds vrxZr dkystksa dh la[;k	dqy
31.03.2010	31324	1422	6028	7450
31.03.2011	33023	1385	6417	7802

4-3 fo-v-vk- ds {ks=h; dk;kZy;ksa }kjk dkystksa dks vuqnku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने lkr क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है, ताकि कालेज, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र कालेज ब्यूरो'' में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में 25–09–2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालयअनुदान आयोग के. क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची, उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तारीख तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा 'क्षेत्रीय कार्यालाय शीर्ष के तहत अध्याय–1 में दिया गया है'

- इन क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो, निम्नलिखित सात योजनाओं कार्यक्रमों के अधीन संपूर्ण देश के सभी पात्र कालेजों को अनुदान संवितरित कर रहे हैं :

1) कालेजों को विकास सहायता(स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर)।
2) महिला छात्रावासों का निर्माण।
3) संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए कालेज शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)।
4) शोध स्कीमों की सहायता के लिए शोध निधियन (कालेज शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजनाएं–मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान)।
5) कालेजों में शोध कार्यशाला/परिसंवाद तथा सम्मेलन।
6) स्वायत्त कालेज (केवल अनुदान जारी करना)।
7) कालेजों के लिए सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित जिन 16 योजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वे निम्नवत हैं :–

- पुराने कालेजों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण।
- नए कालेजों के लिए "कैचअप" अनुदान।
- अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के तुलनात्मक रूप से उच्चतर अनुपात वाले कालेज।
- पिछड़े क्षेत्रों में कालेज।
- दूरस्थ/पर्वतीय/सीमावर्ती क्षेत्रों में कालेज।
- कालेजों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान।

- वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।
- दिवस देखभाल केन्द्र की स्थापना।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को "नेट/स्लेट" का अनुशिक्षण।
- अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।
- कैरियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ
- समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.)

4-4 fo-v-vk- d {k=h; dk;ky;k@C;jk }kjk tkjh vuqnkuk dh ;ktukokj fLFkfr

1- X;kjgoh ;kstuk egkfo|ky; fodkl ;kstuk

11वीं योजना के दिशानिर्देशों में विहित शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर कालेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन सम्मिलित कालेजों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। योजना के अधीन, कालेजों की बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर, स्टॉफ, परिसर विकास, विस्तार/नवीकरण, शिक्षण सहायता सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है जो उचित शिक्षा, विद्यमान भवनविस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियों, शैक्षिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, उपचारी अनुशिक्षण आदि के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, कालेजों को जारी अनुदान तथा कालेज विकास योजना के अन्तर्गत कालेजों को आवंटितऔर जारी ग्यारहवीं विकास योजनागत का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1¼d½ o"k 2010&11 d nkjku] dkyt k dk vkofVr vkj inRr X;kjgoh ;kstuk fodkl vuqnku vkj inRr vuqnku ¼jkT;okj½

¼djkM :Ik; e½

Øe l-	jkT;@l?k jkT; {k=	31-03-2011 dk fo-v-vk- dh /kkjk 2¼p½ vkj 12¼[k½ d v/khu egkfo|ky;	2010&11 d nkjku egkfo|ky;k ftudk lgk;rk nh xbl	11oh ;kstuk d vrxRk dkyt fodkl ;kstuk d fy, vuefnr dy vuqnku	01-04-2010 l 31-03-2011 2011 rd inÙk dy jkf'k
1-	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	461	230	54.90	2.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	07	01	0.90	0.03
3.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	02	0	0	0
4.	असम	215	65	31.53	2.05
5.	बिहार	303	24	44.24	1.14

6.	छत्तीसगढ़	146	10	20.57	0.43
7.	चडीगढ़	18	00	0	0
8.	दमन एवं द्वीप	00	00	00	00
9.	दादरा एवं नागर हवेली	00	00	00	00
10.	गोवा	32	15	3.11	0.46
11.	गुजरात	389	188	44.27	6.03
12.	हरियाणा	153	33	0.83	0.83
13.	हिमाचल प्रदेश	50	05	0.36	0.36
14.	जम्मू और कश्मीर	73	11	0.69	0.69
15.	झारखण्ड	87	08	16.16	0.35
16.	कर्नाटक	427	187	60.49	7ण96
17.	केरल	221	132	55.27	10.88
18.	लक्षद्वीप	00	00	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	362	65	50.47	7.14
20.	महराष्ट्र	927	501	124.66	15.09
21.	मणिपुर	52	22	6.41	0.68
22.	मेघालय	27	10	3.92	0.27
23.	मिजोरम	24	13	2.85	0.18
24.	नागालैण्ड	20	12	2.13	0.35
25.	उड़ीसा	341	29	39.50	1.02
26.	पुंडुचेरी	13	08	1.62	0.03
27.	पंजाब	213	09	0.50	0.50
28.	राजस्थान	213	29	35.22	4.40
29.	सिक्किम	02	00	0.33	00
30.	तमिलनाडु	367	209	54.54	5.77
31.	त्रिपुरा	17	01	2.55	0.03
32.	उत्तर प्रदेश	697	92	7.14	7.14
33.	उत्तरांचल	44	10	0.86	0.86
34.	पश्चिम बंगाल	382	44	69.08	2.85
	tkM	**6285**	**1963**	**735-08**	**80-12**

¼[k) Ok"k 2010&11 ds nkSjku dkyst ks dks vkofVr rFkk iznRr fodkl xr vuqnku

¼djksM : Ik;s es½

Øe l-	jkT;@l ?k jkT; {ks=	31-03-2011 dk fo-v-vk- dh /kkjk 2¼p½ vkSj 12¼[k½ ds v/khu egkfo|k& y;ks dh l [;k	2010&11 ds nkSjku egkfo|ky;ks ftudks lgk;rk nh xbZ	11oha ;kstuk ds vrxRk dkyst fodkl ;kstuk ds fy, vuqekfnr dqy vuqnku ¼fo-v-½ vk-dk fgLlk½	01-04-2010 ls 31-03-2011 2011 rd inÙk dqy jkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	362	124	50.29	3.59
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	843	447	111.06	8.41
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1348	704	172.04	21.58
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	648	319	115.76	18.83
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	721	104	106.26	11.97
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	1115	105	169.30	5.36
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे.का. ब्यूरो, नई दिल्ली	1248	160	10ण37	10.38
	tksM+	**6285**	**1963**	**735-08**	**80-12**

2- efgyk Nk=okl ks dk fuekZ.k

महिलाओं की नामांकन में वृद्धि करने के लिए कालेजों में महिला छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचनात्मकसुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला होस्टलों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जो कालेज वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं वह कालेज, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

¼yk[k #i;s es½

efgyk ukekadu	xSj&egkuxjks ds lcaèk esa /kujkf'k	egkuxjks ds lcaèk esa /kujkf'k
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251–500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

वि.अ.आ. के नियतन/अधिकतम राशि से अधिक किए गए व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसके लिए संबंधित संस्था स्पष्ट प्रकटन और आश्वासन प्रदान करेगी। ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियतन/अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराएगा।

वर्ष 2010–2011 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण योजना के अधीन प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार हैं :–

¼djksM+ :i;s esa½

Øe Lk-	{k=h; dk;kZy;@C;wjk dk uke	2010&11 ds nkjku Lohd`r dkWyst dh la[;k	*01-4-10 ls 31-03-11 ds nkjku iznRr jkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	133	18-74
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gSnjkckn	108	26-13
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- iq.ks	59	13-32
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cSaxyq:	110	19-40
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkksiky	58	11-79
6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dksydkrk	97	16-88
7-	fo-v-vk- m-{k- dk- C;wjks] ubZ fnYyh	34	12-42
	tksM+	599	118-68

*** py jgh ifj;kstukvksa lfgr**

3- ladk; lq/kkj dk;Øe

इस कार्यक्रम का लक्ष्य, संकाय सदस्यों को शोध के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता के द्वारा भी संस्थानों के अकादमिक तथा बौद्धिक परिवश का विकास करना है। इन कार्यक्रमों में सहभागिता करके संकाय सदस्य अपने शोध कार्य को अद्यतम तथा शैक्षिणिक कौशल बढाने में सक्षम होंगे।

इसी पृष्ठभूमि में आयोग ने 11 वी योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

संकाय सुधार कार्यक्रम योजना के उद्देश्य है :–

- विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों को अकादमिक/शोधकार्य जो एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- अकादमिक सम्मेलनों/संगोश्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने के लिए तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान एवं विचारो के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराना।
- युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक अभिव्यक्ति हेतु उनके मनपसंद संस्थान में एक अल्प–अवधि (न दो सप्ताह से कम न दो महीनों से अधिक) बिताने के अवसर प्रदान करना।

- कार्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षक अध्येता 15,000/– प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक आकस्मिक व्यय का पात्र है और एवजी शिक्षक का वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतनमान पर वि0अ0आ0 द्वारा किया जाएगा ।
- आयोग द्वारा, वर्ष 2009–2010 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय कार्यलय/ब्यूरो द्वारा जारी की गई अनुदान राशि नीचे दर्शाई गई है:–

¼djkM :Ik;s e½

Øe Lk-	{k=h; dk;ky;@C;jk dk uke	2010&2011 d nkjku Igk;rk iklr dju oky dky t	*01-04-10 I 31-03-11 d nkjku inRr jkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	97	1-79
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gnjkckn	141	5-39
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- i.k	381	5-23
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxy:	771	6-49
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkkiky	71	1-09
6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dkydkrk	103	2-21
7-	fo-v-vk- m-{k- dk-	56	0-42
	dy	1620	22-62

4- 'kkèk ;ktukvk ¼y?k 'kkèk ifj;ktukvk½ gr Igk;rk d fy, 'kkèk fufèk;u ifj"kn

योजना का उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदानकरके उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षक, लघु शोध परियोजनायोजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.00 लाख रूपये तककी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2010–2011 के दौरान, वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा लघु शोध परियोजनाओं (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान) को प्रदत्त अनुदान निम्न प्रकार है :–

¼djkM :Ik;s e½

Øe I-	{k=h; dk;ky;@C;jk dk uke	o"k 2010&11 d nkjku iklr iLrkok dh I0		o"k 2010&11 vuekfnr iLrkok dh I[;k		*01-4-10 I 31-03-11 rd inRr jkf'k	
		foKku	Lkekftd foKku	foKku	Lkkekftd Lkekftd	foKku	Iekftd foKku
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	280	475	169	321	1.93	3.06
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	183	177	133	116	1.24	0.97
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	876	1218	472	956	4.25	4.20
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	500	688	359	520	3.61	3.54
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	223	318	154	252	0.38	1.56
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	281	392	196	269	2.19	2.43
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का.	00	00	00	384	00	3.00
	tkM	2343	3268	1483	2818	13-60	18-76

*चालू परियोजनाओं सहित

5 dkyktk e 'kkèk dk;'kkykvk@ifjloknk rFkk lEeyuk dk vk;ktu

इस योजना के अधीन, संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और बोध को बाँटने के लिए मंच प्रदान करके कालेजों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है। इस योजना में सभी पात्र कालेज आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 70,000 रूपये से 1,50,000 रूपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2010–2011 के दौरान, शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों की योजना के अधीन, कालेजों को वि.अआ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण इस प्रकार है :–

¼djkM :Ik; e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jkdk uke	2010&11 d nkjku] ikIr iLrkok dh l[;k	vuqekfnr iLrkok dh l[;k	*2010&11 d dnkjku inRr jkf'k
1.	fo-v-vk-m-i-{k-dk-xqokgkVh	219	155	1-38
2.	fo-v-vk n-i-{k- dk- gnjkckn	473	365	1-28
3.	fo-v-vk i-{k- dk- i.k	951	738	3-41
4.	fo-v-vk n-i-{k- dk- cxy:	835	573	3-75
5.	fo-v-vk e-{k- dk- Hkkiky	233	198	2-00
6.	fo-v-vk i-{k- dk- dkydrk	612	566	7-08
7.	fo-v-vk m-{k- dk- C;jk] ubl fnYyh	331	240	2-23
	tkM	3654	2835	21-13

*चालू परियोजनाओं सहित

6 Lok;Ùk egkfo|ky;

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य, संबद्व संरचना से कालेजों को असंबद्ध करके, स्नातक पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत 9.00 लाख रू0. से 20.00 लाख रूपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण संकायों की संख्या पर निर्भर करता है। वर्ष 2010–2011 के दौरान, स्वायत्त कालेजों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :–

¼djkM :Ik;s e½

Øe I-	{k=h; dk;ky;@C;jk uke	¼01-04-2010 I 31-03-2011 rd½ Igk;rkikIr Lok;Rr dkytk dh I[;k	¼01-04-2010 I 31-03-2011 rd iinRr jkf'k
1-	fo-v-vk m-i-{k-dk-xokgkVh	01	0-15
2-	fo-v-vk n-i-{k- dk- gnjkckn	50	4-31
3-	fo-v-vk i-{k- dk- i.k	05	0-91
4-	fo-v-vk n-i-{k- dk- cxy:	22	3-22
5-	fo-v-vk e-{k- dk- Hkkiky	19	3-50
6-	fo-v-vk i-{k- dk- dkydkrk	39	4-52
7-	m- {k- dk- C;jk] ubl fnYyh	03	0-58
	dy	139	17-19

7- 12¼[k½ d vrxr 'kkfey egkfo|ky;k dk vfrfjDr Igk;rk

यूजीसी, 137 राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 6000 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोशित किया गया है । इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास एवं आमेलित योजनाओं दोनों के अंतर्गत योजनागत अनुदान प्राप्त हो रहा है । अब यूजीसी ने इसे आगे अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है और यूजीसी अधिनियिम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत पहले से ही शामिल राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करने के लिए एक योजना तैयार की है ।

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है ताकि शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत जनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला के उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड, रेफ्रीजरेटर जैसे उपस्कर और डिजीटल कैमरा, एलसीडी/टेलीविजन सहित सहायक उपकरण, कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर तथा रेप्रोग्राफिकल सुविधाओं का अर्जन किया जा सकता है ।
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी ।

1. विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा : 2 करोड़ रु0।
2. महाविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा : 25 लाख रु0।

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkyt dh l[;k ¼1-4-2000 l 31-3-2011 d nkjku½	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गोवाहाटी	289	47.59
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	294	35.58
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	604	90.00
4.	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	230	34.39
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	249	46.72
6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	695	68.42
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का ब्यूरो, नई दिल्ली	160	34.48
	tkM	**2521**	**357-19**

8- egkfo|ky;k dh t;rh@'krkfCnd vunku

ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अपने अस्तित्व के 50, 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और जिनका स्मारक के रूप में महत्व है और अवसर के अनुरूप उन्हें अपेक्षित पूंजीगत व्यय के क्रियाकलापों जैसे पुराने भवन के नवीकरण और नये भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

inku dh tku okyh lgk;rk uhp nh xbl g*

Ø-l-	vk;ktu dk Lo:i	yk[k #0 e
1.	'krkfCnd vunku (100 वर्ष)	50.00
2.	t;rh vunku (50 वर्ष)	25.00

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkyt dh l[;k ¼1-4-2000 l 31-3-11 rd½	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	14	0.74
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	00	0.00
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	24	2.97
4	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	16	2.09
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	00	0.75

6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	00	0.00
7.	वि.अ.आ पू.क्षे.का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	0.00
	जोड़	54	6.55

9- [kydn volajpuk dk fodkl vkj miLdj

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर योजना को निम्नवत हेतु तैयार किया गया है।

(क) नई और मौजूदा आऊटडोर अथवा इंडोर अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि छात्रों का खेलों में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । जबकि, छात्रों को ऐसी खेलकूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है ।

(ख) किसी विशिष्ट खेलकूद में छात्रों को उनकी 'उत्कृष्टता प्राप्ति' के स्तर के आधारर पर बेहतर उपस्कर और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से उसी अथवा खेलकूद के संबद्ध क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

(ग) जहाँ पहले से ही अवसरंचना उपलब्ध है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचना अविस्तारणों/उपस्कर सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कर सके ।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के अंतर्गत एनआरसीबी सहित यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान की धनराशि निम्नवत है:–

¼djksM :i;s esa½

Øe la-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk izkIr djus okys dkystksa dh la[;k ¼1-4-2000 ls 31-3-11 rd½	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd inRr dqy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	149	43.89
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	94	15.78
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	67	2.61
4.	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	194	3.70
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	110	22.83
6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	83	23.24
7.	वि.अ.आ उ.क्षे. का. ब्योरा, नई दिल्ली	00	0.00
	tksM	**697**	**112-05**

10- 'kkfey ugh fd, x, ¼xj&12&[k½ egkfo|ky;k dk ,de'r ^dp&vi* vunku

ऐसे लगभग 8000 महाविद्यालय हैं जो कि मुख्यतः स्नातक पूर्व महाविद्यालय है, और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध है जो कि तकनीकी रूप से यूजीसी के क्षेत्राधिकार में है, परंतु उन्हें यूजीसी से कोई विकास अनुदान प्राप्त नहीं होता है, चूंकि यह महाविद्यालय वास्तविक सुविधाओं और अवसंरचना के संदर्भ में न्यूनतम अर्हता मानदंड पर खरा नहीं उतरते हैं इसलिए, इन महाविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, यूजीसी ने बड़ी संख्या में ऐसे महाविद्यालयों विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जो कि पूर्व में अपनी अवसंरचना और गुणवत्ता में कमी के चलते यूजीसी विकास अनुदान से वंचित थे उन्हें एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान प्रदान करने के लिए योजना तैयार की है ।

यूजीसी सहायता 2.0 करोड़ रु0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, तक सीमित होगी ।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान एनआरसीबी सहित वि0अ0आ0 के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त ध नराशि निम्नवत हैः–

¼djkM :Ik; e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 dk nkjku lgk;rk iklr dkyt dh l[;k ¼1-4-2000 l 31-3-11 rd½	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	12	2.26
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	00	0.00
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	00	0.00
4	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	02	1.00
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	20	2.00
6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	00	1.00
7.	वि.अ.आ. पू.क्षे का. कोलकाता	00	0.00
	tkM	**36**	**6-26**

11- ifrc) n;rk,

¼djkM :Ik; e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 dk nkjku lgk;rk iklr dkyt dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी		
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	00	0.00
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	00	0.00

4.	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	20	0.16
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	00	0.00
6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	168	3.65
7.	वि.अ.आ उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	00	0.00
	tksM+	**188**	**3-81**

12- vkefyr ;kstuk,¡

¼d½ iqjkus dkystksa dh volajpuk dk th.kksZ)kj ½

वि.अ.आ. निर्माण/विस्तार/नवीकरण के लिए उन कॉलेजों को अनुदान प्रदान करेगा, जो कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे और जिनमें वर्तमान आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि पुराने कालेजों को सहायता प्रदान की जाये–जो कि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे, उन भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण/विस्तार, कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य आधारभूत संरचना के लिए जैसा कि अविलम्ब आवश्यकताओं की माँग हैं।

इस योजना के अंतर्गत, यूजीसी भवनों और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, स्टॉफ कक्ष, सामान्य कक्ष छात्रावासों आदि के नवीकरण अथवा अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण/विस्तार के लिए 15 लाख रु0 तक उपलब्ध करवा सकता है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो को प्रदत्त अनुदान की स्थिति नीचे दी गई है।

¼djksM+ :Ik;s esa½

Øe la-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk izkIr dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd iznRr dqy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	03	0.16
2.	वि.अ.आ द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	06	0.45
3.	वि.अ.आ प.क्षे. का. पुणे	00	0.00
4	वि.अ.आ द.प.क्षे. का. बंगलुरू	08	0.60
5.	वि.अ.आ म.क्षे. का. भोपाल	06	0.52
6.	वि.अ.आ पू.क्षे. का. कोलकाता	04	0.29
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का. ब्यूरो,	841	12.24
	जोड.	868	14.26

¼[k½ uohu dkytk d fy, **dp&vi^M vunku

जैसा कि स्कीम के नाम से विदित है, यह उन कालेजों को प्रदान किए जाने वाले विशेष अनुदान के संबंध में है जो अभी कुछ समय पूर्व धारा 2(एफ) तथा 12 (बी) के तहत प्रदान किया जाता था तथा वे कालेज तब तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं समझे जाते थे। अतः सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त ये कालेज,भवन, पुस्तकों एवं जर्नल उपस्करों के रूप में शीघ्र निर्माण/मजबूत आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस ''कैच अप'' अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। (i) विशेष अनुदान से तात्पर्य है फर्नीचर एवं फिटिंग्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा जिनका निर्माण, iLrko iLrfr d iodorh o"k l igy ugh gvk g। (ii) पुस्तकों तथा जर्नल्स की सदस्यता (ई–जर्नल्स सहित), वैज्ञानिक एवं शिक्षण उपस्कर, खेलकूद सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत किसी महाविद्यालय को योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 12 लाख रु0 प्राप्त हो सकते हैं। भवन हेतु आवंटित धनराशि 9.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2010–2011 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरों द्वारा प्रदत्त अनुदान स्थिति नीचे दी गई है:

¼yk[k :i; e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk dk uke	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkytk dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	65	2.39
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	06	0.18
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	26	2.72
4	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	17	0.60
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	17	1.07
6.	वि.अ.आ.	40	2.29
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	80	3.06
	tkM	**251**	**12-31**

¼x½ v-tk-@v-t-tk- ,o vYil[;dk d vi{kkdr mPpkuikr oky egkfo|ky;

अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) को भारतीय समाज को दो सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में चिन्हित किया गया है। इन दोनों वर्गों में ऐसी समस्त जातियाँ, प्रजातियाँ अथवा जनजातियाँ सम्मिलित हैं जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि अ.जा./अ.ज.जा/ अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर संपन्न वर्ग) के, छात्रों, जिनको वित्तीय बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, तथा शारीरिक रूप से निशःक्त छात्र – उनकी पहुँच शिक्षा तक हो सके।

एक महाविद्यालय निम्नलिखित हेतु 6.00 रूपये के लिए पात्र होगा :

महाविद्यालय निम्नलिखित श्रेणियों के 100 छात्रों को 'साधन सह मेधा' आधार पर पुस्तकें, लेखन सामग्री क्रय करने तथा आकस्मिक व्यय करने के लिए 500 रु0 प्रतिमाह का वजीफा उपलब्ध कराना जिनका चयन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

o"k 2010&11 {k=h; dk;kyk;k@C;jk }kjk inŸk vunku dh fLFkfr fuEuor g&

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk dk Ukke	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkyst dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	49	1.96
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	68	0.86
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	41	0.38
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	186	4.27
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	51	1.12
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	552	14.99
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	830	0.25
	tkM	1777	23-83

¼?k½ 'k{kf.kd nf"V l fiNM {k=k e dkyt

ऐसे जिले, जिनमें राष्ट्रीय औसत से निम्न समग्र साक्षरता दरें थीं उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िले माना गया। फिर भी, ऐसा देखा गया है कि कोई भी एकल सूचक/संकेतक (साक्षरता के बारे में) सामान्य रूप से विद्यमान, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन की जटिलताओं को विशेषकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से समाहित नहीं कर सकता है। अब, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िलों को अभिलक्षित करने के लिए एक नवीन मानदण्ड का उपयोग किया जा रहा है–जो कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से और अधिक संवेदनशील होगा। वह है: उच्च शिक्षा में निबल नामांकन दर (जी.ई.आर) = उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात् जो भी प्रवेश प्राप्त किए हैं– 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में है।

,Ik dkyt] tk ,d ,l ftys e fLFkr g] tgk ^^th-vkb-vkj&jk"Vh; vkIr l U;u g&rk ,l dkyt dk fiNMk gvk dkyt ekuk tk;xk**। इसका लक्ष्य यह है कि जो कालेज, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित हैं, उन्हें आधारभूत संरचना के विकास के लिए और अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए सहायता दी जाए जिससे कि पात्र जनसंख्या द्वारा उच्च शिक्षा तक पैठ बन सके।

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता की सीमा 12 लाख रु0 होगी ।

वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkytk dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dqy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गोवाहाटी	25	0.99
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	68	2.50
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	22	1.79
4	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	39	1.73
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	39	3.41
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	120	5.15
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	179	8.98
	जोड़	492	24.56

¼M-½ xkeh.k@njLFk@lhekorh@iolrh;@tutkrh; {k=k e fLFkr dkyt

दूरस्थ/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय इलाकों से छात्रों की पहुंच बनाने के लिए एवं दूरस्थ /सीमावर्ती / पहाड़ी/जनजातीय इलाकों के रुप में चिन्हित किये गये क्षेत्रों से छात्रों की, उच्च शिक्षा तक की पहुँच को बहुत तीव्र रूप से सुधारा जाये। उपयुक्त परिवहन सुविधाओं का अभाव–एक ऐसी कठिनाई जो कि सामान्य रूप से शहरी इलाकों में नहीं होती है–यह सबसे प्रमुख रूकावट है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों एवं छात्रों को समान रूप से इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुधा उन्हें समय का बड़ा भाग आने जाने में व्यय करना पड़ता है। अतः जो प्राथमिक आवश्यकता है, वह यह है कि शिक्षकों के पर्याप्त आवास विद्यमान हों और छात्रों के छात्रावास हों क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पायेगा कि सभी छात्रों को, छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अतः उन सभी छात्रों को जो कि 10 किलोमीटर अथवा उससे भी दूर से आते हों, यात्रा भत्ता (अधिकतम 500 रू0 प्रतिमाह) दिया जाये। इस योजनाका लक्ष्य यह है कि उपस्थति से जुड़े विभेदों को न्यून किया जाये और उच्च शिक्षा तक पहुँच को और बढ़ाया जाये तथा छात्रों एवं अध्यापकों को, किराये पर आधारित आवासीय स्थान उपलब्ध करा कर इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाये। इस योजना का लक्ष्य यह भी है कि अवस्थिति विशेष के अनुसार, पाठ्यक्रम को लागू करना, तथा ऐसे छात्र, जो ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमावर्ती/ पहाड़ी/जनजातीय इलाकों से हैं और जिनमें कुछ योग्य व पात्र हैं–ऐसे छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाये।

egkfo|ky; fuEufyf[kr gr 10-00 yk[k #0 ikIr dju dk ikIr gkxk&

1. किराया आधार पर शिक्षकों/छात्रों को आवास
2. छात्रों को (एक सप्ताह से अधिक की अवधि के अवकाश/छुट्टी/विश्रांति काल के लिए कोई वाहन भत्ता नहीं उपलब्ध कराया जाएगा) वाहन भत्ता उपलब्ध करवाना (अधिकतम दूरी तय करने वालों को अधिकतम 500 रु0 प्रतिमाह)
3. स्थान–विशेष के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास करना और उसे लागू करना ।

o"k 2010&11 e {k=h; dk;ky;k@C;jk }kjk inŸk vunku dh fLFkfr fuEuor g %

¼djkM :Ik; e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkyt dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	49	2.59
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	29	0.46
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	17	0.23
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	74	1.30
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	16	1.36
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	65	4.15
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का.ब्यूरो, नई दिल्ली	422	4.78
	tkM	**672**	**14-86**

¼p½ dkyt e nkf[ky dh {kerk dk c<ku d fy, fo'k"k vunku ¼{kerk fuek.k d fy, igy½

कालेज के विस्तार के लिए वर्तमान पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता की बढ़ोत्तरी के लिए नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करके वि.अ.आ. द्वारा पुस्तकों, उपस्करों, पत्रिकाओं आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए, नूतन प्रयोगशाला एवम कक्षा फर्नीचर, फिटिंग्स तथा नवनिर्मित प्रयोगशाला अथवा कक्षों आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाए। इस योजना का यह लक्ष्य है कि कालेजों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि मौजूदा पाठ्यक्रमों की अंर्तग्रहण क्षमता में वृद्धि हो तथा साथ ही साथ नवीन अध्यापन कार्यक्रम भी किये जा सकें।

कोई भी महाविद्यालय उन पाठ्यक्रमों के लिए 7.00 लाख रु के अनुदान के लिए पात्र होगा जहां दाखिले की संख्या बढ़ायी जानी हो अथवा नया पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना हो यथाः–

- पुस्तकें एवं जर्नल
- उपस्कर
- कक्षा/अथवा प्रयोगशाला का निर्माण/विस्तार
- नवनिर्मित कक्षा/प्रयोगशाला के लिए फर्नीचर तथा उपकरण

o"k 2010&11 e {k=h; dk;ky;k@C;jk }kjk inŸk vunku dh fLFkfr fuEuor g %

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk ikus okys dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd inRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	89	2-36
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gSnjkckn	81	2-42
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- iq.ks	526	12-84
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxyq:	73	1-63
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkksiky	77	3-88
6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dksydkrk	124	3-38
7-	fo-v-vk- i{k- dk- C;jks] ubZ fnYyh	823	14-53
	tksM+	1793	41-04-

¼N½ egkfo|ky;ksa esa fo-v-vk- uVodZ lalk/ku dsUnz ¼fo-v-vk&-,u-vkj-lh-½ dh LFkkiuk

स्कीम का उद्देश्य, प्रशासन, वित्त, परीक्षा एवं अनुसंधान संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में स्टाफ एवं छात्रों में जागरूकता का सृजन करना है। सूचना एवं संचार नेटवर्क के अतिरिक्त यह भारत तथा विदेशों में मल्टीमीडिया मैटीरियल (पाठ्य–सामग्री) तक पहुँच बनाने के लिए कालेजों के लिए मद्दगार होगा।

o"kZ 2010&11 esa {k=h; dk;ky;ksa@C;jks }kjk inRr vuqnku dh fLFkfr fuEuor gS %

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk ikus okys dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd inRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	53	0-85
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gSnjkckn	86	0-98
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- iq.ks	67	1-30
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxyq:	181	2-70
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkksiky	69	1-57
6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dksydkrk	134	2-23
7-	fo-v-vk- m-{k- dk- C;jks] ubZ fnYyh	799	11-01
	tksM+	1389	20-64

¼t½ dkyst esa fnol n[kHkky dsUnz dh LFkkiuk

वि.अ.आ. ने लगभग 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के उन बालकों, जिनके माता–पिता (स्टॉफ/छात्र) दिनभर घर से बाहर रहते हैं, उनके लिये कालेजों में भुगतान के आधार पर दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम तैयार की है। इसमें, पुरूष कर्मचारियों, स्कालर्स/छात्रों को भी शामिल किया गया है जिनकी पत्नियाँ कहीं बाहर कार्य करती हैं ताकि महिलाएं और कामकाजी माता–पिता अपने कार्य घंटों के दौरान, अपने बच्चों के बारे में निश्चिंत रह सकें तथा अपने कैरियर को आगे बढ़ सकें। इस स्कीम का उद्देश्य पुरूषों/महिलाओं, कालेज कर्मचारियों/स्कॉलर्स/छात्रों को एक सुरक्षित स्थान तथा वातावरण उपलब्ध कराना है।

योजना आरंभ करने के लिए यूजीसी द्वारा महाविद्यालय को 2.00 लाख रु0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं । अनुदान को अनिवार्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । दिवसीय देखभाल केन्द्र किसी व्यक्ति विशष या संगठन द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए नहीं चलाया जाता है ।

वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djksM+ :i;s esa½

Øe la-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk iznRr dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd iznRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{ks-dk-xqokgkVh	12	0-22
2-	fo-v-vk- n-i-{ks- dk- gSnjkckn	20	0-26
3-	fo-v-vk- i-{ks- dk- iq.ks	13	0-23
4-	fo-v-vk- n-i-{ks- dk- cSxyq:	16	0-32
5-	fo-v-vk- e-{ks- dk- Hkksiky	11	0-22
5-	fo-v-vk- i-{ks- dk- dksydkrk	42	0-81
6-	fo-v-vk- i-{ks- dk- ubZ fnYyh	776	1-94
	tksM+	890	3-90

¼>½ v-tk-@v-t-tk-@v-fi-o- ¼ vlaiUu oxZ½ ,oa vYila[;d leqnk; ds fy, mipkjkRed vuqf'k{k.k

अ.जा./अज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध छात्र, जो कि उच्च स्तर का अध्ययन कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाला उपचारात्मक अनुशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा उनकी असफलता तथा पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर में कमी लाई जा सके। इसके लिए वि.अ.आ.,11वीं योजना के दौरान, नियमित समय सारिणी के अलावा विशेषकक्षाएँ चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। अ.पि.व. से संबद्ध छात्र तथा सामान्य छात्र भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं के लाभ उठा सकेंगे। एक सामान्य छात्र से नाममात्र का शुल्क (मासिक शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं) वसूल किया जायेगा। वैसे, शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र तथा सामान्य गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवारों से संबंध छात्रों (राज्य/ केन्द्र शाजिस राज्य/केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार) को शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी। उपचारात्मक अनुशिक्षण कक्षाएँ, स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित को मद्देनजर रखते हुए चलाई जाएँगी ताकि :

(i) विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा विज्ञान दक्षता में सुधार किया जा सके ।

(ii) बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना, ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराया जा सके।

(iii) उन विषयों में, जिनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तकनीक तथा प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है, छात्रों के ज्ञान, कौशल अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर छात्र, उच्च अध्ययन को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए अपेक्षित स्तर पर पहुँच सके।

वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk ikIr dkyt dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	53	3.51
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	87	3.27
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	55	3.13
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	127	3.14
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	170	7.19
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	196	10.21
7.	वि.अ.आ. उ.क्षे. का ब्यूरो, नई दिल्ली	899	27.17
	tkM	**1587**	**57-62**

¼¥½ v-tk-@v-t-tk-@v—fi-o- ¼vlaiUu ox½ rFkk vYilaa[;d fo|kfFk;ka d fy, uV@lV d fy, vuf'k{k.k ;ktuk

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर–संपन्न वर्ग) के उम्मीदवारों के अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार, अध्यापन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, वि.अ.आ. 11वीं योजना के दौरान, लैक्चरर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) या राज्य पात्रता परीक्षा (सैट) की तैयारी के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनुशिक्षण जारी रखेगा। अ.पि. वर्ग से संबंध रखने वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र भी इस अनुशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नैट या सैट परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करना है, ताकि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, इन वर्गों में से, वि.वि. तंत्र में लैक्चरर्स के चयन हेतु उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk iklr dkystk dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	03	0.15
2.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	40	1.12
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	17	0.63
4.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलुरू	39	1.32
5.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	111	4.65
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	13	0.64
	वि.अ.आ. उ.क्षे. का. ब्यूरो, नई दिल्ली	150	6.20
	tkM	**373**	**14-72**

¼V½ v-tk-@v-t-tk-@v-fi-o- ¼vlaiUu ox½ vYila[;d lenk; d Nk=k d fy, lokvk e iio'k grq vuf'k{k.k d{kk,

इस अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में समान पदों के 'क, ख या ग' वर्गों में लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत, अनुशिक्षण. भारतीय प्राशसनिक सेवा, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती सेवा आदि जैसी सेवाओं में चयन हेतु विशेष रूप से आयोजित परीक्षा उन्मुखी होना चाहिए। अनुशिक्षण, एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की विशिष्ट आवश्यकता पर संकेन्द्रित होना चाहिए। कालेज, अपने कार्य प्रचालन क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकता है।

वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djkM :Ik;s e½

Øe l-	{k=h; dk;ky;@C;jk	2010&2011 d nkjku lgk;rk iklr dkystk dh l[;k	01-04-2010 l 31-03-2011 rd inRr dy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xokgkVh	42	2-99
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gnjkckn	65	1-93
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- i.k	38	2-01
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxy:	78	2-34
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkkiky	66	3-68

6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dkydkrk	125	6-83
7-	fo-vk-m-{k- dk- C;jk] ubZ fnYyh	899	15-49
	tkM+	1313	35-26

¼B½ fu%'kDr 0;fDr;ksa ds fy, ;kstuk,¡

¼i½ fu%'kDr 0;fDr;ksa ds fy, mPp f'k{kk ¼,p-b-ih-,l-,u-½

एच.ई.पी.एस.एन का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निःशक्त व्यक्तियों के उच्च शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और निर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, ज्ञान अर्जन आदि को रूचिप्रद बनाने के लिए उपस्करों की खरीद आदि इस योजना के तहत सहायता की मुख्य श्रेणियां है ।

वि.अ.आ. योजना अवधि के दौरान प्रति महाविद्यालय 5 लाख रूपये तक एकमुश्त अनुदान देगा ।

¼ii½ X;kjgoha iapo"khZ; ;kstuk ds nkSjku nf"Vckf/kr f'k{kdksa ds fy, foÙkh; lgk;rk

इस योजना को, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है जिसमें उनके शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करने में सहायता हेतु एक रीडर जिसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण में सहायक उपस्करों के लिए भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्डिड सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को सुविधाएं, उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु विभिन्न सहायता उपस्करों का इस्तेमाल करके स्वावलंबी बन सकें।

दृष्टि–बाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/– रु0 प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

o"kZ 2010&11 esa {ks=h; dk;kZy;ksa@C;wjks }kjk iznŸk vuqnku dh fLFkfr fuEuor gS %

Øe la-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk izkIr dkystksa dh la[;k	¼djksM+ :Ik;s esa½ 01-04-2010 ls 31-03-2011 rd iznRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	09	0-22
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gSnjkckn	84	0-58
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- iq.ks	14	0-39
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxyq:	19	0-14
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkksiky	21	0-43
6-	fo-v-vk- i-{k- dk- dkydkrk	29	0-54
7-	fo-v-vk- m-{k- dk- C;jk] ubZ fnYyh	775	2-98
	tkM+	951	5-28

¼r½ dkWyst esa dfj;j rFkk ijke'kZnkrk iwdks"B

कॉलेजों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना को, कॉलेज आने वाले छात्रों की समाज के अलग–अलग वर्गों से की विविध सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि के समक्ष उचित संस्थागत सहायता सूचना की उपलब्धता के माध्यम से समान रूप से पहुँच तथा रोजगार के अवसरों की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। छात्रों के बीच भाषायी तथा सांस्कृतिक अंतर भी, रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना का एक कारण है। संगत एवं सुलभ सूचना तथा इसे उपयोग करने का पेशेवर मार्गदर्शन कक्षाओं से इतर, बेहतर कैरियर संबंधी उपलब्धि में परिणत हो सकता है तथा छात्र के स्वस्थ विकास में मददगार साबित हो सकता है। प्रत्येक कॉलेज में पाठ्यचर्या संबंधी सूचना महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के संबंध में संगत सूचना तथा संयोजनों की पेशकश तथा चयन की स्वतंत्रता सामान्यत उपलब्ध होती है तथा सहायता सेवा के रूप में, अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया जाता है। परम्परागत सूचना तंत्र में, विवरणिका की एक प्रति शामिल होती है जिसमें पाठ्यचर्या तथा संयोजनों, प्रवेश नियमों, फीस ढाँचे, परीक्षा अनुसूची आदि को नियमित पुनरावृति वर्ष दर वर्ष की जाता है। परन्तु, अब परिदृश्य में बदलाव के साथ–साथ, न केवल अकादमिक अंतर्वस्तु तथा इसके नियम, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उन्मुखी हो गये हैं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं तथा कैरियर के अवसर की समस्याओं को भी दूर करना है। परम्परागत सूचना तंत्र को अब सक्रिय मार्गदर्शन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि अब प्रिंट मीडिया का, तेजी से स्थान लेती जा रही है, तथा सभी संबंधित पक्षों के लाभ के लिए तत्परता से सूचना का ब्यौरा प्राप्त कर सकती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है:–

1. अनावर्ती : 02 लाख रु0
2. आवती : 01 लाख रु0

o"kZ 2010&11 esa {ks=h; dk;kZy;ksa@C;wjks }kjk iznÙk vuqnku dh fLFkfr fuEuor gS %

¼djksM+ :i;s esa½

Øe l-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk izkIr dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd iznRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-iw-{ks-dk-xqokgkVh	52	1-68
2-	fo-v-vk- n-iw-{ks- dk- gSnjkckn	82	1-54
3-	fo-v-vk- i-{ks- dk- iq.ks	66	1-09
4-	fo-v-vk- n-i-{ks- dk- cxyq:	181	3-91
5-	fo-v-vk- e-{ks- dk- Hkksiky	03	0-11
6-	fo-v-vk- iw-{ks- dk- dksydkrk	123	2-68
7-	fo-v-vk- m-{ks- dk C;wjks] ubZ ubZ fnYyh	760	9-79
	tksM+	1267	20-79

¼Fk½ dkyst esa leku volj izdks"B

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा अकादमिक वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए अवसर प्रकोष्ठ बनाने की योजना बनाई है। समान अवसर प्रकोश्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2010–11 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

¼djksM+ :Ik;s esa½

Øe l-	{ks=h; dk;kZy;@C;wjks	2010&2011 ds nkSjku lgk;rk izkIr dkystksa dh la[;k	01-04-2010 ls 31-03-2011 rd iznRr dqy /kujkf'k
1-	fo-v-vk- m-i-{k-dk-xqokgkVh	19	0-29
2-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- gSnjkckn	29	0-39
3-	fo-v-vk- i-{k- dk- iq.ks	30	0-37
4-	fo-v-vk- n-i-{k- dk- cxyw:	24	0-13
5-	fo-v-vk- e-{k- dk- Hkksiky	23	0-31
6-	fo-v-vk- iw-{k- dk- dksydkrk	70	0-26
7-	fo-v-vk- m-{k- dk- C;wjks- ubZ fnYyh	ykxw ugha	2-34
	tksM+	195	4-09

4-5 fnYyh ds egkfo|ky;ksa rFkk cukjl fgUnw fo'ofo|ky; ds l?kVd dkystksa dk vuqnku

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध तथा दिल्ली में स्थित कालेजों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार कालेजों को आयोग, क्रमश : 1955–56 तथा 1983–84 से अनुरक्षण (गैर–योजनागत) अनुदान प्रदान कर रहा है। गैर योजनागत अनुदान के अलावा, इन कालेजों को योजनागत सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में, 53 कालेजों और 12 छात्रावासों को योजनागत और गैर–योजनागत, दोनों अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं और दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुरक्षित 6 कालेजों को केवल योजनागत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। **¼ifjf'k"V&xIV½**

xSj&;kstukxr vuqnku

53 कालेजों में से वि.अ.आ., 37 कालेजों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देता है और शेष 5 प्रतिशत प्रबंधन के हिस्से को, न्यास/दिल्ली प्रशासन से प्राप्त राशि से पूरा करते हैं। इन 37 कालेजों में से 16 कालेज प्रबंधन के हिस्से को, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त करते हैं और 21 कालेज संबंधित न्यास से प्राप्त करते हैं। शेष 10 सायंकालीन कालेज और 6 विश्वविद्यालय अनुरक्षित कालेज वि.अ.आ. से शत–प्रतिशत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

किसी कालेज को "विस्तारित कालेज" का तब नाम दिया जाता है जब उसको नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और तत्पश्चात उसे 100 प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, 1000 तक नामांकन होने पर 95/100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस श्रेणी का कालेज है। 1000 नामाकनों से अधिक होने पर शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जायेगा। जिसमें न्यास/दिल्ली प्रशासन से संबद्ध किसी कालेज की श्रेणी पर कोई विचार नही किया जाऐगा।

यह 53 दिल्ली कालेज, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और गैर वेतन व्यय को पूरा करते हैं। प्रत्येक कालेज का बजट निर्धारित करने के लिए कालेजों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

आयोग, गैर–योजनागत के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चार कालेजों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सहायता प्रदान की जाती हैः–

वि.अ.आ. द्वारा 95 प्रतिशत अनुदान का वित्तपोषण

कालेज के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान

2010–11 के दौरान, दिल्ली और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कालेजों को निम्नलिखित गैर–योजनागत अनुदान राशि प्रदान की गईः

C;kjk	inÙk vuqnku ¼djksM+ :i;s esa½
दिल्ली कालेज	926.27
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कालेज	27.06
dqy tksM+	**953-33**

;kstukxr vuqnku

59 दिल्ली कालेजों को पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद, उपस्करों, उपचारी पाठ्यकमों, विस्तार क्रियाकलापों, शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी, भवन परियोजनाओं, छात्रावास सुविधाओं में सुधार, मरम्मत तथा कालेज भवन में नवाचार करने के लिए सामान्य विकास अनुदान (योजना) के अधीन अनुदान प्रदान किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ''महिलाएं छात्रावास'' योजना के अधीन भी इन कालेजों को अनुदान प्रदान किया गया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए आवंटन को 16 महाविद्यालयों के लिए अंतिम रूप दिया गया था । ग्यारहवीं योजना विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर योजनागत अनुदान 16 महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया गया था । 16 महाविद्यालयों में से 8 महाविद्यालय को सामान्य विकास के तहत अनुदान प्राप्त हुए तथा 16 महाविद्यालयों को आमेलित योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुए । सामान्य विकास अनुदान के अंतर्गत शेष 48 महाविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया । 2010–11 के दौरान, जारी किए गए अनुदान करने की स्थिति निम्नवत् है :

;kstuk	Tkkjh dh xbZ jkf'k ¼djksM #i;s esa½
कालेजों को सामान्य विकासगत सहायता	14.67*
विशेष योजना के अन्तर्गत महिला छात्रावास	1.30
विलयित योजनाएँ	3.41

(*1.50 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रमण्डल खेल – 2010 हेतु छात्रावासों के उन्नयन के लिए जारी की गई थी।)

4-6 fuEu th-bZ-vkj- dk lkFk 'kS{kf.kd :Ik ls fiNM+s ftyk esa u, vkn'kZ fMxzh egkfo|ky;ksa dh LFkkiukA

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ईबीडी में डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना है ताकि समावेशी रूप में समानता और गुणवत्ता के साथ उच्च शिक्षा में विस्तार की प्राप्त की जा सके और 12.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम औसत के निम्न सकल नामांकन वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े 374 जिलों (ईबीडी) में नये आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा सके । यह योजना मूल उद्देश्य राज्य सरकारों को उनके शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को उपयुक्त वित्तीय सहायता मुहैया करवा कर उनके उत्थान हेतु प्रोत्साहन देना है ।

ik=rk%

- महाविद्यालय को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अथवा 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात् नये डिग्री महाविद्यालयों के संबंध में योजना आयोग के नयी पहल के तहत स्थापित किया जाना होगा ।

  महाविद्यालय अधिमानतः किसी विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई होना चाहिए जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो अथवा स्थायी और अस्थायी रूप से ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए जो यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो ।

  महाविद्यालय को राज्य सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों से सतत् आधार पर योजनागत अथवा/और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त होना चाहिए ।

p;u%

संबंधित राज्य सरकार प्राथमिकताओं पर उचितर रूप से ध्यान देते हुए यह निर्णय लेगी कि आदर्श महाविद्यालय कहां स्थापित करना है ।

राज्य सरकार संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय की पहचान करेगी जो आदर्श महाविद्यालय के ईबीडी के क्षेत्राधिकार में होगी ।

संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करेगा और इसे उस प्रत्येक मद के लिए औचित्य दर्शाते हुए जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई हो, के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रपत्र में प्रस्ताव के साथ इसके द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा वचनपत्र सहित यूजीसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

foRrh; lgk;rk%

केन्द्र सरकार/यूजीसी से सहायता 8 करोड़ रु0 की पूंजीगत लागत के 1/3 भाग तक 2.67 करोड़ रु0 प्रति महाविद्यालय की अधिकतम सीमा तक सीमित है और आवर्ती व्यय के साथ शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में सहायता अनुपात 50 प्रतिषत (यूजीसी) : 50 प्रतिशत (राज्य सरकार) होगा । अब पूंजीगत लागत को केन्द्र की हिस्सेदारी 2.67 करोड़ रुपये है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के माध्यम से महाविद्यालयों से 116 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । जिसमें से 8 राज्यों के 20 विश्वविद्यालयों से 37 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया, 31 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है और 48 मामलों में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज मंगवाये गये हैं ।

वर्ष 2010–11 के दौरान 37 अनुमोदित महाविद्यालयों को 18.69 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया है ।

4-7 egkfo|ky;k e ;= j[k&j[kko lfo/kk,

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अनिवार्य सहायता अवसंरचना के रूप में यंत्र रख–रखाव सुविधा (आईएमएफ) की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करना है जिससे उनके वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का प्रभावपूर्ण तथा कुशल रख–रखाव किया जा सके और वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत और उनके रख–रखाव में आवश्यक आधारित प्रशिक्षण तथा दस्तावेजीकरण के माध्यम से कुशलता को बढ़ाया जा सके ।

वे महाविद्यालय जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत स्नातकोत्तर विज्ञान विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं ।

यूजीसी द्वारा गठित एक विशेष समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है तथा वित्तीय सहायता हेतु संस्थानों के चयन की सिफारिश करती है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान 23 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है । और 1.65 करोड़ रु0 के कुल अनुदानों को अनुमोदित संस्थानों को वैज्ञानिक य़ंत्रों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के रख–रखाव के लिए जारी किया जा चुका है।

5- x|.koÿkk rFkk mRd"Vrk

5-1 mRd"Vrk dh lHkkO;rk okys fo'ofo|ky; ¼;w-ih-bZ-½

शिक्षण एवं शोध गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) का दर्जा प्राप्त करने के लिए चिन्हित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और शासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना;
- शिक्षण, ज्ञान, अनुसंधान और अग्रप्रसारति कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अकादमिक और वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ करना ;
- सुशासन की लचीले और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीले ऋण आधारित माड्यूलर प्रणाली और नवीनता के विभिन्न प्रकार जो विश्व भर में स्वीकार्य हैं के साथ सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- सामान्य रूप से राष्ट्र विशेष रूप से क्षेत्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातक पूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- अर्द्धवार्षिक प्रणाली निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, क्रेडिट प्रणाली आदि जैसे परीक्षा सुधार कार्यक्रमों को आरंभ करना;
- स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- ऐसे कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त उल्लिखित मामलों में उत्कृष्टता लाने में सहायक हो ।

ik=rk ekunaM %

निम्नलिखित प्रत्यापत्र वाले विश्वविद्यालय पात्र हैंः

- वर्ष 2007 में आरंभ की गई नई ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन केन्द्र (एनएसीसी) द्वारा 5 स्टार ग्रेडिंग अथवा 9 सूत्र ग्रेडिंग प्रणाली में 'ए' ग्रेड और इससे अधिक अथवा 'ए' ग्रेड ।

विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है।

एनएएसी द्वारा गत प्रत्यायन से गुणवत्ता पुष्टि और वृद्धि की वार्षिक रिपोर्टें।

किसी भी विषय में एसएपी के दो विभाग अथवा कम से कम सीएएस ।

vof/k%

आरंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा जो कि दस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष के अंत में सीमाक्षा और पांच वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन हो ।

foRrh; lgk;rk %

योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना से पूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालय को योजना अवधि के लिए 30.00 करोड़ रु0 प्रदान किए गए हैं । इस राशि में से, 30 प्रतिशत की राशि (रु0 9.00 करोड़) केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय किया जाना है तथा 70

प्रतिशत (रु0 21.00 करोड़) की राशि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर पर व्यय किया जाना है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सहायता की उपरोक्त अधिकतम राशि को बढ़ाकर रु0 50.00 करोड़ कर दिया गया था। इसमें से रु0 15.00 करोड़ (30 प्रतिशत) की राशि केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय की जाएगी तथा रु0 35.00 करोड़ (70 प्रतिशत) की राशि सर्वांगीण विकास पर व्यय की जाएगी।

p;u Áfd!;k

ग्यारहवीं योजना में पाँच विश्वविद्यालय, नामतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, एवं पुणे विश्वविद्यालय की पहचान श्रेष्ठता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों का चयन एवं अनुमोदन यू.पी.ई. संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

दसवीं योजना के दौरान पांच विश्वविद्यालयों के लक्ष्य की तुलना में केवल पांच विश्वविद्यालय नामतः मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और एन.ई.एच.यू. का चयन किया गया था। अनुमोदन यूपीई संबंधी स्थायी समिति के समक्ष कार्य समूह द्वारा दिए गए अंक और विश्वविद्यालय से संबंधित कुलपति द्वारा प्रस्तुत ढांचे के आधार पर दिया गया ।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, छह और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना हैं विश्वविद्यालयों से 31 प्रस्तावों में से विश्वविद्यालयों के 10 प्रस्तावों को लघु सूचीयन किया गया है । उनके नाम निम्नलिखित हैः

1. आंध्र विश्वविद्यालय
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
3. बैंगलोर विश्वविद्यालय
4. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय
5. कर्नाटक विश्वविद्यालय
6. मैसूर विश्वविद्यालय
7. उस्मानिया विश्वविद्यालय
8. पंजाब विशविद्यालय
9. पंजाबी विश्वविद्यालय
10. राजस्थान विश्वविद्यालय

इन 10 लघु सूचीयन किए गए विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की प्राप्ति पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां विश्वविद्यालयों का दौरा करती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ।

तदनुसार, 31.3.2011 तक विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों ने आठ विश्वविद्यालयों का दौरा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये समितियां मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु यूपीई संबंधी कार्य समूह द्वारा विकसित निम्नलिखित प्राप्तांक पैमाने का प्रयोग करती हैः

- आंकड़ों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त प्राप्तांक जो अनुप्रयोग में इसके द्वारा प्रदान किए – 4 %
- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के द्वारा विश्वविद्यालय का दौरा करने के पश्चात् अंक दिए जाना – 40 %
- कुलपति द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् स्थायी समिति द्वारा अंक दिए जाना – 20 %

शेष दो विश्वविद्यालयों का दौरा पूरा करने के पश्चात् सभी लघुसूचीयन किए गए 10 विश्वविद्यालयों को छह विश्वविद्यालयों के अंतिम चयन हेतु यूपीई संबंधी स्थायी समिति के समक्ष संबंधित कुलपतियों को प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जाएगा ।

fuxjkuh igy

योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक निगरानी समिति गत वर्षों के दौरान की गई प्रगति निगरानी के लिए प्रत्येक यूपीई विश्वविद्यालय का दौरा करती है । पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर एक विशेषज्ञ समिति की गई प्रगति का मूल्यांकन करेगी और इसके पश्चात् निगरानी समिति द्वारा पुनः दौरा किया जाएगा । पीयर समूह द्वारा बाह्य मूल्यांकन के अतिरिक्त संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रयोजन हेतु गठित संचालन समिति की सहायता से परिकल्पित निरंतर मूल्यांकन किया जाता है । इस प्रकार यूपीई विश्वविद्यालय का आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ।

नौ यूपीई विश्वविद्यालयों के केन्द्रित क्षेत्र और अभी तक उन्हें भुगतान की गई निधि के संबंध में ब्यौरा निम्नवत हैः

Ø-l-	;kstuk ftlea igpku dh xbl	fo'ofo|ky; dk uke	cy fn;k tkus okyk {ks=	vuqeksfnr jkf'k ¼:i; djksM+ esa½	Hkqxrku jkf'k ¼:i; djksM+ esa½
1.	ग्याहरवीं योजना	मद्रास विश्वविद्यालय	शकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30	30
2.	ग्याहरवीं योजना	जादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाइल अभिकलन संचार एवं नैनो विज्ञान	30	30
3.	ग्याहरवीं योजना	पुणे विश्वविद्यालय	जैव रसायन शास्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी	30	30
4.	ग्याहरवीं योजना	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस अध्ययन तथा अनुसंधान	30	30
5.	ग्याहरवीं योजना	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अनुवांशिकी, जैनोमिक्स जैव प्रौद्योगिकी	30	30
6.	दसवीं योजना	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनोलाजी	30	25
7.	दसवीं योजना	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन	30	25
8.	दसवीं योजना	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30	25
9.	दसवीं योजना	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30	10

वर्ष 2010–11 के दौरान मदुरई कामराज विश्वविद्यालय (5 करोड़ रु0) तथा कोलकाता विश्वविद्यालय (5 करोड़ रु0) को 10 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई थी ।

5-2 mRd"Vrk dh lHkkO;rk oky dkyt ¼lh-ih-b½

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस योजना (सी.पी.ई) को **10 oh ;kstuk** के दौरान आरंभ किया है। इस योजना के अन्तर्गत कालेजों को उनकी अकादमिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेषी तत्वों को अपनाने के लिए तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला कॉलेज अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी कॉलेजों के लिए एक आदर्श भूमिका को अदा करता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि चयनित कॉलेजों को मुख्य रूप से शिक्षण की गतिविधि में उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति को प्राप्त करने में, सहायता मिल सके।

10oh ,o 11oh ;kstuk d nkjku foÙkh; lgk;rk dh vf/kdre lhek fuEu idkj l g %&

10 oh ;kstuk

गैर–स्वायत्त/ एनएएसी/एमबीए द्वारा अप्रत्यायित नहीं हैं	35.00 लाख तक
स्वायत्त तथा जो प्रत्यायित नहीं है अथवा प्रतिलोमत :	60.00 लाख तक
स्वायत्त एवं प्रत्यायित कॉलेज	100.00 लाख तक

11 oh ;kstuk

जो कालेज प्रत्यायित हैं, परन्तु स्वायत्त नहीं हैं	100.00 लाख तक
प्रत्यायित एवं स्वायत्त कॉलेजों के लिए	150.00 लाख तक

इस योजना के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के दौरान सीपीसी दर्जे हेतु चयनित महाविद्यालयों की संख्या और ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

Pkj.k	**Pk;u dk o"k**	**;kstuk vof/k lhihlh egkfo|ky;k dh l[;k**	**ntk inku fd, x,**
I	2004–05	दसवीं	47
II	2006–07	दसवीं	80
III	2009–10	ग्यारहवीं	149
		dy	**246**

X;kjgoh iapo"kh; ;kstuk के दौरान **113 vkj** महाविद्यालयों को चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया । तदनुसार आयोग ने दिनांक **21-7-2010** के परिपत्र के अनुसार महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उनके विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **30-9-2010** थी । 89 विश्वविद्यालयों से **341** प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इनमें से **30-9-2010** तक केवल 116 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय '' (सपीपीई) संबंधी कार्यसमूह की बैठक जो 21 से 25 फरवरी, 2011 को हुई के समक्ष रखा गया था । कार्य समूह ने प्रस्तावों की जांच की और महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी वरीयता सूची तैयार की गई ।

इस सूची को सीपीईं संबंधी स्थायी मिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी बैठक **27-3-2011** को हुई । **LFkk;h lfefr us 113 dqy fjDr LFkkuksa esa ls vufre :Ik ls 56 egkfo|ky;ksa dk fpfUgr fd;k A**

X;kjgoha ;kstuk ds nkSjku] ;kstuk ds vUrxZr egkfo|ky;ksa dks 131-00 djksM+ #0 tkjh fd, x, FksA

वर्ष **2010&11** के दौरान, योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों को **27-35@28-47 djksM+ #0** की राशि जारी की गई ।

5-3 fof'k"V {ks= esa mRd"Vrk dh laHkko;rk okys dsUnz ¼lh-ih-bZ-ih-,-½

योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालय पर चयनित विभागों में मिलकर कार्य करना और संयुक्त रूप से निम्नलिखित कार्य करने को प्रोत्साहित करना और सुकर बनाना है:

- अंतर–और/अथवा बहु–विषयक क्षेत्रों में नए और नवोन्मेषी शैक्षिक, अनुसंधान और/अथवा विस्तार कार्यक्रमों/कार्यकलापों को आरंभ करना;
- क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हित और महत्व के मुख्य कार्यक्रमों/कार्यकलापों को आरंभ करने के प्रयास करनाा;
- सम्मिलित शैक्षिक नि पादन, अनुसंधान क्षमताओं और संपूर्ण उपलब्धियों से लाभ;
- कम समय में अपने–अपने चुनी गई विधाओं/क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर पहुंचना;
- समाज में विश्वास, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने में अधिक सफल बनना;

;kstuk ds vU; mís'; fuEuor gS%

चुने गए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं और अवसंरचना को सुदृढ़ करना;

➢ चुने गए क्षेत्रों में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण–ज्ञान–मूल्यांकन प्रक्रिया, शोध कार्य और विस्तार कार्यकलापों की गुणवत्ता और मानक को बढ़ाना;

➢ सामान्य और किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक, आर्थिक और देश की अन्य आवश्यकताओं के संगत शैक्षिक कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना;

➢ उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय/प्रयोगशालाओं/केन्द्रों आदि के अन्य संस्थान के साथ नेटवर्किंग और सहयोग करना;

➢ नए और नवोन्मेषी शैक्षिक/अनुसंधान कार्य के द्वारा मौजूदा भारत के ज्ञान भंडार के अंतर को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करना;

➢ विश्वविद्यालय हेतु चिन्हित विशिष्ट क्षेत्र में देश में उपलब्ध ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना ।

ik=rk ekunaM

सीपीईपीए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:–

vfuok;Z

चुने गए क्षेत्रों/विधाओं में अपने विभागों में उच्च स्तर के स्नातकोत्तर एम.फिल/और पीएचडी डिग्री कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए;

- **rhu vFkok vf/kd foHkkxk** से सम्बद्ध होने के लिए कार्य योजना तैयार करना, अंतर–और/अथवा बहु विषयक क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए उनके बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और समन्वयकों को चिन्हित करना;

- **,l,ih ;ktuk d vrxr Mh,l,@lh,,l** हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **ifrHkkxh foHkkxk dk de l de ,d foHkkx dk i|u p;u** करना;

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **ekU;rk iklr ,tfUl;k** (जैसे एनएएसी, एनबीए) द्वारा विभागों को कवर करते हुए **iR;k;u iklr djuk** और इसकी वैध अवधि में बने रहना;

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विद्वान निकायों/अकादमियों और/अथवा अन्य प्रख्यातों के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक विभाग से कम से कम एक संकाय का होना

okNuh;%

- विद्यार्थियों के परियोजना कार्य के माध्यम से अंतर–और बहु–विधा पाठ्यक्रम कार्य में सामर्थ्य प्रदर्शन मास्टर/डॉक्टर डिग्री देना और प्रकाशन अभिलेख;
- साक्ष्य के रूप में अपने प्रकाशनों/पेटेंटों से चुने गए क्षेत्रों/विधाओं में अपने विभागों में गुणवत्ता शोध का अनुभव;
- ज्ञान की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करना और विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिवेश को बढ़ाना;
- समाज में विकासशील क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुप्रयोगोन्मुखी शैक्षिक/अनुसंधान कार्य में अनुभव और क्षमता होना ।

p;u ifØ;k:

भारत में चयनित विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) नामक योजना आरंभ की है । ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पांच विश्वविद्यालयों नामतः मद्रास, जवाहर लाल नेहरू, हैदराबाद, जाधवपुर और पुणे विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था ।

उपर्युक्त पांच विश्वविद्यालयों के चयन के पश्चात् ग्यारहवीं योजना के दौरान कुछ और विश्वविद्यालयों को चिन्हित करने का प्रस्ताव था । तदनुसार चयन के चरण–दो में यू.पी.ई. योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय आयोग ने **25 tqykb] 2002** को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि उन्हें विशिष्ट क्षेत्र में **^^mRd"Vrk dh lHkkO;rk oky dUn**** कह सकते हैं । योजना के अंतर्गत केवल 12 विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया था । **ml le; ;ktuk gr dkbl fn'kkfunl'k ugh Fk** । एकमुश्त अनुदान के रूप में विज्ञान/प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रु0 और सामाजिक विज्ञान/मानविकी क्षेत्रों के लिए 3.00 करोड़ रु0 थी । ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रतयेक केन्द्रों के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों की सहायता से इन केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की गई थी ।

सपीईपीए केन्द्रों का मुख्य क्षेत्र का ब्यौरा तथा अभी तक अदा की गई राशि के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

Ø-l-	fo'ofo|ky; dk uke	ftl fo'kKrk oky {k= dk fodfl r fd;k tkuk g	10oh ;ktuk d nkjku tkjh fd;k x;k vkcVu ¼:i; djkM e½	10oh ;ktuk d nkjku tkjh dh xbl /kujkf'k ¼:i; djkM e½
1.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सकीय विज्ञान	5.00	5.00
2.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	खेलकूद विज्ञान	5.00	5.00
3.	कोच्ची विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लेसर एवं ऑप्टो–इलैक्टॉनिक साइंस एवं टैक्नोलॉजी	5.00	5.00
4.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जैनोमिक विज्ञान	5.00	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय संबंधित अध्ययन	5.00	5.00
6.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	एप्लाइड पॉलीमर्स	5.00	5.00
7.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	पॉलीमर कैमिस्ट्री	5.00	5.00
8.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	5.00	5.00
9.	अरूणाचल विश्वविद्यालय (वर्तमान में राजीव गाँधी विश्वविद्यालय)	जैव विविधता	5.00	5.00
10.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	3.00	3.00
11.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	पारम्परिक शास्त्र	3.00	3.00
12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई–मैनेजमैंट स्टडीज़	3.00	3.00

@ ग्यारहवीं योजना के दौरान विशेषज्ञ समिति की सहायता से केन्द्र की समीक्षा की गई थी और समाप्ति का अनुमोदन किया गया था ।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आवंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् हैः–

Øe l0	fo'ofo|ky; dk uke	vkoaVu ¼X;kjgoh ;kstuk½ ¼djkM+ #0½	tkjh jkf'k ¼X;kjgoh ;kstuk½ ¼djkM+ #0½	dh 0;; ¼X;kjgoh ;kstuk½ ¼djkM+ #0½	vfHk;qfDr;k
1.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	3.43	शून्य	3.33	समीक्षा समिति ने 15 दिसम्बर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि dUnz X;kjgoh ;kstuk d nkjku tkjh jg ldrk g A व्यय नहीं की गई शेष राशि को ग्यारहवीं योजना आवंटन के रूप में आवंटित किया गया ।
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	2.35	शून्य	2.35	समीक्षा समिति ने 16 और 17 मार्च, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि ब्याज सहित अव्ययित शेष 2.35 करोड़ रु0 की राशि को केन्द्र द्वारा vxys pj.k अर्थात् 2007–2012 के दौरान उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है ।
3.	मदुरै कामराज	5.00	3.80	3.20	समीक्षा समिति ने 10 अक्तूबर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और X;kjgoh ;kstuk d nkjku tkjh रखने के लिए 5.00 करोड़ रुपये के नए आवंटन की सिफारिश की क्योंकि केन्द्र ने पिछले अनुदान का उपयोग कर लिया है ।
4.	पंजाब विश्वविद्यालय	0.86	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 10 और 11 फरवरी, 2010 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि केन्द्र के अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है तथा ब्याज सहित अव्ययित शेष राशि और अन्य आय का 31 मार्च, 2011 तक उपयोग किया जा सकता है ।
5.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	2.005	शून्य	1.44	समीक्षा समिति ने 14 अक्तूबर, 2008 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि ब्याज सहित अव्ययित शेष और अन्य आय जो कि लगभग दो करोड़ रु0 है संस्थान द्वारा 31 मार्च, 2011 तक उपयोग की जा सकती है और केन्द्र जारी रह सकता है ।

6.	अन्ना विश्वविद्यालय	5.00	2.50	शून्य	समीक्षा समिति ने 3 और 4 सितम्बर, 2009 को केन्द्र का दौरा किया और ग्यारहवीं योजना के दौरान 5.00 करोड़ रु0 के नए आवंटन के साथ जारी रखने की सिफारिश की ।
7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 25 और 26 सितंबर, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि केन्द्र 31.3.2008 तक अव्ययित राशि का उपयोग कर सकता है ।
8.	अरुणाचल विश्वविद्यालय वर्तमान में (राजीव गांधी विश्वविद्यालय)	शून्य	शून्य	शून्य	यूजीसी अध्यक्ष ने केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की प्रगति का आंकलन करने के लिए पहले ही समीक्षा समिति का गठन किया है । केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । समीक्षा समिति यथा समय पर विश्वविद्यालय का दौरा करेगी ।
9.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1.74	1.74	शून्य	समीक्षा समिति ने मार्च, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और ग्यारहवीं योजना के 174.00 लाख के अतिरिक्त आवंटन को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी । ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक अन्य समीक्षा समिति द्वारा दौरा किया जाना है ।
10.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	3.00	2.40	1.20	समीक्षा समिति ने 2 और 3 अगस्त, 2007 को केन्द्र का दौरा किया और यह सिफारिश की कि 3.00 करोड़ के नए आवंटन के साथ ग्यारहवीं योजना के दौरा केन्द्र को जारी रखा जा सकता है ।
11.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	समीक्षा समिति ने 17 और 18 मई, 2010 को केन्द्र का दौरा किया और विश्वविद्यालय के अव्ययित शेष सहित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय केन्द्र के कार्यकरण पर विचार करने के पश्चात् यह सिफारिश की कि ब्याज सहित शेष राशि को विश्वविद्यालय द्वारा उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

Lkgk;rk dk Lo:i %

सीपीईपीए योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:

- ○ विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी:
- • विज्ञान/प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए 7.00 करोड़ रु0 और
- • सामाजिक विज्ञान/मानविकी क्षेत्रों के लिए 5.00 करोड़ रु0
- ○ विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण परियोजना उन्मुखी होगा और विश्वविद्यालय से विस्तृत परियोजना (डीपीआर) प्रस्ताव अनुदान स्वीकृत करने का आधार होगी
- ○ योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की अवधि आरंभ में पांच वर्षों के लिए होगी, जिसे वार्षिक/योगात्मक समीक्षा के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।
- ○ अनुदान का विश्वविद्यालय के केवल निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा सकता है:
- • अंतर–और बहु–विषयक क्षेत्रों में परियोजना उनमुखी सहायता शैक्षिक/शोध कार्य आयोजित करना:
- • अतिरिक्त शैक्षिक/शोध कर्मचारी के वेतन और उपस्कर/पुस्तकालय संसाधनों और कार्यशील व्यय को पूरा करना:
- • अंतर और/बहु–विषयक क्षेत्रों में संकाय विकास, सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना:
- ○ यह अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए **miyC/k ugh gksxk**:
- • भवन निर्माण और/अथवा वास्तविक अवसंरचना विकास
- • एकल विषयक शैक्षिक/शोध/विस्तार कार्य हेतु सहायक संकाय सदस्य
- ○ प्रस्ताव को अनुमोदित करने के पश्चात्, अनुदान का प्रयोग प्रत्येक मामले में विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए विस्तृत बजट और कार्य योजना के अनुसार होगा ।

ग्यारहवीं योजना के दौरान सीपीईपीए योजना के अंतर्गत **25 u, dsUnz** को चिन्हित करने के लिए **10-6-2010** को पात्र विश्वविद्यालयों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । पात्र विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि **30 tqykbZ 2010** थी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र के प्रत्युत्तर में 46 विश्वविद्यालयों से 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार जाँच की गई । स्थायी समिति की पहली बैठक **28 Qjojh] 2011** को हुई थी । पात्रता मानदंड का प्रयोग कर, स्थायी समिति ने **12 fo'ofo|ky;ksa ls 16 izLrkoksa** को लघु सूचीयन किया था ।

लघु सूचीयन किए गए 16 प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नवत् है:

Øe l0	fo'ofo|ky; dk uke	fuEuor ij iLrkfor lhihbZih,
1.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	''स्वास्थ्य देख–रेख हेतु कतिपय महत्वपूर्ण औशधीय पादपों का जैव–संभावना''
2.	मैसूर विश्वविद्यालय	''प्रोसेसिंग, करेक्टराइजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल एण्ड नैनो मैटीरियल्स ''
3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	''संभाव्यता अनुप्रयोग हेतु उन्नत सामग्री ''
4.	बैंगलोर विश्वविद्यालय	''जीव विज्ञान''
5.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	''जीव विज्ञान ''
6.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	एप्लीकेशन ऑफ कंवर्जिंग टैक्नोलॉजी (बायो टैक्नोलॉजी एण्ड नैनो टैक्नोलॉजी) फार करेक्टराइजेशन – कंजर्वेशन एण्ड सस्टेनेबल यूटिलाइजोन ऑफ बायो–रिर्सोस ऑफ फ्रिगल ईकोसिस्टम (थार मरुस्थल और अरावली)
7.	मद्रास विश्वविद्यालय	1) ''विवर्ण पर्यावरण ठोस कचरा निपटान सहित जलवायु परिवर्तन और बढ़ता समुद्री स्तर पर्यावरण'' 2) ''गणित विज्ञान '' 3) ''मानव कल्याण हेतु औशधीय पादपों से औषधों का विकास''
8.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	''समुद्रीय विज्ञान संकाय के समुद्रीय जीवविज्ञान में उन्नत अध्ययन ''
9.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	''पर्यावरणीय जिनोमिक्स ''
10.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एण्ड न्यूरोइमेजिंग अध्ययन
11.	जाधवपुर विश्वविद्यालय	1) ''हरित ऊर्जा और पर्यावरण 2) ''इंटर डिसिप्लनरी स्टॅडीज इन सोशल ट्रांजिसन एण्ड नॉलेज फॉर्मेशन''
12.	पंजाब विश्वविद्यालय	1) ''नैनो–मैटीरियल एण्ड नैनो कंपोजिट्स सिंथेसिस करैक्टराइजेशन एण्ड एप्लीकेशन इन फिजिकल कैमीकल बायोलॉजिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी 2) ''कल्चर फिक्सेसन ऑन ''ऑनर'' ए जैंडर ऑडिट ऑफ पंजाब एण्ड हरियाणा ''

स्थायी समिति का मत था कि इन 12 विश्वविद्यालय को ''विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र '' (सीपीईपीए) संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देने को कहा जा सकता है जिससे कि इस संबंध में एक अंतिम निर्णय लिया जा सके । तथापि, इन केन्द्रों के अंतिम चयन के पश्चात् विशेषज्ञ समिति की सहायता से उनकी कार्य–योजना और बजट को अंतिम रूप दिया जा सकता है जो इन केन्द्रों का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी ।

वर्ष 2010–2011 के दौरान निम्नलिखित केन्द्रों को 1.80 करोड़ रु0 जारी किए गए थे ।

1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1.20 करोड़ रु0
2.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	0.60 करोड़ रु0
	dqy	**1-80 djksM+ #0**

5-4u, dUnk@lLFkkuk dh LFkkiuk djuk

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्श 2011 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर–विशयक क्षेत्रों संबधी अध्ययन और अनुसंधान में ''उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना '' नामक नई योजना आरंभ की थी ।

वर्ष 2001–2002 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केन्द्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था ।

Øe l0	fo'ofo|ky; dk uke	dUn@lLFkku
1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मानव जिनोम अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना
2.	संजय गांधी चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ	सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रिसोनॉस की स्थापना करना
3.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय के ऑग्ल अनुसंधान संस्थान में विज्ञान के इतिहास हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करना
4.	जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जीव विज्ञान विद्यालय में आनुवांशिक इकाई का उन्नयन कर व्यावहारिक मानव आनुवंशिक केन्द्र की स्थापना करना
5.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेशण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
6.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	श्री गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन केन्द्र

समीक्षा समितियों की सहायता से इन केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा की गई है जिससे कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उनके जारी रखने अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लिया जा सके ।

2008–09 के दौरान पुणे विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना को ग्यारहवीं योजना तक जारी रखने हेतु विस्तार दिया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने पहले ही एक समीक्षा समिति का गठन किया है जो केन्द्र की अवधि को बढ़ाने के लिए अंतिम निर्णय लेने के संबंध में विश्वविद्यालय का दौरा करेगी ।

Ok"k 2009&2010 d nkjku] vk;kx u x# ukud no fo'ofo|ky;] ve`rlj e ^Jh x# xFk lkfgc v/;;u dUn ** dh LFkkiuk d ennn ij fopkj fd;k vkj bl 'krl d lkFk fd 'kf{kd ink ij 0;; doy ;ktuk vuqnku l ijk fd;k tk, d lkFk bl vuekfnr fd;k A आयोग ने इसके अतिरिक्त निम्नवत ब्यौरे के अनुसार केन्द्र की वित्तीय आवश्यकताओं को अनुमोदित किया:

vkorfr							
Øe	en	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2014&15
la0		¼yk[k #0½	¼yk[k #0½	¼yk[k #0½	¼yk[k #0½	¼yk[k #0½	¼yk[k #0½
1.	शिक्षण, तकनीकी, पुस्तकालय और सहायक कर्मचारियों का वेतन	173.14	199.14	229.01	263.36	302.87	1167-52
2.	सामग्री और अन्य व्यय	117.00	134.55	154.73	177.93	204.61	788-82
	mi& ;kx	290.14	333.69	383.74	441.29	507.47	1956-34

vukorfr

1.	उपस्कर/अवसंरचना	110.00	–	–	–	–	110-00
2.	भवनों का निर्माण, परियोजना	623.00	1278.00	737.50	–	–	2638-50
	की कुल लागत						
	mi&;kx	733.00	1278.00	737.50	–	–	2748-50
	dqy	1023-14	1611-69	1121-24	441-29	507-48	4704-84

वर्ष 2010–11 के दौरान, नई योजना के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रों को 1.35 करोड़ रु0 जारी किए गए थे ।

1. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर — 1.00 करोड़ रु0
2. जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली — 0.35 करोड़ रु0

कुलः 1.35 करोड़ रु0

5-5 fo'k"k lgk;rk dk;Øe ¼,l-,-ih-½

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी । कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता और समूह कार्य की खोज को प्रोत्साहित करना है । पहला ऐसा कार्यक्रम 'एडवांस अध्ययन केन्द्र ' (सीएएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था । ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय सहायता मिलती है ''विशेष सहायता विभाग (डीएसए) और ''विभागीय शोध सहायता '' (डीआरएस) कार्यक्रम क्रमशः 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग के लिए आरंभ किए गए थे ।

fo'k"k lgk;rk dk;Øe ¼lIi½ Lrj

1. विभागीय अनुसंधान सहायता (डीआरएस)
2. विभागीय विशेष सहायता (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

- विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :
- उन विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना, जो संबद्ध विषयों को मिलाकर, शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता रखते हैं।
- कार्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए और जिनमें समाज और उद्योग की अन्योन्यक्रिया हो।
- अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और अभिज्ञात बल दिये जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।
- शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना, ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को समर्थन दिया जा सके।
- शोध के निर्गम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना।
- नए/व्यापक क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों मे शोध की सहायता के लिए शोध संगठनों जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ आदि को समेकित कर नवीन रूप से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है । सभी क्षेत्रों में अंतर–विशयक शोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

ik=rk

कोई विश्वविद्यालय/विभाग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत योग्य है और जिनमें गुणवत्ता शिक्षण और शोध की संभाव्यता है एसएपी के अंतर्गत भाामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित प्रारूप में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं । एसएपी के अंतर्गत भाामिल किए जाने के लिए पात्र बनने के लिए विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन व्याख्याता होने चाहिए ।

dk;Øe dh vof/k

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए **ikp o"kZ** की अवधि के लिए होगा । यूजीसी, डीआरएस और डीएसए के उसी स्तर पर तीन अवधियों से अधिक (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा । यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/सीएएस जैसी भी स्थिति हो के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होता है । यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर तीन अवधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने और चरण–चार के लिए समीक्षा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात् महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है । अनुमोदित चरण/ अवधि के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगले आगामी वर्ष की पहली अप्रैल होगी । विभाग को अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल की अनुमोदन की तिथि से छह महीने अथवा जो भी पहले के भीतर निबंधन और शर्ते स्वीकार करनी होगी और कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

lgk;rk dk Lo#i

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 5 वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत है :

dk;lde @Lrj	foKku rFkk bthfu;fjx vkj ik|kfxdh ¼yk[k :-e½	xf.kr] lkf[;dh] ekufodh rFkk lkekftd foKku ¼yk[k :-e½
सीएएस	150	100
डीएसए	100	75
डीआरएस	75	60

एसएपी कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा किए गए/बंद कर दिए गए/ आरंभ किए गए/उन्नयन किए गए मौजूदा विभागों का ब्यौराः

Pkj.k	,l ,ih dk Lrj	31-3-2010 dh fLFkfr d vuqlkj foHkkxk dh l[;k	31-3-2011 d vuqlkj foHkkxk dh l[;k
1	सीएएस	128	138
2	डीएसए	100	92
3	डीआरएस	491	515
		719	**745**

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, विशेष समितियों द्वारा 57 विभागों की समीक्षा की गई थी । जिनमें से 12 विभागों (10 डीएसए से सीएएस और 2 डीआरएस से डीएसए) का उन्नयन किया गया था, 5 विभागों को बंद किया गया और 40 विभागों को उसी स्तर पर रखा गया है । साथ ही वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 31 नए विभागों को शामिल किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, नए शामिल किए गए विभागों और मौजूदा विभागों को कुल 49.20 करोड़ रु0 का अनुदान (विज्ञान विभागों के लिए 34.52 करोड़ और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 14.68 करोड़ रु0) जारी किए गए थे ।

5-6 uokUe"kh dk;Øe& dN mHkjrs g, ,o vUrfo"k;d {k=k e v/;kiu ,o 'kks/k

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को सहायता प्रदान करना है जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को उभरते हुए एवं अन्तर्विषयक क्षेत्रों में पूरा करना तथा प्रतिभपूर्ण विचारों एवं नवोन्मेषी प्रस्तावों को सम्मिलित करना, जिन विचारों एवं नवोन्मेषी प्रस्तावों से भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्राथमिकताओं का ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों में सापेक्ष गतिविधियों व सामाजिक संवृद्धि से जुड़े अध्यापन, शोध, अकादमिक श्रेष्ठता प्रभावित हो रहे हों।यूजीसी अंतर्विषयों तथा उभरते हुए क्षेत्राों में शिक्षण और अनुसंधान की योजना कार्यान्वित कर रहा है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सीमा रू. 60.00 लाख है–अनावर्ती (रू.40.00 लाख) एवं आवर्ती जिसमे वेतन भी शामिल है, वास्तविक तथ्यात्मक आधार पर (रू.20.00 लाख) जो कि अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए हैं। अनावर्ती के अन्तर्गत जो सहायता प्रदान की जाती है वह उपकरणों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, संगोष्ठियों, उपकरणों की मरम्मत आदि के लिए है तथा आवर्ती के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध है, वह है कार्य प्रबंध व्यय/आकस्मिक व्यय, उपभोज्य वस्तुएँ/शीशे के पदार्थ यात्रा एवं क्षेत्रीय भ्रमण, सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ एवं विजिटिंग/अतिथि संकाय।

o"k 2010&11 d nkjku vkoVu] çR;{k ,o foRrh; y{; Fk o fuEu çdkj l çLrr g&

¼yk[k :-e½

vkoVu ¼;ktukxr½	çkIr fd;k x;k okLrfod y{;	çkIr fd;k x;k foÙkh; y{;	çkIr fd;s tku gr y{;	
			okLrfod	foÙkh;
1164.41	23	1164.41	50	2000.00

विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रस्तावों की जाँच/मूल्याकन विशय विशेषज्ञ समितियों के द्वारा की जाती है। समितियों की सिफारिशों के आधार पर आयोग अनुमोदन देता है और इसके बारे में संस्थानों को सूचित किया जाता है। ऐसे समस्त विभाग जिन्हें उभरते हुए कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों में उभरते हुए क्षेत्रों वाले पाठ्यक्रमों को शामिल हैं– ऐसे विभागों द्वारा की गई प्रगति, निष्पादन एवं उपलब्धियों का प्रबोधन/मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण निम्न समितियों द्वारा किया जाता है :–

1. विभागीय समिति
2. मध्यावधि निगरानी/पुनरीक्षण समिति
3. अंतिम पुनरीक्षण समिति

5-7 Lok;Ÿk egkfo|ky;

शिक्षा आयोग (1964–66) की सिफारिशों के अनुसरण में स्वायत्त कॉलेजों की योजना को वि.अ.आ द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–73) के अंतर्गत तैयार की गई।

शिक्षा आयोग ने यह इंगित दिया था कि शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परम आवश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्र, शिक्षक और प्रबंधक साझेदार होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा आयोग ने कालेज स्वायत्तता की सिफारिश की थी। मूलतः कालेज स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

mn~n's; rFkk e[; fo'k"krk,¡ %

- स्थानीय जरूरतों के अनुकूल अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण को निर्धारित एवं विहित करना, पाठ्क्रमों का पुनर्गठन करना तथा उनको पुन : डिजाइन करना।
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु नियम निर्धारित करना।
- विद्यार्थी के कार्य के मल्यांकन के लिए परीक्षा संचालन की विधियां तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम को अधिसूचित करना।
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए शिक्षा–प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- स्वास्थ्यकर पद्धतियों यथा–समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, व्यापक रूप से समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, नेबरहुड प्रोग्रामों आदि को बढ़ावा देना।

- सभी कालेज जो वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के अधीन है और जिन्हे स्थापित हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुके हैं, स्वायत्तता स्थिति के लिए पात्र हैं। स्वायत्तता स्तर चाहने वाले पात्र कालेजों से यू जी सी प्रस्ताव प्राप्त

करता है तथा सभी नये मामलों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करता है विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व में स्वायत्तता स्तर चाहने वाले पात्र कालेजों से यू जी सी प्रस्ताव प्राप्त करती है तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधत्व में तथा राज्य सरकार नामितों के प्रतिनिधित्व में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कालेजों के कार्यस्थल के निरीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर कालेजों को स्वायत्त प्रदान करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है।स्वायत्तता स्थिति, प्रारम्भ में **Ng** वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। स्वायत्तता की अवधि में विस्तार छः वर्षो के लिए होगा जो कि स्वायत्त कालेजों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर किया जायेगा। विस्तार पर विचार करने के लिए जो पुनरीक्षण समिति गठित की गई है उसकी संरचना निम्नवत है :–

1. तीन सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष होंगे।
2. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का एक मनोनीत व्यक्ति।
3. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।
4. वि.अ.आ अधिकारी (सदस्य सचिव)।

योजना के अन्तर्गत चयनित स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी वह निम्न प्रकार से होगी :

Ø-l-	**egkfo|ky; dk izdkj**	**Lok;Ùk'kklh vuqnku jkf'k ftldk og ik= gS ¼yk[k :i;s esa½**
1.	मात्र स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने वाले :	
	(क) कला/विज्ञान/वाणिज्य–मात्र एकल संकाय	9.00
	(ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य–एक से अधिक संकाय वाले	15.00
2.	जो महाविद्यालय, स्नातक–पूर्व स्नातकोत्तर इन दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करा रहे हैं :	
	एकल संकाय	10.00
	बहुल संकाय	20.00

ऐसे स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय जिन्होंने अपनी स्थापना के 10 वर्षों को पूरा कर लिये हैं–उन्हें स्वायत्तशासी स्तर के लिए विचाराधीन रखा जा सकता है। यद्यपि उन्हें स्वायत्त स्तर प्रदान किया जा सकता है जो कि बिना किसी स्वायत्तता अनुदान के होगा। उनको उसी कार्य विधि का पालन करना होगा जो कि अन्य कालेजों पर लागू है।

स्वायत्त कॉलेजों के लिए सम्बद्ध यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा जो स्वीकार्य अनुदान है–वह जारी किया जा रहा है।

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 19 राज्यों में स्थित 69 विश्वविद्यालयों में विस्तारित, 371 स्वायत्त महाविद्यालय हैं। राज्य–वार स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या को **ifjf'k"V -XIV** में दर्शाया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कुल मिलाकर 75 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा विभिन्न महाविद्यालय स्वायत्त स्तर के लिए विचार करने और अनुशंसा करने के उददेश्य से विशेषज्ञ समितियों को भेजा जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा चयनित स्वायत्त 139 महाविद्यालयों के लिए .17.19 करोड़ रू की अनुदान राशि जारी की गई है।

5-8 vdknfed LVkQ dkWyst ¼,-,l-lh-½

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में शिक्षकों को प्रेरित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उल्लिखित संदर्भ के आधार पर वि.अ.आ. ने 1986–87 से देश के उपयुक्त विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.) स्थापित करने की योजना की शुरूआत की। इस समय, देशभर में 66 ऐसे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। **¼ifjf'k"V&xIV½**

वि.अ.आ.– अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, एक स्वायत्त इकाई के रूप में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा सकता है और उसे विश्वविद्यालय के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों और राज्य के भीतर तथा बाहर के अकादमिक संस्थानों में उपलब्ध सभी संभव विद्यमान संसाधनों के अनुसार काम करना होगा।

अकादमिक स्टॉफ कॉलेज का उद्देश्य नव–नियुक्त व्याख्याताओं को निम्न में समर्थ बनाना है :–

- वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामान्य तौर पर शिक्षा और विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझना।
- भारतीय राजनीति, के विशेष संदर्भ में शिक्षा, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता जो समाज के मूल सिद्धांत हैं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच के संपर्क को समझना।
- उच्च शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कॉलेज/विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षण कला को समझना तथा उसमें सुधार लाना।
- अपने विशिष्ट विषयों में अद्यतन घटनाक्रमों की पूरी जानकारी रखना।
- समय प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका तथा किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन को समझना।
- व्यक्तित्व, पहल और सृजनात्मकता के विकास हेतु अवसरों का उपयोग करना, और
- शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आई.सी.टी. के प्रयोग तथा कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना।

अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के मुख्य कार्य नव–नियुक्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं के लिए प्रबोधन पाठ्यचर्या को तैयार करना, आयोजित करना, क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी तथा मूल्यांकन करना, सेवारत अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यचर्या आयोजित करना तथा वरिष्ठ प्रशासकों, विभाग प्रमुखों, प्रधानाचार्यों, अधिकारियों आदि के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं को जिन्हें वि.अ.आ., अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत शामिल किया गया है, यद्यपि, वे धारा 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु उपयुक्त नहीं हैं, प्रबोधन कार्यक्रमों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। कॉलेज के अध्यापक जो धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते हैं किन्तु जो कम से कम दो वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, को कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाए। पुष्टि के लिए उपस्थिति की एक शर्त होनी चाहिए और वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति हेतु इस पाठ्यक्रमों की भी गणना की जाएगी।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेना एक पूर्व–शर्त है। साथ ही, दोनों पाठ्यक्रमों के बीच एक वर्ष का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, यद्यपि, यदि पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी नहीं मिलते हैं या अध्यापकों के लिए कैरियर में प्रोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्तो को पूरा करना जरूरी है, तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

प्रबोधन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक परिवेश के प्रति जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता का गुण पैदा करना तथा अपने सामर्थ्य की पहचान करना है। यह प्रबोधन कार्यक्रम चार सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें न्यूनतम 24 कार्य दिवस (रविवार को छोड़कर) और 144 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। पुनश्चर्या पाठयक्रम की अवधि 3 सप्ताह होगी तथा न्यूनतम 18 कार्य दिवस की होगी और 1 सप्ताह (रविवार छोड़कर) तथा 108 संपर्क घंटे (एक दिन में 6 घंटे) होंगे। यदि कोई प्रतिभागी किसी कार्यक्रम में अपेक्षित कान्ट्रेक्ट घंटे पूरा करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित ए.एस.सी. के किसी अन्य कार्यक्रम में अपनी कीमत पर बकाया घंटों को पूरा करने की अनुमति होगी।

किसी ऐसे संस्थान, जो कम से कम दो वर्ष में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, में तीन शैक्षणिक सत्र में पढ़ाने वाले अंशकालिक/तदर्थ/अस्थाई/कंट्रेक्ट अध्यापकों को अपना कौशल बढ़ाने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रत्येक अकादमिक स्टॉफ कॉलेज एक वर्ष में प्रधानाचार्य/प्रमुखों/डीन/ अधिकारियों की एक या दो बैठकें आयोजित करेगा ताकि उन्हें दर्शनशास्त्र और प्रबोधन कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या कोर्सो से परिचित कराया जा सके, अध्यापकों की तैनाती हेतु राजी किया जा सके, पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी नई भूमिकाओं को समझ सके तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंध प्रणाली में समुचित संशोधन के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार ला सके।

fo-v-vk-],-, l-l h- dk 'kr&ifr'kr foÙkh; lgk;rk inku djrk gA ,-, l-l h- lgk;rk tkjh j[ku gr mld dk;dj.k dh le;≤ ij leh{kk dh tkrh gA e[; lgk;rk bl idkj inku dh tk;xh %&

- **oru & okLrfod vk/kkj ij**
- **iLrd & 1-00 yk[k :i; ifro"k**
- **midj.k & 1-00 yk[k :i; ifro"k**
- **dk;kRed 0;; & 5-00 yk[k :i; ifro"k dh ,de'r jkf'k**

bld vfrfjDr] foKkuÙkj fo"k;k e iR;d iu'p;k ikB;Øe gr 30]000@&:-]foKku fo"k;k e iR;d iu'p;k ikB;Øe gr 40]000 gtkj :i; rFkk vfrfjDr dk;kRed lc/kh 0;; d :i e iR;d ick/ku dk;Øe gr 30]000@&:i;] inku fd; tk;xA

वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए बजट आबंटन के प्रति, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को जो अनुदान जारी किए गए, जितने पाठ्यक्रम अनुमोदित किए गए तथा जितने पाठ्यक्रम संचालित हुए उनकी अनुमानित संख्या तथा लाभान्वितों की संख्या–निम्न तालिका में विस्तारित की गई है :–

cTkV vkcVu ¼djkM :i;½ e½	**tkjh fd;k x;k vuqnku ¼djkM :i; e½**	**dk;Øe@ikB;Øe tk ,-,l-l h-@vkj-l h- d fy, vuekfnr g,**	**lpkfyr dk;Øe ikB;Øek dh l[;k ¼vuekfur½**	**ykHkkfUork dh l[;k**
30.00	39.83	330. ओ.पी*	320	लगभग 40,000 शिक्षक
		990-आर. सी.	710	
		265 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	260 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	पुरूषः –22000 महिलाएंः–18000

*ओ.पी.–पुनश्चर्या पाठ्यक्रम,

*आर. सी.–प्रबोधन कार्यक्रम

5-9 jktHkk"kk ¼fgUnh½ dk c<kok nuk

केन्द्रीय सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा /कामकाजी भाषा घोषित किया और केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ''राजभाषा प्रकोष्ठ'' स्थापित करने का निर्देश दिया।

राजभाषा अधिनियम का पालन करते हुए वि.अ.आ. ने आरंभ में एक राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया था, जो 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया। नीति के अनुसार अनुभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करना।
- राजभाषा के प्रयोग के लिए जागरूकता पैदा करना और सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के प्रगामी अनुपालन को तेज करना।
- हिन्दी में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने और भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट करना ।
- सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना।
- निबंध प्रतियोगिता, वाद–विवाद, श्रुतलेख, हिन्दी टाइपिंग और प्रारूपण/टिप्पण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रतिवर्ष, हिन्दी पखवाड़ा (1 से 14 सितम्बर) के दौरान हिन्दी दिवस मनाना।
- राजभाषा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
- वि.अ.आ. के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, पूर्व संसद सदस्य डॉ0 वाई. लक्ष्मी प्रसाद की अध्यक्षता में 16–9–2011 को एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था । अभी तक समिति ने दस विश्वविद्यालयों का दौरा किया है (नौ केन्द्रीय और एक मानित विश्वविद्यालय) सरकारी काम–काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के दिशा–निर्देश जारी किए हैं ।

समिति ने हिन्दी में किए गए कार्य की तिमाही प्रगति की समीक्षा भी करती है और कार्यालय में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देती है । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को संप्रेषित किए गए/संप्रेषित किए जा रहे सभी स्वीकृत पत्रों में उन्हें राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 के अनुसरण में अनुवर्ती कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं ।

हिन्दी में कार्य करने के लिए समय–समय पर सभी कंप्यूटरों में हिन्दी फोंट उपलब्ध और लोड कराया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट को द्विभाषा में अद्यतन किया जा रहा है । वार्षिक रिपोर्ट, निविदा सूचनाएं, परिपत्र और विज्ञापन दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं ।

वर्ष 2010–11 के दौरान, वि.अ.आ. में वि.अ.आ. कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजन/ प्रतिस्पर्धाएं संचालित की गईं :

- 'क' और 'ख' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
- 'ग' और 'घ' वर्ग के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता
- 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता

- कर्मचारियों के लिए प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता
- कर्मचारियों के लिए टंकण प्रतियोगिता
- 9 सितम्बर, 2010 को हिन्दी दिवस मनाया गया ।
- 1 से 14 सितम्बर, 2010 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया ।

गैर हिन्दी भाषी राज्यों के 20 विश्वविद्यालयों के लिए हिन्दी विभाग की स्थापना/उन्नयन के बारे में स्वीकृति भेज दी गई थी और साथ ही हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए 50000/– रु0 और प्रत्येक विश्वविद्यालयों के लिए गोष्ठी/सम्मेलन आयोजित करने के लिए 50000/–रु की स्वीकृति के बारे में भी बताया गया । अभी तक केवल दो विश्वविद्यालयों, मनोनमनिअम सुन्दरनर विश्वविद्यालय और श्री चंद्रशेखर सरस्वती विश्वविद्यालय को अनुदान दिया गया है।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, गैर हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों से जहां अभी तक हिन्दी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है ।

5-10 f}i{kh; lkLdfrd vkj fofue; 'kf{kd fofue; dk;Øe

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2010–11 में 44 देशों के साथ मिलकर शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को संचालित किया गया।

वर्ष 2010 के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के **19 fon'kh Ldkyjk** की मेजबानी की और अवधि के दौरान विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत **63 Hkkjrh; Ldkyjk** को विदेश भेजा गया।

वि.अ.आ. ने उच्च शिक्षा सूचना विनिमय हेतु निम्नलिखित विदेशी शिष्टमंडलों की आगवानी की :–

आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल	27–04–2010
यूरोपीय यूनियन प्रतिनिधिमंडल	14–08–2010
न्यूजीलैंड प्रतिनिधिमंडल	20–09–2010
डी.एफ.जी. प्रतिनिधिमंडल–जर्मनी	04–11–2010
नीदरलैण्ड प्रतिनिधिमंडल	08–02–2011
स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल	22–02–2011

• ;thlh&Vhd ekjh'kl le>krk %

यूजीसी एवं तृतीय शिक्षा आयोग, मारीशस के चौथे कॉन्सार्शियम समझौते के अन्तर्गत वर्ष 2009 में **3** भारतीय विद्वानों द्वारा मारीशस का दौरा किया गया तथा **8** मारीशस विद्वानों ने भारत का दौरा किया गया।

दिनांक 4 मार्च, 2010 को यूजीसी एवं तृतीयक शिक्षा आयोग, मारीशस के मध्य पाँचवे कॉन्सार्शियन समझौता पर हस्ताक्षर किये गए (2010–2012) इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ विद्वानों के परस्पर विनिमय का प्रावधान भी था।

❖ पाँचवें कॉन्सार्शियन समझौते के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा 24 भारतीय विद्वानों को मारीशस का दौरा करने के लिए नामित किया, मारीशस द्वारा 10 भारतीय विद्वानों का चयन किया गया।

❖ पाँचवें कॉन्सार्शियन समझौते के तहत यूजीसी को मॉरीशस से 6 नामांकन प्राप्त हुए हैं एक नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, शेष विचाराधीन हैं।

- **fon'kh Hkk"kk f'k{kd**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहयोगात्मक कार्यक्रम बनाए हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ही विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक प्रदान करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित आधारभूत अवसंरचना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में **22 fon'kh Hkk"kk f'k{kdks** की नियुक्ति की गई थी। भाषा–वार शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जर्मन–3, पुर्तगाली–2, स्पेनी–10, हंगेरियाई–1,अफगानी–1, क्रोशियाई–1, बुल्गेरियाई–1, रोमानिया–1, चेक्–1, पॉलिश–1.

- **v/;rkof`Ùk;k vkSj Nk=of`Ùk;k**
- **teZu vdknfed fofue; lsok ¼Mh,,Mh½**

डीएएडी के अध्यक्ष प्रो. थियोडोर बरचेम और वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात के बीच 30.10.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

I. oKkfud fofue; dk;Øe : इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 10 वैज्ञानिकों का मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विनिमय होगा और दोनों देश आपस में मिलकर विशेष विषयों को चुनने का अधिकार निर्णय लेगें। विनिमय की अवधि 2 सप्ताह से कम और 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस अवधि के दौरान 4 आयोजक संस्थाओं का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक देश को अपने मेहमान वैज्ञानिकों का यात्रा खर्च वहन करना होगा। **fo-v-vk- us Ng oKkfudks dks ukekafdr fd;k gS ftuesa ls ,d nkjk Mh-,-,Mh- izkf/kdkfj;ksa }kjk 2009 esa Lohd`r fd;k tk pqdk gSA**

II. 0;fDrxr fofue; dk;Øe ¼ihbZih½ % जर्मन अकादमिक विनिमय कार्यक्रम (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने नई दिल्ली में स्कॉलरों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है और यह मुख्यतः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेगा। युवा पी.एच.डी और डॉक्टर की डिग्री धारक वैज्ञानिकों और स्कॉलरों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम 2008 में शुरू हुआ। **o"kZ 2010 esa 5 Hkkjrh; Ldkyjksa rFkk 8 teZu Ldkyjksa }kjk bl dk;Øe ds vUrxZr mudh nkSjs lEiUu gq, FkA**

III. nf{k.k&,f'k;kbZ vkSj Hkkjrh; laLFkku % जर्मनी ने भारतीय वैज्ञानिकों को वर्ष 2008–09 के लिए हैंडलबर्ग में दक्षिण–एशियाई संस्थान में काम करने हेतु दो–तीन माह की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक अवार्ड दिया है। **fo-v-vk- us 2010 esa 2 Ldkyjksa ds uke Hkstsa gSa vkSj muesa ls 1 Ldkyj dks nf{k.k&,f'k;kbZ laLFkku] gSMycxZ us pqu fy;k gSA**

Hkkjr Ýkal lkaLd`frd dk;Øe ds rgr lekt oKkfud fofue; dk;Øe %

प्रत्येक वर्ष यूजीसी, भारत–फ्रांस समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेरिस जाने के लिए नामित करता है ताकि स्लॉटों स्थानों का लाभ उठाया जा सके जिनको फ्रेंच पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010 के लिए फ्रांस का दौरा करने के लिए 5 विद्धानों को नामांकित किया गया था। **Ýp i{k }kjk lHkh ukekdu Lohdkj fd;s x, FkA bl d cnys e o"k 2010 d nkSjku 5 Hkkjrh; fo)kuk u Ýkl dk nkSjk fd;kA bl dk;Øe d vUrxr 5Ýp fo)kuk u Hkh Hkkjr dk nkSjk fd;kA lHkh nkSj lQy jg A**

lkdZ dk;Øe d vUrxr lkdZ n'kk e lkdZ v/;srkofÙk;k@ Nk=ofÙk;k¡ %

बांग्लादेश सरकार द्वारा सार्क देशों के लिए बंगलादेश में अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु सार्क चेयर के लिए–नामांकन आमंत्रित किये थे। वर्ष 2010 के लिए प्राप्त आवेदनों को सार्क सचिवालय भेज दिया गया है ।

- **dkeuoYFk vdknfed LVkQ v/;srkofÙk;k %**

प्रत्येक वर्ष, यू.के.के राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के.के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें।

o"k 2010 d fy, ;w-d-d-jk"VªeMy fo'ofo|ky; l?k }kjk ,slh v/;srkofÙk;k dh l[;k ?kVkdj 75 dj nh xbZ gA rnuqlkj ;wthlh }kjk v/;srkofÙk;k¡ d fy, 75 f'k{kdk dk vuq'kfalr fd;k x;k FkkA bue ls] ;w-d- jk"VªeMy fo'ofo|ky; l?k }kjk fu"d"k :i ls 29 Ldkyjk dk jk"VªeMy vdknfed LVkQ v/;srkofÙk;k&2010 d vUrxr p;fur fd;k gA

- **jk"VªeMy LifyV lkbV Nk=ofÙk;k %**

वर्ष 2010 के दौरान राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यू.के. में 14 ऐसे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो कि भारत में डॉक्टोरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं और जो यू.के.में एक वर्षीय पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं।

fo-v-vk- u mudh fy, 14 Ldkylk dk ukekfdr fd;k x;k rFkk ;w-d- d jk"VªeMy fo'ofo|ky; l?k }kjk LifyV lkbV Ldkyjf'ki 2010 d vUrxr 4 Ldkylk dk p;u fd;k x;kA

- **dyD'ku vkQ lksl efVjh;y Ldhe d vrxr f'k{kdk dk fon'k e nkSjk dju d fy, ;k=k vuqnku %**

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को स्त्रोत सामग्री एकत्र करने/ अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत–प्रतिशत यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं स्कॉलरों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के अनुरक्षण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। वर्ष 2010 के दौरान, इस योजना के अधीन 4 स्कालरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

- **bMk&fQuyM ljdkj Nk=ofÙk;k¡ %**

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्च शिक्षा संस्था या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। वर्ष 2010 के लिए आयोग ने 10 भारतीय स्कॉलरों फिनलैंड के दौरे के लिए को नामांकित किया था वर्ष 2011 में फिनलैंड दौरे के लिए फिनलैंड प्राधिकारियों द्वारा 10 में से 5 नामांकन स्वीकृत किए गए । भारतीय पक्ष को भी तीन फिनलैंड विद्वानों के नामांकन प्राप्त हुए थे और इनमें एक विद्वान के नाम को सीआईएमओ द्वारा पहले ही हटा दिया गया था और केवल दो नामांकन विचाराधीन है ।

bMk&gxfj;u b-b-ih- y?k@nh?kZ vof/k Nk=ofÙk %

वर्ष 2010 के लिए, **22** भारतीय स्कॉलरों को **¼13 nh?kZ ,oa 9 y?kq vof/k½** हंगरी में जाकर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए तथा अपने समसामयिकों के साथ विषयों पर अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में विचार–विमर्श करके नामांकित किया गया। हंगरी पक्ष द्वारा दीर्घकालिक (9), लघु अवधि (7) के अंतर्गत भारतीय विद्वानों के दौरों को स्वीकार किया गया । **fd, x, 22 ukekdu esa ls 6 ukekdu dks jn fd;k x;k gS A ,d gxjh ukekdu Lohdkj fd;k x;k vkj ikp vU; fopkjk/khu gSA**

- ## bMk&cqyxfj;u lh-b-ih- %

बुलगेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सेमिनार में वि.अ.आ. ने **4** स्कॉलरों को नामित किया जो **17 tqykbZ ls 6 vxLr] 2011** 'सैंट क्लीमेंट ओरिस्की' तथा 01 अगस्त से 20 अगस्त, 2011 तक संेटसिरिल और सेंर मेथोडिस यूनिर्सिटी ऑफ वेलिकों टूरनोवो द्वारा आयोजित किया गया था।

- ## lkekU; lkLdfrd fofue; dk;Øe

सामान्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्श 2010–11 में 12 भारतीय स्कॉलरों को दक्षिण अफ्रिका का दौरा करने के लिए नामांकित किया गया । 12 में से एक दौरा प्रतिफलित हुआ, वर्ष 2010–11 के दौरान दो भारतीय स्कॉलरों ने मिस्र का दौरा किया था और एक भारतीय स्कॉलर ने सऊदी अरब का दौरा किया था ।

vkjHk fd, x, u, dk;Øe

;w-ds-vkb-bZ-vkj-vkbZ-% समझौते ज्ञापन का उद्वेश्य, जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2011 के लिए 2 वर्षों की अवधि के लिए ब्रिटेन भारत शिक्षा और शोध पहल (यूकेआईआरआई) के अंतर्गत कार्यकलापों के संयुक्त प्रचालन के संबंध में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच समझौता स्थापित करना है।

वर्ष 2010–11 के दौरान 15 भारतीय कुलपतियों ने ब्रिटेन का दौरा किया और 15 ब्रिटिश कुलपतियों ने भारत का दौरा किया।

Mh-,Q-th- % विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 20–10–2010 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और डीएफजी जर्मनी के बीच वैज्ञानिक सहयोग के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत विश्वविद्यालयों से नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

flg&vkckek % भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच शैक्षिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त सिंह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानों को सहायता प्रदान करने के तरीके पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसीसी) श्री अमृत खरे के बीच 19 मई, 2010 को चर्चा की गई थी ।

आयोग सिद्धांत रूप में कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रू0 अदा करने के लिए सहमत हो गया है ।

5-11 vuqla/kku rFkk f'k{k.k ds fy, ekuo lalk/ku ds fodkl gsrq jk"Vªh; f'k{kk ijh{kk ¼usV½

- ## ÁkDdFku

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएँ एवं कुछ विदेशी भाषाऍ भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा

अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर. एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। देश में फैले 74 केन्द्रों और 77 विषयों (प्रथम पेपर छोड़कर) में नेट आयोजित किया जाता है। विज्ञान के पांच मुख्य विज्ञान विषयों यथा रसायन विज्ञान, जांच विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान तथा पृथ्वी/वायुमण्डलीय महासागरीय/ग्रह विज्ञान में भी परीक्षा सी.एस.आई. आर. और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है तथा यह परीक्षाएँ जून तथा दिसम्बर के महीनों में की जाती है। जो उम्मीदवार, अनुसंधान करना चाहते है, उनके लिए कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) अधिकतम पाँच वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। वे उम्मीदवार, जो वि.अ.आ. नेट में जे.आर.एफ. के लिए उत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुसंधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जारी रख सकते हैं। वे सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र समझे जाएंगे।

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) एवार्ड की परीक्षा, 1984 से तथा लेक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा, भारत सरकार के अध्यादेश 22 जुलाई, 1988 के आदेशानुसार 1989 से प्रारंभ हुई। परीक्षाऍं, जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित है, उनको जे.आर.एफ. नेट परीक्षाऍं दिसम्बर, 1990 से लेकर जून, 1995 तक वि.अ.आ. – सी.एस.आई.आर. ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। ऐसे प्रत्याशी जो कि यूजीसी अध्येतावृत्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, वे (जे.आर.एफ.) यूजीसी नेट के अन्तर्गत परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक है तथा यूजीसी नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफ़ल जो जाते हैं –वे यूजीसी नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल हो जाते हैं– वे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों /संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। वे सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र माने जायेंगे। इसी प्रकार से ऐसे योग्यता वाले प्रत्याशी, जो कि सी.एस.आई.आर–यूजीसी संयुक्त नेट परीक्षा को मुख्य विज्ञान विषयों में सफ़ल कर लेते हैं वे जे.आर.एफ. प्रदान किए जाने के पात्र माने जाएँगे। प्रत्येक परीक्षा में इस योजना के तहत यूजीसी 1200 अध्येतावृत्तियों का अवार्ड करता है ।

यूजीसी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा यूजीसी नेट की अध्येतावृत्तियों की संख्या जो पहले लगभग 2000 थी, इसे अनुमानित तौर से 3200 तक प्रति परीक्षा बढ़ा दिया गया। इसे जून, 2010 की परीक्षा से प्रभावी माना गया। जून 2010 में जो यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी, उसमें 3242 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2010 के दौरान हुई परीक्षा में 3238 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र माना गया।

• ;thlh&uV e vkjHk fd, x, uokpkj vkj l/kkj

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंप्यूटर स्वचालन के माध्यम से एनईटी के लिए आवेदन करने और एनईटी प्रमाणपत्रों को तैयार करने और प्रेषित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनेक उल्लेखनीय उपाय किए गए हैं ।

i- vkonuk dk vkuykbu tek djuk vkjHk fd;k tkuk

अनुदान आयोग ने यूजीसी–एनईटी जून, 2010 से केन्द्र–वार और विषय–वार अनुक्रमांकों को स्वचालित तैयार करने सहित यूजीसी–एनईटी के लिए आवेदन पत्रों को शत–प्रतिशत आन–लॉईन पंजीकरण और भरने की प्रणाली को सफलतापूर्ण आरंभ किया है । इससे उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों और प्रवेश पत्रों पर अनुक्रमांक अंकित करने में मानवीय भूल को हटाने में एक क्रान्तिकारी कदम रहा । सभी पंजीकृत उम्मीदवारों सहित उनकी उपस्थिति की मैनुअल डाटा एन्ट्री की प्रथा में त्रुटियों को भी समाप्त कर दिया गया है । पिछले दो परीक्षाओं में यह प्रक्रिया काफी सफल रही है ।

ii- ;thlh&,ubVh gr fofHkUu b&ekM;yk dk vkjHk djuk

(i) b&iek.ki= tkjh djuk

वि.अ.आ. (यूजीसी) के एनईटी ब्यूरो की प्राथमिकता यह है कि वि.अ.आ. एन.ई.टी. में सफल हुए उम्मीदवारों को ई–प्रमाणपत्र जारी की शुरूआत करने वाली पहली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लेने वाला निकाय है । 3 मार्च, 2011 को एक ऐतिहासिक दिन था जब माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने ई–मेल पत्रों के माध्यम से जून, 2010 में हुई यूजीसी एनईटी में सफल हुए कुछ उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसरशिप के ई–प्रमाणपत्र जारी किए गए । माननीय मंत्री द्वारा सफल उद्घाटन के पश्चात् यूजीसी–एनईटी जून 2010 और दिसम्बर 2010 के ई–प्रमाण पत्रों को पहले ही जारी किया जा चुका है। ई–प्रमाणपत्रों की ऑटो–डिलवरी के माध्यम से, सफल उम्मीदवारों को प्रमाणपत्रों के भेजने में होने वाले विलंब में कमी आयी है ।

(ii) b&iek.ki= e QkVk ’kkfey djuk vkj t-vkj-,Q- vokM i=

जाली उम्मीदवारों की संभावना को रोकने के लिए ई–प्रमाणपत्र और जे.आर.एफ. अवार्ड पत्र में उम्मीदवार के फोटो को शामिल किया गया है ।

(iii) b&iek.k i= lR;kiu ekM;y

सफल एन.ई.टी. उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की वास्तविक नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए । यह माड्यूल नियोक्ता अर्थात विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों को आन लाईन माड्यूल के माध्यम से उम्मीदवारों की प्रमाणिकता की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है । इस माड्यूल में नियोक्ता एनईटी ब्यूरो की सरकारी वेबसाइट पर उपलबध सत्यापन का प्रारूप भरना होता है, उम्मीदवार के ब्यौरे में अनुक्रमांक, यूजीसी संदर्भ संख्या, ई–प्रमाण पत्र संख्या और जन्म तिथि और नियोक्ता की सूचना अर्थात संगठन का नाम, संपर्क ब्यौरा आदि शामिल है । सत्यापन हेतु ऑनलॉइन निवेदन प्राप्त करने के पश्चात् सॉफ्टवेयर स्वतः ही उम्मीदवार की प्रमाणिकता की जांच करता है और ई–मेल तथा साथ ही डाक के माध्यम से सत्यापन प्राधिकार को उत्तर भेज दिया जाता है ।

- **uV e fu"iknu**

यूजीसी नेट के अन्तर्गत जितने भी प्रत्याशियों ने परीक्षा दी है, पंजीकरण कराया है तथा लेक्चरशिप एवं जे.आर.एफ पात्रता परीक्षा को सफ़ल किया है उनका एक समग्र विवरण निम्न तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है:–

rkfydk&A % o"k 2010&11 d nkjku ijhdr g,] ijh{kk e cB rFkk mRrh.k g, vH;fFk;k dk fooj.k %&

fo-v-vk- & uV		ijhdr ijh{kk e cB		mRrh.k		
			l[;k	ijhdr dk ifr'kr	l[;k	çfr’kr
जून, 2010	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	280483	189863	67-69%	7233	3-81%
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	159788	112888	70-65%	3242	2-87%

दिसम्बर, 2010	लेक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) पात्रता	**324468**	**227544**	**70-13%**	**12927**	**5-68%**
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ. सहित)	**201066**	**148540**	**73-88%**	**3238**	**2-18%**

तालिका II से लेकर तालिका V के अंतर्गत ऐसे प्रत्याशियों की श्रेणीवार, लिंग–वार बनाम श्रेणीवार संख्या जो कि यूजीसी नेट परीक्षा में, सहायक प्राध्यापकी पात्रता तथा जे.आर.एफ. के पिछले वर्ष हुए दो परीक्षणों में बैठे थे–उनका ब्यौरा इन तालिकाओं में प्रस्तुत है। तालिका VII के अंतर्गत सीएसआईआर–यूजीसी नेट की संयुक्त परीक्षा में पात्रता को भी दर्शाया गया है। यूजीसी नेट पात्रता परीक्षण केन्द्रों की एवं इन परीक्षणों के विषयों की सूची क्रमशः **l;yXud** XVI एवं **l;yXud** XVII में दर्शायी गयी है।

rkfydk&VI lh,lvkbvkj&;wthlh l;Dr uV ik=rk ijh{kk e çR;kf'k;k }kjk fu"iknu

lh,lvkbvkj& ;wthlh l;Dr uV ijh{kk'kk/kofÙk	**mRrh.kZ Nk=k dh l[;k**			
	;wthlh dfu"B	**lh,lvkbvkj dfu"B 'kk/kofÙk 'kk/kofÙk**	**doy lgk;d lh,lvkbvkj dfu"B**	**doy lgk;d ik/;kid in grq ¼dfu"B 'kk/kofÙk lfgr½**
tu] 2010	**1200**	**1227**	**2125**	**4552**
fnlEcj] 2010	**1200**	**1262**	**2264**	**4726**

वर्ष 2010–2011 के दौरान यूजीसी–एनईटी और एनईटी ब्यूरो के अन्य सभी कार्यकलापों के संचालन पर 13.86 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । इसमें एनईटी ब्यूरो में तैनात नियमित यूजीसी कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर किया गया व्यय शामिल नहीं है ।

- **,ubVh e ;kX;rk iklr mEehnokjk dh l[;k dk c<ku d fy, ;wthlh }kjk mBk, x, dne**

सहायक आचार्यत्व और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति की पात्रता हेतु योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए दो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं अर्थात्, परीक्षा–1 और परीक्षा–2 को जून, 2010 से आयोजित यूजीसी–एनईटी से नेगेटिव मार्किंग बंद कर दी गई । परिणामस्वरूप, योग्य उम्मीदवारों की संख्या दिसम्बर, 2009 में 3190 से बढ़कर जून, 2010 में 7233 हो गई।

इसके साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2008 से इसके द्वारा की गई कनिश्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की संख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि की है । यूजीसी–एनईटी में दी गई कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की दिसम्बर, 2007 तक की तत्कालीन अधिकतम संख्या को जून, 2008 यूजीसी–एनईटी से दो गुणा वृद्धि करके लगभग 1000 कर दिया गया । संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी–एनईटी में यूजीसी स्कीम के अंतर्गत कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या को जून, 2009 यूजीसी–एनआईटी से तदनुसार 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया । तदनुसार, जून 2009 और दिसम्बर, 2009 यूजीसी–एनआईटी में क्रमशः 2140 और 2116 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई । संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी

एनईटी में यूजीसी स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई कनिश्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या जो जून, 2009 तक 600 थी, को दिसम्बर, 2009 के संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी–एनईटी में बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था । तब से प्रत्येक संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी एनईटी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1200 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां दी जा रही हैं ।

यूजीसी–एनईटी के उम्मीदवारों को एक और उपहार मिला जब कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की संख्या जो दिसम्बर 2009 तक प्रति परीक्षा लगभग 2000 थी, को जून, 2010 में आयोजित यूजीसी–एनईटी से बढ़ाकर लगभग 3200 कर दिया गया था । परिणामस्वरूप जून, 2010 और दिसम्बर, 2010 यूजीसी/एनईटी में क्रमशः 3242 और 3238 कर दिया गया था।

- **detkj oxkZ d fy, 'kYd e fj;k;r**

भारत सरकार की नीति के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को यूजीसी–एनईटी के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है । जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भुल्क 450 रुपये है तो वहीं उन अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों जो मलाईदार परत (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है, के लिए यह केवल 225 रुपये है । अनुसूसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारें को केवल 110 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है ।

- **jkT; ik=rk ijh{kk ¼lsV½**

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 22.07.1988 के द्वारा जरिए दिए गए अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर वि.अ.आ. ने राज्य सरकार की **jkT; ik=rk ijh{kk ¼lsV½]** जिन्हें पहले राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, आयोजित करने की अनुमति दे दी जिससे उन्हें विधिवत वि.अ.आ. द्वारा नियम अवधि के लिए मान्यता दी गई। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि.अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों के लैक्चरारशिप की पात्रता के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. ने अब तक केवल लैक्चरारशिप के लिए एस.ई.टी. के आयोजन के लिए निम्नलिखित राज्यों/समूहों को मान्यता देने की मंजूरी दी है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और उनके प्रत्यायन का निर्धारित अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ. नेट ब्यूरो के प्रमुख सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षक के लिए किया जाता है।

जिन उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिसका वि.अ.आ. द्वारा लैक्चरारशिप के लिए 1 जून, 2002 से पूर्व प्रत्यायन किया हो, को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। **tu] 2002 e ;k mlds ckn vk;kftr gksus oky lfufʼpr lsV e ikl gksu oky mEehnokj jkT; l lcf/kr dsoy mUgh foʼofo|ky;k@egkfo|ky;k e yDpjkj d in d fy, vkonu dju d ik= gkx tgk l mUgksu viuk lsV ikl fd;k gksxkA** तथापि, ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र भी होंगे, यदि वे ऐसा चाहें तो।

पिछले वर्ष निम्न राज्यों/राज्य समूहों द्वारा सफलतापूर्वक सेट का संचालन किया :–

(i) गुजरात

(ii) हिमाचल प्रदेश

(iii) जम्मू और कश्मीर

(iv) महाराष्ट्र और गोवा

(iv) उत्तर पूर्वी राज्य (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)

(v) पश्चिम बंगाल

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को सम्बंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।

5-12 ;k=k vuqnku

वि.अ.आ. ने कालेज के शिक्षकों, कुलपतियों लाइब्रेरियनों तथा उच्च शिक्षा प्रबंधन से संबद्ध अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान कार्यों के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके यात्रा अनुदान स्कीम प्रारंभ की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थायी कालेज अध्यापक/कालेज लाइब्रेरियन/कुलपति/आयोग के सदस्य/वि.अ.आ.के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने अनुसंधान पत्र प्रस्तुत कर सकें। कालेज अध्यापकों/लाइब्रेरियनों/वि.अ.आ. के अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा सेवानिवृत्ति की आयु तक है तथा कुलपतियों तथा आयोग के सदस्यों के लिए आयु सीमा, उनके पद पर बने रहने तक होगी।

स्थायी/अध्यापकों/लाइब्रेरियनों को उनकी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, विदेशी मुद्रा भत्ता तथा अनुसंधान हेतु 3 वर्ष में एक बार शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुलपतियों, वि.अ.आ. सदस्यों, वि.अ.आ. अधिकारियों एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर संपन्न वर्ग) के शिक्षकों को 2 वर्ष में एक बार शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस स्कीम के तहत सहायता हेतु कोई भी आवेदन उस सम्मेलन के प्रारंभ होने से 2 माह पूर्व सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र भी साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाएगा जिसमें उसे अपना पत्र प्रस्तुत करना है। वर्ष 2010–11 के दौरान **590** कालेज अध्यापकों, **5** कुलपतियों तथा एक कॉलेज लाइब्रेरियन ने यह सुविधा प्राप्त की है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 3.62 करोड़ रूपये की राशि अनुसंधानकर्त्ताओं को भुगतान के रूप में व्यय की जा चुकी है।

5-13 vrfo'ofo|ky; dsUnz ¼vkbZ-;w-lh-½

वि.अ.आ., 1984 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (सीसीसी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अति आधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतया : लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक इसने ऐसे छह केन्द्र मुख्यत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सैंटर (आईयूएसी) नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- जो विश्वविद्यालय, आधार संरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वमान्य, समुन्नत, केन्द्रीभूत सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षिक संचार कंसोर्टियम (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय में विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में अथवा कार्यक्रम

तैयार करने में भी सहायक रहा है। देश में प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू सी आर) कार्यक्रम दूरदर्शन से 15 अगस्त, 1984 में प्रारंभ हुआ।यह उच्च शिक्षा संस्थाों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन केन्द्र (एनएएसी) के माध्यम से प्रत्यायित करवा रहा है । 31.3.2011 तक 161 विश्वविद्यालय और 4371 महाविद्यालयों को प्रत्यायित किया जा चुका था ।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र सूची, उनके विशिष्ट उद्देश्यों सहित निम्नलिखित सारणी में दी गई है :–

vrfo'ofo|ky; dUn rFkk mud mnns'; ¼ 2010&11

Ø-l-	uke	LFkkiuk o"k	mnns';
1.	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी) नई दिल्ली	1984	ऐक्सीलरेटर परक अनुसंधान
2.	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, (आईयूएसी) पुणे	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3.	अंतर्विश्वविद्यालय डीएई वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, (यूजीसी–डीएई–सीएसआर) इंदौर	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र(इन्फिलबनैट) अहमदाबाद	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का नेटवर्किंग
5.	शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम,(सीइसी) नई दिल्ली	1993	दूरदर्शन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना और ई–कंटेंट तथा एडूसेट कार्यक्रम चलाना वर्तमान में 10 दृश्य–श्रृव्य अनुसंधान केन्द्र तथा 7 शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केन्द्र विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित है।
6.	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) बंगलुरू	1994	उच्च ज्ञान अर्जन निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना

वर्ष 2010–11 के दौरान, बजट नियतन तथा प्रदत्त गैर–योजनागत एवं योजनेत्तर अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :

¼djkM :Ik;s e½

Ø-l-	dUn dk uke	;kstukxr		xSj&;kstukxr	
		ctV fu;ru	tkjh fd;k x;k vuqnku	ctV fu;ru	tkjh fd;k x;k vuqnku
1.	आईयूएसी, नई दिल्ली	22.00	22.00	19.70	17.17
2.	आईयूसीएए, पुणे	10.00	10.00	12.81	12.81
3.	यूजीसीडीएई,सीएसआर, इंदौर	24.65	24.65	11.61	11.61
4.	इंफ्लिबनेट, अहमदाबाद	–	–	4.11	3.03
5.	नैक, बंगलुरू	3.85	3.85	4.37	2.19
6.	सीईसी/मीडिया केन्द्र	1.30	1.30	24.70	23.59
	tkM	**61.80**	**61.80**	**77.31**	**70.40**

वर्ष 2010–11 के दौरान, बजट नियतन तथा प्रदत्त गैर–योजनागत एवं योजनेत्तर अनुदान का विवरण निम्न प्रकार हैः

- **fofHkUu vrj&fo'ofo|ky; dUnk dh e[; fo'k"krk,¡ % 2010&11**

5-13-1 bUVj ;fuofIVh ,DIhyjVj IUVj] ¼vkbl;l,Ih½] ubl fnYyh

- **,frgkfld i"BHkfe**

वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्यप्रणाली के अनुरूप स्वायत्तशासी संस्थानों के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूएसी) को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को सफल बनाने हेतु यूजीसी अधिनियम को संसद के माध्यम से संशोधित कराया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह था कि विश्वविद्यालयों की अध्ययन प्रणाली के अन्दर, ऐसी कुछ प्रमुख सुविधाएं जिनकी विश्वविद्यालयों व छात्रों आदि में भागीदारी है तथा जो अग्रिम स्तर के अनुसंधान कार्य हेतु वांछनीय हैं तथा अनुभव अन्य जितने विज्ञान विषय हैं उनमें मानव संसाधन विकास हो, जिस प्रक्रिया को क्रियाशील बनाने का इन केन्द्रों का लक्ष्य है। इन्टर–यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर केन्द्र ही ऐसा प्रथम केन्द्र है जिसे प्रथम अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे आइ. यू.सी. की दोहरी भूमिका है अर्थात् एक ओर अनुभव परक सुविधाओं के साथ–साथ विश्वकोटि के एक्सीलरेटर की स्थापना करना तथा पर्याप्त अवसंरचना का पर्याप्त रूप में सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में विद्यमान समुदाय द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय रूप से प्रतियोगितात्मक शोध कार्य का अनुसरण कर सकें। आरंभ से ही इस बात बल दिया गया था कि सामूहिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जाये तथा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं में तथा अन्य स्त्रोतों में विद्यमान समस्त सेवाओ ं के मध्य राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तरों पर यह सामूहिक क्रियाकलाप प्रोत्साहित हों।

- **y{; ,o e[; fo'k"krk,¡**

ऐसे केन्द्र का लक्ष्य यह है कि कुछ केन्द्रभूत विषयों में जैसे कि न्यूकिलयर मोती की, पदार्थो से जुड़ा विज्ञान, आणविक भौतिकी, विकिरण जीव विज्ञान आदि –इनमें विश्वस्तरी सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत एक्सीलरेटर आध ाारित शोध कार्य उपलब्ध कराया जा सके।

- **ctVh; vkcVu ,o fu"iknu ctV**

शीर्ष	वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान (रू.लाखों में)–2010–11	व्यय की गई राशि (रू.लाख में)–2010–11
गैर–योजनागत	1717.16	1877.30
योजनागत	2200.00	2141.66

- **y{; leg dk dojt**

जितने भी शोध छात्र है तथा देश भर में विद्यमान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो संकायों के सदस्य हैं–वे सभी लक्ष्य समूहों में हैं। वर्तमान में ऐसी सुविधाएं जो अर्न्तविश्वविद्यालय एक्सीलरेटर सेन्टर में हैं जो कि 421 प्रयोक्ताओं द्वारा तथा 83 विश्वविद्यालयों, 54 महाविद्यालयों एवं 63 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से हैं।

- **lEeyu vkj vU; egRoi.k vk;ktu**

वर्ष के दौरान केन्द्र पर विज्ञान के सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान पर **murhl** साप्ताहिक संगोष्ठियों, पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । अक्तूबर के महीने में इस केन्द्र पर मैटीरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग में स्विफ्ट हैवी आयन्स पर

एक अंतर्राश्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । केन्द्र द्वारा इंडियन पार्टिकल एक्सेलेरेटरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें विदेश के कुछ विशेषज्ञों सहित 375 से भी अधिक प्रतिभागी थे, केन्द्र पर नवोन्मेषी प्रयोगों पर **rhu** कार्यशालाओं और **rhu** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिसमें प्रत्येक में भारत भर से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से लगभग 20 शिक्षकवृन्द शामिल थे । आईयूएसी में किए गए कार्य के विषय में छात्रों और शिक्षकवृन्द की जागरूकता में वृद्धि करने हेतु कोट्टायम, मैसूर, अगरतल्ला और लखनऊ में परिचय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

- **vU; n’kk@vrjk"Vh; lxBuk d lkFk le>kr**

इस वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेटिरीयल साईंस, जापान के क्वेन्टम बीम केन्द्र के साथ पदार्थों में *आयन बीम मोडिफिकेशन* पर सहयोगात्मक कार्य के लिए संयुक्त परियोजना आरंभ की गई है ।

- **idk’kuk dh lph**

आईयूएसी में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप जर्नल में 67 प्रकाशन किए गए जिसमें से 18 नाभिकीय भौतिकी, 49 पदार्थ विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान तथा आण्विक भौतिकी के क्षेत्र में थी ।

- **dkbl vU; fooj.k**

पांच यूजर एक्सपेरीमेंट्स के सफल संचालन हेतु उच्चतर ऊर्जा की आयन बीम्स प्रदान करके सुपर कंडक्टिंग लाइनेक बूस्टर का लगातार ढाई माह से भी अधिक समय तक प्रचालन किया गया । आरबीएस सुविधा के साथ 1.7 मेगावाट का सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पेलेट्रान का लोकार्पण किया गया और उद्घाटन किया गया । यह एक ऐसी आधुनिक सुविधा है जिसकी देश में प्रयोक्ता समुदाय द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, भारत में पहली बार वॉर्म बोर क्रायोजन फ्री सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम के विकास का कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता से इस अकादमिक वर्ष में पूरा हो गया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है ।

फीनिक्स परियोजना के अधीन विकसित प्रयोगशाला उपस्करों का प्रयोग बढ़ रहा है और नए संस्करण इसमें जोड़े जा रहे हैं । अब यूएसबी इंटरफेस के साथ एक कॉम्पैक्ट गेइजर–मुलर काउन्टर और यूएसवी इन्टरफेस के साथ एक एक 256 चैनल का एमसीए उपलब्ध है । लोकप्रिय यू बुन्टू जी एन यू/लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित एक नई फीनिक्स लाईव सीडी बनाई गई है । फीनिक्स आधारित प्रयोगों को कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और उनको स्नातक तथा अधोस्नातक दोनों स्तर के अपने पाठ्यक्रमों/सिलेबस में शामिल किया गया है ।

5-13-2 bVj&;fuofl Vh lUVj Qkj ,LVkukeh ,.M ,LVkfQftDl ¼vkb;lh,,½] i.k ¼egkjk"V½

- **,frgkfld i"BHkfe**

1980 के मध्य में एस्ट्रोनामी और एस्ट्रोफिजिक्स (ए0 एण्ड ए0) भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए गए थे । जब प्रो0 यशपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे तो एक उन्नत केन्द्रीयक त स्थान जहां पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में जिसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक समझा गया था, में अनुसंधान और शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, स्थापित किए जाने की संकल्पना तैयार की गई थी । इस प्रकार आईयूसीएए की एक स्वायत्तशाासी उत्क भटता केन्द्र के रूप में सन् 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापना की गई थी और प्रो0 जयन्त वी. नार्लीकर को इसका संस्थापक निदेशक बनाया गया था ।

- **m}’; vkj e[; fo’k"krk,**

आईयूसीएए का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय क्षेत्र के ए एण्ड ए में शिक्षण, अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को आरंभ करने तथा पोशित और उनका विकास करने में मदद प्रदान करना है । अपनी स्वयं के कई अनुसंधान कार्यक्रम चलाने

के अलावा आईयूसीएए से क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने और भारत और पड़ोसी देशों में ए0ए0 क्रियाकलापों के लिए सामान्य मार्गदर्शन तथा मदद मुहैया कराना है । आईयूसीएए सदस्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एस्ट्रोसैट कार्यक्रम में भी शामिल है ।

उद्वेश्य की पूर्ति हेतु आईयूसीएए ने मूलभूत अनुसंधान के साथ–साथ अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें से कुछ कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:–

क) आईयूसीएए–एनसीआरए स्नातक विद्यालय

ख) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ग्री मकालीन कार्यशाला

ग) एसोसिएटशिप कार्यक्रम

घ) आईयूसीएए संसाधन केन्द्र

ड़) विद्यालय, कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करवाना

च) आईयूसीएए गिरवाली दूरबीन का प्रचालन करना

छ) दक्षिणी अफ्रीका की बड़ी दूरबीन में प्रेक्षण समय

ज) जनसाधारण तक पहुंच बनाने वाले कार्यक्रम आदि

आईयूसीएए परिसर में पुस्तकालय, इन्सट्रूमेन्टेशन प्रयोगशाला, कंप्यूटर केन्द्र, एक आभासी वेधशाला, शैक्षिक और अनुसंधान नेटवर्क (इरनेट), उच्च क्षमता संगणना, आई.यू.सी.ए.ए.–एन.सी.आर.ए. रेडियो फिजिक्स प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाएं मौजूद हैं।

- **Ykf{kr leg dk 'kkfey djuk**

वर्ष 2010–11 के दौरान आईयूसीएए में विदेशियों सहित लगभग 700 अतिथि आए जिनमें लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं थी। इसमें भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आने वाले शिक्षक और छात्र शामिल हैं। एसोसिएटशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 50 भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से 76 विजिटर एसोसिएट हैं, आईयूसीएए ने 45 विश्वविद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान कार्य शुरू किया है ।

- **vk;kftr dh xbZ dk;Z'kkyk,a] Ldwy vkSj lEesyu %**

वर्ष 2010–11 के दौरान आईयूसीएए ने 7 कार्यशालाओं और स्कूलों का आयोजन किया और आईयूसीएए में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 10 कार्यशालाओं और स्कूलों तथा आईयूसीएए के बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

- **vU; n'kk@vkrjk"Vh; lxBuk d lkFk djkj**

भारतीय खगोलशास्त्री भारत में आईयूसीएए गिरावली वेधशाला की तरह के मध्यम आकार की दूरबीनों का व्यापक रूप से प्रयोग करते रहे हैं । लगभग आधे प्रस्ताव भारतीय विश्वविद्यालयों के खगोलशास्त्रियों की तरफ से आने के कारण वेद्य–चक्रों (ऑब्जरविंग साइकिल्स) में काफी भीड़ है । इस रूचि और वेद्यात्मक खगोल विद्या के क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए 10 एम. टेलिस्कोप्स जैसी सुविधाओं की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है । आईयूसीएए ने एक अंतर्राष्ट्रीय कन्सोरटियम द्वारा संचालित साउदर्न एफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) के साथ गठबंधन किया है जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के ऑब्जर्वरों सहित आईयूसीएए के ऑब्जर्वरों को ऑब्जर्विंग टाईम का 6 प्रतिशत मिलता है ।

अडैप्टिव ऑप्टिक्स प्रोग्राम में आईयूसीएए इन्सट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी और कैलीफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए के बीच भी सहयोग का एक करार हुआ है । इसके अतिरिक्त आईयूसीएए ने गुरुत्वाकर्शण तरंग अनुसंधान जैसे आंकड़ा विश्लेशण, स्रोतों की सैद्धांतिक अनुकृति, और सिद्धांत और आंकड़ा विश्लेषण के इंटरफेस के क्षेत्र में जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ और जापान के साथ तारा उत्पत्ति क्षेत्र, इंटरस्टेलर मीडियम और खगोलीय पिण्डों में एस्ट्रोफिजिकल डस्ट का अध्ययन करने के लिए सहयोग संबंधी करार किया हुआ है ।

- **izdk'ku**

विभिन्न ख्यातिप्राप्त पत्रों में आईयूसीएए रेजीडेंट मेम्बर्स के सह लेखकत्व में 58 अनुसंधान पत्र प्रकाशित हुए हैं । विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों के 7 कार्यवाही सारांश और प्रो0 जे.वी. नार्लिकर के द्वारा लिखित/संपादित एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया है ।

5-13-3 ;w-th-lh-&Mh-,-b- dalksfVZ;e QkWj lkbafVfQd fjlpZ] bankSj ¼e-iz-½

- **bfrgkl ½**

यू.जी.सी., डी.ए.ई. कंसोर्टिअम फॉर साईंटिफिक रिसर्च, जिसे पहले इंटरयूनिवर्सिटी कंसोर्टिअम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एंटॉमिक एनर्जी फैसीलीटीज (आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1990 में एक समझौता ज्ञापन के आधार पर की गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो.एस.यशपाल और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.एम.आर. श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हुए थे। यू.जी.सी.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. के तीन केन्द्र, इन्दौर कोलकाता और मुम्बई में हैं तथा इसका मुख्य कार्यालय इंदौर में है। इस संस्थान के कार्यकलाप का क्षेत्र, वर्ष 2003 में व्यापक हो गया, जब उस समय दो संस्थानों द्वारा एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तथा उस समय आई.यू.सी.–डी.ए.ई.एफ. का नाम बदलकर यू.जी.सी.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. कर दिया गया। यू.जी.सी.–डी.ए.ई.–सी.एस. आर. नोड ने कल्पक्कम में गत वर्ष कार्य करना शुरू कर दिया।

- **y{;**

यू.जी.सी.–डी.ए.ई.–सी.एस.आर. के मुख्य लक्ष्य, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों को अति उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शोध छात्रों को पी.एच.डी. के लिए शोध कार्य में सहायता करना है। हमारे द्वारा अपने यहाँ 'इन–हाउस' उपलब्ध कराई गई तथा डी.ए.ई द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जो अत्यंत मंहगी है एवं जिनका संचालन एवं अनुरक्षण कठिन है, सामान्यतः विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

- **ctV**

वर्ष 2010–11 के लिए योजनागत और गैर–योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत निधियाँ क्रमशः 2464.57 लाख रूपये और 1161.00 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

- **yf{kr lewg**

सम्पूर्ण भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यापक और पी.एच.डी. के छात्र यूजीसी–डीएई–सीएसआर के अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहयोग शोध स्कीमों के अंतर्गत डीएई सुविधाओं एवं 'इन हाउस' सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में **140** से अधिक सीएसआर परियोजनाएं चल रही है और देश भर में फैले **200** विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग **700** अनुसंधानकर्त्ता अल्पकालीन आधार पर सुविधाओं का उपयोग करते हैं । प्रयोक्ताओं का बड़ा अनुपात महिला शिक्षकों एवं महिला अनुसंधान छात्राओं का है। पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उडीसा से उपयोगकर्ताओं

से कसोर्टियम में अनुसंधान सुविधाओं का लाभ उठाना है। लगभग **30** एम.एस.सी./एम.फिल विद्यार्थियों इस सहायता संघ ने अपने परियोजना कार्य पूरे किए। कंसोर्टियम के **5** छात्रों ने अपनी पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की जिसमें से **4** महिला छात्राएँ हैं।

- **lEesyu bR;kfn**

यूजीसी–डीएई सीएसआर ने न्यून तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र के साथ भौतिकी पर एक स्कूल; संघनित द्रव्य के प्रोब्स के रूप में न्यूट्रॉन्स पर और कन्सोर्टियम की सुविधाओं पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया ।

- **fo'k"k lfo/kk,¡**

सीएसआर ने साठ शहरों से प्रयोक्ताओं के साथ न्यून तापमान और उच्च चुम्बकीय क्षेत्र संबंधी सुविधाओं के उपयोग में एक बड़ी भूमिका अदा की है । यह विश्वविद्यालय प्रयोक्ताओं को पतली फिल्म बनाने और कैरेक्टराइजेशन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है । यह विश्वविद्यालय प्रयोक्ताओं को त्वरण आधारित विज्ञान और देश में अकेले न्यूट्रॉन और सिन्क्रोट्रॉन स्रोतों को उपलब्ध करवाता है ।

- **izdk'ku**

यूजीसी–डीएई–सीएसआर के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए शोध कार्य का प्रकाशन नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में किया जाता है और इस वर्ष **230** पत्र प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त यूजीसी–डीएई–सीएसआर वर्ष में दो बार *'सहयोग'* नाम के बुलेटिन का तथा संस्था की अकादमी गतिविधियों की एक *'वार्षिक रिपोर्ट'* का प्रकाशन करता है। इन प्रकाशनों के अद्यतन अंक एवं अन्य सूचनाएँ वेबसाइट www.csr.ernet.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

5-13-4 lpuk vkj xFkky; uVodl dUnz ¼bf¶ycuV½] vgenkckn ¼xqtjkr½

- **ikDdFku**

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र जो यूजीसी के अन्तर्गत है, उसका एक स्वायत्त संस्थान है, जो कि गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में स्थित हैं। इस केन्द्र की मुख्य सेवाओं को अकादमिक लाइब्रेरी एवं सूचना केन्द्रों के आधुनिकी करण, प्रशिक्षण एवं अकादमिक अनुसरणों के लिए प्रवृत्त। भारत वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के लिए यह केन्द्र एक केन्द्रक संस्था के रूप में कार्यरत है। यह केन्द्र मई,1996 यूजीसी के अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में एक स्वतंत्र स्वायत्तशायी संस्थान के रूप समस्त देश में अकादमिक एवं अनुसंधान कर्ताओं के मध्य विद्वता संबंधी संप्रेक्षण को प्रोन्नत करने के लिए एक मुख्य कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहा है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक गतिशील कारक होने के कारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के शैक्षिक समुदाय के लिए दो प्रमुख कार्य शुरू किए थे। (1)''यूजीसी–इन्फोनेट कनेक्टीविटी प्रोग्राम'' जो विश्वविद्यालय परिसरों को अत्याधुनिक कैम्पस वाइड नेटवर्क एवं इंटरनेट बैंडविड्य की नेटवर्किंग प्रदान करता है। (2)''यूजीसी–इन्फोनेट डिजीटल लाईब्रेरी कंसोर्टियम'' जो विभिन्न वि यों के चयनित विद्वतापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं एवं डाटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है। (3) शोधगंगाः– भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोधग्रंथों और पत्रों का डिजिटल संग्रहालय जो आईएनएफएलआईबीएनईटी केन्द्र पर स्थापित किया गया है और जो शोध विद्वानों के द्वारा शोध ग्रंथों और शोध पत्रों को ऑनलाईन रूप में प्रस्तुति करने में सहायता करता है; (4) ओपन जर्नल एक्सेस

सिस्टम(ओजेएएस)/आईएनएफएलआईबीएनईटी जो आईएनएफएलआईबीएनईटी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ओजेएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकवृन्द और शोधार्थियों को अपने ओपन एक्सेस जर्नल्स को शुरू करने में सुविधा प्रदान करता है । (5) पहुँच संबंधी प्रबंधन की प्रौद्योगकिया जो कि ई–संसाधन तक पहुँच बनाने के लिए प्रयोक्ताओं को सहायक होती हैं–बिना इस बात का विचार करते हुए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा अभी कुछ समय पूर्व ही एक परियोजना का शुभारंभ किया गया है जिसका शीर्षक है (6) "राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं संबंधी अवसंरचना जो कि विद्वत्ता विषयक है" (एन–लिस्ट) जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं पुस्तकों तक पात्र महाविद्यालय द्वारा पहुँच उपलब्ध कराई जा सकती है।

• mís';

संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) के अनुसार केन्द्र के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है :

- अध्येतावृत्ति प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं अकादमिक अनुसरण सहभागिता एवं संबद्व एजेंसियों के माध्यम से सम्प्रेक्षण सुविधाओं को प्रोन्नत करना एवं सूचना हस्तातरण में क्षमता में सुधार लाने के लिए जो पहुँच आवश्यक है उसके हेतु समर्थन प्रदान करें।
- सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क को स्थापित करना–तथा विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी सूचना केन्द्रों, राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों एवं अनुसंधान एवं अभिकल्पना संस्थानों में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को जोड़ना तथा अपने प्रयासों में आवृत्ति से बचना।
- इलेक्ट्रॉनिक मेल, मिसिल स्थानतरण, कम्प्यूटर/श्रव्य/दृश्य कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा वैज्ञानिकों, इंजीनियरो, सामाजिक वैज्ञानिकों, अकादमिक विद्वानो, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों के मध्य अकादमिक सम्प्रेक्षण को सुविधाजनक बनाना।
- सम्प्रेक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्क, सूचना क्रियान्वयन एवं आंकडों का प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में प्रणाली संबंधी रूपांकन एवं अध्ययन को आरंभ करना।
- सम्प्रेक्षण, नेटवर्क में उपयुक्त रूप से नियंत्रण एवं प्रणाली सर्वेक्षण करना तथा प्रबंधन को नियोजित करना।
- संस्थानों, पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों एवं भारत एवं विदेशों में स्थित संगठनों में इन केन्द्रों के लक्ष्यों से सापेक्ष उद्‌देश्यों के प्रति सहभागिता करना।
- इस केन्द्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्‌देश्य से ऐसी अनुसंधान एवं अभिकल्पना को प्रोन्नत करना जो कि तकनीकी पदों का सृजन करने के लिए सुविधाजनक हो सकती है।
- परामर्श एवं सूचना संबंधी सेवाए उपलब्ध कराकर राजस्व सृजन करना।
- उपरोक्त सभी लक्ष्यों अथवा किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी समस्त अन्य सारी बातें जो चाहे अनिवार्य हो, अथवा घटनावश हो अथवा इस प्राप्ति के लिए प्रेरक हो, ऐसे सभी कार्य करना।

• oKkfud vkj rduhdh fØ;kdyki

केन्द्र में विद्यमान जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी सक्षमता उपलब्ध है उन सबको अनेक कार्यकारी वर्गों में समाहित कर दिया जाता है जो कि केन्द्र के कार्यकलाप संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। जो प्रमुख शोध एवं विकास एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ हैं उनको उस आवश्यक सूचना के आधार पर एकत्र किया जाता है, जो कि शैक्षिक समुदाय से जुड़ी हुई है जिसके अंतर्गत छात्र संकाय एवं शोधकर्ता सम्मिलित हैं। केन्द्र द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान

विभिन्न कार्यकारी वर्गों द्वारा जो प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ हाथ में ली गई हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

- **डाटाबेस प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विकास समूह**

स्थापना से ही यह केन्द्र डाटा प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगा हुआ है तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकालय संसाधनों की केन्द्रीय सूची बनाने का कार्य शुरू कर चुका है। पुस्तकों का केन्द्र डाटा बेस तथा भागीदार विश्वविद्यालयों के चालू क्रमिक सीरियल, शोध प्रबंध, यह समस्त ही अन्तर्राष्ट्रीय के रूप में उपलब्ध हैं जिसे इन्डकैट भारतीय विश्वविद्यालयों का ऑन लाइन केन्द्र सूचीपत्र के नाम से जाना जाता है तथा केन्द्र द्वारा सृजित जो "इन्डकैट, ऑनलाइन भारतीय विश्वविद्यालयों की जो केन्द्र सूचीपत्र हैं वह केन्द्र की अनुशंसा के आधार पर वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय एवं संभार–तंत्रीय समर्थन के परिणाम स्वरूप ही है। यह "इन्डकैट" http://indcat.inflibnet.ac.in" पर विकसित इन हाउस इन्टरफेस के माध्यम से खोज की जा सकती है। द इन्डकैट इंटरफेस एमएमआरसी 21 प्रारूप सहित विभिन्न लोकप्रिय प्रारूपों में इन्डकैट से पुस्तकों के रिकॉर्ड को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है । इन्डकैट से डाउनलोड किए गए रिकॉर्ड को एसओयूएल सॉफ्टवेयर अथवा एमएआरसी 21 प्रारूप के अनुरूप किसी अन्य पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर को आयातित किया जा सकता है । "गुजकैट" एवं "नेरकैट"यह ऐसी यह ऐसी दो श्रेणियाँ हैं जो कि क्रमश : गुजरात राज्य एवं उत्तर –पूर्वी राज्यों में उपलब्ध पुस्तकों की ग्रंथ सूची से जुडे, रिकार्ड़ों का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक आईयूसी सीईसी के सहयोग से केन्द्र ने एक पोर्टल विकसित किया है जो शिक्षाप्रद टेलीविजन वीडियो कार्यक्रमों के बिबलियोग्राफीकल रिकॉर्ड्स और सीईसी द्वारा निर्मित एलओआर और इन्टकैट इंटरफेस के माध्यम से अपने मीडिया केन्द्रों तक पहुंच प्रदान करता है । यह इन्डकैट के प्रयोक्ताओं की किसी एकल इंटरफेस के माध्यम से दृश्य संसाधनों के सीईसी डाटाबेसों तक पहुंचने में सहायता करताा है । इंटरफेस ने उनके स्वयं के और विश्वविद्यालयों में 17 मीडिया सेन्टर्स द्वारा निर्मित दृश्य कार्यक्रमों के संबंध में सूचना का प्रचार प्रसार करने में सीईसी को सुविधा प्रदान की । इन्डकैट में उपलब्ध रिकॉर्डों की संख्या और उपर्युक्त डाटाबेस इस प्रकार हैः–

डाटाबेस का नाम	रिकॉर्डों की संख्या	संस्थानों की संख्या
पुस्तकें	1,19,13, 637	123
गुजकैट	11,01,233	15
नेरकैट	2,10,361	8
शोध प्रबंध	2,37,200	238
चालू क्रमिक जरनल	35,209	213
क्रमिक पुस्तकें (होल्डिंगस)	50,164	210
सी.ईसी. वीडीयो डाटाबेस	15,000	
विषय विशेषज्ञ	16,405	524
विषय विशेषज्ञ (एन.आई.एस.एस.ए.टी)	24,164	715
शोध परियोजनाएँ	13,701	यूजीसी, सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए. आर., डी.एस.टी. आदि

इन्फिलबनेट केन्द्र ने एक "ऑन लाईन कॉपी केटलॉग सिस्टम (ओसीएस)" नाम से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो इन्डकैट प्लेटफार्म की ऑनलाईन केटलागिंग को सुविधाजनक बनाता है । यह इंटरफेस निम्नवत

को सुविधा प्रदान करता है (एक) इन्डकैट (जिसमें 62 लाख पुस्तकों के अभिलेखों का ग्रंथवृत्तात्मक अभिलेख है) में उपलब्ध दस्तावेजों की सीधे ही सोल 20 साफ्टवेयर में प्रतिलिपि बनाता है । यह प्रक्रिया डाऊनलोड किए जा रहे ग्रंथ वृत्तात्मक अभिलेखों हेतु धारणीय सूचना को अद्यतन करती है (दो) किसी दस्तावेज हेतु नए अभिलेख का सृजन करता है जो इण्डकैट में उपलब्ध नहीं है और (तीन) पुस्तकों के ग्रंथ वृत्तात्मक अभिलेखों के साथ बड़ी संख्या में अपलोडिंग और डाऊनलोडिंग को सुविधा प्रदान करता है । कुछ विश्वविद्यालयों में अपने ग्रंथालयों में इंस्टाल्ड इन्डकैट और साथ ही सोल 2.0 में अपने अभिलेखों की केटॉलागिंग करने के लिए इस सुविधा का उपयोग करना आरंभ कर दिया है ।

इन्डकैट के अतिरिक्त, केन्द्र ने विषय विषेशज्ञों अनुसंधान परियोजनाओं, विश्वविद्यालयों की निदेशिका आदि का डाटाबेस विकसित किया है ।

• lkQVo;j vuqlU/kku vkj fodkl leg

सोल 2.0 सोल (सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज) का द्वितीय संस्करण है तथा देश में विस्तृत अध्ययन करने और उपयोगकर्त्ता समुदाय से गहन चर्चा करने के बाद इस अत्याधुनिक ग्रंथालय प्रबंधन प्रणाली को डिजाईन और विकसित किया गया है । यह सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे मार्क 21 का अनुपालन करता है और आंकड़ों के अंतरण और आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, बहु–भाषी विषय–वस्तु के रख–रखाव हेतु यूनीकोड आरएफआईडी अनुपालन हेतु एसआईपी और एनसीपी ग्रंथ वृत्तात्मक अभिलेख आदि हेतु कार्यात्मक आवश्यकताओं को सहायता देने के लिए एफआरबीआर आदि। सोल 2.0 को महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों तथा पब्लिक लाइब्रेरियों द्वारा काफी पसंद किया गया है। एक सदभावना के संकेत रूप में, केन्द्र ने इसके समस्त प्रयोगकर्ताओं के लिए सॉफ्टवेयर की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने की पेशकश की है। 31.3.2011 तक मौजूदा उपयोगकर्ताओं को साफ्टवेयर की 712 प्रतियां दी गई और 712 प्रतियां नए ग्रथालयों को बेची गईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस सॉफ्टवेयर की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। देश भर में 2306 व्यवस्थाओं में यह सॉफ्टवेयर प्रयुक्त है। केन्द्र ने अभी हाल ही में देशभर में प्रयोक्ताओं को बिक्री उपरांत रखरखाव सहायता उपलब्ध कराने हेतु भिन्न भिन्न प्रांतों में 7 सोल समन्वयक तथा 17 तकनीकी सहायक नियुक्त किए हैं।

• ;thlh&bUQkusV l;ktdrk dk;Øe

संयोजकता विश्वविद्यालयों को ई–संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं में से एक है । यूजीसी–इन्फोनेट संयोजकता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम, 1956 की धारा 12 ख के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों को इंटरनेट की संयोजकता उपलब्ध करवाई जा रही है । बेहद किफायती दरों पर विश्वविद्यालयों को उच्चतर और मापनीय इंटरनेट बैंडविड्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से आईएसपी के ईआरएनईटी इंडिया से बीएसएनएल में अंतरित हो जाने के बाद इस कार्यक्रम का यूजीसी इन्फोनेट 2.0 के रूप में पुनःनामकरण किया गया । नई योजना में 180 से भी अधिक विश्वविद्यालयों को फाइबर–ऑप्टिक लीज्ड लाइन पर 10 एमबीपीएस की इंटरनेट बैंड विड्थ प्रदान की जाती है । यूजीसी इन्फोनेट 2.0 बीएसएनल नेटवर्क की फाइबर बैक बोन जिसमें ओएफसी केबल और बीएसएनएल की उपस्थिति बिन्दु (पांइन्ट्स ऑफ प्रिजेन्स) केन्द्रों देशभर में फैले नेटवर्क आर्किटेक्चर का लगभग 614755 आर.के. एम शामिल है। आई.एन.एफ.एल. आई.बी.एन.ई.टी. बी.एस.एन.एल और विश्वविद्यालयों के बीच निगरानी और संपर्क सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । चूंकि यूजीसी इन्फोनेट 2.0 फाइबर बैक–बोन का उपयोग कर रहा है, इसने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) अवसंरचना जो सभी विश्वविद्यालयों को । जीबीपीएस की संयोजकता प्रदान करता है, स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है । 120 से भी अधिक विश्वविद्यालयों ने पहले ही एनकेएन/एनएमई–आइसीटी को अपना लिया है और 1 जीबीपीएस/120 एमबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ का लाभ उठा रहे हैं । राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाने पर यूजीसी इन्फोनेट 2.0 राष्ट्रीय

ज्ञान नेटवर्क में समाहित हो जाएगा अथवा परियोजना लाभार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा एन.के.एन. के बेहतर उपयोग हेतु किसी नए प्रारूप को अपना लेगा ।

• oc lok, vul/kku vkj fodkl leg

वेब सेवाएं अनुसंधान और विकास समूह ने अपने सभी प्रमुख कार्यकलापों और सेवाओं जैसे एसओयूएल सॉफ्टवेयर, इन्डकैट, यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम, यूजीसी इन्फोनेअ संयोजकता कार्यक्रम, शोधगंगा, ओजेएएस, एन –लिस्ट, इत्यादि के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र वेबसाइट्स आर.एस.एस. फीड इनेबल्ड हैं । केन्द्र अनेक इन्टेक्टिव और कोलाबरेटिव टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे आई.एन.एफ.एल.आई.बी.एन.ई.टी. टूल–बार, वाइकी, इनफलिबनेट ब्लॉग, आरएसएस, फीड्स, वीडियो गैलरी, चैट फॉर एसओयूएल यूजर्स इत्यादि के कार्यान्वयन के साथ ही वेब 2.0 और लाइब्रेरी 2.0 की दुनिया में प्रवेश कर चुका है । केन्द्र अपनी वेबसाइट्स के हिन्दी संस्करण भी प्रस्तुत करता है ।

➢ b&fjlkl euteV xi% ;thlh bUQkuV fMftVy ykbcjh dUlkfV;e

यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कन्सोर्टियम का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा दिसम्बर, 2003 में किया गया था। कन्सोर्टियम 7500 से भी अधिक पीयर–रिव्यूड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और यूनिवर्सिटी प्रेसों, विद्वानों के संगठनों, वाणिज्यिक प्रकाशकों और विभिन्न वि यों के संकलनकर्ताओं सहित 25 प्रकाशकों से 10 पुस्तकीय डाटाबेसों के वर्तमान प्रकाशनों तथा पुराने प्रकाशनों की सुविधा प्रदान करता है । कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया गया है । पहले चरण में जो वर्ष 2004 में शुरू हुआ था 50 विश्वविद्यालयों जिनको यूजीसी–इन्फोनेट संयोजकता कार्यक्रम के अधीन इंटरनेट की संयोजकता प्राप्त थी, को ई–संसाधन उपलब्ध करवाए गए । दूसरे चरण में वर्ष 2005 में 50 और विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया क्योंकि और अधिक विश्वविद्यालयों को यूजीसी–इन्फोनेट कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट की संयोजकता प्राप्त हो गई थी । अभी तक 191 विश्वविद्यालयों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परिधि में आते हैं, को सब्सक्राइब्ड ई–संसाधनों को डिफरेन्शियल पहुंच प्रदान की गई है । इन संसाधनों में कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन, गणित और सांख्यिकी, इत्यादि सहित लगभग सभी विषय अनुशासन शामिल थे । केन्द्र ने जेसीसीसी (जर्नल कस्टम कन्टेन्ट फॉर कन्सोर्टियम) के माध्यम से इंटर लाईब्रेरी लोन (आईएलएल) सुविधा भी प्रारंभ की है । जेसीसीसी द्वारा यूजीसी–इन्फोनेट डिटिजल लाईब्रेरी कन्सोर्टियम द्वारा मंगवाए जाने वाले पत्र पत्रिकाओं और इन्फलिबनेट केन्द्र के आईएलएल केन्द्रों के रूप में निर्दिष्ट 22 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा मंगाए जाने वाले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी लेखों तक लेख–स्तरीय पहुंच प्रदान करता है । वर्ष 2011 से प्रयोक्ता समुदाय की मांग के आधार पर दो नए संसाधन अर्थात एल्सेवियर की साइन्स डायरेक्ट और विले इंटर साइन्स जर्नल्स को भी इसमें शामिल किया गया ।

विश्वविद्यालयों में यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल लाईब्रेरी कन्सोर्टियम की सफलता के कारण उन विश्वविद्यालयों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परिधि में नहीं आते, तक भी कन्सोर्टियम के संसाधनों का विस्तार किए जाने की मांग उठी । निजी विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संस्थानों को कन्सोर्टियम द्वारा सब्सक्राइब्ड ई–संसाधनों की उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र ने वर्ष 2009 में एसोसिएट मेम्बरशिप प्रोग्राम शुरू किया है । इस योजना के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय और अन्य शोध संस्थान अपने आपको कन्सोर्टियम के ''एसोसिएट मेम्बर '' के रूप में नामांकित करवा सकते हैं और कन्सोर्टियम के माध्यम से अपनी पसन्द के संसाधनों को मंगवा सकते हैं । ई–संसाधनों का ग्राहक बनने की दरें वही हैं जो कन्सोर्टियम पर इसके प्रमुख सदस्यों पर लागू होती हैं । एसोसिएट सदस्यों से वार्षिक सदस्यता के रूप में एक सांकेतिक राशि ली जाती है । 89 से भी अधिक सदस्यों ने अपने आपको यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाईब्रेरी

कन्सोर्टियम के एसोसिएट मेम्बर के रूप में नामांकन करवाया है और वे कन्सोर्टियम के माध्यम से अपनी पसन्द के विभिन्न संसाधन मंगवा रहे हैं ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों से 500 छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं तथा संकाय सदस्यो के लाभ हेतु ई–संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए चार उपयोगकर्ता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था । गुजरात के विभिन्न भागों से 700 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इन्फिलबनेट केन्द्र का दौरा किया और केन्द्र के वाक–इन यूजर्स सुविधा का का लाभ उठाया और कन्सोर्टियम के तहत सबस्क्राईब्ड ई–संसाधनों से लगभग 45,000 लेख डाऊनलोड किये ।

- **u'kuy ykbczjh ,.M bUQkez'ku lfoZlst bUQkLVDpj QkWj LDkyjyh dUVsUV ¼,u0&fyLV0½**

केन्द्र ने वर्ष पहले आई.एन.डी.ई.एस.टी.–ए.आई.सी.टी.ई कन्सोर्टियम, आईआईटी दिल्ली के सहयोग से ''नशनल लाईब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कन्टेन्ट (एन. लिस्ट)'' नामक एक परियोजनाश शुरू की है । परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती हैः– (एक) दोनों कन्सोर्टियम, अर्थात विश्वविद्यालयों के लिए आई.एन. डी.ई.एस.टी. – ए.आई.सी.टी.ई. को संसाधनों का सब्सक्रिप्शन और तकनीकी संस्थानों के लिए यूजीसी–इन्फोनेट संसाधन, द्वारा मंगवाए जा रहे ई–संसाधनों का क्रॉस–सब्सक्रिप्शन; और (दो) 6000 महाविद्यालयों चुनिंदा ई–संसाधनों की उपलब्धता । एन–लिस्ट परियोजना इन्फल्बिनेट केन्द्र पर स्थापित प्रोक्सी सर्वर (सर्वर्स) के माध्यम से छात्रों, शोधार्थियों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को ई–संसाधनो की सुविधा प्रदान करता है । इन्फलिबनेट केन्द्र पर लगे सर्वर्स के माध्यम से अधिकृत प्रयोक्ताओं के रूप में विधिवत प्रमाणित जोन के बाद महाविद्यालयों से अधिकृत प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार ई–संसाधन सीधे ही प्रकाशक की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं और लेखों को डाउनलोड कर सकते हैं । परियोजना में 2141 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 55146 इलेकट्रॉनिक पुस्तकें और गणित तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकों के डाटाबेस शामिल हैं । नेचर को क्रॉस सब्सक्रिप्शन एक्सेस प्रदान करने के अंतर्गत प्रोजेक्ट म्यूज और एनुअल रिव्यूज तकनीकी संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं और वेब ऑफ साइंस 100 विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है ।

दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 12 (ख) और 2 (च) के अंतर्गत 1236 सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों सहित 1759 महाविद्यालयों ने अपना एन–लिस्ट कार्यक्रम के लिए नामांकन करवाया है । http://nlist.inflibnet.ac.in. पर स्थापित ई जेड प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से देशभर के सदस्य महाविद्यालयों के 1,32,834 से भी अधिक शिक्षकें, छात्रों और शोधार्थियों को लॉग–इन–आई.डी और पासवर्ड जारी किए गए हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एन–लिस्ट पर 10 प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे महाविद्यालयों के 1000 से भी अधिक छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों, पुस्तकालयाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों को लाभ पहुंचा। परियोजना को वर्ष 2010 में निम्नलिखित दो पुरस्कार प्राप्त हुएः– (एक) वर्ष 2010 का उच्च शिक्षा संस्थानों में आई.सी.टी. के माध्यम से डिजिटल लर्निंग की श्रेणी में ज्यूरी चॉइस अवार्ड–ई–इंडिया 2010 और (दो) व ा 2010 के लिए डिजिटल लर्निंग श्रेणी में मंथन साऊथ एशिया अवार्ड, 2010 ।

- **eqDr igqap okyk fodkl ,oa vuqla/kku leg %**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान केन्द्र की मुक्त पहुँच वाले अ. और वि. समूह ने दो नवीन परियोजनाओ को आरंभ किया हैः–

- **'kks/kxaxk % Hkkjrh; byDVªkfud 'kks/k izca/k ,oa 'kks/k fuca/k**

शोधगंगा एक ऐसी डिजिटल भण्डार है, जिसकी स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों के छात्रों /शोध विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों एवं शोध निबन्धों जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप वाला हो– उसको, विश्वभर में अकादमिक समुदाय की मुक्त पहुँच

में उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। यह भण्डार, यूजीसी द्वारा बनाये गये नियमनों (न्यूनतम मानक एवं विधि–एम. फिल/पी.एच.डी.डिग्री –2009 का प्रदान करने) के संदर्भ में इस भण्डार को स्थापित किया गया था। शोधगंगा वैबसाइट, ई.टी.डी. को ध्यान में रखते हुए, ऐसी समस्त सूचना को उपलब्ध कराती है–जो कि छात्रों के लिए शोध पर्यवेक्षकों एवं विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के लिए सापेक्ष है तथा जिनमें ऐसे समस्त व्यक्तियो के दायित्व, पहुँच संबंधी नीतियाँ प्रस्तुतीकरण प्रक्रियाएं, मेटाडाटा संरचना आदि सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालयों एवं इन्फ्लीबनेंट केन्द्र के मध्य जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने हैं, उसे विश्वविद्यालयों को भेजा जा रहा है ताकि गैर–अपवर्जक अधिकारों को मंजूरी दी जाये जिससे शोधगंगा में विषयवस्तु को केन्द्रित किया जा सके, तथा साथ ही उन सबंद्ध विश्वविद्यालयों के छात्रों के शोध प्रबंधों की गत मिसिलों का डिजिटकरण करने तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया की जाएगी।

शोधगंगा में अपने ईटीडी की प्रस्तुति के एकांतिक अधिकार प्रदान किए जाने के विश्वविद्यालयों ने इन्फलिबनेट केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने स्वैच्छिक आधार पर अपने शोध पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण रिपोजिटरी में प्रस्तुत किए हैं । अभी तक, 20 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने रिपोजिटरी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और 22 विश्वविद्यालयों ने इन्फलिबनेट केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । रिपोजिटरी में प्रस्तुत शोध पत्रों की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 1600 हो गई है ।

- **vkiu tuZy ,DlsI flLVe ¼vkstkl½**

इन्फलिबनेट केन्द्र में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम (ओजेएस) ओपन जर्नल सिस्टम (ओजास) जो शोध तक पहुंच का विस्तार करने और उसमें सुधार करने के लिए पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा अपने संघीय रूप में निधियन प्रयासों के माध्यम से विकसित किया गया एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है, का उपयोग करता है । ओजारू स्कॉलरली जर्नल्स का ऑनलाइन प्रबंधन और प्रकाशन करने के लिए तैयार किया गया है । यह एक अत्यंत लचीला संपादक द्वारा प्रचालित पत्र प्रबंधन और प्रकाशन पद्धति है और इसे रिकार्ड के रख–रखाव और संपादकीय प्रक्रियाओं में सुधार करते समय एक पत्र के संपादन से जुड़े लिपिकीय और प्रबंधकीय कार्यों में लगने वाले समय और उर्जा में कमी लाने के लिए तैयार किया गया है । ओजास/पाठ (नियोजित और अनियोजित) श्रव्य–दृश्य, रेखांकन और एनीमेशन इत्यादि और विषयवस्तु के लिए पाठ्य औजारों सहित बहु–प्रारूपों में विषयवस्तु के लिए भी सहायक होता है । इसका उद्वेश्य पत्र नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाने से इम्प्रूब्ड इन्डेक्सिंग तक के अनेक नवोन्मेशों के माध्यम से पत्र प्रकाशन की विद्वता और सार्वजनिक गुणवत्ता में सुधार करना । ओजास ओपन आर्काइव्य इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग (ओएआई–पीएमएच) के अनुरूप है ।

इन्फलिबनेट केन्द्र ने ओपन एक्सेस मोड में निर्मित प्रस्तुति, पीयर–रिव्युइंग, संपादन, रूपरेखा तैयार करने और प्रकाशन की सभी प्रक्रियाओं के साथ पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इन्फलिबनेट पर लगे सर्वरों पर ओपन जर्नल सिस्टम स्थापित और तैयार किया है । यह पहल अर्थात "ओजास/ इनफलिबनेट " उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों जो अपने पत्र मुद्रित प्रारूप में ही प्रकाशित करते हैं, को इन्फलिबनेट केन्द्र पर लगे सर्वरों पर निःशुल्क अपने पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रस्तुत करने को प्रोतसाहित करता है । यह पहल इन्फलिबनेट केन्द्र द्वारा प्रस्तुत मंच का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अपने स्वयं के ओपन एक्सेस जर्नल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है । यह पहल इन्फलिबनेट केन्द्र द्वारा प्रस्तुत मंच का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को अपने स्वयं के ओपन एक्सेस जर्नल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है । "ओजास/ इनफलिबनेट ' पर प्रस्तुत पत्र विश्वभर में सभी प्रयोक्ताओं के लिए बिना किसी प्रतिबंधों के उपलब्ध हैं । वर्तमान में, ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम / इनफलिबनेट सात पत्र प्रस्तुत करता है अर्थात् "जर्नल ऑफ लिटरेचर, कल्चर एण्ड मीडिया स्टडीज " असम यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी दो खण्डों में अर्थात; आयोलॉजिकल एण्ड एनवायरनमेन्टल साइंसेज" और

''फिजीकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, आइसीएसएसआर जर्नल ऑफ अब्सट्रेक्ट्स एण्ड रिव्यूज– ज्योग्राफी, आईसीएसएसआर जर्नल ऑफ अब्सट्रेक्ट्स एण्ड रिव्यूज – इकोनॉमिक्स और आईसीएसएसआर इंडियन साइकोलोजिकल अब्सट्रेक्ट्स एण्ड रिव्यूज एण्ड मैनेजमेंट कन्वर्जेन्स ।

• fccfy;kefVd LVMh xqi

केन्द्र ने हाल ही में भारत में विश्वविद्यालयों में शोध उत्पादकता संबंधी ई–संसाधनों तक पहुंच के प्रभाव का अध्ययन करने केलिए एक बिबलियोमेट्रिक ग्रुप प्रारंभ किया है। यह ग्रूप वेब ऑफ साइन्स और इन्फलिबनेट केन्द्र द्वारा मंगाए जाने वाले और विकसित किए गए अन्य डाटाबेसों से प्राप्त आंकड़ों पर काम कर रहा है । इस ग्रूप का मुख्य उद्वेश्य विभिन्न विषय समूहों पर देश की राष्ट्रीय अनुसंधान उपादेयता का मापन करना है। अध्ययनों के निष्कर्ष विभिन्न पीयर–रिव्यू–इंटरनेशनल जर्नल्स, न्यूजलेटर्स और विभिन्न सम्मेलनों के कार्यवाही सारांशों में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

• ekuo lalk/ku fodkl vkj ijke'kZnk=h leg

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत जनशक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करना केन्द्र का एक महत्वपूर्ण उद्वेश्य है और इसे समुचित प्राथमिकता प्रदान की गई है । मानव संसाधन विकास समूह पुस्तकालयों में पुस्तकालय स्वचालन और नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है । द इनफलिबनेट रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन (आईआरटीपीएलए) और यूजर अवेयरनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश भर में संचालित किए गए थे । पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्लानर और भारत के विभिन्न राज्यों में कैलिबर नामक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का मानव संसाधन विकास कार्यकलापों के एक भाग के रूप में वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर आयोजन किया जारहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान गोवा विश्वविद्यालय, गोवा के सहयोग से इन्फलिबनेट केन्द्र द्वारा दिनांक 2 से 4 मार्च, 2011 तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2011 का गोवा में ''टूवार्ड बिल्डिंग ए नॉलेज सोसायटी लाइब्रेरी एज कैटलिस्ट फॉर नॉलेज डिस्कवरी एण्ड मैनेजमेंट'' विषयों पर आयोजित किया गया । श्रीलंका, कनाडा, यू.के., यू.एस. और सिंगापुर से आए प्रतिनिधियों सहित 400 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया । सम्मेलन में 62 पत्रों का प्रस्तुति हेतु चयन किया गया और 220 से भी अधिक जमा करवाए गए पत्रों में से 120 पत्रों को इसके अतिरिक्त, सात एसओयूएल–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 160 पुस्तकालयों और विभिन्न संस्थानों से आए कंप्यूटर विज्ञान के पेशेवरों को एसओयूएल सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया । ग्यारह आईआरटीपीएलए (इनफलिबनेट रीजनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लाइब्रेरी ऑटोमेशन) का देश के विभिन्न भागों में आयोजन किया गया और मणिपुर, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, मिजोरम, राजस्थान और उड़ीसा से आए 463 पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से संबंधित पेशेवरों ने कार्यक्रम में भाग लिया । इसके अतिरिक्त, के.सी. दास कॉमर्स कॉलेज, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पेशेवरों हेतु एसओयूएल पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 65 पुस्तकालय और कंप्यूटर विज्ञान पेशेवरों को इन दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया ।

पुस्तकालयों में नई सूचना प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों के बढ़ते हुए प्रचलन के संबंध में उत्तर देते हुए केन्द्र ने कालीकट वि.वि.; कोजीकोड; केरल में डी–स्पेस पर एक विशेषज्ञतापूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया । पुस्तकालय और कंप्यूटर विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले 25 पेशेवरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

• ikdk'ku

इनफ़्बिनेट केन्द्र द्वारा दो प्रमुख प्रकाशन, निकाले गए हैं अर्थात् तिमाही न्यूजलेटर एवं वार्षिकी रिपोर्ट। इन दोनों प्रकाशनों को तैयार करके अकादमिक समुदाय के लोगों को देश भर में वितरित किया गया। न्यूज़लेटर्स एवं वार्षिक रिपोर्टों

की प्रतियाँ पी.डी.एफ. प्रारूप में “इनफ्लिबनेट” वेबसाइट–/ http: //www.inflibnet.ac.in /publication के कॉलम पब्लिकेशन में उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्टों की प्लेनर तथा केलिबर की कार्यवाही इंस्टीटयुशनल रिपोजिटरी (आईआर) के पी.डी.एफ. प्रारूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रशिक्षण के कार्यक्रमों, कार्यशालाओं लेक्चर नोटस, प्रेजेन्टेशन्स एवं समाचार पत्र कतरनें भी http://ir.. inflibnet.ac.in के आईआर केन्द्र पर उपलब्ध हैं। इस भंडार में दिनांक 31 मार्च 2011 तक जो उपलब्ध हो सके ऐस 1589 सम्पूर्ण पाठ्यगत लेख थे।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्र ने दो सम्मेलन कार्यवाहियों का प्रकाशन किया, एन–लिस्ट कार्यक्रम संबंधी एक कम्पेडियम, सम्मेलन कार्यवाहियों में 10 लेख और पीयर रिव्यूड जर्नल्स और केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा पुस्तकों में तीन अध्याय प्रकाशित किए गए ।

- **fo'ofo|ky;k ,o vU; 'kks/k laLFkkuks ds lkFk vdknfed vU;ksU;fØ;k**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इनाफ़्लिबनेट केन्द्र में गुजरात एवं पड़ोसी राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजो, ने प्रयोग मूलक प्रशिक्षण प्राप्त किया। यद्यपि इस केन्द्र द्वारा गुजरात एवं पड़ोसी राज्यों से इनाफ़्लिबनेट केन्द्र के द्वारा बडी संख्या में प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं परन्तु फिर भी केन्द्र द्वारा छात्र प्रशिक्षार्थियों को सीमित संख्या में ही चुना जाता है। केन्द्र में जो ई–संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करने के लिए इग्नू तथा गुजरात विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षार्थी छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ–साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किए गए छह माह के संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम (एटीपी) के तहत एक पेशेवर को प्रशिक्षित किया गया था ।

- **fjiksVk/khu o"k ds fy, ctV vkcVu ,o fu"iknu ctV ¼1 viSy 2010 ls 31 ekp 2011½**

¼yk[k :i;s e½

Ø-l-	ctV 'kh"k @;kstuk	o"k ds fy, vkofVr jkf'k	fiNys o"k xbZ 'k"k jkf'k	dqy	O;;
1.	गैर–योजनागत (अनुरक्षण)	102.75	65.87	168.62	314.76
2.	योजनागत (केन्द्र योजना अनुदान)	–	249.05	249.05	8.25
3.	यूजीसी इन्फोनेट योजना (योजनागत शीर्ष के तहत)	1500.00	6.32	1506.32	861.83
4.	अनुसंधान डिजीटल रिपोज़िटरी (ई–सदस्यता स्कीम योजनागत शीर्ष के तहत)	12960.00	53.96	13013.96	6349.89
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (योजनागत शीर्ष के तहत विशेष अनुदान)	–	220.91	220.91	38.12
6.	इनफ़्बिनेट केन्द्र,गांधी नगर में संस्थागत भवन	662.42	160.22	822.00	762.08
	dqy ;ksx	**15225-17**	**756-33**	**15980-86**	**8334-93**

• vU; xfrfof/k;k¡ lLFkku d Hkou dk fuek.k

केन्द्र ने गुजरात सरकार द्वारा इसे आवंटित 10,000 वर्ग मीटर (लगभग 2.5 एकड़) पर अपने संस्थान के भवन का निर्माण भ्ाुरू कर दिया है । भूमि इंफोसिटी, गांधीनगर में एनआईडी, डीएआईआईसीटी और एनआईएफटी जैसे ख्याति प्राप्त भौक्षिक संस्थानों के बीच स्थिति है । केन्द्र ने भवन के डिजाइन और निर्माण के लिए मेसर्स वास्तुशिल्प शिल्प कन्सलटेंट को अपने वास्तु कला के रूप में सेवाएं ली है तथा इसने भवन के निर्माण के लिए सिविल ठेके हेतु मेसर्स कटीरा कंस्ट्रक्शन एवं गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन के लिए मेसर्स अनानजीवाला कंसल्टेंट की सेवाएं ली हैं ।

संस्थान के भवन का निर्माण कार्य 27 अक्तूबर, 2009 को शुरू हुआ । भवन का शिलान्यास यूजीसी के तत्कालीन माननीय अध्यक्ष तथा इनफ्लीबनेट परिषद के अध्यक्ष प्रो0 सुखदेव थोराट द्वारा 27 जनवरी, 2010 को किया गया । केन्द्र के भवन की डिजायन स्थायी, पर्यावरण अनुकूल तथा ऊर्जा दक्षता भवन के अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वास्तुविदों तथा जाने माने शिक्षाविद द्वारा किया गया । परियोजना का कार्य 'टर्न–की'' आधार पर दो वर्ष की अवधि में पूर्ण करने की अवधारणा के साथ शुरू किया जा रहा है । पहले चरण में कुल 1,20,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र को पूरा किया जा रहा है जिसमें अकादमिक और अनुसंधान ब्लाक, प्रशासन, पुस्तकालय, प्रेक्षाग ह और व्याख्यान कक्ष शामिल हैं । दूसरे चरण में 65,000 वर्ग फुट निर्माण कार्य किया जाएगा जिसमें छात्रावास, अतिथिगृह , कर्मचारी आवास निदेशक का पेंट हाऊस आदि शामिल होगा ।

5-13-5 dkUlkf'k;e Qkj ,tqd'kuy dE;fud'ku ¼lhbZlh½] ubZ fnYyh

• ,frgkfld i"BHkfe

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम (सीडब्ल्यूसीआर) का शुभारम्भ वर्ष 1984 में किया गया जिससे कि सैटेलाइट सम्प्रेषण के उपयोग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो सके। इस सी.डब्ल्यू.सी. आर. कार्यक्रम प्रथम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया। 15 अगस्त, 1984 जो कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। कॉन्सॉर्शियम फॉर एजुकशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी) एक अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्र हैं जिसे यूजीसी द्वारा 26 मई, 1983 को स्थापित किया गया। सी.ई.सी. राष्ट्रीय स्तर की एक केन्द्रक एजेन्सी है जो एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। सी.ई.सी. राष्ट्रीय स्तर वाली ऐसी केन्द्रक एजेंसी है जो सम्प्रेषण के विभिन्न प्रारूपों के उपयोग द्वारा देश की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है।

• mn~ns'; ,o eq[; fo'ks"krk,¡

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित 17 मीडिया केन्द्रों की गतिविधियों का समन्वयन,सरलीकरण, सर्वांगीण दिशानिर्देश एवं निदेशों का ध्यान रखना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना, अनुसंधान करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का सृजन करना और साथ ही ई–कंटेंट, और नई प्रौद्योगिकीयों के साथ प्रयोग करना शामिल है।

• foÙkh; o"kZ 2010&11 ds nkSjku] ctjh; vkoVu rFkk fu"iknu ctV ¼&

वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त अनुदान हुआ एवं सीइसी में विभिन्न शीर्ष के तहत किया गया व्यय (अनंतिम) का ब्यौरा निम्नवत है :–

'kh"kZ	ikl vunku ¼:-yk[k :-eas½	fd;k x;k O;; ¼yk[k :-eas½
गैर–योजनागत	206.00	346.97
योजनागत (आवर्ती / अनावर्ती)	540.00	425.31
dqy	**746-00**	**772-28**

- **ykHkkfUor ksa dh la[;k ¼f'k{kd] efgyk,¡] v-tk-@v-t-tk- vkfn½ lfgr yf{kr lewg dh doj sat**

सीईसी लक्षित समूह तक निम्नवत प्रसार की पद्वतियों के माध्यम से पहुंच रहा हैः

- **pkfcl ks ?kaVs dk;Zde izlkfjr djus okyk O;kl mPp f'k{kk pSuy**

सीईसी 26 जनवरी, 2004 से उच्चतर शिक्षा पर दिन रात की व्यास चैनल को प्रसारित किया जाता है। इस चैनल के द्वारा पाठ्यक्रमों पर आधारित शीर्षकों से संबद्ध कार्यक्रम चौबिसों घंटे प्रसारित किये जाते हैं तथा इसके साथ–साथ 17 मीड़िया केन्द्रों द्वारा जो केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं इनके द्वारा निर्मित समृद्ध कार्यक्रमों का का निर्माण किया जाता है। व्यास हायर एजुकेशन चैनल फ्री–एयर–चैनल के रूप में मार्च, 2009 से डीडी डायरेक्ट प्लस के प्लेटफार्म पर और आगे डिश टीवी पर भी उपलब्ध है । चैनल सीईसी वेब पोर्टल अर्थात् www.cec-ugc-nic.in के माध्यम से उपलब्ध है।

व्यास चैनल / यूजीसी कार्यक्रम को पूरे देश में उच्चशिक्षा में छात्रों की कुल संख्या (122 मिलियन) का अनुमानित 13. 2 प्रतिशत छात्र इसे देखते हैं ।

- **lhbZlh&,tqlsV usVodZ**

इसरो द्वारा एजुसैट नामक पहला शिक्षा का उपग्रह भुारू करने के साथ सीईसी ने यूजीसी–सीईसी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का विस्तार किया जिसमें 63 सेटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनस (एसआईटी) शामिल है। विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है तथा सीईसी स्टूडियो नियमित सीधा प्रसारण किया जाता है एवं देश के विभिन्न भागों के छात्र कक्षा के टर्मिनलों से इस कार्यक्रम को देखते हुए विडियो कन्फरेसिंग, चैट, टेलीफोन आदि के माध्यम से सीधा प्रश्न पूछते हैं तथा विशेषज्ञों द्वारा उसी समय उत्तर दिया जाता है ।

- **fo'oO;kih bZ izf'k{k.k**

सीईसी ने उच्च शिक्षा सामग्री की गुणवत्ता के साथ लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्श 2010–11 में **^,fMfVx Qkj fQYEl ,.M Vsyhfotu'** पर विश्वव्यापी ई–प्रशिक्षण चलाया । विभिन्नि आईसीटी मोड अर्थात व्यास हायर एजुकेशन द्वारा प्रसारण, सीईसी की वेबसाईट www.cec-ugc-nic.in के विविध प्रसारण के माध्यम से तथा सीईसी एजुसैट नेटवर्क के माध्यम से ई–प्रशिक्षण आयोजित किया गया । प्रशिक्षण में पूरे विश्व से 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

- **vMjxzstq,V bZ-&dUVsUV dk lajp;j**

सीईसी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मीडिया सेंटर के सहयोग से पहले चरण में 19 विषय तथा चरण दो में 68 विषय के ई.–कंटेंट सामग्री के विकास के लिए एमएमसी–आईसीटी परियोजना स्वीकृत की गई । प्रारंभ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रायोगिक ई.–कंटेट के निर्माण के लिए 50.00 लाख रुपये स्वीकृत किया । धन को सभी मीडिया केन्द्रों से अग्रणी परियोजना के निर्माण तथा इसके लिए साफ्टवेयर की खरीद हेतु वितरित किया गया । अग्रणी परियोजनाओं के पूरा होने तथा मा.स.वि.म. के द्वारा उनकी स्वीकृति के बाद सीईसी को चरण एक के अंतर्गत 19 विषयों

के ई–कंटेक्ट के निर्माण के लिए 18.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई । तदनुसार सीईसी द्वारा मार्च, 2011 के महीने में 5.40 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई । धन का बंटवारा सभी मीडिया केन्द्रों में उनके कार्य निष्पादन के अनुसार किया गया ।

- **vk;kftr lEeyu@dk;l'kkyk**

○ **,u,ch&'kk & i:lkjdk dk jk"Vh; l?k ¼,u,ch½** निदेशक, सीईसी को प्रसारकों के राष्ट्रीय संघ (एनएबी) द्वारा आयोजित 64वें सम्मेलन, जो नाबशो' के नाम से मशहूर हुआ तथा 10 से 15 अप्रैल, 2010 को लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ, में भाग लेने का सुअवसर मिला ।

○ **7ok ,f'k;k ehfM;k lEeyu] phu%** निदेशक, सीईसी, संयुक्त निदेशक (एचडब्ल्यू) ने बीजिंग, चीन में 24–26 मई, 2010 को हुए 7वें एशिया मीडिया सम्मेलन में भाग लिया ।

○ **eYVhehfM;k lkexh d vf/kxe e x.koRrk vk'okLu ij dk;l'kkyk%** कामनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया, सीईएमसीए के सहयोग से सीईसी द्वारा ''मल्टीमीडिया सामग्री के अधिगम में गुणवत्ता आश्वासान '' (क्यूएएमएलएम) पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

- **vU; n'kk@vrjk"Vh; l?kk d lkFk le>kSrk**

❖ **lhbZlh fofM;k l lk/kuk dk iLrd lnHk lph MkVkcl%** सीईसी और इनफ्लिब नेट, सेंटर, अहमदाबाद के समन्वित प्रयास से ई.–पोर्टल का 4 दिसंबर, 2010 को यूजीसी के अध्यक्ष प्रो0 एस.के. थोराट द्वारा इनफ्लिबनेट सेंटर अहमदाबाद में ऑन–लाईन लांच किया गया जिसमें सीईसी मीडिया लाइब्रेरी में उपलब्ध विडियो संसाधनों के पुस्तक संदर्भ सूची डाटाबेस शामिल है ।

○ **lhbZlh oc ikVy dk fodkl%** राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली की सहायता से सीईसी आधुनिकतम सिलवरलाइट सॉफ्टवेयर जिसमें व्यास चैनल की स्ट्रीमिंग, एलएमएस का विकास विडियो कनफरेंसिंग और एजु–मैसेंजिंग सुविधा है, के साथ रिडिजाइनिंग, रिफॉर्मेटिंग और अपनी वेबसाइट की रिस्ट्रकचरिंग की प्रक्रिया में है। इंटरनेट और इंट्रानेट वेबसाइटों का अलग–अलग डिजाईन किया जा रहा है । ई–शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के कारण सीईसी को के0एन0क0 परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है । दस एमबीपीएस के आप्टिक फाइबर बिछाने के साथ सीईसी में इंटरनेट सुविधाओं में कई गुणा वृद्धि है ।

- **fudky x, idk'kuk dh lph**

& सीईसी टेलीविजन यूज (मासिक समाचार पत्र)

& गुणवत्ता नियंत्रण और सामग्री की दृश्यता, पहुंच, ज्ञेयता और स्थायित्व पर कार्य योजना रिपोर्ट

& राष्ट्रीय व्यूअरशिप सर्वेक्षण

- **dkbl vU; C;kjk ftl dUn vU; ykxk dk crkuk pkgrk g**

❖ **fofM;k ifr;kfxrk**

इंडिया हैबीटैट सेंटर, नई दिल्ली में 20वीं विडियो प्रतियोगिता अवार्ड समारोह का आयोजन 12 मई, 2010 को किया गया था । पुरस्कार समारोह में भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड, जिसमें 1.50 लाख रु0 का नकद पुरस्कार, एक शॉल और एक प्रशस्तिपत्र एवं ट्रॉफी शामिल है, भारत के प्रधानमंत्री के

सलाहकार श्री सैम पित्रोदा को दिया गया था । अन्य श्रेणियों के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को भी पुरस्कार माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिया गया ।

❖ iidfr fQYe QfLVoy

प्रकृति फिल्म फेस्टिवल का आयोजन त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतल्ला के सहयोग से फरवरी, 2011 के महीने में हुआ। समारोह में 43 प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिसमें से 18 को तीस दिवसीय समारोह में विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शन के लिए चुना गया था । इसमें सहभागियों के बीच स्वस्थकर चर्चा हुई ।

5-13-6 jk"Vh; eY;kdu vkj iR;k;u ifj"kn ¼,u,,lh½ cxykj ¼dukVd½

• ,frgkfld i"BHkfe

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या में भारी मात्रात्मक विस्तार हुआ । शिक्षा प्रदाताओं की प्रोफाइल का प्रकार, कार्यक्रमों, दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों,सुपुर्दगी प्रणाली और निधियन पैटर्न में अलग अलग होता है । वस्तुतः पूरे विश्व में उच्च शिक्षा उफान पर है । ऐसी स्थितियों में मानक और गुणवत्ता में अंतर एक स्वाभाविक परिणाम है । पूरे देश में कॉलेजों के विस्तार के संदर्भ में शिक्षा के मानक की स्थापना के आवश्यकता में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए, 1992) ने एक तंत्र की स्थापना पर बल दिया जो संस्थानों में आत्म मूल्यांकन तथा एक बाहरी एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन को भी बढ़ावा देगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 12 सीसीसी के अंतर्गत 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएईसी) की स्थापना की जिसका मुख्यालय बंगलौर में है ।

• mnn'; ,o ie[k fo'k"krk,¡

एनएएसी का प्राथमिक एजेन्डा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों अथवा उनके एक या इससे अधिक इकाइयों अर्थात् इनके विभाग, स्कूल, संस्थान कार्यक्रम आदि का निर्धारण एवं प्रत्यायन करना है,

मूल्यांकन और प्रत्यायन मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

- ➢ उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं उनके कार्यक्रमों का ग्रेडीकरण करना;
- ➢ इन सभी संस्थानों में अकादमिक पर्यावरण को सुदृढ़करना तथा अध्यापन व शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
- ➢ संस्थानों द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होना;
- ➢ ऐसे संस्थान जोकि उपरोक्त लक्ष्यों में प्रयत्नशील हैं, उनमें आवश्यक रूप वाले परिवर्तनों को प्रोन्नत करना, नवोन्मेषी एवं सुधारात्मक बातों का लागू करना;
- ➢ नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, स्व–मूल्यांकन तथा उच्चतर शिक्षा में जवाबदेही को प्रोत्साहित करना ;
- ➢ अपने घोषणा पत्र में दिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए एनएएसी (नैक) निम्न क्रियाकलाप करेगा ;
- ❖ मूल्यांकन की तकनीकों और रीतियों के आलोप में प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा और संशोधन और इसे अद्यतन करना;
- ❖ संबंधित संस्थान के लिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों को सुधारात्मक कार्यवाही, सुधार और स्व–सुधार के लिए सही ढंग और उपयुक्त प्रकार से सूचित करना,

- संस्थानों को अपनी प्रक्रियाएं, तकनीकें और स्व–मूल्यांकन हेतु रीतियां विकसित करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना,
- शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों इत्यादि की आयेजना और मूल्यांकन में अनुसंधन अध्ययनों को प्रवृत करना,
- उच्च शिक्षा के संस्थानों के पहचान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना,
- एनएएसी समान प्रकृति का कार्य कर रहे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ संयोजन कर सकती हे और निवेदन प्राप्त होने पर विदेशों में उच्च शिक्षा के संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकती है।

एनएएसी अपनी महासभा (जी.सी.) के माध्यम से तथा कार्यकारी समिति की सहायता से क्रियान्वयन करती है जहाँ पर शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्धारक तथा उच्च शिक्षा की प्रणाली से जुड़े पृथक वर्गो वाले वरिष्ठ अकादमिकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एनएएसी की महासभा का जो अध्यक्ष है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय प्रमुख ही है तथा कार्यकारणी समिति का जो प्रमुख है वह कोई एक सुविख्यात अकादमिक होता है जिसे कि महासभा के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है। एनएएसी का निर्देशक ही अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा वही इन दोनों निकायों का सदस्य सचिव होता है, एनएएसी द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आधारमूलक स्टॉफ़ है जो कि सलाहकारों द्वारा आपूरित है।

- **fjikVk/khu o"k ¼1 vily] 2010 l 31 ekp] 2011½ d fy, ctV vkcVu ,o fu"iknu ctV&**

एनएएसी ने यूजीसी एवं गैर–योजनागत शीर्ष से 4.19 करोड़ की राशि प्राप्त की है तथा 8.97 लाख रूपये की राशि व्यय की है। घाटे को होता है उसे एनएएसी आरसी निधि से पूरा किया जाता है।

- **ykHkkfFk;k dh l[;k ¼v/;kidk] fo|kfFk;k] efgyk,] vulfpr tkfr] vulfpr tutkfr vkfn½ lfgr yf{kr legk dh dojt**

मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु एनएएसी के लक्षित समूह भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं:–

प्रथम चरण/द्वितीय चरण	विश्वविद्यालय महाविद्यालय	
प्रत्यायन (प्रथम चरण)	2	277
पुनर्प्रत्यायन (द्वितीय चरण)	14	299
dy	**16**	**576**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 592 उच्च शैक्षिक संस्थान (576 कॉलेज और 16 विश्वविद्यालय) का मूल्यांकन और प्रत्यायन किया गया ।इस प्रकार कुल संख्या 4532 (161 विश्वविद्याालय और 4371 कॉलेज जिसमें 65 विश्वविद्यालय 636 पुर्न–प्रत्यायित कॉलेज शामिल है) हो गई ।

समिति संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में दो महीने में एक बार बैठक करती है । (01 अप्रैल, 2010 01 जून, 2010, 2 अगस्त, 2010, 6 अक्तूबर, 2010, 01 दिसंबर, 2010 और 01 जनवरी, 2011) तथा एनएएसी से सहायता पाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा की।

समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त 100 (लगभग) प्रस्तावों एनएएसी ने 60 (लगभग) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की ।

एनएएसी संपूर्ण भारत के वरिष्ठ अकादमिकविदों से विशेषज्ञता प्राप्त करती है । एनएएसी ने मूल्यांकनकर्त्ताओं का राष्ट्रीय अधिशासी मंडल का सृजन किया तथा उच्च शिक्षा के अच्छे विशेषज्ञों का पैनल बनाना चाहती है । एनएएसी अधिशासी मंडल में मूल्यांकनकर्त्ताओं को शामिल करने से पहले नियमित रूप से अंतःक्रिया बैठकें (एआईएम) आयोजित होती हैं । संभावित मूल्यांकनकर्त्ताओं को एआईएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयनित किया जाता है। एनएईसी 2010–11 के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा और दंत विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन अध्यापक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, यूजीसी एएससी तथा सामान्य शिक्षा (कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि के लिए पांच एआई का आयोजन किया है। मूल्यांकनकर्त्ताओं में वर्तमान और भूतपूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक विश्वविद्यालयों के डीन और प्रोफेसर, कॉलेजों के प्राधानाचार्य शामिल होते हैं । 2010–11 के दौरान एनएएसी ने अधिशासी मंडल में 300 मूल्यांकनकर्त्ताओं को शामिल किया है ।

- **vk;kftr lEeyu] nkj ij vk, fon'kh f'k"VeMy rFkk vk;kftr vU; egRoi.k lekjkg] ;fn dkbl gk**

01 मई, 2010 को एनएएसी प्रांगण के समर्पित कार्यक्रम सहित 28 अकादमिक बैठकें/कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा किया गया तथा ये उक्त वर्ष के दौरान आयोजित किए गए ।

9 अकादमिक सदस्यों ने 23 बैठकों/कार्यक्रमों भंग लिया। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो विदेशी शिष्टमंडल ने रिपोर्टाधीन वर्ष में एनएएसी का दौरा किया था । 2010–2011 के दौरान सात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित की गई थी ।

एनएएसी के कर्मचारिवृन्दों ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 30 अकादमिक कार्यकलापों में भाग लिया ।

vkbl lhVh

एनएएसी ने उच्च शैक्षिक संस्थाओं को मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु स्वेच्छा से सहमति देने संबधी प्रक्रिया के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग के लिए एनआईसी को परियोजनाएं दी थी । यह तीन चरण में किया गया था । पहला चरण दिसंबर, 2010 में पूर्ण हुआ था । जनवरी, 2011 में दूसरा चरण शुरू हुआ । परियोजना में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सोर्सिंग, वेबसाइट डिजाइन और विकास, अप्लीकेशनों के लिए समर्पित पोर्टल शामिल है ।

- **vU; n'kk@vrjk"Vh; lxBuk d lkFk le>kr**

20 जनवरी को एनएएसी और आईईई –इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बीच समझौता ज्ञापन एनएएसी में हुआ ।

3 मार्च को एनएएसी में एनएएसी और मलेशियन क्वालिटी एजेन्सी, (एमक्यूए) मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ ।

- **idk'kuk dh lph**

एनएएसी ने शिक्षा प्रणाली के अलग–अलग घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों को प्रकाशित किया है । एनएएसी द्वारा प्रकाशित सामाग्री सात और पाठकों को असानी से समझ में आने वाला है । एनएएसी

के सभी प्रकाशन www.naacindia.org पर उपलब्ध हैं । 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान 11 प्रकाशन प्रकाशित हुए ˙

- **iqLrdky;&,u,,lh xq.koRrk vk'okLu lalk/ku dsUnz**

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उच्च शिक्षा, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन के क्षेत्र की 114 नई पुस्तकों को संग्रह में शामिल किया गया । अंतर्राष्ट्रीय पीयर–रिव्यूड पत्रिकाओं के अभिदाय के अलावा, पुस्तकालय में यूजीसी–इंफोनेट, ई–संसाधन सहायता संघों द्वारा प्रदान किए 500 पूर्ण संसाधनों तक पहुंच जारी है । वर्ष के दौरान स्कोपस के लिए अभियान शुरू किया गया । स्कोपस एक अनुदेश सूचक यंत्र है जिसका उद्देश्य किसी संस्थान/व्यक्ति के अनुसंधान प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता करना है । पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं और सम्मेलन की कार्यवाहियों को प्रयोजन के लिए उपार्जित समन्वित पुस्तकालय प्रणाली द्वारा संगठित किया गया । संग्रह के लिए एकीकृत पहुंच प्रदान करने के लिए पुस्तकालय के सभी सामग्री को एक साथ लाने की अलग से वेबसाइट बनाने का कार्य चल रहा है ।

5-14 jk"Vªh; lqfo/kk dsUnz

अन्तर–विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) के अतिरिक्त, यूजीसी ने **pkj** राष्ट्रीय सुविधाओं वाले केन्द्रों को चयनित विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है तथा नियमित रूप से उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। यह केन्द्र निम्न है :–

- **oLVuZ jhtuy bULVªeqUVs'ku lsVj ¼MCY;w-vkj-vkbZ-lh-½] eqEcbZ**

यह केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1978 में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था कि यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के स्टाफ और उच्च अध्ययन कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों इत्यादि के अध्यापकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं को उपकरणों के प्रयोग और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा सके। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए शत–प्रतिशत धनराशि, योजना दर योजना के आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही है । 1981 से (यू.एस.आई.सी.) शासी परिषद् के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है। मुम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति इसके पदेन अध्यक्ष हैं।

- **,e-,l-Vh-jkMkj vuqiz;ksx] ,l-oh-;qfuoflZVh] fr:ifr**

मध्यवर्ती पर्यावरणीय गतिकी के लिए अग्रवर्ती अनुसंधान के लिए राडार सुविधा की संभाव्यता के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करना तथा एम.एस.टी.राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को आकर्षित करना। यूजीसी –एसयूवी, जो राडार अनुप्रयोगों के लिए भौतिकी विभाग, श्री वेंकेटश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति में स्थापित किया गया था। यूजीसी–एसवीयू केन्द्र, भारतवर्ष में विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा वैज्ञानिक जानकारी के विनिमय हेतु एक सामान्य मंच के रूप में सेवायें प्रदान करता है, तथा पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थित सभी वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं तक उपलब्ध है–विशेषकर एमएसटी राडार एवं लीदर से जुड़े शोध क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में यह केन्द्र कार्यरत है।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय शोध प्रयोगशाला, (एन ए आर एल) जो कि पहले राष्ट्रीय एमएसटी राडार सुविधा के नाम से जानी जाती थी, वहाँ पर प्रयोगों को क्रियान्वित करने के लिए कई विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं शोध विद्वानों के लिए पत्रिकाएँ एवं पूर्व प्रकाशित सामग्री को उपलब्ध कराया जा रहा है। यूजीसी एवं एस.वी.यूनिवर्सिटी के मध्य समझौते ज्ञापन के अनुसार एक परियोजना सलाहकार समिति है जो कि एम एस टी राडार के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सर्वांगीण दिशानिर्देश के अनुसार सक्रिय है। इस केन्द्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूजीसी द्वारा अवसंरचना सुविधाओं एवं आगन्तुकों के कार्यक्रमों के लिए, अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

• ekufodh ,o lekt foKku dk vUrj&fo'ofo|ky; dUn] ¼vkb ; lh ,p ,l ,l½] Hkkjrh; mPp v/;;u lLFkku] f'keyk

मानविकी एवं समाज विज्ञान में अन्तर यूनिवर्सिटी केन्द्र जनवरी, 1991 में अस्तित्व में आया जिसे भारतीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान (आई ए ए एस) में स्थापित किया गया–जिसके विषय में (यूजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं संस्थान के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह संस्थान जबसे अस्तित्व में आया है तभी से ही विद्वता के क्षेत्र में, शोध कार्य अनुसरण में तथा चिंतन एवं विचारण के जीवन क्षेत्र में अपना एक अद्वितीय स्थान बना चुके हैं। इस संस्थान में विद्वता से पूर्ण समुदाय के 30–35 शोध अध्येता आवासीय रूप से स्थित हैं– जिनमें से प्रत्येक महिला/पुरूष अपने –अपने शोध कार्य में व्यस्त है तथापि, सामान्य वर्गों के लोगों के शैक्षणिक जीवन में सक्रिय भागीदारी बनाए हुए हैं। अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र सभा में समस्त देश में स्थित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से शोध विद्वानों को इस समुदाय के मध्य–अधिष्ठापित किया जाता है तथा बिना किसी अपवाद के इन सभी विद्वानों ने यहाँ अपने निवास काल को अत्यंत संपुष्ट अनुभव किया है। इस केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत तीन आधारमूलक घटक है : (i) एसोसिएटशिप की परियोजना (ii) देश के विभिन्न भागों में शोध विचार गोष्ठियों का संयोजना एवं (iii) शिमला में स्थित संस्थान में, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विद्यमान समस्याओं पर अध्ययन सप्ताहों का आयोजन करना।

• fØLVy xkFk dUn] vUuk ;fuofIVh] enkl

यह केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था जिसका लक्ष्य यह था कि क्रिस्टल अभिवृद्धि एवं उसे अभिलक्षित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में शोध को प्रोन्नत करना। इसके लक्ष्य निम्नवत है :–

(क)क्रिस्टल की अभिवृद्धि एवं इसे अभिलक्षित करने वाली सुविधाओं को प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित करना।

(ख) आवश्यकताओं से प्रेरित उद्योगो में तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मध्य जो अन्तराल विद्यमान है उसे सेतुबद्ध करना।

(ग) जहाँ तक विशेष कोटि के क्रिस्टल आदि की आवश्यकताओं का संबंध है– इस विषय में भारत वर्ष के विभिन्न संस्थानों की जरूरतों को पूरा करना।

mijkDr pkjk dUnk d fy, o"k 2010&11 d nkjku ctV vkoVu ,o ;ktukxr vunku dk tkjh fd;k x;k

Ø-l- jk"Vh; lfo/kkvk okyk dUn	ctV vkoVu	tkjh vunku ¼yk[k :0 e½
1. डब्ल्यूआरआइ सी–मुम्बई	1200.00	1145.00
2. एमएसटी राडार केन्द्र, तिरूपति	350.00	307.00
3. आईयूसीएचएसएस, आईआईएएस, शिमला	43.00	43.00
4. क्रिस्टल ग्रोथ केन्द्र, चेन्नई,	338.15	311.68

• jk"Vh; lfo/kk dUnk dh e[; fof'k"krk,¡ ¼2010&2011

5-14-1 if'peh {k=h; bULVeUV'ku dUn] eEcbl fo'ofo|ky;] eEcbl ¼egkjk"V½

• ,frgkfld i"BHkfe

समस्त देश में जो विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र (यूएसआइसी) स्थापित करने के लिए कार्यान्वित हो रहा है, इसी कार्यक्रम के एक अंश के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय की सहभागिता में वर्ष 1977 में शत–प्रतिशत आधार पर पश्चिमी क्षेत्रीय उपकरण केन्द्र (डब्ल्यू आर आइ सी) को स्थापित किया गया, जो कि एक स्वायत्त संस्थान है ।

वर्ष 1981, से डब्ल्यू आर आई सी, शासी परिषद् के साथ पंजहित सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें मुबई विश्वविद्यालय का उपकुलपति पदेन अध्यक्ष होता है।

• mnn'; ,oa e[; fof'k"Vrk,a

- भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले इन्स्टूमेन्टेशन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सुविधाएँ सृजन करने के लिए संसाधन केन्द्र
- प्रौद्योगिकी संस्कृति को विकसित करना।
- उपकरणों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करना।
- इन्स्टूमेन्टेशन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना।
- अध्यापन एवं शोध कार्य में सरलता लाने के लिए नूतन अध्यापन सहायक उपकरणों का रूपांकन एवं विकास।
- इन्स्टूमेन्टेशन एवं उपकरणों के सुधार व रख–रखाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना
- शिक्षा, शोध एवं उद्योगों में इन्स्टूमेन्टेशन में अ0 और ब0 कार्य करना।

• fjiksVkZ/khu o"kZ ¼1 vizSy] 2010 ls 31 ekpZ] 2011½ ds fy, ctV vkoaVu vkSj fu"iknu

¼djksM+ #0 esa½

Ø-la- fo-v-vk- dk Lohd`r i= la0 ,oa fnukad	izkIr vuqnku	0;; fd;k x;k
1. एफ 6–1/2009/(आईयूसी) दिनांक 03.03.2010–2011	1.21*	2.90
2. एफ 6–5/2009/(आईयूसी) दिनांक 03.11.20102010 नहीं के लिए अनुदान स्वीकृत	1.25#	1.05
dqy	2-46	3-95

*1.21 करोड़ रु0 के अनुदान को वर्ष 2009–10 के लिए संस्वीकृत किया गया था और वास्तव में वित्तीय वर्ष 2009–10 (अप्रैल 2010) में प्राप्त किया गया था।

रु 1.25 करोड़ रु0 की अनुदान को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बकाया के भुगतान हेतु संस्वीकृत किया गया था ।

• ykHkkfFk;ksa dh la[;k lfgr yf{kr lewg dh dojst ¼fo'ofo|ky;] egkfo|ky;] f'k{kd] Nk=] efgyk;sa] v0tk0@v0t0tk0 vkfn½

- कुल 12 विश्वविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों/संस्थानो/उद्योगों जैसे रसायन जर्मन, भाषा, शिक्षा, मुंबई विश्वविद्यालय के विभागों, सीएफटीआरआई, सथाये विश्वविद्यालय, मेट, नाशिक इत्यदि ने इलेक्ट्रॉनिक और विद्युतीकरण प्रयोगशाला उपकरणों के अनुरक्षण और मरम्मत (77 उपकरणों की मरम्मत की) की सेवाओं का लाभ उठाया ।

- के.जे. सोमैया महाविद्यालय, मुंबई की पोलाटाईज्ड सूक्ष्मदर्शी, जीएनआईआरडी महाविद्यालय, मुंबई के सोक्सहेल्ट उपकरण तथा डब्ल्यूआरआईसी के स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर की मरम्मत की । खगोलीय दूरबीन के लिए अवतल और समतल दर्पणों का लेपन भी किया गया था ।

- श्री एस.ए. केलकर कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एण्ड कॉमर्स, देवगढ़ सिंधुदुर्ग में 31 अगस्त से 2 सितम्बर, 2010 तक रख–रखाव शिविर आयोजित किया गया । रख–रखाव शिविर में कॉलेज शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों की सहायता के लिए 70 माइक्रोस्कोप और अन्य उपकरणों की मरम्मत की गई थी ।

- कुल 14 विश्वविद्यालय विभागों जैसे शिक्षा विभाग, मनोवैज्ञानिक विभाग, दूरस्थ शिक्षा और ओपन लर्निंग संस्थान, वित्त और लेखा अनुभाग आदि ने हमारी कंप्यूटरों/प्रिंटरों की मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं (एएमसी के अंतर्गत 183 कंप्यूटर और 98 प्रिंटर) प्राप्त की ।

- कुल 37 उद्योगों जैसे क्रॉम्पटन एवं ग्रिवीज लिमिटेड, सीडब्ल्यूएम, रेलवे भयखला, श्रीजी इलेक्ट्रॉनिक, एचपीसीएल, सोलर इलेक्ट्रॉनिक इक्यूपमेंट, इलेक्ट्रो केयर सिस्टम गुजरात आदि ने हमारी अशांकन सेवाएं प्राप्त की । (कुल 207 उपकरणों को क्षमतावान किया गया था)

- विश्वविद्यालय और कॉलेजों (एस.एस.एण्ड एल.एस. पाटकर कॉलेज, एम.डी. कॉलेज, गुरुनानक खालसा कॉलेज आदि) के अनेक शिक्षकों/शोध विद्यार्थियों ने अपने–अपने शोध कार्यों के लिए हमारी यू.वी. विजिवल स्पैक्ट्रम, एचपीसीएल, एफटीआईआर ए.ए.एस फ्लोरेसंस स्पैक्ट्रम जैसे उपकरणों का प्रयोग किया ।

- विभिन्न विश्वविद्यालय विभागों/कॉलेजों/संस्थानों जैसे सैंट थॉमस कॉलेज पलई, केरल, जेबीडी राजकीय महिला कॉलेज कोटा, राजस्थान, श्री एस.एच. केलकर कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स एण्ड साइंस देवगढ़ सिंधुदुर्ग, धेंम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट एण्ड साइंस पंजिम गोवा, विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरठ आदि के शिक्षकों/तकनीकी कर्मचारियों/विद्यार्थियों के लिए खगोल विज्ञान, सोफेस्टिकेटिड इंसट्रूमेंटेशन, स्पैक्ट्रोस्कोपी, चारोमेटोग्राफी, हायफैनंटिड तकनीक, प्रयोगशाला/एनेलिरिक्ल/ऑपटिकल इन्स्ट्रूमेंटों का प्रचालन और निवारणात्मक रख–रखाव फिनाक्स कंप्यूटर इंटरफेस, वायु प्रदूषण निगरानी की उपकरण तकनीक, माइक्रो कंट्रोलर 8051 एप्लीकोन इन एमबैडिड सिस्टम आदि पर कुल 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई । कुल 158 प्रतिभागी लाभान्वित हुए ।

- इन्स्ट्रूमेंट मैंटेनेंस फैसिलिटी योजना के अंतर्गत आर.के. कॉलेज मधुबनी, बिहार के दो प्रयोगशाला सहायकों को दो सप्ताह का विशेष गहन प्रशिक्षण दिया गया ।

- सात कॉलेजों/संस्थानों/विभागों जैसे दिव्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरठ, यू.पी. जवाहर शिक्षा समिति के अन्नासाहेब चूड़ामन पाटील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई, बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एण्ड कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का प्रेमलीला विठ्ठल दास पॉलीटेकनिक, विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई विश्वविद्यालय का भौतिकी विज्ञान के बी.ई. (इन्स्ट्रूमेंटशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग) एम.एस.सी. (बॉयोकेमिकल, वैश्लेशिक रसायन, खगोल भौतिकी), इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा के कुल 31 विद्यार्थियों ने अपने–अपने परियोजना कार्य हेतु डब्ल्यू. आर. आई.सी. के संयंत्र में 3 से 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

○ मुंबई विश्वविद्यालय के कैरियर एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट के 15 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए एचपीएलसी, जीसी, एफटीआईआर, अन–विजिवल स्पैक्टोफोटोमीटर, ए.ए.एस. का प्रयोग कर विश्लेषण तकनीक में प्रयोगशाला प्रशिक्षण और व्याख्यान–सह–प्रदर्शन आयोजित किए गए (17 सितम्बर, 2010 से 7 जनवरी, 2011)।

- **vk;kftr fd, x, lEeyu] fon'kh f'k"VeMyk }kjk nkjs vkj vU; egRoi.k dk;Øe] ;fn dkbZ vk;kftr fd, x,]**

fQftDl vkQ lyLd vkDlhehVj Hkkx&,d & ik0 बी.एम. अरोड़ा, आई.आई.टी., मुंबई (24 दिसम्बर, 2010)

vkj,QvkbZMh & श्री रवीन्द्र शिंदे स्मार्टरैक टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा ।

- **vU; n'kk@vrjk"Vh; lxBuk d lkFk fd, x, le>kSr**

सी.आई.एस. मॉरिशस और डब्ल्यू.आर.आई.सी. के बीच इंस्ट्रूमेंटेशन में सहयोगी कार्यकलापों के लिए लंबी अवधि हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

- **iLrqr fd, x, i=**

10–12 सितम्बर, 2010 तक आयोजित ''नेशनल कांग्रेस ऑन इमरजिंग ट्रैन्ड्स ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च '' नामक आयोजित सम्मेलन में चारु अरोड़ा, शैलेन्द्र गुडियाल, प्रशान्त और आर.डी. तिवारी द्वारा ''इफैक्ट ऑफ वैरिएशन इन जिओग्रॉफिकल एण्ड क्लाइमेंट कंडीशन ऑन प्रापर्टीस एण्ड फ्लैबोनाइड कंटेंट ऑफ इम्बलिका ऑफीसीनेल '' विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ।

- **dkbZ vU; C;kjk tks fd dUnz vU; ykxks dks crkuk pkgrk g%**

bLVeV'ku@'kf{kd lgk;d fMtkbM ,.M MoyieV@QSchdfVM%

स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर अनुसंधान प्रयोगशालाओं हेतु कम लागत शिक्षण सहायता/परीक्षणात्मक डिजाइन और फैब्रीकेशन ढांचा ।

○ सौर ऊर्जा के I - V विशेषता अध्ययन के लिए प्रयोगमूलक स्थापित किए गए । इनकी स्थापना का प्रयोग यूएम–डीइई सेंटर फॉर एक्सीलैंस इन बेसिक साइंस द्वारा अपने एम.एस.सी. समेकित कार्यक्रम में किया जा रहा है ।

○ मुंबई विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान विभाग के एम.एस.सी. (भौतिकी) विद्यार्थियों के लिए 5 अवतल प्राथमिक दर्पण वाली न्यूटॉनियन दूरबीन।

○ मुंबई विश्वविद्यालय, भौतिक विज्ञान विभाग के एम.एस.सी. खगोल और अंतरिक्ष भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियली ओबटेंड डिश एंटीना वाला एक साधारण रेडियो दूरबीन और एक अन्वेशी दूरबीन।

○ रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई की अनुसंधान परियोजना हेतु सौर ऊर्जा संकेंद्रण प्रणाली ।

○ मुंबई विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान विभाग के एम.एस.सी. खगोल और अंतरिक्ष भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए खगोलीय वेद्यशाला हेतु कोयलोस्टेट ट्रैकिंग डिवाइस । स्थापित उपस्कर अध्ययन और 15 जनवरी, 2010 को धनुशकोडी, रामेश्वरम में हुए पूर्ण सूर्य ग्रहण में प्रयोग किए गए थे ।

○ मुंबई विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान विभाग के एम.एस.सी. के विद्यार्थियों के लिए मेटेओर शावर वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भारत में तैयार की गई यह पहली अपनी प्रकार की प्रणाली है और एम.एस.सी. खगोल और अंतरिक्ष भौतिकी के

विद्यार्थियों के द्वारा 6–20 नवम्बर, 2010 और 11–13 दिसम्बर, 2010 को मैहुली फोर्ट, ठाणे में हुए उल्कावर्षण के अध्ययन में इसका प्रयोग किया गया ।

- सौर सेल की I - V करैक्टेरिस्टिक की तापमान निर्भरता । यह उपकरण 20 अप्रैल, 2010 को आई.आई.टी. मुंबई में हुए सौर सेल करैवटेराइजेशन तकनीक की बैठक में प्रस्तुत किया गया ।

- सौर सेल के विशेष प्रतिक्रिया अध्ययन हेतु प्रायोगिक ढांचा ।

- लिंगबिग एण्ड कॉयल कंडेंसर का डिजाइन और फैब्रिकेटिड ग्लॅास एसेम्बली, पोटेंशियोस्टेट एण्ड प्लेन के लिए सैंपल होल्डर और अवतल दर्पण, प्रिज्म।

- कम लागत और अधिक निष्पादन एलईडी आधारित क्लोरोमीटर सहित 10 स्पॉट वेवलैंथ पेटेंट का डिजाइन और विकास को शीघ्र पूरा किया जाएगा । विभिन्न प्रयोगाशलाओं और अन्य विभागों द्वारा अपने–अपने प्रयोग हेतु 5 ऐसे माड्यूल का फैब्रीकेशन प्रक्रियाधीन है ।

- सौर सेल की विमात्रा दक्षता मान हेतु एक ढांचे का डिजाइन और विकास।

- एमटेल एवीआर हेतु कम लागत का प्रारूप कार्यक्रम और इंटेल 89 एस 52 प्रशिक्षण किट

- सौर सेल करेक्टराइजेशन उपकरण हेतु जेनॉन लैंप विद्युत आपूर्ति (कार्य प्रगति पर है)

- सैंट थॉमस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला उपकरणों के रख–रखाव संबंधी कार्यशाला के दौरान केन्द्र ने प्रतिभागियों के लिए एक लघु परियोजना आरंभ की और उन्होंने वैरिएबल नियंत्रित सी.डी. विद्युत आपूर्ति डिजाइन और एसेम्बल किया जिसका प्रयोग उनकी प्रयोगशालाओं में हो सकता है ।

- डब्ल्यूआरआईसी में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला उपकरणों के रख–रखाव संबंधी प्रयोगशाला के दौरान विभिन्न कॉलेजों के टैक्नीशियनों ने पूर्णरूप से कार्यरत. 12 वोल्ट नियंत्रित डी.सी. विद्युत आपूर्ति । इन एसेम्बल इकाइयों को कॉलेज विभागों को दान में दे दिया गया ।

fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx }kjk ik;kftr ifj;kstuk,¡ ¼ixfr ij g½

- पैराफिन तेल एरोसॉल प्रयोग करने वाले सेफ्टी मॉस्क और एअर फिल्टर मीडिया के निष्पादन मूल्यांकन हेतु पी.सी. आधारित प्रणाली का डिजाइन और विकास – जी.डी. पाटील।

- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु निरंतर निष्क्रिय आवेग आधारित माइक्रोकंट्रोलर का डिजाइन और विकास।

- इनफ्रारेड स्रोत प्रयोग कर फलों और सब्जियों को इष्टतम शुष्क करना ।

- **lEeyu@xkf"B;k@dk;'kkykvk vkfn e MCY;vkjvkbZlh d f'k{kdk }kjk Hkkx yuk**

"सालिडवर्क सी.ए.डी./सी.ए.एम. सॉफ्टवेयर " नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस इन एनेलिरिक्ल टैक्निकस (एनडब्ल्यूएटी–2010) " "लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम ", "मेंटेनेंस ऑफ वैंटिलेटरस ", "इम्बैडिड सिस्टम " और फिनाक्स कार्यक्रम के संबंध में लगभग छह राष्ट्रीय गोष्ठियों/कार्यशालाओं में केन्द्र के शिक्षकों ने भाग लिया ।

- **lnL;rk@eukuu;u**

ik0 ,-,e- ujlyS% भौतिकी अध्ययन बोर्ड हेतु अनुसंधान और मान्यता समिति मुंबई विश्वविद्यालय के सदस्य।

Jh d-d- egktu vkj Jh th-Mh- ikVhy (एक) मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परियोजना परीक्षा आयोजित की गई (दो) समस्त भारत के पॉलीटेकनिक और इंजीनियरिंग कॉलेज से परियोजना हेतु राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में निर्णायक की भूमिका अदा की ।

- **iqLrdky;**

पुस्तकालय में कुल **4471 iqLrd** हैं और निरंतर रूप से तीन भारतीय पत्रिकाएं खरीद रहे हैं । डब्ल्यूआरआईसी के कर्मचारियों के अतिरिक्त शैक्षिक और औद्योगिक संस्थानों के काफी लोगों द्वारा पुस्तकालय सुविधाओं का प्रयोग किया जाता था । अब पुस्तकालय में मुंबई विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट संपर्क प्राप्त किया गया है । यह डब्ल्यूआरआईसी कर्मचारिवृंद और साथ ही अन्य उपयोगकर्ताओं को ई–पुस्तकें, ई–जर्नलों तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सर्किटों तथा यंत्रों के ब्यौरे तक पहुंच बनाने में मदद कर रहा है ।

5-14-2 ,e-,l-Vh- jMkj vuqç;kx grq ;wthlh&,l-;w-oh- dsUnz] ,l-oh- fo'ofo|ky;] fr:ifr ¼vk-ç-½

- **,frgkfld i"BHkwfe**

मध्य पर्यावरणीय गति विज्ञान में अग्रिम अनुसंधान के लिए रडार सुविधा की संभावना के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता सृजित करने और एमएसटी रडार सुविधा का प्रयोग करने के लिए बुद्धिमान और युवा अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एमएसटी रडार अनुप्रयोगों के लिए यूजीसी–एसवीयू सेंटर, भारत में भौतिक विभाग, श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति में स्थापना की गई थी। यूजीसी–एसवीयू सेंटर, भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए वैज्ञानिक जानकारी के आदान–प्रदान हेतु साझे प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और यह केन्द्र पर्यावरणीय विज्ञानों के क्षेत्र में एमएसटी रडार एवं लिडार से संबंधित अध्ययनों के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत विज्ञानियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए सुगम्य है।

mnns';, ,oa e[; fo'ks"krk,¡

- भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक, जो कि परिमण्डलीय विज्ञानों में – विशेष रूप से एम.एस.टी. से जुड़े क्षेत्र के संदर्भ में कार्यरत हैं ऐसे वैज्ञानिकों की पहुॅच, यू.जी.सी.–एस.वी.यू. केन्द्र बनाना।

- यू.जी.सी.–एस.वी.यू. केन्द्र द्वारा ऐसी समस्त सुविधाऍ जो कि शोध कार्य एवं मूलभूत कम्प्यूटेशनल एवं अन्य सहायता के लिए हैं जिनकी आवश्यकता शोध कार्य पूरा करने के लिए होती है उन समस्त का उस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

- यू.जी.सी.–एस.वी.यू. केन्द्र परिमण्डलीय विज्ञान के क्षेत्र में पारस्परिक भ्रमण के आदान–प्रदान के लिए मंच उपलब्ध कराता है ताकि भारतीय परिमण्डलीय वैज्ञानिक समुदाय इस सहभागिता से पूरा लाभ उठा सके।

- परिमण्डलीय भौतिकी के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में, स्नातकोत्तर छात्रों को एवं शोध छात्रों को इन क्षेत्रों से जुड़े कुछ चुनौतीपूर्ण कार्यो से सामना करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

- परिमण्डलीय गतिकी के क्षेत्र में परीक्षणजन्य कार्यक्रम का समन्वयन करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें "एम. एस.टी. राडार" एवं अन्य ''सह–विन्यास'' उपकरण सुविधाऍ विद्यमान रहती हैं और इस समस्त प्रक्रिया में इन सुविधाओं के अवस्थिति को विशेष संदर्भ में देखा जाता है।

- परिमण्डलीय विज्ञान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, एक विस्तृत राष्ट्रीय स्तर वाला ऑकड़ों का विवरण/पुरालेख, संयोजित करता है – जो कि विशेष रूप से, उस संसाधित ऑकड़ों की वृहद् मात्रा से प्राप्त होता है– जो ऑकड़े "एम.एस.टी. राडार" एवं अन्य ''सह–विन्यास'' विधाओं से प्राप्त किये गए है।

- भारतीय अक्षांशों के ऊपर स्थित रहने वाले उस मध्यवर्ती पर्यावरण के लिए मॉडल बनाने तथा उन्हें अद्यतन करने में सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार के प्रतिमानों के तथा इसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले ऑंकड़ों के उपयोग द्वारा, ऐसे मौसम संबंधी पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी आदि जिन्हें भारतीय मौसम विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा घोषित किया जाता है उनमें इससे सहायता मिलेगी।

- **fjikVk/khu o"k ¼1 vçy] 2010 l 31 ekp] 2011½ d fy, ctV vkoVu ,o fu"iknu ctV**

mi&'kh"k	1-4-2010 dk vFk 'k"k	0;; ¼ekp] 2010 l vÁy] 2011½	31-03-2011 dk 'k"k
vukorh	1504.00	——	1504.00
okgu ¼tu] 2010½		800000.00	——
vkorh			
यात्रा 354407.00	261030.00	93377.00	
आकस्मिक	181344.00	253241.00	8103.00
वेतन 105455.00	248948.00	61507.00	
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	193.00	——	193.00
भाड़े पर एवं सेवाएं	234821.00	90468.00	59353.00
;kx	**877724-00**	**1653687-00**	**224037-00**

- **yf{kr leg dh doj t lfgr ykHkkfUorkdh l[;k ¼f'k{kd] Nk=] efgyk, vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr vkfn½**

30 संकाय सदस्यों द्वारा, वैज्ञानिकों एवं शोध विद्वानों द्वारा, यू.जी.सी.—एस.वी.यू. केन्द्र का कई बार दौरा किया गया है और उन्होंने "एन.ए.आर.एल." गाडनकी, में अनेक प्रयोग आदि किये हैं। दौरे पर आने वाले वैज्ञानिकों एवं छात्रों को अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे कि सी.डी., फ्लॉपी, यात्रा सहायता, आवास सुविधा हेतु ऑंकड़ों की प्रक्रिया, ऑंकड़ों का विश्लेषण, संबद्ध साहित्य की सहायता, एल्गोरिद्म्स जो कि ऑंकड़ों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है उनका विकास कार्य आदि।

- **o"k 2010&11 d nkjku Jh ,l0oh0 fo'ofo|ky; }kjk çnÙk ih-,p-Mh- fMfx;k**

    एस0वी0 विश्वविद्यालय द्वारा शोध कर रहे **nk** छात्रों को पी.एच.डी. डिग्रियाँ प्रदान की गई हैं।

- **o"k 2010&11 d nkjku ldk; lnL;k] oKkfudk ,o 'kk/k fo}kuk }kjk fd; x, nkj**

    वर्ष 2010—11 के दौरान कुल मिलाकर **46** संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों एवं शोध विद्वानों द्वारा केन्द्र का दौरा किया गया।

- **;thlh&,l-oh-;- dUn e miyC/k lfo/kkvk dk ykHk mBkdj o"k 2010&11 d nkjku idkf'kr 'kk/k ii=**

यूजीसी—एसवीयू केन्द्र पर सुविधाओं का लाभ उठाते हए, केन्द्र की संकाय ने 10 अनुसंधान पत्र, विख्यात रेफर्ड जर्नलों में प्रकाशित किए । अनुसंधान का शीर्षक निम्नवत् है:

1. वीएचएफ रॉडार का अपयोग करते हुए झंझावात के साथ संबंधित अवपतन तथा बूंद के आकार का संवितरण ।

2. जेमिनिड मीटीयोर भावर के दौरान गादानकी पर मीजोस्फेरिक सोडियम।

3. आपानोस्फीयर ई–क्षेत्र में मीटीयार शावर तथा ट्रेल के परिणामस्वरूप उभरी अनियमितताएं।

4. उच्च रेजुलूशन जीपीएस रेडियोसोंड प्रेक्षण द्वारा उद्घाटित भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र पर मानसून के निम्नस्तरीय जेट का कौतूहल पैदा करने वाला पहलू ।

5. उष्णकटिबंधीय पूर्वोन्मुखी जेट (तेज) धाराओं में पाई गई उप–दैनिक विभिन्नताएं।

6. कालमनर और सतही मापको से तिरुपति (भारत) के भाहरी क्षेत्र पर एरोसोल क्लाइमेटोलॉजी का पता लगाया गया।

7. काजमिक जीपीएस आरओ द्वारा जल वाष्प का वैश्विक संवितरण (50^0 द.–50^0 उ.): जीपीएस रेडियोसोंड, एनसीईपी, ईआरए–अंतरिम तथा जेआरए–25 पुनर्विश्लेशण आंकड़ों के सेट की तुलना ।

8. वर्ष 1996–2007 के दौरान लियोनिड पुच्छल तारे की आंधी का एमएसाटी राडार प्रेक्षण ।

9. मई 2009 के दौरान गदानकी (13.8^0 उ.–79.2^0 पू.) पर आप्टिक तरीके से अल्पकालिक मीजोस्फेरिक तरंग मापन।

10. भारत के निम्न अक्षांशों पर मध्यम वायुमण्डलीय तरंगों का एक साथ रेलीग लिडार तथा एयर–ग्लो मापन ।

- **vk;kftr fd, x, lEesyu] fon'kh ifrfuf/keMyk d nkj rFkk vk;kftr fd, x, vU; egRoi.k lEesyu] ;fn vk;kftr fd, x, gk A**

1. ''इंजीनियरिंग स्टॉफ हेतु वायुमण्डलीय विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल'' पर 25–26 दिसम्बर, 2010 को आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला ।

2. ''वायुमण्डलीय दूरसंवेदी मौसम पूर्वानुमान तथा जलवायु परिवर्तन ''(एआरडब्ल्यूपीसीसी–2011) पर 10–11 मार्च, 2011 को आयेाजित राष्ट्रीय सम्मेलन।

5-14-3 varfo'ofo|ky; ekufodh rFkk lkekftd foKku dUnz ¼vkbZ;wlh,p,l,l½] Hkkjrh; mPp v/;;u laLFkku] f'keyk ¼fg-ç-½

- **,frgkfld i"BHkfe**

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के लगभग 46 वर्षो से भी अधिक समय में छात्रवृत्ति की दुनिया में अनुसंधान अनुभव एवं विद्वतापूर्ण चिंतन–मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसकी 35 विद्वानों के समुदाय, एक निवासी समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। संपूर्ण देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों एसोसिएशन ऑफ इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर से इस समुदाय में विद्वानों को भर्ती किया जाता है तथा लाभप्रद अकादमिक परिवेश के साथ–साथ वे यहां के सांस्कृतिक अंतर–विधाओं से काफी कुछ सीखते हैं।

• mnns';

केन्द्र के अकादमिक कार्यक्रम के तीन मूलभूत घटक हैं (i) ऐसोशियेटशिप की स्कीम (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन करना; और (iii) शिमला संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

• ,lksf'k,Vf'ki

वर्ष 2010–11 के दौरान, समस्त भारत से आए 115 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों ने संस्थान में एक माह के एसोशिएट्शिप का लाभ उठाया। अब तक जो भी एसोशिएट् संस्थान में आए उन्होंने दौरा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिप्राप्ति में संस्थान की भूरी–भूरी प्रशंसा की है। भारतीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान द्वारा सहभागियों को पर्याप्त पुस्तकाल सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षणिक मैत्रीपूर्ण वातवारण एवं सर्वश्रेष्ठ शैक्षिणिक विद्वानों के साथ सहभागिता का सुअवसर उपलब्ध कराया जाता है तथा वह सहभागी संस्थान को छोड़ने के समय सम्पूर्ण पुनश्चर्या से युक्त एवं बौद्धिक रूप से अपने अध्यापन करियर का अनुकरण करने के लिए पुनः प्रोत्साहित होकर प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में किया जिससे वे पिछले कुछ समय से जुडे हैं (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने (ग) संस्थान के ग्रंथागार में अध्ययन करने और (घ) एक पत्र लिखें जिसमें उनके सहयोगियों को किए गए प्रस्तुतिकरण का विवरण दिया गया हो । (ड) संस्थान के फेलो तथा भारत, साथ ही विदेशों से आए विशिष्ट फेलों के साथ बातचीत करने में बिताया। साथ ही, एसोशिएटों ने संस्थान में नियमित रूप से होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लिया।

• lxksf"B] lEesyu] ifjlokn v/;;.k lIrkg ,oa xksy&estt

अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियॉ आयोजित की गईं :–

1.''महाभारत टुडे '' पर वसंत कार्यशाला (14–28 अप्रैल, 2010)।

2. ''आधुनिकता तथा पंजाब और हरियाणा का बदलता हुआ सामाजिक ढांचा '' विषय पर संगोष्ठी (27–29 सितम्बर, 2010)।

3. गॉंधी–जीवन एवं विचार पर शरद कार्यशाला (1–5 दिसम्बर, 2010)।

• vkbZ;wlh ,lksfl,V~l }kjk dh xbZ lkIrkfgd lxksf"B;k

संस्थान का दौरा करने वाले एसोसिएटों को संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष अपनी पसंद के विशेषज्ञता वाले विषय पर एक प्रस्तुतिकरण करना होता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 115 आईयूसी एसोसिएटों ने 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के बीच साप्ताहिक संगोष्ठियां की । इस अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 115 आईयूसी एसोसिएट्स में से 33 महिलायें थी (31 सामान्य श्रेणी; 1 अ0जा0; 1 अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा 82 पुरूष (69 सामान्य श्रेणी; 10 अन्य पिछड़ा वर्ग; 2 अ0जा0 तथा 1 अ0ज0जा0) थे ।

• çkf/kdkjh oxZ

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक हैं, आइयूसी के भी निदेशक हैं इस केन्द्र की एक अकादमिक समिति है जिसके अध्यक्ष भी यही निदेशक महोदय हैं तथा यह समिति ही समस्त अकादमिक मामलों पर परामर्श देती हे। इस समिति में देश के विभिन्न भागों से आए हुए विभिन्न विषयो के अकादमिशियनों द्वारा वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है। इस केन्द्र का जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है वह एक सहभागी समिति है जिसके प्रमुख हैं– मानवीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जिसके सह– अध्यक्ष हैं, इस भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निर्देशक हैं।

- **y[kk**

वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रू. 43.00 लाख राशि का अनुदान इस संस्थान को जारी किए गए थे तथा वहीं दूसरी ओर दिनांक 01.04.2010 को, इस संस्थान के पास 17.64 लाख रु0 की राशि अथ शेष थी।

5-14-4 fdLVy fodkl dUn % vUuk fo’ofo|ky;] pUubl ¼rfeyukM½

- **dUn dh ,frgkfld i"BHkfe**

क्रिस्टल विकास एवं लक्षण–वर्णन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उददेश्य से अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा क्रिस्टल विकास केन्द्र की स्थापना की गई थी इस क्रिस्टल विकास केन्द्र में सुविख्यात एवं कठोर परिश्रमी संकाय सदस्यों एवं शोध विद्वानों द्वारा भागीदारी की जा रही है तथा वर्ष 1990 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा केन्द्र को अन्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस केन्द्र को अन्तर विश्वविद्यालय सीजीसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा इस केन्द्र को यूजीसी ए.यू फैसिलिटी फॉर क्रिस्टल ग्रोथ के रूप में अभिलक्षित किया गया।

- **mnn’; vkj e[; fo’k"krk,**

क्रिस्टल संवर्धन में जो अग्रणी क्षेत्र अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के सापेक्ष एवं इसकी संवृद्धि एवं विशिष्टताओं को चित्रित करने वाले हैं तथा जिनसे इस क्षेत्र के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षण मिल सके ऐसी शोधपरक गतिविधियों को प्रोन्नत करना ही इस केन्द्र का लक्ष्य है।

डीएसटी, डीएई, डीआरडीओ, यूजीसी, इसरो, एमएनईएस, डीओई, बीआरएनएस, आईयूएसी, सीएसआईआर, डीआईटी तमिलनाडु सरकार आदि जैसी राष्ट्रीय वित्तपोशक एजेन्सियों द्वारा समर्थित अनेक वृहद राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम लागू किये । केन्द्र का उद्वेश्य आगन्तुक कार्यक्रम के तहत संपूर्ण देश से अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुसंधान हितों का संवर्धन करना भी था ।

केन्द्र, अनसंधान और गतिविधियेां को सतत् रूप सो बढ़ावा देने के लिए लगातार अनेक राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों/गोष्ठियों का भी आयोजन करता रहा है । केन्द्र द्वारा कुछ औद्योगिक परामर्शदात्री कार्यक्रम भी किये गये है।

- **fjikVk/khu o"k ¼1 vily] 2010 l 31 ekp] 2011½ d fy, ctV vkoVu vkj fu"iknu ctV**

Øe l0	;thlh lnHk l0 vkj fnukd	;ktuk vof/k vof/k	;thlh }kjk tkjh dh xbl /kujkf'k	mi;kx dh xbl /kujkf'k	'k"k
1.	सं0 एफ.6–3/2009 (आईयूसी), दिनांक 20.12.2010	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	24,25,000/–	24,25,000/–	शून्य

प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से यूजीसी और अन्य वित्तपोषण एजेन्सियों से प्राप्त निधिया: 9.50 करोड़ रु0

वर्ष 2010–11 के दौरान उपयोग की गई धनराशि : 6.88 करोड़ रु0

वर्ष 2011–12 के लिए अग्रेनीत शेष : 2.62 करोड़ रु0

- **ykHkkfFk;k dh l[;k lfgr yf{kr leg dh dojt**

शिक्षक	:	50
छात्र	:	60
महिलाएँ	:	15
अ.जा. / अ.ज.जा.	:	10

- **vk;kftr fd, x, lEeyu] nkjk dju oky fon’kh ifrfuf/keMy**

lEeyu

1. ''नवीकरणीय ऊर्जा में नवीन प्रौद्योगिकियां '' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 17–19 अगस्त, 2010 तक आयोजित की गई ।

2. ''सेमीकंडक्टर्स, नैनो स्ट्रक्चर्स, थिन फिल्म्स एण्ड एप्लीकेशन'' पर भारत–इटली कार्यशाला का 8–10 सितम्बर, 2010 को आयोजन किया गया ।

3. ''वाईड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स नैनो स्ट्रक्चर्स '' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का 10–11 जनवरी, 2011 को आयोजन किया गया ।

fon’kh ifrfuf/keMyk dk nkjk :

1. डॉ. डी. मुलीस्वरन शिजुको विश्वविद्यालय, जापान
2. श्री सईद आसिफ, अमेरिका
3. श्री अगंस तंसाग क्वोक
4. डॉ. बालचन्द्रन, अमेरिका
5. डॉ0 बी. वेगाटेशन, जापान

- **vU; n’kk@vrjk"Vh; lxBuk d lkFk le>kr**

1. पोलिटेक्निको तोरिनो, इटली
2. बोलोगांना विश्वविद्यालय, इटली
3. शिजुको विश्वविद्यालय, जापान
4. एनआईएमएस, जापान
5. केटीएच, स्वीडन

- **idk’kuk dh lph**

विभिन्न विख्यात जर्नलों में 51 अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए ।

- **fØLVy xkFk lVj dk vU; C;kjk**

13.10.2010 को क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर के निदेशक प्रो0 डी. अरिवोली, को भारतीय विज्ञान कांग्रेस मदुरै कामराज विश्वविद्यालय ने विशिष्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार प्रदान किया गया।

- **Qkby fd, x, iVV**

(1) कैपिसेटेंस एवं कंडक्टेंस परिवर्तनों के आधार पर यंत्र संवेदी का उपयोग कर जैव– रसायन क्रियाओं का लक्षण वर्णन ।

(2) जीए–ईडीटीए सम्मिश्रण का नाइट्राईडेशन के माध्यम से नैनो क्रिस्टलाईन गैलियम नाइट्राईड का निर्माण एवं लक्षण वर्णन ।

5-15 fo'ofo|ky; vuqnku vk;kx }kjk fpfUgr pkj esa ls fdUgh nks foKku vdkfe;ksa ds v/;srk f'k{kdksa dk fo'ks"k ekuns;

योजना का मुख्य उद्वेश्य भारत में व्यावहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान संवर्धन करना है जिससे राष्ट्रीय कल्याण और वैज्ञानिक अकादमियों, सोसायटियों, संस्थानों तथा भारत सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाया जा सके ।

जिन शिक्षकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो शिक्षक यूजीसी द्वारा चिन्हित चार में से कम से कम किन्ही दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हो, वे विशेष मानदेय के लिए पात्र हैं ।

एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद।

दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरू।

तीन) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली ।

चार) राष्ट्रीय अभियांत्रिकी विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली ।

जो शिक्षक सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कार्यरत है वे यूजीसी से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। महत्वाकांक्षी शिक्षकों के पिछले 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पीयर–रिव्यू जर्नलों में 5 अनुसंधान पत्र प्रकाशित होने चाहिए ।

शिक्षक के 65 वर्ष की आयु होने तक भटनागर पुरस्कार विजेता के रूप में या तो सीएसआईआर से मानदेय प्राप्त कर सकता है अथवा यूजीसी योजना के तहत मानदेय प्राप्त कर सकता है । चयनित शिक्षा 15000/– प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्राप्त करने के पात्र हैं।

पात्र शिक्षक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया को आवेदन भेज सकते हैं । प्राप्त आवेदनों की छानबीन की जायेगी और पुरस्कार विजेताओं का पात्रता के आधार पर चयन किया जाता है । पुरस्कार विजेताओं के चयन के उपरांत, संस्थानों को उनके लिए निधियाँ जारी करने के लिए यूजीसी से अनुरोध करना होता है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और तीन राज्य विश्वविद्यालयों को 17.85 लाख रु0 की कुल धनराशि जारी की गई थी ।

5-16 fo'ofo|ky;ksa ds lkd; lalk/kuksa esa of) djuk ¼budkj½

योजना का उद्वेश्य निम्नवत हैं:

- भारत के विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय प्रणाली से इतर पेशेवरों और विशेषज्ञों की मदद से व्यापक बनाना तथा प्रभावपूर्ण बनाना ।
- एमफिल तथा पीएचडी स्तर पर गुणवत्ता तथा वैश्विक रूप से तुलनीय अनुसंधान को उत्प्रेरित करना।

- विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण के उतरोत्तर रूप से संपन्न बनाना ताकि ज्ञान सृजन और उत्कृष्टता की खोज को सतत् बनाया जा सके ।

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत वि.अ.आ. से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय पात्र हैं ।

अनुबंधित संकाय और स्कॉलर्स–इन–रेजीडेंस हेतु निम्नवत आबंटन मानदंड हैं:

i|dkj	vucf/kr l|dk;	Ldky l|&bu&j thMs l
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5	2
राज्य विश्वविद्यालय	2	1
सम विश्वविद्यालय	1	1

किसी एक दिए गए समय के आधार पर अनुबंधित संकाय हेतु कुल 706 पद है और कार्यकाल एक अकादमिक वर्ष/दो सेमेस्टर है । स्कालर्स–इन–रेजीडेंस हेतु किसी एक दिये गये समय के आधार पर 512 पद है और कार्यकाल 6 से 24 माह है ।

अनुबंधित संकाय के लिए प्रतिव्यक्ति 30,000 रु0 प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 1500/– रु0 प्रति शिक्षण घंटा/सत्र की वित्तीय सहायता दी जाती है । स्कॉलर्स–इन रेजीडेंस के लिए यह 80,000/–रु0 प्रति माह और 1 लाख रु प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को उनके लिए उपयुक्त कार्यालय तथा रिहायशी आवास उपलब्ध कराना होता है ।

एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर आदि संगठनों से युवा एवं अपनी कैरियर के बीच के पड़ाव वाले पेशेवर/विशेषज्ञों आदि अथवा जिनके पास स्नतकोत्तर या डाक्टोरल अर्हता है । स0क्षे0उ0 या व्यापारिक घरानों के अ0 एवं वि0 प्रकोष्ठों से जुड़े पेशेवर भी अनुबंधिक संकाय के लिए पात्र हैं ।

एईसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, आईसीएआर आदि के तहत संगठनों से वरिश्ठ पेशेवर और विशेषज्ञ जिनके पास स्नतकोत्तर या डाक्टोरल अर्हता हो । स0क्षे0उ0 और व्यापारिक घरानों के अ0एपवं वि0 प्रकोष्ठों से जुड़े पेशेवर भी स्कलार–इन–रेजीडेंट के लिए पात्र हैं ।

वर्ष 2010–11 के दौरान योजना के अंतर्गत चयनित संकाय तथा स्कलरों को भुगतान हेतु 37.80 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई है ।

5-17 fo'ofo|ky;k vkj egkfo|ky;k e vkrfjd x|.koRrk i|dk"B ¼vkbD;|,lh½

इस योजना का मुख्य उद्वेश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) तथा गुणवत्ता विकास (क्यूई) क्रियाकलापों की योजना तैयार करना इन्हें मार्ग दर्शन प्रदान करना उनकी निगरानी करना है । आईक्यूएसी अकादमिक उत्कृष्टता हेतु संस्थानों के प्रयासों और उपायों को सुग्राही बना सकता है एवं प्रणालीबद्ध कर सकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पात्र हैं ।

आईक्यूएसी की स्थापना एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए होने वाले के व्यय को पूरा करने तथा विश्वविद्यालयों को एकमुश्त 5.00 लाख रु0 की बीजराशि व महाविद्यालयों को 3.00 लाख रु0 की धनराशि प्रदान की जाती है ।

आईक्यूएसी को दो चरणों में लागू किया जा रहा है – प्रथम चरण विश्वविद्यालयों (राज्य/केन्द्र) के लिए है दूसरा चरण महाविद्यालयो के लिए है । वर्तमान में ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रथम चरण चल रहा है । दूसरे चरण के लिए महाविद्यालयों से प्रस्तावों पर बारहवीं योजना के दौरान विचार किया जाएगाा ।

वर्ष 2010–11 के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना करने के लिए 15 राज्य विश्वविद्यालयों को कुल 67.50 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई थी ।

5-18 o'fRr ¼dfj;j½ mUufr ;ktuk ¼dl½ d v/khu jhMj l çkQlj d in ij inkUufr d fy, fo-v-vk- i;o{kdk dh fu;fDr

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में कार्यरत समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन रीडर से प्रोफेसर की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया का परिवीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके कर रहा है। यह व्यवस्था, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिए बनाई गई क्रियाविधि का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2010–11 के दौरान, वृत्ति उन्नति योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 158 यू0जी0सी0 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

5-19 fo0v0vk0 Lokeh ç.kokun IjLorh jk"Vh; iqjLdkj] ;q-th-lh- gfjvke vkJe U;kl jk"Vh; iqjLdkj rFkk ;qthlh on 0;kl ILd`r jk"Vh; iqjLdkj

- **fo0v0vk0 jk"Vh; Lokeh ç.kokun IjLorh iqjLdkj**

यू.जी.सी. द्वारा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना, 5.00 लाख रु0 की उपदान की सहायता राशि द्वारा की है जो कि निदेशक, योग सोसाईटिज़ इन अमेरिका द्वारा प्रदान की गई है तथा जिस राशि की सहायता द्वारा निम्न पुरस्कारों को वर्ष 1985 से लेकर आज तक किया जाता रहा है। यह समस्त पुरस्कार उत्कृभट विद्धतापूर्ण वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जिनसे मानव ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है और जिनके द्वारा समस्याओं पर नए तरीके से प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक पुरस्कार में अब रू. 50,000/– प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से यूजीसी का अंश रू. 40,000/– है। पुरस्कार पाँच क्षेत्रों में दिऐ जाते हैं अर्थात् शिक्षा, अर्थशास्त्र पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, राजनीति विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। इन पुरस्कारों के लिए ऐसे समस्त व्यक्ति जो कि भारतीय नागरिक हैं तथा जो विश्वविद्यालय प्रणाली /महाविद्यालय मे कार्यरत हैं जो कि अनुसंधान /अग्रिम अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त हैं उनसे जुडे हुए हैं– ऐसे व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। भारतीय विद्वानों द्वारा किए गए योगदानों पर जीवनपर्यन्त एक बार ही विचार किया जायेगा।

- **;qthlh u'kuy gfjvke vkJe U;kl iqjLdkj**

हरिओम आश्रम न्यास, नडियाड द्वारा दिए गए दान की सहायता से वि.अ.आ. ने इन पुरस्कारों को प्रारम्भ किया है जो वर्ष 1974 के बाद से हर वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए जाते रहे हैं। इन पुरस्कारों की राशि 50,000/–रूपये है जिसमें कि वि.अ.आ. का योगदान रू. 40,000 का है।

- **;qthlh u'kuy on 0;kl jk"Vh; ILd`r iqjLdkj**

वर्ष 2000 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्करत में गुणवत्ता युक्त शिक्षण/अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए और उत्कृष्ट शिक्षकों को अभिलक्षित करने के लिए तथा उनके द्वारा अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों तथा संस्कृत भाषा के

संवर्द्धन के लिए वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसमें रू. 1,00,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार वाले सभी अध्यापक जो संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर/स्नातकपूर्व अध्यापन कार्यरत हैं, इसके लिए पात्र हैं।

संस्कृत भाषा के ऐसे शिक्षकों जिनका कि अध्यापन एवं अनुसंधान में संस्कृत भाषा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है तथा इस भाषा को प्रोन्नत करने के लिए योगदान किया है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

mijkDr iqjLdkj doy o"kZ 2007 rd gh p;fur iqjLdkj fotsrkvksa dks chp ckVs x, gSaA

5-20 ckSf)d lEink vf/kdkj ¼vkbZihvkj½ ds çfr tkx:drk c<kuk rFkk iSVsaVksa dh lqfo/kk çnku djuk

विश्वविद्यालय तंत्र, नए ज्ञान के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में विश्वविद्यालयों में सृजित ज्ञान का जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। स्कालरली जर्नलों में प्रकाशन ही मानदण्ड था। अब ज्ञान आर्थिक शक्ति की नई मुद्रा का रूप है। यह प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का स्रोत है। विश्वविद्यालय जोश–खरोश के साथ अपने ज्ञान आधार की रक्षा करते है। संरक्षित ज्ञान से आर्थिक प्राप्तियॉं नए ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करती है तथा नवोन्मेष को ऊर्जा देते हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान के सृजन के प्रतिमानों में बदलाव हुआ है। संपूर्ण विश्व में निजी स्वामित्व के साथ ही नए ज्ञान को बौद्धिक सम्पदा (आई0पी0) के रूप में संरक्षित करने का रूझान है। आई.पी. के अनेक प्रकार है जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक सूचक, इंटीग्रेटिड सर्किट तथा व्यापार गोपनीयता। अब, वैश्विक तथा राष्ट्रीय, दोनों ही स्तर पर बौद्धिक संपदा के फलस्वरूप अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए ढांचा मौजूद है।

अब यह महत्वपूर्ण है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने बौद्धिक संपदा अधिकार को उचित रूप से संरक्षित रखे। यह एक नया विकास है, अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास अपने अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने हेतु सक्षम बनाने की विशेषज्ञता तथा प्रक्रियाएँ मौजूद नहीं है। इसलिए जागरूकता पैदा करके एक सक्षमकारी नीतिगत वातावरण तैयार किए जाने, उचित ढांचा तथा प्रकियाऍं उपलब्ध कराने तथा अनुसंधानकर्ताओं को उनके आई.पी.आर. को संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यूजीसी की यह पहल, विभिन्न एजेन्सियों की मौजूदा पहल/चालू गतिविधियों के साथ सामंजस्य से चलेगी तथा इसका पेटेंट/कापीराईट कार्यालयों के साथ सुदृढ़ संबंध होगा। विश्वविद्यालय तंत्र द्वारा आई.पी.आर. जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए तथा आई.पी.आर. संरक्षण एवं प्रबंधन सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई.पी.आर. पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आई.पी.आर. से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चर्चा एवं विचार किया गया तथा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में नए आई.पी.आर. केन्द्र स्थापित करने के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5-21 fons'kksa esa Hkkjrh; mPp f'k{kk dks c<kok nsuk ¼ih-vkbZ-,p-bZ-,-Mh-½

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय कॉलेजों में बहुसंस्कृति का वातावरण तैयार करने के एक साधन के रूप में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्धन करने की रणनीति के रूप में देखा जाता है जिससे विविधता तथा अंतर्राष्ट्रीय साख को बढ़ावा मिलता है। लागत कारक हमारे पक्ष में होने के कारण, बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के भारत में आने की संभावना है। इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा को एक उचित रणनीति तथा कार्ययोजना के साथ विशिष्ट ब्रांड के रूप में उभारने की आवश्यकता है।

इसमें चार विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता होगी :

1. एक विशिष्ट देश के संदर्भ में कैसी शिक्षा होनी चाहिए तथा हम उन्हें कैसी शिक्षा दे सकते है। इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए देश के अनुरूप एक रणनीति बनाना।
2. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भरोसेमंद तथा अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रसार तथा संवर्धन और भारतीय शिक्षा की विलक्षणता पर ध्यान देने के लिए संचार रणनीति तैयार करना।
3. दाखिले एवं वीजा इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना।
4. यहॉं पहले से ही रह रहे छात्रों को अच्छा अनुभव हो इसके लिए उनकी आशाओं पर खरा उतरना।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय रूप से समस्त कार्यक्रम तथा विदेश में कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय संस्थानों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल पर परामर्श देने तथा इसे बल देने के लिए एक स्थायी समिति (एस.सी.) का गठन किया है।

पी.आई.एच.ई.ए.डी. पहल के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मई, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल्टीमोर, मेरीलैण्ड में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2004 में विकासशील देशों से नियमित कार्यक्रमों में छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की की सहायता से पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया, तन्जानिया, केन्या) में शिक्षा मेलों का आयोजन किया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिष्टमण्डल ने पुनः वर्ष 2006–07 के दौरान अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में तथा वर्ष 2007–08 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन, डीसी में आयोजित एनएएफएसए सम्मेलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त यूजीसी के एक प्रतिनिधि–मंडल द्वारा कुछ चयनित सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सहभागिता में गेटेक्स समारोह में भागीदारी की गई, जो समारोह दुबई इन्टरनेशनल कन्वेशन एण्ड एक्ज़ीबीशन सेन्टर, दुबई में 15–18 अप्रैल, 2009 को हुआ जिसका लक्ष्य था संयुक्त अरब अमीरात से छात्रों को आकर्षित करना। यह समस्त गतिविधियाँ न केवल अत्यधिक सफ़ल रही है बल्कि इनके द्वारा यूजीसी को भारतीय शिक्षा को विदेशों में प्रोन्नत करने के लिए बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त हुआ है। इस अनुभव को आधार बनाकर यूजीसी द्वारा कई गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।

6- vu|l/kku dk çkRlkgu

6-1 f'k{kdk d fy, vu|l/kku ifj;ktuk,; ogn ,o y?k

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानविकी सामाजिक विज्ञान, भाषा साहित्य, शुद्ध विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, भेषज, चिकित्सा, कृशि विज्ञान आदि उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील हैं जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था विज्ञान, पर्यावरण, जैव–प्रौद्योगिकी नैनो–प्रौद्योगिकी, दबाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन तथा अर्थव्यवस्था, विज्ञान, इतिहास, एशियन दर्शनशास्त्र तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए, अनेक अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो एक विशिष्ट विषय से संबधित नहीं है।

इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान कर उच्च शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना है।

वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नियमित स्थायी, सेवानिवृत्त/कार्यरत शिक्षक इसके पात्र हैं। अनुसंधान परियोजना को एक शिक्षक या शिक्षकों के एक समूह द्वारा आरम्भ किया जा सकता है। कुलपति, प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष के अलावा शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। शिक्षक, कार्यरत या सेवानिवृत्त, किसी एक समय पर वि.अ.आ. द्वारा प्राप्त केवल एक स्कीम/ परियोजना का कार्य कर सकते हैं। सेवानिवृत्त, 70 वर्ष की उम्र तक के शिक्षक योजना में भाग ले सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में, उस विभाग का सह–अन्वेषक (नियमित शिक्षक) होना आवश्यक है यहां परियोजना कार्य किया जाना है।

आयोग, उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को विशेषकर लैक्चरारों में शिक्षण को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो किसी स्वीकृत पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षण कार्य के साथ साथ लघु अनुसंधान परियोजना या डॉक्टोरेट उपाधि के लिए कार्य कर रहें हैं। लघु अनुसंधान परियोजना के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र नहीं हैं।

अनुसंधान परियोजना के लिए दी जाने वाली सहायता निम्नवत है :

- अभियांत्रिकी एवं तकनीकी प्रौद्‌योगिकी चिकित्सा, भेषज, कृषि आदि सहित विज्ञान में मुख्य अनुसंधान परियोजना — 12.00 लाख रुपये
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान में मुख्य अनुसंधान परियोजना — 10.00 लाख रुपये
- विज्ञान में लधु–अनुसंधान परियोजना 2.00 लाख रुपये
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना — 1.50 लाख रुपये

वि. अ. आ. द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता, पुस्तकों एवं जर्नल, अनुसंधानकर्ताओं भाड़े पर ली गई सेवाओं, आकस्मिकताओं रसायन तथा उपभोज्य मदों यात्रा तथा स्थल कार्य तथा किसी अन्य विशेष आवश्यकता के लिए हैं। तथापि, अनुसंधान कर्मियों के लिए सहायता लघु अनुसंधान परियोजना में प्रदान नहीं की जाएगी।

वि.अ.आ., परियोजना अवधि के दौरान, निम्नलिखित अनुसंधान स्टॉफ को सहायता प्रदान करने हेतु शामिल करने के लिए अनुमोदित कर सकता है। अनुसंधान कर्मचारी, अनुसंधान परियोजना पर मुख्य अन्वेशक के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए कार्य करेगा।

- **ikLV MkDVkjy Qyk ¼ih-Mh-,Q-½ ½**

45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिसके पास डाक्टरेट की उपाधि हैं अथवा संबंधित क्षेत्र में उसके द्वारा प्रकाशित अनुसंधान कार्य हैं, पी. डी. एफ. के रुप में उसकी सेवाएं जो जा सकती है। पी. डी. एफ. की परिलाब्धियॉं 12,000 रुपये प्रतिमाह (निर्धारित) + मकान किराया भी शामिल होगा।

• ifj;kstuk ,lksf'k,V ¼ih-,-½

नेट जे. आर. एफ./लेक्चरारशिप तथा स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण किए गए अभ्यार्थी को परियोजना के रुप में नियुक्त किया जा सकता हैं। पी. एच. डी./एम. फिल. उपाधि एम. ई/ एम. टेक./ एम. काम. उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को भी परियोजना सहायक के रुप में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति के समय अभ्यार्थी की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। परिलब्धियाँ 10,000 रुपये प्रतिमाह (निर्धारित)+ मकान किराया भत्ता होगा।

• ifj;kstuk QSyks ¼ih,Q½

परियोजना फैलो को 8000/– रुपये प्रतिमाह सहित मकान किराया भत्ता के समेकित वेतन पर नियुक्त किया जा सकता हैं। परियोजना फैलो के रुप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यार्थी की नियुक्ति के समय आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अ. जा./अ. ज. जा./शा. वि. के मामले में 50 प्रतिशत) द्वितीय श्रेणी की निष्णांत उपाधि होनी चाहिए अथवा बी.ई/बी. टेक. एवं एम. बी. बी. एस. की निष्णात उपाधि प्राप्त व्यक्ति भी परियोजना फैलो (पी. एफ.) के रुप में पात्र हैं।

सेवानिवृत शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 70 वर्ष की उम्र तक मानदेय दिया जा सकता है। यदि मुख्य अन्वेषक की परियोजना अवधि के दौरान 70 वर्ष की आयु हो जाती हैं और कुछ काम किया जाना शेष हो तो मुख्य अन्वेषक को शेष अवधि के लिए मानदेय दिया जा सकता है।यदि परियोजना अवधि के दौरान कोई शिक्षक सेवानिवृत हो जाता हैं जो एक शपथपत्र जिस पर उसकी जन्मतिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि दी गई है और यह बताया गया हो कि वह कही भी नियोजित नही हैं तथा वह किसी सरकारी/गैर सरकारी संगठन से कोई मानदेय प्राप्त नहीं कर रहा है, दिया जाना चाहिए तथा ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया गया है तथा विभाग के डीन तथा संस्थान के प्रमुख जिस पर साक्षी हो।

वि.अआ., मामला दर मामला आधार पर परियोजना के लिए मूलभूत रुप से आबंटित निधियों के पुनर्विनियोजन पर विचार कर सकता है। अनावर्ती से आवर्ती के पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है। मुख्य अन्वेषक, प्रत्येक शीर्ष (केवल आवर्ती) के तहत आंबटित अनुदान का 20 प्रतिशत तक पुनर्विनियोजित कर सकता हैं। अध्येतावृत्ति के लिए अनुदान को पुनर्विनियोजित नही किया जा सकता है।

मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि के लिए बृहद अनुसंधान परियोजना की अवधि 24 माह तथा विज्ञान तथा अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी के छह माह के समय विस्तार के साथ 36 माह होगी। समय विस्तार केवल विशेष परिस्थितियों में दिया जाएगा तथा यह बिना किसी वितीय सहायता के होगा। समय विस्तार के दौरान, सेवानिवृत शिक्षकों को मानदेय तथा अनुसंधान कर्मियों के लिए अध्येताव ति नहीं दी जाएगी। लघु अनुसंधान परियोजना की अवधि तीन माह के समय विस्तार के साथ 18 माह होगी। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, संस्थान द्वारा निधियों की प्राप्ति की तिथि अथवा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर किए गए कार्य की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट को आयोग को प्रस्तुत करना होगा। वि.अ.आ., विश्वविद्यालय की चल रही सभी वृहत परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा बैठक, मुख्यालय तथा महाविद्यालय के संबध में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाएगा जिन्होंने डेढ़ वर्ष या दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। मुख्य अन्वेषक को एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष किए जा रहे कार्य के प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाएगा। मघ्यावधि समीक्षा पर हुआ व्यय परियोजना निधियों से किया जाएगा। वि.अ.आ., की मध्यावधि मूल्यांकन समिति, परियोजना को जारी रखने पर विचार करेगी यदि परियोजना का मुख्य अन्वेशक मध्यावधि समीक्षा बैठक में उपस्थित नही होता हैं तो समिति सामान्य परिस्थितियों में परियोजना को रद्द कर सकती हैं तथा पी. आई. द्वारा वि.अ.आ., को संपूर्ण राशि लौटानी होगी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जितनी परियोजना प्राप्त हुई तथा अनुमोदित हुई बजट आवंटन तथा वि.अ.आ. द्वारा लघु और वृहद परियोजाओं के लिए जारी अनुदान (केवल विश्वविद्यालयों के लिए) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

Øe l-	ldk;	o"k 2010&11 d fy, ctjh; vkcVu ¼ djkM #i; e½	vu'kf lr ,o vuekfnr ifj;ktuk,	tkjh fd;k x;k vunku ¼#i; djkM e½	efgyk tkpdrkvk dh l[;k
1.	भेषज और चिकित्सा सहित विज्ञान, अभियांत्रिकी विषयों में वृहद एवं लघु शोध परियोजनाएँ	41.00	वृहद–929 लघु–100	58.34	310
2.	मानविकी एवं समाज विज्ञान एवं भाषाएं	10.00	वृहद– 707 लघु –69	24.32	188

ukV% ;thlh {k=h; dk;ky;k d }kjk dy feykdj 4301 y?k 'kk/k ifj;ktuk, vuekfnr dh xbl gA ¼1483&foKku fo"k;k e ,o 2818 ekufodh ,o lekt foKku e½ rFkk bu ubl vuekfnr ifj;ktukvk d fy, o"k 2010&11 d nkjku 32-36 djkM :- dh jkf'k vunku :i e tkjh dh xblA

6-2 f'k{kdk d fy, vu lU/kku ijLdkj

अनुसंधान पुरस्कार की योजना, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थायी शिक्षकों का, उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में, बिना किसी शोध मार्गदर्शन लिए और शिक्षण उत्तरदायित्व के बिना दो वर्ष की अवधि तक अनुसंधान कार्य हेतु अवसर प्रदान करती है।

जिन शिक्षकों के पास डाक्टरेट की डिग्री है तथा जिन्होंने अपने अनुसंधान में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है तथा जो 45 वर्ष से कम आयु वाले हैं उनके लिए इस पुरस्कार देने पर विचार किया जाता है। इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी यदि वह प्रस्ताव महिला, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त एवं अल्पवर्ग शिक्षकों में से किसी का होगा। कोई भी शिक्षक इस शोध पुरस्कार का लाभ उठाने के लिए एक वर्ष में केवल एक ही बार पात्र माना जायेगा। इन पुरस्कार की दो वर्ष की अवधि है जो कि विस्तारित नहीं की जायेगी। यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग में प्रत्येक वर्ष 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध वित्तीय सहायता का एक उदाहरण स्वरूप निम्न है :–

- भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि को छोड़कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता का कुल देय वेतन, जिसके साथ भत्ते भी शामिल होंगे
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, रसायन पदार्थ एवं उपस्करों पर होने वाले व्यय, परियोजना की सहायतार्थ व्यय, केन्द्र के क्षेत्र में अथवा कहीं बाहर यात्रा करने पर होने वाला व्यय इन सबके लिए शोध अनुदान ।

मानविकी एवं समाज विज्ञान – 2.00 लाख रू.

विज्ञान/इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी – 3.00 लाख रू.

इस अवार्ड के प्रारंभ होने के 12 से 15 माह की अवधि के भीतर ही एवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा शोधकार्य की एक मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट, विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित कर, भेजी जानी चाहिए।

यदि आगे चलकर किसी अनुचित व्यवहार, शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति तथा प्रत्याशी अपात्रता पायी जाती है तो उस स्थिति में इस शोध एवार्ड निरस्त किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवार्ड प्राप्त करने वालों को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:

Ok"k	**fd;k x;k 0;; ¼djksM+ #0 esa½**
2007–08	5.61 करोड़ रु0
2008–09	4.86 करोड़ रु0
2009–10	6.19 करोड़ रु0
2010–11	8.17 करोड़ रु0

वर्ष 2010–11 के दौरान आमंत्रित आवेदनों का चयन प्रक्रियाधीन है ।

6-3 ,efjVl v/;srkoftÙk;k

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो कि यूजीसी अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है।

लक्षित समूह में ऐसे उच्च अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक है जिन्हें कि शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त हैं अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी आगामी छह महीनों की भीतर अवकाश प्राप्त की संभावना है तथा जो कि मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक है। इस अध्येतावृत्तियां के लिए पात्रता को इस बात पर आँका जाता है कि संबद्ध शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल के दौरान किए गए अनुसंधान या प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता कितनी है। एवार्ड प्राप्तकर्ता एक सुपरिभाषित समयबद्ध कार्ययोजना की तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष तक (जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है) कार्य कर सकता है– जो भी इसमें से पहले पूरी हो जाती है। अध्येतावृत्ति का स्वरूप निम्नवत है :

- विज्ञान विषयों के लिए स्लॉटों की संख्या 100 (किसी भी दिए गए समय के आधार पर)
- मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं के लिए स्लॉटों की संख्या : 100 (किसी भी दिए गए समय के आधार पर)
- मानदेय दो वर्ष तक के लिये 20,000/– (आगे नहीं बढ़ाया जा सकता)
- आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत) 50,000/– रू. प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान का उपयोग, सहायता, शोध परियोजना के संबंध में देश के भीतर यात्रा, लेखन सामग्री, ड़ाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तक तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है जिसकी अनुमति उस संस्थान द्वारा जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है, दी जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनापत्ति होनी आवश्यक है। परन्तु इसके लिए यूजीसी द्वारा कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। एमेरिटस अध्येताओं को आवास व्यवस्था को छोड़कर वे समस्त सुविधाएँ जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध हैं।

अध्येतावृति को अनुसंधान की नकल, असंतोषजनक कार्य तथा बाद में अभ्यार्थी की अपात्रता का पता लगने पर रद्द किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एवार्ड प्राप्तकर्ताओं को भुगतान की गई राशि निम्नवत है।

o"kZ	fd;k x;k 0;; ¼djksM+ :0 esa½
2007–2008	2.75 करोड़ रुपये
2008–2009	2.05 करोड़ रुपये
2009–2010	3.04 करोड़ रुपये
2010–2011	5.05 करोड़ रुपये

वर्ष 2010–2011 के दौरान 107 अध्येतावृत्तियां अवार्ड की गई।

6-4 vu|l/kku dk;'kkyk,@lxkf"B;k@fopkj&xkf"B;k ,o lEeyu

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सम्मेलनों कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों को सुविधाएं प्रदान करके उनके ज्ञान अनुभव तथा अनुसंधान को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान कर कालेजों में उच्च स्तरों को बढ़ावा देना हैं।

इस योजना मूलभूत उद्देश्य, ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों तथा विदशों से अकादमीशियनों तथा विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।

इस योजना के अन्तर्गत, ऐसे सभी संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो संस्थान यूजीसी की धारा 2(च) तथा 12(ख) के विस्तार क्षेत्र में आते हैं। किसी भी एक वर्ष के दौरान, कोई संस्थान, राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर वाली दो गतिविधियाँ संचालित कर सकता है। तथा अंतराष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन आयोजित कर सकता है।

सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत हैं :

- राज्य स्तर के सम्मेलन/कार्यशाला/विचारगोष्ठि : 1.00 लाख रुपये
- राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/ कायशाला/विचारगोष्ठि : 1.50 लाख रुपये
- अंतराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/कार्यशाला/विचारगोष्ठि : 2.00 लाख रुपये

इस अनुदान का उपयोग यात्रा भत्ते एवं मानदेय के भुगतान के लिये किया जा सकता है, प्रपत्र प्रस्तुतकर्ताओं के यात्रा भत्ता के लिए, विवरणों के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए तथा स्थानीय मेज़बानी के लिए, जिसमें आवासन एवं भोजन व्यवस्था सम्मिलित है; हेतु किया जा सकता है।

ऐसे संस्थान, जो कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रस्ताव को विधिवत रूप से फार्म में भरकर प्रस्तुत करने चाहिए। संस्थानों द्वारा ऐसे प्रस्तुत किए गए समस्त प्रस्तावों को सहायता देने पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान कांग्रेस तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस के आयोजन हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों के 57 प्रस्ताव तथा विश्वविद्यालयों के 2 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और मुख्यालय द्वारा 47.73 लाख रु0 की धनराशि भी जारी की गई है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 2835 प्रस्तावों को मंजूर किया गया तथा शोध विचार गोष्ठियाँ /कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने के लिए रू. 21.13 करोड़ की राशि जारी की।

6-5 fon'kh ukxfjdk d fy, dfu"B vu|l/kku v/;rkofŸk ¼t-vkj-,Q-½ rFkk vu|l/kku ,lkf'k,Vf'ki ¼tvkj,Q½

भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान के विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए ch l अभ्यार्थियों का चुनाव करता है तथा l kr अभ्यर्थियों का चुनाव अनुसंधान एसोशिएटशिप के लिए करता है। अध्येतावृत्ति चार वर्ष के लिए प्रदान की जाती है (जिसे आगे नही बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृति का स्वरूप निम्नवत है:–

- **dfu"B 'kk/k v/;rkofŸk ¼t-vkj-,Q-½**

अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए
	14,000/–रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिकता अनुदान	मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए 10,000./– प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान के लिए 12,000.00 रू. प्रतिवर्ष की दर से मानविकी एवं समाज विज्ञान की शेष अवधि के लिए 20,500/–रू. प्रतिवर्ष की दर से विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए 25,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय	प्रति जे.आर.एफ. सहायता 3000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
विकलॉग भत्ता/सहायक	प्रति जे.आर.एफ. सहायता 1,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
आवास भत्ता	संबद्ध संस्थान के निर्धारित नियमानुसार

- **vu|l/kku ,lkfl,Vf'ki ¼vkj-,-½**

अध्येतावृत्ति	4 वर्ष के लिए 16,000/– रू. (निर्धारित) प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक	प्रतिवर्ष 30,000/– (निर्धारित) की दर से 4 वर्ष के लिए
विभागीयसहायता	4 वर्ष के लिए मेज़बान संस्थान को जनसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएशिप का 10 प्रतिशत (निर्धारित)
आवास भत्ता	संबधित संस्थान के नियमानुसार 4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

इन अध्येतावृत्तियों के लिए व्यय को महिलाओं हेतु पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत यूजीसी ने जे.आर.एफ. के लिए 20 विदेशी राष्ट्रयों का चयन किया तथा रिसर्च एसोसिएटशिप (आर.ए.) के लिए 7 विदेशी विद्वानों का चयन किया।

6-6 Hkkjrh; ukxfjdk d fy, dfu"B vu|l/kku v/;rkofÙk;k

¼d½ foKku] ekufodh ,o lekt foKku e Hkkjrh; ukxfjdk d fy, dfu"B vu|l/kku v/;rkofr;k¼t0vkj0,Q0½

इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि विद्वानों को अग्रिम अनुसंधान एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराये जाये ताकि वे विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिनमें भाषाएं एवं विज्ञान भी सम्मिलित हैं इनके एम.फिल./पी.एच.डी.

डिग्रियाँ प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूजीसी एवं यूजीसी–सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जे.आर.एफ. के 6600 स्थान उपलब्ध कराता है। इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि **5** वर्ष है। इस अध्येताव त्ति का पैटर्न निम्न है :–

अध्येतावृत्ति*	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 16,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 18,000/–रू. प्रतिमाह की दर से	जे आर एफ, (2 वर्ष) एस आर एफ (3 वर्ष)
आकस्मिक–क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/–रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक–ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25000/–रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान
विभागीय	3,000/– रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से मेजबान संस्था को अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराने के लिए	
सहायक/रीडर सहायता आवास भत्ता	2,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमानुसार	

*01.04.2010 से अध्येतावृत्ति धनराशि में वृद्धि की गई है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान, जे.आर.एफ. विज्ञान एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में इस पर रू. 43.72 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 20101–11 में 26.29 करोड रू. की राशि व्यय की गई।

¼[k½ bathfu;jh vkj ik|kfxdh e dfu"B vu lU/kku v/;srkofRr ;k ¼t-vkj-,Q-½

इस योजना के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के आधार पर, यूजीसी प्रत्येक वर्ष 50 अभ्यार्थियों का चयन करती है ताकि इन विद्वानों को अग्रिम अध्ययन एवं अनुसंधान द्वारा एम.फिल./पी.एच.डी. की डिग्री, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी और कृषि विषयों में 5 वर्षों तक की अवधि के दौरान प्राप्त हो सके (यह अवधि विस्तार नहीं की जायेगी)।

Ikk=rk% जिन अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/भेषज में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णांत डिग्री है, वे इसके लिए पात्र हैं । पी.एच.डी. करने के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्राप्त करने हेतु जीएटीई एक अनिवार्य शर्त नहीं है । अवार्ड के वर्ष की 1 जुलाई को आयु सीमा 40 वर्ष है जिसमें महिलाओं तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्श की छूट है । कुल 22.5 प्रतिशत अध्येतावृत्ति अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए आरक्षित है जो अवार्ड हेतु निर्धारित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हैं ।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है :–

अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक दो वर्ष के लिए 14,000/रू. प्रतिमाह की दर से तथा शेष अवधि तक के लिए 15,000/– रू. की दर से
आकस्मिक अनुदान	प्रारंभिक दो वर्षों तक 12,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि तक के लिए 25,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	3,000/–रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से –जो मेजबान संस्थान को मिलेगी ताकि शोधकर्ता को अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके।

सहायक/रीडर को सहायता	शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन होने पर 2,000/रू. प्रतिमाह की दर से । सहायता
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय /संस्थानों के नियमानुसार

वर्ष 2010–2011 के दौरान रू. 0.92 करोड़ की राशि व्यय की गई थी ।

6-7 v-tk-@v-t-tk- d fy, jktho xk/kh jk"Vh; v/;rkofr;k

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा. एवं अ.ज.जा. प्रत्याशियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य यूजीसी को सौपा है और वित्तपोषित किया है जिसके लिए प्रति वर्ष 2667 स्लॉट उपलब्ध कराये गये हैं अर्थात् अ.जा.के लिए 2000 तथा अ.ज.जा. के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। अ.जा. के प्रत्याशियों के लिए 2010–2011 से स्लॉटों की संख्या 1333 से बढाकर 2000 कर दी गई है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य–उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना। केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों के लिए विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिसमें भाषाएं एवं इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी शामिल की गई हैं इन विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के उद्देश्य से अग्रिम शोध एवं अध्ययन करने के लिए 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करायी जाती हैं। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष की है।

अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत् है :–

foKku] ekufodh] lekt foKku] ,o bthfu;fjx ik/kkfxdh e v/;rkofRr	प्रारम्भिक दो वर्षों तक के लिए 12,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक के लिए 14,000/– प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन. जे.आर.एफ. आर.जी.एन. जे.आर.एफ.
vkdfLEkd ¼d½	प्रारम्भिक दो वर्षों तक 10,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 20,5000/–रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में
vkdfLEkd ¼[k½	प्रारम्भिक दो वर्षों तक 12,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 25,000/रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
foHkkxh; lgk;rk	3000/–रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र–की दर से मेजबान संस्थान को दी जायेगी	सभी विषयों में
lgk;d@jhMj lgk;rk	शारीरिक विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों को 2000/रू. प्रतिमाह की दर से	सभी विषयों में
vkokl HkRRkk	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	सभी विषयों में

o"k 2010&11 d fy, v0tk0@v0t0tk0 d p;fur vH;fFk;k dh l[;k dk n’kkus okyh jkT;&okj lph%

Øe la0	jkT; dk uke	p;fur vH;fFk;ksa dh la[;k	
		v0tk0	v0t0tk0
1.	आन्ध्र प्रदेश	188	70
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	14
3.	असम	24	30
4.	बिहार	143	6
5.	छत्तीसगढ़	17	15
6.	दिल्ली	30	0
7.	गुजरात	46	55
8.	हरियाणा	54	0
9.	हिमाचल प्रदेश	22	11
10.	जम्मू और कश्मीर	10	12
11.	झारखण्ड	14	57
12.	कर्नाटक	118	37
13.	केरल	40	3
14.	मध्य प्रदेश	117	77
15.	महाराष्ट्र	135	10
16.	मणिपुर	3	74
17.	मेघालय	0	23
18.	मिजोरम	0	15
19.	नागालैण्ड	0	19
20.	उड़ीसा	75	32
21.	पंजाब	84	0
22.	राजस्थान	120	62
23.	सिक्किम	1	2
24.	तमिलनाडु	188	7
25.	त्रिपुरा	4	7
26.	उत्तर प्रदेश	436	6
27.	उत्तराखंड	19	3
28.	पश्चिम बंगाल	105	19
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	1
30.	चण्डीगढ़	2	0
31.	पाण्डिचेरी	5	0
	dqy	**2000**	**667**

वर्ष 2010–11 के दौरान, रू. 137.86 करोड़ राशि (अ.जा. प्रत्याशियों) व्यय की गई तथा रू.60.65 करोड़ की राशि (अ.ज.जा.प्रत्याशियों) पर व्यय की गई।

6-8 v-tk@v-t-tk- ds fy, iksLV MkDVksjy v/;srko`fÙk;k¡

ऐसे अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशी जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है तथा जिनको शोध प्रपत्र प्रकाशित करने का श्रेय है, उनके लिए यूजीसी ने एक पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना का आरम्भ किया है। उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है ।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	दो वर्षों के लिए 16,000/–रू. (निर्धारित) प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक अनुदान	दो वर्षों के लिए 30,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान को देय पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति का 10%
सहायक/रीडर सहायता	केवल शारीरिक अपंग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/–रू. (निर्धारित) प्रतिमाह की दर से
आवास भत्ता	विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों के अनुसार

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान वर्ष 2009–10 के लिए 100 स्लॉटों में से 100 अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । वर्ष 2010–2011 के दौरान 2009–10 के लिए चयनित अध्येताओं को किये गए भुगतानों पर 4.17 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई।

6-9 0;kolkf;d ikB;Øek e v-tk-@v-t-tk- ds Nk=k ds fy, LukrdkÙkj Nk=ofÙk

समाज के वंचित वर्गों वाली सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभ्यार्थियों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है ताकि अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों को स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हो सके। इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। (जो कि डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर है)। अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है।

एम.टेक.छात्र	5,000/– रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक व्यय	15,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रमों के लिए	3,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
आकस्मिक व्यय	10,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, वर्ष 2009–10 के 1000 स्लाटों में से 935 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों का चयन किया गया । वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान के लिए 12.40 करोड़ रु0 का व्यय किया गया ।

6-10 'kks/k oSKkfud ¼la'kks/ku&iw½

शोध वैज्ञानिक योजना की पहल वर्ष 1983 में की गई थी तथा इसका लक्ष्य यह था कि भारतीय मूल के ऐसे विशिष्ट योग्यता वाले वैज्ञानिक जो संभावित तौर पर विदेशों में कार्यरत थे, उनको आकर्षित किया जाये ताकि वे लौट कर भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य करें–जिससे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान के तीन स्तरों पर में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जा सके :

1. शोध वैज्ञानिक 'क' (लेक्चरार)
2. शोध वैज्ञानिक 'ख' (रीडर)
3. शोध वैज्ञानिक 'ग' (प्रोफेसर)

वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में 69 अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं । ग्यारहवीं योजना के दौरान इन अनुसंधान वैज्ञानिकों के भुगतान पर किया गया व्यय निम्नवत् है:–

Ok"k	dk;jr vuqla/kku oKkfudk dh l[;k	fd;k x;k 0;; ¼djkM #0 e½
2007–08	74	3.74 करोड़ रु0
2008–09	72	4.81 करोड़ रु0
2009–10	69	3.45 करोड़ रु0
2010–11	69	6.03 करोड़ रु0

6-11 efgykvk d fy, ikLV&MkDVkjV v/;rkofÙk

इस योजना का उद्देश्य यह है कि जिन महिलाओं द्वारा पी.एच.डी. पूरी की जा चुकी है और जो अभी बेरोजगार हैं तथा जिनका शोध की ओर रूझान है और पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट– करना चाहती हैं उन्हें अनुसंधान कार्य का सुअवसर प्रदान करना। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

अध्येतावृत्ति की राशि निम्नवत है :

अध्येतावृत्ति	नए प्रत्याशियों के लिए 25,000/–रू. प्रतिमाह की दर से शोध अनुभवी प्रत्याशियों के लिए 30,000/–रू. की दर से
आकस्मिक अनुदान	5 वर्षों के लिए 50,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप का 10 प्रतिशत
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/रू. प्रतिमाह की दर से

वर्ष 2008–09 में दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें लघु सूचीबद्ध किया गया है और विशेषज्ञ समिति ने 85 अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी । संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या में से 11 अभ्यर्थियों को वर्ष 2010–11 के दौरान 31.3.2011 तक प्राप्त कार्यग्रहण रिपोर्ट आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए विज्ञापन को अक्तूबर–नवम्बर, 2011 के दौरान रोजगार समाचार पत्र में प्रकाषित कर दिया गया है और आवेदनों की संवीक्षा कर छानबीन समिति के समक्ष रखा जा रहा है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोस्ट डाक्टोरल महिला अध्येता हेतु भुगतान पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

Ok"k	fd;k x;k 0;; ¼djkM #0 e½
2007–08	0.65 करोड़ रु0
2008–09	0.77 करोड़ रु0
2009–10	9.98 करोड़ रु0
2010–11	0.42 करोड़ रु0

6-12 ,e-b-@,e-Vsd@,e-QkekZ ds xsV ;ksX;rk çkIr Nk=ksa dks LukrdksÙkj Nk=o`fÙk;k¡

इस योजना का लक्ष्य स्नातक स्तर के छात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का अनुसरण कर सकें। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष की है। स्लॉटों की संख्या 1400 प्रति वर्ष है।

छात्रवृत्ति का स्वरूप निम्नवत् है :–

एम.ई./एम.टेक/एम.फार्मा, सभी सेमेस्टरों में (60% एवं इससे अधिक)	8,000/–रू. प्रतिमाह की दर से
एम.ई./एम.टेक/एम.फार्मा, किसी भी सेमेस्टर में (60% से कम)	1,000/–रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक अनुदान	5,000/– रू.प्रतिवर्ष की दर से

वर्ष 2010–11 के दौरान प्रवेश–प्राप्त छात्रों के लिए भुगतान हेतु 8.86 करोड़ रू. की राशि का व्यय की गयी।

6-13 bafnjk xka/kh ,dy ckfydk LukrdksÙkj Nk=o`fÙk ;kstuk

सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को प्रोन्नत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें लडकियों के लिए मुफ्त शिक्षा भी सम्मिलित है, मूलभूत शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रव त्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है–उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने–अपने परिवारों में एकमात्र बालिका शिशु हैं।

इस योजना के उद्देश्य गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड महत्व को पहचान प्रदान करना।

योजना को स्नातकोत्तर अकास्मिक सत्र 2005–07 के साथ आरंभ किया गया था । अपने माता–पिता की एकल बालिका संतान जिससे नियमित पूर्णकालिक, निश्णांत पाठ्यक्रम (गैर–पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, वह छात्रव त्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की किशोरी छात्र पात्र है । सभी पात्र किशोरी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है ।

ऐसे विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान जो कि यूजीसी अधिनियम के धाराओं 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत आवृत्त हैं, उन संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा यदि प्रवेश प्राप्त किया गया है तो ऐसी आशा की जाती है कि वहाँ पर महिला छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए, कोई शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की राशि 2,000 रू.प्रतिमाह दो वर्षों के लिए ही होगी (एक वर्ष में 10 माह के लिए) अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए।

जितनी बालिका छात्राएँ स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार लाभान्वित हुई हैं, उनकी संख्या निम्नवत् है :–

2005–07	–	1360
2006–08	–	1067
2007–09	–	1200

2008–10	–	1200
2009–11	–	1538
2010–12	–	2299

वर्ष 2011–13 के आगामी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु चयन प्रक्रिया की आरंभ की जा चुकी है।

संबंधित मंत्रालय द्वारा निधियाँ उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण वर्ष 2010–11 के दौरान 2.80 लाख रु0 की धनराशि का छात्रवृत्ति धारकों को 2.80 लाख रु की धनराशि का ही भुगतान किया जा सका ।

6-14 Lukrdio Lrj ij fo'ofo|ky; e çFke LFkku çkIrdrkvk d fy, LukrdkÙkj ;kX;rk Nk=ofÙk

एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति के दायरे में प्रतिभावान लड़के एवं लड़कियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाये। इसीलिए यूजीसी ने विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर श्रेष्ठता छात्रवृत्ति को प्रस्तावित किया तथा स्नातक स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए ऐसी छात्रवृत्ति प्रस्तावित की है। उस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र जो स्नातक स्तर के छात्र हैं वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुसरण कर सकें।

बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम इनमें सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, समस्त शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को, जो विश्वविद्यालय से हैं, उनको सभी सम्बंद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा पदवी–प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। ही। पुरस्कार पाने वाले छात्र अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अनुसरण देश के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में कर सकते हैं।

इस योजना के निम्न लक्ष्य हैं :

- प्रतिभा का संवर्धन एवं उसका पोषण करना।
- ऐसे छात्र जिन्होने स्नातक स्तर पर विशिष्ट निष्पादन किया है ऐसे मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का अनुसरण कर सके।
- स्नातकोत्तर में सामान्य एव ऑनर्स दोनों श्रेणियों में आधारगत विषयों में अध्ययन को प्रोन्नत करना।
- समस्त देश पर्यन्त सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमिक श्रेष्ठता का तैयार करना।

ik=rk %

स्नातक स्तर के ऐसे शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता जो प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान पाने वाले हैं तथा जो किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्हें प्रवेश प्राप्त हो चुका है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के एवार्ड प्राप्तकर्ताओं को ही अपनी योग्यता के परिणाम को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा । तथापि, इस छात्रवृत्ति को स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णकालीन निष्णांत डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है । छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही उपलब्ध है । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की आयु सीमा 30 वर्ष है । छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है ।

प्रथम शैक्षिक वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी । छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की ही होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षो से आगे विस्तारित नहीं की जायेगी।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक होल्डरों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र/और सम विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/गैर–संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 25 छात्र स्नातक पूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक एवार्ड प्राप्तकर्ता को रू. 2,000/– प्रतिमाह की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् एक वर्ष में 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी।

छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित विषयों से स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है ।

Øe l0	fo"k;
01	जीव विज्ञान
02	भौतिक विज्ञान
03	रसायन भाास्त्र
04	पृथ्वी विज्ञान
05	गणित विज्ञान
06	सामाजिक विज्ञान
07	वाणिज्य
08	भाषा

स्नातकोत्तर अकास्मिक सत्र–वार लाभार्थियों की संख्या निम्नवत है :–

2005–2007	186
2006–2008	156
2007–2009	207
2008–2010	194
2009–2011	115
2010–2012	चयन किया जाना शेष है ।

छात्रवृत्ति योजना की मौजूदा दिशार्निदशों में बड़े पैमाने पर आशोधन के कारण, अकादमिक सत्र 2010–12 के लिए छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन नहीं किया जा सका है और इसलिए वर्श 2010–11 के दौरान कोई काम नहीं किया जा सका ।

6-15 vYila[;d Nk=ksa ds fy, ekSykuk vktkn jk"Vªh; v/;srko`fÙk

वर्ष 2009–10 से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुपुर्द कर दिया गया है।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित पाँच वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना जैसा कि इन छात्रों द्वारा इस रूप से उच्चतर अध्ययन जैसे एम.फिल. एवं पी.एच.डी. जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस योजना द्वारा ऐसे सभी विश्वविद्यालय/संस्थान, जिन्हें यूजीसी द्वारा धारा 2(च) एवं धारा 3–यूजीसी अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई–वे सभी कवर होंगे। इस योजना के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति लेने वालो को एमओएमए शोध अध्येताओं के रूप में जाना जायेगा। अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रति वर्ष 756 उपलब्ध हैं।

ऐसे पी.एच.डी. कार्यक्रम जो कि एम.फिल. के साथ किए जा रहे हैं अथवा अन्यथा यूजीसी नियमों के अनुसार वे प्रवेश स्थलों के रूप में देखे जाते हैं तो उस स्थिति में यह अध्येतावृत्तियाँ पाँच वर्ष समेकित रूप की होंगी। इस अध्येतावृत्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी :–

ikB;Øe dk uke	vf/kdre le;&lhek	t-vkj-,Q- ,o ,l-vkj-,Q- dh xkg;rk	
		t-vkj-,Q-	,l-vkj-,Q-
पी.एच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
एम.फिल्.पी.एच.डी	23 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष

इन जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. अध्येतावृत्तियों की दर, यूजीसी की अध्येतावृत्तियों के समरूप होंगी जिन्हे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है। वर्तमान में यह दर निम्न प्रकार हैं :–

अध्येतावृत्ति	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए 16,000/– रु0 की दर से (जे.आर.एफ) शेष कालावधि के लिए 18,000/– रु0 की दर (एस.आर. एफ.)
मानविकी, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10,000/– रु0 की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/–रु0 की दर से प्रतिवर्ष
विज्ञान के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12,000/– रु0 की दर से शेष तीन वषों के लिए प्रतिवर्ष 25,000/– रु0 की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष 3000/–रु0 की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त एवं दृष्टि–बाधित प्रत्याशियों के लिए 2000/–रु0 प्रतिमाह की दर से
आवासीय भत्ता	विश्वविद्यालय /संस्थान के नियम के अनुसार

o"k 2010&11 d nkjku o"k 2009&10 d fy, ;ktuk d rgr p;fur vH;fFk;k dh l[;k dh jkT;&okj lph

Ø-l-	jkT;	ck)	blkb	efLye	lkjlh	flD[k	dy ;kx
1.	आन्ध्र प्रदेश		6	26			32
2.	असम		3	31			34
3.	बिहार			55			55
4.	छत्तीसगढ़		4	3			7
5.	दिल्ली		1	7			8
6.	गोवा		1				1
7.	गुजरात		2	6	1		9

Ø-l-	jkT;	ckS)	bZlkbZ	eqfLye	ikjlh	fl[k	dqy ;ksx
8.	हिमाचल प्रदेश	2		1		1	4
9.	जम्मू और कश्मीर			32			32
10.	झारखण्ड			2	15		17
11.	कर्नाटक	1	1	25			27
12.	केरल		33	30			63
13.	मध्य प्रदेश			15		1	16
14.	महाराष्ट्र	29	4	39			72
15.	मणिपुर		3	3			6
16.	मेघालय		6				6
17.	मिजोरम		5				5
18.	नागालैण्ड		5				5
19.	उड़ीसा			3			3
20.	पंजाब			2		73	75
21.	राजस्थान			19		2	21
22.	तमिलनाडु		20	15			35
23.	उत्तर प्रदेश			128		1	129
24.	उत्तरांखड		4			4	
25.	पश्चिम बंगाल	2	1	75			78
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह		1				1
27.	चण्डीगढ़		1	1		2	4
28.	लक्षद्वीप			2			2
29.	पाण्डिचेरी		2	2			4
	dqy ;ksx	**34**	**101**	**539**	**1**	**80**	**755**

वर्ष 2010–11 के दौरान चयनित अध्येताओं को भुगतान पर 15.04 करोड़ रु0 का व्यय किया गया ।

6-16 Hkkjrh; fo'ofo|ky;ksa esa vk/kqfud oSKkfud 'kks/k djus ds fy, vf/kdkj iklr lfefr }kjk dh xbZ vuq'kalkvksa ds fØ;kUo;u dh fLFkfr

- **egkfo|ky;ksa vkSj fo'ofo|ky;ksa ds foKku foHkkxksa esa vol ajpuk dks lqn<+ djus ds fy, fodkl vuqnku**

शोध में उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विज्ञान के पी.जी. स्तर के अनुसंधान घटकों सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जल आपूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज एवं अन्य अवसरंचना को सुदृढ करने के लिए, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के दौरान एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर–एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यापित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है ।

Øe l0	Ekgkfo|ky;@fo'ofo|ky; foHkkx dk idkj	tkjh fd;k x;k vunku ¼djkM #0 e½	egkfo|ky;k@foHkkxk dh l[;k
1.	एसएपी के अंतर्गत विभाग (सीडीआरएस/डीएसए/सीएएस)	19.80	94
2.	उत्कृष्टता की समाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)	46.07	695
3.	स्वायत्त महाविद्यालय	4.00	22
4.	एनएएसी प्रत्यायित स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1.00	12
5.	गैर–एसएपी विभाग	5.45	50

- **uVofdx 'kk/k dUn lej&foVj Ldy**

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए एसएपी के अंतर्गत 9 विभागों को अनुमोदित किया गया है । वर्ष 2010–11 के दौरान दूसरी किश्त के रूप में दो विश्वविद्यालयों को 8 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया है ।

- **,l-,-ih- d bthfu;fjx ,o çk|kfxdh foHkkxk e Lukrd io Lrj ij vul/kku dk;l dk c<kok**

बी.एसआर कार्यक्रम के तहत स्नातक स्तर पर अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों को रू. 3,000.00 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति तथा रू. 1,000.00 प्रतिवर्ष की दर से आक्स्मिक अनुदान जारी किया जाता है। तद्नुसार, 69 विभागों को चिह्नित किया गया है तथा इन विभागों को अब तक 3.45 करोड़ रु0 की राशि जारी की जा चुकी है।

- **,dy ckfydk**

लिंगीय भेदभाव मिटाने के लिए एकल बालिका हेतु विभाग जो बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हैं, में अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति दी जा रही इन अध्येतावृत्तियों को मौजूदा अध्येतावृत्ति, जो बीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध है, के अतिरिक्त सुपरन्यूमररी अध्येतावृत्ति के रूप में लिया जाता है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान अध्येताओं को भुगतान पर 9.70 लाख रु0 का व्यय किया गया ।

- **fjikVk/khu vof/k d nkjku vf/kdkj iklr lfefr dh e[; flQkfj'k**

○ अंडरग्रेजुएट विज्ञान के कालेज, जिन्हें एनएएसी द्वारा 'ए' ग्रेड दिया गया है, को प्रयोगशालाओं में अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रत्येक को दस लाख रूपए दिए जाएं ।

○ राज्य के सभी शिक्षा सचिवों को अनुरोध किया जाए कि वे शिक्षकों की एक समान सेवानिवृत्ति की आयु को अंगीकार करें ।

o सभी एम.एससी. कार्यक्रम इस तरह बनाए जाए कि उसमें अनुसंधान के घटक को शामिल किया जा सकें ।

6-17 foKku fo"k; esa MkW-Mh-,l-dksBkjh iksLV&MkWDVksjy v/;srko`fÙk;ka ¼ch-,l-vkj dk;Zdze ds rgr½

महत्वपूर्ण पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की पहल वर्श 2008–09 के दौरान की गई थी तथा इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. डी.एस.कोठारी के नाम पर रखा गया है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को स्थापित करना हैं साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के लिए जिस प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की आवश्यकता है ऐसे संकाय सदस्यों की संख्या में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करना ही इस योजना का लक्ष्य है।

चयन प्रक्रिया समस्त वर्ष तक खुली रहेगी जो कि "जैसे भी एवं जब भी" स्वरूप की है तथा यह प्रक्रिया किन्ही विशिष्ट समयबद्ध रूप द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी क्योकि शोध प्रबंध का प्रस्तुतीकरण एवं पी.एच.डी. डिग्री को प्रदान करने की प्रक्रियाएँ मुक्त स्वरूप वाली होती हैं। यूजीसी तथा अन्य संस्थानों की वेबसाइटों पर निरंतर विज्ञापन प्रसारित होता है।

अभ्यर्थियों को अपना आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा और पूरी प्रकिया ऑनलाइन संचालित होगी । एक स्थायी (मुख्य) वरिष्ठ सदस्यों वाला समूह जिसके द्वारा आवेदनों को वेब के ऊपर ही पहुँच बनानी संभव होगी तथा उन आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रेड करना संभव हो पायेगा। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ग्रेड़ों के आधार पर इस समूह के अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को आत्मसात करने के लक्ष्य से, क्योंकि यह एक प्रोन्नति वाली परियोजना है, अत : पुनरीक्षण प्रक्रिया/चयन के दौरान, जिन बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये कि उनमें से प्रत्याशी द्वारा पी.एच.डी, स्तर पर उसकी उपलब्धियाँ, उसके परामर्शदाता की व्यावसायिक स्तर पर कितनी प्रतिष्ठा है तथा उस संस्थान की प्रसिद्धि है जहाँ पर पोस्ट–डॉक्टोरल कार्य को सम्पन्न किया जाना है यह सारी बातों का सम्मिश्रण रहना चाहिए। सामान्य रूप में, प्रत्याशियों को अन्य संस्थानों में जाकर कार्य सम्पन्न करना चाहिए तथा अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों को अपनाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया को व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी समस्त प्रक्रिया उस समस्त प्रक्रिया के समरूप होगी जिसे कि पाण्डुलिपियों के मूल्यांकन के लिए सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तथा ऐसी समस्त प्रक्रिया बिना किसी भी लिखित कार्यवाही के पूरी होगी । ऐसे समस्त पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार की अभिवृत्ति होगी तथा यह विश्व के अन्य भागों के छात्रों के लिए भी खुली हैं। प्रतिवर्ष 500 तक यह अवार्ड हो सकते हैं तथा अधिकतम 1000 तक हो सकती है।

वे प्रत्याशी जिन्होंने पी.एच.डी डिग्री प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपना पी.एच.डी के लिये शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। चयन होने के बाद, ऐस प्रत्याशी जो पी.एच.डी कर चुके हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलोशिप अवार्ड कर दिया जायेगा। ऐसे प्रत्याक्षी जिन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है उन्हें एक "ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति" वृत्तिका से बहुत थोड़ी सी कमी के साथ अवार्ड की जायेगी,। जब तक कि औपचारिक रूप से उन्हें पी.एच.डी का अवार्ड प्राप्त नहीं हो जाता।

अध्येता/ परामर्शदाता/ वरिष्ठ समूह के मूल्यांकन के आधार पर यह अध्येतावृत्ति वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा इसमें नवीकरण/समाप्ति की धारा भी सम्मिलित होगी। फिर भी, अध्येतावृत्ति अवार्ड की सर्वाधिक अवधि तीन वर्ष की होगी।

इसके अन्तर्गत नियमित अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिमाह रू. 28.000.00 रू. होगी जिसमें वार्षिक रूप से, रू. 1,000.00 की बढ़ोतरी का प्रावधान है। ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति की राशि रू. 22,000.00 प्रतिमाह की दर पर होगी। पोस्ट–डाक्टोरल फैलोशिप के अन्तर्गत प्रति वर्ष रू. 50,000.00 के आकस्मिक अनुदान का प्रावधान होगा तथा लागू आवास भत्ता भी देय होगा।

दिनांक 31.03.2011 तक 423 अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गई तथा अभी 259 व्यक्ति इनमें कार्यरत हैं जिनमे से 90 व्यक्तियों को वर्ष 2010–11 के दौरान चुना गया था।

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न राज्य/केंद्रीय/समविश्वविद्यालयों के चयनित अध्येताओं को भुगतान पर 10.07 करोड़ रु0 जारी किये गये ।

6-18 e/kkoh Nk=k d fy, foKku fo"k;k e vu lU/kku v/;rkofr;k

- **çLrkouk**

ऐसे छात्र जिन्होंने पी.एच.डी. (विज्ञान) के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यू.पी.ई.)/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों में अथवा अग्रेषित अध्ययन केन्द्रों एवं यूजीसी द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों (डी.एस.ए.) के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए एस.ए.पी. एवं गैर–एस.ए.पी. विज्ञान विषयों में आरएफएसएमएस योजना का प्रारंभ वर्ष 2007–08 में हुआ था।

- **mn~n';**

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेधावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य हाथ में ले सके जो कि उन्हें विज्ञान विषयों में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में सहायक होगा।

- **ik=rk**

ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने स्वतंत्र क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/ क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों में, उच्च अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में, पंजीकरण करवा लिया है इस योजना में पात्र हैं।

- **v/;rkofÙk dh vof/k**

आर.एफ.एस.एम.एस. योजना के अंतर्गत इस अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्षो की है। इस अवधि के समाप्त होने पर इस अध्येता द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा, यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनका कार्यकाल की अवधि और तीन वर्षों तक के लिए बढ़ा दी जायेगी। यदि उनका प्रथम दो वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त समय, कार्य में सुधार के लिए दिया जाता है ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षों के पश्चात किया जाता है, और यदि सुधार पाया जाता है तो फेलों को 2 वर्ष और आर.एफ.एस.एम.एस. के अन्तर्गत मिलेंगे। इस प्रकार, इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष की है परन्तु इस सीमा अवधि को और बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

- **foRrh; lgk;rk**

अध्येतावृत्ति राशि	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से और अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से),
आकस्मिक	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से),

NfVV;k % सार्वजनिक छुटिटयों के अतिरिक्त एक शोध अध्येता एक वर्ष की अवधि में 30 दिनों की छुटिटयों के पात्र होंगे। उन्हें अन्य किसी ओर रूप में छुट्टियां नहीं मिलेंगीं। अपने अवार्ड की समस्त अवधि के दौरान महिला प्रत्याशी 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की पात्र होगी और ऐसी छुटिटयां केवल एक ही बार मिलेगीं।

किन्ही विशेष परिस्थितियों में, शोध अध्येताओं को, बिना फैलोशिप के तीन माह अवधि की छुट्टी एवार्ड के सम्पूर्ण अवधि के दौरान दी जा सकती है। जो छुट्टी पर्यवेक्षक एवं संस्थान की अनुशंसाओं के आधार पर ही दी जाएगी। अन्यमामलों में बिना फैलोशिप के इस प्रकार की छुट्टी की अवधि अवार्ड की कुल अवधि में ही सम्मिलित मानी जायेगी।

ऐसी छुट्टी के लिए, शोध अध्येताओं को अपने विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से, समय पूर्व ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास आवेदन करना पड़ेगा।

- **vkonu rFkk p;u dh çfØ;k**

इस योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे छात्र ही पात्र होंगे जो कि विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी.के लिए, ऐसे विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हैं जहाँ पर उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता वाले विभागों एव अग्रिम अध्ययन करने वाले ऐसे समस्त केन्द्र विद्यमान है, जिन्हें यूजीसी द्वारा चिन्हित किया गया है। उन अध्येताओं द्वारा शोध अध्येतावृत्ति के लिए केवल उन्हीं चिन्हित संस्थानों को ही आवेदन करना होगा। संदर्शिका में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार ही संबद्ध संस्थानों द्वारा चयन किया जायेगा।

विश्वविद्यालय, शोध अध्येताओं का चयन, पात्र प्रत्याशियों में से एक साक्षात्कार द्वारा करेगा जो कि एक चयन समिति करेगी, जिस समिति का गठन निम्नवत होगा :

(क) उप–कुलपति द्वारा मनोनित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

(ख) विभागाध्यक्ष

(ग) विभाग में कार्यरत एक प्रोफेसर तथा एक रीडर जिन्हें उप–कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सूची में से ऐसे दो विशेषज्ञ जो कि विश्वविद्यालय के बाहर से हैं तथा जो उपकुलपति द्वारा नामांकित किये जाने चाहिए।

- **vuqnku tkjh djus dh çfØ;k**

विश्वविद्यालय/संस्थान से चयनित प्रत्याशियों के नाम, जीवनवृत एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यूजीसी कार्यालय इस अध्येता के नामांकन को स्वीकार कर लेता है तत्पश्चात् उस अध्येता की कार्यग्रहण तिथि से लेकर वार्षिक आधार पर देय अनुदान की प्रथम किस्त, एक मुश्त राशि के रूप में, उस संस्थान/विश्वविद्यालय को जारी की जाती है।

भुगतान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण अध्येताओं को भावी कठिनाइयों से बचाने के लिए, संबंद्ध संस्थान/विश्वविद्यालय ऐसे अध्येताओं को अपने पास विद्यमान विकास संबंधी अनुदान में से एकमुश्त भुगतान कर सकता है। अध्येतावृत्ति अनुदान की अगली किस्त, विश्वविद्यालय /संस्थान को, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय विवरण तालिका, जोकि यूजीसी द्वारा पहले जारी किये गए अनुदान के विषय में हों–तथा जिनमें राशि का शत–प्रतिशत उपयोग संकेतित हो–ऐसे दस्तावेज़ों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। (कुल सचिव/वित्तीय अधिकारी) इन्हें मिल जाने के बाद ही वह अगली किस्त जारी की जायेगी।

- **çxfr dk i;Zos{k.k djus dh fof/k**

शोध अध्येता के निष्पादन का पर्यवेक्षण, उनके संबद्ध निरीक्षक/मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है तथा इसे, उप प्रगति रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित किया जाता है, जोकि विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है ताकि उसे आगे यूजीसी कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके।

ऐसे अवार्ड के प्रथम दो वर्षों की समाप्ति पर, अध्येता द्वारा इसे जारी करने/विस्तारण के लिए अपने विभाग/विश्वविद्यालय के प्रति आवेदन किया जा सकता है। इस दिशा में, संस्थान द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा– जिसमें, पर्यवेक्षक विभागाध्यक्ष एवं एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय/संस्थान से बाहर का होगा वे तीनों सदस्य होंगे, जो कि अध्येता द्वारा किए गए शोध कार्य का मूल्यांकन करेंगे। इस समिति की अनुशंसाओं/मत के आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि अध्येता को और आगे इसे जारी रखने की अनुमति होगी अथवा नहीं।

संबंद्व विभागों से ऐसी आशा की जाती है कि वे इस अध्येता के कार्य का निरन्तर पर्यवेक्षण करते रहेंगे। वह अपने एवार्ड की अवधि के दौरान किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करेगा/करेगी चाहे वह वित्तपोषित हो अथवा अन्यथा किसी रूप में हो, अथवा अन्य किसी भी स्रोतों से न तो कोई पारिश्रमिक या वेतन अथवा शुल्क आदि स्वीकार करेगा/करेगी।

विश्वविद्यालय की अनुशंसा द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान यह अध्येतावृत्ति समाप्त की जा सकती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य माना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति की अवधि कार्यग्रहण तिथि से लेकर पाँच वर्ष तक की होगी बशर्ते कि अध्येता की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रहती है अथवा जिस तिथि पर वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर देता है इन दोनों में से जो भी पहले होगी वही मान्य होगी। कुल कालावधि के पाँच वर्ष के पश्चात कोई विस्तारण संभव नहीं होगा तथा अवार्ड प्राप्तकर्ता उस निर्धारित तिथि की समाप्ति पर तुरन्त प्रभावी रूप से यूजीसी शोध अध्येता के रूप में विरत माना जायेगा। यदि इस परिपेक्ष्य में कोई भी दावा/ संदर्भ लाया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा ऐसे किसी भी कार्य के लिए उस व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

- **vU; 'krsZ**

अपने मार्गदर्शक /विभागाध्यक्ष की अनुमति से, शोध अध्येता उस विश्वविद्यालय/संस्थान की सहायता कर सकता है, जैसे कि शैक्षिक कार्य, जिसमें अनुशिक्षण कक्षायें संचालित करना, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में परीक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय की गतिविधियाँ जैसे सामूहिक विचार गोष्ठियाँ, एवं परिसंवाद आदि बशर्ते, कि ऐसे कार्यो द्वारा इस अध्येता द्वारा किये जा रहे शोध कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। ऐसी समस्त गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय प्रति सप्ताह 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

- **vokMZ dk jnnhdj.k**

ऐसी अध्येतावृत्ति का रद्दीकरण किया जा सकता है यदि–

- कदाचार
- शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति /एम.फिल.पी.एच.डी. से जुड़े किसी परीक्षा में अनुतीर्ण रहने पर।
- यदि वह बाद में अपात्र पाया जाता है।

31.03.2011 तक, 5244 शोध अध्येतावृत्तिया आबंटित हुई थीं तथा विज्ञान विभागों में 2926 अध्येता कार्यरत हैं । वर्ष 2009–10 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालयों के चयनित विज्ञान विभागों को विश्वविद्यालय कुल 31.85 करोड़ रू.का कुल अनुदान जारी किया गया ।

6-19 es/kkoh Nk=ksa ds fy, ekufodh ,oa lekt foKku fo"k;ksa esa vuqla/kku v/;srko`fÙk;k¡ ¼vkj-,Q-,p-,l-,l-,e-,l-½

- **çLrkouk**

ऐसे छात्र जिन्होंने मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों पी.एच.डी. के लिए यूजीसी द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए एस.ए.पी. एवं गैर–एस.ए.पी. मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस योजना का प्रारंभ 2009–10 में हुआ था।

- **mn~ns';**

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेद्यावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सके ।

- **ik=rk**

ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने स्वतंत्र क्षमता वाले उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों/ क्षमता वाले उत्कृष्ट केन्द्रों में, एडवांस अध्ययन केन्द्रों एवं विशेष सहायता प्राप्त विभागों में, पंजीकरण करवा लिया है इस योजना में पात्र हैं।

- **v/;srkof̀Ùk dh vof/k**

आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस योजना के अंतर्गत इस अध्येतावृत्ति की अवधि आरंभ में 2 वर्षो की है। इस अवधि के समाप्त होने पर इस अध्येता द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा, यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनका कार्यकाल की अवधि और तीन वर्षों तक के लिए बढ़ा दी जायेगी। यदि उनका प्रथम दो वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त समय, कार्य में सुधार के लिए दिया जाता है ऐसे मामलों में इसके कार्यों का मूल्यांकन पुनः तीन वर्षो के पश्चात किया जाता है, और यदि सुधार पाया जाता है तो फेलों को 2 वर्ष और आर.एफ.एच.एस.एस.एम.एस के अन्तर्गत मिलेंगे। इस प्रकार, इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष की है परन्तु इस सीमा अवधि को और बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

- **foRrh; lgk;rk**

अध्येतावृत्ति राशि	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से और अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)
आकस्मिक	:	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)

NfVV;k\ % सार्वजनिक छुटियों के अतिरिक्त एक शोध अध्येता एक वर्ष की अवधि में 30 दिनों की छुटियों के पात्र होंगे। उन्हें अन्य किसी ओर रूप में छुट्टियां नहीं मिलेंगीं। अपने अवार्ड की समस्त अवधि के दौरान महिला प्रत्याशी 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की पात्र होगी और ऐसी छुटियां केवल एक ही बार मिलेंगीं।

किन्ही विशेष परिस्थितियों में शोध फैलों को, बिना फैलोशिप के तीन माह अवधि की छुट्टी एवार्ड के सम्पूर्ण अवधि के दौरान दी जा सकती है। जो छुट्टी पर्यवेक्षक एवं संस्थान की अनुशंसाओं के आधार पर ही दी जाएगी। बिना फैलोशिप के इस प्रकार की छुट्टी की अवधि अवार्ड की कुल अवधि में ही सम्मिलित मानी जायेगी। ऐसी छुट्टी के लिए, शोध अध्येताओं को अपने विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से, समय पूर्व ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास आवेदन करना पड़ेगा।

- **vkonu djus rFkk p;u dh çfØ;k**

इस योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे छात्र ही पात्र होंगे जो कि यूजीसी द्वारा सहायता प्राप्त मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पी.एच.डी.के लिए, ऐसे विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हैं जहाँ पर उत्कृष्ट क्षमता वाले एवं विशेष सहायता वाले विभागों एव अग्रिम अध्ययन करने वाले ऐसे समस्त केन्द्र विद्यमान है, जिन्हें यूजीसी द्वारा चिन्हित किया गया है। उन अध्येताओं द्वारा शोध अध्येतावृत्ति के लिए केवल उन्हीं चिन्हित संस्थानों को ही आवेदन करना होगा। संदर्शिका में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार ही संबद्ध संस्थानों द्वारा चयन किया जायेगा।

`विश्वविद्यालय, शोध अध्येताओं का चयन, पात्र प्रत्याशियों में से एक साक्षात्कार द्वारा करेगा जो कि एक चयन समिति करेगी, जिस समिति का गठन निम्नवत होगा :

(क) उपकुलपति द्वारा मनोनित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

(ख) विभागाध्यक्ष

(ग) विभाग में कार्यरत एक प्रोफेसर तथा एक रीडर जिन्हें उप–कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सूची में से ऐसे दो विशेषज्ञ जो कि विश्वविद्यालय के बाहर से हैं तथा जो उप–कुलपति द्वारा नामांकित किये जाने चाहिए।

- **vu|nku tkjh dju dh çfØ;k**

विश्वविद्यालय/संस्थान से चयनित प्रत्याशियों के नाम, जीवनवृत एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यूजीसी कार्यालय इस अध्येता के नामांकन को स्वीकार कर लेता है तत्पश्चात् उस अध्येता की कार्यग्रहण तिथि से लेकर वार्षिक आधार पर देय अनुदान की प्रथम किस्त, एक मुश्त राशि के रूप में, उस संस्थान/विश्वविद्यालय को जारी की जाती है।

भुगतान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण अध्येताओं को भावी कठिनाइयों से बचाने के लिए, संबंद्ध संस्थान/विश्वविद्यालय ऐसे अध्येताओं को अपने पास विद्यमान विकास संबंधी अनुदान में से एकमुश्त भुगतान कर सकता है। अध्येताव त्ति अनुदान की अगली किस्त, विश्वविद्यालय /संस्थान को, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय विवरण तालिका, जोकि यूजीसी द्वारा पहले जारी किये गए अनुदान के विषय में हों–तथा जिनमें राशि का शत–प्रतिशत उपयोग संकेतित हो–ऐसे दस्तावेज़ों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। (कुल सचिव/वित्तीय अधिकारी) इन्हें मिल जाने के बाद ही वह अगली किस्त जारी की जायेगी।

- **çxfr dk i;lo{k.k dju dh fof/k**

शोध अध्येता के निष्पादन का पर्यवेक्षण, उनके संबद्ध निरीक्षक/मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है तथा इसे, उप प्रगति रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित किया जाता है, जोकि विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है ताकि उसे आगे यूजीसी कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके।

ऐसे अवार्ड के प्रथम दो वर्षों की समाप्ति पर, अध्येता द्वारा इसे जारी करने/विस्तारण के लिए अपने विभाग/विश्वविद्यालय के प्रति आवेदन किया जा सकता है। इस दिशा में, संस्थान द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा–जिसमें, पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय/संस्थान से बाहर का होगा वे तीनों सदस्य होंगे, जो कि अध्येता द्वारा किए गए शोध कार्य का मूल्यांकन करेंगे। इस समिति की अनुशंसाओं/मत के आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि अध्येता को और आगे इसे जारी रखने की अनुमति होगी अथवा नहीं।

संबंद्ध विभागों से ऐसी आशा की जाती है कि वे इस अध्येता के कार्य का निरन्तर पर्यवेक्षण करते रहेंगे। वह अपने एवार्ड की अवधि के दौरान किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करेगा/करेगी चाहे वह वित्तपोषित हो अथवा अन्यथा किसी रूप में हो, अथवा अन्य किसी भी स्रोतों से न तो कोई पारिश्रमिक या वेतन अथवा शुल्क आदि स्वीकार करेगा/करेगी।

विश्वविद्यालय की अनुशंसा द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अवार्ड की अवधि के दौरान यह अवार्ड समाप्त किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य माना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति की अवधि कार्यग्रहण तिथि से लेकर पाँच वर्ष तक की होगी बशर्ते कि अध्येता की कार्य प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रहती है अथवा जिस तिथि पर वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर देता है इन दोनों में से जो भी पहले होगी वही मान्य होगी। कुल कालावधि के पाँच वर्ष के पश्चात् कोई विस्तारण संभव नहीं होगा तथा अवार्ड प्राप्तकर्ता उस निर्धारित तिथि की समाप्ति पर तुरन्त प्रभावी रूप से यूजीसी शोध अध्येता के रूप में विरत माना जायेगा। यदि इस परिपेक्ष्य में कोई भी दावा/ संदर्भ लाया जाता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा ऐसे किसी भी कार्य के लिए उस व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

- **vU; 'krs**

अपने मार्गदर्शक/विभागाध्यक्ष की अनुमति से, शोध अध्येता उस विश्वविद्यालय/संस्थान की सहायता कर सकता है, जैसे कि शैक्षिक कार्य, जिसमें अनुशिक्षण कक्षाएँ संचालित करना, परीक्षा पत्रों का मूल्यांकन, प्रयोगशाला में परीक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय की गतिविधियाँ जैसे सामूहिक विचार गोष्ठियाँ, एवं परिसंवाद आदि बशर्ते, कि ऐसे

कार्यो द्वारा इस अध्येता द्वारा किये जा रहे शोध कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान न करें। ऐसी समस्त गतिविधियों पर लगाया जाने वाला समय प्रति सप्ताह 10 घंटे से अधिक नही होना चाहिए।

- **vokMZ dk jnnhdj.k**

ऐसी अध्येतावृत्ति का रद्दीकरण किया जा सकता है यदिः–

- कदाचार
- शोधकार्य की असंतोषजनक प्रगति /एम.फिल.पी.एच.डी. से जुड़े किसी परीक्षा में अनुतीर्ण रहने पर।
- यदि वह बाद में अपात्र पाया जाता है।

31.03.2011 तक एस.ए.पी. एवं गैर–एस.ए.पी. चिन्हित विभागों में, 165 शोध अध्येतावृत्तिया आबंटित हुई थी तथा इन विभागों में 46 अध्येता कार्यरत हैं । वर्ष 2010–11 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालयों के चयनित विभागों में अध्येताओं को कुल 59.40 करोड़ रू.का कुल अनुदान जारी किया गया ।

6-20 ÞvkWijs'ku QSdYVh jhpktZß fo'ofo|ky;ksa dks 'kks/k ,oa f'k{k.k lalk/kuksa esa of) gsrq igy

"ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज" पहल का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर पर विज्ञान से संबंधित विषयों में उच्च स्तर के अनुसंधान को मजबूत करना है तथा अकादमिक संकाय में नई प्रतिभा को प्रेरित कर विश्वविद्यालयों में नवाचारी शिक्षण को बढ़ावा देना है ।

अंतिम उद्देश्य अगले पांच साल में 1000 लोगों को भर्ती करना है । मूलतः 200 लोगों को निम्नलिखित अनुपात में भर्ती करना है:

सहायक प्रोफेसर	80
एसोसिएट प्रोफेसर	80
प्रोफेसर	40

योजना नए और कार्यरत शिक्षकों के लिए खुली है । निर्धारित मानदंडों को कड़ा और लचीला होना चाहिए । मुख्य प्रकाशन में पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव के साथ न्यूनतम योग्यता पीएचडी है ।

आरंभ में, कार्यावधि 5 वर्ष की है जो समाप्ति, निस्तार या पदोन्नति की समीक्षा के अध्यधीन है । शिक्षण का पद सेवानिवृत्ति की आयु तक जा सकता है जो प्रत्येक पांच वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन है ।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पद को भरने के लिए लगातार विज्ञापन दिए गए । चयन दो चरणों की प्रक्रिया है । विषय विशेषज्ञ सीवी या सिफारिश पत्र के आधार पर आवेदन पत्रों का चयन करते हैं । अंतिम चयन उच्चस्तरीय विभिन्न–विषयी समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा । देश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए चयन विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा । राष्ट्रीय स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को उनके अपने अधिमानताओं एवं मेजबान संस्थान के प्रत्युत्तर के अनुरूप किया जाएगा । नए लोगों के लिए अनुसंधान सुविधाओं/दिशानिर्देश/शिक्षण/शिक्षण अवसर (अधिकतम छह घंटे प्रति सप्ताह) तथा आवास सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच एक समझौते का फार्मूला तैयार किया गया है ।

उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण बिन्दुओं तथा संभावित आदानों को रेखांकित करते हुए अनुसंधान परियोजना प्रस्तुत करना होता है । समुचित निधियन को अवार्ड दिया जाएगा । अवार्ड प्राप्त करने वाले को वेतन तथा अन्य परिलब्धियां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अवार्ड प्राप्त करने वालों के समान दी जाएगी ।

इस प्रयोजन के लिए जेएनयू, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है तथा राष्ट्रीय समन्वयक एवं एसोसिएट समन्वयक की नियुक्ति की गई है । यूजीसी ने अभी तक प्रकोष्ठ को इसके कार्यकरण और संबंधित कार्यकलापों के लिए

25 लाख रूपये की राशि दी गई है । जैसे ही सरकार द्वारा बनाए गए पैनल की फर्म से स्वीकृति मिल जाएगी, वैसे ही इस प्रयोग के लिए भीघ्र ही एक वेबसाइट शुरू की जाएगी ।

6-21 ;thlh&ch,lvkj ladk; v/;srk ;kstuk

यूजीसी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेधावी शिक्षक, जो राज्य के विश्वविद्यालयों में सेवानिव त्ति के करीब हैं, बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन अवधि में ''यूजीसी–बीएसआर संकाय अध्येता'' नामक योजना शुरू की है । योजना का मुख्य लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेध ाावी शिक्षक, जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, को सेवानिवृत्ति के तीन अतिरिक्त वर्ष बाद उपयोगी अनुसंधान को जारी रखने तथा कम उम्र के अनुसंधानकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाने को सुगम बनाना है ।

ik=rk ekunM

- विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर ।
- जानी मानी पत्रिकाओं में कम से कम 15 अनुसंधान प्रकाशन होना चाहिए तथा मूलभूत विज्ञान में 15 पीएचडी या अपने कैरियर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 10 जिसमें से 5 पिछले दस वर्षों में पूरा होना चाहिए ।
- पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त प्रधान अन्वेषक के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने/प्रायोजित करने का प्रमाण।
- यह योजना संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की अपनी आयु से एक या दो वर्ष पूर्व उन शिक्षकों पर लागू है ।
- आवेदक के पास अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो सेवानिवृत्ति की तारीख से होगी ।
- विभाग/स्कूल/ विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र में शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक को प्रदान किया जाएगा – (I) अध्येतावृत्ति कार्य को करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना तथा प्रशासनिक सहायता और (II) यूजीसी–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति अवार्ड के लिएयनित होने पर अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए कम से कम दो वृत्तिका ।

foRrh; lgk;rk

- अध्येतावृत्ति में 30,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो पेंशन और/या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त है।
- आकस्मिक निधि प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये है जिसमें से 50,000 रूपये की धनराशि का उपयोग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाएगा ।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शमिल होने के लिए यूजीसी को शपथपत्र देना होगा, तथा समय–समय पर यूजीसी के मानकों और दिशानिदेशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी ।

p;u izfd;k

अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों को यूजीसी की वेबसाइट और विश्वविद्यालयों के संप्रेषण के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है । अधिकार प्राप्त समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और अध्येतावृत्ति देने की सिफारिश करेगी ।

2010–11 के दौरान ग्यारह संकाय सदस्यों को चयनित किया गया है तथा उन्हें अध्येतावृत्ति आदेश भी जारी किए गए हैं । उन्हें वित्तीय सहायता उनकी सेवानिवृत्ति के बाद दी जाएगी ।

6-22 ch, l vkj dk;Zde d vrxZr f'k{kdk dk ^^,de'r vunku**

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का प्रयोजन अपने क्षेत्र विशेष में अपना अनुसंधान जारी रखना है । न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।
- आवेदन की तारीख तक सेवावधि के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रस्तुत किया हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 पीएचडी हो ।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान परियोजनों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और/या उद्योग से प्राप्त निधि का ब्यौरा प्रस्तुत करे ।
- वर्तमान में चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाएं और पीएचडी 'उम्मीदवार'।
- यूजीसी से विशिष्ट योजना हेतु''एकमुश्त अनुदान हेतु अनुरोध के साथ अनुदान के उपयोग हेतु एक पृष्ठ में औचित्य ।

''एकमुश्त अनुदान'' योजना के अंतर्गत एक शिक्षक को अनुसंधान करने के लिए सात लाख प्रदान किया जाता है । अनुदान का उपयोग छोटे उपकरणों, (दो लाख से अधिक का नहीं), रसायनों, आकस्मिकता और क्षेत्र के कार्य के लिए किया जा सकता है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान 53 शिक्षक, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कर रहे हैं, को 2.94 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई ।

6-23 Mk- jk/kkd".ku iksLV MkDVksjy v/;srkof̀Rr

इस अध्येतावृत्ति योजना का लक्ष्य आधुनिक अध्ययन को जारी रखने तथा यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) और 14–ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में भाषाओं और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करना है ।

उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के वर्ष में 01 जुलाई को 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अध्येतावृत्ति उन उम्मीदवारों के लिए ही उपलब्ध है जिन्हें या तो पीएचडी डिग्री मिली है या जिन्होंने पीएचडी थीसिस प्रस्तुत किये हो। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 3 वर्ष (अविस्तारणीय) है । अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध स्थान 500 है ।

यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अपने पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए मेंटर को चिन्हित करे तथा मार्गदर्शन के लिए उसकी अनुमति ले । चयन के उपरांत, वे उम्मीदवार, जिनके पास पीएचडी डिग्री है, उन्हें सीधे पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति दी जाएगी और जिन लोगों ने अपनी पीएचडी थीसिस प्रस्तुत की है, को औपचारिक रूप से पीएचडी डिग्री देने तक उन्हें ब्रिजिंग (आंशिक रूप से कम की गई वृत्तिका) अध्येतावृत्ति दी जाएगी ।

अध्येतावृत्ति पीडीएफ मेंटर/पियर ग्रुप के मूल्यांकन के आधार पर खण्ड के नवीनीकरण/निरसन के साथ वार्षिक आधार पर दी जाती है ।

अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नवत् है:–

अध्येतावृत्ति	18,000 रू. प्रतिमाह से 22,000 रू. प्रतिमाह	वार्षिक वृद्धि 1000/– रूपये प्रतिमाह
ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति	16,000 रू. प्रतिमाह	जिन्होंने अपना पीएचडी थीसिस प्रस्तुत किया है।
आकस्मिकता	30,000/– रूपये प्रतिमाह	तीन वर्षों के लिए (निधारित)

विश्वविद्यालयों और कालेजों से पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तथा चयन प्रक्रिया चल रही है ।

6-24 fofHkUu vdknfed vkj vuqla/kku xfrfof/k;ksa dks lxBu dks lg?k dks vk/kkj ij f'k{kdksa fo"k;ks dk i=kRlkgu inku djuk

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने को प्रोत्साहन देने तथा प्रकाशनोन्मुखी पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए, जहां कहीं संभव है, विशिष्ट कार्यकलापों को संगठित करने में सामाजिक विज्ञानों, मानविकी और भा ाओं के विशय संघों को समर्थन देना है ।

ik=rk ekunaM

योजना सभी नेशनल सब्जेक्ट एसोसियेशन के लिए खुली है । सब्जेक्ट एसोसियेशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

(एक) उन्हें पांच वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए और पंजीकृत संगठन होना चाहिए जिसका एक संविधान हो, जो कार्यालय के पदाधिकारियों के नियमित निर्वाचन की अनुमति देता हो,

(दो) उन्हें कम से कम पांच वर्षों के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए,

(तीन) उनके पास कम से कम 200 की सदस्यता होनी चाहिए (आजीवन सदस्य और औसत तीन वर्ष वार्षिक सहायता)।

- क्षेत्रीय/राज्य विशय संघ भी इस योजना से समर्थन तो पा सकते हैं बशर्ते वे उपर्युक्त (एक) से (तीन) के मानदंड को पूरा करते हों और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 हो ।

- विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग और अनुसंधान संस्थाएं, जो पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, वे पत्रिकाओं के प्रकाशन की सहायता हेतु अनुदान देने के लिए योजना हेतु पात्र हैं बशर्ते ये पत्रिकाएं वर्णित मानदंडों को पूरा करते हों ।

यूजीसी द्वारा गठित एक स्थायी समिति प्रस्तावों पर विचार करती है, उसे अपनी सिफारिशें देती हैं । सिफारिशों के आधार पर यूजीसी इसकी स्वीकृति देती है ।

foRrh; lgk;rk %

- सचिवालयी सहायता के लिए मूल वार्षिक सहायता राष्ट्रीय स्तर के विषय संघों को प्रदान की जाती है । अनुदान 3. 00 लाख प्रतिवर्ष के अधिकतम सीमा के अध्यधीन है । सदस्यता संघ के अनुदान के लिए तीन स्लैब हैं ।

200–500	2.00 लाख प्रतिवर्ष
501–1000	2.50 लाख प्रतिवर्ष
1001 से ज्यादा	3.00 लाख प्रतिवर्ष

• यूजीसी राष्ट्रीय विषय संघों को वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इस शीर्ष के अंतर्गत अनुदान की अधिकतम राशि सात लाख रू. है किंतु भारतीय विज्ञान कांग्रेस को छोड़कर जहां इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये है । इस प्रयोजनार्थ सदस्यता प्ररूप के अनुदान हेतु तीन स्लैब हैं ।

200–500	4 लाख प्रतिवर्ष
501–1000	5 लाख प्रतिवर्ष
1001 से ज्यादा	7 लाख प्रतिवर्ष

वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों के 13 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और 68.78 लाख रूपये के कुल अनुदान भी जारी किए गए ।

6-25 o"kZ 2011 dk varjkZ"Vªh; jlk;u o"kZ ds :i esa euk;k tkuk

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वि. और प्रॉ. वि. के पत्रांक के संदर्भ में शक्ति प्राप्त समिति ने मामले पर विचार किया और यह सिफारिश की कि एसएपी/गैर–एसएपी तथा महाविद्यालय और उत्कृष्टता की संभाव्यता (सीपीई) के सभी रसायन विभागों को 1 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जाए ताकि वर्ष 2011 को ''अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष'' के रूप में मनाया जा सके । अकादमिक आयोजन निम्नवत् हो सकते हैं :–

(1) पड़ोसी संस्थाओं और महाविद्यालयों से एक या दो विशेषज्ञ लेक्चरर ।

(2) संस्थान ''हमारे जीवन में रसायन'' विषय पर प्रदर्शनी/प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया और तदनुसार 2500/– प्रतिमाह के एक या दो पुरस्कार दिए जा सकते हैं ।

(3) नेटवर्क केन्द्र वाले विभाग (आईसीटी, मुंबई तथा रसायन विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय) को 25–50 विभिन्न महाविद्यालयों तथा 50 शोध छात्रों की भागीदारी से ''रसायन दिवस'' पर 2–3 दिनों की कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए । उपरोक्त दो विभागों को 5.00 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जा सकती है । कार्यशाला का एक केन्द्रीय विशय रसायन तथा सार्वजनिक जीवन पर इसकी सक्रिय भूमिका तथा इसके वैज्ञानिक–आर्थिक उपयोग को लोकप्रिय बनाना है । विशेषज्ञों को विषय पर व्याख्यान देने के लिए 2500/– रूपये का मानदेय दिया जाएगा ।

इस संबंध में, 223 विभागों में से प्रत्येक को 1 लाख रूपये प्रति विभाग की दर से तथा दो नेटवर्किंग केन्द्रों को 5.00 लाख रूपये प्रति केन्द्र की दर से अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011 के दौरान रसायन संबंधी कार्यशाला आयोजित करने के लिए 2.33 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया गया ।

6-26 Nk=k gsrq ;wthlh v/;srkofRr;k¡ rFkk Nk=ofRr;k¡ dk laf{kIr C;kSjk

Øe l0	;kstuk dk uke	ifro"kZ LykWV dh la[;k	vkjEHk gksus dk o"kZ	v/;srkof`Ùk@Nk=of`Ùk dh vof/k
	vuqla/kku v/;srkofRr ¼,efQy@ih,pMh gsrq½			
1.	अ0जा0/अ0ज0जा0 हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से यूजीसी द्वारा कार्यान्वित	अ0जा0 हेतु 2000 तथा अ0ज0जा0 हेतु 667	2005–06 (अध्येतावृत्ति का चयन 2006–07 से आरंभ हुआ)	5 वर्ष

2.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (नई योजना 2009–10 से आरंभ हुई तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की गई)	756	2009–10	5 वर्ष
3.	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति	प्रति परीक्षा 3200	1957–58	5 वर्ष
4.	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जेआरएफ)	50	1994	5 वर्ष
5.	विदशी नागरिकों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) तथा अनुसंधान एसोसियेटशिप	20 जेआरएफ + 7 आरए	1957–58	5 वर्ष
6.	राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में पीएचडी हेतु अनुसंधान अध्येतावृत्ति	5244	2007–08	5 वर्ष
7.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (नई योजना वर्ष 2010–11 से आरंभ होनी है)	165	2010	आरंभ में 2 वर्षों के लिए
	ikLV MkDVkjy v/;srkofRr;k			
8.	विज्ञान में डीएस कोठारी पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति	520	2008–09	2 वर्ष
9.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में राधाकृष्णन पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां	520	2009–10	
10	अ0जा0/अ0ज0जा0 हेतु पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां	100	2006–07	5 वर्ष
11	महिलाओं के लिए पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां	100	1998	5 वर्ष
	Lukrdksrj Nk=ofRr;k			
12	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां (फरवरी 2007 में आरंभ की गई योजना)	12524	फरवरी, 2007	पाठ्यक्रम की अवधि

13	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1000	2006–07	2 वर्ष
14	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	कोई सीमा नहीं	2005–06	2 वर्ष
15	विश्वविद्यालय रैंक धारियों हेतु स्नातकोत्तर मेधावी छात्रवृत्तियां	2375	2005–06	2 वर्ष
16	गेट अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1400	मा.सं.वि.मं. के निर्देशानुसार	2 वर्ष

- **v/;rkofÙk;k¡ ,oa Nk=ofÙk ;kstukvksa dh lf{kIr çLrkouk**

1- v-t-@v-t-tk- ds çR;kf'k;ksa ds fy, jktho xka/kh jk"Vªh; v/;rkofÙk ¼vkj-th-,u-,Q-½ %

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) योजना जो कि अ.ज/अ.ज.जा. के लिए है उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार तथा वितपोषित किया जाता है। यह अध्येतावृत्तियाँ अ.ज./अ.ज.जा. के ऐसे अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं जो कि विज्ञान, मानविकी तथा सामाज विज्ञान भाषा एवं इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विषयों में उच्चतर अध्ययनों द्वारा नियमित एवं पूर्णकालिक एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रियां पाने के इच्छुक हैं। प्रतिवर्ष अ.जा. के लिए 1333 स्थान उपलब्ध हैं तथा 667 स्थान अ.ज.जा अभ्यार्थियों के लिए हैं जो कि समस्त विषयों के अन्तर्गत हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इनमें से तीन प्रतिशत अध्येतावृत्तियाँ शारीरिक विकलांग, अ.जा./अ.जन. प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं।

इस परियोजना की वर्ष 2005–06 में पहल की गई तथा समाज के वंचित वर्गों में स्थित प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारम्भ की गई ताकि ऐसे लोगों को अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य को पूरा करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि अ.जा./अ.ज.जा. से जुडे छात्रों द्वारा ऐसे भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों /महाविद्यालयों में जो कि धाराओं 2(एच) एवं 12(ख), यूजीसी अधिनियम के अन्तर्गत मान्य हैं तथा कुछ गैर–विश्वविद्यालय संस्थानों में, विज्ञान, मानविकी समाज विज्ञान एवं इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी विषयों में एम.फ़िल/पी.एच.डी. डिग्रियों (पूर्णकालिक) को प्राप्त करने के लिए उच्चतर अध्ययनों का अनुसरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की है।

2- vYila[;d Nk=ksa ds fy, eksykuk vktkn jk"Vªh; v/;rkofr;k

यह परियोजना वर्ष 2009–10 से आरम्भ की जानी है। आरम्भ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जो कि प्रायोजक एजेंसी है। उन्होंने 252 स्लाटों का आवंटन किया, परन्तु जुलाई, 2009 ऐसे स्लॉटों की संख्या में बढ़ाकर 756 कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों द्वारा ई.एफ.सी. नोट को अंतिम रुप प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत वि.अकृआ. को निधि प्रदत्त की जानी शेष है।

3- foKku] ekufodh ,oa lkekftd foKku fo"k;ksa esa dfu"B vuqla/kku v/;rkofÙk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परियोजना की पहल 1957–58 में की गई थी तथा यह परियोजना ऐसे समस्त प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध है। जिन्होंने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अर्हता प्राप्त की है तथा यूजीसी (सी.एस.आई.आर.) संयुक्त परीक्षा पास कर ली है। तथापि, ऐसे परीक्षण केवल मात्र अर्हता प्राप्त करने वाले परीक्षण है तथा किसी भी प्रत्याशी द्वारा, अध्येतावृत्ति प्राप्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष की है।

जे.आर.एफ. स्कीम का लक्ष्य यह है कि नेट योग्यता प्राप्त प्रत्याशियों द्वारा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान भाषाओं एवं विज्ञान विषयों अग्रवर्ती अध्ययन एवं शोध कार्य द्वारा एम. फिल., पी.एच.डी. डिग्रियाँ प्राप्त कर पायें। भारतीयों के लिए स्लॉटों की संख्या 3200 प्रति वर्ष है।

4- bathfu;fjax ,oa çkS|ksfxdh esa dfu"B vuqla/kku v/;srkòfÝk;k¡ %

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ की योजना वर्ष 1994 मे प्रारम्भ की गई थी। यह योजना ऐसे अभ्यार्थियों के लिए है जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य करके पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु वर्तमान में, न तो यूजीसी और ना ही सी.आर.आई.आर. इन क्षेत्रों में नेशनल एजूकेशन टेस्टिंग परीक्षा करा रहे हैं । अतः एम. ई./एम. टेक. छात्रों को प्रत्यक्ष तौर पर साक्षात्कार के माध्यम द्वारा यह सुअवसर प्रदान किया जाता है, जिस साक्षात्कार का संचालन यूजीसी करती है। प्रतिवर्ष, इस स्कीम के तहत 50 स्थान उपलब्ध रहते हैं।

यह योजना ऐसे अनुसंधान विद्वानों को, अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान अनुसरण करने के सुअवसर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के वि यों में प्रदान करती है। जो कि पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। भू–विज्ञान एवं भू–भौतिकी जैसे विषय इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये गए हैं । इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

5. fons'kh ukxfjdksa ds fy, t- vkj- ,Q- rFkk dfu"B vuqla/kku v/;srkòfÙk

एशियाई देशों अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों के साथ, भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं द्विपक्षीय संबधों को ध्यान में रखते हुए, यह योजना, वर्ष 1957–58 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना द्वारा ऐसे नवीन परिदृष्य विकसित हुए हैं जिनसे विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में अग्रिम अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य विशेषकर विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान विषयों में, अनुसरण करना संभव हो पायेगा।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा जो कि विकासशील देशों से हैं अग्रवर्ती अध्ययन एवं शोधकार्य जिसके द्वारा एम. फिल./पी. एच. डी. को विज्ञान, मानविकी एवं सामाज विज्ञान विषयों में प्राप्त किया जा सकता है। इनका अनुसरण करना संभव होगा। इस योजना की अवधि 4 वर्ष है। अध्येतावृत्ति की अवधि आरए के मामले में 4 वर्श और जेआरएफ के मामले में 5 वर्ष है । स्लाटों की संख्या 20 जेआरएफ तथा 7 आरए प्रतिवर्ष है ।

6- es/kkoh Nk=ksa ds fy, foKku fo"k;ksa esa vuqla/kku v/;srkòfr;k

ऐसे छात्र जिन्होंने पी.एच.डी. (विज्ञान) के लिए उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यू.पी.ई.)/उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों में अथवा अग्रेषित अध्ययन केन्द्रों एव यूजीसी द्वारा अभिलक्षित विशेष सहायता वाले विभागों (डी.एस.ए.) के साथ पंजीकरण करा रखा है ऐसे मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान विषयों में आरएफएसएमएस योजना का प्रारंभ 2007–08 में हुआ था।

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य मेद्यावी छात्रों को सुअवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य हाथ में ले सके जो कि उन्हें विज्ञान विशयों में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में सहायक होगा। इस योजना की अवधि 3 वर्ष की है।

7- es/kkoh Nk=ksa ds fy, foKku fo"k;ksa esa vuqla/kku v/;srkòfr;k ¼ekufodh ,oa lekt foKku fo"k;ksa esa½

इन अध्येतावृत्तियों का लक्ष्य छात्रों को अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में में पी. एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में अग्रवर्ती अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सके । जिन अभ्यर्थियों एसएपी के अंतर्गत चिन्हित विभागों में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराया है वे इसके लिए पात्र हैं । आरंभ में अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष की है। आरंभिक दो वर्षों के दौरान अध्येतावृत्ति राशि 14000/– रु0 प्रतिमाह है । 31 मार्च, 2011 तक विभागों को 165 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई है और 46 अध्येता कार्यरत हैं ।

8- efgykvk d fy, ikLV&MkDVkjV v/;rkofÙk

महिलाओं के लिए वर्ष 1998 में जो अंशकालीन शोध अध्येतावृत्ति की योजना की पहल की गई थी इस योजना का पुनः महिलाओं के लिए पोस्ट–डाक्टोरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति का नाम दिया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि जिन महिलाओं द्वारा पी.एच.डी. पूरी की जा चुकी है और जो अभी बेरोजगार हैं तथा जिनका शोध की ओर रूझान है परन्तु जो किन्ही व्यक्तिगत व घरेलू स्थितियों की वजह से नियमित रूप में अपना अनुसंधान कार्य नहीं कर पा रहीं हैं।

पीएचडी डिग्रीधारक महिलाएं जिनके पास स्वतंत्र अनुसंधान कार्य हेतु प्रतिभा और सक्षमता है, वे भाषा और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ कर सकती है। अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष है और प्रति वर्ष स्लाटों की संख्या 100 है ।

9- foKku] çk|kfxdh ,o btfu;fjx e Mk- Mh-,l-dkBkjh v/;rkofŸk;k

महत्वपूर्ण पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की पहल वर्ष 2008–09 के दौरान की गई थी तथा इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. डी.एस.कोठारी के नाम पर रखा गया है। इस देश में उच्चतर शिक्षा के लिए जिस प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की आवश्यकता है ऐसे संकाय सदस्यों की संख्या में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करना ही इस योजना का लक्ष्य है।

यह एक बढ़ावा देनी वाली योजना हैं जिसका उद्देश्य पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को स्थापित करना हैं। इस योजना के अन्तर्गत "यथा स्थिति, यथा समय" आधार पर, वर्ष पर्यन्त ही चयन प्रक्रिया क्रियान्वित होती रहती है तथा यह प्रक्रिया किसी भी विशिष्ट सीमाबद्धता द्वारा प्रतिबंधित नहीं है जैसे कि शोध प्रबंधो का प्रस्तुतीकरण तथा पी.एच.डी. डिग्रियों का एवार्ड प्रदान करने की प्रक्रियाएँ यह सभी सीमाओं से रहित है। जितने भी आवेदन होगें उनका परीक्षण एक स्थायी वरिष्ठ दल द्वारा किया जायेगा जो कि उनकी ग्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा।

इसी प्रकार से एक स्थायी (मुख्य) वरिष्ठ दल द्वारा ऐसे आवेदनों को वेबसाइट तक पहुँचाया जाता है तथा उनकी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ग्रेडिग की जाती है, ऐसे वरिष्ठ दल द्वारा प्रदत्त ग्रेडों (इलेक्ट्रॉनिक) के आधार पर, इस दल के अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान संस्कृति को अन्य लोगों के मन में स्थापित करने वाली यह एक प्रोन्नति वाली योजना है। अतः पुनरीक्षण प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया दो बातों का उपयुक्त सम्मिश्रण होना चाहिए अर्थात् प्रत्याशी द्वारा पी.एच.डी. स्तर पर जो उपलब्धि थी तथा जिस स्थान में पोस्ट–डाक्टोरल कार्य को सम्पन्न किया जाना है वहाँ की व्यावसायिक रूप से कितनी प्रतिष्ठा है–इनका उपयुक्त सम्मिश्रण होना चाहिए। सामान्य रूप में, प्रत्याशियों का अन्य, संस्थानों में स्थापित होने के लिए तथा अपेक्षाकृत नवीनतर क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात छह सप्ताहों के भीतर ही चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा जो प्रक्रिया पाण्डुलिपि जाँचने के लिए एवं मूल्यांकन के लिए स्वीकार की गई उसके अनुरूप ही प्रक्रिया होनी चाहिए तथा यह समस्त प्रक्रिया पूर्ण कागज–रहित होनी चाहिए।

इन समस्त अध्येतावृत्तियाँ में अन्तर्राष्ट्रीय झलक होनी चाहिए तथा विश्व के अन्य भागों से जो छात्र आते हैं उनके लिए यह मुक्त होनी चाहिए विशेषकर विकासशील एवं पड़ोसी देशों वाले छात्रों के लिए। प्रतिवर्ष ऐसे एवार्ड 500 तक हो सकते हैं तथा सर्वोच्च रूप में 1000 तक भी हो सकते हैं। इस योजना की अवधि 2 वर्ष की है।

10- Mk- ,l-jk/kkd".ku ikLV MkDVkjy v/;rkofŸk;k ¼ekufodh@lekt foKku@Hkk"kk,½

आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और चयन प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है । इसका उद्देश्य भाषा और सामाजिक विज्ञान सहित मानविकी में उच्च अध्ययन और स्वतंत्र अनुसंधान करने का अवसर उपलब्ध कराना है । अध्येतावृत्ति की अवधि 3 वर्ष है और स्लाटों की संख्या 500 है । वित्तीय सहायता निम्नवत् हैः–

अध्येतावृत्ति	20,000.00 से 22,000.00 रू. प्रतिमाह	1000 रुपये प्रतिमाह की वार्षिक वृद्धि के साथ
ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति	16,000.00 रू.– प्रतिमाह	जिन्होंने अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिये हैं।
आकस्मिक अनुदान	30,000.00 रू.– प्रतिवर्ष	3 वर्ष के लिए (निर्धारित)

11- v-tk-@v-t-tk- d fy, ikLV MkDVkjy v/;rkofÙk

इस परियोजना की पहल वर्ष 2006–07 में की गई थी तथा समाज के वंचित वर्ग से जुड़े प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा गया तथा इस योजना का लक्ष्य था कि उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पोस्ट डॉक्टोराल अनुसंधान करने का अवसर उपलब्ध हो सके।

इस परियोजना का लक्ष्य यह कि भारतीय विश्वविद्यालयों /संस्थानों /महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा प्रत्याशी विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा मानविकी एवं समाज विज्ञान विषयों में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान कार्य को क्रियान्वित कर सके।

ऐसे किसी भी प्रत्याशी के पास उसके सापेक्ष विषयों में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए तथा अधिमान्य रूप से उसके द्वारा प्रकाशित शोध कार्य का विस्तार होना चाहिए। आवेदन के लिए नियम तिथि से लेकर, पहली जुलाई पर, पुरुष आवेदकों की सर्वोच्च आयु सीमा 50 वर्ष है महिला प्रत्याशियों के लिए यह आयु सीमा 55 वर्ष है अपवाद स्वरूप मामलों में यह आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। स्लॉटों की संख्या 100 प्रति वर्ष है।

12-dUnh; fo'ofo|ky;k d fo/kkfFk;k d fy, Nk=ofr;k

मेधावी छात्रों को शोधकार्य की ओर आकर्षित करने जाये तथा मूलभूत विज्ञान विषयों में एवं समाज विज्ञान में जो गिरते रूझान पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यूजीसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल.,पी.एच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्तियाँ प्रवर्तित करने का निर्णय लिया है।

इस योजना को, फरवरी 2007 में प्रारंभ किया गया तथा यह योजना ऐसे समस्त शोध छात्रों के लिए उपलब्ध हैं जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी.एच.डी. में पंजीकृत है अथवा उन छात्रों के लिए जो कि किसी भी संस्थागत अध्येतावृत्ति के प्राप्तकर्ता नहीं हैं (जैसे यू.जी.सी., सी. एस. आई. आर. आदि)

यूजीसी ने 11 वीं योजना अवधि हेतु 22 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 265.25 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है।

13-v-tk-@v-t-tk- d çR;kf'k;k d fy, i'koj ikB;Øek gr Lukrdkùkj Nk=ofÙk;k

समाज के वंचित वर्गों से संबंद्ध प्रत्याशियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2006–07 के दौरान इस योजना का आरंभ किया गया ताकि ऐसे प्रत्याशियों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विभिन्न स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक विषयों, जैसे कि इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, फार्मेसी आदि में उन्हे इस अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

इस योजना का लक्ष्य यह है कि 1000 अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों द्वारा, व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने के लिए अन्य मान्य भारतीय विश्वविद्यालयों /संस्थानों /महाविद्यालयों में सुअवसर मिलें तथा ऐसे प्रत्याशियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना की अवधि दो वर्ष का है।

14-bfnjk xka/kh ,dy ckfydk LukrdksÙkj Nk=ofÙk ;kstuk ½

यह पाया गया है कि कुछ राज्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है–जो एक गहन चिंता का विषय है। यहाँ तक देखा गया है कि महिलाओं को बालक शिशु को जन्म देने के लिए बाध्य तक किया जाता है। ऐसे स्थितियों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना यह प्रविधि अनिवार्य तौर से एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वह शिक्षा उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण कायम रखने में सहायक बन सके। बालिका संतान के विरूद्ध, ऐसी मानसिकता जो कि प्रतिकूल है– ऐसी मानसिकता, वर्तमान आर्थिक प्रगति एवं साक्षरता के साथ कदम मिलकार नही चल सकती। प्रत्येक बच्चे द्वारा मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के मानव अधिकार की घोषणा, भारत सरकार द्वारा की गई है। महिलाओं के स्तर को प्रान्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं जिनमें ऐसी कछ पृथक–पृथक योजनाएँ जैसे कि लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2005–06 के दौरान, यूजीसी द्वारा बालिका संतान स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति, जो एकमात्र बालिका संतान हेतु थी प्रस्तावित की गई, जिसका लक्ष्य था कि लड़कियों की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसका यह ध्येय भी था कि लड़कियों की शिक्षा पर होने वाले समस्त प्रत्यक्ष व्ययों को, सभी स्तरों पर विशेषकर ऐसी लड़कियों के मामलों में जो कि अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं–ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति हो सके।

इस प्रस्तावित योजना के उद्देश्य निम्नवत हैं :–

(क) गैर–पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मात्र बालिका संतान के लिए सहायता प्रदान करना।

(ख) छोटे परिवार के सिद्धांत को, मान्यता देने के महत्व को समझना

इस परियोजना की अवधि दो वर्ष के लिए है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी ।

15-Lukrd&iwoZ Lrj ij fo'ofo|ky; esa 'kh"kZ LFkku ikus okys Nk=ksa ds fy, LukrdksÙkj ;ksX;rk Nk=ofÙk ;kstuk ½

वर्ष 2005–06 के दौरान यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में एक स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना को प्रस्तावित किया गया। यह छात्रवृत्ति **nks lkyksa dh vof/k ds fy, gkxh rFkk bldks vUrxZr çR;sd fo'ofo|ky; ds 'kh"kZ LFkku çkIrdrkZvksa dks Lukrd Lrj ij viuh LukrdksÙkj fMxzh ds fy, vuqlj.k djus dh lqfo/kk feyxhA** विश्वविद्यालय में जितने भी शीर्ष स्थान के प्राप्तकर्ता होगें,ऐसे समस्त छात्रों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों /डिग्री प्रदानकर्ता संस्थानों को आवश्यक रूप से, शीर्षता प्रमाण–पत्र जारी करने होंगे **¼tks fd egkfo|ky; Lrj ls ugha gksxk½** तथा ऐसे प्रमाण पत्र, सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए अर्थात् बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम के लिए लागू होगे। इस योजना का ध्येय यह है कि, स्नातकोत्तर अध्ययन का अनुसरण करने के लिए योग्य छात्रों को आकर्षित किया जाये, इसके अलावा इसके, मूलभूत विषयों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, सामान्य एवं ऑनर्स स्तर वाले विषयों पर, स्नातक स्तर पर प्रयास किये जायें। अवार्ड प्राप्तकर्ता, इस योजना के अन्तर्गत, देश के किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान में विशेषज्ञता के किसी क्षेत्र में, अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अनुसरण करने के लिए छात्र कार्य कर सकते है।

इस परियोजना के लक्ष्य है :–

(क) प्रतिभाओं को बढ़ावा देना एवं पोषण करना।

(ख) स्नातक स्तर पर जिन मेधावी छात्रों ने अद्वितीय निष्पादन किया है ऐसे छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययनों का अनुसरण करने के लिए पुरस्कृत करना।

(ग) स्नातक स्तर की दोनों श्रेणियों सामान्य तथा ऑनर्स में **vk/kkjxr fo"k;k** में अध्ययनों को प्रोन्नत करना। व्यावसायिक विषय इस योजना के अन्तर्गत आवृत्त नहीं हैं।

(घ) देशभर में समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता का निर्माण करना।

इस योजना की अवधि दो वर्ष की है।

16-xV vg|rk çkIr Nk=k dk LukrdkÙkj Nk=ofÙk;k

इस योजना का लक्ष्य स्नातक छात्रों द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययनों का हेतु मदद करना है। छात्रवृत्ति का स्वरुप निम्नवत है :–

एम.ई./एम.टेक/एम.फॉर्मा (60% एवं इससे अधिक)	5,000.00 रू प्रति माह की दर से
छात्रवृत्ति (60% से कम)	1,000.00 रू प्रति माह की दर से
आकस्मिक	5,000.00 रू प्रति वर्ष की दर से

इस योजना की अवधि दो वर्ष की है।

7- fyx rFkk lkekftd lekurk

7-1 Hkkjrh; fo'ofo|ky;k ,o egkfo|ky;k e efgyk vè;;u dk fodkl

महिला अध्ययन कार्यक्रम जिसे, 7वीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभ किया गया था, उसके कार्यक्रम को यूजीसी द्वारा प्रोन्नत, सुदृढ़ बनाया गया तथा दिशानिर्देश प्रदान किए गए। यह कार्य विभिन्न योजना अवधियों के दौरान विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करके किया गया। 8वीं से 10वीं योजना अवधियों के दौरान, महिला अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली में स्थापित किया गया था। महिला अध्ययनों के अध्यापन, अनुसंधान एवं क्षेत्रगत सक्रियता के विकास में इन केन्द्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

11वीं योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यह है कि विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत महिला अध्ययन केन्द्रों को सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित करके इन केन्द्रों को सुदृढ़ और स्थायी बनाया जाए तथा साथ ही उनकी अपनी क्षमता की वृद्धि करके अन्य आंगिक विभागों के साथ उनका ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जाए जिससे कि वे परस्पर पुनर्बलित कर रहे हैं तथा वे एक दूसरे के साथ सहयोगी क्रिया में युक्त हैं। विशेष बल इस बात पर दिया गया है कि क्षेत्रगत क्रियाओं से जुड़ी परियोजनाओं को कार्यवाही, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं ज्ञान की संवृद्धि हेतु तथा जाति/वर्ग/धर्मगत सीमाओं से परे तथा जातिगत एवं व्यवसायगत दृष्टि से परे कैसे विकसित किया जाए तथा इस नेटवर्क में किस प्रकार से और अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाए अथवा अनेक संगठनों को इस नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए तथा इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस नवीन रूप से उद्धत विषय की गुणवत्ता कैसे अनुरक्षित होगी तथा इस पर केन्द्र बिन्दु कैसे स्थिर हो पाएगा।

दिनांक 31.03.2011 तक देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कुल मिलाकर 159 महिला अध्ययन केन्द्र सक्रिय हैं (जिनमें विश्वविद्यालयों में 83 और महाविद्यालयों में 76 हैं), जिनमें वर्ष 2010–11 में स्थापित 28 केंद्र भी शामिल हैं। स्थायी समिति द्वारा इन केन्द्रों को तीन चरणों में स्थापित किया गया है । प्रत्एक विश्वविद्यालय में स्थित एक केन्द्र (प्रथम चरण) 5.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता का पात्र होगा, (द्वितीय चरण) 8.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष का, (तृतीय चरण) 12.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लिए पात्र होगा। महाविद्यालय में स्थापित ऐसा केन्द्र – (प्रथम चरण) 3.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष, (द्वितीय चरण) 5.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष, (तृतीय चरण) 8.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता का पात्र होगा। वर्ष 2010–11 के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सक्रिय महिला अध्ययन केन्द्रों के लिए 3.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

7-2 efgyk Nk=kokl k d fuek.k dh fo'k"k ;kstuk

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रावासों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना लागू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त के लिए उपयुक्त महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली वित्तीय सहायता शत–प्रतिशत आधार पर उपलब्ध होगी, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी:

efgykvk dk ukekdu	xj&egkuxjh; 'kgjk d lcèk e èkujkf'k ¼yk[k #i, e½	egkuxjh; 'kgjk d lcèk e èkujkf'k ¼yk[k #i, e½
(क) 250 तक	60.00	120.00
(ख) 251 से 500 तक	80.00	160.00
(ग) 500 से अधिक	100.00	200.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन/अधिकतम सीमा से ऊपर जितना व्यय होगा, उसका वहन संस्थानों द्वारा अपने संसाधनों से करना होगा, जिसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा स्पष्ट संकेत एवं आश्वासन उपलब्ध करना होगा।

इन दिशानिर्देशों के अधीन किए गए आबंटन/अधिकतम सीमा से ऊपर यदि कोई मूल्य वृद्धि होती है तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी वृद्धि की लागत को उपलब्ध नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्यों में स्थित 599 महाविद्यालयों के लिए कुल 118.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए दिल्ली में स्थित महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान कार्यालय द्वारा 1.30 करोड़ रुपए तक की अदायगी की गई है।

7-3 mPp f'k{kk e efgyk icèkdk dh {kerk dk fuek.k%

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण करने की परियोजना यूजीसी द्वारा 10वीं योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना को अब संशोधित करके 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु संशोधित एवं जारी रखा गया है। सर्वांगीण रूप से इस परियोजना का लक्ष्य यह है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली महिला संकाय सदस्यों, प्रशासकों एवं स्टाफ सदस्यों के कार्य क्षेत्रों को साधन सम्पन्न बनाना तथा अधिक श्रे ठ रूप से लैंगिग समानता लाने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं द्वारा भागीदारी में बढ़ोतरी करना तथा ऐसी नीतियों एवं प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को संवेदीकृत करना जो नीतियाँ महिलाओं की गुणवता को तथा महिलाओं के पृथक–पृथक स्वरूपों को अधिमान्यता प्रदान करने वाले हैं तथा महिलाओं को प्रगति कराने वाले हैं। इसी के साथ ही ऐसी सक्षम महिलाएँ जो कि प्रशासक बनने योग्य हैं परन्तु ऐसी महिलाओ का एक सम्पूर्ण वर्ग जिसकी सेवाएँ उपयोग में नही ली जा सकी है। ऐसी महिलाओं की भागीदारी द्वारा गुणात्मक उच्चतर शिक्षा को विकसित किया जाना ही इसका लक्ष्य है। इस परियोजना के विशिष्ट लक्ष्य यह है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जो लिंग से जुड़े विभेद हैं। उन्हें न्यून करने के लिए एक संदर्भ शुल्क योजना एवं रणनीति को विकसित करना। ऐसी महिलाओं को सुदृढ़ बनाना जो कि प्रशासक बनने के लिए उत्सुक हैं उन महिलाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्ताव देना, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना, लिंग से जुडी सकरात्मक पहल जैसे कि लिंग समानता प्रकोष्ठ, संवेदीकरण सूचकांक आदि विकसित करना, नेटवर्किंग के द्वारा उच्चतर शिक्षा में विद्यमान महिला प्रबंधकों के मध्य पारस्परिक संबंधों को विकसित करना एवं सहायता करना आदि।

11 वीं योजना के दौरान निम्न तीन पद्धतियों की परिकल्पना की गई है :

(i) ऐसी महिलाएँ जो कि प्रबंधक बनने के लिए उत्सुक है उनसे संबद्ध मामलों की संवेदनशीलता के परिवर्धन पर केन्द्रित, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश।

(ii) किसी अन्य सामान्य योजना की बजाय इसे महिला आन्दोलन का रूप प्रदान करना।

(iii) संवेदनशीलता/जागरूकता/अभिप्रेरणा कार्यशालाओ में उप कुलपतियों एवं प्राचार्यों की भागीदारी बढ़ाना तथा कालान्तर में जिनको समन्वयकर्ता/प्रशिक्षक के बतौर प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रोन्नत करना।

महिलाओं में क्षमता निर्माण के लिए इस कार्यक्रम में वर्तमान में निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं निपुणता विकास संबंधी कार्यशालाएँ सम्मिलित है :

1. संवेदीशील बनाना/जागरूकता पैदा करना/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) कार्यशालाएँ (5 दिन की)।
2. प्रशिक्षकों/मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाएँ (6 दिन की)।
3. प्रबंधन संबंधी कौशल कार्यशालाएँ (6 दिन की)।
4. पुनश्चर्या कार्यशालाएं (3 दिन की)

इस योजना के अधीन प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी कार्यशालाओं के लिए संशोधित वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

¼yk[k #i, e½

dk;Z'kkyk dk izdkj	egkuxjksa esa ;wfuV ykxr	xSj&egkuxjksa esa ;wfuV ykxr
गैर–आवासीय सैम कार्यशाला	2.26	2.23
आवासीय सैम कार्यशाला	5.65	5.33
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला	8.86	8.33
प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला	9.70	8.77
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संबंधी कार्यशाला		7.50

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा दो प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला, एक पुनश्चर्या कार्यशाला और 65 संवदेनशील बनाना/ जागरूकता पैदा करना/ अभिप्रेरणा (सैम) संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं के आयोजन के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 3.64 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। ,

7-4 fo'ofo|ky;ksa esa vuqlwfpr tkfr vkSj vuqlwfpr tutkfr izdks"Bksa dh LFkkiuk

भारतीय समाज में सर्वाधिक वंचित वर्गों–अ.जा.एवं अनु.ज.जा. के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका प्रमुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें मात्र नौकरियाँ प्रदान उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, बल्कि इसका लक्ष्य यह है कि उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो ताकि वे समाज की मुख्यधारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्यों में इस आरक्षण को उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अजा./ अजजा. प्रकोष्ठ को स्थापित किया गया है तथा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए उच्चतर शिक्षा में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई है।

11 वीं योजना में, "विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना"– इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो परियोजना के वर्ष 1983 में शुरू की गई थी :

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. से संबद्ध आरक्षण नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
- शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर प्रवेशों एवं नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना।
- ऐसे अनुवर्ती कदम उठाए जाएं जिनके द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयता मिले , जिन लक्ष्यों को इस उद्देश्य के लिए विहित किया गया है।

इस योजना के तहत, स्टाफ के लिए जो नियुक्तियाँ हैं उनके लिए जितनी सहायता दी जाएगी वह शत–प्रतिशत आधार पर होगी तथा इन अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ की स्थापना के पहले पाँच वर्षों के दौरान जो स्टाफ वेतन पर वास्तविक व्यय किया गया होगा अथवा उस योजना अवधि के अंत तक जिस के दौरान यह प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं सम–विश्वविद्यालय जिनके लिए यूजीसी द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है उनके द्वारा आवर्ती व्यय को गैर–योजनागत निधि में से पूरा किया जाए। ऐसे राज्य विश्वविद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है वे आवर्ती अनुदानों का दायित्व उठाएं तथा योजना की अवधि की समाप्ति पर राज्य द्वारा वित्तपोषण की सहायता द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधि मिलती रहेगी। यदि किसी स्थिति में आवर्ती अनुदान का दायित्व राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया जताा है तो वह राज्य विश्वविद्यालय इस अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन को जारी रखें तथा जो विकास अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया है उसको उपयोग करके इस काम को जारी रखे।

31 मार्च, 2011 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल मिलकर 128 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

7-5 vuqlfpr tkfr;k@ vuqlfpr tutkfr;k@ vU; fiNMk oxZ ¼vlEiUu ox½@ vYil[;dk d fy, vuf'k{k.k ;ktuk,a

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग के सामजिक, सामाजिक समानता, शैक्षिक गतिशीलता की दिशा में योगदान कर रहा है। ऐसे वर्गों का कल्याण तथा विकास हमारे लोकतांत्रिक समाज की सुदृढ़ता तथा सफलता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।

इस लक्ष्य के लिए, आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण,
(ii) सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण
(iii)) नेट परीक्षा के लिए अनुशिक्षण

11वीं योजना के दौरान, आयोग ने इन योजनाओं का विलय, विश्वविद्यालय की सामान्य विकास सहायता वाली योजनाओं के साथ करने का निर्णय लिया है तथा इस घटक के लिए जो अनुदान दिया जाएगा, वह सामान्य विकास सहायता की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत, जहाँ तक महाविद्यालय हैं, तो उनके लिए

यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किया जा रहा है ।

7-6 vU; fiNM oxk d fy, vkj{k.k uhfr

भारत सरकार के निर्देशानुसार, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापन, गैर–शिक्षण तथा दाखिलों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का प्रयास किय जा रहा है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियन किए जा रहे समस्त सहायता प्राप्त संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाए, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत जो अल्पसंख्यक संस्थान आते हैं, वे सभी संस्थान अपवाद माने जाएंगे।

उच्चतर शिक्षा के जितने भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में होने वाली नियुक्तियों एवं प्रवेशों में, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु, आरक्षण नीति को निर्धारित करने तथा परिवीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

7-7 vuqlfpr tkfr;k vkj vuqlfpr tutkfr;k d fy, fofHkUu ;ktuk, vkj vkj{k.k uhfr d ekfuVfjx d fy, vuqlfpr tkfr@ vuqlfpr tutkfr lcèkh d fy, LFkk;h lfefr

विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2007 में एक स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में, शैक्षिक विशे ज्ञों द्वारा भूतपूर्व उप कुलपतियों द्वारा एवं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।

इस स्थायी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24 जून, 2008 को यूजीसी कार्यालय में हुई तथा दूसरी बैठक 20 जनवरी, 2009 को योजना आयोग (योजना भवन) में हुई थी, जिनका लक्ष्य यह था कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

अ.ज./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से, इस स्थायी समिति की उप–समितियों द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा बाबा साहेब अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, लखनऊ (जिनके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त किया जा रहा है) का दौरा किया गया। इस नीति के अन्तर्गत अध्यापन, गैर–शैक्षिक, प्रवेश, होस्टल एवं स्टॉफ क्वार्टस भी विचाराधीन रखें गए हैं।

7-8 leku volj idk"B ¼bvklh½ dh LFkkiuk

चूंकि उच्च शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक समानता का एक माध्यम है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ राष्ट्रीय स्तर की व्यापक समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें कि जन सामान्य तक सुविधाओं की पहुँच बनाना, निष्पक्षता एवं समानता को समाज तक पहुँचाना–इन समस्त बातों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा कुछ साधनहीन वर्गों के लिए कुछ योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोन्नत करके सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को साधनहीन सामाजिक वर्गों की आवश्यकताओं एवं प्रतिबद्धताओं के प्रति और भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समान सुअवसर प्रकोष्ठों को स्थापित करने की योजना बनाई है। ऐसा करने से इन साधनहीन वर्गों के लिए निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का

पर्यवेक्षण हो सकेगा तथा इसके साथ ही वित्तीय, शैक्षिक सामाजिक एवं अन्य मामलों में इन वर्गों के लिए दिशानिर्देश एवं परामर्श उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे प्रकोष्ठों द्वारा उन कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के समुदायों को उन समस्याओं के विषय में संवेदनशील बनायाजा सके । ऐसी समस्याएँ जो कि अ.ज./अ.ज.जा. द्वारा 11वीं योजना (2007–12) के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव की जा रही है। ऐसे प्रकोष्ठों द्वारा अ.ज./अ.ज.जा. /अ.पि.व. (असम्पन्न वर्ग) महिलाओं अल्पसंख्यक तथा अपंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों, के लिए अनुशिक्षण की विशिष्ट योजनाएँ लागू की जाएंगी जिससे रोजगार एवं सफलता में अभिवृद्धि होगी। ई.ओ.सी. के कार्यालय को स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

क्योंकि यह परियोजना विलयित योजनाओं में से एक है, अतः जहाँ तक महाविद्यालयों का संबंध है, अनुदानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किया जा रहा है, तथा विश्वविद्यालयों के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा ऐसे अनुदान जारी किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पात्र महाविद्यालयों को 4.09 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

7-9 vYil[;dk d dY;k.k d fy, LFkk;h lfefr rFkk iujh{k.k lfefr dh cBd@dk;Z'kkyk,

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो स्थायी समिति है, उसके द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी चालू योजनाओं को मॉनीटर किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है। स्थायी समिति की वर्ष में एक या दो बार बैठकें होती हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी उप–समिति की बैठक प्रोफेसर जे.के.ए. तरीन, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2007 को आयोजित की गई थी। इस समिति ने 11वीं योजना के दिशानिर्देशों में इस उप–संघटन को शामिल करने और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है।

वर्ष 2008–09 के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति की एक बैठक 07 फरवरी 2009 को आयोजित की गई थी और इस बैठक में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की सिफारिश की गई थी। इस समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं।

7-10 v'kDr 0;fDr;k d fy, lfoèkk,

भारत के संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि समस्त व्यक्तियों को गुणवत्ता, स्वतंत्रता, न्याय एवं प्रतिष्ठा मिले तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह आदेश करता है कि समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने, जिसमें अशक्त व्यक्ति सम्मिलित रहें। समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि अशक्त हैं, उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में अभी कुछ वर्षों से अत्यंत विशाल एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो कि आवश्यकताओं से ग्रस्त हैं यदि उनको समान सुवसर एवं प्रभावी पुर्नवास उपायों को उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वे जीवन का अधिक श्रेष्ठ रूप से निर्वाह कर सकते हैं।

"अशक्त व्यक्ति अधिनियम", 1995 इस बात का संकेत करता है कि पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। जहाँ तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि पृथक रूप वाली योग्यताओं से युक्त व्यक्ति, विशिष्टट शिक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश एवं रोज़गारों के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

इसके अलावा, यूजीसी द्वारा अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियो के हित के लिए योजनागत परियोजनाओं का क्रियांन्वयन किया जा रहा है। यह परियोजनाएँ, विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों को मिलने वाली सामान्य विकास सहायता का एक अंश है। योजनाओं और जारी किए जाने वाले अनुदान के विवरण के लिए कृपया अध्याय 3 और अध्याय 4 देखें।

8. सापेक्ष एवं मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा का वृत्ति उन्मुखी बनाना

इस योजना का उद्देश्य वृत्ति और बाजार–उन्मुखी कौशल बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों को जोड़ना और लागू करना है ताकि वे विद्यार्थियों को नौकरी, स्वरोजगार और समर्थ बना सकें। तीन वर्ष के अंत में विद्यार्थियों को विज्ञान/कला/ वाणिज्य की पारंपरिक डिग्रियों के साथ–साथ इन उन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ उच्च डिप्लोमा दिया जाएगा।

ये संस्थान संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में वृत्ति–उन्मुखी विषयों का प्रशिक्षण देंगे। विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ सांकेतिक पाठ्यक्रम सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी रेफ्रिजरेशन बायो–टेक्नोलॉजी, अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, रेशमकीट पालन आदि जैसे विषय हो सकते हैं। समाज विज्ञान और मानविकी के छात्रों के लिए अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, पर्यटन, फैशन डिजाइनिंग, अनुवाद दक्षता, टेलीविजन और विडियो प्रस्तुति जैसे परस्पर मेल खाने वाले विषय हो सकते हैं। वाणिज्यिक छात्रों के लिए बीमा, बैंकिंग, ई–वाणिज्य, विश्व व्यापार, विदेशी मुद्रा व्यापार, फुटकर कार्य आदि जैसे हो सकते हैं। प्रस्तावित पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जो प्रकृति से एक–दूसरे से मेल खाते हों। इनमें कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे विविध प्रकार के क्षेत्रों में जा सकें और यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने मुख्य विषय के अनुसार ही उसे अपनाएं। उदाहरणार्थ यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वह उसके साथ–साथ समारोह प्रबंधन का कार्य भी सीख सकता है। इसी प्रकार, कला की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी को यह विकल्प होना चाहिए कि वह विज्ञान पत्रकारिता जैसे विषयों को पढ़ सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय वृत्ति–उन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना लागू करने के पात्र हैं।

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम: इस पाठ्यक्रम में 20 क्रेडिट होंगे। प्रत्एक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे के कार्यभार होंगे जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/ परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण को सौपा जाना चाहिए।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम: इस पाठ्यक्रम में 40 क्रेडिट होंगे (जिसमें कि 20 ऐसे क्रेडिट सम्मिलित होंगे जो कि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के दौरान अर्जित किए गए होंगे) प्रत्एक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे का कार्यभार होगा जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य तौर पर क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण के लिए सौंपे जाने चाहिए।

उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम: यह पाठ्यक्रम 60 क्रेडिट का होगा (जिसमें कि प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 40 क्रेडिट होंगे) प्रत्एक क्रेडिट में 15 घंटे का कार्यभार होगा, जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य के लिए सौंपा जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत जिन संस्थानों का चयन किया जाता है उनके लिए प्रति पाठ्यक्रम एकैकी "सीडमनी" की सहायता उपलब्ध होगी–मानविकी एवं वाणिज्य विषयों में 5 वर्षों के लिए. 7.00 लाख रू. प्रतिवर्ष की दर से तथा विज्ञान विषयों में 5 वर्षों के लिए 10.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से रहेगी। इस राशि का उपयोग पुस्तको एवं पत्रिकाओं को खरीदने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं को संवर्धित करने के लिए तथा उपकरणों, अतिथि संकाय सदस्यों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम तीन पाठ्यक्रमों का विकल्प देना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के ऊपर यह निर्भर है कि वे अपनी आवश्यकता पर आधारित रोजगारोन्मुखी/अंतर्विषयक पाठ्यक्रम को स्वयं ही अभिलक्षित करें। जिन पाठ्यक्रमों को अवार्ड दिए गए है उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित आजीविका उन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा कोई फीस नहीं वसूली जाए।

शिक्षकों/स्टाफ सदस्यों के अलावा अतिथि संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा उत्पादन से जुड़े संस्थानों में से लिया जा सकता है ताकि इन विषयों में अध्यापन कराया जा सके। ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसे विषयों से अनुभव हो, वे अतिथि संकाय सदस्यों के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के समन्वयक को 'सीड मनी" में से 5,000.00 रुपए प्रतिवर्ष की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अतिथि शिक्षक/आंतरिक संकाय सदस्य को 250/–रुपए प्रति लेक्चर की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसरण में चूंकि विद्यार्थी शिक्षण में 900 घंटे बिताते हैं, अतः विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को ऑनर डिग्री प्रदान करने पर विचार कर सकता है, जिन्होंने अपने डिग्री पाठ्यक्रम के साथ–साथ हाल ही में तीन प्रमाणपत्रों या प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उच्च डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

चूंकि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की मांग बहुत अधिक है, भले ही विद्यार्थियों ने कितने वर्ष इसका अध्ययन किया हो, अतः विद्यार्थियों को इस बात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है कि वे अपनी अध्ययन की अवधि के दौरान प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/ उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम या तीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं।

11वीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और जारी किए गए प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार हैः

o"kZ	izkIr izLrkoksa dh la-	vuqeksfnr izLrkoksa dh la-	tkjh fd;k x;k vuqnku ¼djksM+ #- esa½
2007–08	910	705	40.63
2008–09	1391	451	42.29
2009–10	826	515	47.04
2010–11	600	′498	′′5.67
tksM+	**3727**	**2169**	**135-63**

* 600 प्रस्तावों में से समिति ने दिनांक 3 और 4 मार्च, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में 498 प्रस्तावों को छांटा है।

** ऐसे संस्थानों को अनुदान जारी किया गया था, जिन्हें आयोग ने पिछले वर्ष अनुमोदित किया था।

8-2 fo'ofo|ky;ksa esa {ks= v/;;u dsUnz

विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैंः

- क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों को संपूर्ण रूप से समझने को बढ़ावा देना और नीति नियामकों, विशेषतः भारत की अर्थव्यवस्था रणनीति और राजनीतिक महत्त्व के नीति नियामकों को आलोचनात्मक जानकारी देना।
- उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- धर्म और अन्य मुद्दों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- अंतर्क्षेत्रीय प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन केंद्र स्थापित करने के पात्र हैं।

इस परियोजना मोड के अधीन प्रायोगिक प्रयोजनाओं के रूप में नए केंद्रों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। परियोजना मोड में शत–प्रतिशत आधार पर निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

xj&vkorh

(कार्यालय फर्नीचर, पुस्तक तथा पत्रिकाओं, फील्ड कार्य, प्रचालनात्मक व्यय, प्रकाशन, संकाय सदस्य और विचारगोष्ठी, संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए) 15.00 लाख रु.

vkorh

,d l dk; lnL;

(एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर/ प्रलेखन अधिकारी)

nk vu|lèkku
,lkfl,V@ifj;ktuk

,lkfl,V ;k ifj;ktuk Qyk

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्एक पांच वर्ष में इस केंद्र का मॉनीटरिंग किया जाता है और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर पांच वर्ष के लिए वित्तीय आबंटन किया जाता है।

वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 45 क्षेत्र अध्ययन केंद्र (24 केंद्र नियमित आधार पर और 21 केंद्र परियोजना मोड आधार पर) कार्य कर रहे हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों के 45 केंद्रों को 1.08 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की है, जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

¼d½ fu;fer vkèkkj ij dk;! dju okys {k= vè;;u dsn ¼24 dsn½

Ø-l- {k= vè;;u dsUn fu;fer vkèkkj ij ¼24 dsUn½		**Ø-l- fo'ofo|ky; {k= vè;;u dsUn**	
1.	आंध्र विश्वविद्यालय,वाल्टेयर	1.	सार्क"अध्ययन केन्द्र
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	2.	नेपाल पर किए अध्ययन हेतु केन्द्र
3.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3.	दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	4.	पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
		5.	कनाडियन अध्ययन केन्द्र 5.
5.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	6.	लातिनी एवं अमेरिकी अध्ययन केन्द्र
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	7.	सैन्टर फॉर इन्डियन डायास्पोरा
7.	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय,दिल्ली	8.	संघीय अध्ययन केन्द्र
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	9.	तृतीयक विश्व अध्ययन केन्द्र
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10.	रूसी, केन्द्रीय एशियाई एवं पूर्व यूरोपीय अध्ययन केन्द्र

	11. पश्चिमी एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन (खाड़ी देश)
	12. केन्द्रीय एशियाई अध्ययन कार्यक्रम दक्षिण, केन्द्रीय, दक्षिणपूर्वी एशियाई एवं दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत सागर, प्रदेश अध्ययन केन्द्र सापेक्ष एवंमूल्य आधारित शिक्षा
10. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	13. केन्द्रीय एशियाई अध्ययन केन्द्र
11. केरल विश्वविद्यालय, तिरूअनन्तपुरम	14. कनाडियन अध्ययन केन्द्र
12. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	15. दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
13. एम.एस.बड़ोदा विश्वविद्यालय, बडोदरा	16. कनाडियन अध्ययन केन्द्र
14. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	17. मणिपुरी अध्ययन केन्द्र
15. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	18. अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र
	19. केन्द्रीय यूरेशियन अध्ययन केन्द्र
16. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	20. हिमालय अध्ययन केन्द्र
17. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	21. हिन्द महासागर अध्ययन केन्द्र
18. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	22. दक्षिण एशियाई अध्यययन केन्द्र
19. श्री एस0वी0 विश्वविद्यालय, तिरूपति	23. दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रशांत महासागर अध्ययन केन्द्र
20. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	24. कनाडियन अध्ययन केन्द्र

¼[k½ {k= vè;;u dUn tk ifj;ktuk i)fr ij vkèkkfjr g ¼21 dUn½

1. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अम तसर	1. अप्रवासी अध्ययन कार्यक्रम
2. कालीकट ।,शिवविद्यालय, कालीकट	2. हिन्द महासागर अध्ययन कार्यक्रम
3. उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	3. भारतीय डायास्पोरा एवं सांस्कृतिक अध्ययन कार्यक्रम
4. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	4. केन्द्रीय एशियाई अध्ययन कार्यक्रम
5. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पाण्डिचेरी	5. दक्षिण एशिया अध्ययन कार्यक्रम
6. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	6. अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र
7. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	7. बंगलादेश एवं म्याँमार अध्ययन केन्द्र
8. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	8. पाकिस्तानी, अध्ययन केन्द्र
	9. यूरोपियाई अध्ययन केन्द्र
	10. फ्रैंको–फोन एवं सब सहारा अध्ययन केन्द्र
9. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	11. रणनीति एवं क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र

10. मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	12. म्यॉमार अध्ययन केन्द्र
11. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात	13. भारतीय डायोस्पोरा केन्द्र
12. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	14. पाकिस्तानी अध्ययन केन्द्र
	15. केन्द्रीय एशियाई अध्ययन केन्द्र
	16. हिन्द महासागर अध्ययन केन्द्र
13. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	17. दक्षिण एशिया, पाकिस्तान– अफगानिस्तान अध्ययन केन्द्र
14. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	18. विकासशील देशों संबंधी ोध केन्द्र
15. कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	19. चीन एवं पड़ोसी रा ट्र अध्ययन केन्द्र
20. पाकिस्तानी एवं पश्चिमी एशियाइ अध्ययन केन्द्र	
16. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	22. ऑस्ट्रेलियाई एवं न्यूजीलैण्ड अध्ययन केन्द्र

8-3 Ikekftd cfg"dj.k ,oa lekos'kh uhfr dk vè;;u djus ds fy, fo'ofo|ky;ksa esa dsUnzksa dh LFkkiuk%

आयोग ने दसवीं योजना अवधि के अंतिम वित्त वर्ष अर्थात 2006–07 में एक नई योजना लागू की है, जिसका नाम सामाजिक बहि करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना है। यह योजना ग्यारहवीं योजना अवधि में भी लागू की गई है।

• iLrkouk

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ लेने के मामले में सुव्यवस्थित बहिष्करण का अनुभव होता है। सामाजिक बहिष्करण एक एक जटिल और बहु–आयामी संकल्पना है, जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी मैक्रो–आर्थिक नीतियों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित रखा जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले अनुसंधानों को सहायता देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत महत्त्व के रूप में किया जाएगा।

इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

• mís';

- जाति/अध्यात्मक/धर्म पर आधारित बहिष्करण और समावेशन की भेदभावूर्ण संकल्पना।
- भेदभाव और बहिष्करण की प्रकृति और गति को भली–भांति समझने का विकास करना।

- बहिष्करणा और समावेशन की संकल्पना और समस्या संबंधी भेदभाव।
- अनुभव के स्तर पर भेदभाव की भांति समझ विकसित करना।
- इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाना और बहिष्करण तथा भेदभाव की समस्या को समाप्त करना।

- **dk;Z**

- उन बौद्धिक क्रियाकलापों का प्रकार, जो इन केंद्रों द्वारा किए जाएंगेः
- एम.ए. और एम.फिल स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिनमें सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम.फिल और यहां तक कि एम.ए. कार्यक्रम हो।
- एम.फिल और पीएच.डी. संबंधी पर्यवेक्षण करना।
- सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सहित अनुभव संबंधी अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययनों और नीति/ कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए डेटा बैंक की समय–अनुसूची तैयार करना।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों पर आधारित विस्तृत कठोर विश्लेषण करना।
- सामाजिक बहिष्करण की थीम पर सम्मेलन, संगोष्ठी और विचारगोष्ठियां आयोजित करना।
- संकाय और छात्रों के अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- अतिथि संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों, विशेषतः युवा छात्रों तक पहुंच बनाना।
- सामाजिक बहि करण से निपटने में लगे सिविक समाज संगठन के साथ संपर्क स्थापित करना।
- राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं और मिडिया कर्मियों के लिए अल्पकालिक उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1906 की धारा 2(च) या 3 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय और इस अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय इस योजना के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

foÙkh; lgk;rk dk iSdkj

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवर्ती और गैर–आवर्ती मदों के लिए केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता देता है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

foÙkh; lgk;rk dh en	**vuqnku jkf'k ¼yk[k #i;k esa½**
(क) गैर–आवर्ती (एकबारगी अनुदान) उपस्कर (जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, फोटोकापियर और इनवर्टर शामिल हैं	5.00
(ख) आवर्ती (प्रति वर्ष)	
(1) शिक्षण और अनुसंधान संकाय	वास्तविक खर्चे के अनुसार
(2) गैर–शिक्षण स्टाफ	(लगभग 30.00 लाख रु.)
(3) भाड़ा सेवा	1.00

(4) पुस्तक और पत्रिकाएं 1.50
(5) आकस्मिक व्यय 5.00

इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता 5 वर्ष की अवधि अर्थात 11वीं योजना के अंत तक के लिए उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय निर्धारित प्रोफार्मा में विश्वविद्यालयों से प्रस्तावत आमंत्रित करता है। विश्वविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना संबंधी निर्णय पर इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जा रहा है।

इस योजना के लागू होने की तारीख से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केंद्र स्थापित किए हैं (जिनमें से **13** केंद्र वर्ष 2006–07 में और **22** केंद्र वर्ष 2007–08 में स्थापित किए गए थे)। इन केंद्रों को जारी किए गए अनुदान का वर्ष–वार विवरण इस प्रकार है:

o"kZ	**tkjh dh xbZ èkujkf'k ¼#- yk[kk esa½**	**fo'ofo|ky;ksa dh la[;k**
2006–07	520.00	13
2007–08	880.00	22
2008–09	1.00	1
2009–10	260.00	8
2010–11	341.00	8
tksM	**2002-00**	**8**

8-4 Hkkjrh; ;qx çorZd lkekftd fpardksa ij fo'ks"k vè;;u ½

भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन योजना वि.अ.आ. द्वारा वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों ओर छात्रों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और कार्यों से अवगत कराया जा सके।

इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों/संस्थानों में दिनांक 31.03.2011 तक 24 महान व्यक्तियों के नाम 443 विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं:

Øe la-	**vè;;u dsUnz dk uke**	**ukoha ;kstuk esa LFkkfir dsUnz**	**nlohas ;kstuk esa LFkkfir dsUnz**
1.	गांधीवादी अध्ययन केंद्र	100	48
2.	नेहरू अध्ययन केंद्र	40	16
3.	बौद्ध अध्ययन केंद्र	38	14
4.	डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र	52	41
5.	श्री अरविंद अध्ययन केंद्र	03	04
6.	डॉ. के.आर. नारायणन अध्ययन केंद्र	02	
7.	स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र	21	02
8.	डॉ. जाकिर हुसैन अध्ययन केंद्र	01	02

9.	गुरू नानक देव अध्ययन केंद्र	05	03
10.	इंदिरा गांधी अध्ययन केंद्र	12	01
11.	सुभाष चंद्र बोस अध्ययन केंद्र	01	
12.	पंडित मदन मोहन मालवीय अध्ययन केंद्र	04	
13.	रवींद्रनाथ टैगोर अध्ययन केंद्र	08	
14.	सरदार वल्लभभाई अध्ययन केंद्र	07	
15.	श्री शंकर देव अध्ययन केंद्र	03	
16.	सुकाफा अध्ययन केंद्र	01	
17.	रामकृष्ण परमहंस अध्ययन केंद्र	01	
18.	आदि शंकराचार्य अध्ययन केंद्र	02	
19.	लाला लाजपत राय अध्ययन केंद्र	01	
20.	डॉ. एस. राधाक भणन अध्ययन केंद्र	03	
21.	राजीव गांधी अध्ययन केंद्र	01	
22.	पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अध्ययन केंद्र	01	
23.	राजाराम मोहन राय अध्ययन केंद्र	03	
24.	स्वामी दयानंद अध्ययन केंद्र	02	
	tkM	**443**	

वर्ष 2010–11 के दौरान इन अध्ययन केंद्रों को अपने क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए 57.42 करोड़ रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया है।

8-5 vkthou f'k{k.k vkj foLrkj dk;Øe

वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आजीवन शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी वित्त व्यवस्था करनी शुरू की। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रौढ़ साक्षरता से शुरू की गई थी, लेकिन धीरे–धीरे यह अगले तीन दशकों तक जारी रहा, जिसमें साक्षरता के बाद, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के विस्तार कार्यक्रम तथा अन्य क्षेत्रों में क्रियाकलाप शामिल थे। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और अनुसंधान कार्य करने के लिए मूल संकाय वाले अलग विभाग स्थापित करके इस कार्यक्रम को संस्थागत करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया और उसकी वित्त व्यवस्था की। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आजीवन शिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ताकि उभरते हुए ज्ञान समाज की मांग को पूरा किया जा सके और शिक्षण समाज के विकास की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान की जा सके।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चालू कार्यक्रमों को जारी रखना ही नहीं था अपितु उन्हें समेकित करना और उनका विस्तार करना भी था ताकि उसमें नए विश्वविद्यालयों और चुने हुए महाविश्वविद्यालयों को शामिल किया जा सके। वर्ष 2010 में विभिन्न नामों के अधीन पहले शुरू किए गए सभी अलग–अलग कार्यक्रमों यथा प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, विस्तार, जनसंख्या शिक्षा, विद्यार्थी परामर्श, स्थापन सेवा और ई–शिक्षण को **vkthou f'k{k.k dk;Øe** के रूप में पुनर्गठित और विकसित किया गया ताकि उन्हें तेजी से विस्तारित होने वाले

वैश्विक ज्ञान परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। चूंकि आजीवन शिक्षण नवीनतम शैक्षणिक नीतियों का मुख्य लक्ष्य बन गया है और अतः इसे प्रायः सामाजिक–आर्थिक विकास को प्राप्त करने और ज्ञान आध्धारित समाज को बढ़ावा देने का साधन बताया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चालू अवधि में भी इस क्षेत्र को सहायता देना जारी रखा है। आवर्ती अनुदान के रूप में प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपए से 10.00 लाख रुपए तक और गैर–आवर्ती अनुदान के रूप में 5.00 लाख रुपए वर्ष 2010–11 से आजीवन शिक्षण विभागों को दिए जा रहे हैं।

वर्तमान में आजीवन शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम 65 विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, इन विश्वविद्यालयों को 38.00 लाख रुपए का कुल अनुदान जारी किया गया है। जिन विश्वविद्यालयों ने मार्च, 2010 तक इस अनुदान को खर्च नहीं किया है, उन्हें व ा 2010–11 में इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

8-6 ekuo vfèkdkj f'k{kk ¼,pvkjbZ½

मानव अधिकार स्वयं में ही साध्य भी है एवं साधन भी हैं । ऐसे मानक जिनको प्राप्त किया जाना चाहिए, उनके दृष्टिकोण सेवे एक साध्य रूप हैं तथा जहाँ तक सामान्य जन द्वारा उनका उपयोग एवं अधिकारों द्वारा सुविधा प्राप्त करने की बात है तो यह अधिकार साधन स्वरूप हैं। शैक्षिक जाँच पड़ताल हो अथवा समाज के सदस्यों वाले सामान्य जनों का दैन्यदिन जीवन अनुभवों का प्रश्न हो दोनों ही रूप में इन्हें देखा जा सकता है। इसी के अनुसार वर्ष 1985 में यूजीसी ने विश्वविद्यालय क्षेत्रक में मानवाधिकार, शिक्षा योजना की पहल की। तब से लेकर उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा मानव अधिकार एवं मूल्य तथा मानव विकास को भी प्रोन्नत किया जा रहा है।

11 वीं योजना के दौरान मानव अधिकार शिक्षा योजना के तीन निम्न घटक है :–

(i) मानवाधिकार और कर्तव्य

(ii) मानवाधिकार एवं मूल्य

(iii) मानवाधिकार एवं मानव विकास

प्रत्येक घटक के उद्देश्य निम्नवत हैं:

¼i½ ekuokfèkdkj ,oa dÙkZO;½

यद्यपि, प्रत्एक अधिकार के साथ ही एक कर्तव्य अनिवार्यतः जुड़ा रहता है फिर भी कई पक्षों में ऐसी भावना देखने में आई है कि अधिकार गत शिक्षा को प्रोन्नत किया जाता रहा है तथा जहाँ तक कर्त्तव्यों का प्रश्न है तो इस पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। एक ऐसा समाज, जिसके द्वारा कई शताब्दियों तक कर्त्तव्यों के ऊपर बल दिया जाता रहा है, तो उस समाज में अधिकारों पर शिक्षा की जो विधा है वह ऐतिहासिक विकृतियों के सुधार के रूप में सामने आई हैं। अधिकारों के हनन का सुधार केवल उस स्थिति में ही संभव हो सकता है यदि विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने वाले लोगों का ध्यान उनके ऐसे कर्त्तव्यों की ओर आकर्षित किया जाए जो कि हाशिए पर स्थित वर्गों की प्रति अपेक्षित हैं तथा क्रमश : हाशिए पर स्थित ऐसे समस्त वर्गों को अधिकारों की शिक्षा से शिक्षित करके ही उन्हें शनै–शनैः सशक्त बनाया जा सकता है। ऐसे समस्त स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा, कुछ अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित हो पाएगी, जैसे कि लिंग समानता जाति एवं समुदायों के संबंधों , बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का परस्पर संघर्ष की स्थिति में, प्रगति वाले पिछड़े हुए इन वर्गों की दुविधा एवं उत्तर–दक्षिण का प्रभुत्व/सामर्थ्य संबंध। संक्षेप में, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को पुर्नगठित करके ही समस्त प्रभुत्व/सामथ्य शक्ति के संबंधों को मानवीकृत एवं लोकतंत्रीकृत बनाया जा सकता है।

¼ii½ ekuo vfèkdkj ,oa eY;½

एच.आर.ई. द्वारा मूल्यगत श्शिक्षा पर केन्द्र बना रहेगा :–

(क) इनमें से जो एक उद्देश्य होगा वह यह होगा कि ऐसे मूल्यों के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता का सृजन करना, जिन मूल्यों के द्वारा व्यक्तिपरक निजी स्वार्थ का सामूहिक एवं सर्वसाधारण के कल्याण की भावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है।

(ख) जो मूल्य सार्वभौमिक एवं आपेक्षित हैं तथा जो सांस्क तिक रूप से निर्धारित हो चुके हैं–ऐसे मूल्यों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान सार्वभौमिकी से युक्त परन्तु फिर भी विखण्डित इस विश्व में सर्वतोमुखी मूल्यों की खोज का अतिरिक्त महत्व हो जाता है।

(ग) कोई भी ऐसा मूल्य जैसे कि अनेकतावाद, समस्त धर्मों के प्रति आदर की भावना, वैज्ञानिक विचारधारा, विशालता से युक्त विचारधारा, सार्वजनिक तौर पर तर्कपूर्ण बने रहना, जो ऐसी समस्त विचारणाएं हैं तथा जो कि भारतीय परम्पराओं का एक अंश बहुत काल तक रही है। उन्हें धारित एवं प्रोन्नत किया जाएगा।

¼iii½ ekuokfèkdkj ,o ekuo fodkl

अधिकार केवल मात्र मानक ही नहीं है, बल्कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत ऐसी दावेदारियाँ हैं जो कि समाज के संसाधनों का आबंटन करने के बारे में प्रस्तुत की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकसित हो रही है परन्तु आर्थिक विसंगतियाँ भी विकसित होती जा रही हैं। यह बात आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए कि विकास संबंधी आवश्यकताएँ तथा निष्पक्षता को साथ–साथ ही गतिशील रहना है। किसी भी स्तर पर भौतिक विकास द्वारा मानव सुलभ सुखा शांति तक नहीं पहुँचा जा सकता, यदि वह विकास, मानवीय जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है अथवा मानवीय स्तर पर जो समभाव्यता हो सकती है इसकी सम्पूर्ण रूपेण प्राप्ति नहीं कर लेता। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्तिपरक एवं एक वस्तुपरक दोनों ही हैं। प्रशासन का यह दायित्व है कि अधिकारों को प्रोन्नत किया जाए एवं प्रवर्तित किया जाए तथा विकास तक पहुँचने की लिए जिन अधिकारों की जरूरत है उनके विषय में दूरदर्शिता कायम रखनी चाहिए। निःसन्देह यदि ऐसे समस्त दायित्वों का निर्वाहन होता है तो उनकी सहायता से संतुलित मानव सुलभ विकास होगा। मानव अधिकार शिक्षा में ऐसे समस्त घटक सम्मिलित रहेंगे।

11वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता के लिए चिह्नित किया गया है:–

(i) आधारभूत पाठ्यक्रम
(ii) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
(iii) स्नातक स्तर अर्थात् बी.ए. अथवा बी.ए. (ऑनर्स)
(iv) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
(v) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम.ए./एल.एल.एम.) पाठ्यक्रम
(vi) एकीकृत निष्णांत कार्यक्रम
(vii) संगोष्ठियाँ /विचार–गोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ
(viii) मूट कोर्ट/मॉक ट्रॉयल
(ix) उत्कृष्टता के नोडल केन्द्रों को प्रोन्नत करना
(x) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना
(xi) नीतिशास्त्र को बढ़ावा देना

कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता निम्न रूप से होगी : (रूपए लाखों में)

en	QkmUM'ku ikB;Øe	iek.ki= ikB;Øe	vMjxzstq,V ikB;Øe	Lukrdksùkj fMIyksek ikB;Øe	Lukrdksùkj fMxzh ikB;Øe
पुस्तकें और पत्रिकाएं (एकबारगी अनुदान)	1.00	1.50	2.00	—	—
पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, सीडी रोम, श्रव्य और आदि (एकबारगी अनुदान)	—	—	—	2.00	3.00
तर्क कौशल का विकास (मूट/मॉक अभ्यास, जहां कहीं लागू हो) (एकबारगी अनुदान)	0.75	—	—	—	—
अतिथि/अतिथि संकाय (5 वर्ष के लिए)	0.75	1.50	2.00	3.00	4.00
विस्तार क्रियाकलाप और फील्ड कार्य (5 वर्ष के लिए)	—	1.00	1.50	2.00	3.00

विचारगोष्ठियों/गोष्ठियों /कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए जो निधियन है वह निम्नलिखित है:

विचारगोष्ठी (1/2 दिन) – विश्वविद्यालय 1.5 लाख रुपए; महाविश्वविद्यालय 0.75 लाख रुपए

सेमिनार (2/3 दिन) – विश्वविद्यालय 2.00 लाख रुपए; महाविश्वविद्यालय 1.00 लाख रुपए

कार्यशाला (7/10 दिन) – विश्वविद्यालय 2.50 लाख रुपए; महाविश्वविद्यालय 1.50 लाख रुपए

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्तावों और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

o"kZ	iLrkoksa dh la[;k				fueqDr vuqnku ¼yk[k #0 esa½		dqy ¼yk[k #0 esa½
	izkIr vuqnku		vuqeksfnr vuqnku				
	fo'ofo|ky;	egkfo|ky;	fo'ofo|ky;	egkfo|ky;	fo'ofo|ky;	egkfo|ky;	
2007-2008	7	38	7	23	6-35	23-65	30-00
2008-2009	55	187	50	123	195-89	317-54	513-43
2009-2010	40	396	30	287	92-55	538-68	631-23
2010-2011	52	595	35	458	105-55	652-79	758-34
Total	154	1216	122	891	400-34	1532-66	1933-00

9- lpuk vkj lpkj ik|kfxfd;k dk lefdr djuk

9-1 fo'ofo|ky;k e dl;Vj dnk dh LFkkiuk@ikUufr

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास की गति बनाए रखने के लिए आयोग वर्ष 1970 से कई सामान्य और विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से उच्च शैक्षिक संस्थाओं को सहायता दे रहा है।

विद्यमान योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे प्रशासन, वित्त, भर्ती और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटरों केंद्रों के प्रोन्नयन के साथ–साथ शिक्षण, अनुसंधान और अन्य संबंधित क्रियाकलापों की संवृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय सुविधा के रूप में कंप्यूटर केंद्रों को स्थापित कर सकें।

मोबाइल डिवाइस और वैयक्तिक डिजिटल सहायता सहित ग्रिड कंप्यूटिंग, वाई–फाई, तेज गति इंटरनेट (ब्राडबैंड) कनेक्टिविटी जैसी हाल ही की कुछ प्रव त्तियों में भारतीय भा ाओं आदि में यूनिकोड उत्पादों का विकास करना इस योजना में शामिल किया गया है।

ik=rk ekinM

- **LFkkiuk ds fy,**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजना और गैर–योजना अनुदान प्राप्त करने वाले सम–विश्वविद्यालय इसके पात्र हैं।

- **ikUu;u ds fy,**

दूसरी बार सहायता उन विश्वविद्यालयों को हार्डवेयर के प्रोन्नयन के लिए दी जाती है, जिन्हें कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई थी। जिन विश्वविद्यालयों ने दो बार इस सहायता का पहले ही लाभ उठा लिया हो, वे इसके पात्र नहीं हैं।

foÙkh; lgk;rk

		LFkkiuk ds fy,	ikUu;u ds fy,
(क) गैर–आवती	–	70.00 लाख रुपए	50.00 लाख रुपए
(ख)आवर्ती	–	नियुक्त कार्मिकों (निदेशक, सिस्टम विश्लेषण, तकनीकी सहायक, वैयक्तिक सहायक) के वेतन की वास्तविक रकम	–

विश्विद्यालय द्वारा स्वीकृत पदों के संबंध में हार्डवेयर के संस्थापन से या पहले पद को भरने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्ष के लिए यह सहायता है।

विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग केंद्रों की स्थापना और केंद्रों के प्रोन्नयन के लिए जिन विश्वविद्यालयों के बारे में सिफारिश की गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें वित्तीय सहायता अनुमोदित करता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष सहित ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना/प्रोन्नयन के लिए आबंटित और जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए लाखों में)

foÙk o"k	vkcfVr ctV	tkjh fd;k x;k vuqnku	ykHkkFkh fo'ofo|ky;ks dh l-
2007–08	10.00	76.67	19
2008–2009	552.00	551.52	20
2009–2010	1000.00	179.14	6
2010–11	5000.00	399.40	16

9-2 ;wthlh & bUQkusV dufDVfoVh dk;Øe

विश्वविद्यालयों को ई–संसाधन की पहुंच प्रदान करने के लिए कनेक्टिविटी एक जटिल आधारभूत अपेक्षा है। यूजीसी–इन्फोनेंट कनेक्टिविटी कार्यक्रम, वर्ष 2003 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12–ख के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का नाम 1 अप्रैल, 2010 से आईएसपी को छोड़कर ईआरनेट इंडिया से बीएसएनएल में स्विच ओवर करके यूजीसी–इन्फोनेट 2.0 कर दिया गया है ताकि उच्च प्रतियोगी दरों पर विश्वविद्यालयों को उच्च और मापनयोग्य इंटरनेट बैंडविड्थ प्रदान की जा सके। इस नई योजना को 10 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट बैंडविड्थ, फाइबर ऑप्टिक लीज्ड लाइन पर 180 से अधिक विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए हैं। यूजीसी इन्फोनेट 2.00, बीएसएनएल नेटवर्क के फाइबर आधार पर रखा गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में ओएफसी केबल का लगभग 614755 आरकेएम और विपणन केंद्रों के बीएसएनएल बिंदु और नेटवर्क विन्यास आता है। इनफ्लिबनेट बीएसएनएल और विश्वविद्यालयों के बीच मानीटरिंग और संपर्क करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि यूजीसी–इन्फोनेट 2.0 फरइबी बैकबोन का उपयोग कर रहा है, इससे वह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है जिससे सभी विश्वविद्यालयों की 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी की जाती है। एनकेएन/एनएमई–आईसीटी में 120 से अधिक विश्वविद्यालय पहले ही आ चुके हैं और वे 1 जीबीपीएस/120 एमबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ का उपयोग कर रहे हैं। एनकेएन के एक बार पूरी तरह चालू हो जाने से यूजीसी–इन्फोनेट 1.20 के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा या ए परियोजना में लाभार्थी विश्वविद्यालय द्वारा एनकेएन का बेहतर उपयोग करने के लिए नया फार्मेट अपनाया जाएगा।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना को लागू करने के लिए इन्फ्लिनेट केंद्र को 5.00 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की गई थी।

9-3 ;wthlh bUQkusV fMftVy ykbczsjh dalksfV;e ¼bUQksusV½

यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसार्टियम का उद्घाटन दिसंबर 2003 के दौरान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। यह कंसोर्टियम 7500 करोड़ रुपए से अधिक लोगों और साथी–समीक्षित इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों को वर्तमान और संभव पहुंच प्रदान करता है और विश्वविद्यालय की प्रेसों, विद्वत समाज, वाणिज्यिक प्रकाशनों और विभिन्न विषयों के संकेतकों सहित 25 प्रकाशनों से दस बिबलियोग्राफिक डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। वर्ष 2004 में शुरू किए गए प्रथम चरण में ई–संसाधन की पहुंच ऐसे 50 विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई थी, जिनके पास यूजीसी–इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा थी। दूसरे चरण में वर्ष 2005 में 50 और विश्वविद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया था, क्योंकि अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को यूजीसी–इन्फोनेट कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त हो गई थी। अभी तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले 191 विश्वविद्यालयों को ई–संसाधन की विभिन्न पहुंच प्रदान की गई है। इन ई–संसाधनों के अंदर कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन, गणित और सांख्यिकी आदि सहित लगभग सभी विषयों को लाया गया है। केंद्र ने जे सी सी सी (जर्नल

कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम) के माध्यम से इंटर–लाइब्रेरी चरण (आई एल एल) भी शुरू किया है। जे सी सी सी, यू जी सी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों और इन्फिनेट केंद्र में आई एल एल केंद्रों के रूप में नामित 22 विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी द्वारा लिए जाने वाले जर्नलों में प्रकाशित सभी लेखों तक लेखा के स्तर पर पहुंच प्रदान करता है। ऐल्जेवियर साइंस डाइरेक्ट और विले इंटर–साइंस जर्नल नामक दो नए संसाधनों को जोड़ा गया है, जो वर्ष 2011 से प्रयोक्ता समुदाय की मांग पर जोड़े गए हैं।

विश्वविद्यालयों में यू जी सी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम की सफलता से उन विश्वविद्यालयों में भी इस कंसोर्टियम का विस्तार करने की मांग की गई है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनफ्लिबनेट केंद्र ने वर्ष 2009 में अपना सहयोजित सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इस कंसोर्टियम द्वारा लिए जाने वाले ई–संसाधनों की पहुंच प्राइवेट विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संस्थानों तक हो सके। इस योजना के अधीन प्राइवेट विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान संस्थान कंसोर्टियम के "सहयोजित सदस्य" के रूप में स्वयं को सूची में शामिल करवा सकें और कंसोर्टियम के माध्यम से उपलब्ध अपनी पसंद के जर्नलों को ले सकें। ई–संसाधनों के अभिदान की दर वही होगी, जो कंसोर्टियम के मूल सदस्यों के लिए होती है। सहयोजित सदस्यों से वार्षिक अंशदान के रूप में एक सांकेतिक रकम ली जाती है। 89 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालयों ने यू जी सी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम के सहयोजित सदस्य के रूप में अपना नाम शामिल करवा लिया है और कंसोर्टियम के माध्यम से अपनी पसंद के विभिन्न जर्नलों को ले रहे हैं।

लगभग 500 विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लाभ के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई–संसाधनों की पहुंच पर चार प्रयोक्ता जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं। गुजरात के विभिन्न भागों से 700 से अधिक प्रयोक्ताओं ने इनफ्लिबनेट केंद्र का दौरा किया है और वे केंद्र की वाक–इन प्रयोक्ता सुविधा से लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने कंसोर्टियम के अधीन लिए गए ई–संसाधन से लगभग 45,000 लेख डाउनलोड किए हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इस केंद्र को 76.60 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध कराई गई है।

10- lapkyu vkSj dk;Z{kerk esa lqèkkj

10-1 lalkèku tqVkus gsrq izksRlkgu

उच्चतर शिक्षा को समर्थन देने के लिए तथा विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने, ''संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन'' की योजना को 11वीं योजना के दौरान भी लागू किए जाने का निर्णय लिया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- समाज की भागीदारी /योगदान द्वारा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु संसाधनों को जुटाना।
- विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया का विकास करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से मिलने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विश्विद्यालय द्वारा न केवल उद्योगों बल्कि सरकार एवं अन्य निकायों को भुगतान के आधार पर तथा जनसाधारण को परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देना, जो कि अपनी विकास संबंधी गतिविधियों में समाज को भी शामिल करते हैं।

ik=rk%

bस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान, अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं :–

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- ऐसे विश्वविद्यालय, जो कि अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) में सम्मिलित हैं तथा वि.अ.आ. से योजनागत अथवा गैर योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- ऐसे संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय माना गया है तथा जो संस्थान योजनागत/ग़ैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(गगग) के तहत स्थापित किए गए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र।

• lgk;rk dk Lo:i

शिक्षा के तेजी से बदलते परिदृश्य में, विश्वविद्यालयों को विकास के साथ यदि कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो उन्हें अपने संसाधन आधार को विस्तृत करना होगा तथा उच्चतर शिक्षा में समाज द्वारा भागीदारी करने के लिए अपने आंतरिक आधारों को गतिशील करना होगा। विश्वविद्यालय ऐसे ब्राह्य संसाधनों को भागीदारी / योगदान/परामर्श द्वारा गतिशील बना सकते हैं। इन समस्त विषयों पर भारतीय नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अथवा अप्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अथवा भूतपूर्व छात्र संघों, सार्वजनिक एवं परिवार न्यासों, औद्योगिक/वाणिज्य संघों, सहकारी समितियों, व्यवसायिक संघों, कार्मिकों के संघ/सहयोगी संस्थाएँ, नगर निगम निकायों /पंचायतों/सांसद सदस्यों/परामर्शदाताओं से जुड़ी निधियाँ।

विश्वविद्यालय, एक ऐसी कायिक निधि को सृजन करें जो गतिशील निधि हो तथा जो इस योजना के अन्तर्गत हो तथा ऐसी निधि निम्न मदों से युक्त हो जिनकी समाज द्वारा भागीदारी के लिए पहचान किया गया है :–

- भवनों का निर्माण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रों के छात्रावास, चिकित्सालय आदि) ;
- वर्तमान पुराने भवन का नवीकरण ;
- उपकरणों की खरीद ;

- छात्र/स्टाफ के लिए सुविधाएँ (कैन्टीन, क्रीड़ास्थल, व्यायामशाला आदि) ;
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद ;
- संस्थागत गतिविधियों के विकास के लिए निधि ;
- छात्र को शोध वृत्ति प्रदान करने के लिए निधि को विकसित करना ;
- विस्तार से जुड़ी गतिविधियों का विकास, संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ शोध कार्य जो कि परियोजनाओं के निधियन के फलस्वरूप हैं अथवा किसी निधि के विकास द्वारा ;
- पीठों की स्थापना ;
- नवोन्मेषी एवं शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें अनुसंधान एवं विस्तार कार्य भी सम्मिलित है ;
- ऐसा अन्य कोई मद/परियोजना जिसको पूर्व में ही यूजीसी को सूचित किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंशदान की सीमा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंशदान का 25 प्रतिशत होगा जो कि सशर्त 50.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की अधिकतम सीमा तक होगा।

वर्ष 2010–11 के दौरान, पांच राज्य विश्वविद्यालयों और तीन सम विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंश के रूप में 4.08 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अधीन जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

foÙk o"kZ	tkjh fd;k x;k vuqnku ¼#- djksM+ esa½
2007–08	0.71
2008–09	2.66
2009–10	5.68
2010–11	4.08

10-2 fo'ofo|ky;ks@egkfo|ky;ks es 'kSf{kd iz'kkldks dk rFkk ;wthlh ds vfèkdkfj;ks dk izf'k{k.k

प्रौद्योगिकी में जो वैश्वीकरण और विकास हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि उच्चतर शिक्षा में भी अभूतपूर्व परिवर्तन होते जा रहे हैं। वर्तमान काल में, शैक्षिक प्रावधानों से जुड़े सीमाओं से परे पर्यावरण में जन सामान्य तक पहुँच बनाने तथा समानता के प्रश्न के अलावा उच्चतर शिक्षण संस्थानों से यह आग्रह है कि वे अपनी लागतों में कटौती करें गुणवत्ता में सुधार करें एवं स्पर्द्धा की भावनाएँ रखें। शैक्षिक प्रशासकों द्वारा इन चुनौतियों का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए तथा अपने संबंद्ध संस्थानों की कार्यप्रणाली का परिचालन ऐसे करना चाहिए ताकि वे अपने अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। एक ऐसी संरचनाबद्ध प्रणाली जो कि विश्वविद्यालयों में स्थित विभिन्न स्टॉफ सदस्यों, प्रशासकों एवं वरिष्ठ पदों पर स्थित व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं विकास के सुअवसर प्रदान करने वाली हैं तथा जिसका निर्माण किए जाने का लक्ष्य शैक्षिक उत्कृष्ठता एवं अभिशासन होगा। ऐसी प्रणाली के सृजन द्वारा ही यूजीसी उपरोक्त समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, दिशा–निर्देश बनाए गए है। वर्ष 2010–11 के दौरान, शैक्षिक प्रशासकों के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, तथा यूजीसी अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया। अतः इस मद पर कोई भी व्यय नहीं हुआ है।

o"k 2010&2011 d ifjf’k"Vk dh lph

1.	दिनांक 31.03.2011 तक की स्थिति के अनुसार जिन केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थानों को राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया है एवं ऐसे संस्थान जिन्हें समविश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गयी है उनकी राज्यवार सूची।
2.	यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 धारा 12 (बी) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2011 तक की स्थिति के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय जो कि केन्द्रीय सहायता के पात्र नहीं हैं, उनकी राज्यवार सूची।
3.	वर्ष 1984–85 से लेकर 2010–2011 तक भारतवर्ष में छात्रों के नामांकन में अभिवृद्धि।
4.	वर्ष 2010–2011 में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों का राज्यवार नामांकन।
5.	वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों/आंगिक कॉलेजों एवं संबद्ध कालेजों में छात्रों का स्तरवार नामांकन।
6.	वर्ष 2010–2011 में संकायवार छात्रों का नामांकन।
7.	वर्ष 2006–07 से 2010–2011 के मध्य कॉलेजों की संख्या में हुई वृद्धि तथा वर्ष 2010–2011 के दौरान राज्यवार कॉलेजों की संख्या।
8.	वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पद के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
9.	वर्ष 2010–2011 के दौरान संबद्ध कॉलेजों में पद के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
10.	वर्ष 2008–2009 एवं 2009–2010 के दौरान संकायवार प्रदान की गई एम.फिल. एवं डॉक्टरेट (पीएच.डी.) डिग्रियों की संख्या।
11.	वर्ष 2010–2011 के दौरान संकायवार महिला नामांकन'।
12.	वर्ष के अनुसार 1997–98 से लेकर 2010–2011 तक महिला कॉलेजों की संख्या।
13.	वर्ष 2010–2011 के दौरान ऐसे समविश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें योजनागत, गैर–योजनागत एवं नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है।
14.	वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के कॉलेज एवं छात्रावासों एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेज की सूची।
15.	दिनांक 31.03.2011 तक स्वायत्तशायी कॉलेजों की राज्यवार सूची।
16.	वर्ष 2010–2011 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची।
17.	वर्ष 2010–2011 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट परीक्षा से सम्बद्ध विषयों की सूची।
18.	सी.एस.आई.आर. एवं यू.जी.सी. नेट संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत कवर वैज्ञानिक विषयों की सूची।
19.	वर्ष 2010–2011 के दौरान भारतवर्ष में होने वाली यू.जी.सी. नेट परीक्षा के केन्द्रों की सूची।
20.	वर्ष 2010–11 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए (प्रमुख शीर्ष वार) गैर–योजनागत अनुदान का ब्यौरा।
21.	वर्ष 2010–2011 के दौरान (प्रमुख शीर्ष वार) सामान्य योजनागत, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए अनुदान का विरण दर्शाने वाला ब्यौरा।

ifjf'k"V&I

fnukad 31-03-2011 dh fLFkfr ds vuqlkj dsUnzh;] jkT;] jkT; futh fo'ofo|ky;] lLFkku ftUgsa jkT; fo/kku vf/kfu;e ds vUrxZr LFkkfir fd;k x;k gS ,oa lefo'ofo|ky;ksa ds leku lLFkku dh jkT;okj lwph ¼d½ dsUnzh; fo'ofo|ky;

Øe- la-	jkT;@fo'ofo|ky;	LFkkiuk@ekU;rk inku djus dk o"kZ
	vkU/kz çns'k	
1.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1997
2.	दी इंग्लिश एण्ड फॉरेन लेग्युजेस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1973
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1974
	v:.kkpy çns'k	
4.	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	1985
	vle	
5.	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	1994
6.	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	1994
	fcgkj	
7.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना	2008
	NRrhlx<+	
8.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (केन्द्रीय वि0 प्रभावी 2008)	1983 (2008 से केन्द्रीय)
	xqtjkr	
9.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर	2008
	gfj;k.kk	
10.	सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गाँव	2008
	fgekpy çns'k	
11.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	2008
	tEew vkSj d'ehj	
12.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर	2008
13.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू	2009
	>kj[k.M	
14.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची	2008
	dukZVd	

15.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	2008
	djy	
16.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	2008
	e/; çn’k	
17.	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (केन्द्रीय वि0 प्रभावी 2008)	1946 (2008 से केन्द्रीय)
18.	दी इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	2007
	egkjk"V	
19.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1997
	ef.kiqj	
20.	सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1993
21.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	1980
	e?kky;	
22.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	1973
	fetkje	
23.	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईज़ौल	2001
	ukxkyS.M	
24.	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड	1995
	mMhlk	
25.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	2008
	itkc	
26.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	2008
	jktLFkku	
27.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	2008
	flfDde	
28.	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	2007
	rfeyukM	
29.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवारूर	2008
30.	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2009
	f=ijk	
31.	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	1987

	mRrj çn'k	
32.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	1921
33.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	1996
34.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	1916
35.	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद	1887 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)
	mRrjkpy	
36.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	1973 (वर्ष 2008 से केन्द्रीय)
	if'pe cxky	
37.	विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शान्तिनिकेतन	1951
	jk"Vh; jkt/kkuh {k=] fnYyh	
38.	इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1985
39.	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1988
40.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	1968
41.	साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सी.आर.एस. लैंग्वेज लैब बिल्डिंग, जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली	2010
42.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली	1922
	inpjh ¼dUn 'kkflr çn'k½	
43.	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	1985

¼[k½ jkT; fo'ofo|ky;

Ø-l-	**jkT;@fo'ofo|ky;**	**LFkkiuk@ekU;rk dko/k**
	vkU/k çn'k	
1.	ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, विशाखापत्नम	2010
2.	आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1964
3.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	1976
4.	अदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी, राजामुन्द्री	2007
5.	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विजयवाड़ा	1986
6.	अन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम	1926
7.	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1982
8.	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एतचेरिया	2010
9.	द्रविड़यन यूनिवर्सिटी, कुप्पम	1997

10.	जवाहर लाल नेहरू आर्किटेक्चर एण्ड एवं फॉइन आर्टस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	2009
11.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	2008
12.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1972
13.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	2009
14.	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1976
15.	कृष्णा यूनिवर्सिटी, मछलीपट्टनम	2009
16.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, नलगोण्डा	2007
17.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्ट्डीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1999
18.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	1918
19.	पालामुरू यूनिवर्सिटी, महबूब नगर	2009
20.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू युनिवर्सिटी, हैदराबाद	1985
21.	रायलसीमा यूनिवर्सिटी, करनूल	2009
22.	सतवाहन यूनिवर्सिटी, करीमनगर	2010
23.	श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर	1981
24.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	1983
25.	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति	1954
26.	श्री वेंकटेश्वरा वेदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति	2007
27.	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, तिरूपति	2007
28.	तेलंगना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद	2007
29.	विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, नेल्लोर	2009
30.	योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, कदप्पा	2007
	v l e	
31.	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	1968
32.	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़	1965
33.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	1948
34.	कृष्ण कान्त हैन्डीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	2007
	fcgkj	
35.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	1952
36.	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपूरा	1993
37.	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना	2006
38.	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा	1995

39.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	1961
40.	ललित नारायन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	1972
41.	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	1962
42.	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, पटना	2004
43.	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना	1995
44.	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	1917
45.	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर	1970
46.	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	1960
47.	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	1994
	NRrhlx<	
48.	आयुष एवं हेल्थ सांइसिज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर	2010
49.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	2009
50.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल, यूनिवर्सिटी, भिलाई	2005
51.	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर	2003
52.	इन्दिरा गाँधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर	1987
53.	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़	1956
54.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर	2005
55.	पं0 रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	1964
56.	पं0 सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़	2005
57.	सरगूजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर	2009
	xkok	
58.	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	1985
	x|tjkr	
59.	आनन्द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनन्द	2009
60.	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	1978
61.	सेंटर फॉर एनवार्यमेन्टल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2006
62.	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, नाडियाड	2005
63.	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदनगर	1995
64.	गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनसकाँथा	1950
65.	गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर	1968
66.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गाँधीनगर	2006

67.	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2007
68.	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	1972
69.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	1986
70.	क्रान्तिगुरू यामजी वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, कच्छ	2003
71.	महाराजा सायाजीरॉव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा	1949
72.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभविद्यानगर	1955
73.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	1955
74.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	1965
75.	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़	2005
	gfj;k.kk	
76.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2007
77.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार	1970
78.	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	1995
79.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल	2009
80.	गुरू जम्भेश्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार	2003
81.	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	1956
82.	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	1976
83.	पं0 भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक	2009
	fgekpy çns'k	
84.	डॉ0 वाई0एस0 परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी	1986
85.	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	1970
86.	हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर	1978
	tEe vkj dk'ehj	
87.	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
88.	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, पुलवामा	2006
89.	शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, श्रीनगर	1982
90.	श्री माता वैष्णवों देवी यूनिवर्सिटी, जम्मू	2004
91.	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर	1949
92.	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मूतवी	1969

	>kj[k.M	
93.	बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राँची	1980
94.	कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाइबासा	2009
95.	नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, पलामू	2009
96.	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	1960
97.	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका	1992
98.	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	1993
	dukVd	
99.	बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू	1964
100.	दावनगिरी यूनिवर्सिटी, दावनगिरी	2009
101.	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	1980
102.	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, कमालपुरा	1992
103.	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	1949
104.	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली	2009
105.	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर	1996
106.	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2003
107.	कर्नाटक वेट्रिनेरी, एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसिज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, बीदर	2004
108.	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शंकरघट्टा	1987
109.	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर	1980
110.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1992
111.	रजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	1994
112.	टुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर	2005
113.	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर	1916
114.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर	1964
115.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़	1986
116.	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाम	1999
	djy	
117.	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	1968
118.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची	1971
119.	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर	1997

120.	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, थ्रीसूर	1972
121.	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनपुरम	1937
122.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	1983
123.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज(एन.यू.ए.एल.एस.), कोच्चि	2009
124.	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	1994
	e/;çns'k	
125.	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	1968
126.	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	1970
127.	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	1964
128.	जवाहर लाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1964
129.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	1964
130.	एम.जी. ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	1993
131.	एम.पी.भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल	1995
132.	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	2010
133.	महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1998
134.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	2009
135.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जनर्लिज्म, भोपाल	1993
136.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	1999
137.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भोपाल	2000
138.	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	1957
139.	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	1957
	egkjk"V	
140.	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	1958
141.	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे	1992
142.	डॉ0 पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1969
143.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर	1999
144.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, रत्नागिरि	2005
145.	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर	2002
146.	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक	2000

147.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	1968
148.	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, परभनी	1983
149.	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1857
150.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	1991
151.	पूणे यूनिवर्सिटी, पूणे	2005
152.	संत गाडगे बाबा अमरावती युनिवर्सिटी, अमरावती	2005
153.	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	1962
154.	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	1951
155.	शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर	2004
156.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नादेंड	1995
157.	द राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	2005
158.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक	1990
	vkMhlk	
159.	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर	1967
160.	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला	2003
161.	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	1999
162.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक	2010
163.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, मयूरभंज, भुवनेश्वर	1999
164.	ओड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	1962
165.	रावेनशाह यूनिवर्सिटी, कटक	2006
166.	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, सम्भलपुर	1967
167.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	1981
168.	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	1943
169.	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुवनेश्वर	1999
170.	वीर सुरेन्द्र सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सम्बलपुर	2009
	iatkc	
171.	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिक्ल साइंसेज, फरीदकोट	2002
172.	गुरू अंगददेव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना	2006
173.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	1969
174.	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना	1962
175.	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर	1998
176.	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	1962

177.	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटा ऑफ लॉ, पटियाला	2006
	jktLFkku	
178.	जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	1962
179.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
180.	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, उदयपुर	2000
181.	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	1987
182.	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	1962
183.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
184.	राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर	1987
185.	राजस्थान आयूर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2003
186.	राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा	2008
187.	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	1947
188.	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर	2003
189.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर	2006
190.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा	1987
191.	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा	2003
	rfeyukM	
192.	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	1985
193.	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1978
194.	अन्ना यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली	2008
195.	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	2008
196.	अन्ना यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	2008
197.	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई	2010
198.	अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	1929
199.	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1982
200.	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	1982
201.	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2005
202.	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	1965
203.	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	1992
204.	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोदाईकनाल	1984
205.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	1998

206.	तमिलनाडू ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2005
207.	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	1981
208.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1971
209.	तमिलनाडु डॉ0 अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1998
210.	तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1989
211.	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2009
212	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	2009
213.	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई	1990
214.	थ्रिवल्वुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर	2003
	mRrj çns'k	
215.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	1965
216.	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर	1974
217.	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर	1965
218.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	1957
219.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	2005
220.	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	1927
221.	डॉ0 राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2007
222.	डॉ0 शकुन्तला मिश्रा उ0प्र0 विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ	2009
223.	गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा	2009
224.	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2003
225.	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	1975
226.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1974
227.	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद	1974
228.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1958
229.	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2006
230.	यूनिवर्सिटी ऑफ बुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्ड	1975
231.	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ	1921
232.	उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2001
233.	यू.पी. किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ	2004
234.	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद	2005

235.	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	1987
	mRrjk[k.M	
236.	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून	2006
237.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर	1960
238.	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	1973
239.	उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	2006
240.	उत्तराखण्ड टैक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
	if'pe caxky	
241.	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
242.	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, नाडियाड	1974
243.	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा जिला	2008
244.	जाधवपूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1955
245.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1997
246.	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1962
247.	सिद्धो–कान्हो–बिरसा यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2010
248.	दी बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, हावड़ा	2004
249.	दी वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, कोलकाता	2004
250.	दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता	2004
251.	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान	1960
252.	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता	1857
253.	यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, कल्याणी	1960
254.	यूनिवर्सिटी ऑफ नार्थ बंगाल, दार्जलिंग	1962
255.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार	2001
256.	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	1981
257ʊ	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता	1995
258ʊ	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, कोलकाता	2001
259ʊ	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता	2008
	jk"Vªh; jkt/kkuh {ks= fnYyh	
260.	भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारका	2009
261.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद, दौलतपुर	2010
262.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1998

263.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द्वारका	2009
264.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका	2009
	jk"Vh; jkt/kkuh {k= p.Mhx<	
265.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	1947
¼x½ jkT; futh fo'ofo|ky;		
Ø-l-	jkT;@fo'ofo|ky;	LFkkiuk o"k@ekU;rk inku dk o"k
	vle	
1.	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	2009
	NRrhlx<	
2.	डॉ0 सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	2009
3.	मैट्स(एम.ए.टी.एस.) यूनिवर्सिटी, रायपुर	2009
4.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, बिलासपुर	2009
	xqtjkr	
5.	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2010
6.	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा	2009
7.	केलार्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2009
8.	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, गाँधीनगर	2004
9.	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा	2006
10.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गाँधीनगर	2007
11.	नवरचना यूनिवर्सिटी, वडोढ़रा	2010
12.	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, अहमदाबाद	2004
13.	पं0 दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गाँधीनगर	2007
	gfj;k.kk	
14.	एमिटी यूनिवर्सिटी, मानेसर, गुड़गाँव	2010
15.	एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, सोहना, गुड़गाँव	2010
16.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव	2009
17.	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2009
	fgekpy çns'k	
18.	अरनी यूनिवर्सिटी, काठगढ़	2009
19.	बद्दी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी, बद्दी	2009

20.	चितकारा यूनिवर्सिटी, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला)	2009
21.	एटरनल यूनिवर्सिटी, सिरमौर	2009
22.	इण्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बाथू, जिला ऊना	2010
23.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जिला सोलन	2002
24.	महर्षि मारकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, जिला सोलन	2010
25.	मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन	2009
26.	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसिज, सोलन	2009
	>kj[k.M	
27.	दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), राँची	2009
	dukVd	
28.	अलाएन्स यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू	2010
	e/; in'k	
29.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, राघोगढ़, जिला गुना	2010
	e?kky;	
30.	सी.एम.जे. यूनिवर्सिटी, शिलांग	2010
31.	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, टूरा	2010
32.	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, शिलांग	2009
33.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग	2009
34.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), टूरा	2009
35.	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय	2009
	fetkje	
36.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), आइज़ौल	2009
	ukxky.M	
37.	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा	2009
38.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), दीमापुर	2009
	vkMhlk	
39.	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, पारालखमुण्डी, गाजापट्टी	2010

	iatkc	
40.	चितकारा यूनिवर्सिटी, झांसला, जिला पटियाला	2010
41.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कपूरथला	2006
	jktLFkku	
42.	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
43.	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर	2008
44.	डॉ0 के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी, नेवाई, जिला टोंक	2010
45.	जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
46.	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपरु	2009
47.	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जोधपुर	2009
48.	ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
49.	महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
50.	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चितौड़गढ़	2008
51.	एन.आई.एम.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2008
52.	पेसिफिक अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.), उदयपुर	2010
53.	श्रीधर यूनिवर्सिटी, पिलानी	2010
54.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं	2009
55.	सर पदमपत सिंहानिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	2009
56.	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं	2008
57.	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
	flfDde	
58.	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरेथांग	2007
59.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम	2009
60.	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एण्ड टेक्नोलॉजिकल सांइसिज, गंगटोक	1998
61.	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, ईस्ट सिक्किम	2009
	f=iqjk	
62.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला	2006
	mRrj çns'k	
63.	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	2009

64.	बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2010
65.	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा	2010
66.	आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद	2010
67.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	2004
68.	इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली	2010
69.	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	2002
70.	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	2009
71.	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर	2009
72.	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा	2010
73.	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर	2009
74.	तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद	2008
75.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ	2008
	mRrjk[k.M	
76.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2005
77.	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई), देहरादून	2009
78.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनॅालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), देहरादून	2005
79.	यूनिवर्सिटी ऑफ पंतजलि, हरिद्वार	2009
80.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्ट्डीज, देहरादून	2004

¼?k½ jkT; fo/kku vf/kfu;e d vUrxZr LFkkfir laLFkku

Ø-la-	jkT;@fo'ofo|ky;	LFkkiuk @ekU;rk inku djus dk o"kZ
	vkU/kz çns'k	
1.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज	1990
2.	श्री वेंकेटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1995
	fcgkj	
3.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज	1992
	tEew vkSj d'ehj	
4.	शेरे–ए–काश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	mRrj çns'k	
5.	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस	1983

¼3½ lefo'ofo|ky; lLFkku

Ø-l-	jkT;@fo'ofo|ky;	LFkkiuk@ekU;rk inku djus dk o"k
	vkU/kz çns'k	
1.	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), विशाखापत्तनम	2007
2.	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउंडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	2008
3.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, हैदराबाद	2001
4.	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, गुंटूर	2009
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	1987
6.	श्री सत्य सांई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम, अनन्तापुर	1981
7.	विगनांस फाउंडेशन फॉर सांइस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, गुंटूर	2008
	v:.kkpy çns'k	
8.	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर	2005
	fcgkj	
9.	बिहार योगभारती, मूँगेर	2000
10.	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा	2006
	p.Mhx<+	
11.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़	2003
	xqtjkr	
12.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
13.	सुमनदीप विद्यापीठ, पिपरिया, वडोदरा	2007
	gfj;k.kk	
14.	लिंगया यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2009
15.	महर्षि मार्कण्डेश्वर, अम्बाला	2007
16.	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2008
17.	नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गाँव	2002
18.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	1989
	>kj[k.M	
19.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मिसरा, राँची	1986
20.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	1968

	dukVd	
21.	बी.एल.डी.ई. यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2008
22.	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू	2008
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरू	1985
24.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, बेंगलूरू	2005
25.	जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू	2008
26.	जगतगुरू श्री शिवाराथ्रिश्वरा यूनिवर्सिटी, मैसूर	2008
27.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलूरू	2002
28.	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बेलगाम	2006
29.	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, मनीपाल	1993
30.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो सांइसेज, बेंगलूरू	1994
31.	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
32.	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलार	2007
33.	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, जिला टुमकुर	2008
34.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरू	2002
35.	येनपोया यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
	djy	
36.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरूअनन्तपुरम	2008
37.	केरल कलामण्डलम, चेरूथुरूथि	2006
	e/; çn'k	
38.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर	2001
39.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर	1995
40.	पं0 द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्ट्यिूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर	2009
	egkjk"V	
41.	भारती विद्यापीठ, पुणे	1996
42.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज् एजूकेशन, मुम्बई	1989
43.	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, कोल्हापुर	2005
44.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	2005
45.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	1990
46.	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	2003

47.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पुणे	1993
48.	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई	2005
49.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुम्बई	1996
50.	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टैक्नोलॉजी, पूणे	1999
51.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलॉजी, मुम्बई	2008
52.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसिज़, मुम्बई	1985
53.	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सतारा	2005
54.	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुम्बई	2006
55.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज, मुम्बई	2003
56	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	2002
57.	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अहमदनगर	2003
58.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजूकेशन सेंटर, पुणे	2002
59.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई	2002
60.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज, मुम्बई	1964
61.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1987
	vkMhlk	
62.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	2002
63.	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर	2007
	iatkc	
64.	संत लॉगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), संगरूर	2007
65.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	1985
	jktLFkku	
66.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	1983
67.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड सांइस, पिलानी	1964
68.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टॅडीज इन एजूकेशन, सरदार शहर, जिला चूरू	2002
69.	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
70.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, नागपुर	1991
71.	जर्नान राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, नागपुर	1987
72.	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, उदयपुर	2006
73.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर	2004

	rfeyukM	
74.	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, चेन्नै	2007
75.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बटूर	2003
76.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर	1988
77.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नै	2002
78.	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नै	2008
79.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नै	2006
80.	चेत्रिनाद अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (सी.ए.आर.ई.), काँचीपुरम	2008
81.	डॉ0 एम.जी.आर. एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नै	2003
82.	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	1976
83.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिट्स), काँचीपुरम	2008
84.	कलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड हॉयर एजूकेशन, श्रीविलिपुत्तूर	1988
85.	करपागम आकदमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, कोयम्बटूर	2008
86.	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कोयम्बटूर	2004
87.	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नै	2004
88.	नूरूल इस्लाम सेंटर फार हॉयर एजूकेशन, कन्याकुमारी	2008
89.	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, तंजावुर	2007
90.	पोनैय्या रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, तंजावुर	2008
91.	राजीव गाँधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरेम्बुदूर	2008
92.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नै	2002
93.	सत्यभमा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नै	2001
94.	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज, चेन्नै	2005
95.	श्रणमुघा आर्टस साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी, तंजावुर	2001
96.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, काँचीपुरम	1993
97.	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नै	1994
98.	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नै	2008
99.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वेल्लोर	2001
100.	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज, चेन्नै	2008
101.	वेल टेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नै	2008

102.	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, सलेम	2001
	mRrj çns'k	
103.	भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ	2000
104.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर तिब्तन स्टडीज, वाराणसी	1988
105.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	1981
106.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	2000
107.	इंडियन वेट्नेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	1983
108.	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, नोएडा	2004
109.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	2008
110.	सैम हिग्निबोटम इंस्ट्यिूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद	2000
111.	गोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2006
112.	संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद	2007
	mRrjk[k.M	
113.	ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
114.	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	1991
115.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
116.	एच.आई.एच.टी. यूनिवर्सिटी, देहरादून	2007
	if'pe caxky	
117.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेलूर मठ, जिला हावड़ा	2005
	jk"Vªh; jkt/kkuh {ks= fnYyh	
118.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली	1958
119.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	2002
120.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2004
121.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी सांइसिज, (आईएलबीएस) नई दिल्ली	2009
122.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	1989
123.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंसर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, जनपथ, नई दिल्ली	1989
124.	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2005
125.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली	2006

126.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002
127.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली	1979
128.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	1987
129.	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवान्स स्टडीज, लोदी रोड, नई दिल्ली	1999
	ikf.Mpsjh ¼la?k 'kkflr çns'k½	
130.	श्री बालाजी विद्यापीठ, पिल्लैयारकुप्पम	2008

ifjf'k"V&II

fnukad 31-03-2011 rd dh fLFkfr ds vuqlkj ,sls jkT; fo'ofo|ky; dh jkT;okj lwph ¼tks ;w-th-lh- vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 12¼[k½ ds vUrxZr dUnzh; lgk;rk ds ik= ugha gS

¼d½ jkT; ljdkj ds v/khu fo'ofo|ky;

Ø- l-	**fo'ofo|ky; dk uke**
	vkU/kz çns'k
1	आन्ध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज़, विजयवाड़ा
2	आदिकवि नन्नैया यूनिवर्सिटी, राजमुन्दरी
3	ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, विशाखापत्तनम
4	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, श्रीकाकुलम
5	जवाहर लाल नेहरू आर्किटेक्चर एण्ड फाइन आर्ट्स युनिवर्सिटी, हैदराबाद
6	कृष्णा यूनिवर्सिटी, मछलीपट्टनम
7	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, नालगौंडा (पूर्व में नालगौंडा विश्वविद्यालय)
8	पलामुरू यूनिवर्सिटी, महबूब नगर
9	रायलसीमा यूनिवर्सिटी, कुरुनूल
10	सतवाहन यूनिवर्सिटी, करीमनगर
11	श्री वेंकेटेश्वरा वेट्नेरी यूनिवर्सिटी, तिरूपति
12	श्री वेंकेटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति
13	तेलंगाना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद
14	विक्रमसिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, नेल्लौर
15	योगी वेमना यूनिवर्सिटी, कडापा
	vle
16	कृष्णकान्त हान्डिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, दिसपुर
	fcgkj
17	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना

18	मौलाना मज़हारूल हक अरेबिक एण्ड पर्सियन यूनिवर्सिटी, पटना
19	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना
	NRrhlx<
20	आयुष एण्ड हेल्थ साइंसिज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर
21	बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, (जिला बस्तर)
22	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई
23	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
24	पं0 सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
25	सरगूजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर
	xqtjkr
26	आनन्द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनन्द
27	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
28	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
29	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
30	क्रान्ति गुरू यामजी कृष्णकच्छ यूनिवर्सिटी, भुज, कच्छ
31	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, जूनागढ़
	fgekpy izns'k
32	हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर
	tEew vkSj d'ehj
33	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, पुलवामा
	>kj[k.M
34	कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाइबासा
35	नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, पलामू
	dukZVd
36	कर्नाटक वेट्निरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, बीदर
37	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली
38	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर
39	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बेंगलूरू
40	तुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर
41	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाँव
	dsjy

42	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज(एन.यू.ए.एल.एस.), कोच्चि
	e/; çns'k
43	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर
44	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, भोपाल
45	महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन
46	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
	egkjk"Vª
47	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर
48	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर
49	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक
50	सोलापुर यूनिवर्सिटी, सोलापुर
	vkMh lk
51	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला
52	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कटक
53	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुवनेश्वर
54	वीर सुरेन्द्र साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सम्बलपुर
	iatkc
55	पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर
	jktLFkku
56	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर
57	राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर
58	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जयपुर
59	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जयपुर
60	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर
61	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा
62	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा
	rfeyukMq
63	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नै
64	अन्ना यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली
65	अन्ना यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
66	अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नै

67	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चेन्नै
68	तमिलनाडु फिज़िकल एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चेन्नै
69	तमिलनाडु टीचर एजूकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नै
70	तिरूवेल्लुवर यूनिवर्सिटी, वेल्लोर
	mRrj çn’k
71	डॉ0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ
72	डॉ शकुन्तला मिश्रा उ0 प्र0 विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ
73	गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा
74	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
75	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ
76	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ
77	यू.पी. राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद
78	उत्तर प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
	mRrjkpy
79	उत्तराखण्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार
80	उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून
	if’pe cxky
81	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता
82	गौर बंग यूनिवर्सिटी, मालदा
83	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता
84	प्रेसीडेन्सी यूनिवर्सिटी, कोलकाता
85	सिद्धो–कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, कोलकाता
86	दी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता
87	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच विहार
88	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, कोलकाता
89	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलकाता
	jk"Vh; jkt/kkuh {k= fnYyh
90	भारत रत्न डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, द्वारका
91	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बवाना रोड, दिल्ली
92	इन्द्रप्रस्था इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द्वारका
c-	**jkT; futh fo’ofo|ky;**

	vle
1	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी
	NRrhlx<
2	डॉ0 सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर
3	मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर
4	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, बिलासपुर
	x|tjkr
5	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
6	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा
7	केलोर्क्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
8	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, गाँधीनगर
9	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा
10	कादी सर्व विश्वविद्यालय, गाँधीनगर
11	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, अहमदाबाद
12	नवरचना यूनिवर्सिटी, वडोदरा
13	पं0 दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, गाँधीनगर
	gfj;k.kk
14	एमिटी यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव
15	एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव
16	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, गुड़गाँव
17	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत
	fgekpy çns'k
18	अरनी यूनिवर्सिटी, काठगढ़
19	बद्दी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी, बद्दी
20	चितकारा यूनिवर्सिटी, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला)
21	एटरनल यूनिवर्सिटी, सिरमौर
22	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जिला सोलन
23	इण्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिला ऊना
24	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, सोलन
25	मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन
26	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसिज, सोलन

	>kj[k.M
27	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), राँची
	dukZVd
28	एलाएन्स यूनिवर्सिटी, बेंगलूरू
	e/; insz'k
29	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गूना
	e?kky;
30	सी.एम.जे. यूनिवर्सिटी, शिलांग
31	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, शिलांग
32	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय
33	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग
34	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), टूरा
35	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय
	fetksje
36	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), आइज़ौल
	ukxkyS.M
37	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा
38	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), दीमापुर
	mMhlk
39	सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, पारालखमुण्डी
	iatkc
40	चितकारा यूनिवर्सिटी, पटियाला
41	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा
	jktLFkku
42	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर
43	भगवन्त यूनिवर्सिटी, अजमेर
44	डॉ0 के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी, जिला टोंक
45	जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जयपुर
46	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर
47	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जोधपुर

48	ज्योति विद्यापीठ वीमन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर
49	महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी, जयपुर
50	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चितौड़गढ़
51	एन.आई.एम.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर
52	पेसिफिक अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर
53	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं
54	सर पदमपत सिंहानिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर
55	सिंहानिया यूनिवर्सिटी, झूँझुनूं
56	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर
57	श्रीधर यूनिवर्सिटी, पिलानी
	flfDde
58	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, जोरेथांग, सिक्किम
59	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम
60	सिक्किम मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिक्ल एण्ड टेक्नोलॉजिकल सांइसिज, गंगटोक
61	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, ईस्ट सिक्किम
	f=i|jk
62	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), अगरतला
	mRrj çn’k
63	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
64	बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनऊ
65	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा
66	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
67	इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली
68	आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद
69	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
70	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर
71	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा
72	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर
73	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ
74	तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद

	mRrjk[k.M
75	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार
76	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई), देहरादून
77	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), देहरादून
78	यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, हरिद्वार
79	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्ट्डीज, देहरादून

ifjf'k"V % III

Nk=k d vf[ky Hkkjrh; ukekdu e of)

1984&85 l 2010&2011

o"k	d|y ukekdu	fiNy o"k dh r|yuk e of)	çfr'kr
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-2001	8399443	348836	4.3

2001-2002	8964680	565237	6.7
2002-2003	9516773	552093	6.2
2003-2004	10116330	599557	6.3
2004-2005	10763775	647445	6.4
2005-2006	11506475	742700	6.9
2006-2007	12346448	839973	7.3
2007-2008	13321817	975369	7.9
2008-2009	14467493	1145676	8.6
2009-2010	15635360	1167867	8.1
2010-2011*	16974883	1339523	8.6

* vufUre vkdM+s

टिप्पण : वर्ष 2010–2011 के लिए आंकड़े, वर्ष 2003–2004 के संशोधन आधरित हैं।

ifjf'k"V : IV

fo'ofo|ky;k ,o dkyst ks e jkT;okj Nk=k d ukekdu* ¼ 2010&2011

Ø- l-	jkT;@la?k 'kkflr çns'k	dqy ukekdu	efgyk ukekdu	efgykvk dh çfr'kr
1.	आंध्र प्रदेश	1847479	718894	38.9
2.	अरूणाचल प्रदेश	16068	5355	33.3
3.	असम	268451	127514	47.5
4.	बिहार	690776	215748	31.2
5.	छत्तीसगढ़	304381	111403	36.6
6.	दिल्ली	278770	129628	46.5
7.	गोवा	26783	16381	61.2
8.	गुजरात	893648	358353	40.1
9.	हरियाणा	452565	201844	44.6
10.	हिमाचल प्रदेश	133564	66114	49.5
11.	जम्मू और कश्मीर	184394	84615	45.9
12.	झारखण्ड	274450	91825	33.5
13.	कर्नाटक	1001473	429919	42.9
14.	केरल	404121	229494	56.8

15.	मध्य प्रदेश	928939	353817	38.1
16.	महाराष्ट्र	1955226	858313	43.9
17.	मणिपुर	33755	14999	44.4
18.	मेघालय	41633	21552	51.8
19.	मिजोरम	12303	5895	47.9
20.	नागालैण्ड	20026	10121	50.5
21.	उड़ीसा	510418	209454	41.0
22.	पंजाब	469870	234176	49.8
23.	राजस्थान	789479	298750	37.8
24.	सिक्किम	11608	5731	49.4
25.	तमिलनाडु	1482277	700154	47.2
26.	त्रिपुरा	32800	14431	44.0
27.	उत्तर प्रदेश	2564886	982806	38.3
28.	उत्तराखण्ड	294485	121563	41.3
29.	पश्चिम बंगाल	944075	377059	39.9
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3158	1642	52.0
31.	चण्डीगढ़	64510	32666	50.6
32.	दादरा एवं नागर हवेली	2120	996	47.0
33.	दमन एवं द्वीप	860	404	47.0
34.	लक्षद्वीप	410	143	34.9
35.	पाण्डिचेरी	35122	16929	48.2
	dqy	**16974883**	**7048688**	**41-5**

*vufUre

ifjf'k"V % v

fo'ofo|ky; v/;kiu foHkkx@fo'ofo|ky;k d egkfo|ky; ,o lc) dkyt e Nk=k dk Lrjokj ukekadu* 2010&2011

Øl-	Lrj	fo'ofo|ky; foHkkx@ fo0 vkfxd dkyt	lEc) dkyt	dqy ¼dqy tkM dk ifr'kr½	lEc} dkyt e ifr'kr
1.	स्नातक	1453519	13162954	14616473 (86.11)	90.06
2.	स्नातकोत्तर	597541	1451583	2049124 (12.07)	70.84
3.	शोध	114263	23405	137668 (0.81)	17.00
4.	डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र	87391	84227	171618 (1.01)	49.08
	dqy tkM	**2252714**	**14722169**	**16974883 ¼100-00½**	**86-73**

* अनन्तिम

नोट : शोध एम.फिल. एवं पी.एच.डी. सहित शामिल है।

ifjf'k"V % VI

ladk;okj* % Nk=k dk ukekadu % 2010&2011

Ø l-	ladk;	dqy ukekadu	;ksx dk çfr'kr
1.	कला	6177730	36.39
2.	विज्ञान	3127042	18.42
3.	वाणिज्य/प्रबंधन	2904752	17.11
4.	शिक्षा	569961	3.36
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	2862439	16.86
6.	औषधि विज्ञान	652533	3.85
7.	कृषि विज्ञान	93166	0.55
8.	पशु विज्ञान	27423	0.16
9.	विधि	327146	1.93
10.	अन्य	232691	1.37
	dqy tksM+	**16974883**	**100-00**

* **vufUre**

dyk में ओरिएंटल लर्निंग शामिल है।

foKku में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि शामिल हैं।

f'k{kk में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि शामिल हैं।

bathfu;fjax ,oa izkS|ksfxdh में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित है।

vkS"kf/k में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचार्य, भेषज, सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, लिबिया, टिबबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा पेशेंस सम्बद्ध चिकित्सा थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

d`f"k में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि शामिल हैं।

i'kq fpfdRlk में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

vU; esa पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

ifjf'k"V % VII

o"k 2010&2011 d nkjku dkyt k dh jkT;okj l[;k ,o 2006&2007 l 2010&2011 rd dkyt k dh l[;k e gb o f)

Ø-l-	jkT;@l?k jkT; {k=	2006& 2007 ¼;-lh+ ,-lh-½	2007& 2008 ¼;-lh+ ,-lh-½	2008& 2009 ¼;-lh+ ,-lh-½	2009& 2010* ¼;-lh+ ,-lh-½	2010& 2011* ¼;-lh+ ,-lh-½	2006&2007 2010&11 d nkjku o f)
1.	आंध्र प्रदेश	3026	3264	3648	3985	4066	1040
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	16	16	16	16	4
3.	असम	440	455	481	485	507	67
4.	बिहार	638	655	671	642	653	15
5.	छत्तीसगढ़	474	483	508	634	641	167
6.	गोवा	46	46	46	54	54	8
7.	गुजरात	1059	1192	1420	1824	1836	777
8.	हरियाणा	376	634	851	850	902	526
9.	हिमाचल प्रदेश	209	241	270	313	344	135
10.	जम्मू और कश्मीर	253	253	260	328	328	75
11.	झारखण्ड	181	181	188	231	231	50
12.	कर्नाटक	2224	2436	2765	2942	3078	854
13.	केरल	825	873	947	967	1063	238
14.	मध्य प्रदेश	1322	1524	1871	2022	2236	914
15.	महाराष्ट्र	3052	3363	3849	4303	4631	1579
16.	मणिपुर	74	74	75	76	76	2
17.	मेघालय	60	62	64	64	64	4
18.	मिजोरम	31	31	28	28	28	-3
19.	नागालैण्ड	49	51	51	55	55	6
20.	उड़ीसा	838	841	840	1086	1100	262
21.	पंजाब	472	502	569	853	852	380

22.	राजस्थान	878	1177	1456	2354	2412	1534
23.	सिक्किम	11	11	13	15	15	4
24.	तमिलनाडू	1254	1297	1337	2246	2267	1013
25.	त्रिपुरा	25	29	32	33	39	14
26.	उत्तर प्रदेश	2047	2137	2181	3827	3859	1812
27.	उत्तराखण्ड	248	260	279	361	360	112
28.	पश्चिम बंगाल	774	805	889	850	942	168
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समुह	4	4	4	6	6	2
30.	चण्डीगढ़	23	23	21	25	25	2
31.	लक्षद्वीप	1	1	1	3	3	2
32.	दमन एवं दीव	3	3	4	4	4	1
33.	दिल्ली	202	209	234	243	243	41
34.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	1	1	1
35.	पाण्डिचेरी	39	73	82	86	86	47
	dqy	21170	23206	25951	31812	33023	11853

*** vuflre ¼ ;w-lh—½ fo'ofo|ky; d egkfo|ky; ; ,-lh- ½ ,Qfy,VM dkyt ¼lc) egkfo|ky;½**

ifjf'k"V ½ VIII

o"k 2010&2011 d nkjku fo'ofo|ky; foHkkxk ,o fo'ofo|ky; dkyt k** e in d vu lkj v/;kiu foHkkx d lnL;k dh l[;k ,o mudk lforj.k

o"k	çkQlj*	jhMj@,lkf'k,V ikQlj@iDrk ¼p;fur xM½	ioDrk ¼ofj"B prueku½	vflLVUV ikQlj@ yDpj	V;Vj@fun'kd	dqy
2010-2011	25106 (18.71)	31268 (23.30)	16001 (11.93)	56084 (41.80)	5720 (4.26)	134179 (100.00)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक शामिल हैं जोकि आचार्यों के समकक्ष हैं।

** अनन्तिम

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारियों की तुलना में संवर्ग का प्रतिशत दर्शाते है।

(ख) सहायक आचार्यों/लेक्चरों के अंतर्गत अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग टीचर/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि शामिल हैं।

ifjf'k"V &IX

o"kZ 2010&2011 dk nkSjku lEc) dkyst ksa** e s a & in d s vuqlkj 'kS{kf.kd LVkQ dh l a[;k ,o a mudk lforj.k

o"kZ	çkQslj*	jhMj@,lksf'k,V izkQslj@izoDrk ¼p;fur xzsM½	izoDrk ¼ofj"B osrueku½	vflLVsUV izkQslj@ yDpj	V;wVj@fun'kZd	dqy
2010-2011	48694 (20.12)	137415 (12.63)	86212 (57.17.)	390324 (2.95)	20142 (7.13)	682787 (100.00)

* ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक शामिल हैं जोकि आचार्यों के समकल हैं।

** अनन्तिम

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारियों के तुलना में संवर्ग का प्रतिशत दर्शाते है।

(ख) सहायक आचार्यों/लेक्चरारों के अंतर्गत अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग अध्यापक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि शामिल हैं।

ifjf'k"V &X

o"kZ 2008&2009 ,o a 2009&2010 d s nkSjku çnku dh xbZ ,e-fQy- ,o a MkDVjsV ¼ih,p-Mh-½ fMfxz;ksa dh la[;k

Ø-la-	ladk;	2008-2009#		2009-2010#	
		,e-fQy-	ih-,p-Mh-	,e-fQy-	ih-,p-Mh-
1	कला	4585	4370	3589	3490
2	विज्ञान	3962	4786	4367	3742
3	वाणिज्य/प्रबंधन	1047	999	1531	767
4	शिक्षा	692	509	395	469
5	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	14	1245	6	1007
6	औषधि विज्ञान	62	392	12	337
7	कृषि विज्ञान	17	449	12	573
8	पशु विज्ञान	16	241	7	150
9	विधि	20	220	6	123
10	अन्य	965	557	658	503
	dqy tksM+	**11380**	**13768**	**10583**	**11161**

dyk में ओरिएंटल लर्निंग शामिल है।

foKku में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग शामिल हैं।

f’k{kk में विद्या वारिधि एवं वाचस्पति आदि शामिल हैं।

vk"kf/k में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचार्या, भेषज सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, टिबबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा पेशेंस सबंद्धचिकित्सा एवं सिद्ध चिकित्सा आदि शामिल हैं।

vU; e पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि शामिल हैं।

ukV : वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के आंकड़े क्रमशः 286 विश्वविद्यालयों एवं 305 विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

ifjf’k"V % XI

lnk;okj* % efgyk ukekdu % 2010&2011

Ø- l-	lnk;	efgyk ukekdu	dqy efgyk ukekdu dk çfr’kr
1.	कला	2904596	41.21
2.	विज्ञान	1349170	19.14
3.	वाणिज्य/प्रबंधन	1136930	16.12
4.	शिक्षा	323954	4.60
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	800680	11.36
6.	औषधि विज्ञान	330040	4.68
7.	कृषि विज्ञान	25180	0.36
8.	पशु विज्ञान	6926	0.10
9.	विधि	83840	1.19
10.	अन्य	87372	1.24
	dqy tksM	**7048688**	**100-00**

* **vufUre**

dyk में ओरिएंटल लर्निंग शामिल है।

foKku में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि शामिल हैं।

f’k{kk में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आर्चाय, विद्या वारिधि एवं वाचस्पति आदि शामिल हैं।

bathfu;fjax ,oa izkS|ksfxdh lnk; में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि शामिल है।

vk"kf/k में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, परिचार्या, भेषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य/समाजिक निवारक दवा, युनानी, टिबबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेरों से सबद्ध चिकित्सा थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

df"k में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

i’kq fpfdRlk में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि शामिल हैं।

vU; e पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि शामिल हैं।

ifjf’k"V % XII

o"k 1997&1998 l 2010&2011 rd efgyk dkytk dh l[;k

o"k	efgyk dkytk dh l[;k
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010*	3612
2010-2011*	3982

* अनन्तिम एवं महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेज शामिल।

ifjf’k"V % XIII

o"k 2010&2011 d nkjku ;kstukxr] xj&;kstukxr ,o fu/kkfjr vuj{k.k vunku çkIr dj jg lefo’ofo|ky;k dh lph %

- **ek= ;kstukxr vunku**

1 बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान)

2 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी (राजस्थान)

3 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, राँची (झारखण्ड)

4 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्ट्डीज, सारनाथ, वाराणसी (उ0प्र0)

5 चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सिरूसेरी, (तमिलनाडु) ¼fof’k"V vunku ,d e'r½

6 डेक्कन कॉलेज पोस्ट–ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, (महाराष्ट्र)

7 गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, पूणे, (महाराष्ट्र)

8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, नई दिल्ली ¼fof’k"V vunku ,d ckj½

9 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई, (महाराष्ट्र) ¼fof’k"V vunku ,d ckj½

10 जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर (राजस्थान)

11 जैन विश्वा भारती इंस्टीट्यूट, लाडनुन (राजस्थान)

12 रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (पश्चिम बंगाल) ¼fof’k"V vunku ,d e'r½

13 श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश)
14 तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (महाराष्ट्र)
15 थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला (पंजाब)

- **;kstukxr ,oa xSj&;kstukxr ¼'kr çfr'kr vuqj{k.k vuqnku½**

1 अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
2 दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा (उत्तर प्रदेश)
3 गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, (तमिलनाडु)
4 गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)
5 गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
6 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
7 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
8 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई (महाराष्ट्र)

- **;kstukxr ,oa fu/kkZfjr vuqj{k.k vuqnku**

1 जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली
2 श्री चन्द्रशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम (तमिलनाडु)

ifjf'k"V % XIII

o"kZ 2010&2011 dk nkSjku fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx }kjk izkIr vuqj{k.k vuqnku dh lwph fnYyh fLFkr dkWyst ,oa Nk=kokl ds rFkk cukjl fgUnw fo'ofo|ky; esa fLFkr dkWystksa dk ¼d½- fo0v0vk0 }kjk lgk;rk izkIr fnYyh dkWyst izkIr dj jgs lwphA

Ø-la- 1- fnYyh fo'ofo|ky; }kjk vuqjf{kr dkWyst ¼100 çfr'kr vuqj{k.k vuqnku ;w-th-lh- }kjk 'kr izfr'kr vuqj{k.k vuqnku fd;k tkrk gS½

1 कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज
2 रामलाल आनन्द कॉलेज (डे)
3 दयाल सिंह कॉलेज (डे)
4 किरोरीमल कॉलेज*
5 मिरान्डा हाउस*
6 देशबन्धु कॉलेज* (डे)

2- lka/;dkyhu dkWyst ¼;w-th-lh- }kjk 'kr çfr'kr vuqj{k.k vuqnku çnku fd;k tkrk gSA½

7 दयाल सिंह कॉलेज (सां)
8 देशबन्धु कॉलेज (सां)
9 मोतीलाल नेहरू कॉलेज (सां)
10 पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सां)

11 रामलाल आनन्द कॉलेज (सां)
12 शहीद भगत सिंह कॉलेज (सां)
13 श्याम लाल कॉलेज (सां)
14 सत्यवती को एजूकेशनल कॉलेज (सां)
15 श्री अरबिन्दो कॉलेज (सां)
16 जाकिर हुसैन कॉलेज (सां)–(न्यास)

3. दिल्ली प्रशासन के अधीनस्थ कॉलेज (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान यू.जी.सी. द्वारा एवं 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है)

17 भारती कॉलेज
18 दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स
19 विवेकानन्द कॉलेज
20 गार्गी कॉलेज*
21 कालिन्दी कॉलेज*
22 कमला नेहरू कॉलेज*
23 लक्ष्मीबाई कॉलेज*
24 मैत्रेयी कॉलेज*
25 मोतीलाल नेहरू कॉलेज* (डे)
26 राजधानी कॉलेज*
27 सत्यवती कोएजूकेशनल कॉलेज* (डे)
28 शहीद भगत सिंह कॉलेज' (डे)
29 शिवाजी कॉलेज' (डे)
30 श्यामा प्रसाद मुखुर्जी कॉलेज फॉर वीमेन*
31 श्री अरबिन्दो कॉलेज' डे
32 स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज*

*ऐसे विस्तारित कॉलेज जो 100 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान मिल प्राप्त कर रहे और जिनमें 1000 से अधिक छात्र है।

4. न्यास द्वारा प्रबन्धित कॉलेज (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान यू.जी.सी. द्वारा एवं 5 प्रतिशत न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है)

33 श्री गुरूगोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
34 इंस्टीट्यूट ऑफ होम इक्नॉमिक्स
35 लेडी इरविन कॉलेज
36 श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
37 सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
38 जाकिर हुसैन कॉलेज (डे)
39 आत्माराम सतानधर्म कॉलेज*

40 दौलतराम कॉलेज*
41 हंसराज कॉलेज*
42 हिन्दू कॉलेज*
43 इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन*
44 जानकी देवी महाविद्यालय*
45 जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
46 लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन*
47 माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वीमेन*
48 पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज* (डे)
49 रामजस कॉलेज*
50 श्यामलाल कॉलेज* (डे)
51 एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज* (डे)
52 श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
53 श्री वेंकटेश्वर कॉलेज*

*ऐसे विस्तारित कॉलेज जो जिन्हें शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे और जिनमें 1000 से अधिक छात्र हैं,

c- fo’ofo|ky; vunku vk;kx }kjk lgk;rk çkIr fnYyh dkyst dk Nk=kokl dh lphA

1 दौलतराम कॉलेज
2 हंसराज कॉलेज
3 हिन्दू कॉलेज
4 इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन
5 किरोड़ी मल कॉलेज
6 लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन
7 लेडी इरविन कॉलेज
8 मिरान्डा हाउस
9 रामजस कॉलेज
10 सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
11 श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स
12 जाकिर हुसैन कॉलेज (डे)

l- fo’ofo|ky; vunku vk;kx ls vuj{k.k vunku çkIr dj jgs cukjl fgUnw fo’ofo|ky; ds v/khu dkyst dh lphA

1 वसन्त कन्या महाविद्यालय, कामच्छा, वाराणसी, (यू.पी.)
2 वसन्ता कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट फोर्ट, वाराणसी, (यू.पी.)
3 आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी, (यू.पी.)
4 डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी, यू.पी.

n-	fo’ofo|ky; vuqnku vk;kx ls doy ;ktukxr vuqnku ikIr dj jgs dkWyst dh lwphA
1	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
2	भगिनी निवेदिता कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
3	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस (दिल्ली प्रशासन)
4	केशव महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
5	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वीमेन (दिल्ली प्रशासन)
6	महाराज अग्रसेन कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)

ifjf’k"V % XV

fnukad 31-03-2011 dh fLFkfr ds vuqlkj Lok;Rr’kklh dkWystksa dh jkT;okj lwph

Ø-la0	jkT;	Lok;Rr’kklh dkWystksa dh la[;k
1	आन्ध्र प्रदेश	59
2	बिहार	01
3	छत्तीसगढ़	10
4	गुजरात	01
5	हिमाचल प्रदेश	05
6	जम्मू और कश्मीर	02
7	झारखण्ड	04
8	कर्नाटक	47
9	मध्य प्रदेश	34
10	महाराष्ट्र	19
11	नागालैण्ड	01
12	उड़ीसा	37
13	पाण्डिचेरी	02
14	पंजाब	01
15	राजस्थान	02
16	तमिलनाडु	135
17	उत्तरांचल	01
18	उत्तर प्रदेश	06
19	पश्चिम बंगाल	04
	dqy	**371**

ifjf'k"V % XVI
o"kZ 2010&2011 ds nkSjku vdkfnfed LVkQ dkWyst dh jkT;okj lwph

	vkU/kz çns'k
1.	आन्ध्र यूनिवर्सिटी वाल्टेयर, विशाखापत्नम
2.	यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद
3.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
4.	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरूपति
5.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
6.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
	vle
7.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
	fcgkj
8.	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार
9.	पटना यूनिवर्सिटी, बारीपत, दरियापुर, पटना
	NRrhlx<
10.	पं0 रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर
11.	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, जी.जी.यू. कैम्पस, बिलासपुर
	fnYyh
12.	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली
13.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
14.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
	xkok
15.	गोवा यूनिवर्सिटी, तेलेंगाव, प्लेटेयो, गोवा
	xqtjkr
16.	गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
17.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट
18.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
	gfj;k.kk
19.	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र
20.	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत
21.	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार

	fgekpy çns'k
22.	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला
	>kj[k.M
23.	राँची यूनिवर्सिटी, मोराबादी कैम्पस, राँची
	tEew vkSj d'ehj
24.	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू
25.	यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर, हजरतबल, श्रीनगर
	dukZVd
26.	बंगलोर यूनिवर्सिटी, बंगलोर
27.	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
28.	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर
	dsjy
29.	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कालीकट
30.	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, करियावट्टम
31.	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर
	e/; çns'k
32.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
33.	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर
34.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
35.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर
	egkjk"V
36.	डॉ0 बी.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
37.	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, विद्या नागरी, मुम्बई
38.	नागपुर यूनिवर्सिटी, अम्बाविहार, नागपुर
39.	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, गनेशखिण्ड, पुणे
40.	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती
	ef.kiqj
41.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, काँचीपुर, इम्फाल
	es?kky;
42.	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
	fetksje

43.	मिजोम यूनिवर्सिटी, आइज़ोल
	mMhlk
44.	उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार, भुवनेश्वर
45.	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार, सम्बलपुर
	i|npjh
46.	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, लॉसपेट, पाण्डिचेरी
	i|tkc
47.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर
48.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़
49.	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
	jktLFkku
50.	जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर
51.	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
52.	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर
	rfeyukMq
53.	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
54.	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली
55.	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेपक, चेन्नई
56.	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, पलकालाई नगर, मदुराई
	mRrj çns'k
57.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
58.	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद
59.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
60.	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
61.	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ
	mRrjk[k.M
62.	कुमायूँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल
	if'pe caxky
63.	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान
64.	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता
65.	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
66.	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिलीगुड़ी दार्जलिंग

ifjf'k"V % XVII
o"kZ 2010&2011 ds nkSjku ;w-th-lh- usV fo"k;ksa dh lwph

Ø-l-	fo"k; dksM	fo"k; dk uke
1	01	अर्थशास्त्र
2	02	राजनीतिक विज्ञान
3	03	दर्शन शास्त्र
4	04	मनोविज्ञान
5	05	समाज विज्ञान
6	06	इतिहास
7	07	मानव विज्ञान
8	08	वाणिज्य
9	09	शिक्षाशास्त्र
10	10	सामाजिक कार्य
11	11	रक्षा एव सामष्कि अध्ययन
12	12	गृह विज्ञान
13	14	लोक प्रशासन
14	15	जनसंख्या अध्ययन
15	16	संगीत
16	17	प्रबंधन
17	18	मैथिली
18	19	बंगला
19	20	हिन्दी
20	21	कन्नड़
21	22	मल्लयालम
22	23	उड़िया
23	24	पंजाबी
24	25	संस्कृत
25	26	तमिल
26	27	तेलुगू
27	28	उर्दू
28	29	अरबी

29	30	अंग्रेजी
30	31	भाषा विज्ञान
31	32	चाइनीज
32	33	डोगरी
33	34	नेपाली
34	35	मणिपुरी
35	36	असमिया
36	37	गुजराती
37	38	मराठी
38	39	फ्रेंच
39	40	स्पेनिश
40	41	रशयन
41	42	फारसी
42	43	राजस्थानी
43	44	जर्मन
44	45	जापानी
45	46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/ एण्ड्रागोगी/अनौपचारिक शिक्षा
46	47	शारीरिक शिक्षा
47	49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
48	50	भारतीय संस्कृति
49	55	श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
50	58	विधि शास्त्र
51	59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
52	60	बौद्ध, जैन, गाँधी तथा शांति अध्ययन
53	62	धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
54	63	जन संचार तथा पत्राचार
55	65	कला प्रदर्शन – नृत्य, नाटक, मंच
56	66	म्यूजियोलॉजी एण्ड कंर्जवेशन
57	67	पुरातत्व सर्वेक्षण

58	68	अपराध विज्ञान
59	70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
60	71	लोक साहित्य
61	72	तुलनात्मक साहित्य
62	73	संस्कृत परंपरागत विषय(ज्योतिष/ सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्व वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)
63	74	महिला अध्ययन
64	79	दृश्य कला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग/ शिल्प/ ग्राफिक्स/अप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास)
65	80	भूगोल
66	81	सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
67	82	फॉरेंसिक विज्ञान
68	83	पाली
69	84	कश्मीरी
70	85	कोंकणी
71	87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
72	88	इलेक्ट्रानिक विज्ञान
73	89	पर्यावरण विज्ञान
74	90	अन्तरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
75	91	प्राकृत
76	92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
77	93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन

ifjf'k"V % XVIII

lh-,l-vkbZ-vkj- ,oa ;w-th-lh- uSV la;qDr ijh{kk ds varxZr foKku fo"k;ksa dh lwph

Ø-l-		fo"k;
1.		रसायन विज्ञान
2.		पृथ्वी, वायुमण्डलीय, महासागर एवं ग्रहों का विज्ञान
3.		जीव विज्ञान
4.		गणितीय विज्ञान
5.		शारीरिक विज्ञान

ifjf'k"V % XIX
o"k 2010&2011 d fy, Hkkjr e ;-th-lh- uV ijh{kk dUnk dh lph

lsVj dkM	dUn dk uke
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202 002
02	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद–211 002
03	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम–530 003
04	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर–791 112
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी–221 005
06	बंगलोर यूनिवर्सिटी, बंगलोर–560 056
07	एम.पी.भोज ओपन यूनिवर्सिटी, शिवाजी नगर, भोपाल–462 016
08	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर–760 007
09	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर–641 046
10	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली–620 024
11	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान–713 104
12	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता–700 073
13	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कोझीकोड–673 635
14	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ–250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर–208 024
16	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची–682 022
17	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–110 025
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर–452 001
19	डॉ0 बी.एस.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद–431 004
20	गौहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी–781 014
21	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा–403 203
22	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर–273 009
23	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद–380 009
24	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा–585 106
25	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अम तसर–143 005

26	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला–171 005
27	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू तवी–180 006
28	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर–342 001
29	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर–474 011
30	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़–580 003
31	यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर, श्रीनगर–190 006
32	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तिरूअनन्तपुरम–695 034
33	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र–132 119
34	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ–226 007
35	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा–390 002
36	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई–600 005
37	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई–625 021
38	मंगलोर यूनिवर्सिटी, मंगलोर–574 199
39	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल–795 003
40	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर–313 001
41	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई–400 032
42	नार्गाजुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर–522 510
43	नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर–440 001
44	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जलिंग–734 430
45	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग–793 022
46	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500 007
47	पं0 रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर–492 010
48	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–160 014
49	पटना यूनिवर्सिटी, पटना–800 005
50	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे–411 007
51	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर–302 004
52	राँची यूनिवर्सिटी, राँची–834 008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर–482 001

54	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर–246 174
55	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर–768 019
56	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र–360 005
57	श्री वेंकेटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति–517 502
58	तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर–812 007
59	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला–799 004
60	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–751 004
61	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा–282 004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर–305 009
63	मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम, पो0 बाक्स नं0 190, आइज़ौल–796 012
64	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, पो0 बाक्स नं0 341, लुमानी, कोहिमा–797 001
65	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, पोर्ट ब्लेयर–744 104
66	डॉ0 अवधेशप्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा–486 003
67	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर–788 001 असम
68	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़–786 004
69	सिक्किम यूनिवर्सिटी, 6 माइल, सामदुर, पी.ओ. तडोंग–737 102
70	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर–784 028
71	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान
72	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक–124 001
73	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला–147 002
74	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, काफोर्ड हाल, मैसूर–570 005

rkfydk 1-1 ¼ o"k 2010&2011 d fy, ctV

¼ djkM #0 e½

Ø-l0	ctV 'kh"k	;ktukxr fodkl		xj&;ktukxr vkoVu	
		c0vu0	l0vu0	c0vu0	l0vu0
1.	सामान्य	4390.00	4176.80	3450.86	3903.59
2.	**dy**	**4390-00**	**4176-80**	**3450-86**	**3903-59**

rkfydk 1-2 ¼ o"k 2010&2011 iklr fd;s x;s vunku

¼djkM #0 e½

Ø-l-	ctV 'kh"k	iklr ;ktukxr vunku	iklr xj&;ktukxr vunku
1.	सामान्य	4315.80	3903.59
	dy	**4315-80**	**3903-59**

rkfydk 1-3 ¼ o"k 2010&2011 d nkjku lLFkkuk dk tkjh fd, x, vunku

¼djkM #0 e½

Ø-l-	lLFkkvk d idkj	;ktukxr vunku	dy& ;ktukxr vunku dk ifr'kr
1.	राज्य विश्वविद्यालय	832.45	18.95
2.	राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	320.76	7.30
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1974.56	44.96
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	62.89	1.43
5.	अंर्तविश्वविद्यालय केन्द्र	137.65	3.13
6.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	99.63	2.27
7.	विविध / विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	30.00	0.68
8.	क्षेत्रीय केन्द्र	933.16	21.26
9.	स्थापना	0.67	0.02
	dy ¼;ktukxr½	**4391-77**	**100-00**

rkfydk 1-4 o"k 2010&2011 d nkjku lLFkuk dk fd, x, xj&;kstukxr vunku

¼djkM :i;s e½

Ø-l-	lLFkkvk d idkj	xj&;kstukxr vunku	dy xj&;kstukxr vunku dk ifr'kr
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण हेतु (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू0सी0एम0एस0 63.26)	2614.93	67.10
	(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी.एच.यू. के महाविद्यालय	953.30	24.46
	(ग) सम विश्वविद्यालय संस्थाएँ	204.24	5.24
2.	राज्य विश्वविद्यालय	15.03	0.39
3.	अंतरविश्वविद्यालय संस्थान/ केन्द्र	49.41	1.27
4	राज्य महाविद्यालय	2.36	0.06
4.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	49.76	1.28
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.77	0.20
	dy	**3896-80**	**100-00**

rkfydk 1-1 ¼ o"k 2010&2011 d fy, ctV

¼ djkM #0 e½

Ø- l0	ctV 'kh"k	;kstukxr fodkl		xj&;kstukxr vkoVu	
		c0vu0	l0vu0	c0vu0	l0vu0
1.	सामान्य	4390.00	4176.80	3450.86	3903.59
2.	**dy**	**4390-00**	**4176-80**	**3450-86**	**3903-59**

rkfydk 1-2 ¼ o"k 2010&2011 d nkjku ÁkIr ;kstukxr vkj xj&;kstukxr ¼lekU;½ vunku ctV 'kh"k

¼ djkM #0 e½

Ø- l0	e=ky;)kjk ÁkIr vunku	;kstukxr	xj&;kstukxr
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	4315.80	3903.59
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	144.00	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	60.68	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	29.98	0.00
	dy	**4550-46**	**3903-59**

(क्षेत्रक–1 से 9)सामान्य योजना के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों की विवरण (महाविद्यालय)												
क्रं सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	क्षेत्रक–5	क्षेत्रक–6	क्षेत्रक–7	क्षेत्रक–8	क्षेत्रक–9	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनि0, अलीगढ़	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	159.69	2.96	38.38	16.16					0.26	217.45
		क्षे.का										0.00
3	असम यूनि0, सिलचर	मु.का.			25.00							25.00
		क्षे.का										0.00
4	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनि0	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	बनारस हिन्दू यूनि0, वाराणसी	मु.का.	25.20		0.84	23.06	23.25					72.35
		क्षे.का										0.00
6	सेंट्रल यूनि0 ऑफ बिहार, पटना	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
7	सेंट्रल यूनि0 ऑफ गुजरात, गांधीनगर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
8	सेंट्रल यूनि0 ऑफ हरियाणा, गुड़गॉव	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
9	सेंट्रल यूनि0 ऑफ जम्मू एवं काश्मीर, जम्मू	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	सेंट्रल यूनि0 ऑफ जम्मू एवं काश्मीर, श्रीनगर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
11	सेंट्रल यूनि0 ऑफ झारखण्ड, राँची	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
12	सेंट्रल यूनि0 ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
13	सेंट्रल यूनि0 ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
14	सेंट्रल यूनि0 ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
15	सेंट्रल यूनि0 ऑफ पंजाब, भटिन्डा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
16	सेंट्रल यूनि0 ऑफ राजस्थान, जयपरु	मु.का.				13.50						13.50
		क्षे.का										0.00
17	सेंट्रल यूनि0 ऑफ तमिलनाडू, थ्रिरुवरूर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	4552.80	127.92	139.60	246.42	8.58				0.30	5075.62
		क्षे.का										0.00

20	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मुका.			7.27		16.75					24.02
		क्षे.का										0.00
21	गुरू घासी दास यूनि0, बिलासपुर	मुका.			150.54							150.54
		क्षे.का										0.00
22	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनि0, श्रीनगर	मुका.	412.55	3.00	8.46	59.51						483.52
		क्षे.का										0.00
23	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
24	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनि0, नई दिल्ली	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
25	इंदिरा नेशनल ट्राइबल यूनि0, अमरकण्टक	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
26	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
27	जवाहरलाल नेहरू यूनि0, नई दिल्ली	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
28	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
29	मणीपुर यूनि0, इम्फाल	मुका.	67.00	8.19	25.00	47.53	22.19					169.91
		क्षे.का										0.00
	उपयोग	मुका.	5217.24	142.07	395.09	406.18	70.77	0.00	0.00	0.00	0.56	6231.91
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनि0, हैदराबाद	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
31	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मुका.			0.88		0.80					1.68
		क्षे.का										0.00
32	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मुका.	35.00				4.00					39.00
		क्षे.का										0.00
33	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मुका.	1.00	2.27	0.89							4.16
		क्षे.का										0.00
34	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	मुका.			1.94	8.56						10.50
		क्षे.का										0.00
35	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मुका.				1.40						1.40
		क्षे.का										0.00
36	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
37	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
38	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00

39	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
40	विश्वभारती शान्ति निकेतन	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
41	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	उपयोग	मु.का.	**36.00**	**2.27**	**3.71**	**9.96**	**4.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.74**
		क्षे.का	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल	मु.का.	**5253.24**	**144.34**	**398.80**	**416.14**	**75.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.56**	**6288.65**
	कुल	क्षे.का	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**5253.24**	**144.34**	**398.80**	**416.14**	**75.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.56**	**6288.65**
समविश्वविद्यालय												
1	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0 एण्ड साइंस, पिलानी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0, राँची	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्ट्डीज, वाराणसी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टिट्यूट, सिरूसेरी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिर्सच इंस्टिट्यूट, पुणे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
7	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
8	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
9	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	जर्नादन राय नागर राजस्थान, विद्यापीठ	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
11	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनुन, राजस्थान	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
12	रामाकृष्ण मिशन एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
13	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00

14	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
15	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजि0 एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
16	अविनाश लिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
17	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
18	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
19	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
20	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
21	राष्ट्री संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
22	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
23	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
24	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
25	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
26	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
27	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
28	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ग्वालियर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
29	सिमबायोसिस, पुणे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
30		मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	गांधी इंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
32	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्ट्डीज, वाराणसी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
33	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूसा, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00

34	कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डिस्ट्रीयल	मु.का.											0.00
	टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	क्षे.का											0.00
35	फॉरेस्ट रिर्सच इंस्टिट्यूट, देहरादून	मु.का.											0.00
		क्षे.का											0.00
36	इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट,	मु.का.											0.00
	इज्जतनगर	क्षे.का											0.00
37	नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिट्यूट, करनाल	मु.का.											0.00
		क्षे.का											0.00
38	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउंडेशन, सेलम	मु.का.											0.00
		क्षे.का											0.00
39	नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्र	मु.का.											0.00
	ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन	क्षे.का											0.00
40	भारती विद्यापीठ , पुणे	मु.का.		7.55									7.55
		क्षे.का											0.00
41	इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, औरंगाबाद	मु.का.		4.60									4.60
		क्षे.का											0.00
	एडवांस्ड मेटेरियल्स एण्ड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट				2.12								2.12
													0.00
	एस.एस.वी. आदर्श संस्कृत महिला विद्यालय				4.00								4.00
													0.00
	जुलाल भीलाजीराव पाटील कॉलेज				2.80								2.80
													0.00
	भारती विद्यापीठ , पुणे				49.44	76.84							126.28
													0.00
	एआईआईएमएस, नई दिल्ली				1.28				39.53				40.81
													0.00
	नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लिब, नई दिल्ली				16.40								16.40
													0.00
42	इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नागपुर	मु.का.				0.20							0.20
		क्षे.का											0.00
43	एच.बी. टेक0 इंस्टीट्यूट कानपुर	मु.का.				6.30							6.30
		क्षे.का											0.00
44	इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा	मु.का.				2.90							2.90
		क्षे.का											0.00
45	एनआईटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.							3.89				3.89
		क्षे.का											0.00
46	ने”ानल बोटॅनिकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	मु.का.							3.90				3.90
		क्षे.का											0.00
47	पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडू0 एण्ड रिसर्च,	मु.का.							3.24				3.24
	चंडीगढ़	क्षे.का											0.00

48	आईआईटी, नई दिल्ली	मु.का.							0.15			0.15
		क्षे.का										0.00
49	आईआईटी, कानपुर	मु.का.							5.80			5.80
		क्षे.का										0.00
50	द पीएओ, डीसीपीडब्ल्यू, एलजेएन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, नई दिल्ली	मु.का.							1.68			1.68
		क्षे.का										0.00
51	महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट और फिजियो0	मु.का.							5.00			5.00
		क्षे.का										0.00
52	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास	मु.का.							4.35			4.35
		क्षे.का										0.00
53	एड0 सीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा	मु.का.							180.16			180.16
		क्षे.का										0.00
54	आईआईटी, रुड़की	मु.का.							1.59			1.59
		क्षे.का										0.00
55	मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद	मु.का.							4.67			4.67
		क्षे.का										0.00
56	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,मुम्बई	मु.का.							0.15			0.15
		क्षे.का										0.00
57	एनआईटी, हमीरपुर	मु.का.							1.43			1.43
		क्षे.का										0.00
58												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
52		मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
53		मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	उपयोग		0.00	12.15	76.04	86.24	0.00	0.00	255.54	0.00	0.00	429.97
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	मु.का.	0.00	12.15	76.04	86.24	0.00	0.00	255.54	0.00	0.00	429.97
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	12.15	76.04	86.24	0.00	0.00	255.54	0.00	0.00	429.97
												0.00
												0.00

अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र												0.00
1	कन्सोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	देवी अहिल्या, इन्दौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
7	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्शियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
												0.00
												0.00
राज्य विश्वविद्यालय												0.00
आन्ध्र प्रदेश												0.00
1	आर्चाय नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	124.00	5.23	76.53	30.16	6.75				0.50	243.17
		क्षे.का										0.00
2	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	113.00	10.52	41.78	22.35	13.11					200.76
		क्षे.का										0.00
3	ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	जवाहर लाल टेक0, हैदराबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	काकातीय यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	1.00		31.59	21.07	10.00					63.66
		क्षे.का										0.00

7	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
8	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	151.00	17.31	194.52	59.98	15.28					438.09
		क्षे.का										0.00
9	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	श्री कृष्ण देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.	137.00		37.50	3.57						178.07
		क्षे.का										0.00
11	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
12	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	22.00	2.27	54.41	15.45						94.13
		क्षे.का										0.00
	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	548.00	35.33	436.33	152.58	45.14	0.00	0.00	0.00	0.50	1217.88
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		548.00	35.33	436.33	152.58	45.14	0.00	0.00	0.00	0.50	1217.88
												0.00
असम												0.00
1	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	मु.का.	182.00	23.76	42.33	50.07	175.37					473.53
		क्षे.का										0.00
3	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	73.00	2.27	75.47	54.46	98.17					303.37
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	255.00	26.03	117.80	104.53	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	776.90
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		255.00	26.03	117.80	104.53	273.54	0.00	0.00	0.00	0.00	776.90
												0.00
बिहार												0.00
1	बी.एन. मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	मु.का.				4.33						4.33
		क्षे.का										0.00
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी,	मु.का.				5.43	48.35					53.78
		क्षे.का										0.00
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.			1.79	1.95	6.60					10.34
		क्षे.का										0.00
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	10.00		4.80	9.86	55.11					79.77
		क्षे.का										0.00

6	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	मुका.	1.00		35.31	7.07	15.90					59.28
		क्षे.का										0.00
7	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मुका.	1.00		52.90	5.30	0.60					59.80
		क्षे.का										0.00
8	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मुका.				6.05	3.00					9.05
		क्षे.का										0.00
9	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मुका.				8.50						8.50
		क्षे.का										0.00
	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मुका.	12.00	0.00	94.80	48.49	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	284.85
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		12.00	0.00	94.80	48.49	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	284.85
छत्तीसगढ़												0.00
2	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	मुका.	62.00		131.08	20.85	0.80					214.73
		क्षे.का										0.00
	कुल	मुका.	62.00	0.00	131.08	20.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		62.00	0.00	131.08	20.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214.73
दिल्ली												0.00
1	गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रपस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मुका.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
गुजरात												0.00
1	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मुका.				2.95	3.50					6.45
		क्षे.का										0.00
2	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मुका.	1.00		37.05	6.57	5.13					49.75
		क्षे.का										0.00
3	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मुका.										0.00
		क्षे.का										0.00

4	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	63.00		5.65	2.15	10.50					81.30
		क्षे.का										0.00
5	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ	मु.का.	26.00		1.23	7.86	6.13					41.22
		क्षे.का										0.00
6	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	46.00		17.65	3.60	8.00					75.25
		क्षे.का										0.00
7	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.				1.68	4.80					6.48
		क्षे.का										0.00
8	गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनासकाँथा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
9	कच्छा यूनिवर्सिटी					5.05						
	कुल	मु.का.	136.00	0.00	61.58	29.86	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50
	कुल	क्षे.का	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		136.00	0.00	61.58	29.86	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50
												0.00
गोवा												0.00
1	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	1.00		27.49	19.95	17.10					65.54
		क्षे.का										0.00
2	कुल	मु.का.	1.00	0.00	27.49	19.95	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1.00	0.00	27.49	19.95	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65.54
												0.00
हरियाणा												0.00
1	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिसार	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	मु.का.	1442.12	63.50	85.57	73.72	60.00				2.02	1726.93
		क्षे.का										0.00
6	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	753.60	45.19	30.70	29.40	1.80				0.31	861.00
		क्षे.का										0.00
7	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	280.49	3.00	2.56	2.30	7.00					295.35
		क्षे.का										0.00
8	पंडित बी.डी. भार्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस				1.56							1.56
												0.00

	कुल	मु.का.	2476.21	111.69	118.83	105.42	68.80	0.00	0.00	0.00	2.33	2883.28
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		2476.21	111.69	118.83	105.42	68.80	0.00	0.00	0.00	2.33	2883.28
												0.00
												0.00
												0.00
	हिमाचल प्रदेश											0.00
1	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	767.93		2.85	22.29	9.26					802.33
		क्षे.का										0.00
2	आई.आई.टी. एडवांस्ड स्टडीज, शिमला	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फारेस्ट्री											0.00
												0.00
	कुल	मु.का.	767.93	0.00	2.85	22.29	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	802.33
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		767.93	0.00	2.85	22.29	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	802.33
												0.00
	जम्मू एवं काश्मीर											0.00
1	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	507.47	18.61		5.74	6.75					538.57
		क्षे.का										0.00
2	काश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	191.37	39.69	26.06	3.12	0.80					261.04
		क्षे.का										0.00
3	शेरे काश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 एण्ड टेक0, श्रीनगर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, कटरा	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
												0.00
												0.00
	कुल	मु.का.	698.84	58.30	26.06	8.86	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	799.61
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		698.84	58.30	26.06	8.86	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	799.61
												0.00
	झारखण्ड											0.00
												0.00
1	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.	38.00		87.50	20.17	6.75					152.42
		क्षे.का										0.00
2	सिद्धू कान्हू मुरूमू यूनिवर्सिटी, दुमका	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.				5.98	1.50					7.48
		क्षे.का										0.00
4	बिरसा एग्री0 यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
5	पं0 रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर			5.33								

	कुल	मु.का.	38.00	5.33	87.50	26.15	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165.23
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		38.00	5.33	87.50	26.15	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165.23
												0.00
कर्नाटक												0.00
1	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	मु.का.	116.00	8.84	43.49	50.99	15.35					234.67
		क्षे.का										0.00
2	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.			26.44	24.92	16.50					67.86
		क्षे.का										0.00
3	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	102.00	5.19	45.38	68.45	27.60					248.62
		क्षे.का										0.00
5	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.		5.19	9.67	13.67	4.60					33.13
		क्षे.का										0.00
7	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	53.00	2.95	44.08	13.67	21.73					135.43
		क्षे.का										0.00
8	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	70.00		4.84	35.77	28.99					139.60
		क्षे.का										0.00
9	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 साइंसिज, बंगलौर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
11	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 साइंसिज, धारवाड़											0.00
												0.00
12	आर.जी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, बंगलौर				0.43	25.61						
13	विश्‍वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी , बेलगांव				4.38	19.44						
	कुल	मु.का.	341.00	22.17	178.71	252.52	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	909.17
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		341.00	22.17	178.71	252.52	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	909.17
केरल												0.00
1	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	1.00		32.86	33.41	9.50					76.77
		क्षे.का										0.00
2	कोच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक0, कोच्ची	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	कन्नूर यूनिवर्सिटी,	मु.का.			1.32	23.14	4.30					28.76
		क्षे.का										0.00
4	केरल एग्री0 यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00

5	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	2.00		31.03	56.11	14.00					103.14
		क्षे.का										0.00
6	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	101.66		90.78	86.22	35.66					314.32
		क्षे.का										0.00
7	श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, कलाडी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	104.66	0.00	155.99	198.88	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	522.99
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		104.66	0.00	155.99	198.88	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	522.99
												0.00
मध्य प्रदेश												0.00
1	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	मु.का.	52.00		30.98							82.98
		क्षे.का										0.00
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.		2.99	11.74	25.69						40.42
		क्षे.का										0.00
3	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, सागर	मु.का.			0.73	1.10						1.83
		क्षे.का										0.00
5	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.			3.04	4.93						7.97
		क्षे.का										0.00
7	एम.पी. भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
8	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
9	नेशनल लॉ इन्स्टिट्यूट, भोपाल	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	1.00		114.39	15.94	0.20					131.53
		क्षे.का										0.00
11	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.				1.62						1.62
		क्षे.का										0.00
12	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	मु.का.				9.01						9.01
		क्षे.का										0.00
13	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता,	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
14	कुल	मु.का.	53.00	2.99	160.88	58.29	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	275.36
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		53.00	2.99	160.88	58.29	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	275.36
												0.00

महाराष्ट्र												0.00
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	45.00	6.11	143.88	41.99	94.45					331.43
		क्षे.का										0.00
2	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टेक0 यूनिवर्सिटी, लोनेरे	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	मु.का.	183.00		76.15	103.34	111.52					474.01
		क्षे.का										0.00
4	मुम्बई यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.	276.00	11.75	107.50	96.08	13.87				0.12	505.32
		क्षे.का										0.00
5	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	98.00	6.00	93.62	21.14	136.93					355.69
		क्षे.का										0.00
6	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे	मु.का.	2.00		79.25	86.94	51.80					219.99
		क्षे.का										0.00
7	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	144.00	5.43	77.54	48.93	167.85					443.75
		क्षे.का										0.00
8	एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	मु.का.		3.00	3.36	6.54	32.45					45.35
		क्षे.का										0.00
9	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	मु.का.	166.00		44.39	41.72	29.87				0.49	282.47
		क्षे.का										0.00
10	स्वामी आर.टी.एम. यूनिवर्सिटी, नांदेड़	मु.का.	86.00		75.81	73.26	38.52					273.59
		क्षे.का										0.00
11	यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी,	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	सोलापुर यूनिवर्सिटी, नादेंड	मु.का.	1.00									1.00
		क्षे.का										0.00
	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	1001.00	32.29	701.50	519.94	677.26	0.00	0.00	0.00	0.61	2932.60
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		1001.00	32.29	701.50	519.94	677.26	0.00	0.00	0.00	0.61	2932.60
उड़ीसा												0.00
1	बरहामपुर यूनिवर्सिटी, बरहामपुर	मु.का.	1.00									1.00
		क्षे.का										0.00
2	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.	1.00			11.49	3.42					15.91
		क्षे.का										0.00
3	नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क एण्ड सोशल साइंसिज	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
4	नार्थ उड़ीस यूनिवर्सिटी, बारीपाड	मु.का.				2.05						2.05
		क्षे.का										0.00

5	रवेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	52.00		108.25	12.89	41.62					214.76
		क्षे.का										0.00
7	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
8	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	526.10		79.06	14.51	34.55					654.22
		क्षे.का										0.00
9	कुल	मु.का.	580.10	0.00	187.31	40.94	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	887.94
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		580.10	0.00	187.31	40.94	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	887.94
												0.00
पंजाब												0.00
1	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	2006.88	348.77	130.27	93.59	82.55				2.25	2664.31
		क्षे.का										0.00
2	पंजाब एग्री0 यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	मु.का.	1752.33	203.58	96.23	112.95	62.42				2.91	2230.42
		क्षे.का										0.00
4	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	1053.17	79.50	96.55	31.09	34.06				0.01	1294.38
		क्षे.का										0.00
5	ने”ानल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एडू0 एण्ड रिसर्च, मोहाली				13.83							
6	सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजे”ान, चंडीगढ़				8.94							
7	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक0, रोपड़				1.59							
8	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल एडू0 एण्ड रिसर्च, पंजाब				6.90							
9	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस				1.15							

	कुल	मु.का.	4812.38	631.85	355.46	237.63	179.03	0.00	0.00	0.00	5.17	6221.52
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		4812.38	631.85	355.46	237.63	179.03	0.00	0.00	0.00	5.17	6221.52
												0.00
राजस्थान												0.00
1	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	36.00			1.36						37.36
		क्षे.का										0.00
2	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.			16.97	39.17						56.14
		क्षे.का										0.00
4	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.				8.16	7.00					15.16
		क्षे.का										0.00
5	राजस्थान एग्री0 यूनिवर्सिटी, बीकानेर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
6	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	134.00	5.86	94.30	40.22						274.38
		क्षे.का										0.00
7	यूविर्सिटी ऑफ बीकानेर, बीकानेर		49.00		33.74	0.42	8.84					92.00
												0.00
8	कोटा यूनिवर्सिटी				11.47	17.04						
	कुल	मु.का.	219.00	5.86	156.48	106.37	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	503.55
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		219.00	5.86	156.48	106.37	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	503.55
												0.00
तमिलनाडू												0.00
1	अलगप्पा यूनि0, कराई कुडी	मु.का.			2.33	1.50	9.24					13.07
		क्षे.का.										0.00
2	अन्ना यूनि0, चेन्नई	मु.का.		5.33	26.71	52.93					2.75	87.72
		क्षे.का.										0.00
3	अन्ना मलाई यूनि0, अन्ना मलाई नगर	मु.का.	201.00									201.00
		क्षे.का.										0.00
3	भरथियार यूनि0, कोयम्बटूर	मु.का.		3.00	47.37	216.97	6.62					273.96
		क्षे.का.										0.00
4	भारतीदासन यूनि0, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	21.00	10.42	41.42	52.21	3.83				4.00	132.88
		क्षे.का.										0.00
5	मद्रास यूनि0, चेन्नई	मु.का.	24.08	8.65	107.01	155.49	18.66					313.89
		क्षे.का.										0.00

6	मदुराई कामराज यूनि0, मदुराई	मु.का.	83.00	8.33	178.39	146.76	17.36				3.03	436.87
		क्षे.का.										0.00
7	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनि0, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	42.20		75.44	100.15	39.05					256.84
		क्षे.का.										0.00
8	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनि0, कोडाईकनाल	मु.का.			8.12							8.12
		क्षे.का.										0.00
9	पेरियार यूनि0, सेलम	मु.का.			0.94	19.53	3.50					23.97
		क्षे.का.										0.00
10	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय	मु.का.										0.00
		क्षे.का.										0.00
11	तमिल यूनि0, थंजावुर	मु.का.			1.73							1.73
		क्षे.का.										0.00
12	थिरूवल्वुर यूनिवर्सिटी	मु.का.	20.00				7.00					27.00
		क्षे.का.										0.00
13	तमिलनाडू डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी,	मु.का.										0.00
		क्षे.का.										0.00
	तमिलनाडू डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.										0.00
		क्षे.का.										0.00
13	कुल	मु.का.	391.28	35.73	489.46	745.54	105.26	0.00	0.00	0.00	9.78	1777.05
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		391.28	35.73	489.46	745.54	105.26	0.00	0.00	0.00	9.78	1777.05
												0.00
त्रिपुरा												0.00
1	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
उत्तर प्रदेश												0.00
1	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	311.86		5.49	8.23	3.00					328.58
		क्षे.का										0.00
2	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	1096.02	42.63	134.31	81.27	4.60				2.26	1361.09
		क्षे.का										0.00
3	छ0 शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	1183.78	100.00	41.52	221.19	36.25				0.21	1582.95
		क्षे.का										0.00
4	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	1008.70	56.50		54.18	272.13				8.48	1399.99
		क्षे.का										0.00

5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	833.34	48.33	54.83	76.73	57.80					1071.03
		क्षे.का										0.00
6	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	437.65		7.37	32.51	98.75				1.62	577.90
		क्षे.का										0.00
7	जगद्गुरू रामभद्राचार्य	मु.का.			9.58							9.58
		क्षे.का										0.00
8	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	197.33	10.00	67.65	30.09	40.75					345.82
		क्षे.का										0.00
9	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वारणसी	मु.का.				11.84	3.25					15.09
		क्षे.का										0.00
10	एम.जे.पी रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	510.18	42.50	45.15	70.62	41.15					709.60
		क्षे.का										0.00
11	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	515.84	73.79		2.12	67.85				0.46	660.06
		क्षे.का										0.00
12	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	1404.45	101.00	45.78	54.65	96.50				0.99	1703.37
		क्षे.का										0.00
	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 एण्ड	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 एण्ड टेक्नोलॉजी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
13	कुल	मु.का.	7499.15	474.75	411.68	643.43	722.03	0.00	0.00	0.00	14.02	9765.06
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		7499.15	474.75	411.68	643.43	722.03	0.00	0.00	0.00	14.02	9765.06
												0.00
उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)												0.00
1	जी.बी. पंत एग्री0 यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.			1.23							1.23
		क्षे.का										0.00
2	कुँमाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	217.26	52.00	7.40	22.27						298.93
		क्षे.का										0.00
	कुल	मु.का.	217.26	52.00	8.63	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.16
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		217.26	52.00	8.63	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.16
												0.00
पश्चिम बंगाल												0.00
1	बंगाल इंजी0 एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
2	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
3	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, वर्द्धमान	मु.का.			2.24	4.94	0.40					7.58
		क्षे.का										0.00
4	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	105.00	7.89	139.36	95.61	14.66					362.52
		क्षे.का										0.00
5	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00

6	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.		8.33	2.14	6.94						17.41
		क्षे.का										0.00
7	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.		10.66	0.52	5.03	7.24					23.45
		क्षे.का										0.00
8	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
9	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड सांइसिज, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
10	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	66.00			15.18	12.35					93.53
		क्षे.का										0.00
11	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज सांइस, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
12	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	मु.का.										0.00
		क्षे.का										0.00
13	कुल	मु.का.	171.00	26.88	144.26	127.70	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	504.49
	कुल	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		171.00	26.88	144.26	127.70	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	504.49
	समग्र योग	मु.का.	20384.81	1521.20	4054.68	3492.49	2590.15	0.00	0.00	0.00	32.41	32075.74
	समग्र योग	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		20384.81	1521.20	4054.68	3492.49	2590.15	0.00	0.00	0.00	32.41	32075.74
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		5253.24	144.34	398.80	416.14	75.57	0.00	0.00	0.00	0.56	6288.65
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	12.15	76.04	86.24	0.00	0.00	255.54	0.00	0.00	429.97
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालया का कुल योग		20384.81	1521.20	4054.68	3492.49	2590.15	0.00	0.00	0.00	32.41	32075.74
	समग्र योग		25638.05	1677.69	4529.52	3994.87	2665.72	0.00	255.54	0.00	32.97	38794.36

सारांश (योजनागत) 2010–2011(लाख रु0 में)

		क्षेत्रक–1 पूर्ण योगमेंवृद्धि	क्षेत्रक–2 अंशधारिता	क्षेत्रक–3 गुणवत्ताऔरउत्कृष्टता	क्षेत्रक–4 अनुसंधानपरियोजनाएं	क्षेत्रक–5 संगतता एवंमूल्याधारितशिक्षा	क्षेत्रक–6 आई. सी.टी. समेकन	क्षेत्रक–7 शासन एवंकार्यक्षमतासुधार	क्षेत्रक–8 नई योजनाएं	क्षेत्रक–9 10वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं	शीर्ष 1 से 9 का योगं
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
विश्वविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का.	190129.30	815.73	4653.85	1209.83	223.43	24.00	0.00	0.00	400.00	197456.14
	क्षे.का.										0.00
समविश्वविद्यालय	मु.का.	6793.13	42.83	1906.56	543.31	107.52	0.00	504.54	0.00	65.34	9963.23
	क्षे.का.										0.00
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	63472.84	268.67	13292.81	4339.44	508.32	875.40	176.12	0.00	311.44	83245.04
	क्षे.का.										0.00
अंतर–विश्वविद्यालय		55.00	0.00	6049.56	0.00	0.00	7660.00	0.00	0.00	0.00	13764.56
विश्वविद्यालयेतरसंस्थान		3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
कुल	**मु.का.**	**263450.27**	**1127.23**	**25902.78**	**6092.58**	**839.27**	**8559.40**	**680.66**	**0.00**	**776.78**	**307428.97**
	क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुलविश्वविद्यालय		**263450.27**	**1127.23**	**25902.78**	**6092.58**	**839.27**	**8559.40**	**680.66**	**0.00**	**776.78**	**307428.97**
महाविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का.	5253.24	144.34	398.80	416.14	75.57	0.00	0.00	0.00	0.56	6288.65
	क्षे.का.										0.00
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	20384.81	1521.20	4054.68	3492.49	2590.15	0.00	0.00	0.00	32.41	32075.74
	क्षे.का.										0.00
विश्वविद्यालयेतरसंस्थान											0.00
कुल	**मु.का.**										**0.00**
	क्षे.का.										**0.00**
महाविद्यालयोंका योग		**25638.05**	**1665.54**	**4453.48**	**3908.63**	**2665.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.97**	**38364.39**
समग्र योगविश्वविद्यालय एवंमहाविद्यालय											**0.00**
स्थापना				13.15				53.82			66.97
क्षेत्रीय केन्द्र		58557.77	12903.45	16634.46	4815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	404.76	93315.90
समग्र योग		**347646.09**	**15696.22**	**46990.72**	**14816.67**	**3504.99**	**8559.40**	**680.66**	**0.00**	**1214.51**	**439176.23**

सारांश (गैर–योजनागत) 2009–2010

(लाख रु0 में)

विवरण	प्रशासनिकप्रभार	ईएमएमआरसी एवंसी.ई.सी.	अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र	विशिष्टउद्देश्यों के लिए संघटितअनुदान	सम विश्वविद्यालयों के लिए संघटितअनुदान	दिल्लीकॉलेजों के लिए संघटितअनुदान	बी.एच.यू. कॉलेजों के लिए संघटितअनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयोंकोसंघटितअनुदान	कुल
	1	4	5	6	7	8 (i)	8(ii)	9	
विश्वविद्यालय									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261205.00	261493.49
समविश्वविद्यालय	0	26.00	0.00	0.00	20398.21	0.00	0.00	0.00	20424.21
अंतर–विश्वविद्यालयकेन्द्र	0	259.98	4681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4941.09
राज्य विश्वविद्यालय	0	1502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.70
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विश्वविद्यालयोंका योग	**0.00**	**2077.17**	**4681.11**	**0.00**	**20398.21**	**0.00**	**0.00**	**261205.00**	**288361.49**
महाविद्यालय									
दिल्लीमहाविद्यालय		0.00	0.00	0.00	0.00	92623.64	0.00	0.00	92623.64
बी.एच.यू. महाविद्यालय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2705.68	0.00	2705.68
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य महाविद्यालय		235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.51
महाविद्यालयोंका योग		**235.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92623.64**	**2705.68**	**0.00**	**95564.83**
समग्र योग (विश्वविद्यालय एवंमहाविद्यालय)		**2312.68**	**4681.11**	**0.00**	**20398.21**	**92623.64**	**2705.68**	**261205.00**	**383926.32**
विश्वविद्यालयेतर									
प्रशासनिकप्रभार (मुख्यालय)	4975.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4975.56
प्रशासनिकप्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.44
समग्र योगः–	**5753.00**	**2312.68**	**4681.11**	**0.00**	**20398.21**	**92623.64**	**2705.68**	**261205.00**	**383926.32**